

जनवरी १९६९

15 APR 1963
समाप्त
मुख्य
समाप्तक संग्रहालय



श्री नालीम

संस्कृत-अभ्यास-संस्थान

चुनाव और शिक्षक

पिछले हफ्ते की बात है। मैं देहात के एक मिडिल स्कूल के किनारे से होकर सड़क पर जा रहा था। स्कूल के विद्यार्थी सामने की खुली जगह में इकट्ठा बैठे हुए थे। स्कूल के एक नवजवान शिक्षक विद्यार्थियों के बीच में खड़े होकर उन्हें मध्यावधि चुनाव के बारे में कुछ कह रहे थे। शिक्षक और शिक्षण में गहरी दिलचस्पी होने के कारण क्षणभर के लिए मेरे कदम रुक गये। मैं तटस्थता बिना की बातों को कान लगाकर सुनने लगा। शिक्षक का ध्यान मेरी ओर गया। वे पलभर के लिए चुप हो गये। कुछ देर तक मुझे पहचानने की कोशिश करने के बाद उन्होंने अपना भाषण फिर से शुरू कर दिया। वे विद्यार्थियों को बता रहे थे कि मध्यावधि चुनाव में वे भारतीय न्त्रान्ति दल के प्रत्याशी को विजयी बनाने में पूरी ताकत लगायेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने माता-पिता और सगे-सम्बन्धियों का घोट भारतीय न्त्रान्ति दल के प्रत्याशी को ही दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि भारतीय न्त्रान्ति दल किसानों की सबसे ज्यादा भलाई चाहनेवाला दल है।

वर्ष : १७

अंक : ६

नवजवान अध्यापक जब अपनी बात कह चुके तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक मेरे करीब आये। उन्होंने मुझसे पूछा — “भाप किस दल के हैं ?”

आजादी के बाद हमारे देश में जो शासन-प्रणाली शुरू हुई उसकी बहुत बड़ी अच्छाई यह है कि वह हर बालिग को शासक चुनने के मामले में अपनी पसन्द प्रकट करने का मौका देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शासक के निकम्मा साबित होने पर उसे बदलने का लोगों को मौका मिलता है। इस प्रणाली की एक दूसरी अच्छाई यह है कि सामाजिक क्रान्ति की प्रक्रिया को लागू करने के लिए न धिपा पडयंत्र करने की आवश्यकता है, न संघर्ष करने की। जनता के वोट में क्रान्ति की शक्ति का स्रोत है। हमारा २१ साल पुराना लोकतंत्र चाहे जितना अधूरा हो, लेकिन उसने सामाजिक परिवर्तन के जो अवसर खुले रखे हैं, वे विकास की दृष्टि से अनमोल हैं। किन्तु लोकतंत्र के इस अनमोल अवसर ने ही हमारे राष्ट्र के सामने दुहरी समस्या उपस्थित कर दी है—एक है अपने नागरिक-अधिकारों की रक्षा और दूसरी है, लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों से लोकतंत्र की रक्षा।

पिछले २१ वर्षों के लोकतंत्र के प्रयोग के दौरान हमने मान लिया कि जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुन ले और चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत की सरकार बने तो लोकतंत्र शक्तिशाली होता चला जायेगा। अब तक हमने यह नहीं समझा था कि वोट प्राप्त करने की रीति-नीति के कारण लोकतंत्र दुर्बल और क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। आज जातिगत चुनाव-पद्धति के कारण न केवल राजनैतिक जीवन मुरझाने लगा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन मुर्दार होता जा रहा है।

आज चुनाव की पद्धति ने देश के जीवन में जो भयानक पैदा किया है, उससे स्पष्ट है कि उम्मीदवार चुनने की जातीय कसौटी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं है। शिक्षण-संस्थाओं को इस मामले में अविलम्ब अपना रंग-ढंग बदलना चाहिए और तय करना चाहिए कि लोकतंत्र के विकास में उनका क्या रोल है।

विनोबाजी द्वारा प्रस्तावित 'आचार्यकुल' इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। क्या हमारे शिक्षकों को यह बात सूझेगी या देश राजनीति के ही भरोसे रहेगा ? •

आचार्यों की जिम्मेवारी

विनोबा

अभी तक भारत में ६३ हजार के ऊपर ग्रामदान हुए हैं और बिहार में २३ हजार के ऊपर। इतने ग्रामों के लोगो ने अपनी जमीन की मिल्कियत गाँवसभा को अर्पण की। जमीन का बीसवाँ हिस्सा भूमिहीनो को देने का, ग्रामदानी का ब्वालीसवाँ हिस्सा हर साल गाँव के विकास के लिए गाँवसभा को देने का, बचन दिया। इतना सारा जनता कर रही है। उसका दिल खराब नहीं, भ्रष्टा है। लेकिन एक हवा-सी बन गयी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम सब जिम्मेवार हैं—अपनी-अपनी रीति से। यह अलग बात है कि जिन लोगो ने सारे देश की जिम्मेवारी उठायी, जनता ने जिनको टैक्स और वोट दिये, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। वे खुद मानते हैं और लोग भी कहेंगे कि यह ठीक है। लेकिन जहाँ तक नैतिक जिम्मेवारी का सवाल है, मानना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी है। जिस किसी की जिम्मेवारी मानी जाय, देश में अराजकता है, यह देखने को मिलता है। जहाँ देखी वहाँ दगे, बशमकद। वर्षा बहुत बहा नगर नहीं। लेकिन महात्मा गाँधी, जमनालालजी, किशोरलाल भार्द, कुमारप्पा ऐसे बहुत सज्जन लोग वहाँ उस स्थान में रहे हैं। अभी मुरारजी देसाई वहाँ गये थे, तो वहाँ के लोगो ने उनकी मोटर पर पत्थर फेंके। फलाना कारखाना वर्षा में खोलो, यह उनकी माँग थी। वर्षा बली होगी कि वहाँ खोला जाय। तो वर्षा में खोला जाय, इसलिए वर्षा के लोगो ने मोटर पर पत्थर फेंके। वर्षा को गाँधी का स्थान और पवित्र नगरी समझकर हजारो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ ऐसे दंगे होते हैं। पूरे देश की यह हालत है। ऐसी हालत में जिम्मेवारी की बर्चा व्यर्थ है।

समझना चाहिए कि सरकार के बाद अगर किसीकी जिम्मेवारी है, तो वह आचार्यों की। और वह नम्बर दो में मानी गयी है, क्योंकि भारत में 'डिमोफ्रेसी' है, और लोगो ने सरकार को वोट दिये हैं। पर जरा तटस्थ

बुद्धि से देखा जायेगा, तो माना जायेगा कि प्रथम जिम्मेवारी आचार्यों की ही है, क्योंकि वह शान्ति वर्ग है। आचार्य विद्वत् जन हैं। उनके नेतृत्व में, मार्ग-दर्शन में सब देश का कारोबार चलना चाहिए। यह नहीं कि कानूनी तौर पर वे दखल दें। लेकिन किसी विषय पर उनकी जो सर्वसम्मत राय होगी, उसकी ओर ध्यान न दिया जाय, उसे टाला जाय, तो देश खतरे में है। ऐसे आचार्य-कुल भारत में बनें तो उसका असर यू० एन० ओ० पर भी पड़ सकता है। ऐसी गंभीर चीज है आचार्यकुल। इस पर हमारे मुख्य दो व्याख्यान हुए हैं जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आचार्यों ने हमें सुझाया कि इसमें आचार्यों के अलावा और भी जो तटस्थ बुद्धि रखते हों, समवयस्क चिन्तित करते हों, ऐसे विद्वान् भी शामिल हों। हमने यह बात मान ली है। विद्वान्, अध्ययनशील, चरित्रवान पक्षमुक्त ऐसे जो लोग होंगे वे भी इसमें आ सकते हैं।

यह सारा आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक नवशक्ति भारत में प्रकट हो रही है। और आप लोग ऐसे भाग्यवान हैं कि इसका आरम्भ बिहार में आपकी ओर से होगा।

प्रश्न : प्रतिज्ञापत्र में यह भी जोड़ा जाय कि व्यसन की या नशीली चीजें नहीं लेंगे आदि।

विनोबा सुभाष तो अच्छा है, लेकिन सोचना यह है कि उसका उद्देश्य क्या है? ऐसी व्यक्तिगत शुद्धि की प्रतिज्ञा करनी हो, तो यह भी जोड़ सकते हैं कि रिश्वत लेंगे नहीं, देंगे नहीं। यह भी कह सकते हैं कि जितना हो सकता है, उतना स्वदेशी माल का ही उपयोग करेंगे। और भी कई चीजें जोड़ सकते हैं। लेकिन यह जोड़ना उसके उद्देश्य के साथ जंचता नहीं। उद्देश्य यह है कि आपकी स्वतंत्र शक्ति खड़ी करनी है। व्यक्तिगत शुद्धि के लिए तो महात्मा गांधी ने जो कहा है, वही पर्याप्त है। सत्य, अहिंसा ब्रह्मचर्य, संयम, शरीरश्रम अस्वाद, सब धर्म का सम-वय स्वदेशी, स्पष्टभावना—यह सारा व्यक्तिगत शुद्धि के लिए है। महात्मा गांधी ने हमसे इसकी प्रतिज्ञा करवायी। व्यक्ति की प्रतिज्ञा यी—विश्वहित के अविरोधी भारत की सेवा कर्हंगा। और उसके लिए नीचे के नियम यो कहकर एकादश व्रत दिये। व्यक्तिगत शुद्धि का आन्दोलन सारे जमात को लागू करेंगे तो वह आपको भी लागू होगा। वह समाज शुद्धि की बात है। वह प्रतिज्ञा तो गाँव में हर मनुष्य से करवानी

* 'आचार्यकुल' मूल्य एक रुपया। सर्व सेवा सभ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी-१

होगी। लेकिन आपके लिए जो विषय है, जो प्रतिज्ञा आपको लेनी है, उससे आपकी स्वतंत्र चर्चा छोड़ करनी है। यह प्रयत्न करना है।

भाचार्य का भ्रम—जो सबको आचरण सिखाता है, उसका नाम भाचार्य। “यद्यद् आचरति श्रेष्ठ”—श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, उसका अनुकरण सब करते हैं। आज अगर लोगों से पूछा जाय कि कौन श्रेष्ठ पुरुष है, तो किसी मन्त्री का नाम ले लेंगे। वे जानते नहीं कि ये मन्त्री तो उनके पाँच साल के नौकर हैं। आज तो कहेंगे, “यद् यद् आचरति मिनिस्टरः।” तो श्रेष्ठ मन्त्री मिनिस्टर यह कल्पना होगी, तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि मिनिस्टर ने बहुत समाप्ति करके दिखाये हैं। अगर पूछेंगे कि श्रेष्ठ मन्त्री कौन? तो यही उत्तर मिलेगा कि भाचार्य। अब यह जमात भी शराब पीनी हो और भूख भी बोलती हो, किस्मत की बात है कि व्यभिचार करेंगे नहीं, ऐसा लिखने के लिए नहीं सुझाया। सामान्य नीतिशास्त्र जो है वह आपसे प्रचारित होनेवाला है, तो उसको सकल्प-पत्र में दर्ज करने की बात ही नहीं। मान लीजिए, कोई शिक्षक ऐसा है, जो शराब पीता है, या भूख बोलता है, तो उसको प्रेम से समझा सकते हैं। वह नहीं समझेगा, तो फाका कर सकते हैं सब मिलकर, उसको हटा भी सकते हैं। चरित्र यानी शील और ज्ञान, ये दो बातें शिक्षकों में प्रपाम हैं, उनके साथ-साथ समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए कर्तव्य। ये तीन गुण मिलकर भाचार्य बनता है। शिक्षकों के लिए ये तीन यानी शील, ज्ञान और कर्तव्य, अत्यन्त आवश्यक बातें हैं। और हमने मान लिया कि इनके आधार से ही भाचार्यकुल खड़ा होगा।

शिक्षा और शिक्षक सरकार के द्वारा

यह दुश्चक्र (विशाल सर्कल) है। इसमें शक नहीं कि आज शिक्षकों की हैसियत नौकर की हैसियत है वे ऊपर से आज्ञांकित हैं। हमने यह पहचान लिया कि यह ठीक नहीं। पहचानना ही मुख्य वस्तु है। मान लीजिए, आपने पहचाना नहीं, तो कोई भी प्रणामी काम देगी नहीं। अगर पहचान हो, तो यह आत्मशक्ति की पहचान ही शक्ति है।

आज सारी शिक्षा सरकार के हाथ में है। भारत में जरा कम ही है, लेकिन दुनिया भर की सब सरकारें शिक्षा को अपने हाथ में लेकर विद्यार्थियों का दिमाग एक ढाँचे में ढालने की कोशिश कर रही हैं। इस में क्या है? चीन में क्या है? कुल शिक्षा उनके इशारे पर चलैगी। ऐसा ही फॅसिज्म में चला। एक ओर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार और दूसरी ओर उनका दिमाग

एक सिक्क में ढालने का प्रयास चल रहा है। लेकिन अगर आपने अपनी शक्ति का खयाल किया और आपको आत्मा का भान हुआ, तो जैसा कि शंकराचार्य ने कहा और उपनिषदों में कहा है—आत्मा की पहचान जिस क्षण हुई, उसी क्षण आप मुक्त हुए, सब बन्धनों से भलग हुए, पुरानी जड़ों टूट गयी। मुक्तिदाता है ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार। वह न हुआ तो एक-एक बंधन तोड़ते जायें तो भी पुराने बंधन टूटते जायेंगे और नये बंधन तैयार होंगे, नये कानून धार्येंगे। इसलिए प्रथम अपनी शक्ति की पहचान होनी चाहिए।

प्रश्न : क्या आचार्यकुल केवल आचार्यों तक ही सीमित है ? शिक्षकों का समावेश उसमें क्यों नहीं किया गया है ?

बिनोया : इसमें तमाम शिक्षकों का समावेश है। लेकिन आरम्भ चीज का कहीं से होगा ? गभीर गुफा से। गंगा का आरम्भ कहीं से हुआ है ? हिमालय की गभीर गुफा से। और फिर धीरे धीरे वह गंगा सागर में चला आयेगा, जहाँ तमाम शिक्षक शामिल होंगे। इसलिए प्रथम प्रोपेसस से आरम्भ किया है। शिक्षक और आचार्य में हमने फरक नहीं किया है।

[बैतिया, जिला चंपारण ६-८ '६८]

क्या आप जानते हैं ?

१२ वर्षों में राज्य-कर्मचारियों की तादाद दूनी हुई !

'यू० एन० आई०' के बंबई स्थित कार्यालय द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज हर ५० व्यक्ति में १ आदमी केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, अर्द्ध सरकारी सस्था या स्थानीय निकाय का कार्य सम्पादन कर रहा है।

'फोरम ऑफ फ्री इण्टरप्राइज नामक संगठन के अध्ययन के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सन् १९५६ के मार्च महीने में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ५२ लाख थी। जून १९६७ में वह संख्या लगभग दूनी यानी २६ लाख हो गयी, जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या २७ लाख, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या ३८ लाख, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों की संख्या १४ लाख और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की संख्या १७ लाख थी।

मतदाता और मनीषी

काका कालेलकर

प्रजाराज्य अथवा लोकतंत्र का प्रतिम आधार मतदाता पर है। भारत का संविधान जिन मनीषियों ने बनाया और जिन प्रतिनिधियों ने मंजूर किया, उन्होंने श्रद्धा के बल पर मान लिया कि 'मतदाता सुरक्षित हो या न हो, संस्कारी हो या न हो, धन या जमीन का मालिक हो या न हो, उसके हाथ में अधिकार देना ही कल्याणप्रद है।' यह विचार या सिद्धान्त अनुभवमिद्ध नहीं है, केवल श्रद्धामूलक है। संविधान के बनानेवाले मनीषियों ने, और उनके प्रेरक महात्माजी ने भी स्पष्ट कहा था कि 'सार्वत्रिक मतदान के अधिकार पर लोकतंत्र चलाना 'ऐन ऐक्ट आफ फेथ' है,' श्रद्धा पर विश्वास रखकर यह एक हिम्मत की है।

लोकतंत्र ही क्यों ?

दुनिया के मनीषियों ने कहा है कि लोकतंत्र कोई सर्वोच्च सर्वहितकारी राज्यव्यवस्था नहीं है, इसमें दोष बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास इससे बढकर, इससे अच्छा, राज्यतंत्र है नहीं, इसलिए अराजकता टालने के लिए, सलाहमत उपाय एक ही है कि भला बुरा बैसा भी हो, लोकतंत्र चलाये यही अन्तिम सहारा है।

इतिहास ने सिद्ध किया है कि जिन लोगों के हाथ में मतदान के अधिकार नहीं होते वे राज्यतंत्र के खिलाफ वगावत कर सकते हैं, शारीरिक बल का प्रयोग करके गुण्डाशाही चला सकते हैं और समर्थ किन्तु मतलबी लाग ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों का संगठन करके राज्यतंत्र को तोड़ सकते हैं। ऐसे डर से अग्रर बचना है वो मत देने का अधिकार अधिक से-अधिक लोगों को देना और उन्हें सत्वत राज्यतंत्र का मालिक बनाना यही एक उपाय है।

जो महत्वाकांक्षी लोग 'डिकटेटर' बनना चाहते हैं वे दो में से कोई एक रास्ता लेते हैं। कभी-कभी दोनों रास्तों का प्रयोग एकसाथ करके सर्वाधिकार प्राप्त करते हैं। एक उपाय है सशस्त्र फौज की निष्ठा अपनी और खीच लेना और उसके बल के सहारे राज्यतंत्र को जीत लेना। दूसरा रास्ता है मतदाताओं में से एक प्रचंड बहुमत को बढकाकर अपने अनुकूल कर लेना और उसके बल पर लोकतंत्र को (जिसे पुराने लोग 'गणराज्य' कहते थे) कायम के लिए अपने वश कर लेना। प्रचण्ड बहुमत के बल पर राज्याधिकार कायम के लिए जो आदमी

अपने हाथ में लेता था उसे कहते थे 'गणजय'। आज उसे कहते हैं सर्वाधिकारी 'डिक्टेटर'।

भाजकल के चुनाव के खिलवाड़ को देखकर और लोक-प्रतिनिधियों के पक्षान्तर की खतरनाक लीला देखकर ऊबे हुए लोग कहते कि 'ऐसे लोकतंत्र को खतम ही करना चाहिए। और भ्रष्ट हो या बुरा, किसी गणजय का, 'डिक्टेटर' का राज्य स्थापित करना चाहिए।'

भारत गणजय के हाथ में क्यों नहीं जायेगा ?

ऐसी दलील करनेवाले जानते नहीं कि 'डिक्टेटर' का राज्य कितना खतरनाक हो सकता है। एक दफे सब अधिकार गणजय के हाथ में गये तो फिर वह एक या दूसरे ढंग से, बल का प्रयोग करके ही उसे अपने हाथ में सदा के लिए रखने की कोशिश करता है।

और मेरा तो दृढ़ अभिप्राय है कि भारत में किसी एक 'डिक्टेटर' या गणजय का राज्य कभी भी हो नहीं सकता। इसका कारण स्पष्ट है। भारत की जनता एक जिनसी नहीं है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक भाषाएँ, सस्कृति के अनेक स्तर और अनेक वंश हैं। अगर किसी एक घादमी ने गणजय बनने की कोशिश की तो उसे प्रचण्ड बहुमत नहीं मिल सकेगा। एकदम दो चार गणजय सठे होंगे अपने अपने अनुयायियों के बल पर आपस में लड़ेंगे अथवा भारत की एकता तोड़कर अपने अपने दो चार अथवा अधिक राज्य बना देंगे। और जनता कुछ नहीं कर सकेगी।

भारत को अगर एक अखण्ड, आजाद, और समर्थ बनाना है, तो लोकतंत्र के द्वारा ही (याने बल की जगह विशाल जनता के अभिप्राय से) बना हुआ राज्य हम पसन्द कर सकते हैं। इसीका अर्थ है आहिंसामूलक राज्य। जिनका अन्तिम विश्वास राजनैतिक प्रहिता पर है, वे ही लोकतंत्र को मान्य करते हैं और उसीको मजबूत करने की कोशिश में रहते हैं।

प्रजातंत्र सुरक्षित कैसे हो ?

ऊपर के विवेचन से सिद्ध होता है कि आज की दयनीय और खतरनाक हालत से बचना है तो मतदाताओं को प्रथम सयाने, संस्कारी बनाना चाहिए। (भाजकल के विचारक कहते हैं कि जनता को सुरक्षित बनाना चाहिए। लेकिन सुरक्षित का क्या अर्थ होता है सो हम जानते हैं। देश के हर एक राज्य का शिक्षातंत्र कैसा चलता है सो भी हम जानते हैं। समाज को सुधारने की और सुधरे हुए समाज के द्वारा क्रांति करने की शक्ति आज की सरकारों में है नहीं।)

इसीलिए हमने कहा है कि मतदाताओं को सत्कारी, सुबुद्ध बनाना जरूरी है। प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है तो मतदाताओं को सुसंस्कृत बनाये बिना चारा नहीं।

यह काम कौन करे ? भाजकल का जमाना कहेगा, यह राष्ट्रव्यापी सुधार सरकार ही कर सकती है। और अनुभव कहता है कि यह बात सरकार के बूते की नहीं है। देश में जो राजनैतिक दल हैं, उनके नेता अपने अपने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए सभा और सगठन के द्वारा दिन रात प्रयत्न करते ही रहते हैं। लेकिन यह सारा सगठन केवल चुनाव के हिसाब से किया जाता है। वह शिक्षा और वह सगठन जिनके हाथों में भाज हैं वे स्वयं कहते हैं कि हम दूसरा कुछ भी कर नहीं सकते। जो चल रहा है सो चल रहा है।

देश का सारा शिक्षा तंत्र सरकार के हाथ में है। सावजनिक शिक्षा संस्थाएँ भी अनुदान के द्वारा सरकार की आश्रित बन गयी हैं। हमारे विश्व विद्यालय पश्चिम के चिंतन के अनुयायी हैं। जिस तरह धार्मिक लोग धर्म-शास्त्र जब बनते हैं वैसे ही हमारे अध्यापक पश्चिम के चिंतन से बने हुए शास्त्र के जड़ अनुयायी बन जाते हैं, अनुभव पश्चिम का और चिंतन भी पश्चिम का। हमारे देश के लिए हमारे जमाने के लिए वह कहीं तक लागू है उसका मौलिक चिंतन कहीं भी दोष नहीं पड़ता।

मतदाताओं को सत्कारी बनाने की समस्या

तब मतदाताओं को व्यापक, विशाल और मौलिक ज्ञान देकर उन्हें सत्कारी कौन बनाये ? राजनैतिक पक्षों के नेता चर्चा करते हैं व्याख्यानों के द्वारा जनता को परिस्थिति समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह सारी चर्चा चुनाव के लिए और तात्कालिक लाभ हानि की दृष्टि से ही होती है।

धन बाकी रहे रचनात्मक काम करनेवाले समाज सेवक याने राष्ट्रसेवक, जिनमें से अधिकांश निस्वार्थ प्रजासेवक होते हैं। राजनैतिक अधिकार का लोभ उनमें नहीं होता। चांद लोगो में अपने धर्म समाज का या किसी वर्ग का पक्षपात होता है सही लेकिन अधिकांश समाजसेवक पक्षपातरहित निस्वार्थ सेवा करनेवाले होते हैं। उनके द्वारा मतदाताओं को सत्कारी बनाना और स्वयं निर्णय करने की क्षमता मतदाताओं में लाना शक्य है।

लेकिन ये रचनात्मक कार्यकर्ता अथवा राष्ट्रसेवक महाराई में सोचने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते भी हैं कि व्यापक दृष्टि से सोचने का काम गांधीजी ने किया है। जवाहरलालजी ने हर विषय पर दिशा-दर्शन किया है। आज विनोबाजी हमारा नेतृत्व करते हैं। हमारा काम उनके विचार और

उनके कार्यक्रम जनता तक पहुँचाने का है। अगर हम सोचने बैठे तो मतभेद बढ़ेंगे। आप हमारी निन्दा चाहे जितनी करें, लेकिन अगर राष्ट्रव्यापी काम करना है तो 'बाबा वाक्य प्रमाण' यही सलामत रास्ता है। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति की दुहाई देकर हम लोगों को साथ रख सकते हैं।

बात सही है, लेकिन मतदाताओं को ज्ञान-समृद्ध और अनुभव समृद्ध करने का यह तरीका नहीं है। जंसा जूझा चलता है वैसे चुनाव चलता है। हर एक पक्ष के नेतागण, लोकमत के बल पर चुनाव जीतनेवाले चुनाव वीर और देश और दुनिया के सब सवालो पर अपना अभिप्राय तुरन्त देनेवाले प्रखवारनवीस, सब मिलकर मतदाताओं को शिक्षा देते जाते हैं, और कुल मिलाकर मतदाताओं के दिमाग में एक कोलाहल ही मच जाता है।

समस्या का एक ही इलाज

एसी परिस्थिति में इलाज एक ही है कि देश में जितने भी तटस्थ और अनुभवी मनीषी हैं, उनको चाहिए कि भारत की परिस्थिति, भारतीय जनता का जनमानस, लोगों की सकल्प शक्ति और जागतिक परिस्थिति, इन सबका विचार करके मतदाताओं को सुबुद्ध, विचारशील, स्वयं चिन्तक और स्वयं-निर्णय के शक्तिमान बनाने की कोशिशें करें। प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय सस्कृति के सिद्धांतों की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सस्कृति की बुनियाद में जैसे अद्भुत, विशाल और उज्ज्वल अनेक तत्व हैं वैसे ही उसमें अंतरनाक और कालप्रस्त तत्व भी हैं। जिस धार्य सस्कृति की और भारतीय सस्कृति की दुहाई हम देते हैं वह सस्कृति चिरजीवी भले हो, हारी हुई सस्कृति है, और उस पराजय का कारण उसकी बुनियाद में ही है। इतनी बात पहचानकर हमें अपनी सस्कृति के गुण दोष, दोनों का तटस्थ भाव से पृथक्करण करना चाहिए। हमारा समाज-विज्ञान जब हम अपने अनुभव पर खड़ा कर सकेंगे तभी वह कारगर हो सकता है। दूसरों के चिन्तन पर और बड़ों के वचनों पर आधार रखकर जब हम चलते हैं तब हमारा विचार और हमारा सकल्प प्राणदायी बनता नहीं। बहुत दूरे वह जीवनानुकूल भी नहीं हान।

देशहित चिन्तक मनीषियों को भव सजग, सजीवन जीवननिष्ठ और प्राणवान बनना चाहिए और ज्ञानदान के द्वारा राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाना चाहिए। स्वयं निर्णय का अधिकार जिन्हें मिला है, उन्हें स्वयं निर्णय की शक्ति भी मिलनी चाहिए। राष्ट्र हित चिन्तक, जीवनानुभवी मनीषी ही यह काम कर सकते हैं। •

बालकों में वाम-हस्तता : दोष और उपचार

विमला माहेरवरी

भाज सप्ताह में लयभंग सभी व्यक्ति दायें हाथ से काम करते हैं और दायें हाथ को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तित्व के विकास की यह एक सामान्य विशेषता है। सदियों से ही क्या विकास के प्रारम्भिक काल से ही मानव ने शायद इस बात का निर्णय कर लिया होगा कि दायें हाथ की प्रधानता होनी चाहिए और बस, तब से बराबर हम अपने दायें हाथ का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। और भाज सप्ताह की हर सम्मता का यह एक भंग बन गया है। यद्यपि विभिन्न देशों में दायें हाथ से कार्य करनेवाले व्यक्तियों का प्रतिशत भिन्न भिन्न है। यह भिन्नता इस बात पर निर्भर है कि हर सम्मता व संस्कृति में दायें हाथ से काम करने को किस दृष्टि से देखा जाता है। ब्रैकविन और हिल्ड्रिथ ने अध्ययन करके बताया कि समुक्त राज्य अमरीका में ९५ प्रतिशत व्यक्ति दायें हाथ से काम करनेवाले हैं और ५ प्रतिशत व्यक्ति वाम-हस्त हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में दायें हाथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। इसके विपरीत अनेक पूर्वी देशों में, जैसे चीन में वाम-हस्तता कम पायी जाती है। क्योंकि अमरीकी माता-पिता की अपेक्षा चीनी माता-पिता इस सम्बन्ध में अधिक सजग और कठोर हैं। वे बालक में गति-विकास के प्रारम्भ से ही इस बात के लिए बहुत अधिक सजग और सावधान रहते हैं कि बालक को हस्त-प्रयोग का सही प्रशिक्षण मिले और वह उचित ढंग से दायें हाथ का ही प्रयोग करे। यदि कोई बालक वाम हस्त ही भी जाता है तो इसे माता-पिता की असावधानी व गलत प्रशिक्षण का ही परिणाम माना जाता है।

बेहो के अनुसार भाज की दुनिया दाहिने हाथ को ही अधिक महत्व देने-वाली है। सभी यंत्र, मशीन, उपकरण, कुर्सी, डेस्क, ड्रावर आदि सीधे हाथ का प्रयोग करनेवालों को दृष्टि में रखकर बनाये जाते हैं। ऐसे सप्ताह में यदि बालक

में बायें हाथ की प्रधानता हो जाती है, तो माता-पिता के लिए यह एक चिन्ता का विषय होना स्वाभाविक है ।

इस समस्या को लेकर दुःखी होनेवाले माता-पिता क्या कभी इस बात पर विचार करने का कष्ट करते हैं कि उनके बच्चे में यह वाम-हस्तता का दोष क्यों विकसित हो गया है ? उनके अथक प्रयास करने पर भी बालक बायें हाथ की अपेक्षा दायें हाथ का प्रयोग क्यों नहीं कर पाता है ? और यदि आप उसे जबर-दस्ती दायें हाथ से कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें कुछ सैद्धान्तिक बातों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है ।

हस्तता-सम्बन्धी नियम

एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि बालक में ही क्या, हर व्यक्ति में एक ही हाथ की प्रधानता क्यों पायी जाती है ? और इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह है कि अधिकांश व्यक्ति दायें हाथ से ही काम करनेवाले क्यों होते हैं ? इस सम्बन्ध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार विभिन्न प्रकार से प्रकट किये हैं ।

(१) कुछ लोगों का मत है कि हस्तता एक जन्मजात गुण है, जो बालक में वंश-परम्परा के अनुसार आता है । हमारे पूर्वज दायें हाथ से कार्य करते रहे हैं, अतः वह गुण हममें भी आ गया है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाना कठिन है । यदि इसमें किसी प्रकार की बाधा डाली जाती है, तो बालक में स्नायविक कमजोरी आ जाने का भय रहता है ।

(२) कुछ लोगों का कहना है कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं - दायीं और बायीं । मस्तिष्क का दायीं भाग हमारे शरीर के बायें अंगों पर नियंत्रण करता है और बायीं भाग शरीर के दायें अंगों पर । उनके अनुसार साधारण मनुष्य में उसके मस्तिष्क का बायीं भाग अधिक प्रभावी होता है, फलस्वरूप उसके दायें हाथ की प्रधानता होती है । यदि किसी बालक के मस्तिष्क का दायीं भाग अपेक्षाकृत प्रभावी हो जाता है तो इसमें बायें हाथ की प्रधानता हो जाती है ।

(३) कुछ लोग बालक में दायें या बायें हाथ की प्रधानता का हो जाना सयोग मात्र ही मानते हैं ।

(४) बनावट की दृष्टि से दायीं हाथ बायें हाथ की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है । अतः हम दायीं हाथ ही प्रयोग करते हैं और कठिन से कठिन कार्य इससे द्वारा कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकते हैं ।

(५) इन सबसे मूल्य वाट्सन और हिल्ड्रेथ का विचार है कि हस्तता न तो कोई जन्मजात गुण है और न ही यह सयोग का परिणाम है। हम इसे जन्मजात गुण या समोग का परिणाम इसलिए कह देते हैं कि किसी और रूप में हस्तता के कारण को स्पष्ट करना हमारे लिए सम्भव नहीं होता है। उनके अनुसार हस्तता वातावरण का परिणाम है। उनका कहना है कि हस्तता का विकास बच्चों द्वारा दी जानेवाली शिक्षा व प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। चूंकि हस्तता का विकास बालक में बाद में होता है, अतः उसे जैसा वातावरण व प्रशिक्षण मिलेगा, वैसा ही उसकी हस्तता का विकास होगा। और धीरे धीरे मातृ-वृद्धि के साथ यह उसकी भावत में परिवर्तित हो जाता है।

इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें समुक्त राज्य अमरीका में प्रथम महायुद्ध तथा महामंदी के समय वाम-हस्तता के सम्बन्ध में किये गये अध्ययनों से प्राप्त होता है। यह देखा गया है कि वहाँ पर वाम-हस्तता का प्रतिशत देश की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। देश पर किसी भी प्रकार का बड़ा मकद माने पर वाम-हस्तता का प्रतिशत बढ़ गया। प्रथम महायुद्ध (सन् १९१४-१८) से पूर्व जन्मे बालकों में वामहस्त बच्चे २६ प्रतिशत थे जब कि युद्धोपरांत (सन् १९१८-२१) जो बच्चे उत्पन्न हुए उनमें वामहस्त बालक ८३ प्रतिशत थे। इसी प्रकार सन् १९२६-३१ की मंदी के काल में वाम-हस्तता का प्रतिशत ६२ था और जब महामंदी अपनी चरम सीमा पर पहुँची तो यह प्रतिशत बढ़कर १७-६४ तक पहुँच गया, जो कि अबतक के सभी रिकार्डों में अधिकतम रहा। इस प्रकार देश में विभीषिका के काल में वाम हस्तता का प्रतिशत बढ़ने के कारण का स्पष्टीकरण करते हुए 'दी न्यूयार्क टाइम्स' ने अपनी एक रिपोर्ट लफ्ट हैण्डेड फाइण्ड हैण्डेड प्रोजेक्ट में लिखा था कि शान्ति-काल की अपेक्षा विभीषिका व सङ्कट के समय में माता पिता को अपने बालकों का हर क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण देने के लिए समय का अभाव रहता है क्योंकि उनका अधिकांश समय जीवन की अन्य समस्याओं को सुलभाने में व्यतीत हो जाता है जिससे वाम हस्तता की सम्भावना बढ़ जाती है। यह अध्ययन हम बात को स्पष्ट करता है कि हस्तता पर माता पिता के प्रशिक्षण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है।

हस्तता का विकास

जन्म के समय बालक में न तो बायें हाथ की प्रधानता होती है और न ही दायें हाथ की। अनेक जैनेटिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रारम्भिक

कुछ महीनों में यह मालूम करना बहुत कठिन होता है कि बालक किस हाथ का प्रयोग अधिक करेगा। विकास के फलस्वरूप जब वह मांस पेनियो पर नियंत्रण करके हाथों का प्रयोग ऐच्छिक रूप से करने में समर्थ हो जाता है तो वह दोनों ही हाथों का प्रयोग समान रूप से करता है। कभी वह बायें हाथ का प्रयोग अधिक करता है तो कभी दायें हाथ का। किस समय वह किस हाथ का प्रयोग करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उठायी जानेवाली वस्तु उसके किस ओर रखी है। यदि वस्तु बायीं ओर है तो वह बायें हाथ से उसे उठाने का प्रयास करेगा और यदि दायीं ओर रखी है तो दायें हाथ से उठायेगा। इस प्रकार प्रथम वर्ष में हस्तता का दृष्टिगोचर होना कठिन होता है। प्रथम वर्ष में कुछ बालकों में बायें हाथ की प्रधानता दिखलायी पड़ती है परन्तु यह प्रधानता प्रायः शीघ्र ही दाहिने हाथ को चली जाती है। कई बार तो दो वय तक इस प्रकार का निरन्तर परिवर्तन—अर्थात् बायें से दायें और दायें से बायें हाथ की ओर—हमें देखने को मिलता है।

माधारणतया प्रथम वय के अन्तिम दिनों में या द्वितीय वय के आरम्भ में ही हस्तता की प्रधानता के कुछ कुछ लक्षण स्पष्ट दिखलायी पड़ने लगते हैं। वस्तु के उठाने या पकड़ने के लिए वह एक हाथ को ही अधिकतर भागे बढ़ाता है, खाने के लिए एक हाथ का ही प्रयोग अधिक करता है। और इस प्रकार धीरे-धीरे दूसरे वय के अन्त तक यह निश्चिन्त रूप से मालूम होने लगता है कि बालक में किस हाथ की प्रधानता होगी? किम हाथ के प्रयोग की ओर बालक का विशेष झुकाव है? ऐसे भी अनेक दृष्टान्त हैं जब कि बालक लिखने, फेंकने तथा खाने की क्रिया तो बायें हाथ से करता है परन्तु अन्य कार्य, जैसे—खोदना, बल्ले से गेंद फेंकना आदि कार्य दायें हाथ से करता है। कुछ क्रियाओं को दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक कर सकता है।

हस्तता के विकास में माता पिता का कर्तव्य

हस्तता के विकास और निर्धारण के प्रति माता पिता को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है जैसा कि हिल्ड्रेथ का विचार है कि हस्तता के विकास में प्रशिक्षण का प्रधान हाथ है। बालक के सामने उपयुक्त उदाहरण और उचित निर्देशन का होना जरूरी है। ३ से ५ वय की आयु हस्तता को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बालक अधिकांश रूप में किसी भी एक हाथ की प्रधानता दिखाता है। ऐसे समय में बच्चे की हस्तता

के विकास को संयोग पर छोड़ देना एक भारी भूल है। हिल्ड्रैथ का कहना है कि बालक को हस्तता का पूर्ण और सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यह कार्य-कौशल ही शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता को प्रभावित करता है। इसी प्रकार बीले का विचार है कि मानव-शिशु में बायें या दायें हाथ की प्रधानता जन्म से नहीं होती। अतः हस्तता के चुनाव में बालक को स्वतंत्र छोड़ देना भूल होगी और बालक के प्रति धन्याय होगा, क्योंकि स्वतंत्र छोड़ देने से सम्भव है कि वह गलत हाथ का चुनाव कर ले या फिर दोनों ही हाथ समान रूप से प्रधानता को प्राप्त कर लें, जब कि यह भी ठीक नहीं। क्योंकि कोई भी बालक दोनों हाथों पर समान रूप से नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता है। हिल्ड्रैथ ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल कुछ प्रतिभावान बालक ही दोनों हाथों से समान कुशलता से काम करने में सफल हो सकते हैं।

बालक में किस हाथ की प्रधानता होगी, इसका निर्णय जल्दी ही हो जाना चाहिए। यदि लम्बे काल तक बालक में हस्तता का निश्चय नहीं होता है और वह अपने दोनों हाथों का (कभी दायें का कभी बायें का) प्रयोग समान रूप से करता है तो इससे बच्चे के सामने कई बार अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। कार्य करते समय एक उलझान, अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना उसे घेरे रहेगी। सम्भव है वह कई बार असमजस में पड़ जाये और कार्य को ठीक प्रकार से पूर्ण कौशल के साथ न कर सके। इन सबका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। हिल्ड्रैथ के अनुसार उसमें व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेक दोष और समस्याएँ जन्म ले सकती हैं, जैसे—जिद्दी होना, स्नायविक कमजोरी, नकारात्मक प्रवृत्ति, लिखने-पढ़ने में दोषहीनता की भावना आदि। इस सबसे यह स्पष्ट है कि बालक में हस्तता का निर्धारण जल्दी ही हो जाना चाहिए, ताकि उसमें स्थिरता, सुरक्षा, दृढ़ता और निश्चितता की भावना का जन्म हो और व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें बालक एक हाथ का प्रयोग करने में प्रवीण हो जायेगा तथा अपने दूसरे हाथ को एक सहायक हाथ के रूप में प्रशिक्षित कर सकेगा। फिर दोनों हाथ एक टीम के रूप में बहुत ही कौशल व निपुणता के साथ कार्य करने में सफल हो सकेंगे।

वाम-हस्तता : एक दोष

अवगत के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि बालक में वाम-हस्तता का होना उसके विकास में एक बाधा है। दाहिने हाथ को

प्रधानता देनेवाली इस दुनिया में बालक को दायें हाथ से वाम करनेवाला बनने में हो लाभ है। यदि उसमें वाम-हस्तता की भावत पक जाती है तो अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(१) लिखने की विधि ऐसी है जो इस आधार पर विवक्षित की गयी है कि सभी लिखनेवालों में दायें हाथ की प्रधानता होगी। शिक्षक जब बालक को लिखना सिखाता है तो वह दायें हाथ से लिखता है जिसका अनुकरण करना वामहस्त बालक के लिए कठिन पड़ता है। दूसरी तरफ शिक्षक के लिए ऐसे बालकों को विशेष रूप से दायें हाथ से लिखने का प्रदर्शन करना कठिन होता है। इतना ही नहीं, वाम हस्त बालक लिखने में जल्दी ही यत्न का अनुभव करने लगता है। साथ ही उसकी लिखने की गति भी धीमी होती है।

(२) किसी भी प्रकार के कौशल को प्राप्त करने में भी वाम हस्तता बाधक सिद्ध होती है। साधारणतया हर मशीन, यंत्र व उपकरण दायें हाथ से प्रयोग किये जानेवाले बनाये जाते हैं। यंत्रों को प्रयोग करने का प्रदर्शन व प्रशिक्षण भी दाय हाथवाले व्यक्ति द्वारा दायें हाथवालों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। अतः उसका सही अनुकरण करना वाम हस्त बालकों व व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। यदि वाम-हस्त व्यक्ति उन मशीनों को चलाना सीख भी लेता है तो भी कुशलता व कार्य-गति में अपेक्षाकृत कमी ही रहती है। परिणामस्वरूप उन्हें उपयुक्त पद व नौकरी मिलना कठिन होता है।

(३) वाम हस्तता से सम्बन्धित व्यावहारिक कठिनाइयाँ आयु वृद्धि के साथ बढ़ती जाती हैं। किशोर बालक और बालिकाएँ दोनों ही अपने व्यवहार के प्रति अधिक सचेत व सजग होते हैं। अनेक आचार-व्यवहारों में दाय हाथ का ही प्रयोग होता है। यदि किशोर बालक या बालिका में वामहस्त प्रधान है तो उनके लिए ऐसे कार्यों व व्यवहारों को निभाने में कठिनाई का अनुभव होगा।

(४) इन सब व्यावहारिक कठिनाइयों के साथ ही वाम-हस्तता का बालक के सामाजिक समायोजन सवेगात्मक समायोजन तथा व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे के अनुसार सामाजिक असमायोजन के कारण कई बार बालक में रुचि व प्रेरणा की कमी हो जाती है। वह निरस्तही तथा समाज विरोधी व्यवहार करनेवाला हो जाता है। वामहस्त बालक अपने समाज में उपहास का विषय बन जाता है। अपने साथी

बालकों में उसका समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जो उसमें हीन भावना को जन्म देता है। यह हीन भावना सदा भग्नाशा यदि उसमें अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्तित्व के विकास को भी प्रभावित करती है। उसका व्यक्तित्व विघटित तथा विभ्रूल होने लगता है।

धन: बालक के समुचित और संगठित व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा भावी जीवन को अधिक सुसमायोजित बनाने के लिए बालक में दायें हाथ की प्रधानता होना अति आवश्यक है।

उपचार

पर यदि बालक दायें हाथ का ही प्रयोग अधिक करता है तो माता-पिता का क्या कर्न्य है? क्या जबरदस्ती उसकी इस भादत को छुड़ा देना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर के साथ कई बातें सामने आती हैं, जिनका ध्यान वामहस्त बालक के हर माता-पिता को रखना चाहिए।

प्रथम—बालक में यह वाम-हस्तता किस प्रकार से विकसित हुई है? बालक में वाम हस्तता का कारण यदि उसका गलत प्रशिक्षण या बचपन की असावधानी है, तो इस दोष को थोड़े-से प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे ही इस बात का आभास हो कि बालक दायें हाथ का प्रयोग अधिक करता है और यह इसकी भादत बनती जा रही है तो इसकी ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर देना चाहिए। उसे सही प्रशिक्षण देकर बार-बार इस बात का ध्यान दिलाया जाय कि दायें हाथ का ही प्रयोग करे। उसके सामने अन्य लोग सही उदाहरण पेश करें। गलत प्रशिक्षण के कारण विकसित भादत की ओर यदि जल्दी ही ध्यान दिया जाय तो उसका आचार भी जल्दी ही सम्भव हो जाता है।

द्वितीय—यदि बालक में वाम-हस्तता स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है और इसका प्रमुख कारण बालक के मास्तिष्क के दायें भाग का प्रभावी व शक्तिशाली होना है तो विशेष चिन्ता की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि बालक को सीधे हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है तो अधिक हानि-प्रद सिद्ध होता है। माता-पिता के हठ करने, बार-बार टोकने व इसे भला-बुरा कहने से उन्हें अनेक व्यावहारिक व भाषा-सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हकलाना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अनेक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस प्रकार के बालकों को जब दायें हाथ की अपेक्षा दायें हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वे हकलाना

शुरू कर देते हैं। यद्यपि हकलाने में कार्य-कारण का सम्बन्ध पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। यह निश्चित करना कठिन है कि हस्तता में परिवर्तन लाने के कारण हकलाना शुरू हुआ भयवा बालक की हस्तता को परिवर्तित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया गया है, उनसे परिणामस्वरूप हकलाने का जन्म हुआ। यह सम्भव है कि हकलाना मानसिक तनाव का एक लक्षण है और यह मानसिक तनाव हस्तता में परिवर्तन लाने के लिए दबाव के फलस्वरूप बालक में पैदा होता है। कुछ बालकों में दाँत से नाखून काटना, भंगूटा चूसना जैसी अनेक आदतों का जन्म हो जाता है। यदि बयस्को का दबाव मनो-वैज्ञानिक ढंग से वामहस्त बालक पर पड़ता है तो कभी-कभी उसके व्यक्तित्व में स्थायी विशृङ्खलता पैदा हो जाती है। अतः इस सम्बन्ध में माता पिता को बहुत सावधानी से भागे बढ़ना चाहिए और बालक में हस्तता के परिवर्तन के लिए जल्दबाजी या कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता पिता के सामने चुनाव के लिए दो ही विकल्प रह जाते हैं। एक—या तो बालक की वामहस्तता को दाँयें हाथ में परिवर्तित करने का प्रयास करें और उसके व्यक्तित्व के विशृङ्खल हो जाने का खतरा उठावें। दूसरे—या फिर बालक को दायाँ हाथ ही प्रयोग करने दें और उसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली हीन भावना व अन्य कठिनाई तथा बाधाओं को धैर्य के साथ सहन करें।

तृतीय—एक तीसरा प्रश्न हस्तता के परिवर्तन के साथ यह भी सामने आता है कि वाम हस्त बालक अपनी इस विशेषता को किस रूप में देखता है? तथा समाज में उसका समायोजन कैसा है? जो बालक अपने इस दोष के प्रति बहुत अधिक सजग होते हैं या उनके सम्पर्क में आनेवाले बालक व अन्य व्यक्ति उसे बार बार इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि वह अन्य बालकों से भिन्न है, क्योंकि वह बायें हाथ का प्रयोग लिखने, खाने व अन्य कार्यों में करता है तो उसे बार बार और लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है, जो उनके आदर मानसिक तनाव को पैदा करके हीन भावना को जन्म देती है और कालान्तर में उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके विपरीत कुछ बालक अपनी वाम हस्तता के प्रति सजग नहीं होते। इस दोष के कारण वे अपने आदर किसी प्रकार की हीनता की भावना को नहीं लाते। ऐसे बालकों का न तो समायोजन ही खराब हो पाता है और न ही यह दोष उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनता है।

एक शिक्षक के विचार और अनुभव

मदनमोहन पाडेय

शिक्षा मानवीय संवेदना को जागृत करने का अपूर्व साधन है। हमारे जीवन की समग्रता शिक्षा में ही निहित है। शिक्षा के बिना व्यक्तित्व का सकलन (इटीग्रेशन) नहीं होता और सकलनहीन व्यक्तित्व हमें विषटन की ओर प्रवृत्त करता है। शिक्षा से हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और हम असद् से सद् की ओर तथा अज्ञकार से ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा के द्वारा हम नयी चेतना से युक्त होकर जीवन का नये सन्दर्भों में अनुभव करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी पशुता का अतिक्रमण करना है। प्रतिक्रियात्मक विचारों से ऊपर उठकर अपने को राग द्वेष से मुक्त बनाना है। घृणा के स्थान पर जीवन में प्रेम का आरोप करना है। समस्त मानवीय मूल्यों में प्रेम का सबसे ऊँचा स्थान है। प्रेम के बिना हमें पूणता नहीं प्राप्त हो सकती। जीवन की समग्रता का बोध नहीं हो सकता। शिक्षा हमें जीवन की समग्रता का बोध कराती है।

क्या हम शिक्षित हैं ?

हम पुस्तकीय ज्ञान को ही शिक्षा समझते हैं। जिस शिक्षा से चित्त की शुक्तियों का परिष्कार नहीं होता जो शिक्षा हमें शुक्तिता और पवित्रता का

पाठ नहीं पढ़ाती, जो शिक्षा हमें प्राणिमान में अपनी आत्मा का दान नहीं कराती, जो शिक्षा एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से छोटा या बड़ा बनाती है जो प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, वह शिक्षा शिक्षा नहीं कही जा सकती है। आज शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को माना जाता है। किसी विद्यार्थी से परीक्षा पास कर लेना ही पुण्यार्थ चतुष्टय का साधन समझा जाता है। किन्तु यह कैसी विडम्बना है कि आज की शिक्षा में न तो ज्ञान की गभीरता है, न चरित्र का वैभव है। ज्ञान और चरित्र, दोनों ही से हीन होने पर भी लोग शिक्षित होने का गव करते हैं। आज उद्ब और उच्छ्वल मनोवृत्तियों से आवेष्टित लोग भी अपने को शिक्षित समझते हैं। बाणी के चमत्कार अक्षर के चमत्कार मात्र को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। केवल बौद्धिक उपलब्धियों के ही द्वारा मनुष्य शिक्षित नहीं बनता। ज्ञान और चरित्र दोनों के सम्यक संयोग से ही मनुष्य में सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जो सद्गुणों से रहित है वह मनुष्य अनेक ग्रंथों को कटस्थ कर लेने के बाद भी भारवाही पशु के सदृश्य है। जो शिक्षित है विद्वान् है वह अहंकार से रहित होता है। वह स्वाभाव से विनम्र होता है। उसके सान्ध्य से दूसरों को सुख मिलता है। हमरो को दुःख पहुंचाना शिक्षित मनुष्य का गुण नहीं है। जो समष्टिमात्र में विश्वात्मा का दर्शन करता है और सभी प्राणियों को आत्मवत् समझता है वही व्यक्ति शिक्षित कहलाने का अधिकारी है। प्राविधिक ज्ञान से मुक्त मनुष्य अथ का सचम भले ही कर ले किन्तु सदाशयता से रहित होकर वह अपने को लोकोपकारी नहीं बना सकता। पद और प्रतिष्ठा का भावरण ओढकर मनुष्य दूसरों को श्रुत बनाता है। अधिकार के मद में वह अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है। यदि ऐसा मनुष्य शिक्षित कहला सकता है तो अशिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है? अल्पज्ञाता और प्रमाद के कारण ही मनुष्य दूसरों की अवहेलना करता है। भरे घड़े से आवाज नहीं आती।

शिक्षा सस्याओं की सबसे बड़ी समस्या

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षा को आदर्श रूप देने की बातें तो करते हैं किन्तु शिक्षक की कठिनाइयों को समझने का प्रयास नहीं करते। यदि हमारे आदर्शोन्मुख शिक्षा प्रमी घोड़ा यथार्थ का भी बोध करें तो सारी घृणित अव्यवस्थाओं का अन्त हो जाये। किन्तु वे आदर्शों के व्यामोह में इतना अधिक फँसे हुए हैं कि यथार्थ की ओर से उनकी उदासीनता घातक रूप धारण करती जा रही है। वे यथाथ की यथाथता को स्वीकार करने के लिए

देयारनही। वे घादसों की परिबलपना तो करते हैं, किंतु पार्थिव सत्य की ओर से अपनी भाँखें मूँदकर। घादसों को जीवन से सम्बद्ध करने के लिए यथाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

भाज हमारी शिक्षा-संस्थाओं में अनेक परोपजीवी (पैरासाइट्स) दूसरों का रक्त पीकर सतुष्ट हो रहे हैं। हम इस तथ्य की ओर से भाँखें नहीं मूँद सकते। यह हमारी शिक्षा-संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर, भयवा कायदे कानूनना में थोड़ा परिवर्तन करके, सेवा नियमावली में सुधार की घोषणा करके हम इस समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। हमें शिक्षक राजनीतियों की कुटिल चालों का विफल करना होगा। हमें ईमानदार शिक्षकों को उचित अधिकार दिलाना होगा। तभी शिक्षा-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है और शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। अथवा ज्ञान और चरित्र से शून्य अनाधिकारी व्यक्ति शिक्षक के पवित्र पेशे को कलकित करते रहेगे।

शिक्षक बनने के लिए मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय की अधिक महत्त्व देना चाहिए। जो सबेदना रहित है जिसके हृदय में करुणा नहीं है वह व्यक्ति छात्रों के भावात्मक विकास में कौनसा योगदान दे सकता है? कुटिल और स्वार्थी व्यक्तियों को शिक्षक बनकर देश के होनहार बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? किन्तु हमारी शिक्षा संस्थाओं में ऐसे ही व्यक्तियों का बाहुल्य है। फिर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? हमें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है, जो ज्ञान और चरित्र, दोनों ही से युक्त हों। यदि उनका ज्ञान कोश सीमित भी हो तो उनमें चरित्र का अभाव नहीं होना चाहिए। सरल स्नेहमय वाणी की महत्ता समस्त ज्ञान विज्ञान से अधिक है। अध्यापक के लिए मृदुभाषी होना आवश्यक है किन्तु वह कृत्रिमता से दूर हो। अध्यापक के व्यक्तित्व में विशिष्टता होनी चाहिए। तभी उसका साहचर्य अपने छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद हो सकता है। किन्तु भाज शिक्षा के क्षेत्र में स्वार्थी लोगों का प्राधिपत्य होने के कारण अध्यापक का व्यक्तित्व छिन्न हो गया है। क्या हम इस व्यक्तित्व की रक्षा का उपाय करेंगे? यदि नहीं तो हम राष्ट्र के जीवन को ऊँचा नहीं उठा सकते। शिक्षा शिक्षकों की वस्तु होनी चाहिए। वह राजनीतियों के मन बहलाव का साधन नहीं है। राजनीतियों को शिक्षा-संस्थाओं से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

हमारे विद्यार्थी

प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जीवन-धर्म पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे स्कूल एवं कॉलेज को मनोरंजन का केन्द्र समझते हैं। ज्ञान के प्रति उनकी लेशमात्र भी अभिरुचि नहीं है। वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सरल नुस्खा ढूँढते हैं। पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त वे न तो कुछ पढ़ना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। इसका मूल कारण है हमारी शिक्षा-पद्धति में परीक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देना। वास्तव में परीक्षा की परिधि में ज्ञान को सीमित बनाकर हम छात्रों के मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उन्हें स्वतंत्र मनन और अनुशीलन की प्रेरणा से दूर रहते हैं। हमारे विद्यार्थी पढ़ने लिखने में विशेष तत्परता नहीं दिखाते। हमें ऐसा विकल्प ढूँढना है, जो विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त बना सके। सच तो यह है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में उपयुक्त दार्शनिक वातावरण का पूर्ण अभाव है, ऐसा क्यों है? बात तो यह है कि विद्यार्थी के मन में अपने अध्यापक के प्रति लेशमात्र भी श्रद्धा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक राजनीतिज्ञों ने अपने शुद्ध स्वार्थ की सिद्धि के लिए विद्यार्थियों को भी शतरंज की मोहरें बना रक्खा है। वे उन्हें अपने दूसरे सहयोगियों के प्रति उकसाते हैं और उनके समक्ष उनकी निन्दा करते हैं। बेचारे भोले विद्यार्थी यह नहीं साच पाते कि उनके शब्दों में सत्य का कितना अंश है। निर्बल मस्तिष्क-वाले विद्यार्थी तो सहज ही उनके हाथों के खिलौने बन जाते हैं और उनके इशारे पर अविवेकपूर्ण आचरण करना आरम्भ कर देते हैं।

छात्र अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण

इन शिक्षक-राजनीतिज्ञों के ही कारण अनुशासनहीनता फैलती है। अनुशासनहीनता के अन्य सभी कारणों में यह प्रमुख कारण है। दार्शनिक स्तर में गिरावट के लिए भी ये ही दोषी ठहराये जा सकते हैं। फिर भी हमारी संस्थाओं के नीति निर्धारण में इनका प्रमुख हाथ होता है। प्रबन्ध समिति के द्वारा इन्हें महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये आत्म विज्ञापन में प्रवीण होते हैं और दूसरों की निन्दा करने में भी उतने ही कुशल होते हैं। यह दुर्भाग्य ही तो है कि हमारे देश में ईमानदार कर्मठ अध्यापकों की उपेक्षा की जाती है और छल-कपट से पूर्ण दम्भी व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में हमारे छात्रों का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। छात्र स्वभाव से अनुशासित होने हैं। वह अनुशासनहीनता की प्रेरणा मिलाती है शिक्षक-राजनीतिज्ञों से। विद्यार्थियों को दोष देना सर्वथा अनुचित है। ये तो नवजात पीढ़े हैं। इनकी

देखरेख करनेवाला माली इहे जैसा बनावेगा, वैसे ही ये बर्नेगे। उनके सामने गलत उदाहरण रखकर हम उनके जीवन को सही मोड नहीं दे सकते। अध्यापक को इञ्जुत उसके चारित्रिक गुणों के कारण होनी चाहिए, न कि उसके धृतता पूण व्यवहार के कारण। हमारे देश में अधिकतर अग्निम गुण को ही वरिष्ठता दी जाती है। जो सरल हैं निष्ठावान हैं प्रयत्न से रहित हैं उनकी दुश्मता की ओर किसीका भी ध्यान नहीं जाता। उनकी योग्यता को असोध्यता माना जाता है। अर्न्तिक ढंग से अपना प्रभुत्व स्थापित करनेवाले व्यक्तियों को इतनी बरीमता दी जाती है कि संस्था का सारा जीवन भय संकुल हो जाता है। शिक्षा का स्तर तबतक ऊँचा नहीं उठाया जा सकता जबतक शिक्षक का स्तर ऊँचा न उठे। हमें अपनी शिक्षा-संस्थाओं से सब प्रकार की दलबन्धियों को समाप्त करना होगा, ताकि हमारे शिक्षक खुली हवा में साँस ले सकें और निभय होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा होने पर ही हमारे विद्यार्थियों में ज्ञान के प्रति अनुराग होगा और वे अनुशासन की मर्यादा को समझ सकेंगे। हमें उन्हें शब्दों का पान मात्र ही नहीं देना है वरन् उनके जीवन को समग्र दृष्टि से सकलित बनाना है। ऐसा तभी होगा जब अध्यापक के गुरुत्व की रक्षा की जाये।

हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूल क्रान्ति करनी होगी। कोरे शब्द ज्ञान की अपेक्षा चरित्र को महत्ता देनी होगी। शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध-समितियों में त्यागी और निस्पृह व्यक्तियों को सम्मिलित करना होगा जो स्वयं विद्वान हो और शील तथा मर्यादा से युक्त हो जो तटस्थ दृष्टि से समस्याओं पर विचार करने की क्षमता रखते हों जिनका व्यक्तियों से कोई लगाव न हो, जो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और जो विद्वेष की भावना से रहित होकर धैर्य पूर्वक समस्याओं के मूल में प्रवेश करने की क्षमता रखते हों।

प्रबन्ध समिति के सदस्य चाहे वे सरकारी व्यक्ति हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, प्रत्येक अध्यापक की कठिनाइयों का अध्ययन करें। वे स्वयं सरल भाव से उनके जीवन से सान्निध्य स्थापित कर। अधिकार-सम्पन्न होकर न उनकी भावनाओं को कुचलें और न उनके मन में भय जागृत करें। कम से कम जीवन का एक क्षेत्र तो भय और मत्सर से बखूना हो। ज्ञान-यज्ञ के लिए केवल अधिकारी यज्ञमान और अधिकारी होता ही चुने जायें। अध्यापक भय से रहित होकर अपना समय ज्ञानार्जन में व्यतीत करें, और अपने छात्रों के सम्मुख अनुकरणीय घादस उपस्थित करें। अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार सभी लोकजीवन को समुन्नत बनाने की चेष्टा करें।

भारतीय युवकों की बेचैनी

एम० एन० श्रीनिवास

पिछले २० वर्षों के दौरान शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवकों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या २० से बढ़कर ७० हो गयी है, जिसमें वे ६ सप्ताहों अभी शामिल नहीं हैं, जो जल्दी ही विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त करनेवाली हैं। इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या २६०० तथा छात्रों की संख्या लगभग २० लाख है। इनमें से प्रति वर्ष लगभग १ लाख छात्र स्नातक बनकर बाहर आते हैं।

शिक्षित होने की बढ़ती हुई आकांक्षा

पिछले २० वर्षों के दौरान छात्रों की तादाद में जो भारी वृद्धि हुई है वह इतनी खास बात नहीं है। खास बात तो यह है कि पहले जिस सामाजिक परिवेश के छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिल हुआ करते थे, वह अब बिलकुल दूसरा हो चुका है। विश्वविद्यालयों में पहले ऐसे परिवारों से छात्र आते थे जिनके सदस्य शिक्षित, सम्पन्न, और विद्वत्ता के प्रति सम्मान का भाव रखनेवाले होते थे। अब विश्वविद्यालयों में जो छात्र अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं वे समाज के हर तबके से आये हैं। चूंकि शिक्षा आज ऊंची प्रतिष्ठावाली नौकरियाँ पाने और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का एक जरूरी साधन है और शिक्षित होना इज्जत और समझदारी का लक्षण माना जाता है, इसलिए चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, हर क्षेत्र की जनता में अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने की आकांक्षा है। और हर क्षेत्र की जनता की शिक्षित होने की इस आकांक्षा ने धीरे धीरे एक राजनीतिक माँग का रूप ले लिया है।

शिक्षा की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए विभिन्न जातीय संगठनों को शिक्षण-संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली। जिन जातियों के

लोग अधिक संख्या में थे या जिनकी संख्या बढ़ी जाति के लोगों से कुछ कम थी, उन्होंने अपनी-अपनी जातियों के लड़कों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा-संस्थाओं का गठन करना शुरू किया।

घटिया दर्जे के महाविद्यालयों की वृद्धि

इस प्रकार के प्रयत्न से जो विद्यालय खुले उनकी इमारतें घटिया दर्जे की थीं, विद्यालय के लिए आवश्यक उपकरण और साज-सामान भी प्रायः अपर्याप्त या घटिया किस्म में ही रहे। प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के पगल में भी अपनी जाति के लोगों को प्रधानता देने की कोशिश की गयी। चुनाव करते समय उनकी योग्यता, चारित्र्य और अनुभव को प्रधानता देने के बदले, उनके जातीय और सामाजिक प्रभाव का विचार किया गया। ऐसे विद्यालयों में छात्रों को भी इसलिए भर्ती किया जाता है कि उनके कारण विद्यालयों की फीस की माय बढ़ती है।

शिक्षण-सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाओं, और प्रयोग्य अध्यापकों से जैसे जैसे परीक्षा पास करनेवाले छात्रों की भारी तादाद एक ऐसी सांस्कृतिक परिस्थिति का निर्माण करती है, जिसके अन्तर्गत छात्र का एक ही लक्ष्य रहता है—अच्छे नम्बर से इम्तहान पास करना। शिक्षक विद्यालयों में अच्छी तरह पढ़ाने के बदले प्राइवेट ट्यूशन करना पसन्द करते हैं। परीक्षा में पानेवाले प्रश्नों के उत्तर छात्रों को बताने और परीक्षक पर प्रभाव डलवाकर छात्र को अधिक अच्छे नम्बर दिलाने में शिक्षकों की अधिक दिलचस्पी रहती है।

दुहरी क्रान्ति की समस्या

विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश पाना एक बात है और अच्छे अंकों में परीक्षोत्तीर्ण होना दूसरी बात है। जो छात्र भूमिहीन परिवारों, कारीगरों से जीविकोपार्जन करनेवाले लोगों या समाज सेवा करनेवाले समुदाय में पल-बुसकर विश्वविद्यालयों में दाखिल होते हैं उनकी बुद्धि और विवेक-शक्ति पर भारी दबाव पड़ने लगता है। ऐसे तबकों से आनेवाले अधिकार छात्र अपने परिवारों के प्रथम साक्षर सदस्य हुआ करते हैं और चूंकि कालेज या विश्वविद्यालय प्रायः नगरीय ही अवस्थित होते हैं, इसलिए ऐसे छात्र शहरी जीवन का भी प्रथम परिचय विश्वविद्यालय छात्र के रूप में ही प्राप्त करते हैं। इसी तथ्य को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहें तो कहना चाहिए कि उन छात्रों को अपनी जिंदगी में दो-दो क्रान्तियों का साक्षात्कार करना पड़ता है—एक शिक्षा की प्रान्ति और दूसरी नगरीकरण की क्रान्ति। इस

शुहरी शक्ति की प्रक्रिया में से गुजरने के कारण ऐसे छात्रों को जिन समस्याओं का सामना पड़ता है वे निम्नलिखित हैं

समस्या का स्वरूप

पहली समस्या छात्र की घरेलू संस्कृति और विश्वविद्यालय की संस्कृति के भारी अन्तर के कारण उपस्थित होती है। देहात के वातावरण में पला हुआ छात्र ऐसी परम्परा के समाज में से आता है जहाँ पुरुष और स्त्री अलग अलग रहते हैं। लोगों का विवाह बहुत कम उम्र में ही हो जाता है। विश्वविद्यालय का सामाजिक वातावरण उससे बिल्कुल भिन्न होता है, जहाँ २४-२५ वर्ष की अवस्था तक के अविवाहित स्त्री पुरुष साथ साथ विद्या-अध्ययन करते हैं। गाँव के लोग अक्सर ऐसी धारणा रखते हैं कि जो सयानी लड़कियाँ अविवाहित रहती हैं वे अनैतिक जीवन जीती हैं। किसी लड़की की उपलब्धि के लिए अविवाहित जीवन जीने की भी आवश्यकता हो सकती है, इस पर देहात के लोगों को आसानी से विश्वास नहीं हो पाता। ऐसे सामाजिक परिवेश से आनेवाले छात्र को विश्वविद्यालय में पहुँचकर बड़ी लड़कियों के बगल में बैठकर प्राध्यापक का लेक्चर सुनने, सभाओं में शरीक होने या अभिनय तथा खेल कूद में भागीदार बनने पर एक नया ही अनुभव मिलता है। होटल में बैठकर चाय और काफी पीते हुए गपशप करना भी एक नया ही अनुभव होता है। ये सब नये अनुभव छात्र से एक नये सामाजिक सन्तुलन की माँग करते हैं। क्या इन माँगों का छात्रों की अनुशासनहीनता के साथ कोई सम्बन्ध है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी वैज्ञानिक छानबीन होनी चाहिए। जहाँ तक ग्रामीण युवकों की बात है यह आमतौर से माना जा सकता है कि उनके और नगरवासी छात्रों के बीच एक बड़ी खाई रहती है।

दूसरी समस्या पढ़ाई के विषयों को लेकर प्रस्तुत होती है। जो विषय छात्र हाईस्कूल की कक्षाओं में पढ़ता है वे विश्वविद्यालय में पहुँचने पर बदल देने पड़ते हैं और प्रायः ऐसे विषय लेने पड़ते हैं, जो उनके लिए नये होते हैं। इसके विपरीत जो छात्र नगर स्थित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके कालेज या विश्वविद्यालय में दाखिल होते हैं वे अपने बचपन से ही प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण पद्धति और शहरी संस्कृति के अभ्यासी बने रहते हैं। देहाती और शहरी छात्रों की प्रतियोगिता की मिसाल रेस के घोड़े और तागे में चलनेवाले घोड़े की घुड़दौड़ का मिसाल से बहुत मिलती जुलती है। विश्वविद्यालय की ऊँची कक्षाओं में जाकर यह मिसाल और भी मौजूद हो जाती है जब कि अंग्रेजी भाषा की

भण्डी जानवारी प्रत्येक विषय की पढाई का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है ।

भ्राज की स्थिति

भ्राज के भारत में छात्रों का आन्दोलन रोजमर्रा की जिन्दगी का एक अंग बन गया है और यह हालत अब एक असें तक काम चलानेवाली है । अब पावित्र्य की धारणा को मन्दिर के अतिरिक्त विद्यालय तक लागू करने की आवश्यकता है । प्राचार्यों और कुलपतियों का छात्रों द्वारा बार-बार घेराव हो तो भी उन्हें विद्यालय में पुलिस नहीं बुलानी चाहिए । क्योंकि जैसे ही पुलिस बुलायी जाती है, पुलिस बुलाने के निमित्त कुलपति अथवा प्राचार्य की छात्र नेताओं, राजनीतिकों, समाचार-पत्रों और शिक्षकों द्वारा भी निन्दा की जाती है ।

यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि प्रायः जब कभी पुलिस को शिक्षण संस्थाओं के अहाते में बुलाया जाता है तो स्थिति सुधरने के बदले और ज्यादा बिगड़ जाती है । शिक्षित प्रदर्शनकारियों और विशेष रूप से छात्रों को नियंत्रित रखने के लिए भ्राज की पुलिस से कहीं अधिक व्यवहारकुशल पुलिस की आवश्यकता है । छात्रों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग पुलिसवाहिनी का गठन करने पर भी गृहमंत्रालय को विचार करना चाहिए ।

विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही शान्ति और सुव्यवस्था का वातावरण बनना चाहिए, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में घोर भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होगी । विश्वविद्यालयों में अध्यापन करनेवाले अनेक वरिष्ठ प्राध्यापक अब ऐसे क्षेत्र में कार्य सलग्न होना चाहते हैं, जहाँ छात्रों से सम्पर्क रखने की जरूरत ही न हो । कुलपति का पद स्वीकार करने के लिए भ्राजकल मन्चे लोग बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाते हैं । सम्प्रति कुलपति का पद भ्राज सबसे अधिक आसदायक हो गया है ।

राजनीतिकों की घुसपैठ का दुष्प्रभाव

विश्वविद्यालय के अहाते में राजनीतिक दलों की घुसपैठ का दुर्घट परिणाम होता है । एक तो यह कि विश्वविद्यालय को प्रत्येक समस्या राजनीतिक समस्या में रूपांतरित हो जाती है और दूसरा यह कि कोई भी राजनीतिक समस्या विश्वविद्यालय के अन्दर हिंसा और हठताल का श्रोत्र बन जाती है । हरेक राजनीतिक दल की छात्र-शाखा है और यह भी जानकारी मिली है कि कुछ विश्वविद्यालयों के छात्र अपने सम्बन्धित दलों से नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं । विश्वविद्यालय के छात्रों का इस प्रकार का राजनीतिकरण ऐसी स्थिति

पंदा कर चुका है कि विश्वविद्यालयों के प्रांगण में भासानी से शान्ति-स्थापना नहीं हो पायेगी ।

इसी बीच सार्वजनिक जीवन के खास-खास व्यक्ति बराबर यह बह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को छात्र-राजनीति से अलग रहना चाहिए और वरिष्ठ विद्वानों को विश्वविद्यालय की समस्याओं पर शुद्ध शैक्षिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । इस कथन का मतलब है समस्या को उसके सामाजिक परिवेश से अलग करना । वामपंथी दल चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों का क्षेत्र उनके लिए खुला रहे और सच्चे लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों का छात्रों में प्रवेश रोकने का कोई उपाय नहीं है । आज तो ज्यादा-से ज्यादा इतना ही सम्भव है कि छात्रों की जो भी शिकायतें पेश हों, उनके बारे में राजनीतिक दलों में पूरी जानकारी के साथ वाद-विवाद हो सके । इतना ही पाना भी आज की परिस्थिति में बड़ी दूर की बात है, क्योंकि छात्रों की शिकायतों को किस ढंग से दूर किया जाय, इसके बारे में राजनीतिक दल भासानी से एक राय नहीं हो पायेंगे ।

लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति

ऐसी परिस्थितियों में छात्रों में बेचैनी का होना स्वाभाविक ही है । अब समय आ गया है जब कि सामान्य जनता को हमारी शैक्षिक संस्थाओं की असली हालत की जानकारी मालूम होनी चाहिए । आज जो हालत है, उससे सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है कि छात्रों और शिक्षकों के स्तर में गिरावट आयी है, और हमारी शिक्षा प्रणाली देश की समस्याओं का सामना करने के सायक नहीं है, बल्कि इस बात का खतरा उपस्थित हो गया है कि अगर छात्र-असंतोष इसी तरह बढ़ता गया तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी ।

अतः आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आम जनता और दलों के नेता इस खतरे की गभीरता को समझें ।

परिस्थिति की माँग है कि हमारे राजनीतिक नेता और शैक्षिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शिक्षा सम्बन्धी तात्कालिक और दूरगामी निर्णयों तथा नीतियों के बारे में विचार-विमर्श करते रहे । राष्ट्रीय जीवन की अन्य समस्याओं की तरह शिक्षा के मामले में भी कुछ ऐसे गैर-पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो शिक्षा की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं पर लगातार चिन्तन करते रहे । (श्री एम० एन० श्रीनिवास के मूल अंग्रेजी लेख का सक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर : 'टाइम्स आफ इंडिया' : १२ नवम्बर, '६८)

वैसिक स्कूलों के उद्योग और उनका संगठन

सच्चिदानन्द सिंह 'साथी'

'उद्योग' में दो शब्द हैं—'उद्' और 'योग'। योग का अर्थ होता है मेल या सन्धि। मेल या सन्धि का अर्थ है प्रकृति और पुरुष का सन्तुलित विकास। ऐसा सन्तुलित विकास तब होता है, जब नैतिकता की पृष्ठभूमि में भौतिकता का आचरण किया जाता है। ऐसे आचरण से जो श्रमिक होता है वही मोक्ष होता है, यानी अहिंसक समाज तैयार होता है। अहिंसा और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शास्त्रकारों की दृष्टि में 'अहिंसा परमो धर्म' है। यही कारण था कि शोषण, हिंसा, विश्वासघात, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मत्सर और असूया इत्यादि से कराहते हुए सन्तत बर्मान मानव समूह के सामने पूज्य बापू ने अहिंसा का आदेश रखा था—अहिंसा भाती है चित्तवृत्तियों के निरोध से, चित्तवृत्तियों का निरोध होता है त्याग से, त्याग होता है कर्म या उद्योग के अभ्यास से। इसलिए शिक्षा तो उद्योग-केन्द्रित यानी कर्म-केन्द्रित ही होनी चाहिए।" और आज की स्वीकृत शिक्षा प्रणाली में उद्योग को केन्द्रीय स्थान दिया गया है—शिक्षा का यह गुन्दरतम माध्यम माना गया है क्योंकि इसके माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए द्वार खोलती है।

अधुना शिक्षा पद्धति में उद्योग तिरस्कृत था क्योंकि उस शिक्षा पद्धति का लक्ष्य व्यक्तित्व को क्षणिक करना था।

शिक्षा और जीने की क्रियाएं

बुनियादी शिक्षा-पद्धति जीवन की पद्धति है, अर्थात् बुनियादी शिक्षा जीवन की है और ऐसी योजना बनायी गयी है कि जीवन द्वारा ही वह ही ज्ञान, इसलिए निश्चित है, ऐसी शिक्षा जीने की क्रियाओं में ही मिलना चाहिए।

तभी लो, विनोबा ने कहा है 'शिक्षा-पद्धति पाठ्यक्रम, समय-पत्रक, ये सब अर्थशून्य शब्द हैं। इनमें सिवा आत्मवचना के और कुछ नहीं है। जीने की क्रिया में ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब जीने की क्रिया से भिन्न शिक्षण नाम की कोई स्वतंत्र क्रिया बन जाती है, तब किसी विजातीय द्रव्य के शरीर में प्रविष्ट होने पर सम्भाव्य दुष्परिणाम की तरह शिक्षा का भी मन पर विषमता, रोगयुक्त प्रभाव पड़ता है।'^१ स्पष्ट है, शिक्षा में जीने की क्रियाओं अर्थात् कर्मों, जिसको हम उद्योग कहेगे का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सच में, प्रत्यक्ष ज्ञान-प्राप्ति के लिए कर्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही अनुभव किया था। आपने कहा था कि "हाथ का काम एक बड़ा जबरदस्त जरिया है या बन सकता है।"^२

पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका

काम के जरिये छातीम देना या काम के साथ पढ़ाई जोड़ना पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कर्म के द्वारा या काम के जरिये विद्यार्थी को जो कुछ भी प्राप्ति होती है, उसमें स्वायत्तत्व होता है और यही सच्चा और ठोस ज्ञान होता है। उद्योग ज्ञान की जननी है। ज्ञान अनुभूति से होता है और अनुभूति कर्म से निकलती है। प्रमाणित यह हुआ कि ज्ञान का स्रोत कर्म का उद्योग है।'^३ इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि काम के जरिये छात्र आनन्दपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करता है तो कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि बालको को अपने हाथों से तरह-तरह की खीचो को बनाने में बड़ा आनन्द मिलता है और इस प्रकार बालक की रुचियों, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों तथा उनके सस्वारों के अनुरूप उन्हें शिक्षा मिल पाती है और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है।

कर्म और ज्ञान के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। कर्म और ज्ञान एक-दूसरे से इतने घोटप्रीत हैं कि उनका अलगाव नहीं बताया जा सकता है और इसके पीछे मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार ज्ञान, भावना और कर्म, तीनों एक-दूसरे से पृथक् नहीं हैं। शिक्षा-शास्त्रियों ने स्वीकारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और कर्म का पृथक्करण मनोविज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि मनोविज्ञान बतलाता है कि "मन" एक है। इस स्थल पर हमें डिवी का दर्शन होता है, जिसने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के

१—विनोबा ('महाराष्ट्र घर्म' अंक ४ जनवरी १९२३)

२—'दि क्रिश्चियन न्यूज लेटर' ८ अगस्त, १९४४

३—डारिका सिंह ('शुनिपादी शिक्षा में समवाय' पृष्ठ ११)

भाषार पर कि "मन एक है" योजना पद्धति का "दर्शन" समाज को दिया। श्री वशीधरजी ने कहा है कि "मन दो भी, जो भाददर्शनवादी हैं और जिन्हें डिब्बों के विरुद्ध विचारोवाला कहा जाता है, माना है कि शिक्षा का आधार क्रिया होनी चाहिए। क्रिया को माध्यम बनाकर ज्ञान देने से ज्ञान की एकता और प्रसन्नता बनी रहती है और विभिन्न विषयों का विभाजन नहीं होता है।"^१

बुनियादी शिक्षा की विशेषता

शिक्षा के ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम उद्योग को छोड़कर शिक्षण-पद्धति की योजना कदापि सम्भव नहीं बनायी जा सकती थी। इसीलिए बुनियादी शिक्षा में उद्योग को केन्द्रीय स्थान दिया गया है। यों भी कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षण की रचना उद्योग पर खड़ी की गयी। विनोबा का मत है कि "बच्चों के सारे शिक्षण को रचना किसी एक मूल उद्योग पर खड़ी की जाय, ताकि उद्योग से शिक्षण को गरमाहट मिले और शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश डाला जाय।" महारमा गांधी ने इसी सत्य को स्वीकारते हुए कहा था कि "प्रामोद्योग के शिक्षण को शिक्षा का आधार और केन्द्र समझने की जरूरत और कीमत के बारे में मुझे जरा भी शक नहीं।"^२

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा जगत् को नवीन शिक्षण धारा में उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और बुनियादी शिक्षा के एक विशिष्ट तत्त्व के रूप में यह स्वीकार हो गया है। इसमें दो मत नहीं हैं कि उद्योग शिक्षण का आधार हो और इसीके माध्यम से जीने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों—जैसे, इतिहास, भूगोल, गणित आदि की शिक्षा सहज रूप में छात्रों को मिले तो ज्ञान का ग्रहण सहज और स्वाभाविक होगा।

बुनियादी शिक्षा को यदि हम एक त्रिभुज के रूप में मान लें, तो उसका आधार उद्योग होगा और एक भुजा प्रकृति तो दूसरी भुजा समाज में होगी। स्पष्ट है, बुनियादी शिक्षा का आधार उद्योग ही है और शिक्षण का एक सफल माध्यम भी। तभी तो, माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-५३) ने अपने प्रतिवेदन में उद्योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वास्तव में यह शिक्षा का सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम है।

१—वशीधर ('समवाय का मनोवैज्ञानिक आधार' 'नयी तालीम', जनवरी-६४, पृष्ठ-२३०)

२—महारमा गांधी ('हरिजन' ५ जून १९३७)

यह निर्विवाद है कि उद्योग शिक्षा वा एव महत्त्वपूर्ण माध्यम है । परन्तु इसका प्रभाव समुचित समेटन पर निर्भर करता है । इस श्रम मे हमें निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना होगा

उद्योग की योजना—किसी भी कार्य को सुसंचालित करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए । इस प्रकार उद्योग को सुसंगठित करने के लिए एक योजना बनानी होगी, जैसे—वार्षिक, अर्द्धवार्षिक त्रैमासिक, मासिक एव दैनिक । इस योजना के अनुसार उद्योग के सारे कार्य सम्पादित होंगे । योजनाबद्ध सभी कार्य लडके आनन्दपूर्वक खेल-शेखल मे पूरे कर देंगे । इस श्रम में आवश्यकता इस बात की है कि योजना एकांगी न हो । उद्योग से सम्बन्धित छोटी-सी छोटी बातों का भी समावेश इसमें होना अपेक्षित है ।

उद्योग का चुनाव—उद्योग का चुनाव समुचित ढंग से होना चाहिए । के० सी० मलेया तथा दिद्यावती मलेया के अनुसार मूल उद्योग ऐसा चुनाव चाहिए, जिनमें निम्नांकित गुण हो :

(१) मूल उद्योग देश, काल, परिस्थिति तथा वातावरण के अनुकूल होना चाहिए ।

(२) मूलोद्योग में सम्पूर्ण समाज एव सदस्यों की आवश्यकताएँ पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए ।

(३) मूल-उद्योग के लिए कच्चा माल आस पास सुलभता से तथा सस्ता मिलना चाहिए । इतना ही नहीं, यह वर्ष भर सरलता से उपलब्ध होना चाहिए ।

(४) मूलोद्योग से तैयार होनेवाली वस्तुओं की खपत भी आस पास के स्थानों में ही होनी चाहिए ।

(५) मूलोद्योग के लिए उपयोग में लाये जानेवाले सामान, यंत्र आदि इतने सरल होने चाहिए कि साधारण बुद्धिवाले बालक भी उनका सरलता से प्रयोग कर सकें ।

(६) मूलोद्योग आरम्भ करने के लिए आरम्भिक व्यय अधिक नहीं होना चाहिए ।

(७) मूलोद्योग ऐसा हो, जिसमे कम से-कम परिश्रम की आवश्यकता पड़े, जिससे बालक जल्दी न थकें ।

(८) मूलोद्योग बालको की रुचि, योग्यता तथा शक्ति के अनुकूल होना चाहिए ।

(९) मूलोद्योग ऐसा हो, जिसके आधार पर अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान सुगमता से स्वाभाविक रूप से दिया जा सके ।

(१०) मूलोद्योग में बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास की क्षमता होनी चाहिए ।

(११) मूलोद्योग में बालक को उच्च श्रृंखला की ओर बढ़ने के साथ-साथ नवी खोजें तथा आविष्कार करने के अवसर प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए ।

(१२) मूलोद्योग में नैतिक तथा भाष्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने की क्षमता होनी चाहिए ।^१

उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखकर विद्यालय में उद्योग की योजना की जा सकती है । साधारणतया विद्यालय के औद्योगिक कार्य निम्न होंगे—कृषि-बागवानी, कटाई-बुनाई, काष्ठ-कला, धर्मकला, गत्ता-कार्य, हाथ से कागज बनाना आदि ।

उद्योग-भवन—उद्योग चलाने के लिए उद्योग-भवन की आवश्यकता पड़ती है, जिस ओर ध्यान जाना ही चाहिए । उद्योग-भवन सुन्दर ढंग से बने हो और वहाँ सभी सम्बन्धित सामान उपलब्ध हो, जैसे—यदि बुनाई-उद्योग-भवन हो तो करघा तथा अन्य सामानों का वहाँ रहना अनिवार्य है । मान लीजिए, वहाँ करघे हों और बुनाई के लिए सूत न हों, कटाई के लिए तकली या चरखे हो, परन्तु सूत काटने के लिए रुई न हो, तो ऐसे उद्योग-भवन की क्या उपयोगिता हो सकती है ? इसी प्रकार काष्ठ कला-भवन के लिए आवश्यक है कि यदि वहाँ एक ओर बसुला, छतानी, धारी आदि काम करने के सामान हो तो दूसरी ओर सम्बन्धित कच्चे माठ भी हो । यही बात अन्य उद्योगों के साथ लागू होगी । पर्याप्त साधन के अभाव में न तो उद्योग-शिक्षक सम्यक ढंग से हो सकता है और न उद्योग-द्वारा ज्ञान देने का कार्य ही प्रभावपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा सकता है ।

उद्योग-शिक्षक—उद्योग के संगठन के लिए यह आवश्यक है कि हर विद्यालय में विशेष रूप से उद्योग-प्रशिक्षित शिक्षक हों । ऐसा होने पर अध्यापक अपने उद्योग से सम्बन्धित छात्रों को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों ज्ञान देंगे और इस प्रकार के उद्योग के माध्यम से जो शिक्षा दी जा सकेगी वह पूर्ण होगी । इस क्रम में हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि यदि किसी विद्यालय में

१—के० सी० मलेया, विद्यावती मलेया ('बुनियादी विद्यालय-संगठन तथा विभिन्न विषयों का शिक्षण' . पृष्ठ-१५४-१५६)

विशेष रूप से उद्योग में प्रशिक्षित अध्यापक न हों तो स्थानीय विशेषज्ञों से सहायता ली जा सकती है—जैसे, यदि विद्यालय में बुनाई-प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हों तो स्थानीय बुनकरों से हम सहायता ले सकते हैं। इसी प्रकार स्थानीय बढ़ई, लोहार, चमंकार आदि व्यक्तियों से लाभ उठाया जा सकता है। सही है, हमारे कार्य सरलतापूर्वक सम्पादित हो तो जायेंगे, परन्तु यह भी सम्भव नहीं है कि विभिन्न उद्योगों की सैद्धान्तिक बातों की जानकारी छात्रों को अच्छी तरह न मिल सके। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हर विद्यालय में उद्योग में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक ही इसके लिए नियुक्त हों।

उद्योगों का समुचित रूपेण संगठन हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम उपर्युक्त चर्चित बिन्दुओं के अतिरिक्त चालू पूँजी की आवश्यकता, उद्योग के लिए आवश्यक बहियौ, तैयार माल की खपत के लिए स्थानीय बाजार आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान दें।

उद्योगमूलक शिक्षा के लाभ

प्रारंभ में हमने शिक्षा और उद्योग के परस्पर-सम्बन्ध और शिक्षा में उद्योग का स्थान, आदि बातों पर विचार किया है। अब हम इसकी उपादेयता पर विचार करना चाहेंगे। उद्योग के द्वारा बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ कर्म और ज्ञान में समन्वय-सूत्र की स्थापना होती है। विद्यार्थी अपने हाथों से जो कुछ बना पाता है, उसमें उसके हृदय की भावनाएँ जुड़ जाती हैं और कर्म, ज्ञान और भावना का अमृतपूर्व सम्मिलन होता है। गांधीजी का यह मत था कि बालकों को अपने हाथों से तरह-तरह की चीजें बनाने में बड़ा आनन्द आता है। सच में कहा गया है कि गीत गाने का आनन्द और वस्तुएँ बनाने का आनन्द एक ही है। स्पष्ट है, आनन्दमय आतावरण में इस प्रकार आनन्दपूर्वक उद्योग के कार्य करने से विद्यार्थियों का जीवन आनन्द से परिपूरित होगा।

उद्योग के द्वारा शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में श्रम के प्रति आस्था का भाव आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रम का व्यापक महत्त्व है, सभी तो बालार्द्ध ने कहा है कि श्रम ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। विनोबा भी बालार्द्ध की तरह श्रम को ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन समझते हैं और उनके लिए वही जीवन है, सभी तो आपने कहा है कि दुनिया में सभी दुःख शरीर-धर्म को छोड़ देने से पैदा हुए हैं। इस प्रकार उद्योग द्वारा शिक्षा पाकर विद्यार्थी श्रम का पूजक बन अपने अन्तर में चेतना का दृढ़ भाव भरता है।

छात्र जब अपने द्वारा किये गये कार्यों के रचनात्मक रूप की देखता है तो उसके अंतर में आत्म विश्वास की लहर उठती है और उसका पीछा जगता है। आत्म विश्वास व्यक्तित्व की एक उत्तम कड़ी है, जिसकी प्राप्ति यह कर लेता है।

उद्योग-शिक्षण बालको में स्वावलम्बन की प्रवृत्ति जगाता है। विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत का अनुभव करता है—आत्म निर्भरता की भावना से वह भर जाता है।

स्वावलम्बी जीवन के आर्थिक आधार को भी प्राप्ति बासकों की होती है। बालको द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की विक्री से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह कम महत्व का नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा शिक्षा प्राप्त कर अपने अगले जीवन में बालक जब प्रवेश करता है तो वहाँ वह हाथ पर हाथ धर कर बैठा नहीं रहता है बल्कि अपनी जीविका के लिए अपने हाथों से कुछ अर्जन कर ही लेता है। स्वाभिमता की इसमें और अच्छी शिक्षा उद्योग द्वारा बालको को क्या दी जा सकती है ?

उद्योग द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में विद्यार्थियों को जो काम करने पड़ते हैं उससे शारीरिक क्षमता का विकास होता है जो व्यक्तित्व की पूर्णता की प्राप्ति के लिए एक सोरान है।

विद्यार्थी जो कुछ भी बनाता है उसके लिए उस तयार होकर योजना के अनुसार जानना पड़ता है। इसके लिए बौद्धिक चिन्तन करने की आवश्यकता हो जाती है। मान लीजिए कि जो विद्यार्थी को कोई एक मूर्ति बनानी है तो उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का चुनाव तथा उसके सम्बन्धित अन्य काम तो उसे करने ही होंगे। इसके लिए उसे सोचना और विचारना पड़ना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग द्वारा शिक्षण प्राप्त करने के क्रम में बालको का मानसिक स्तर विकसित होता है।

कुछ करके सीखने के क्रम में बालक सामाजिकता के गुणों से समन्वित हो जाता है। मिलकर काम करने की भावना का उसमें विकास होता है और व्यक्तिगत परिधि से उठकर वह समाज के लिए सोचता है। इस तरह बालको में अनुशासन सहयोग तथा सामाजिक चेतना के भाव भर जाते हैं और उनका नैतिक और सामाजिक संस्कार विकास पाता है।

क्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्योग द्वारा दी जानेवाली शिक्षा विद्यार्थी की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं संस्कारों के अनुरूप विकास का पूरा भाग देकर उनके व्यक्तित्व की पूर्णता प्रदान करती है। •

समवायित पाठ-संकेत

वंशीधर श्रीवास्तव

दिनांक	कक्षा	कालावधि	मुख्य क्रिया	उपक्रिया	समवायित विषय
२१ ९ '६७	५	१, २, ३,	कताई	तुनाई	भूगोल गणित

समवायित पाठ-संख्या • १—तुनाई

सामान्य उद्देश्य—(१) समाजोपयोगी उत्पादक काम करने का अभ्यास कराकर छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना ।

(२) उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में उनकी रुचि को विकसित करना ।

(३) छात्रों को श्रमनिष्ठ बनाना ।

(४) कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों में सामंजस्य स्थापित करना ।

मुख्य उद्देश्य—(१) क्रिया सम्बन्धी : छात्रों को तुनाई की वैज्ञानिक क्रिया से परिचित कराना ।

(२) ज्ञान सम्बन्धी (क) भूगोल—भारत में कपास की उपज के बारे में ज्ञान देना । (ख) गणित : गति-सम्बन्धी प्रश्न हल करने की क्षमता उत्पन्न कराना ।

सहायक सामग्री—ईई, इपती, रोलरबोर्ड पर बने भारत के मानचित्र पर कपास उत्पादन क्षेत्र ।

पूर्व ज्ञान—(१) छात्र तुनाई कर चुके हैं ।

(२) छात्र ऐकिक नियम जानते हैं ।

प्रस्तावना—(१) अच्छे सूत के लिए बैसी रुई चाहिए ? (साफ रुई)

(२) रुई किस प्रकार साफ की जाती है ? (तुनाई द्वारा)

(३) तुनाई किस प्रकार करोगे ? (समस्या)

उद्देश्य-कथन—आज हम लोग रुई को तुनाई करेंगे ।

आदर्श प्रदर्शन—अध्यापक छात्रों की सहायता से रुई वितरित करेगा तथा रुई की तुनाई विधि का प्रदर्शन करेगा और अशकित प्रश्नों द्वारा छात्रों को रुई तुनने की वैज्ञानिक विधि और तुनाई के समय की सावधानियों से परिचित करावेगा—

(१) तुनाई के लिए बैसी रुई लेनी चाहिए ? (सूखी रुई)

(२) रुई को सुखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

(साफ, हवाविहीन स्थान)

(३) रुई तुन कर मैं कहीं रख रहा हूँ ? (दफ्ती के टुकड़े पर)

(४) रुई किस प्रकार तुननी चाहिए ? (बुटकी से रेशों को समानान्तर सौंचकर)

(५) तुनते समय रुई घाँसों से किननी दूर रखनी चाहिए ? (१२")

(६) तुनाई करते समय किस भासन में बैठना चाहिए ? (सुलासन)

(७) तुनते समय रुई में से क्या-क्या निकाल देना चाहिए ? (पीले रेशे, कचटा, और बिनोले)

क्रियाशीलता और निरीक्षण—सभी छात्र उपर्युक्त विधि से बैठकर रुई को तुनाई करेंगे और अध्यापक घूमकर उनका निरीक्षण करेगा तथा आवश्यक सहायता करेगा ।

पुनरावृत्ति—(१) रुई किस प्रकार तुननी चाहिए ?

(२) रुई से किन किन चीजों को अलग कर देना चाहिए ?

मूल्यांकन एवं नवीन पाठ-समस्या—(१) रुई और कपास में क्या अंतर है ? (रुई बिनोला रहित तथा कपास बिनोला-सहित)

(२) कपास की पैदावार हमारे देश में कहीं-कहीं होती है ? (समस्या)

समावृत्त पाठ-समस्या २—भूगोल

उद्देश्य कथन—आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कपास की खेती कहीं-कहीं और क्यों होती है ?

प्रस्तुतीकरण—(१) कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टियाँ उपयुक्त हैं ? (काली एवं दोमट)

(२) काली मिट्टी में क्या विशेषता है ? (जल संरक्षण)

(३) कपास के लिए भूमि की बनावट कैसी होनी चाहिए ? (ढालू)

(४) अमेरिकन कपास किस प्रकार की भूमि में उत्पन्न की जाती है ?

(लाल कठारी)

(५) अमेरिकन कपास के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है ?

(अप्रैल मई में बो दी जाती है।)

अध्यापकीय कथन—इस स्थल पर अध्यापक छात्रों को बतलायेगा कि कपास के लिए उच्च तापक्रम ३०° अथवा साधारण वर्षा ५० से १००' तक की आवश्यकता होती है। मौसम २०० दिन तक पालारहित होना चाहिए। भारत में गुजरात अहमदाबाद भड़ोच महाराष्ट्र सूरत धारवाड खानदेग में सर्वाधिक देशी कपास पैदा की जाती है तथा पंजाब गुजरात, महाराष्ट्र आ आ प्रदेश राजस्वान और मद्रास कपास के अग्र मुख्य केन्द्र हैं। इन स्थानों की मिट्टी और जलवायु कपास के लिए उपयुक्त है।

पुनरावृत्ति—(१) उत्तर प्रदेश में कपास की उपज कहाँ होती है ?

(नक्शा दिखाकर—मेरठ आगरा)

(२) उत्तम रुई की क्या विशेषता होती है ? (मुलायम एवं रेशा लम्बा)

(३) अच्छा रेशा कितना लम्बा होता है ? (लगभग १')

(४) अमेरिकन कपास को उत्तम क्यों समझा जाता है ? (अधिक उपज, लम्बा रेशा १ से अधिक)

(५) देशी कपास अधिकतम कितने क्विंटल प्रति हेक्टर तक पैदा की जाती है ? (४ ५ क्विंटल)

(६) कपास के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होती है ?

(७) सबसे अधिक कपास भारत में कहाँ उत्पन्न होती है ?

समवायित पाठ संख्या ३—गणित

(१) आज तुमने क्या कार्य किया ? (तुनाई)

(२) तुम्हें कितनी रुई तुमने को दी गयी थी ? (२ ग्राम)

(३) २ ग्राम रुई तुमने कितनी टेर तूनी थी ? (२० मिनट में)

(४) रमेश ने उतनी ही रुई कितनी देर में तूनी थी ? (१५ मिनट में)

(५) यदि ५ ग्राम रुई दोनों मिलकर तूनें तो कितना समय लगेगा ? (समस्या)

उद्देश्यरूप्यन, प्रस्तुतीकरण—(१) अ ५ ग्राम रुई को १० मिनट में, ब १२ मिनट में और स १५ मिनट में तुन सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने समय में तुनेगे ?

- (१) प्रश्न में क्या दिया है ? (अ, ब, स की रुई तुनने की गति)
 (२) क्या ज्ञात करना है ? (तीनों की एक मिनट की गति)
 (३) तीनों ने मिलकर कितनी रुई तुनी ? (१५ ग्राम)
 (४) तीनों का प्रलग-प्रलग कार्य कैसे ज्ञात होगा ? (१ मिनट का ज्ञात होने पर)
 (५) 'अ' का १ मिनट का कार्य कितना होगा ? ($\frac{१}{१०}$ भाग)
 (६) 'ब' का एक मिनट का कार्य कितना होगा ($\frac{१}{१२}$)
 (७) 'स' का एक मिनट का कार्य कितना होगा ($\frac{१}{१५}$)
 (८) तीनों का १ मिनट का कार्य कैसे ज्ञात होगा ? (जोड़कर)

श्यामपट्ट कार्य— ∴ अ १० मिनट में रुई का १ भाग तुनता है

अ १ " " $\frac{१}{१०}$ भाग तुनेगा ।

ब १२ " " १ " तुनता है ।

ब १ " " $\frac{१}{१२}$ " तुनेगा ।

स १५ मिनट में रुई का १ भाग तुनता है ।

∴ स १ " " $\frac{१}{१५}$ भाग तुनेगा ।

$$\text{तीनों का १ मिनट का कार्य} = \frac{१}{१०} = \frac{१}{१२} + \frac{१}{१५}$$

$$= \frac{६ + ५ + ४}{६०} + \frac{१५}{६०} = \frac{१}{४}$$

तीनों मिलकर $\frac{१}{४}$ कार्य करते हैं १ मिनट में

∴ " " १ " करेंगे $\frac{४}{१} = ४$ मिनट में

उत्तर : ४ मिनट

अभ्यासार्थ प्रश्न एवं गृहकार्य—(१) क एक खेत को १२ दिन, स १६ दिन और ग २४ दिन में जोत सकता है, वो तीनों मिलकर उससे तिगुने खेत को कितने दिन में जोत लेंगे ?

(२) राम एक पट्टा ६ दिन में, मोहन ८ दिन में और श्याम १२ दिन में खोद सकता है । यदि २ दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाय तो मोहन और श्याम शेष काम को कितने दिनों में कर लेंगे ?

बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों और स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता

प्रवीणचंद्र

शिक्षा-आयोग के प्रादुर्भाव के पहले से ही बुनियादी शिक्षा के गाधीजी द्वारा प्रस्तावित अथवा 'जाकिर हुसैन कमिटी' द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्तों और उसके स्वरूप में परिवर्तन और संशोधन की माँग उठती रही है। परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार और युग के परिवर्तन के अनुरूप, परिवर्तन और प्रगति शिक्षा-क्षेत्र में भी वांछनीय, अपेक्षित और आवश्यक होती है, इस बात से पंडितों अथवा पुरोहितों का इन्कार करना हठधर्मी है, यह स्वयं स्पष्ट है। और फिर जब कि स्वयं बुनियादी तालीम (या नयी तालीम) नित्य नयी तालीम होने का दावा करे, तब तो संशोधन और प्रगति का विरोध निश्चय ही प्रतिगामी माना जायेगा और ह्रास्यास्पद भी होगा।

सचमुच यह दुःख और पश्चात्ताप का विषय है कि आज भी बुनियादी तालीम की वे ही धारणाएँ प्रचलित हैं, जो सन् १९३७ में थीं। आज भी स्वावलम्बन और उद्योग के सम्बन्ध में वे ही धारणाएँ प्रचलित हैं, जो उस समय थे, आज भी, केवल उद्योग से ही अन्य सभी विषयों का समन्वय करना होगा, यही एक अक्षर मान्यता जारी है। श्री अमरसिंह सोलंकी ने "बुनियादी शिक्षा में अनुबन्ध की कला" नाम की एक पुस्तक लिखी है, यह बुनियादी तालीम के अधिकांश शिक्षकों को मालूम नहीं है। बुनियादी तालीम एक नित्य नयी तालीम है, यह साबित करने अथवा मानने का कोई प्रयत्न और प्रयास ही नहीं किया जाता। आज भी बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र में कट्टरता से छुटकारा नहीं मिल सक्ता है। अतः हम बात की जरूरत महसूस होती है कि बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों, स्वरूप और पद्धति पर, उसके सभी पहलुओं पर, नये

सिरे से नवलेखन प्रकाशित किया जाय । यह स्पष्ट किया जाय कि पुरानी मान्यताओं और धारणाओं में क्या क्या परिवर्तन और संशोधन हो गये हैं, और वे किस रूप में अब सर्वमान्य हो चुके हैं । मर्व सेवा सघ की नयी तालीम समिति का ही यह कार्य और दायित्व है कि वह यह कार्य सम्पादित करे । जब तक यह नहीं हो जाता तब तक सामान्य और साधारण बुनियादी शिक्षक आतियों के शिकार ही रहेंगे और उससे कितनी हानि होती है, यह हम ममक ही सकते हैं ।

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में बुनियादी तालीम के विद्यालयों में किये जा रहे कृषि-कार्यों अथवा प्रयोगों की जिस असफलता की घोषणा की गयी है, और जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता वह सब चिन्तनीय है । फिर भी आज हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे लक्ष्याका के निर्धारण में गलतियाँ रही हैं । गलतियों के परिणामों अथवा असफलता के अनुभवों के प्रकाश में जो लोग मूल-सुधार नहीं करते, संशोधन और पुनर्विचार नहीं करते वे भागे जाकर घन समस्तान्ध में ही जाकर गिरे, इसमें क्या सदेह है ?

इसीलिए आज अगर शिक्षा आयोग ने बुनियादी तालीम के नाम को निस्सार पाया तो उसकी पीढा को अनुभव करने के साथ साथ हमें पुनर्विचार की तकलीफ भी उठानी चाहिए और नये विचारों की प्रसव पीढा भी बहन करनी चाहिए ।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं 'बुनियादी' नाम का मातम मनाने की अपेक्षा 'कार्यानुभव' के विचार का स्वागत करना पसन्द करता हूँ । बुनियादी विद्यालय के स्थान पर 'कार्यानुभव विद्यालय' का नाम रख लिया जाये तो गांधीजी की भावना को ठेस पहुँचेगी ऐसा जो लोग सोचते या महसूस करते हैं, उनसे मेरी विनती यह है कि वे राजस्थानी महिलाओं की तरह 'पल्ला इदन' नहीं करके पुद्गार्थ क्षेत्र में उतर आयें और 'कार्यानुभव'-मदति का विकास करके राजकीय विद्यालयों का मार्गदर्शन करें ।

भावश्यकता तुरन्त इस बात की है कि कार्यानुभव के विचार पर गहन चिन्तन मनन और प्रयोग किये जायें और इस विचार और सिद्धांत, और उसके यथार्थ कार्यान्वयन के स्वरूप का आदर्श-निर्धारण किया जाय । एक ऐसा रूप-स्वरूप निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाय, जो प्रगतिशील विद्यालयों का मार्गदर्शक हो सके । व्यावहारिक मध्यम मार्ग पर चलते हुए उद्योगों के 'व्यावहारिक' पाठ्यक्रम बनाये जायें, प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन के स्तर और सूत्र

निर्धारित किये जायें, जिस तरह सामाजिक वातावरण के अध्ययन श्री बंशीधरजी श्रीवास्तव ने 'नयी तालीम' के दिसंबर '६७ के फी है, और, सामाजिक परिवेश का प्रखण्ड-स्तर पर अध्ययन किया जाय, जो शिक्षा-क्रम को समवायित स्वरूप देने की वजाय आधार प्रदान कर सके ।

मेरा अपना दृष्टिकोण और कतिपय सुझाव इस प्रसंग में जो हैं, विद्वज्जनों के विचारार्थ यहाँ प्रस्तुत हैं

(१) बुनियादी तालीम अथवा नयी तालीम का अधिकतम और कार्यक्रम तय किया जाय । अधिकतम कुछ विशिष्ट सस्थाओं या शिक्षा-ने लिए और न्यूनतम सामान्य विद्यालयों के लिए, ताकि हर विद्यालय बु अथवा नयी तालीम विद्यालय की नाम प्लेट नहीं लगा सके, ताकि अब वदनामी से बचा जा सके ।

(२) यथार्थ में जिन्हें बुनियादी या नयी तालीम के विद्यालय कहा सके—माना जा सके—उनका भी प्रामाणिक तौर पर एक वर्गीकरण कर जाय, ताकि प्रत्येक विद्यालय अपनी सीमाएँ निर्धारित कर सके और साथ अपनी अग्रिम विकास-योजनाएँ बना सके और प्रगति के पथ पर बढ सके ।

(३) देश के हर राज्य में, केन्द्रीय सघ (वाराणसी) से सम्बद्ध, कम-से कम तीन विद्यालय स्थापित या मान्य किये जायें

(अ) अधिकतम कार्यक्रम का पथ-प्रदर्शक नयी तालीम विद्यालय

(आ) न्यूनतम कार्यक्रम का स्टैंडर्ड-नियामक बुनियादी तालीम विद्यालय

(इ) प्रायोगिक 'कार्यानुभव विद्यालय'

(४) उपरोक्त अथवा अन्य बेहतर सुझावों के अनुसार सारे देश में नयी तालीम के कार्य को पुनर्संगठित करने के लिए, और इस विषय पर समग्र और सर्वांगीण रूप से विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर का सप्त-दिवसीय शिविर वाराणसी में बुलाया जाय, जो सारी बातों पर प्रामाणिक निर्णय कर सके ।

(५) इन बातों के अलावा, जैसा कि हम लेख में ऊपर उल्लिखित है, आज मेरे जैसे अनेक शिक्षक यह चाहते हैं कि नयी तालीम (या बुनियादी तालीम ?) के समस्त मानदण्डों, आदर्शों, सिद्धान्तों, मान्यताओं, लक्ष्योंको, अपेक्षाओं, घोषणाओं, और उसके सभी पहलुओं तथा पद्धतियों पर पुनर्विचार किया जाय । •

आत्मकथा (खान अब्दुल गफ्फार खॉं)*

कदाचित्त कोई भी देशभक्त भारतीय गांधी के नाम से अपरिचित नहीं होगा। भारत के स्वाधीनता सप्राप्त में सीमान्त गांधी का जो योगदान रहा है, उससे उन्होंने हर भारतवासी के दिल में सम्मान और श्रद्धा का स्थान हासिल कर लिया है। इसी श्रद्धा के आरोधे से मैंने भी खान अब्दुल गफ्फार खॉं को, जिन्हें 'सीमान्त गांधी' के नाम से ही लोग जानते हैं, देखा था। एक दिन राय-बरेली के बुकस्टाल पर खड़े मेरे एक मित्र ने जब उक्त पुस्तक मुझे दी और कहा कि इसके बारे में मैं कुछ लिखूँ तो उसने यह भी कहा कि मैं इस पुस्तक पर कवर बड़ा खूँ। इसके पीछे उसकी मध्या कुछ भी रही हो, लेकिन मेरे लिए स्पष्ट संकेत था कि यह पुस्तक को किताब नहीं, ग्रन्थ मानता है।

अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ अनेक उपप्रदेशों में भी अपनी साम्राज्य वादित्वा के कारण फूट डालो और शासन करो की नीति अपनायी थी। सबसे पहले सीमान्त प्रान्त से अंग्रेजों को पख्तूनो ने निकाला। और पख्तूनो से ही प्रेरणा लेकर भारत ने 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द किया था। भारत को आजाद कराने में सबसे अधिक जेहालत बादशाह खान और उनके सहकर्मियों ने उठायी। इसलिए नहीं कि वे भारत की आजादी में हिस्सा बटाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि पख्तून भी पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और। खान अब्दुल गफ्फार खॉं को सीमान्त गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खान, बाबा खान आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। अयूब खॉं तो उनको 'खान बचा' कहते हैं।

कांग्रेस के जिस दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन के प्रश्न पर विचार हुआ, उसमें खान साहब भी थे। सरदार पटेल और राजगोपालाचारी तथा अन्य बहुत-सारे लोग विभाजन के पक्ष में थे। केवल दोनों गांधी—महात्मा गांधी और सरहदी गांधी—विभाजन किसी कीमत पर नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, यह पुस्तक को पढ़ने पर ही ज्ञात होगा। लेकिन सीमान्त गांधी की आवाज की दवाने के लिए सीमा प्रान्त में जनमत संग्रह कराने की धमकी दी। उत धमकी से कौन डरनेवाला था, परन्तु जैसी कि भारतीय कहावत है—पति अपनी पत्नी से हारता है, बाप अपने बेटे से हारता है, डाकू अपने साथी से हारता है और क्रान्तिकारी हमेशा अपने पिछलग्गुओं से मात खाता है—वही

* प्रकाशक हिन्दू पाकेट बुक्स, जी० टी० रोड शाहदरा, दिल्ली-३२

मूल्य : दो रुपये, पृष्ठ संख्या : १८२

हाल सीमांत गांधी का हुमा और बेघार पख्तूनो को भेडियो के हवाले कर दिया गया। यह वही सरहदी गांधी हैं जिन्होंने भटक-पार मुद्धशाली पख्तूनी के हाथो से बन्दूक फिकवायी और उनके हृदय में खुदाई खिदमतगारी मानव मात्र की सेवा का भाव जगा दिया। अहिंसा की ठोस भूमिका पर खडे होने के कारण अत्यन्त बबरता और नृशसता का शिकार इस बहादुर जाति को होना पडा। न जाने कितनी बार पठानो ने सरहदी गांधी के चरणो में सिर झुकाकर कहा कि अब इन चिमिरखियो को ज्यादातर बरदाशत नहीं हो रही है भाप हुक्म दीजिए पूरे सीमा त मे एक भी अग्रज की भौलाद नजर नहीं आयेगी। पर सरहदी गांधी के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी। बादशाह खान ने अपनी इस आत्मकथा' के पृष्ठ १४६ पर लिखा है काग्रस की दुबलता से हमारे लॉग हिन्दुस्तान से बहुत निराश हो गये। छेद मुझे इस बात पर था कि हमने तो काग्रस को न छोडा लेकिन काग्रसियो ने हमें छोड दिया। यदि हम आजादी की लडाई के समय काग्रस को छोड देते तो अग्रज हमे सब कुछ देने को तैयार था। हमारा बडा दुभाग्य यह था कि गांधीजी इस ससार से चले गये। यदि वे होते तो अवश्य हमारी सहायता करते। जवाहरलाल से भी हमें बडी आशाएँ थी और वे कुछ कर सकते थे लेकिन हम नहीं समझते कि उन्होंने क्यों हमारे लिए कुछ नहीं किया ?

विभाजन के बाद पाकिस्तान की सरकार बनी और बिना किसी अपराध के सीमान्त गांधी और उनके साथी खुदाई खिदमतगारो पर गजब के अत्याचार भारत के कर्णधारो के सामने किये जाने लगे। लेकिन किसीने भी उफ तक नहीं किया और आज भी वाक्फा वाप की तरह उनको भारतीयो से मुहब्बत है। १५ वष अग्रजो की जेल में काटे और १५ वष इस्लामी सरकार के शासन में पाकिस्तान की गन्दी कोठरी मे बिताये। बादशाह खान को भयकर बीमारी हो गयी और और अयूब खान ने सोच लिया कि अब तो खान चचा मर ही जायेंगे क्यों न एन वक्त पर उन्हें जेल से रिहा करके लोगो की बाहवाही और दरियादिली का ताज पहन ल और ३० जुलाई १९६४ को उहे जेल से जीवित लाश के रूप म रिहा कर दिया गया। भगवान को अभी बादशाह से काम लेना था इसलिए वे चगे हो गये। खान साहब फल भी एक महान नेता थे और आज भी महान नेता हैं तथा भविष्य में भी महान नेता के रूप में ही रहेंगे।

पख्तूनो की स्वतंत्रता का प्रश्न आज भी इसी प्रकार महत्त्वपूर्ण है जिस प्रकार सन् १९१४ में था। सरहदी गांधी ससार की नजरो में महान सत्यनिष्ठ योद्धा हैं गांधीजी के सच्चे अनुयायी हैं और ऐसे अडिग अहिंसाधती हैं कि

जिनका नाम लेकर घनाब्दियो तक विश्व की शान्तिप्रिय जातियाँ और कोटि-कोटि सज्जन गौरव से सिर ऊँचा रखेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बादशाह खान को पखूनो से बहुत प्यार है, पर उससे भी ज्यादा उनके दिल में भारतीयों के लिए प्यार भरा है। और इसका प्रमाण यह है कि जब भी कोई भारतीय उनसे मिलता है और भारत चलने का अनुरोध करता है तो वे कहते हैं कि "क्या भारत के लोगों को मेरी याद है? अगर सच्चे दिल से मुझे याद किया गया होता तो पखूनो की आजादी में भारत के लोग मददगार होते। क्यो बुलाते हो भाई मुझे वहाँ, कही पुराना घाव फिर हरा न हो जाये।" अब यह तो हमारी कायरता है कि हमने गांधी जन्म-शताब्दी मनाने का नाटक तो रच लिया है, लेकिन गांधी के दिल के टुकड़े को फूरता के हवाले कर रखा है। क्या शक है हमें गांधी का नाम लेने का ?

इस ७८ वर्ष की आयु में भी सरहदी गांधी में जोश है और होश भी है, तभी उत्परता के साथ बहुत अच्छी याददाश्त के सहारे कुँवर भानु नारण और रामशरन नगीना को आपबीती सुनायी है। ब्याई के पात्र हैं श्री जगन्नाथ प्रभाकर, जिन्होंने पशू भाषा से उर्दू अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर करके सर्वमुलम किया है। सरहदी गांधी ने अपने दिल का दर्द ३१ अगस्त १९६५, ३१ अगस्त १९६६ और ३१ अगस्त १९६७ को काबुल में पखूनिस्तान दिवस के अवसर पर दिये गये तीन भाषणा में उँडेल दिया है। ये अलभ्य ऐतिहासिक भाषण उक्त 'आत्मकथा' के अन्त में सप्रहित हैं, जिसे हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्ली ने इसी वर्ष प्रकाशित किया है। जिसे अपनी आजादी से मुहृष्वत है और आजादी के गहीदों के प्रति हमदर्दी है, उसे यह पुस्तक अवश्य पढनी चाहिए।

इस पुस्तक के २४ भाग हैं। प्रत्येक भाग में क्रमबद्ध घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत है। १८२ पृष्ठों की यह पुस्तक केवल बादशाह खान के अन्तरंग जीवन पर प्रकाश ही नहीं डालनी, अपितु भारत की आजादी का सुख भोग रहे नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी बताती है। क्रान्ति की चाह रखनेवालों को इस पुस्तक से यह सबक लेना चाहिए कि क्रान्ति करन के समय जो जिस रैंक में रहता है वह क्रान्ति के बाद उसी रैंक का 'डिक्रेटर' बनकर अपने ही साथियों की बेवसी का लाभ उठाने लगता है।

पुस्तक का विरग कवर एव मनमोहक गेटअप देखकर पुस्तक के सम्पादकों का परिश्रम सार्थक हुआ है। पुस्तक की छपाई अत्यन्त आकर्षक एव शुद्ध है।

— कपिल अक्खरी

सम्पादक मंडल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १७

अंक : ६

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

छुनाव और शिक्षक	२४१ श्री रुद्रमान
भाचार्यों की जिम्मेवारी	२४५ श्री विनोबा
मठदाता और मनीषी	२४६ श्री काका कालेलकर
बालको में वाम-हस्तता***	२५३ सुश्री विमला माहेश्वरी
एक शिक्षक के विचार और अनुभव	२६१ श्री मदनमोहन पांडेय
भारतीय युवको की बेचैनी	२६६ श्री एम० एन० श्रीनिवास
वैसिक स्कूलों के उद्योग***	२७१ श्री सच्चिदानन्द सिंह 'सापी'
समवायित पाठ-संकेत	२७८ श्री वशीधर श्रीवास्तव
बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत***	२८२ श्री प्रवीणचन्द्र
पुस्तक-परिचय	२८५ श्री कपिल भाई

जनवरी, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खर्चा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनापत्र में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित, अमल कुमार बसु,
इन्डियन प्रेस (प्रा०) लि०, धाराणसी-२ में मुद्रित ।

सन् १९६९ गांधी जन्म-शताब्दी-वर्ष है

गांधीजी ने कहा था :

"मेरा सर्वोच्च सम्मान जो मेरे मित्र कर सकते हैं, वह यही है कि मेरा वह कार्यक्रम वे अपने जीवन में उतारें, जिसके लिए मैं संदेव जिया हूँ या फिर यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं है, तो मुझे उससे विमुख होने के लिए विवश करें।

मानव-समाज के सामने, आज के संपूर्ण एवं हिंसामय वातावरण से मुक्ति पाने के लिए, गांधी-मार्ग ही आशा का एकमात्र मार्ग रह गया है।

गांधीजी की दृष्टि में :

- (१) दुनिया के उन पन् एक जगह पहुँचने के बसग असग रास्ते है।
- (२) जाति और प्रान्त की दोहरी दीवार टूटनी चाहिए।
- (३) अछूत प्रथा हिंदू समाज का सबसे बड़ा कलक है।
- (४) यदि किसी व्यक्ति के पास, जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक हो तो वह उसका सुरक्षक या ट्रस्टी है।
- (५) किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।
- (६) स्वराज्य का अर्थ है अपने को काबू में रखना जानना।
- (७) प्रत्येक को सन्तुलित भोजन, रहने का मकान और दवा दारु की काफी मदद मिल जानी चाहिए यह है आर्थिक समानता का चित्र।


पूज्य बापू की जीवन-दृष्टि में अपनी दृष्टि विलीन कर
गांधी जन्म-शताब्दी सफलतापूर्वक मनाइए।

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति को गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति टुंकनिया भवन कुदोगरी का भेङ्ग, जयपुर-३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

नयी तालीम

सर्वजनिक शिक्षण विभाग, दिल्ली

फरवरी १९६९



सब ० डा ० सम्पूर्णानन्द

डा० सम्पूर्णानन्द

सम्पूर्णानन्दजी तत्त्व-चिन्तक मनीषी, राजनेता और साहित्यिक थे। राजनीति और दर्शन, साहित्य और विज्ञान पर उनका समान अधिकार था। कला और संगीत के वे मर्मज्ञ थे। समाजवाद, योग, दर्शन, अध्यात्म और पुरातत्त्व, ऐसे गहन विषयों पर उन्होंने उच्च कोटि के ग्रन्थ लिखे हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनके निघन के बाद विद्वानों द्वारा उनके इन सभी रूपों का स्मरण किया गया है और उनके विषय में जो कुछ लिखा गया है, थोड़ा है। परन्तु उनका एक और रूप था, जिसके विषय में बहुत कम कहा गया है। सम्पूर्णानन्दजी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। वे प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापक थे और अध्यापन के पेशे का उनको व्यावहारिक अनुभव था। यद्यपि शिक्षा शास्त्र पर उन्होंने 'चिद्रविलास' ऐसा कोई तात्त्विक ग्रन्थ नहीं लिखा है, पर शिक्षण की प्रक्रिया में उनकी अपूर्व गति थी और शिक्षा और शिक्षण पर उनके अपने स्वतंत्र विचार थे, जिसका वे निर्भीकतापूर्वक प्रतिपादन करते थे। बेसिक शिक्षा जब प्रारम्भ हुई तब उसके स्वावलम्बी पक्ष से वे सहमत नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को पत्र लिखा कि शिक्षा कभी स्वावलम्बी नहीं हो सकती और अपने बालकों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की है। पीछे उत्तर

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उत्पादक पहलू को छोड़ देने से जब उस पद्धति की खामियाँ सामने आयी और जब उनकी ओर उनका ध्यान दिलाया गया तब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उत्पादक पक्ष की प्रवहेलना की बात को स्वीकार करते हुए भी वे अपनी राय पर कायम रहे ।

वैसे बेसिक शिक्षा के विषय में उनके विचार बहुत साफ थे । वे उसे शिक्षा की उत्तम प्रणाली मानते थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब बेसिक शिक्षा के प्रचार की बात आयी तो अपने मन्त्रित्व-काल में उन्होंने उसका पूर्ण समर्थन किया । सन् १९३६ में जब मैं बेसिक ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद का छात्राध्यापक था, जिला परिषद के अध्यक्षों, जिला विद्यालय के उपनिरीक्षकों और नगरपालिका के शिक्षा निरीक्षकों के सामने बेसिक शिक्षा सम्बन्धी अपनी नीति की बात रखते हुए उन्होंने कहा था—“बेसिक शिक्षा आज की प्रचलित शिक्षा पद्धति से कई अर्थों में उत्तम पद्धति है । उसमें हाथ और दिमाग के समन्वित विकास की गुंजाइश है । इसीलिए मैं बेसिक शिक्षा को अपना देने में पक्ष में हूँ, परन्तु चूँकि बेसिक शिक्षा अच्छी शिक्षा पद्धति है और आज की शिक्षा पद्धति से वह निश्चय ही अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिले । मैं कुछ थोड़े से स्कूलों में बेसिक शिक्षा का गहन प्रयोग करने और शेष में गैर बुनियादी पद्धति को बनाये रखने और इस प्रकार प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की दो समानान्तर पद्धतियाँ चलाने के पक्ष में नहीं हूँ । बेसिक शिक्षा अच्छी है, तो उसका लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को मिलना चाहिए । हमारे नार्मल स्कूलों के ट्रेण्ड अध्यापक शिक्षा शास्त्र और अध्यापन-कला के बुनियादी सिद्धान्तों में दोक्षित हैं । उन्हें अध्यापन का व्यावहारिक अनुभव भी है । अतः उन्हें बेसिक कापट और समवाय शिक्षण पद्धति के सिद्धान्तों में ‘रेफ़रेंसर कोर्स’ देकर प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के काम में लगाया जाय ।” उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के प्रसार की यही नीति अपनायी गयी । इस नीति को अपना देने में कोई

दोष नहीं था, दोष था उसके कार्यान्वयन में। अगर 'रेफ़ेशर कोर्स' कम-से-कम छह महीने के होते (और जाकिर हुसैन-समिति ने अध्यापकों के लिए छह महीने के लिए एक 'शाटं कोर्स' की सिफारिश भी की थी) और उन्हें पूर्ण साधन-सम्पन्न बनाकर ट्रेनिंग का काम शुरू किया गया होता तो 'रेफ़ेशर कोर्स' की इस नीति को अपनाने में कोई बुराई नहीं थी। परन्तु कार्यान्वयन का कार्य जिनके हाथों में था उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रदेश में बेसिक शिक्षा की जो प्रगति हुई और उसने जो रूप ले लिया उससे स्वयं बाबूजी को घोर असन्तोष था। सन् १९४२ के आन्दोलन के बाद जेल से लौटने पर बेसिक ट्रेनिंग कालेज में आकर उन्होंने इस असन्तोष को हम शिक्षकों के सामने व्यक्त करते हुए कहा—“मैं जब शिक्षा में स्वावलम्बन की बात को अमान्य करता हूँ तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बेसिक शिक्षा के उत्पादक पहलू की भी भवहैलना की जाय और फिर आप लोगों ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए क्या कभी समवायित पाठ तैयार किये हैं? फिर प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापकों का पथ-प्रदर्शन कैसे होगा?” मैं उस समय बेसिक ट्रेनिंग कालेज में अध्यापक था और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगो ने उत्पादकता के लक्ष्य निश्चित करने के लिए कुछ प्रयोग भी किये और कुछ समवायित पाठ-सकेत भी तैयार किये। परन्तु बात वही-की-वहीं रह गयी और चूंकि आगे चलकर बाबूजी का सीधा सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से नहीं रहा, अतः उनकी प्रखर आलोचनाओं से सीखने-सुधारने का काम भी रुक गया। परन्तु उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की दो समानान्तर धाराएँ नहीं चली। सभी स्कूल बेसिक स्कूल हो गये। परन्तु उनसे बुनियादी तालीम के बमूलो की रक्षा नहीं हो सकी है, यह दूसरी बात है।

शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में बाबूजी की स्वतन्त्र नीति का एक दूसरा उदाहरण और है। देश की माध्यमिक शिक्षा का, प्रारम्भिक स्तर की बेसिक शिक्षा से ताल-मेल बैठाने और माध्यमिक शिक्षा की खामियों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा मुर्दालयार-

कमीशन की नियुक्ति की गयी। उसकी संस्तुतियों के विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा, परन्तु उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्तुति थी माध्यमिक शिक्षा के बारह वर्ष की अवधि में से एक वर्ष कम करके ग्यारह वर्ष की शिक्षा-अवधि रखने की और इस एक वर्ष को काटकर स्नातक-स्तर की दो वर्ष की शिक्षा को तीन वर्ष की कर देने की। डा० सम्पूर्णानन्दजी ने तर्क किया—“माध्यमिक शिक्षा शिक्षण की एक पूर्ण इकाई है। इस स्तर की शिक्षा के बाद अधिकांश विद्यार्थियों को जीवन में प्रविष्ट होना चाहिए और विश्वविद्यालयों में केवल मेधावी विद्यार्थियों को ही जाना चाहिए। अतः जीवन के प्रविष्ट द्वार की शिक्षा को अवधि में एक वर्ष कम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा छात्रों की प्रौढता और परिपक्वता में से एक वर्ष कम करना। डिग्री कोर्स में एक वर्ष जोड़ने का अर्थ है विश्वविद्यालयों में कम उम्र के विद्यार्थियों को भौट बढ़ाना, जो सर्वथा अवाञ्छनीय है। अतः मुदलियार-कमीशन चाहे जो भी निर्णय करे और उसकी दूसरी संस्तुतियों का यथाशक्ति जितना भी कार्यान्वयन सम्भव हो किया जाय, परन्तु उत्तर प्रदेश में १२ वर्ष की माध्यमिक शिक्षा चलती रहेगी।” बाबूजी इस निर्णय पर अटल रहे और १६ वर्ष के बाद जब बहुचर्चित कोठारी-कमीशन की नियुक्ति हुई तो उसने सम्पूर्णानन्दजी की नीति का समर्थन किया और आज पुनः माध्यमिक शिक्षा को १२ वर्ष तक की करने के लिए फेर-बदल किया जा रहा है और जहाँ ११ वर्ष की माध्यमिक शिक्षा कर दी गयी थी, वहाँ उसे पुनः १२ वर्ष तक की करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

उनके मंत्रित्व-काल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के जितने नये आयाम प्रारंभ हुए, उतने फिर कभी नहीं हुए। अथवा यह कहना अधिक ठीक होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना नया बह कर पड़े उतना ही हुआ, उससे आगे कुछ हुआ नहीं है। उनके समय इलाहाबाद में गवर्नमेंट सेण्ट्रल पेढागाजिकल इन्स्टीच्युट खुला, जो पाठ्यक्रम और शिक्षण कला

पर अन्वेषण, अनुसंधान करनेवाली आज अपने ढंग की एशिया की सबसे बड़ी सस्था है। उनके ही समय में, माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए रचनात्मक विषयों के अध्यापक तैयार करने के लिए इलाहाबाद में ही राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय खुला, जो पीछे लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया और जो आज शिल्प और विज्ञान के उच्च प्रशिक्षण का प्रमुख केन्द्र है। उनके ही समय में इलाहाबाद में गवर्नमेंट फिजीकल ट्रेनिंग कासेज और नर्सरी ट्रेनिंग कालेज खुले। इलाहाबाद की मनोविज्ञान-शाला भी उन्हींकी प्रेरणा से प्रारम्भ हुई और बहुत जल्दी उसने पूरे देश में अपना स्थान बना लिया। प्रदेश के प्रारम्भिक कक्षाओं में ट्रेण्ड अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने सचल शिक्षण दल (मोबाइल ट्रेनिंग स्ववायड) की योजना बनायी। मेरा इस योजना से प्रारम्भ से अन्त तक घनिष्ठ सम्बन्ध था, और मैं जानता हूँ कि इसका सैद्धांतिक और सगठनात्मक रूप पूरा-का-पूरा उन्हींके विचारों से प्रेरित और अनुप्राणित था और अन्त तक इसकी प्रत्येक गतिविधि में उनकी दिलचस्पी रही। शिक्षा क्षेत्र के इन सारे नूतन प्रयोगों और प्रयासों को वह विनोद से अपने अन्त वेव (अपनी सनक) का परिणाम बताते थे, परन्तु समय साक्षी है कि वे सन्दक मात्र न होकर ठोस सुधार थे जिनके पीछे एक विद्वान् शिक्षा शास्त्री का तत्त्व चिन्तन और व्यावहारिक अनुभव था। हम जानते हैं कि इन सारे नये प्रयोगों में उनकी मात्र अभिरुचि ही नहीं थी, उनकी प्रक्रियाओं में उनकी अद्भुत पहुँच थी और उनके पास जाकर इन प्रयोगों के विषय में बातचीत करने पर सदा यह बोध होता था कि इस सम्बन्ध में उनसे अभी बहुत कुछ सीखने की है। ऐसा लगता था कि उनके उबर मस्तिष्क में योजनाएँ अप्रयास रूप ग्रहण करती थी और उनके विकास के प्रत्येक पहलू से वे पूर्णतः परिचित रहते थे। कोई भी गलती कही हो तो उनसे छिपी नहीं रहती थी। वह जो कर गये उससे अधिक बीस वर्ष के बाद भी हमने किया है क्या ?

भारतीय खिलौना प्रदर्शनी की कल्पना उनके इसी उर्वर

मस्तिष्क का परिणाम थी। खिलौने किसी जाति के सांस्कृतिक स्तर की जितनी खूबी के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं उतनी खूबी के साथ उसके ग्रन्थ भी नहीं कर पाते। ग्रन्थ कुछ विद्वानों की कृतियाँ हैं, मानव-सभ्यता के केवल प्रबुद्ध स्तर के द्योतक हैं, परन्तु खिलौने उसकी समग्र सांस्कृतिक उपलब्धि के द्योतक हैं। इनमें शिशुओं को रिझाने के लिए मानव की बुद्धि और हृदय का अद्भुत संयोग हुआ है। अतः किसी भी जाति की आर्थिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति कृतनी हो तो उसकी जाति के खिलौनों को देखना चाहिए। मोहनजोदड़ो के खिलौने ही बतलाते हैं कि पत्थर और धातु के उस संक्रमण-काल में भी हिंदू जाति ने कितनी सांस्कृतिक प्रगति कर ली थी। वहाँ से प्राप्त नर्तकी की अंग-भंगिमा में जो संतुलन और सौष्ठव है, वह किसी भी जाति को तभी प्राप्त होता है, जब उसमें पर्याप्त बौद्धिक और कलात्मक संतुलन आ जाता है। वह एक खिलौना आनेवाली अजन्ता और एलौरा के सारे कलात्मक वैभव की धोर सकेत करता है। सिन्धु-घाटी के युग की सारी पूजा-पद्धति भी वहाँ के खिलौने में प्रकट हुई है। अतः संपूर्णानन्दजी ने खिलौनों की प्रदर्शनी को बचकने स्तर पर नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निश्चय किया। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने उसमें भाग लिया। लखनऊ में जिन्होंने उस प्रदर्शनी को देखा है, वे स्वीकार करते हैं कि वैसे चीज फिर कभी देखने में नहीं आयी, न आयेगी—न भूतो न भविष्यति।

वह प्रदर्शनी खिलौनों की नृगाइश ही नहीं रह गयी थी, उसमें लगभग चालीस कक्ष थे। उत्खनन से प्राप्त भारत के विभिन्न युग के खिलौने थे, नहीं तो उनके भांडल थे। काशी, जहाँ भारतीय संस्कृति की धारा कभी खंडित नहीं हुई, और जो आर्यपूर्व युग से आज तक भारत की समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ के लिए एक अलग कक्ष था। विदेशों के विभिन्न राज्यों के लिए तो अलग-अलग कक्ष थे ही, भारत के प्रत्येक प्रदेश के लिए भी अलग-अलग कक्ष थे। अनेकता में एकता की जैसी भाँकी उस खिलौना-

प्रदर्शनी में मिली, वैसी हजार पृष्ठ की किसी पुस्तक से भी नहीं मिलेगी। अमेरिका से आये हुए खिलौने जिस कक्ष में रखे हुए थे, उसे देखकर अमेरिका की उन्नत टेकनालोजी का चित्र खिंच जाता था। जापान से आये हुए खिलौनों की एक भाँकी ही बता जाती थी कि इस क्षेत्र में शायद वह आज के यंत्रप्रधान युग का अगुवा है। (और जापान क्या भौतिक समृद्धि में एशिया का अगुवा नहीं है—ऐसा अगुवा जहाँ पश्चिम के विज्ञान और टेकनालोजी का एशिया की पारिवारिक-प्रधान संस्कृति से मेल हुआ है।) अफ्रीका के एक रेगिस्तानी मुल्क से एक खिलौना आया था—ऊँटों का एक काफिला, जिसके आगे आगे एक खन्धर चल रहा था। उसे देखकर बाबूजी ने हँसकर कहा था—चलो, एक दूसरा देश भी है, जहाँ गधे कारवाँ का नेतृत्व करते हैं! यह सन् १९५१-५२ की बात है। उसके बाद तो लगभग १० वर्ष तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने खिलौना-प्रदर्शनी का आयोजन किया, परन्तु उसका स्तर घटता ही गया। और यह सयोग ही कहा जागया कि अंतिम खिलौना-प्रदर्शनी का आयोजन उनके काशी नगर में ही हुआ। खिलौना-प्रदर्शनी के वे वर्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग के वैभव के वर्ष थे।

सम्पूर्णानन्दजी की उत्तर प्रदेश के शिक्षा-जगत् को एक दूसरी बहुत बड़ी देन है, जिसके लिए शिक्षा-विभाग को उनका ऋणी रहना चाहिए। बाबूजी स्वयं साधारण शिक्षक रह चुके थे और साधारण शिक्षक की आर्थिक कठिनाइयों से पूर्ण परिचित थे। वह कितने ही बड़े आदर्शवादी स्वप्नद्रष्टा रहे हो, उन्होंने इसे कभी नहीं माना कि शिक्षक भुखा रहकर, लंगोटी पहनकर प्राचीन गुरुकुल के आचार्यों की तरह ज्ञान की भलख जगाये। लंगोटीधारी आचार्य की जब समाज में प्रतिष्ठा थी तब थी, आज तो समाज में प्रतिष्ठा घन की है। अतः शिक्षको का चेतनग्रन्थ किसी दूसरे प्रशासकीय सेवाओं से कम न रहे, इसका उन्होंने निरन्तर प्रयास किया। फलतः अपने मन्त्रित्व-काल में शैक्षिक प्रशासन में काम करनेवाले वरिष्ठ अधिकारियों को वही चेतनग्रन्थ दिया गया,

जो दूसरे प्रादेशिक सेवावाले बरिष्ठ अधिकारियों को मिलता था । पी० सी० एस० की तरह पी० ई० एस० का वेतनक्रम एक हुआ । उन्होंने जब सस्कृत कालेज को विश्वविद्यालय का स्तर दिया तो सस्कृत के आचार्यों का वेतनक्रम भी दूसरे विश्वविद्यालयों के वेतनक्रम की ही भाँति रखा । उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पी० ई० एस० के वेतनक्रम का एक जिला विद्यालय-निरीक्षक नियुक्त किया गया और जो बड़े-बड़े जिले थे और जहाँ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ५० या ५० से अधिक थी, वहाँ सीनियर वेतनक्रम के जिला विद्यालय-निरीक्षक नियुक्त हुए । शिक्षा का पेशा दूसरे किसी पेशे से वेतनक्रम की दृष्टि से पीछे न रहे, यह उनका सतत प्रयास रहा । शिक्षक की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, यह वह अच्छी तरह जानते थे और अपने मन्त्रित्व-काल में उनसे जो कुछ संभव हुआ, इसके लिए किया और उनके मन्त्रित्व काल में शिक्षा-विभाग का जितना गुणात्मक और सगठनात्मक विस्तार हुआ उतना फिर कभी नहीं हुआ । उन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग के लिए जो किया उसके लिए शिक्षा-विभाग को सदा उनका ऋणी रहना चाहिए । शिक्षा-क्षेत्र का कौनसा ऐसा कोना था, जो उनकी प्रतिभा से चमका नहीं और शिक्षा-संगठन की कौनसी ऐसी शहतीर थी, जिसने उनकी गुफता का अनुभव नहीं किया ?

अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक दादूजी शिक्षा की समस्याओं के प्रति जागरूक रहे । कोठारी-आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही भारत के जिस शिक्षा शास्त्री ने सबसे पहले उसकी प्रखर आलोचना की, वह डा० सम्पूर्णानन्द थे । उन्होंने आयोग के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए कई लेख लिखे, जिनके प्रकाश में आयोग का रूप जितना साफ दिखाई पडने लगा उतना पहले नहीं दिखाई दिया था । उन्होंने आयोग की सस्तुतियों की सूक्ष्म आलोचना की है और आयोग की रिपोर्ट को लक्ष्यहीन, दिशाहीन कहकर आयोग के विवरण को परखने की एक ऐसी कसौटी दी है, जिस पर परखने से आयोग की सम्तुतियों

का खोखलापन साफ जाहिर हो जाता है। उनके इस तर्क का क्या जवाब है कि आयोग के विदेशी सदस्यों के पास जीवन के जिन मूल्यों के प्रति आस्था थी और आग्रह था वे परस्पर-विरोधी थे और भारतीय सदस्यों के पास अपना कोई जीवन-मूल्य ही नहीं था, फलतः आयोग की रिपोर्ट किसी भी जीवन-मूल्य को लक्ष्य करके नहीं लिखी गयी है, उसमें पाठ्यक्रम को सुधारने के सुझाव हैं, उसमें मूल्यांकन-प्रणाली को बेहतर बनाने की राय है। उसमें संगठनात्मक सुधार की बात कही गयी है; परन्तु यह सब किसलिए, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यह कही नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में धरीर है, प्राण नहीं है। ऐसे रिपोर्ट को लागू करने से भारतीय शिक्षा में श्रान्ति नहीं होगी, चाहे और कुछ भी हो।

डा० सम्पूर्णनिन्दजी को खोकर जहाँ देश ने एक तत्त्व-चिन्तक, दार्शनिक और स्वतंत्र चेता राजनीतिज्ञ खोया है, वहाँ एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री को भी खोया है। “नयी तालीम” का परिवार उन्हें अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता है !

—वंशीधर श्रीवास्तव

मैं श्रद्धावान मनुष्य हूँ। मेरा भरोसा पूर्णतया ईश्वर में है। पहला कदम उठाना ही मेरे लिए काफी है। दूसरा काम क्या होगा, सो तो उसका समय आने पर 'वह' स्वयं स्पष्ट कर देगा। — महात्मा गांधी

अपराध, अपराधी और जनमानस

स्व० डा० सम्पूर्णानन्द

[स्व० डा० सम्पूर्णानन्दजी का यह विचारोत्तेजक लेख अपराध की समस्या को नयी दृष्टि से देखता है। यह समस्या का इल राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अपराध और दुराचार के प्रति अर्पित परिणाम खाने में ही ढूँढ़ पाते हैं। जनकी यह बात कल्पना लोक की बात लगती है, जिसे अर्थार्थ में परिचित नहीं किया जा सकता। परन्तु चाहे कुछ लोग कल्पना भी न करें तो अन्य लोग पृथ्वी पर मामूली जीवन भी नहीं बीता सकेंगे। —सं०]

"अच्छे लोग एक बुरी सरकार को सहन नहीं कर सकते और बुरे लोगों को अच्छी सरकार नहीं मिल सकती।" —ये शब्द श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन् १९०५ में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कहे थे। हालाँकि ये शब्द सामान्य-से लगते हैं, किन्तु इनसे एक महान सत्य पर प्रकाश पड़ता है, जिस पर प्रत्येक नागरिक को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि एक अच्छी पुलिस उस व्यवस्था का आवश्यक अंग है, जिसे एक अच्छी सरकार अपने प्रशासन के आवश्यक अंग के रूप में इस्तेमाल करती है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि अच्छे लोगों पर ही अच्छी पुलिस निर्भर करती है। एक ऐसे देश में जहाँ अधिकांश लोग अच्छे नहीं हैं, यह सोचना कि अपराध पर अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, एक अशक्य कल्पना है। हम सबको इस बात पर

गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हम भारतीयवादी स्वयं को भ्रष्टा कहने के हकदार हैं। मैं ईमानदारी से यह सोचता हूँ कि हम ऐसा नहीं कह सकते। हम भ्रष्टे लोग नहीं हैं।

अपराध के प्रति हमारा दृष्टिकोण

यह बात नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति दण्ड-सहिता की किसी-न-किसी धारा का जान-बूझकर उल्लंघन करता रहता है। हममें से अधिकांश में ऐसा करने का साहस नहीं है। किन्तु क्या हमारा अपराध के प्रति वंसा ही दृष्टिकोण है, वंसा होना चाहिए? कोई व्यक्ति किसी कारणवश सक्रिय रूप से कोई अपराध करे या नहीं करे, किन्तु क्या वह उस अपराध को जिसे उसने नहीं किया है, माफ करता है या नहीं करता है? हम भ्रष्टाचार के बारे में खूब बड़-बड़कर बात करते हैं, किन्तु क्या हम किसी शात भ्रष्टाचारी को इस बात का संकेत देते हैं कि हम उसे एक बुरा आदमी समझते हैं और उसे भले आदमियों की संगत के योग्य नहीं समझते।

जितने लोग अपराध का पता लगाने में पुलिस की मदद करने की तकलीफ गवारा करते हैं? मैं जानता हूँ कि पुलिस की सक्रिय मदद करना एक जोखिम का काम लगता है, किन्तु किसीको तो यह जोखिम उठाना ही होगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि जब किसीको हत्या के लिए सजा दी जाती है, तो ठगरी तौर से कोई वास्ता न रखनेवाले लोग हत्यारे की सजा कम कराने के लिए दौड़ घुप करने लगते हैं। मृत्यु दण्ड को समाप्त कर देना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न बिलकुल अलग है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, वह सम्भवतः हत्यारे की तरह ही एक भ्रष्टा नागरिक था। जबतक हत्या कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है, अपराधी को दण्ड से बचाने की कोशिश करना हत्या के समान ही एक बुरा अपराध है। जब कोई अपराध किया जा रहा हो, तो जितने लोग इसकी धोर से अपनी छाँटें भूँदने के लिए तैयार नहीं हैं? जितने लोग ऐसे होंगे, जो गवाही से बचने के लिए बहाना ढूँढ लेते होंगे?

जब कोई अपराध किया जा रहा हो, तो दूसरी धोर मुँह फैरकर क्या हम अपनी भारमा को घोसा नहीं देते? यह जानते हुए भी कि अपराध हुआ है, घाद में इसकी सूचना पुलिस को नहीं देते। हम इन सिद्धान्त पर चलते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, वह किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं और यदि किसी भग्य व्यक्ति ने पुलिस जाने में जाकर लबर नहीं दी है, तो हम ही

क्यों यह अनरा मोल लें, भन्ने ही हमारी गवाही महत्त्वपूर्ण हो। यही एक अपराधी का दण्ड दिलाने और उनकी रक्षा करने का धर्मर स्पष्ट होता है। अपराधी को बचाने का धर्म है उसे निर्दोष व्यक्तियों को गठाने की छूट देना, जब कि उसे दण्ड दिलाने का धर्म है निर्दोष व्यक्तियों का जान माल की रक्षा करना।

भूठ बोलने, बात को तोड़ मरोड़कर बहने, बात को गलत ढंग से पेश करने आदि की मामूली समझकर उपेक्षा कर दी जाती है। रोग यह भूल जाते हैं कि बूद-बूद में घट भरता है। जब कोई व्यक्ति एक छोटा अपराध करता है, तो वह किसी दिन बड़ा अपराध भी कर सकता है। खुद को एक मामूली दोष के लिए क्षमा करना भविष्य में बड़े दोषों का प्रामाणिक करना है।

अपराध के कारण और निवारण

मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हम भारतवासी दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हैं। मैं यह अच्छी तरह जानना हूँ कि भ्रष्ट देशों में यही सख्या में अपराधी हैं जो भारतीयों को कृतृत्यों में कहीं पीछे छोड़ सकते हैं किन्तु यह कोई विशेष सन्तोष की बात नहीं है। मेरे भलाभा दुनिया में और लोग भी बुरे हैं, इनसे मैं घबरा नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त एक और बात है, जो बहुत दुःख है कि ऐसी स्थिति हमेशा नहीं थी। हाल के वर्षों में सदाचार का तेजी से हास हुआ है। जीवन की पवित्रता के प्रति आदर भाव में कमी आयी है। उस जाति के लोग जो पहले कीड़े मकोड़ा तक के जीव को पवित्र समझने के लिए विख्यात थे, भ्रष्ट अपने हित साधन में छोटे प्रानेवाले मनुष्य की हत्या करने में नहीं क्षिप्तकते। हिंसापूर्ण अपराधों की सख्या में वितनीय वृद्धि हो रही है और इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि इस बुराई को समाप्त करना पुलिस की शक्ति के बाहर है। चाहे हम पुलिस को कितने ही और घातक हथियार क्यों न सौंप दें, चाहे पुलिस की सख्या में कितनी ही वृद्धि क्यों न कर दें, चाहे पुलिस को कितने ही विधेय अधिकार क्यों न दे दें इस बुराई को दूर करने के लिए और तरीके ढूँढने ही होंगे। ऐसे तरीकों की खोज शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि रोग की जड़ें कहाँ हैं।

यह साफ-साफ समझना होगा कि यह रोग नैतिक है और समाज का नैतिक शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। भारत को पीछे लौटना होगा, वेद युग तक

नहीं, जैसा कि कुछ प्रति आधुनिक लोग ध्यग्य में कहते हैं, किन्तु हम कुछ पीछे तो लौटना ही होगा। आधुनिकता के उन्माद में हम सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। मैं उस भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जब चारों ओर वेद मन्त्रोच्चार मुनाई पड़ता था, किन्तु मैं आज के भारत की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मनुष्य के जीवन का महत्त्व मच्छर या मक्खी से अधिक नहीं है। हमें पाठ्य पुस्तकों में नहीं, वातावरण में मूलभूत परिवर्तन लाना होगा। वातावरण शब्दाद्य जीवन के प्रति आदर-भाव से ओत प्रीत होना चाहिए।

हर व्यक्ति में वह भाव पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसमें हरेक के प्रति भाईचारे का भाव जन्मे। हमें, विशेषकर हममें से उन व्यक्तियों को, जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त है, यह याद रखना होगा कि प्राचीन भारत में अधिकार की नहीं, धर्म की मर्यादा की चर्चा की जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना धर्म समझाया जाता था, जिसके बारे में सुनिश्चित नियम बनाये गये थे। तब अधिकार पर नहीं, कर्तव्य पर जोर दिया जाता था। सब कहा जाता था कि अपना कर्तव्य करो, अधिकार स्वयं मिल जाएगा।

जितना अधिक हम अतीत के उन दिनों की भावना को लौटा सकेंगे, उतना ही अधिक हम अच्छे जन की कल्पना के करीब पहुँच सकेंगे। तभी हम अच्छी पुलिस के हकदार हो सकेंगे और तभी हम इस अच्छी पुलिस के साथ अधिकाधिक सहयोग कर सकेंगे।

मैं शायद उस कल्पना लोक की बात कर रहा लगता हूँ, जिसे यथाथ रूप नहीं दिया जा सकता। किन्तु यदि कुछ लोग कल्पना भी न करें, तो अन्य लोग पृथ्वी पर मामूली जीवन भी नहीं बिता सकेंगे। यदि हम अधिकारों पर जोर दे सकते हैं, तो कर्तव्यों पर क्यों नहीं दे सकते? यह सब होते हुए भी आजकल भी हम अपराध को होता देखकर अनदेखा करें, तो उसे कर्तव्य विमुखता माना जाता है। कर्तव्य-विमुखता समझने की इस भावना को हमें और मजबूत बनाना होगा, तभी यह उद्देश्यपूर्ण हो सकेगी। मैंने जो कुछ लिखा है, उसमें मैंने जनसामान्य की भूमिका पर जोर दिया है। मेरे विचार में जनसाधारण की भूमिका पुलिस के द्वारा किये जानेवाले किसी भी काय से अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय चरित्र, अपराध और दुराचार के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन ला देने के बाद, यह शिकायत भवसर सुनने को नहीं मिलेगी कि पुलिस को पूरा सहयोग नहीं मिलता।

समाज में नयी शक्ति का उद्भव शिक्षकों से ही सम्भव

शकरराव देव

[श्री शकरराव देव का यह भाषण आज की समस्याओं के हल के लिए शिक्षक की शक्ति का आह्वान करता है। शिक्षक सजग होगा, सभी समाज को सही नेतृत्व सिखेगा। —सं०]

धर्मो भाषके भाषायत्री ने कहा कि संसार में चारों ओर विनाश और भयंकर है। यह सही है। इसका कारण क्या है, यह हमको समझ लेना चाहिए। जीवन का नैसर्गिक रूप विनाश नहीं है, जीवन सृजनशील है, लेकिन आज हम उस सृजनशीलता से, उस विधायक तत्त्व से दूर हो गये हैं। जीवन से सृजनात्मक सहयोगी तत्त्व निकल गया है और इसीलिए सबकुछ निराशा और दुःखरूपी अंधेरा छाया हुआ है।

हिंसा की मूल जड़

रोग का सही उपचार तभी हो पाता है जब उसका निदान ठीक से हो। निदान गलत होता है तो चिकित्सा भी गलत होती है। संसार भर के मानव के आज के जीवन रोग की चिकित्सा का विचार अनेक लोग कर रहे हैं। बंधों की कमी नहीं है। लेकिन निदान में कहीं-कहीं गलती रह गयी है, तभी रोग दूर नहीं हो रहा है। 'बंदराज, अपना स्वास्थ्य सुधारो', ऐसा कहने की नौबत आयी है। स्वामी विवेकानन्द ने एक जगह यह वैज्ञानिक सिद्धान्त कहा था कि प्रत्येक कार्य का कारण उसीमें ही विद्यमान रहता है। किसी भी कार्य का कारण खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है।

इस सिद्धान्त के अनुसार जब हम सोचते हैं तो आज हमें जो निराशा और भयंकर दिखाने दे रहा है, उसका मूल कारण भी हमें अपने ही अंदर खोजना होगा। हमें दिखाई देनेवाले इस भयंकर का कारण क्या है? आज विपतनाम में इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्या केवल जानसन

ही उत्तक कारण है ? नहीं । हमें समझ लेना चाहिए कि उस युद्ध के लिए संसार के हम सब मानव, एक एक व्यक्ति कारण है । मानव-मानव के बीच के युद्ध का कारण मानव में ही है । समस्त मानव के अन्दर जो प्रतिहिंसा और संघर्ष है, उसे बाह्यरूप दे रहा है जानसन ।

जमाने की माँग

लेकिन जमाने की सही माँग इससे भिन्न है । विज्ञान की प्रगति ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व एक है, मनुष्य का भौतिक और भ्रान्तरिक जीवन एक है । इसमें कहीं किसी प्रकार की द्वन्द्वता या सकीर्णता को स्थान नहीं है । लेकिन हम सब अपनी पुरानी सारी सकीर्णताओं में फँसे हुए हैं । हमारा संकुचित दर्शन और हमारे भाषण की सीमित मर्यादाएँ जमाने की माँग को पूरी नहीं होने दे रही हैं । धर्म, जाति, विचार, श्रद्धा, राष्ट्रीयता आदि अनेक दीवारें हैं, जो हमें एक होने नहीं दे रही हैं, मानव जाति का विभाजन करती जाती हैं ।

महर्षि मातृवल्क्य हमें मानवीय जीवन के शाश्वत सुख का रहस्य समझा रहे हैं । वे कहते हैं—“यो वै भूमा तत् सुखम्, नाल्पे सुखमस्ति ।” जो भूमा है, जो अनंत, असीम, अगाध है, वही सुख है । अल्प में सुख नहीं है, आत्मा भूमा है । लेकिन ये धर्म जाति आदि तत्त्व में अल्प बना रहे हैं । ये सब व्यावर्तक गुण हैं, एक को दूसरे से अलग करनेवाले तत्त्व हैं । जो भी गुण व्यावर्तक होता है वह अल्प है, अल्प एव दुःख है, और जो भी गुण समाहारक है, एक को दूसरे से जोड़नेवाले हैं, वे भूमा हैं, अल्प एव सुख है ।

लेकिन आज मानव का व्यवहार अल्प प्रधान है । कोई अपने को हिन्दू कहता है । हिन्दू में भी ब्राह्मण हैं । उसमें भी मराठा ब्राह्मण । फिर मराठा ब्राह्मण में भी कर्नाटक ब्राह्मण । इस दीवार का कहीं नहीं अन्त है ।

भारत एक महान देश है, लेकिन हम भारतवासी बहुत छोटे हैं, अल्प हैं । संसार में कई राष्ट्र हैं जो महान नामे जाते हैं । लेकिन महानता की कसौटी क्या है ? क्या भौतिक शक्ति कसौटी है ? उपनिषद् ने कहा है—“न विदोन तर्पणीयो मनुष्यः”—किस से मनुष्य का समाधान नहीं होता है । जो अन्त समाधान न दे, वह महानता की कसौटी कैसे होगी ? आज हम देख ही रहे हैं कि भाषिक दृष्टि से सम्पन्न ये राष्ट्र क्या कर रहे हैं ? वे तो कट-भर रहे हैं, विध्वंसक युद्ध कर रहे हैं । हम अपनी संस्कृति का बड़ा पीरव गाते हैं लेकिन यह वास्तव में विकृति है, संस्कृति नहीं । क्योंकि यह हमें छोटा बनाती है । गांधीजी की एक पुस्तक बड़ी प्रिय थी—“सिविलिजेशन : इट्स कॉज एण्ड रेमेडी” । सम्भ्रता एक प्रकार का रोग है, क्योंकि वह भेद डालती है जोड़ती नहीं ।

जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य सम्पूर्ण मनुष्य

मनुष्य-मनुष्य को जोड़नेवाली वस्तु क्या है ? यह है जितना आत्मज्ञान उतना ही विज्ञान । आज विज्ञान की बाढ़ आ रही है । जब बाढ़ आती है, तब सारे छोटे-मोटे ताल-तलेवा घोर नदी ताले डूब जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं । गीता के शब्दों में "यावानर्य उद्दाने सर्वतः सम्पुनोदने ।" ऐसी स्थिति हो जाती है । जबतक सागर दूर है तभीतक गंगा गंगा है, जमुना जमुना है । सागर में मिल जाने पर सब एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता । जब विज्ञान का प्रबण्ड प्रवाह आ रहा है तब धर्म, जाति, राष्ट्र, पण्य आदि छोटे-छोटे घेरों को कहीं तक बनाये रख सकते हैं ? विज्ञान ने विश्व को एक बना दिया है । व्यक्ति विश्व से बाहर कैसे रह सकता है । मनुष्य जो भी है, सबसे पहले वह विश्व का नागरिक है । वर्तमान में वह अपने को इससे कम मान नहीं सकता । विज्ञान के कारण विश्व-नागरिकता आज के युग की आवश्यकता हो गयी है । ज्ञानदेव ने कहा था—“विश्वधि मासो घर” (विश्व ही मेरा घर है) । उपनिषदों ने कहा—“यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्”—जहाँ विश्व एक घोंसला बनता है । हम तो अपनी शोषड़ी में ही रहनेवाले को अपना कुटुम्ब मान बैठे हैं, लेकिन वह श्रुति क्या कह रहा है ?—“वसुधैव कुटुम्बकम् ।” ये सब कोरे शब्द नहीं हैं, हमारे जीवन की स्फूर्ति के मूल स्रोत हैं । जब हम तर्पण करते हैं, जब इन सब श्रुतियों का हम स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं । तो उनकी इस भावना को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है ।

विश्व एक होता है, तो हिन्दू-हिन्दू कहीं रहेगा, हिन्दी-अंग्रेजी का झगड़ा कहीं रहेगा ? सभी तो सभी के हैं, तब मिटायें किसे ? घोर हटायें कहीं ? ये सारे भेद रहेंगे नहीं । रहेगा केवल मनुष्य । मुख्य तो मनुष्य ही है । जो भी है, सब मनुष्य के लिए है । धर्म, राष्ट्र, भाषा आदि किसोके लिए मनुष्य की बलि नहीं देनी है । भगवान भी अंगर है, तो मनुष्य के लिए है । आखिर भगवान के अस्तित्व की कसौटी क्या है ? मनुष्य ही तो, यदि मनुष्य के लिए नहीं तो भगवान भी हमें नहीं चाहिए । सारांश यह कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य अंगर कुछ है तो वह है संपूर्ण मनुष्य ।

एकत्व की स्थापना संघर्ष से असम्भव

इस प्रकार युग की माँग है एकत्व की, तो अनेकत्व में ही संतोष कैला है । काल विवश कर रहा है सारी दीवारें तोड़ने की, घोर मन छटपटा रहा है दीवार मजदूत करने को । लेकिन भाप समझ लें कि मन को यह आखिरी संदक की लड़ाई है । जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही

मानव का संकुचित मन और विज्ञान का आज का विश्व, दोनों में से एक को खाना ही होगा। आप पर निर्भर है कि कौन टिकेगा और कौन जायेगा। और यही सारे संघर्षों का मूल कारण है। काल नया है, पर मन पुराना है। इसीलिए काल की दौड़ में मन पिछड़ रहा है और इसीलिए यकावट है, मायूसी है, भ्रम प्रश्न यह है कि यह मायूसी दूर कैसे होगी? जागृति कैसे प्रायेगी?

हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वह काम द्वन्द्वजन्य संघर्ष से नहीं होगा, विद्रोह से नहीं होगा। माक्स की जो विचारसरणी है—सिद्धान्त, प्रतिसिद्धान्त और समन्वय की, उस द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद से भी नहीं होगा। क्योंकि संघर्ष का रूप आज वह नहीं रहा, जो पिछले जमाने में था। संघर्ष सर्वविनाशी बन गया है। आज का संघर्ष हार-जीत की चीज नहीं रही है, यह विश्वसक सार्व-भौम विनाशालीला है। इसलिए संघर्ष का समर्थन करनेवाला कोई विचार या आचार उस विश्वात्मभाव को जगा नहीं सकता।

संघर्ष से किमी घण्टी चीज की सम्भावना आज खत्म हो गयी है। इसलिए आज नया ही दर्शन, श्रुति और स्मृति चाहिए। कृष्ण की वह पुरानी बात कि 'तस्मात् युद्धस्यैव भारत'—क्योंकि युद्ध धर्म का रक्षण कर सकता है—आज नहीं चलेगी। आज राकेट का युग है। आज यदि कृष्ण की राह देखनी हो, तो कृष्ण को भी नया भवतार लेना होगा। युद्ध ही जब सर्वविनाशक के कारण भ्रम बन गया है, तब युद्ध से धर्म स्थापना कोई कैसे करेगा?

कृष्ण के सामने उठना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? यही कि जो जोता, वह भी रोया। शत्रु संहार करके जिसने निष्कण्टक राज्य पर आधिपत्य जमा लिया, वह भी भन्दर से असंतुष्ट ही रहा। भयानक युद्ध और एकात्मिक विजय विजेता को भन्वत समाधान नहीं दे सकी, और न कभी भी दे सकेगी।

क्योंकि विजित और विजेता के मन में कोई फर्क नहीं रहा। सबका मन वही द्वन्द्वाभिधाती मन था, संघर्षरत मन था। तब जो स्थिति थी, वही आज की भी स्थिति है। आज का मानव-मन भी द्वन्द्वों से प्रसित है, नाना भेद-मोहों से विमूढ़ है—'धर्मसमूढचेता'।

आज शिक्षकों का युग प्राया है

आज प्रावश्यकता है उसी 'भतीत' अवस्था की, मन से परे उठने की। विरोध आज का मंत्र नहीं है, आज पार करता है। मैं तोड़ता जाऊँगा, किसको-किसको तोड़वाँ जाऊँगा, एक जाऊँगा। इसलिए 'पार' कर जाना ही एकमात्र उपाय है।

हमें निश्चित समझ लेना चाहिए कि अस्त्र युग समाप्त हो चला है। आज अस्त्रों का जो उग्र रूप धोख रहा है, वह अन्तिम साँस है। समाज को शान्ति और समाधान देने में योद्धा असफल हुआ, राजकीय मुत्सद्दी भी असफल हो गया है। धर्म भी विफल हो गये हैं। अब नया युग आया है शिक्षक का। ब्राह्मणों का युग गया, क्षत्रियों का युग गया, व्यापारी, वैश्य का युग गया, और शूद्र का यानी साम्यवादी का भी युग गया। अब शिक्षक का युग आया है।

आप सब शिक्षक हैं। आप अपने को कम न भाँकें। आपकी दिक्कतें और परेशानियाँ मैं जानता हूँ। लेकिन मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। आप उस ब्रह्मर्षि के वारिस हैं, जो कह गया कि 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः।' उस महान विरासत के आप हकदार हैं। आप महान हैं, लेकिन आपको उसका भान नहीं है। आर्थिक जीवन की छोटी छोटी स्पर्धाओं में आप उलझ गये हैं।

शब्द शक्ति का विकास हो

आज की समस्या का समाधान तत्काल से नहीं होगा, धन से नहीं होगा, न कानून से होगा। भगुशक्ति ने विश्व का विचार करने का परिमाण ही बदल दिया है। उसकी एकमात्र शक्ति है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का ही धर्म है शिक्षा। आज के संनस्त समाज को सुख का मार्ग बताने की शक्ति शिक्षक में ही है।

इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए वे व्यथ नहीं गये। आप यह न कहिए कि सत पुरुष भी जी न कर सके, यह हम कैसे कर सकेंगे? वास्तव में हम जो हैं वह उही सत्तों की कृति है। सिकन्दर हो गया, मुहम्मद गजनवी हो गया, जाने ऐसे कितने कितने हो गये। लेकिन आम समाज को आज भी कोई स्मरणीय है तो वे हैं भगवान बुद्ध महावीर तुलसी बबीर, मीरा, शंकराचार्य ज्ञानदेव विवेकानन्द गांधी आदि। यह इस बात का सूचक है कि समाज पर किसका प्रभाव पड़ता है। आप उन्हीं शब्द शक्तिसम्पन्न लोक शिक्षकों के वारिस हैं। आपकी शक्ति शब्द की शक्ति है। शंकराचार्य ने सारे भारत की परिश्रमा करके चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किये। अद्वैत दर्शन की नयी शक्ति संचालित की। उनके पास कौनसी शक्ति थी? शब्द ही उनकी शक्ति थी। शब्द में ही ऐसी शक्ति है, जो मनुष्य को मन से ऊपर उठा सके, द्वन्द्व से परे ले जा सके।

आपसे निवेदन यही है कि आप अपनी शक्ति को समझ लें और समाज में नयी शक्ति भर दें।

(समस्तीपुर, बिहार : २३-२ ६८)

सोवियत संघ में शिक्षकों का प्रशिक्षण

जी० चौरसिया

शिक्षकों के अनवरत परिश्रम एवं लगन के कारण सोवियत संघ में शिक्षा को एक अनुपम स्थान प्राप्त हो गया है। हर प्रकार की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध सोवियत जीवन की एक बड़ी विशेषता है। शिशु बालक, तरुण, वयस्क एवं वृद्धों की शिक्षा के लिए नवीनतम साधन एवं सामग्री देखकर किसी भी दर्शक का मन धानद विमोर हो उठता है। अप्रैल सन् १९६७ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के नाते मुझे भी सोवियत संघ की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को देखने का अवसर मिला। मास्को, लेनिनग्राड, विलिसी, गौरी, रुस्तावी आदि स्थानों में कई शिक्षण संस्थाएँ देखी तथा शिक्षकों एवं प्राध्यापकों से वार्तालाप किया। सभी संस्थाएँ शासकीय होने के कारण एक अच्छी बात यह मालूम हुई कि इमारत, सामग्री, पुस्तकालय, श्रीढास्थल, प्रयोगशाला आदि संस्था की आवश्यकता के अनुसार समान रूप से दिये गये हैं। वास्तव में हर प्रकार की शिक्षण संस्था के लिए निश्चित मापदण्ड है और उत्तम शिक्षा के हित में उनका पूर्णतया पालन किया जाता है।

शिक्षक, प्राध्यापक एवं शिक्षा अधिकारियों से मिलकर उनके कार्य के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर उन लोगों ने दिया। रूसी भाषा का ज्ञान हमें न होने के कारण अनेक

स्थलों पर सीधा वार्तालाप हम नहीं कर सके। लेकिन कुशल दुभाषी रूसी मित्र हमारे साथ रहे और उनकी मदद से सोवियत-शिक्षा के सम्बन्ध में हम काफी जानकारी प्राप्त कर सके। जिन शिक्षको, प्राध्यापको एवं शिक्षा अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, उनकी कार्य निष्ठा, कौशल एवं ध्दम्य उत्साह से हम बहुत प्रभावित हुए। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इतने कुशल कार्यकर्ताओं के हाथ सोवियत संघ का भविष्य पूर्णतया सुरक्षित है और सोवियत-शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होती रहेगी।

प्रशिक्षण-संस्थाएँ

शिक्षक एवं शिक्षा अधिकारियों की इस प्रशंसनीय कार्यकुशलता एवं लगन के पीछे प्रशिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है। पेडागॉजिकल स्कूल में प्राथमिक शिक्षको का तथा पेडागॉजिकल इंस्टीच्यूट में माध्यमिक शिक्षको का प्रशिक्षण सोवियत संघ के हर गणतंत्र में, होता है। आवश्यकता के अनुसार हर राज्य में ये प्रशिक्षण-संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। कुशल शिक्षको के निर्माण के लिए इन संस्थाओं में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सामग्री एवं समुचित साधन प्रदान किये गये हैं। हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों में प्रशिक्षण-संस्थाओं का बड़ा हाथ है। शिक्षा की प्रगति, नये प्रयोग, नये साहित्य का निर्माण, नये मुद्दाव एवं विचार आदि में प्रशिक्षण-संस्थाएँ अग्रणी हैं। केवल शिक्षको का प्रशिक्षण इन संस्थाओं का कार्य नहीं। शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य निरन्तर इन संस्थाओं में होता है। नये प्रयोग किये जाते हैं, नयी योजनाएँ बनायी जाती हैं। सेवारत शिक्षको को नयी गतिविधियों से परिचित कराने के लिए पत्राचार, साप्ताहिक तथा द्दीर्घकालीन अध्ययन की समुचित व्यवस्था है।

अध्यापक की दिनचर्या

नये साहित्य के निर्माण में प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक निरन्तर जुटे रहते हैं। पाठ्यक्रम, पाठन-विधि, मनोविज्ञान, परीक्षा प्रणाली, धाला प्रबन्ध, आदि के विशेषज्ञ नये अन्वेषणों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों, पठन पाठन सामग्री आदि तैयार करते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि सोवियत संघ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें प्रशिक्षण संस्थाएँ शामिल हैं, प्रत्येक अध्यापक लगभग ६ घण्टे प्रतिदिन संस्था में कार्य करता है। लगभग तीन घण्टे प्रतिदिन अध्ययन में, जिसमें प्रयोगशाला, कार्यशाला का व्यावहारिक कार्य शामिल है तथा तीन घण्टे प्रतिदिन अनुसंधान, नये साहित्य का निर्माण, स्वाध्याय

भादि में व्यक्त करती है। राष्ट्रीय स्तर पर मास्को में 'एकेडेमी भाव पेडा-गाजिकल साइन्स' एक विख्यात संस्था है। इसमें कई प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं और सोवियत संघ के प्रत्येक गणतंत्र से निकट सम्पर्क रखते हैं। इसी संस्था के कार्य से प्रभावित होकर भारत में सन् १९६१ में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना हुई थी। 'एकेडेमी भाव पेडागाजिकल साइन्स' में ६५० विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इस समय वे १५०० नयी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से ५०० योजनाएँ सोवियत संघ के विभिन्न गणतंत्रों में चल रही हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विकास के लिए नयी दिशा देना। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन, विशेषज्ञों की बैठकें, सलाहकार-समितियों का निर्माण, साहित्य-प्रकाशन भादि कार्य इस 'एकेडेमी' द्वारा किये जाते हैं।

सोवियत-शिक्षा के प्रमुख लक्षण

सोवियत संघ में प्रशिक्षण-संस्थाओं को अग्रगण्य स्थान प्राप्त हुआ है तथा शिक्षा शास्त्रियों को शिक्षा की हर गतिविधि में प्रमुख स्थान मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशिक्षण-संस्थाएँ अपनी अलग दुनिया न बनाकर राष्ट्रीय जीवन की हर गतिविधि से सीधा सम्बन्ध रखती हैं प्रशिक्षण शास्त्री स्वयं-जगत में चैन को बाँसुरी नहीं बजाते। सभी प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं से उनका निकट सम्पर्क है। उनके विकास में, उनकी समस्याओं के हल में, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में हर प्रकार सहायता देना प्रशिक्षण-संस्थाओं का कार्य है। इसीलिए इन संस्थाओं को शिक्षक-समुदाय ज्ञान एवं प्रेरणा का केन्द्र मानता है।

प्रशिक्षण-संस्थाओं के इस अनुपम स्थान को समझने के लिए हमें सोवियत-शिक्षा के प्रमुख लक्षण समझना आवश्यक है। जिस तरह जन-जीवन और प्रशिक्षण-संस्थाओं के बीच कोई खाई नहीं है, उसी प्रकार शिक्षा और राष्ट्रीय जीवन में भी कोई खाई नहीं है। जन जीवन एवं राष्ट्रीय जीवन का अविभाज्य भाग है शिक्षा। शिक्षा की अद्भुत शक्ति पर जन-साधारण की अटूट विश्वास है। सोवियत संघ में नेता, अधिकारी एवं नागरिक यह अछूती तरह समझ गये हैं कि शिक्षा स्वर्ण-कुञ्जी की तरह है, जिससे राष्ट्रीय उन्नति का प्रत्येक द्वार खुलता है। शिक्षा द्वारा जन-जीवन सुखी एवं प्रशस्त होता है, राष्ट्र सबल होता है। अतएव राष्ट्र के कर्णधार सतत प्रयास करते हैं कि शिक्षा के लिए आवश्यक निधि उपदान, पाठ्य-सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अभ्यास, साज-सज्जा और कुशल शिक्षक प्रदान किये जायें।

उत्पादन और शिक्षा साथ-साथ

यदि धाप यह जानना चाहें कि सोवियत-शिक्षा की अद्वितीय सफलता का रहस्य क्या है, तो मैं यह कहूँगा कि वह है उत्पादन एवं शिक्षा का परिणय तथा सुखी दाम्पत्य जीवन। इस सुखी दाम्पत्य जीवन का अद्भुत परिणाम है उत्पादन का बाहुल्य। जीवन के हर क्षेत्र में उत्पादन का बाहुल्य उच्च जीवन-स्तर, जन-साधारण के लिए सुखी जीवन, सबल राष्ट्र, यह सब शिक्षा और उत्पादन के संयोग का परिणाम है। मेरे विचार से सोवियत-शिक्षा का यह सबसे प्रमुख लक्षण है। कोठारी शिक्षा-कमीशन ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए जो सुझाव दिये हैं, उनमें इसी बात पर अधिक बल दिया गया है कि शिक्षा और उत्पादन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाय। वर्तमान भारत की सबसे विकट समस्या है उत्पादन में वृद्धि करना। खाद्य-सामग्री के उत्पादन में वृद्धि तो अब हमारे राष्ट्र के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है और सारी शक्ति लगाकर हमें यह कार्य करना है। अन्य क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि भी राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सोवियत संघ का उदाहरण भारत के लिए बड़ा उपयोगी और सामयिक है। हमारे शिक्षा-विचारद सोवियत-शिक्षा का अध्ययन कर यह समझ लें कि शिक्षा और उत्पादन का सुन्दर सम्बन्ध कैसे जोड़ा जाय तो भारतीय शिक्षा को नवीन दिशा मिलेगी।

शिक्षण की पत्राचार-प्रणाली

सोवियत-शिक्षा का सबसे अद्भुत एवं प्रशंसनीय लक्षण पत्राचार-प्रणाली, सायंकालीन अध्ययन तथा प्रीम्नकालीन अध्ययन है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में १४० प्रकार के विशेषज्ञ तैयार किये जाते हैं। इनमें से २७० विशेषताओं का अध्ययन सायंकालीन अथवा पत्र-प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में लगभग एक-तिहाई विद्यार्थी सायंकालीन अध्ययन द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक-तिहाई विद्यार्थी पत्राचार-प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, और शेष एक-तिहाई विद्यार्थी दिन में अध्ययन कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सायंकालीन अथवा पत्र-प्रणाली द्वारा शिक्षा किसी प्रकार हीन नहीं मानी जाती। वास्तव में उत्पादन और अध्ययन के संयोग की कुंजी सायंकालीन अथवा पत्र-प्रणाली की शिक्षा है। दिन में अपना काम करते हुए लोग सायंकालीन अध्ययन द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अपना काम करते हुए पत्र-प्रणाली द्वारा अथवा प्रीम्नकालीन अध्ययन द्वारा उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली के दो बड़े लाभ हैं :

(घ) उत्पादन-कार्य में कमी या बाधा नहीं होती, क्योंकि अध्ययन एवं कार्य साथ साथ चलते हैं ।

(आ) इस प्रणाली से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसकी श्रमिट छाप मेरे हृदय पर है । इस प्रणाली के तीन भद्रमूक्त शैक्षणिक लाभ हैं, जिनकी जानकारी से भारतीय शिक्षा विद्यार्थियों को नयी प्रेरणा मिल सकती है :

(१) शिक्षा की मात्र सज्जा, उत्पादन, पुस्तकालय, संग्रहालय, मदन आदि का निरन्तर उपयोग । सायकलीन एवं ग्रीष्मकालीन अध्ययन तथा पत्राचार-प्रणाली की शिक्षा देने के लिए नयी सस्थाओं का निर्माण नहीं करना पड़ता । शिक्षा की जो सस्थाएँ सोवियत सभ में हैं, उनमें दिन में एक प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं और उन्ही सस्थाओं में पत्राचार और ग्रीष्मकालीन अध्ययन द्वारा तीसरे प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । इस प्रकार शिक्षण-सस्थाओं का पूर्णरूपेण उपयोग शिक्षा में होता है । शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए अनिवार्य है कि हमारी सस्थाओं का उपयोग केवल १० बजे से ५ बजे तक न होकर जितना अधिक हो सकता है, उतना किया जाय ।

(२) इस प्रणाली द्वारा जो शिक्षा, कौशल अन्तर्दृष्टि, काय के नये ढंग मिलते हैं, वे अद्वितीय हैं क्योंकि काय और शिक्षा एकसाथ चलने से शिक्षा अधिक बलवती और उपयोगी होती है । शिक्षा का प्रभाव भी अधिक स्थायी होता है । काम की जो नये ढंग शिक्षण-सस्थाओं में सिखाये जाते हैं, उन्हें दूसरे दिन अपने काय में व्यवहार-रूप में लाने का भवसर विद्यार्थी को मिलता है । इसलिए नये ढंग से सीखने की प्रेरणा बढ़ती है और विद्यार्थी में आत्म-विश्वास जागृत होता है ।

(३) शिक्षा में सबसे बड़ा और कठिन प्रश्न है—विद्यार्थी को प्रेरणा और प्रोत्साहन देना, ताकि वह शिक्षा का पूरा लाभ उठा सके । कार्य और अध्ययन साथ-साथ चलने पर यह जटिल प्रश्न उठता ही नहीं है । विद्यार्थी दिन में कार्य करते हैं और सायकलीन अध्ययन । वह जानते हैं कि उनका उज्ज्वल भविष्य अध्ययन पर निर्भर है । साथ ही सायकलीन अध्ययन का सीधा सम्बन्ध उसके दिन भर के कार्य से होता है । सायकलीन अथवा पत्र प्रणाली के अध्ययन में जो व्यावहारिक कार्य शिक्षण-सस्थाओं में कराया जाता है, उनका सम्बन्ध विद्यार्थी के दैनिक कार्य से रहना है । शिक्षा पूर्ण होते ही उसे पदोन्नति एवं वेतन में उन्नति भवने का मिल जाती है । ('नया शिक्षण' से सामार)

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति और राष्ट्र-विकास का संकल्प बोध

सुरेश भटनागर

भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों की खुशहाली कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। वास्तविकता यही है कि हम स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से ही राष्ट्र निर्माण के पावन संकल्प को बप में दो बार दोहराते रहे हैं। परंतु संकल्प बोध की अभिप्राप्ति किस प्रकार होगी, इस पर हमारा ध्यान उस समय गया जब एक पीढ़ी जवान हो गयी और उस कस मसाती जवान पीढ़ी को हम दिशा-बोध नहीं दे सके।

भाज का युग प्रगति का युग है। प्रगति का आधार है भौतिक साधनों का विकास तथा मानव मूल्यों की अभिवृद्धि। मानव को मूल्यों की अभिप्राप्ति आध्यात्मिक शक्ति से होती है। अतः स्वातंत्र्योत्तर भारत की भौतिक अभिवृद्धि हुई है तो आध्यात्मिक तथा नैतिक गुणों का हास हुआ है यह तथ्य भी उतना ही बटु है।

शिक्षा परिवर्तन का साधन

विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान पर आधारित इस युग में क्रान्ति के तीन आधार रहे हैं—मंत्र तंत्र और अस्त्र। भाज तंत्र तथा अस्त्र सामाजिक परिवर्तन को भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मंत्र अर्थात् शिक्षा भाज अहितक श्रान्ति को जबरदस्त प्रक्रिया है। शिक्षा में श्रान्ति की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा अत्यन्त विहित सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक श्रान्ति होगी। स्पष्ट है—शिक्षा क्रान्ति का माध्यम है और क्रान्ति का माध्यम चूँकि दोषपूर्ण है इसलिए साधन की शुद्धि आवश्यक है। साधन शुद्धि के इस अभियान में हमें इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा १

१ शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन पृष्ठ १।१ १

२ शिक्षा आयोग पृष्ठ ६।१ १७

३ शिक्षा-आयोग : पृष्ठ ६।१ १७

- (१) भ्रान्तरिक रूपांतरण पर, ताकि शिक्षा का सम्बन्ध राष्ट्र-जीवन, उसकी आवश्यकता तथा भाकासा से जुड़ सके ।
- (२) गुणात्मक सुधार पर, ताकि प्राप्त मानक (स्टैंडर्ड) समुचित हो, वे सदा बढ़ते रहें तथा कम-से-कम कुछ क्षेत्रों में तो उनकी घन्तर-राष्ट्रीय तुलना हो सके ।
- (३) शिक्षा सम्बन्धी मुविषाओं के विस्तार पर, जिसका आधार मोटे तौर पर जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताएँ होनी चाहिए, जिससे शिक्षा-सम्बन्धी भवसरो को सबके समान बनाया जा सके ।
- (४) शिक्षा का सम्बन्ध उत्पादकता से जोड़ने पर ।
- (५) सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने पर, जिससे सरकार सच्चे अर्थ में लोकतंत्र को तथा उसे एक जीवनशैली के रूप में निखारने में देश की मदद करे
- (६) प्राथुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाने पर ।
- (७) सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देकर चरित्र का निर्माण करने पर ।

राष्ट्र-विकास का संकल्प बोध कैसे हो ? किस प्रकार नवीन उद्भावनाओं को जनजीवन की छुट्टहाली तथा प्रगति के सन्दर्भ में कार्यान्वित किया जाय ? कौन कौनसी बाधाएँ हमारे मार्ग में हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? ये हैं कुछ विचार बिन्दु, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में विचारणीय हैं ।

संकल्प-बोध और बाधाएँ

हमारे समझ पहली समस्या है जनसंख्या की । विद्यमान जनसंख्या लगभग ५० करोड़ है । आगामी २० वर्षों में यह लगभग २५ करोड़ और बढ़ेगी । आजकल ५ लाख विद्यालय, ७ करोड़ विद्यार्थी और २० लाख अध्यापक शिक्षा के प्रसार में लगे हैं । आनेवाले वर्षों में अध्यापकों तथा विद्यालयों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी । प्रश्न केवल विद्यालयों के बनाने, छात्रों और अध्यापकों के बढ़ने का ही नहीं है, उनके लिए भोजन भी चाहिए । हम खाद्यान्न के मामले में कितने आत्मनिर्भर हैं, यह रहस्य किसीसे छिपा नहीं है । इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का प्रश्न है, सन् १९५०-५१ में प्रति व्यक्ति २६५ ५ रु० वार्षिक थी और यह सन् १९६४-६५ में ३४८ ५ रु० हो गयी, परन्तु न्यूनतम आय आज भी १२० रु० वार्षिक है ।

इसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीयकरण की समस्या भी विकट है। पढ़-लिखकर व्यक्ति किसी और ही रंगत में रंगा जाता है। "चूँकि शिक्षा की जड़ें लोगों की सांस्कृतिक परम्पराओं में नहीं हैं, इसलिए शिक्षित व्यक्तियों की प्रवृत्ति अपनी ही संस्कृति से दूर होते जाने की ओर हो रही है।"^४

हम विश्व के नवीन राष्ट्र हैं और हमारी बुनियाद लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है और प्रायः स्वार्थों के कारण विशृङ्खलित हो गया है। हमारा प्रमुख कार्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। स्वतंत्रता की रक्षा करना एवं जनमानस को जागृत करना है। सच यह है कि भीतिकता को अध्यात्म के माध्यम से स्वीकार करना है। विज्ञान तथा अध्यात्म का समन्वय करना है।

हमारे समक्ष शिक्षा का जो स्वरूप विद्यमान है, उसे किसी भी उन्नत तथा प्रगतिशील कहलानेवाले देश की शिक्षा का मानचित्र नहीं कहा जा सकता। पढ़ना-लिखना तो हमने कुछ को सिखाये, पर चरित्र तथा नैतिकता के मानदण्ड बदलते गये। परिणामतः ज्ञान का विस्फोट हुआ, परन्तु बदलती नैतिक मान्यताओं ने नवीन ज्ञान को अनैतिक आस्था के सन्दर्भ में स्वीकार किया। सत्ता, शासक, जनता और जनमानस के निर्माताओं का संघर्ष जारी रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने आदर्शों से दूर होते गये।

संकल्प-बोध कैसे ?

संकल्प दोहराने से ही कुछ नहीं होता, संकल्प का यथार्थ बोध होना आवश्यक है। यथार्थ बोध का माध्यम है शिक्षा, जो अहिंसक क्रान्ति एवं सामाजिक परिवर्तन की जबरदस्त प्रक्रिया है, शिक्षा में क्रान्ति हो तो शिक्षा भी क्रान्ति करेगी। ज्ञान के विस्फोट से सामाजिक परिवर्तन होगा और प्राधुनिकीकरण के समन्वय से राष्ट्रविकास का दिशा और संभावनाएँ मुखरित होंगी। मायोग ने इसीलिए कहा है—'प्राधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान और शिल्प-विज्ञान पर आधारित शिक्षा है।'^५

राष्ट्र-विकास के संकल्प-बोध के लिए आवश्यक है कि सामाजिक और

४. शिक्षा आयोग : ११२.०७

५. शिक्षा आयोग : ४१२.११

६. शिक्षा-आयोग : २५१२.४३

राष्ट्रीय एकीकरण हो। सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इन तथ्यों की आवश्यकता है :

- (१) राष्ट्र के भविष्य में आस्था;
- (२) लोगों के रहन सहन के स्तर में निरन्तर वृद्धि और बेकारी तथा देश के उन विभिन्न भागों के विकास में असमानता में कमी की, क्योंकि ये सभी बातें राजनीतिक, प्राथमिक और सामाजिक अर्थों में भ्रष्टाचार की समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।
- (३) नागरिकता के मूल्यों और दायित्वों की एक गंभीर भावना की तथा लोगों में सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति बढ़ते हुए निष्ठापूर्ण सादात्म्य की;
- (४) सरकारी सेनाओं की आरिष्टिक दृढ़ता पर आधारित अन्धे और निष्पक्ष प्रशासन तथा केवल कानून की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु वास्तविक रूप से समान व्यवहार के आश्वासन की,
- (५) राष्ट्र के विभिन्न वर्गों की संस्कृति, परम्पराओं तथा जीवन-प्रकार के लिए आपसी सद्भावना और सम्मान की।

ये विचार-विन्दु इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली का पुनर्मुल्यांकन करना होगा। यदि हम उनका पुनर्मुल्यांकन नहीं कर पाते तो हम राष्ट्रीय शिक्षा-नीति को स्वीकार कर सकेंगे, यह संभव नहीं है। अतः मायोग^७ ने स्पष्ट कहा है

- (१) राष्ट्रीय विकास के समग्र कार्यक्रम में शिक्षा की भूमिका का हम फिर से मूल्यांकन करें।
- (२) यदि शिक्षा को अपनी भूमिका निभानी है तो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में जो परिवर्तन आवश्यक हैं, उन्हें हम पहचानें और उनके आधार पर शिक्षा के विकास-कार्यक्रम तैयार करें।
- (३) इस कार्यक्रम को दृढ़ सकल्प तथा शक्ति के साथ प्रयत्न में लायें।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद के वर्षों में सन् १९६८ का वर्ष महान उपलब्धियों का वर्ष है। उपलब्धियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की घोषणा महान तप है।

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का आधार रहा है : "शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि इनको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाय और

इस प्रकार इसको सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाय, जो राष्ट्रीय सभ्यता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।'

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के प्रमुख बिन्दु ये रहे हैं

- (१) सविधान के ४५ वें अनुच्छेद के अनुसार १४ वर्षों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना,
- (२) अध्यापकों की स्थिति, वेतन और प्रशिक्षण एवं सेवा-सम्बन्धी बातें उचित एवं संतोषजनक होनी चाहिए,
- (३) भाषाओं के विकास के लिए ये कार्यक्रम हों .
 - (क) क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य का विकास हो। इन्हें विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।
 - (ख) राज्य-सरकारें त्रिभाषा सूत्र का पालन करें।
 - (ग) हिंदी के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न हो।
 - (घ) सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत की शिक्षा का बड़े पैमाने पर दी जाने का प्रबन्ध किया जाय।
 - (च) अन्तरराष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया जाय।
- (४) शिक्षा प्राप्ति का अवसर सबको समान रूप से मिल सके, इसलिए अनवरत रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। इनमें भर्तों का आधार योग्यता हो बालिकाओं तथा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असम बालकों की शिक्षा की नियमित व्यवस्था हो।
- (५) विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील प्रतिभाओं को परखा जाय।
- (६) कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा का शिक्षा का प्रभिन्न भ्रग बनाया जाय।
- (७) वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध को प्रोत्साहन मिले।
- (८) कृषि तथा उद्योगों की शिक्षा पर बल दिया जाय। प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हो। उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाय।
- (९) विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तम पुस्तकों का निर्माण कराया जाय।
- (१०) परीक्षाओं को अधिकाधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बनाया जाय।
- (११) माध्यमिक शिक्षा का विस्तार सामाजिक परिवर्तन हेतु किया जाय। इस दृष्टि से प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की मुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए।

(१२) उच्च शिक्षा के विकास के लिए छात्रों तथा अध्यापकों के अनुपात, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त धन-राशि, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा दोष की सुविधाएँ, उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा स्थापना पर बल देना चाहिए।

(१३) प्रशासनिक तथा पत्राचारी शिक्षा की व्यवस्था समाज के सभी वर्गों को मिलनी चाहिए।

(१४) निरक्षरता को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम लिये जायें।

(१५) खेल और क्रीडा का विकास बड़े पैमाने पर इस उद्देश्य से किया जाय कि सामान्य रूप से सभी छात्रों की, और विशेष रूप से उनकी जो इस क्षेत्र में वैशिष्ट्य प्राप्त कर चुके हैं, शारीरिक क्षमता और कार्यकुशलता बढ़े और उनमें क्रीडा तथा तत्सम्बन्धी निपुणता प्राये।

(१६) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का ही भरपूर प्रयत्न नहीं होना चाहिए, वरन् शिक्षा-सम्बन्धी उनके हितों के सर्वार्थन का भी प्रयत्न हो।

(१७) देश के सभी भागों के लिए एकरूप शैक्षणिक ढाँचा रखना अधिक लाभकर होगा। अन्तिम उद्दिष्ट यह होना चाहिए कि सारे देश में १० + २ + ३ वर्ष का ढाँचा रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के ये विचार-बिन्दु अपने में स्वयं महान कार्यक्रम हैं और ये कार्यक्रम यदि कागज पर ही रह जाते हैं तो राष्ट्र विकास हो जायेगा, इसमें सन्देह है। शिक्षा स्वयं में क्रान्ति है और इस क्रान्ति की मराल को सुकने न दिया जाय, इसके लिए सत्ता हो नहीं, जनता का भा आहुति देनी होगी। यह आहुति धन, मन तथा धन से देनी होगी। परन्तु कैसे ?

क्या यह क्रान्ति अध्यापकों की उपेक्षा से होगी ? क्या यह राष्ट्र विकास की भेदपूर्ण नीति से होगी ? 'प्रिविलेज्ड क्लास' को मान्यता देने से क्या राष्ट्र का प्रत्येक बालक राष्ट्र विकास में योग दे सकेगा ? आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिनके सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का मूल्यांकन होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की पहली सफलता है अध्यापकों का अस्तित्व-बोध के लिए संघर्ष होना। कागजी महलों में जीनेवाले हम राष्ट्रवादी कयनी तथा करनो के अन्तर को भाषा मानकर राष्ट्र का संचालन करते रहे हैं। बढ़ता छात्र-असनोप इस बात का चोकर है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जो छात्रों को दिशा-बोध नहीं दे रही है। भाषा-नीति पर विवाद चल ही

रहा है, सामान्य (कामन) स्कूलों की सुविधा जनसामान्य को मिल नहीं सकती, अध्यापकों को प्रतिष्ठा मिलना स्वप्न है, अनुसन्धान करानेवालों में छोटी वृत्ति (स्लाब मेण्टेलिटी) रहेगी ही, तो फिर कैसे उसका क्रियान्वयन होगा ? जब क्रियान्वयन होगा नहीं, तो फिर कागजों पर छपी शिक्षा-नीति पुरालेख-समूहालय (भार्काइव) की घोभा ही बढायेगी ।

तो क्या हो ?

एक विकसनशील राष्ट्र यदि देर से जागा है तो ठीक ही है, संतोष यह है कि वह जाग तो गया है । राष्ट्र-विकास के लिए हमारी राय में शिक्षा-नीति का पुनर्मुल्यांकन करते समय इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए ।

- (१) राष्ट्र की शिक्षा पर लगभग ८० प्रतिशत व्यय करना पड़ता है । २० प्रतिशत के लिए शिक्षा-संचालन का दायित्व समुदाय को निभाना पड़ता है । अतः प्राथमिक रूप से शिक्षा का भार राष्ट्र को ही निभाना चाहिए ।
- (२) शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाय ।
- (३) प्रशासनिक तंत्र में सीहार्द का वातावरण उत्पन्न हो और भ्रष्ट-राही समाप्त हो तथा कार्यकर्तापन विकसित हो ।
- (४) राजनीति की शिक्षण-सस्याप्तो से दूर रखा जाय ।
- (५) राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के क्रियान्वयन के लिए सदैव सचेत रहे और उसका लक्ष्य राष्ट्र का सर्वाङ्गीण विकास बनायें ।

राज्य सरकारें शिक्षा को लेकर मनमाने अशोभनीय निर्णय लेती रही हैं । इससे विलगता तथा विघटन विकसित हुआ है । क्या राष्ट्र की एकता के निर्माण के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता ? इस पहलु पर विधायकों, जनता तथा शासन को विचार करना चाहिए । •

जो ज्ञान मस्तिष्क तक ही सीमित रहता है, हृदय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, वह जीवन के सकटपूर्ण अनुभव के क्षणों में किसी काम का नहीं होता ।
—महात्मा गांधी

भारत में शैक्षणिक आयोजन

युवेशचन्द्र शर्मा

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को, आज के नित प्रति बदल रहे सप्तर के सन्दर्भ में, सम्पूर्णतः पुनर्गठित करना पड़ेगा और इस प्रणाली को उपयोगिता एवम् वास्तविकता की आधारशिला पर आधारित करना होगा। शिक्षा-आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में सुझाया है। "शिक्षा, राष्ट्रीय विकास तथा समृद्धि में सीधा सम्पर्क...तभी संघता है जब गुणवत्ता तथा परिमाण, दोनों ही दृष्टियों से शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का पुनर्गठन किया जाय।...वास्तव में शिक्षा-क्षेत्र में एक ऐसी क्रान्ति की आवश्यकता है, जो बहुत इच्छित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रान्ति को गतिमान कर दे।" ऐसी क्रान्ति एक सुपरिभाषित, निर्भीक एवम् विचारपूर्ण नीति तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी लोगों द्वारा संकल्प और उत्साहपूर्वक उसके कार्यान्वयन द्वारा लायी जा सकती है।

राजनीतिक स्वाधीनता हमने इक्कीस बर्य पहले ही प्राप्त कर ली थी, परन्तु आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापन का स्वाद हमें अभी तक चखने को नहीं मिला, जिसके लिए हम यह मान बैठे हैं कि वह राजनीतिक स्वतन्त्रता के उपरान्त अपने भाग हो जायेगा। हमने अपने लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र, समाजवाद

तथा धर्म निरपेक्षता की नीति को भादर्श रूप में अपनाया है। इन भादर्शों तक पहुँचने के लिए अधिक गहरी सूक्ष्म वृत्त, व्यापक जानकारी और उच्च सांस्कृतिक स्तरों की स्वाभाविक रूप से आवश्यकता होगी। और ऐसी स्थिति केवल एक अच्छी शिक्षा प्रणाली द्वारा ही आ सकती है। शासन को एक औपचारिक लोक-साथिक प्रणाली अपनाना सुगम है, परन्तु यदि हमने लोकतंत्र के भादर्श को एक जीवन-चर्या के रूप में चुना है तो इसकी प्रतिष्ठा जागरूक तथा चिन्तित निर्वाचक समुदाय में करनी आवश्यक होगी। इसी दृष्टि से प्रेरणा लेकर हमारे संविधान ने एक निर्देश दिया था कि राज्य को १४ वर्ष तक की आयुवाले सभी बच्चों को सन् १९६० तक अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इस सांविधिक निर्देश द्वारा निर्धारित लक्ष्य से हम अभी भी बहुत दूर हैं। सन् १९६१ में जब कि साक्षरता प्रातिशत्य सन् १९५१ के १७ प्रतिशत से बढ़कर केवल २४ तक गया था, हम अल्पि में निरक्षरों की संख्या भी जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ी, जो कि २६ करोड़ ८० लाख से बढ़कर ३२ करोड़ ४० लाख हो गयी। अब ऐसी आशा की जाने लगी है कि १४ वर्ष तक के बच्चों के निशुल्क सार्वजनिक शिक्षण का प्रावधान सन् १९८१ के पहले सम्भव न हो सकेगा।

पुनर्गठन की आवश्यकता

लगभग सभी विचारवान लोगों द्वारा इस बात पर बारम्बार जोर दिया जा चुका है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली, जिसकी रूपरेखा भारत में शासन कर रही साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनायी और विकसित की गयी थी, का तुरन्त सम्पूर्णतः पुनर्गठन करने और स्वास्थ्योत्तर भारत के परिवर्तित सन्दर्भ में तथा ससार में हुई प्राविधिक क्रान्ति के सन्दर्भ में इसे सोद्देश्य एवम् वास्तविक बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि शिक्षा-प्रामोग ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है परम्पराभारित भारतीय समाज को एक सुविकसित आधुनिक समाज, जो कि अपने सदस्यों को समुचित जीवन-स्तर सुलभ कर सके, में परिवर्तित करना केवल एक ही साधन से सम्भव हो सकता है और वह साधन है, शिक्षा। उसमें कहा गया है, "विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी पर आधारित ससार में लोगों की समृद्धि, उनका कल्याण एवम् उनकी सुरक्षा का स्तर शिक्षा ही निर्धारित करती है। यदि राष्ट्रीय विकास की गति में तीव्रता लानी है तो एक सुपरिभाषित, निर्भीक एवम् विचारपूर्ण नीति अपनाने तथा शिक्षा को जीवन्त बनाने, सुधारने तथा विस्तृत करने के लिए उस नीति का सकल्प एवम् उत्तमदृष्टपूर्वक कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।" इसमें

भागे कहा गया है, "शिक्षा, राष्ट्रीय विकास एवम् समृद्धि का यह सीधा सम्पर्क, जिस पर हमने जोर दिया है तथा जो कि, हमारा पूर्ण विश्वास है, तभी समर्थ है, जब कि शिक्षा को राष्ट्रीय प्रणाली गुणवत्ता तथा परिमाण, दोनों ही दृष्टियों से अच्छी तरह संगठित की जाय। अतः शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी प्रान्ति की आवश्यकता है, जो कि हमारी अभीष्ट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रान्ति को प्रतिमान कर दे।"

अपर्याप्त व्यय

अनेक संगठनों ने इससे पहले शिक्षा में तेजी से परिवर्तन लाने तथा उसे विकसित करने का अनुरोध किया था। घेर समिति ने अनुयाया की थी कि भारत सरकार को अपने राजस्व का १० प्रतिशत धन शिक्षा पर व्यय करना चाहिए तथा राज्यों को अपने राजस्व का २० प्रतिशत धन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। दुर्भाग्यवश गत दो दशान्दियों की अवधि में शिक्षा पर किये जानेवाले व्यय में बहुविध वृद्धि होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए किया जानेवाला प्रावधान ३ प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ता और तीनों योजनाओं की कुल अवधि में राज्य योजनाओं के कुल परिव्यय का केवल १० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। अतिरिक्त धाँकड़े इस प्रकार हैं सन् १९६५ में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय भारत में केवल १२ रुपये था, जब कि उस समय जापान में प्रति व्यक्ति २४४ रुपये, सोवियत संघ में ३७८ रुपये, इंग्लैंड में ५३५ रुपये तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में १,१७५ रुपये व्यय किया जाता था। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्त्व को व्यापक महत्त्व मिलने पर भी उसे दी गयी वास्तविक प्राथमिकता अत्यन्त न्यून एवम् चिन्तनीय है। इससे भी अधिक श्रेयजनक तथ्य यह है कि शिक्षा पर जो कुछ भी धन व्यय किया जा रहा है वह सही दिशा में तथा उचित रीति से नहीं व्यय किया जा रहा है, ताकि भारतीय दशकों में सही मूल्यों की स्थापना की जा सके। शिक्षा-साधन का सुविधा-संपन्न लोग प्रायः अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि सुविधा संपन्न और विपन्न जनता के बीच की साईं घोर गहरी होती जाती है। अब सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवम् आवश्यक बात यह है कि हमारी शिक्षा के पुनर्गठन के प्रश्न को प्रायोजन में न केवल कागजों में, अपितु व्यवहारतः सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय।

प्रायोजन की कमजोरियाँ

यह प्रायोजन युग है। विकासशील देशों में जहाँ जहाँ साधन स्रोतों का अभाव है तथा उद्योग की अक्रिय प्रवृत्ति कोसे दूर है, प्रायोजन का महत्त्व

शिक्षा सहित जीवन के गनी दोषों में और अधिक तथा भ्रंशक, बढ़ जाता है, ताकि उपलब्ध साधन स्रोतों का अधिकतम उपयोग करते हुए अभीष्ट सामाजिक एवम् आर्थिक लक्ष्यों को यथासम्भव न्यूनतम समय में प्राप्त किया जा सके। भारत में शैक्षणिक आयोजन का शुभारम्भ प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होने के साथ-साथ हुआ, जब कि शिक्षा-योजना को सम्पूर्ण आयोजन का अभिभाग बना दिया गया और तभी से यही प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। हमारे देश में शैक्षणिक आयोजन की कहानी लगभग सामान्य आयोजन जैसी ही है— विशेष करके गुणवत्ता के दृष्टिकोण से। परिणामस्वरूप शैक्षणिक आयोजन की उपलब्धियाँ और कमियाँ भी काफी हद तक लगभग वैसे ही हैं, जैसी कि अन्य सारी योजनाओं में हैं। शिक्षा-सुविधाओं में समी स्तरों पर उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसमें शिक्षा के अनुगामी उच्चतर स्तरों में विस्तार की मात्रा अधिक रही है। व्यावसायिक शिक्षण तथा विज्ञान-क्षेत्रीय शिक्षण को अधिक सबन बनाया गया है और इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर भी सामान्यतः ऊँचा उठा है। व्यावसायिक (शिल्प-यंत्र, तन्त्रादि) शिक्षण के क्षेत्र में भी शिक्षा ही जाने लगी है, परन्तु जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत समी अन्य कार्यक्रमों के मामले में होता है, दुर्भाग्यवश शिक्षण कार्यक्रम भी व्ययानुसूची है और शिक्षा-योजन में राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सकेन्द्रण पाया गया है। कोई दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं रहा, जो कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के लिए अत्यावश्यक है। पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रमुख कमजोरी यह थी कि कार्यन्वयन स्तर पर मानवीय कमजोरियों के कारण कार्यक्रमों में असफलता ही हाथ लगती थी। इन सभी कमजोरियों ने स्वाभाविक तौर पर शिक्षा में गुण-सम्बन्धी सुधारों के यह अभीप्सित उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत व्यवधान डाला, जिसके लिए अध्यापकों तथा प्रशासकों को धन की अपेक्षा रचनात्मक चिन्तन पर जोर देना आवश्यक है।

शिक्षा-आयोग

भारतीय शिक्षण के इतिहास में शिक्षा-आयोग की नियुक्ति, सम्पूर्ण भारतीय शिक्षण प्रणाली की व्यापक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा प्रस्तुत करनेवाले सर्वप्रथम सगठन की दृष्टि से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि अपने विभिन्न क्षेत्रों के सांविधिक दायित्वों को सख्ठी तरह पूरा करना है तो सम्पूर्ण भारतीय शिक्षण-पद्धति की ही पुनर्रचना की जानी चाहिए। शिक्षा-प्रणाली को जीवन की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय महत्वा-

कांक्षाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर शिक्षा-आयोग द्वारा दिया गया और भी बड़े महत्त्व का है। 'एजुकेशन इन दी फोर्थ प्लान,'* जिसमें श्री जे० पी० नार्डक द्वारा हाल में दिये गये तीन भाषण संकलित हैं, शिक्षा-आयोग में उपाय-गम के तत्त्वों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों को सार-रूप में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है।

गुण-सम्बन्धी सुधार

श्री नार्डक ने शिक्षा में गुण-विषयक सुधारों के कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया है, जिसे श्री गाडगिल ने शिक्षकों एवम् विद्वानों के गुण-सम्बन्धी प्रयासों के लिए अनिवार्य बताया है और जिसमें अधिक भाषिक लागत अपेक्षित नहीं है। हमारे जैसे विपन्न देश में इसका विशेष औचित्य है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अनेक ऐसे पहलू हैं, जिन पर शिक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों में से खर्च करना आवश्यक होता है और इस तथ्य की दृष्टि से भी कि गत कुछ वर्षों में कुल मिलाकर शिक्षा का स्तर गिरता ही गया है। शिक्षा की राष्ट्रीय एवम् राज्तीय योजनाएँ बनाने समय जिला और संस्था-स्तरीय योजनाएँ बनाने का सुझाव समयानुकूल है, क्योंकि किसी भी ऐसे आयोजन, जो कि नीचे से आरम्भ नहीं किया जाता, के सफल होने की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं तथा इस विचार को सम्बन्धित लोगों में से अधिकांश का समर्थन भी प्राप्त है।

राष्ट्रीय स्तर पर केवल नीति-निर्धारण, समन्वय तथा उच्च शिक्षण के पर्य-वेक्षण का ही कार्य उचित है, जब कि राज्य-स्तर पर प्रथमिक तथा माध्य-मिक शिक्षण, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आदि सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। नेतृत्व, उपक्रम तथा कार्यान्वयन का भार जिला-प्रशासन तथा व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देने से रचनात्मक चिन्तन की वृद्धि, वास्तविकता पर आधारित कार्यान्वयन तथा लोक-समर्थन के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण सफलता मिलेगी। श्री नार्डक ने ठीक ही कहा है कि मनुष्यों की भाँति प्रत्येक संस्था का निजी व्यक्तित्व होना चाहिए। मानवीय कारक के कार्य में सुधार लाने हेतु श्री नार्डक ने पाँच बुनियादी अपेक्षाओं का सुझाव दिया है, जो कि विकास-कार्यक्रम का सन्तोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। उदाहरणार्थ जन्मभूमि-प्रेम, स्वदेशी-भावना, जिसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ होता है भारतीयता का स्वाभिमान अनुभव करना तथा भारत के भविष्य में आस्था रखना, समर्थन को भावना से कठिन थम करने की दक्षि, शालीनता और

* 'एजुकेशन इन दी फोर्थ प्लान' : लेखक : जे० पी० नार्डक,

प्रकाशक : नविकेता प्रकाशन, बम्बई-१, पृष्ठसंख्या : १२२, मूल्य : ६० ७/५० ।

सरलता तथा जन सामान्य के समान व जनसामान्य के साथ जीवा बिताने की इच्छा। श्री नार्सिक के शिक्षा क्षेत्र में स्वदेशी भाषा को पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा विदेशी अनुभव, विचारों और रीतियों का अध्यानुकरण, जिसका अर्थ होता है आत्मविश्वास का अभाव, त्यागने के भावपूर्ण सर्व से कोई भी पाठ्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने स्पष्ट लिखा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली की बुनियादी कमियाँ का शीघ्र गत सौ या उससे अधिक वर्षों से भारत में शिक्षा की अंग्रेजी (ब्रिटिश) पद्धति की स्थापना और उसका विवेकपूर्वक विस्तार करने से हुआ है। यह पद्धति भारतीय मूल्यों एवं भारतीय सस्कृति से मूल्य है। इस भारी बूल को सुधारने का यह अत्यन्त उपयुक्त समय है जब कि हम ऐसा करने के लिए परम स्वतंत्र हैं।

शिक्षा प्रणाली में अति लाना तब तब सम्भव नहीं है जब तक कि शिक्षा के सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र का ही अच्छी तरह पुनर्र्गठन न किया जाय—विशेष करके राज्य स्तर पर, क्योंकि वर्तमान सगठन स्वतंत्र भारत—जो कि वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने को उत्सुक है—की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्णतः अनुपयोगी हो चुका है। शिक्षा प्रणाली के सर्वतोमुखी विवास हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध करने का प्रयत्न भी महत्त्वपूर्ण है—विशेष करके इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिन्हें अपने सीमित तथा अविस्तारशील साधन स्रोतों के कारण भारी घाटे की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। केन्द्रीय स्तर पर भी कर लगाकर अतिरिक्त निधियाँ के उगाहने का क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित प्रतीत होता है।

साधनों का अधिकतम उपयोग

अतः शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करना समीचीन होगा और साथ ही यथासंभव अपव्ययिता बरतने एवं साधनों को व्यर्थ न होने देने का सतत प्रयास करना होगा। इस दृष्टिकोण से उच्च स्तरीय शिक्षार्थ अशकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने को प्रोत्साहन देना होगा। शिक्षा आयोग ने शिक्षा के मद में किये जानेवाले प्रावधानों में प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया है। यदि यह सुझाव सन् १९८५-८६ तक अमल में लाया जा सके तो शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय ५४ रुपये आ सकता है। यद्यपि इस छोटे से लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी राष्ट्र को इस भाव भूमि के साथ साथ कि शिक्षा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है भगीरथ प्रयास करना होगा। जैसा कि शिक्षा आयोग ने सुझाया है शैक्षणिक कार्यक्रमों का सतत मूल्यांकन करते रहने

तथा उसीके आधार पर सुनियोजित अनुसंधान करने जो कि शिक्षा प्रणाली में निरन्तर सुधार लाये की आवश्यकता भी उपेक्षणीय नहीं है क्योंकि उच्च गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सतर्कता वरतना पूर्णतः आवश्यक और अनिवार्य है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्राक्षेप में शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव रखे गये हैं, जो कि शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुकूल ही है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचारविमर्श के समय राष्ट्रीय योजना तैयार करने के निमित्त सिद्धान्त निर्देशार्थ योजना आयोग ने अभी हाल में जो एप्रोच टु दी फोर्थ फाइव इयर प्लान पुस्तिका प्रकाशित की है उसमें भी शिक्षा सम्बन्धी सुझाव हैं जो कि शिक्षा आयोग के उपागमों के पूर्णतः अनुकूल हैं। तथापि इन प्रस्तावों की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उपागम भी आज जो कुछ हो रहा है उसके अनुगमन करने की नीति के बजाय अस्मात्प्रकृत सुनिश्चित उपागमों को अपनाये की नीति का ही अनुसरण करेगा। परन्तु पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों को विशेष शिक्षा सुविधाएँ मुलभ करने, प्राथमिक एवम् व्यावसायिक शिक्षण असाकालिक एवम् पत्राचार पाठ्य क्रमों, छात्रवृत्ति एवम् पठन श्रुणो के प्रावधान, कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें सही दिशा में उठनेवाले कदम कहा जा सकता है। प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में कार्यात्मक उपागम सम्बन्धी तथा लोगों और समुदायों से अनावर्ती पूँजीगत व्यय हेतु स्वेच्छानुसार योगदान प्राप्त करने को प्रोत्साहन देने के सुझाव भी वरणीय हैं।

परस्पर विरोधी

जब कि एक ओर श्री नाईक द्वारा अपने भाषणों में प्रतिपादित दृष्टिकोण विविध है उनका बुद्धिशील पर्याप्त विदेशी सहायता का सर्व उहीके अर्थ कही व्यक्त इस विचार कि विदेशी सहायता का न्यूनतम उपयोग किया जाय के सदर्भ में रखकर देखने पर असंगत और परस्पर विरोधी लगता है। इसी प्रकार जब कि उहीने एक ओर उच्च स्तर पर शिक्षण-सुविधाओं का प्रसार घोर गति से करने का सुझाव दिया है ताकि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षार्थ अधिक निधि उपलब्ध हो सके तथा उच्च शिक्षण का स्तर उँचा उँचान की दिशा में पर्याप्त कार्य हो सके उनका स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिए पर्याप्त सख्या में अध्यापकों की मुलभना हेतु आगामी पाँच वर्षों में उत्तीर्ण होनेवालों की सख्या द्गुनी या तीन गुनी कर देने का सुझाव विरोधाभासी लगता है—विशेष करके उभ सियात में जब कि देश में गत एक डेढ़ दशान्दी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय विद्यालयों में आकस्मिक वृद्धि हुई है तथा फलस्वरूप विभिन्न स्तरों की वैकाली या अल्प-वैकाली की समस्या

भीषणतर हुई है। और भी, उनकी यह टिप्पणी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर कम महत्त्व का है, भी औचित्यपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि बालक के सर्वतोमुखी विकास तथा उससे भावी ज्ञानार्जन की मजबूत नींव रखने के लिए केवल इसी स्तर पर अधिकतम ध्यान देना आवश्यक है। विकसित देशों में उच्च स्तरीय शिक्षा को जितना महत्त्व दिया जाता है उतना ही महत्त्व पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षण को भी दिया जाता है और पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षण के अनुरूप ही सुयोग्य घण्टापकों की सेवाएँ निर्धारित होती हैं। नव्वती हुई आवादी के लिए तेजी से शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करने हेतु इस सन्दर्भ में शिक्षक-छात्रों के अनुपात बढ़ाने का पुस्ताव भी पूर्णतः ठोस नहीं लगता, यद्यपि इस समय इसे एक अपरिहार्य बुराई के रूप में स्वीकार ही करना होगा।

विकासशील देशों में शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में विकसित देश महत्त्वपूर्ण भूमिका घटा कर सकते हैं। तथापि इस पहलू का उपयुक्त सयोग नहीं मिललाई पड़ता, जैसा कि इस सुविदित तथ्य से ज्ञात होता है कि विकसित देश आजकल अपनी राष्ट्रीय धाय का १० प्रतिशत धन अपनी सुरक्षा पर व्यय कर रहे हैं और केवल १ प्रतिशत ही विकासशील देशों की सहायतायें देते हैं। यह देखना शेष है कि श्री नार्ईक का इन अनुपातों को उलट देने, अर्थात् विदेशी सहायता का अनुपात बढ़ाने का आह्वान विकसित राष्ट्रों को कहाँ तक फलीभूत होता है।

बैरत-सम्मेलन में श्री नार्ईक द्वारा प्रस्तुत 'हिस्टारिकल रिव्यू ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया' (जो कि उपयुक्त पुस्तक के परिशिष्ट रूप में दिया गया है) में लगभग वे सभी विचार आ जाते हैं, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों के दौरान व्यक्त किये थे। हाँ, कुछ थोड़े-से विषयों पर और अधिक विस्तार से विचार किया गया है। इस दृष्टि से किसी भी पाठक को इस पुस्तक में इस परिशिष्ट को सम्मिलित करने पर आश्चर्य हो सकता है। तथापि विकासशील देशों में शिक्षा-क्षेत्रीय कुछ विशिष्ट समस्याओं पर श्री नार्ईक द्वारा बला गया प्रकार परिशिष्ट की उपादेयता में चार चाद लगाता है। ये विशिष्ट समस्याएँ हैं : साधन-प्रोत्थों की अपर्याप्तता, उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली, जैसे—आवश्यक सामाजिक मानदण्डों का अभाव, निहित-स्वार्थवालों की आमूल शिक्षण सुधारों के प्रति अरुचि, सुरक्षा तथा प्राथमिक विभाग-सम्बन्धी अन्य विभागों के प्रति-योगी दावे आदि।

बम्बई, ४ अक्टूबर, १९६०

('बादी प्रामोद्योग' से सामार)

अदि कार्यानुभव जीवन्त, वास्तविक और सर्वमान्य योजना हो तो इसके सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को व्याख्या करने की, उसके उद्देश्य, कार्यक्रम और स्वरूप पर पुनर्विचार करने की, आवश्यकता है। इस सदर्भ में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत लेख में प्रस्तावित है। कार्यानुभव की कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए इसके प्रसंग में कुछ सशोधन और सुझाव भी यहाँ दिये गये हैं, परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उक्त योजना के सम्भावित नये आयाम भी हमारे शोध-संघान का विषय हो सकते हैं? क्या शिक्षा-आयोग द्वारा प्रस्तावित और प्रस्तुत इस योजना का सशोधन सम्भव और आवश्यक है? इन तरह के प्रश्नों पर विचार प्रेरित किया जा सके यह इस लेख का मूल प्रयोजन है।

कार्यानुभव के मूल बिन्दु

- (१) विद्यार्थी को कोई एक उद्योग सीखना चाहिए और उसे हाथ का काम और धम-कार्य करना चाहिए।
- (२) ऐसा काम उत्पादक भी होना आवश्यक है।
- (३) ऐसे काम का प्रयोजन दोहरा हो
 - १—यह काम वैज्ञानिक ढंग से और वैधानिक दृष्टि से किया जाय, और
 - २—इसका उद्देश्य उत्पादन हो।
- (४) इसके माध्यम से शिक्षार्थी की वैधानिक मनोवृत्ति का विकास होना चाहिए।
- (५) विद्यार्थी को ऐसा शिक्षा प्राप्त हो कि वह अपने समाज और समुदाय का एक जिम्मेदार भग बन सके, और यह प्रतीति भी उसे हो।

दो बुनियादी सशोधन

ये लक्ष्य पूरे हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यानुभव के लिए कम-से-कम एक घंटा समय रोज दिया जाय। सप्ताह में दो या तीन पौरियद नितास अपर्याप्त ही रहेंगे। अतएव इस मौलिक मूल कार्य सशोधन अपरिहाय है। दूसरी बात, जिस तरह प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षित है कि 'कार्यानुभव प्राप्त' करे, उसी तरह, प्रत्येक शिक्षक के लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष से, रोज एक घंटा 'काम' करे।

अगर ये सशोधन शिक्षा विभाग को माय हो सकें, तो फिर प्राये इस योजना पर विचार करने की कोई सार्थकता भी है, अथवा कार्यानुभव योजना की शिक्षा विभाग के द्वारा वही दुर्गति हो जायेगी, जो बुनियादी तालीम की हुई ।

अगर हमारी शिक्षा नीति ठीक हो और हमारा शिक्षा-विभाग ईमानदारी से कार्यानुभव-योजना को कार्यान्वित करना चाहे तो ही शिक्षकों की सहानुभूति और सहदायित्व प्राप्त हो सकेगा । अतः यह सभी क्षेत्रों के लिए विचारणीय है कि इस योजना के कार्यान्वयन की संपूर्ति के लिए आवश्यक गम्भीरता का वातावरण किस तरह बनाया जाय । और वह तबतक होना मुश्किल रहेगा जबतक कि शिक्षा नीति में ही कुछ मौलिक परिवर्तन और सशोधन नहीं कर दिये जायेंगे । एतदर्थ, कुछ सुझाव यहाँ प्रस्तुत हैं । सबसे मुख्य बात यह है कि विद्यालय को एक समुदाय (कम्प्युनिटी) के रूप में देखा और माय किया जाय, और विद्यार्थियों को इस समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य माना जाय । दूसरे शब्दों में प्रत्येक छात्र अपने विद्यालय का—विद्यालय समुदाय का—एक 'नागरिक' माय किया जाय । और विद्यालय की ओर से उसे वही सम्मान और अधिकार भी दिये जायें, जो कि सविधान की ओर से एक नागरिक को प्राप्तव्य हैं ।

त्रिलकुल ही नये दृष्टिकोण की आवश्यकता

स्कूल कम्प्युनिटी को एक राष्ट्र अथवा राज्य (स्टेट) के रूप में देखा जाय तो प्रत्येक विद्यार्थी वहाँ का एक 'नागरिक' है । 'अधिकार और कर्तव्य' के सिद्धांत के अनुसार अधिकारों को भी मायता मिल जानी चाहिए ।

आज तक विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के जिम्मे केवल मात्र कर्तव्य ही रहे हैं उन्हे अधिकार नहीं मिले हैं ।

विद्यार्थियों के इन अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व शिक्षकवर्ग पर अथवा शिक्षा विभाग पर है । ये अधिकार ब्याख्या होने चाहिए, यह विचार करके निर्धारित किया जाय । इन अधिकारों को विशेष अथवा मौलिक अधिकारों के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा मायता दी जाय ,

- (१) सामाजिक सम्मान प्राप्त करने का अधिकार ,
- (२) समानता का या सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार ,
- (३) शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार ,
- (४) निर्वाह-व्यय भ्रशत प्राप्त करने का अधिकार ,
- (५) समुचित पोशाक और शिक्षा साधन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार ,

- (६) पास पढोस के स्कूल में पढने का अधिकार ;
- (७) मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ।
इसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों की सूची बनायी जा सकती है
- (१) छात्र समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में समुचित सामाजिक व्यवहार का कर्तव्य ,
- (२) गुरुजनों और अधिकारियों के प्रति समुचित व्यवहार का कर्तव्य ;
- (३) अध्ययन का कर्तव्य ;
- (४) धर्म-कार्य करने का कर्तव्य ;
- (५) उत्पादन-कार्य करने का कर्तव्य ।

पूर्व विचार : प्रमेय और प्रस्ताव

- (१) जो बालक का कार्यानुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें स्कूल परिवार का कार्य-शील सदस्य मान्य किया जाय ।
- (२) कार्यरत सदस्यों के साथ स्कूल की अथवा शिक्षा विभाग की निश्चित नीति का निर्धारण किया जाय ।

इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव ये हैं :

(१) जो बच्चा घर के बाहर किसी भी शिक्षण-संस्था का विद्यार्थी होता है मेरे खयाल से वह उस संस्था में एक प्रकार से 'काम' करता है । और यदि वह स्कूल में ५ घंटे बिताता है तो इसका मतलब यह है कि वह वहाँ ५ घंटे काम करता है ।

(२) अगर फिलहाल इतना स्वीकार नहीं किया जाय तो भी कम-से कम यह तो सुरन्त स्वीकार और भग्न्य हो कि (कार्यानुभव प्रारम्भ होने के बाद) बालक वहाँ स्कूल में १ घंटा रोज काम करता है और इस आधार पर स्कूल में पढनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को उसके १ घंटे के काम का वाजिब पारि-श्रमिक दिया जाना चाहिए ।

विद्यार्थी का पारिश्रमिक

यह प्रश्न कई पहलुओं से विचारणीय है । एक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार तो होता ही है । वर्तमान परिस्थितियों में जीवित रहने का निर्वाह व्यय किसका कम से-कम कितना होगा, यह हिसाब लगाकर देखने का विषय है, परन्तु मोटे रूप में यह मान्य किया जा सकता है कि एक गाँव के विद्यार्थी का निर्वाह व्यय १ रुपया रोज होता है । यह १ रु० रोज पाने का उसका मौलिक अधिकार है ।

हमारे देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में और अर्थ-व्यवस्था में यह संभव नहीं है, एक तरह से अव्यावहारिक है। फिर भी प्रतीक रूप में इस अधिकार को, १ रु० मासिक अथवा ५ रु० मासिक देकर मान्यता दी जानी चाहिए।

अन्तिम व्यवहार्य फार्मुला यह हो सकता है कि १ रु० मासिक से शुरू किया जाय और विद्यार्थियों की कार्यगत क्षमताओं के अनुसार, १ से ५ रु० मासिक तक दिये जायें, और यह निर्वाह-शुल्क उनके माँ-बाप को प्रेषित किया जाय।

बालको के उपर्युक्त अधिकार उनके माता-पिता अथवा अभिभावक मान्य और महसूस करें, यह प्रयत्न शिक्षा-क्षेत्र की ओर से किया जाना चाहिए। इसीलिए पहले यह वाछनीय है कि सबसे पहले स्वयं शिक्षक इन अधिकारों को विद्यालय में मान्यता प्रदान करें। इसके लिए शिक्षा के विधान, संगठन, व्यवस्था और पद्धति में ही तदनुकूल सशोधन अथवा प्रावधान अनिवार्य है।

हमारे बजट में और नियमावली अथवा 'कोड' में इन बात का स्पष्ट प्रावधान या उल्लेख किया जाना चाहिए। यह छात्रों को अधिकार देने का सवाल नहीं है, उनके अधिकारों को मानने का सवाल है।

इस दृष्टिकोण का प्रतिफल यह होता कि प्रारंभ में हम छात्रों के काम के घंटों में उस समय को समाविष्ट करेंगे, जिनमें वे काम करते हैं, और फिर शनैः शनैः क्रमशः हमारी अपनी सामर्थ्य-सीमा के अनुसार, छात्रों द्वारा स्कूल में बिताये गये पूरे समय को ही काम के घंटों में गिनेंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आना चाहिए, जब छात्र स्कूल में जाते वक्त यह अनुभव करेंगे कि वे अपने काम पर जा रहे हैं, एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का अंजाम देने। वे स्कूल में उसी भाव और जिम्मेदारी की भावना से जायेंगे, जैसे कि आज शिक्षक जाते हैं।

छात्रों के ध्यत्तित्व को और उनके ईश्वरीय अथवा मौलिक अथवा मानवीय (शब्द कोई भी हो) अधिकारों को समुचित मान्यता देने और महसूस करने का वक्त आ गया है, अब यह शिक्षकों की शैक्षणिक दृष्टि, और उस दृष्टि-दर्शन पर निर्भर है कि हम प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं, या (अभी) नहीं ?

परिस्थितियों की प्रतिबृलता

इस जमाने में, जब कि विद्यार्थी-वर्ग प्राये दिन हड़तालें करते हैं, और अनुशासन एक विद्रोह में परिणत हो रहा है, और जब कि स्वयं शिक्षक-वर्ग भी

उसी धारा में बह रहा है—उपयुक्त विषय एक खयाली पुलाव ही नजर आता है, लेकिन हमारा सबका विवेक अगर भ्रम भी जीवित और जाग्रत हो तो जो आज करना हो उसे अभी ही कर लेना उचित होगा ।

कार्यानुभव के सिद्धांत और उसकी योजना को गम्भीरता से कार्यान्वित करना हो तो बालको और विद्याधियों के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, और जो उनके अधिकार ही हैं, उनको समझना और मान्य करना यह आज का ही एक विचारणीय प्रश्न है ।•

पुस्तक-परिचय

बालक अपनी प्रयोगशाला में

महात्मा भगवानदीनजी बाल-मनोविज्ञान के प्राचार्य रहे हैं । उनके दीर्घकालीन अनुभवों, प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर इस ग्रंथ की रचना हुई है । उनका निष्कर्ष है कि बालक का सम्पूर्ण शिक्षण वैज्ञानिक बुनियाद पर निर्भर होना चाहिए ।

इस ग्रंथ में अनेक उदाहरणों द्वारा यह बताने की कोशिश की गयी है कि बालक की हर प्रवृत्ति और वृत्ति को बारीकी से समझे बिना पढ़ाना बालक पर भयावह है । बालक स्वयं वैज्ञानिक होता है । उसकी हर क्रिया एक प्रयोग, एक परीक्षण होती है । वह जन्म से ही प्रयोग शुरू कर देता है ।

बालक के अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है, वह कितना ज्ञान लेकर पैदा हुआ है, उसकी वैज्ञानिक जानकारी कितनी है—यह जब इस किताब के द्वारा माता पिताओं को मालूम होगी, तो उन्हें बड़ा आनन्द आयेगा । साथ ही-साथ माता पिताओं और अध्यापकों के अनेक बहम भी दूर हो जायेंगे ।

पुस्तक में पाँच खण्ड हैं और प्रत्येक खण्ड में अनेक प्रकरण हैं । २४० पृष्ठों की इस पुस्तक में शिक्षण के अनेक पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है और इसमें पद-बद पर यह प्रतीति होती चलती है कि लेखक ने बालक की मानसिक गहराइयों में पैठकर अध्यापकों का पथ प्रदर्शन किया है ।

सुन्दर छपाई, पृष्ठ २४० । मूल्य मात्र पाँच रुपये ।

सर्व सेवा संच प्रकाशन, राजघाट, धाराणसी-१

विज्ञान : अस्तित्व के लिए एक खतरा

प्रो० वेरी कामनर

(वनस्पति विभाग, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, अमेरिका)

[सत्रहवीं सदी से पूर्व ईरान तथा धर्म के प्रति जिस प्रकार की उन्माद-पूर्ण अन्धश्रद्धा थी उसी तरह की धात आज बहुत कुछ विज्ञान के बारे में कही जा सकती है। अमेरिका में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्रो० श्री वेरी कामनर ने एक पुस्तक लिखी है : ' विज्ञान और जीवन '— (' साइन्स एण्ड सर्वोइवल')। उसमें वे नीचे लिखी कुछ ऐसी बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं कि यदि इनकी ओर अब भी मानव जाति का ध्यान नहीं गया और यदि हम वैज्ञानिकों की ऐसी सलाहों को नहीं मानेंगे तो समस्त मानव जाति का सम्पूर्ण विनाश निश्चित है। —अनुवादक]

प्रो० वेरी कामनर का कहना है कि विज्ञान आज स्वयं मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक ऐसा खतरा बन गया है, जिसकी विशाल शक्ति पर अब मनुष्य और विश्व का कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया है। हमारी अनेक आणविक पीढ़ियाँ और स्वयं यह पीढ़ी भी अनेक खतरों से ग्रस्त हो गयी है। उदाहरणार्थ, आणविक विस्फोटों से उत्पन्न धूल के कारण हवा दूषित हो गयी है और जिन्हें आज हम बल शोषक मानते रहे जैसे—क्लोरीन आदि, स्वयं उसी कारण से दूषित होकर जल को दूषित कर रहे हैं। उनका कहना है कि विज्ञान से होने-वाले लाभों को तो हम जानते हैं किन्तु अब इससे उत्पन्न डरावने खतरों को भी हम अनुभव करने लगे हैं। आज हम इधर इतनी अधिक मात्रा में और इतनी तेज गति से अला रहे हैं कि सन् २००० तक, याने अब से केवल ३० या ३२ सालों में ही, इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण में इतनी गरमी पैदा हो जायेगी कि उससे उत्तर और दक्षिण ध्रुव प्रदेशों को सारी बर्फ पिघलनी लग जायेगी और यदि इधर चलाने की हमारी यही गति जारी रहती है, तो आगामी ४०० से लेकर ४००० सालों में वह सारे

बर्फें गल जायेगी और इससे समुद्र का जल लगभग ४०० फुट ऊँचे उठ जायेगा, जिससे हमारे अनेक बड़े बड़े नगर और घरती का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जायेगा ।

सन् १९२३ से इजिप्त् में घबके कम करने के लिए पेट्रोल में शीशे का प्रयोग शुरू किया गया था, किन्तु इसने घरती के अधिकांश घरातल को दूषित (जहरीला) बना दिया है और अभी तक हम पता नहीं लगा पाये हैं कि इस जहर का मछली, चिड़िया, जानवर या मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अमेरिका की इरी शील में और उसके पास-पड़ोस के नगरों में मल प्रवाह, औद्योगिक कारखानों की गद्गी तथा खेती में प्रयुक्त होनेवाले रासायनिक खादों के विपैले द्रव्यों के कारण क्षील में इतना फास्फोट जमा हो गया है कि इससे पानी के जैविक गुणों में स्थायी असंतुलन पैदा हो गया है । इससे मछलियाँ मर गयी हैं और यह अनुमान है कि अगामी २० सालों में नगरों से पैदा होनेवाले रूढ़ी पदार्थों की इस विशाल राशि के कारण सारे (अमेरिकी) राष्ट्र के अधिकांश जल-स्रोतों के जैविक गुण नष्ट हो जायेंगे । अन्तस्फोटवाले इजिप्त् के कारण भी हवा खराब हो रही है, क्योंकि उनसे निकलनेवाली विपैली गैस सूर्य की रोशनी मिलने के कारण एक भयानक कुहरा-सा पैदा करती है और इसका नतीजा होता है श्वास-सम्बन्धी बीमारियों में वृद्धि ।

यत्न-विज्ञान मानव-जीवन पर हावी

प्रो० कामनर कहते हैं कि अमेरिका में अद्रपाना-सम्बन्धी योजनाओं पर होनेवाले भारी अनुत्पादक व्यय का असर अन्य वैज्ञानिक प्रयत्नों पर पड़ा है और अनेक दूसरे कामों को यत्न के प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है । अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स पहले से ही ध्वनि से भी तेज गतिवाले यात्रीवाहक विमानों के बेहद खर्चाले कार्यक्रमों पर कटिबद्ध हैं । किन्तु ये इस बात का कोई व्यापक मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं कि अन्तितरंगीय घडाकों से उत्पन्न जोखिमों, बह्सा-पट्टीय रेडियो विहीरणता और एक काल-दौर से दूसरे कालदौर में अति वेगवान आवागमन से मनुष्य पर क्या-क्या शारीरिक प्रभाव होते हैं । अब तो कुछ लोग कुछ बड़े बड़े मौसमी परिवर्तन करने के बारे में भी चर्चा करने लगे हैं, यद्यपि हम अभी तक मौसम के बारे में एक या दो दिन से अधिक की भविष्यवाणियाँ भी नहीं कर सकते हैं । प्रो० बेरी का कहना है कि मृतकाल की गलतियों तथा भविष्य के खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी कीमत क्या होगी, यदि इस पर सोचें तो सिर खटाराने लगता है । क्योंकि इन खतरों को

पैदा करनेवाली टेकनालोजी (यंत्र-विज्ञान) आज हमारे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत गहरी पैठ गयी है। विज्ञान तो केवल हमें इस संकट की गहराई से ही परिचित करा सकता है; किन्तु इसका हल तो उसके बूते के बाहर है। वह तो सामाजिक पुरुषार्थ से ही सम्भव है। विज्ञान तथा यंत्र-विज्ञान देखने में जरूर आकर्षक लगता है, परन्तु प्रायः लोग भूल जाते हैं कि असल इसके पीछे आणविक युद्ध के कारण होनेवाला आत्म-विनाश ही छिपा हुआ है। नैतिकता की दृष्टि से मानव-जाति के इतिहास में यह एक अत्यन्त ही महान प्रश्न है, किन्तु इसके घातक पहलू को विज्ञान के आकर्षक परदे ने छिपा रखा है। वैज्ञानिकों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे इन खतरों से लोगों को सावधान करें। अपने भाइयों से ऐसी सूचनाएँ छिपाने तथा सामाजिक निर्णयों के नाम पर इन्हें रंगने का कोई अधिकार नहीं है।

वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी

सबसे बड़ा गम्भीर खतरा आणविक परीक्षणों से उत्पन्न रेडियोधर्मी धूल से है। आज संसार में यह धूल इतने व्यापक पैमाने पर फैल गयी है कि अब इसके इलाज के रूप में की जानेवाली अणु-परीक्षण निषेध-सन्धि से भी खतरा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षण बन्द होने से पहले ही यह धूल बहुत अधिक मात्रा में संसार के वातावरण में फैल चुकी है। वास्तव में अणु-परीक्षण कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न इस विशाल रेडियोधर्मी धूल के जानवरों, वनस्पतियों तथा मनुष्यों में प्रवेश पाने के फलस्वरूप होनेवाले जैविक नतीजों को एक भारी गम्भीर टेकनालोजिक भूल स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। एक तरह से सन् १९६३ की अणु-परीक्षण-निषेध-सन्धि प्रकारान्तर से विज्ञान तथा टेकनालोजी की इस असफलता की ही स्वीकृति है। अब इस रेडियोधर्मी धूल का विश्वव्यापी फैलाव महामारियों, पारिस्थितिक दुर्घटनाओं और संभाव्य मौसमी परिवर्तनों के कारण सारे जैविक वातावरण की स्थिरता को इस हद तक प्रभावित करेगा कि इससे दुनिया में मनुष्य के अस्तित्व को हर जगह ही खतरा पैदा हो गया है। आज हमारी यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम वैज्ञानिकों के समुदाय में किन्हीं ऐसी योजनाओं और साधनों का विकास कर लें कि ऐसे वातावरण-सम्बन्धी हस्तक्षेपों से होनेवाले क्षाम और हानियों से पहले से ही समाज को सूचित और सावधान किया जा सके। यदि हम ऐसा कर सकते तो हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की भूल कभी नहीं करते, जिनसे असल में राष्ट्र की रक्षा के बजाय राष्ट्र का विनाश ही होता है। यदि हम जीवित रहना

चाहते हैं तो भव टेकनालोजी के नवोन्मेषों के हानिकारक प्रभावों के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। हमें उनकी भायिक, राजनैतिक और सामाजिक कीमत समझ कर लेनी चाहिए, उसके संभावित लाभों के मुकाबले इन हानियों का भी हिसाब लगा लेना चाहिए और सामान्य जनता को यह सब साफ-साफ बताना चाहिए। एक ऐसा स्वीकारयोग्य सन्तुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने का वक्त आ गया है।

कारखानों से निकलनेवाले निकम्मे पदार्थों के प्रबन्ध की पद्धति में साबुन को तो विखण्डित करने में सफलता बहुत जल्दी मिल गयी, किन्तु ऐसी सफलता अन्य घोषक पदार्थों के विनियोग में नहीं मिल सकी है। पहले सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी शोषक पदार्थों के हानिकारक द्रव्य शेष रह जाते थे। केवल दो या तीन साल पहले ही उद्योगों ने इस गलती को समझा है और अब वे शोषक-रसायनों के आसान विखण्डन में सफलता प्राप्त कर सके हैं। उसी तरह पौधों की बीमारियों से बचाव के लिए होनेवाले छिड़काव (दवाइयों के) से भी जल दूषित होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के आरोग्य के लिए बहुत हानिकारक है। पेट्रोल से चलनेवाली मोटरकार भी भव त्याग दी जानी चाहिए, क्योंकि दौड़ते हुए यह अपने पीछे जो धुमां फैलती जाती है, वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अन्तःस्फोट शक्ति पैदा करनेवाले कारखानों में तो इसे आणविक शक्ति से बदला जा सकता है, बसते कि रेडियोधर्मी धूल के विशाल विकीरण को नष्ट किया जा सके। असल में इन सबका एकमात्र हल सौर-शक्ति ही हो सकता है।

सर्वनाशी विज्ञानवाद के खिलाफ आंदोलन

प्रो० बेरो का कहना है कि हम भावी सन्ततियों से न केवल उनकी काष्ठ या कोयले के भण्डारों की ही चोरी कर रहे हैं, बल्कि असल में उनकी जीवन की मूलभूत या बुनियादी जरूरतें, जैसे—हवा, पानी तथा जमीन भी उनसे छीनी जा रही है। भव तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक नये जीवन-रसक आन्दोलन की आवश्यकता है। आधुनिक टेकनालोजी की चमक दमकवाली सफलताओं तथा आधुनिक सैन्य-पद्धतियों की अमृतपूर्व शक्ति के बावजूद वे एक सर्वसामान्य घातक दोष से बुरी तरह ग्रस्त है। दोष यह है कि वे हमें भोजन की प्रचुर मात्रा, वृद्धि औद्योगिक प्रतिष्ठान, तीव्र वेगवान वाहन और अमृतपूर्व शक्तिवाले सैनिक-हथियार तो दे सकते हैं, किन्तु वे स्वयं हमारे अस्तित्व को ही संकट में डालते हैं।

(अनुवादक : कामेश्वर प्रसाद पट्टणय्या)

सम्पादक मंडल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १७
अंक : ७
मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

डा० सम्पूर्णानन्द	२८६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
अपराध, अपराधी और जनमानस	२९० स्व० डा० सम्पूर्णानन्द
समाज में नयी शक्ति का उद्भव***	३०२ श्री शकरराव देव
सोवियत सघ में शिक्षको का प्रशिक्षण	३०७ श्री जी० चौरसिया
राष्ट्रीय शिक्षा-नीति और राष्ट्र विकास***	३१२ श्री सुरेश भटनागर
भारत में शैक्षणिक आयोजन	३१६ श्री युवेशचन्द्र शर्मा
कार्यानुभव एक चिंतापूर्ण चिंतन	३२७ श्री प्रवीणचन्द्र
विज्ञान अस्तित्व के लिए क्षतरा	३३२ प्रो० वेरी कामनट

फरवरी, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खन्दा छ' रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णवत्स भट्ट सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित, अमल कुमार बसु,
इन्डियन प्रेस (मा०) लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

लोकतंत्र की बुनियाद : निर्भीक, विवेकयुक्त मतदान

गांधीजी ने अपनी 'आखिरी वसोयत' में मतदाता के शिक्षण पर सबसे अधिक जोर दिया था। चुनाव-कार्य शुद्ध, शान्तिपूर्ण और न्याय पर आधारित रहे तब ही लोकतंत्र टिक सकता है। लोकतंत्र की सबसे महत्व की और बुनियादी कड़ी मतदाता है। मतदाता का कर्तव्य है कि वह मतदान के अपने अधिकार का निर्भीकता से, स्वतंत्र रहकर तथा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करे। विभिन्न राजनैतिक पक्षों, संगठनों एवं चुनाव के लिए खड़े होनेवाले व्यक्तियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने हितों के बावजूद मतदाता के इस कर्तव्य-पालन में किसी प्रकार की बाधा या प्रतिकूलता पैदा न करें।

इसके लिए निम्न न्यूनतम आचार-संहिता का पालन किया जाय.-

- (१) उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उसके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर दूसरे पक्ष की आलोचना करें। दूसरे पक्ष के उम्मीदवार या सदस्य के निजी जीवन को लेकर आलोचना न करें।
- (२) जनता से भूठे वादे न करें।
- (३) वोट प्राप्त करने के लिए गलत और निन्दनीय तरीकों का आश्रय न लें।
- (४) विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, भाषाओं और प्रांतों के लोगों के बीच घृणा पैदा करनेवाली या हिंसक भावना उत्पाननेवाली कोई बात न करें।
- (५) विचार-प्रचार व अन्य कार्यक्रम इस तरह आयोजित करें कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पहुँचे।
- (६) किसी प्रकार की हिंसा और अशान्ति का वातावरण न बनायें।
- (७) सोलह साल से कम उम्र के बच्चों का उपयोग चुनाव प्रचार में बर्तई न करें।

इस संदर्भ में हरएक मतदाता का भी यह धर्म हो जाता है कि-वह

- १- अपने मत की पवित्रता का ध्यान रखे,
- २ उम्मीदवार के गुणावगुण को देखकर मत दे,
- ३ मत को किसी भी प्रलोभन के कारण न दे
- ४- किसी भय से भी मत का गलत उपयोग न करे
- ५ सही व्यक्ति न मिले तो वोट दे ही नहीं,
- ६ हिंसा और अशान्ति का प्रयोग न आने दे।

राष्ट्रीय गणनी-त्र म इत-दी-समिति को गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति टुकिया मवन मुन्दीगरी का मैरू पयपुर-१ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

मार्च १९६९



“विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में जो बोझ दिमाग पर पड़ता है वह असह्य है। यह बोझ केवल हमारे बच्चे ही उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ती है। वे दूसरा बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाते। इससे हमारे ग्रेज्युएट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। उनमें खोज की शक्ति, विचार करने की ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। इससे हम नयी योजनाएँ नहीं बना सकते। बनाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर सकते।”

—गांधीजी

छात्र-आंदोलन का एक नया रूप

२१ फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय का दीक्षान्त-समारोह था। बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० गजेन्द्रगडकर दीक्षान्त-भाषण कर रहे थे। तभी समारोह के पडाल में कुछ लड़के घुस आये और चिल्लाने लगे—'हम काम चाहते हैं, डिग्री नहीं चाहते।' लड़के चार-छह ही थे। उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। २२ फरवरी को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षान्त-समारोह था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डाक्टर काठारी दीक्षान्त भाषण देने के लिए खड़े हुए, परन्तु विघ्न पड़ा। बहुत-से छात्र समारोह के पडाल में घस आये और शोर मचाने लगे—'हमें काम दो, हम डिग्री नहीं चाहिए।' कुछ ने पर्चे फेंके, बोले—'दञ्जीनीयरिंग के स्नातक पडाल के बाहर चाय की दुकान लगा रहे हैं। जानना चाहते हैं, क्यों? तो इन पर्चों को पढिए। इन दीक्षान्त समारोहों को बंद कीजिए।' इस शोरगुल में डाक्टर काठारी ने अपना लिखित भाषण नहीं पढा। जबानी ही बोले। कुलपति का भाषण भी नहीं सुना जा सका।

वर्ष : १७

अंक : ८

छात्र-आंदोलन का यह एक नया रूप है—मैं कहता हूँ उज्ज्वल पहलू है। भारत के छात्र-आन्दोलन से लोगो को शिकायत रही है कि उसका लक्ष्य अत्यन्त सकीर्ण रहा है और उसे आंदोलन की

सजा देना भी ठीक नहीं होगा। विश्व का छात्र आन्दोलन ससार की बड़ी-बड़ी समस्याओं को लेकर चल रहा है। अमेरिका में उसके सामने नीग्रो की समस्या है वियतनाम युद्ध की समस्या है। फ्रान्स में प्रतिष्ठान को बदलने की समस्या है इण्डोनेशिया के छात्रों ने राज्य ही पलट दिया। भारतवर्ष में छात्रों ने कभी राष्ट्र की मूल समस्याओं को लेकर—साम्प्रदायिकता को अस्पृश्यता को लेकर—आंदोलन नहीं किया और फीस घटाने अथवा प्रवेश की सख्या बढ़ाने के सकीण दायरे में सीमित रहे। परन्तु छात्र आंदोलन के इस नये रूप ने पहली बार एक ऐसी समस्या को लिया है जिसका राष्ट्रीय महत्त्व है। इस आंदोलन ने पहली बार एक ऐसी समस्या को लिया है जो बुनियादी है और जिसका सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन से है—उसके उत्थान और पतन से है। इसने पहली बार शिक्षा की समस्या के मर्म पर आघात किया है यानी शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात कही है।

भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति लक्ष्यहीन और निष्प्रयोजन है और छात्रों के मन में भविष्य के प्रति आशंका और अनिश्चितता उत्पन्न कर अनास्था और कुठा को जन्म देती है। इसीलिए गांधीजी ने इस शिक्षा पद्धति को निकम्बी कहा था और उसके विकल्प में बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी जिसके मूल में दो बातें थी :

(१) प्रत्येक छात्र को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक समाजोपयोगी धंधा सिखाकर उस धंधे (अथवा उद्योग) के माध्यम से व्यक्तित्व के सकार की बात।

(२) व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए विदेशी भाषा के स्थान पर छात्रों की मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात।

उनकी इस शिक्षा-पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति कहकर स्वीकार किया गया परन्तु कई कारणों से जिनका विवेचन यहाँ अनावश्यक है यह पद्धति देश में चल नहीं रही है (ठीक वैसे ही जैसे गांधीजी नहीं चल रहे हैं)। यह कहा जाता है कि बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत शिक्षा जगत के शाश्वत सत्य हैं परन्तु औद्योगिकता और टेक्नाजोली के माग का अवलम्बन कर विकास के पथ पर चल पड़ इस देश में वे प्रयोग की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसलिए उनका विकल्प ढूँढा जा रहा है। कोठारी आयोग

ने बुनियादी शिक्षा के 'शिल्प' की जगह 'कार्यानुभव' का विकल्प सुझाया है और सस्तुति को है कि इस देश के हर छान छात्रा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव की शिक्षा दी जाय। परन्तु दो साल हो गये कोठारी-आयोग का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव कार्य-रूप में परिणत नहीं हुआ है और हमारी शिक्षा-प्रणाली जैसे पहले लक्ष्यहीन-उद्देश्यहीन थी वैसे आज भी है और उसीका परिणाम है आज के दीक्षान्त-समारोहों में छात्रों का प्रदर्शन, जिसकी ऊपर चर्चा की गयी है। छात्र-आन्दोलन का यह नया रूप है जो अगर अनुशासित ढंग से चले तो इसकी बहुत बड़ी सम्भावनाएँ हैं।

वात यह है कि आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह एक 'रक्षित स्वार्थ' बन गयी है और जिस नीकरशाही के हाथ में शैक्षिक प्रणामन है वह ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, जिससे इस दूषित प्रणाली का अन्त हो। सब पूछिए तो आज देश में जो असमानता है और समाजवाद की कसम के बावजूद नीकरशाही और पूँजीवाद का जो शिकजा कसता जा रहा है, उसके मूल में शिक्षा-पद्धति और शिक्षा के असमान अवसर ही हैं। यह समझ लेना चाहिए कि आसानी से आज का शैक्षिक प्रशासक इस प्रकार की किसी शिक्षा-पद्धति को स्वीकार करने नहीं जा रहा है, जिसमें अमीर-गरीब सभी के लड़कों को हाथ से काम करना पड़े और न वह आसानी से मानव-भाषा को शिक्षा का माध्यम ही स्वीकार करने जा रहा है। भारत की शिक्षा-पद्धति में जिन दिन यह स्वीकार कर लिया जायगा कि इस देश का हर बच्चा शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर से उच्चतम स्तर तक किसी-न-किसी समाजोपयोगी धड़े की वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता रहेगा और उसकी सारी शिक्षा उसकी अपनी भाषा के माध्यम से दी जायगी, उसी दिन शिक्षा के क्षेत्र में सच्ची क्रान्ति होगी। वैसे-कि शिक्षा के द्वारा गांधीजी अहिंसक ढंग से इसी क्रान्ति को करना चाहते थे, जिसे इस देश की नीकरशाही (ब्यूरिओ-क्रैमी) ने सम्भव नहीं होने दिया। आज छात्र-आन्दोलन के माध्यम से वह हो तो शुभ है। इसे छात्र-आन्दोलन का ऐसा उज्ज्वल पहलू मानना चाहिए, जिसकी सम्भावनाएँ महान हैं।

—वशीधर श्रीवास्तव

शालाएँ क्या कर सकती हैं ?

१. महात्मा गांधी के जीवन का अध्ययन .

- उन्होंने अपने जीवन में जिन विचारों और आदर्शों को महत्व दिया, उन्हें समझें,
- स्वराज्य के लिए की गयी अहिंसक लड़ाई का महत्व समझें,
- स्वराज्य का, विशेषतः प्रामत्स्वराज्य का अर्थ समझें,
- गांधीजी ने अपने लिए जो एकादश व्रत निर्धारित किये थे, उनका अध्ययन करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न करें,
- चर्चा करें कि गांधीजी के विचारों को निजी जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है ।

२. निम्नांकित वृत्तियों और श्रद्धाओं का विकास

- जीवन में शरीर पवित्रता का मूल्य और प्रतिष्ठा मान्य करें,
- भारत की राष्ट्रीय एकता को हृदय से स्वीकार करें,
- जाति, सम्प्रदाय, पद, भाषा आदि भेदों का तनिक ख्याल न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से मैत्री भाव रखें,
- राजनैतिक दलों और साम्प्रदायिक समूहों के बन्धन से ऊपर उठने की वृत्ति बढ़ावें,
- पधोनिया का प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में सजग रहें,
- शुभ कार्यों में दूसरों के साथ सहयोग करने में विधायक करें,
- मानवता का प्रति निष्ठा बढ़ावें,
- अपने धर्म के विषय में भक्ति और अन्य धर्मों के प्रति आदर-भाव बढ़ावें,
- जीवन-सिद्धान्त के रूप में अहिंसा को स्वीकार करें ।

३. कार्यक्रम और प्रवृत्तियाँ .

- (क) • गांधीजी के तथा स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों का संकलन कर उनकी उत्तम प्रदर्शनी आयोजित करें,

- गांधीजी के मिडान्तों के चार्ट और पोस्टर बनायें;
- गांधीजी के लेखों में उत्तम मुद्रापितों का संकलन करें और उन्हें ढंग से सजायें;
- गांधीजी के जीवन और कार्यों पर हस्तलिखित पत्र-पत्रिकाओं का निर्माण करें;
- गांधीजी के विचारों पर छोटे-छोटे समूहों में चर्चा करें;
- सत्य के आलेख के दीर पर व्यक्तिगत दापरी लिखने का आरम्भ करें;
- शालाओं में गांधी-साहित्य और सर्वोदय-साहित्य का पुस्तकालय खोलें;
- घरों में निजी पुस्तकालय आरम्भ करें, जिनमें गांधी-साहित्य और सर्वोदय-साहित्य हो और कम-से-कम वर्ष में एक नयी पुस्तक खरीदने का निश्चय करें।

(ख) शाखाओं के लिए :—

- शाखाओं में नित्य उचित स्थान पर वर्षभरवना के साथ अनुकूल वातावरण में प्रार्थनाओं का आयोजन करें, जिनमें मौन ध्यान, भजनों और मंत्रों का शुद्ध और अर्घ्यसहित गायन, और संतों के भजनों का गान शामिल हो,
- धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों का, शाखा के नित्य प्रसंगों के रूप में आयोजन करें, जिनमें सांस्कृतिक परिवृत्ति का अनुभव हो सके।
- प्रतिदिन आधे घण्टे का सूत्रपढ़ करें;
- अनुशासनिक प्रवृत्ति के रूप में प्रतिदिन घण्टे भर उपयोगी और उत्पादक शरीररक्षण का कार्यक्रम रखें, जैसे—शाखा में सूत्रालय, शौचालय, तथा नयी इमारतों का निर्माण, भवनों की मरम्मत और चियाई-पुताई का काम, मेज कुर्ची आदि सामान की दुरुस्ती, रंगशाखा और तैरने का कुण्ड बनाना तथा बगीचे में बाड़ बनाने आदि काम;
- अन्तर्जातीय सहभोज और सहभाषा का आयोजन करें।

(ग) व्यक्तियों के लिए :—

- स्वदेशी व्रत का पालन करने का संकल्प लें; जैसे—गृह-उद्योग की वस्तुएँ, ग्रामीण धमार की बनायी चपले, हाथकटे, हाथबुने कपड़े, हाथबुटा चाबड़, हाथकक्की का पिसा आटा, घरेलू सारी दवाइयाँ आदि ही काम में लें; पड़ोसी कारीगरों और किसानों की मदद करें।
- यथासम्भव स्वावलम्बी बनें—अपने उपयोग के लिए मूल कार्तों, अपने घर-आँगन की सजाई खुद करें, अपने सामान और भ्रमवाचों को खुद स्वच्छ करें; अपना कपड़ा खुद धोयें और खुद ही लोहा करें; शौचालय और

मुत्रियों की प्रतिनित्य साफ करें, घरू बगिया म सञ्जी और फल उगायें; ग्राम-उद्योग की वस्तुओ का उपयोग करें ।

- सर्वोदय-ग्राम रखवायें, शान्ति-मेना के सदस्य बनें अथवा उसको सहयोग दें;
- जल्दी सायें और सूर्योदय म पहले उठें,
- सोने मे पहले और सोकर उठने पर कुछ क्षण ध्यान करें,
- किमी ग्रन्थ से कुछ मंत्रो, गीतो और भजनो का सही उच्चारण करना और गाना सीखें ।
- अपनी मातृभाषा म और अपनी भाषा के साहित्य म विशेष दक्षता प्राप्त करें ।
- गात्री-साहित्य सर्वोदय-साहित्य, खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओ की विक्री मे मदद करें ।
- हरिजनो और भिन्न धर्मीय व्यक्तियो से मंत्री करें ।
- संकल्प करें कि 'जो सुविधाएँ हरिजनो को नही मिलती हैं, उनका उपयोग हम भी नही करेंगे ।'
- अतिथियो और बुजुर्गों की सेवा और सहायता करना सीखें ।
- स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि स व्यायाम करें ।
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ सादा आसन सीख लें ।
- धूम्रपान, मद्यपान आदि अवाञ्छनीय आदतों का त्याग करें,
- गंदी फिल्मो और गंदे नाटको को कतई न देखने का, और जो गंदी नहीं हैं ऐसी फिल्मो को भी कम-से-कम सख्या म देखने का निश्चय करें ।
- प्रति सप्ताह एक वक्त उपवास करें ;

(घ) ता० २ अक्टूबर '६६ को एक महान् राष्ट्रीय दिवस के रूप मे मनायें । निम्न कार्यक्रम किये जा सकते हैं —

- प्रभात-केरो, सफाई, प्रायना, सूत्रयज्ञ, शरीर-श्रम का कार्य ।
- महात्माजी के लेखों का वाचन, गीता, कुरान, बाइबिल और अन्य प्रमुख धर्मग्रन्थो का पारायण ।
- चित्रो, पुस्तको, पोस्टरों और सूक्तियो आदि की प्रदर्शनी;
- गांधीजी के विषय मे हस्तलिखित पत्रिकाओ का प्रकाशन,
- गांधी-विचारो पर सामूहिक विचार-गोष्ठी;
- 'मुख पर गांधीजी का प्रभाव'—विषय पर छात्रो द्वारा भाषण,
- गांधीजी के जीवन की प्रमुख घटनाएँ,

- अन्तर्जातीय सहभोज,
- साधकाजीन सर्वधर्म प्रार्थना,
- शिवाको भीर छात्रो द्वारा सकल,
- गाधीजी के प्रिय भजनों का गायन,
- गाधीजी के जीवन और कार्यों पर आभारित लघुनाटिकाएँ,
- पढोमी मुहल्ले या गाँव में मेवा-कार्य और सभाएँ ।
- ३० जनवरी को 'शान्ति-दिवस' और 'सर्वोदय-दिवस' के रूप में मनायें, जिस दिन के कार्यक्रम में निम्न बातें शामिल हों—प्रार्थना, शरीरधर्म, सफाई, बापे दिन का उपवास, समाज-सेवा, स्वाध्याय और ध्यान, सकल और सृष्टिया का वितरण ।

(सूचना—इन दोनों दिवसों पर संस्थाओं का काम यथावत् पूरा-पूरा चलना चाहिए, अवकाश लेकर काम बन्द नहीं करना चाहिए ।)

(च) ग्रामीणों के कार्यक्रम —

- मेवा के लिए पाम का एक गाँव चुना जाय,
- कम-से-कम सप्ताह में एक दिन उन गाँव में जायें, लोगों में मिलें, उनके जीवन में और उनकी परिस्थितियाँ में निरूपण स्पष्ट कर दें,
- देख-परखकर गाँव की हाजिरी का मही-मही सर्वेक्षण करें और चर्चा करें कि किस प्रकार की सेवा उनके लिए अधिक उपयोगी होगी,
- गाँव की प्रगति के लिए स्वयं योजना बनायें,
- नियत अवधि पर सफाई का कार्यक्रम रखें,
- पेशाब-घर और पाखाना बनायें, कम्पोस्ट खाद तैयार करें,
- कुएँ, तालाब और नालियाँ साफ रखें,
- आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार करें और सीढ़ी-सादी दवाइयों का प्रबंध रखें,
- ग्रामीण उमरा और प्रदर्शनो का आयोजन करें,
- प्रार्थना और कीर्तना का आयोजन करें,
- ग्रामीण शालाओं के लिए स्वेच्छा से अपनी सवाएँ दें,
- नाटक और ग्रामीण मनोरंजन के कार्यक्रम करें,
- लोकनृत्य और लोकगीतों का कार्यक्रम रखें और उनमें स्वयं भाग लें, मेले, सामाहिक हाटों वगैरह में मेवाकार्य करें;
- स्वास्थ्य और अन्य अभियानों में सम्बन्धित अधिकारियों की सहायता करें,

- गाँव में स्कूल न हो तो स्कूल शुरू करने का प्रयत्न कर और स्कूल है, तो उसके मुद्धार में तथा उसकी सामग्रियों को तैयार करने में शिक्षक की मदद करें
 - लंबी छुट्टियों में गावों में पदयात्राएँ निकालें और गांधीजी का संदेश फैलायें,
 - ऐसी पदयात्राओं के दौरान गाँव गाँव में कुछ-न-कुछ उत्पादक श्रम करके ही अपना भोजन प्राप्त करें।
- के० एस० घाचालूँ

शाला के विषय

समाजशास्त्र का शिक्षण समाज की आर्थिक तथा समस्याओं के अनुसंधान में देना चाहिए।

नया इतिहास लिखना और पढ़ाना चाहिए जिसमें देश की एकता बनी रहे और विद्यार्थी अपने देश की संस्कृति की परंपरा और महानता को समझ सकें।

इतिहास-शिक्षण में बच्चों को दृढ़ सकीर्ण राष्ट्रीयता और एतापी सत्प नहीं सिखाना चाहिए।

विज्ञान का शिक्षण जीवन-सम्बद्ध और समाज की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए।

प्रत्येक को स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई-विज्ञान, आहार शास्त्र आदि का ज्ञान होना चाहिए।

विज्ञान के आवार पर सरजाम में सुधार करना चाहिए।

विज्ञान आवश्यक है। लेकिन उसे अहिंसा के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए।

विज्ञान और आत्मज्ञान साथ साथ चलन चाहिए।

बच्चों में कला की अभिव्यक्ति जमाने के लिए उन्हें प्रकृति के बीच चलने देना चाहिए।

चित्रकला का शिक्षण खचीले और अनेक साधनों के बरौर ही देना चाहिए। उनमें से अधिकतर साधन बच्चा के हाथों बनाये होने चाहिए।

(शिक्षण-विचार स)

—विनोबा

शिचक कृतसंकल्प हों

शाकरराव देव

प्रश्न : आज विद्यार्थी-समाज में अपार अनुशासनहीनता, अनियमितता, फैशन और उद्वेगता छा गयी है, इसके लिए क्या करें ? गांधीजी असहयोग और सविनय अवज्ञा के जो मार्ग दिखा गये, इन्हींका आज दुष्प्रयोग हो रहा है।

उत्तर आपने गांधीजी का नाम लिया है, तो एक बात स्पष्ट कर दूँ। गांधीजी महापुरुष थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन जहाँ मृत्यु का विचार करना होता है, तो मैं नम्रतापूर्वक गांधीजी के भी गुण-दोषों की आलोचना बड़ी नम्रता से करने में हिचकता नहीं हूँ। गांधीजी ने जो कुछ किया, वह सत्य-शोचन का ही काम किया, लेकिन उनकी गारी कृतियाँ, निर्दोष ही थी, सी बात नहीं है। सत्य की कमौटी पर कबकर उनकी कुछ प्रवृत्तियों को हम गलत कह, या आज के जमाने के लिए गैर-लागू मानें तो उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि यही उचित है। यह बात भी मैंने गांधीजी से ही सीखी है। उनको उद्धृत करना मैं ही पसन्द नहीं करूँगे।

इसलिए मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ उपद्रव और अनुशासना-भंग का प्रकार हम देखते हैं, इसके लिए गांधीजी भी कुछ हद तक कारण हैं। उनके अग्रहयोग और विदेशी वस्त्र-वहिष्कार आदि कई प्रवृत्तियों की आलोचना उन दिनों में डा० एनी बसेंट, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि मनीषी भी करते रहे हैं और उन महानुभावों की भविष्यवाणी सत्य हुई है, यह हमको मनाना होगा। प्रकृति का यह अटल नियम है कि वह किसीको धामा नहीं करती है, महाना भी गलत काम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। प्रकृति अन्याय नहीं करती है।

इस दृष्टि से हमें आज गांधीजी के काम का पुनर्मूलांकन करना चाहिए, मत्स्य की कमीठी पर कसकर जो भी निष्कर्ष आता हो उस निर्भयतापूर्वक संसार के सामने रखना चाहिए। सही गन्त का, अनुकूल प्रतिकूल पहचान का आमूल विवेचन करते हैं, तो ही हमारा अगला कदम सही दिशा में उठ सकेगा। गांधीजी के अच्छे कामों के साथ भी कुछ बुरे अंश जुड़े ही हैं—'पूज्य-गाम्गिरिवाचना'।

लेकिन हम समझ लेना चाहिए कि गांधीजी जिस जमाने में थे, आज वह जमाना नहीं रहा। इसलिए आज उनकी कृतियों का सर्वथा अनुकरण करना हितप्रद नहीं होगा। उस समय जो काम सौ प्रतिशत सही था, हो सकता है, आज वही सौ प्रतिशत गलत मिश्र हो। उस समय अनियंत्रित विदेशी सत्ता थी और अणु-शक्ति का आज जैसा प्रकाशन नहीं हुआ था। आज लोकतांत्रिक स्वदेशी सत्ता है। इसलिए विरोध प्रदर्शन के नये तरीके हम खोजने होंगे।

लेकिन आज के उपद्रवों को देखने से ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र का भान नहीं है। सामाजिक मन्दर्भ में परिवर्तन हो गया है, इस बात को हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार को लें। हर कोई कहता है कि फगना व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराना है। मानो, उस दोष में अपना कुछ भी हाथ न हो। यह लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में राष्ट्र के प्रत्येक भले-बुरे काम का दायित्व प्रत्येक पर समान रूप से आता है। प्रत्येक दोष और प्रत्येक गलती के लिए प्रत्येक आदमी कारण है। अनुपात में फल हो सकता है, लेकिन दोष सबका है।

तो, समाज को इस बात का भान कराने की जिम्मेदारी आप शिक्षितों की है, शिक्षकों की है। लोकतंत्र को हमने अपनाया है, तो लोग अशिक्षित रहे तो किस काम चलेगा? हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन केवल सख्या से काम नहीं चलता है। गुण प्रथम चाहिए। जनता का गुण स्तर बढ़ाने का काम न योजना-कमीशन कर सकता है न एजुकेशन कमीशन। यह तो प्रबुद्ध नागरिकों का ही काम है समाज को शिक्षित करने के लिए कुतसंबल्य शिक्षकों का काम है।

आपको स्कूल में पढ़ाकर ही संतोष नहीं कर लेना है। शाला की चहार-दीवारों ही आपका शिक्षा-क्षेत्र नहीं है सारा समाज ही आपका स्कूल है इसका आपको भान होना चाहिए।

लडकों को आप ६ ७ घंटा इन कमरा में बैठाकर कुछ पुस्तकें पढ़ाते होंगे। लेकिन उधर समाज में क्या चलता है? क्या आप रेडियो टाल सकते हैं? सिनेमा

टाउ मकने है ? नाना प्रकार की हल्की पत्र-पत्रिकाओं और गन्दे साहित्य को टाउ सकते हैं ? घरों में क्या होता है ? सिनेमा, सिनेमा के गाने, गन्दे फैशनों की नकल, यह सब चञ्चलता है। स्कूल में बाहर जो सस्कार मिलते हैं, उनके लिए भी आप बुद्ध कर सकते हैं या नहीं ? यह भी आपके दायित्व में आता है या नहीं ? आपको मारे समाज का शिक्षक बनना है। आपका स्कूल सारा समाज है, सारा विश्व है।

अपियों के तपोवनो और गुरुकुन्दो का जमाना गया, जहाँ छात्र को समाज से दूर, एकान्त में रखकर शिक्षा दी जाती थी। आज समाज के बीच ही शिक्षा देनी तो समाज की शिक्षा का भार आपको लेना ही है।

दूसरी बात, उस जमाने में कहावत चञ्चली थी कि छड़ी बाजे छम-छम, विद्या आये छम-छम; लेकिन वह आज काम की नहीं है। यह खुरी की बात है कि विद्यालयों से छड़ी लगभग निकल गयी है। आम मान्यता बन गयी है कि दरइभय से मुक्त रखकर ही विद्या दी जानी चाहिए।

शिक्षा में से तो दरइ निकल गया, लेकिन समाज में तो वही दरइ और वन्दूक आज भी चञ्चली है। शिक्षकों का ही यह काम है कि समाज को भी दरइमुक्त करावें, बन्कि यहाँ तो उल्टा चञ्चलता है। शाला-कालेजो के आवरण में छात्रों की नियंत्रित करने के लिए पुलिस को, और कभी-कभी फौज को भी शाला के अधिकारी लोग ही बुलाने हैं। शिक्षक भी मौग करते हैं कि देरा में अणुबम बनाना चाहिए। यह शिक्षकों की बड़ी दूजिओ है।

इसलिए शिक्षकों को सजग होना चाहिए और समाज को सही नेतृत्व देना चाहिए। शिक्षक बनना गौरव की बात है। शिक्षक के व्यापक दायित्व का भान रखकर चञ्चलता चाहिए। छात्र-समाज में तथा बाहर के विशाल समाज में भी व्याप्त दोषों के लिए आप भी हैं, और उनका निवारण भी आपको ही करना है।

प्रश्न : महाभारत-काल से ही हम देखने प्राये हैं कि दुर्योधन, कंस जैसे लोग थे, जिन्हें भीष्म, कृष्ण जैसे महापुरुषों ने समझाया, तब भी वे समझे नहीं, तो आज मायो जैसे को कौन समझा सकेगा ?

उत्तर : हम-आज समझा सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न सूचित कर रहा है कि हमारा मन महाभारत के युग में जहाँ था, वही आज भी है।

शस्त्रान्नों की विचञ्चलता को क्या हम समझ नहीं सकते ? उन जमाने में शस्त्र-बद पर भारी विश्वास था। वे लोग मानते थे कि समस्याओ का हल शस्त्रों से

हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शस्त्र विफल हो गये हैं। प्रस्तर-युग में पत्थर और लकड़ी के शस्त्र चलते थे। शस्त्र तीव्र से तीव्रतर होने लगे, लेकिन समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

यह तथ्य आज सबको समझ लेना है और विशेषतः शिक्षा को समझ लेना है कि युद्ध किसी जमाने में घम रहा होगा, लेकिन उस जमाने का घम आज के जमाने में नहीं चल सकता। आज युद्ध निश्चित ही अवर्म है। घर्म का लक्षण तो समाज का धारण करना है। आज युद्ध समाज का धारण नहीं, संहार करता है। युद्ध से दोनों पक्षों का संहार होता है, सर्वनाश होना है। विज्ञान की प्रगति से, अणुशक्ति के आविष्कार से यही सिद्ध हुआ।

इसलिए शस्त्र-शक्ति नहीं, शब्द-शक्ति पर हमारा विश्वास होना चाहिए। हम इसी भाषा को लेकर चलना चाहिए कि आज माओ भी समझाने पर मजबूर सकता है और शब्द शक्ति में वह शक्ति है।

अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय

प्रश्न अध्यात्म और विज्ञान की एकता का क्या घम है ?

उत्तर वस्तुतः अध्यात्म और विज्ञान दो भिन्न चीजें नहीं हैं। दोनों एक ही हैं और दोनों का काम भी एक ही है और वह है समशीतल और एकता की सिद्धि। अध्यात्म समशीतल का काम अन्दर से आरम्भ करता है और विज्ञान बाहर से करता है।

और यह अन्दर बाहर का भेद भी वास्तविक नहीं है, यह मानव के मन का भेद है। मन हर वस्तु को टुकड़ों में बाँटकर देखने का आदी है। प्रकृति की दृष्टि में ऐसा कोई भेद नहीं है। ईश्वर और सृष्टि भिन्न नहीं है, सृष्टि ईश्वर का ही सगुण रूप है। सारी सकीर्ण मर्यादाएँ मन के द्वारा कल्पित हैं। स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा—अवजानति सा भूया मानुषी तनुमाभितम्—मनुष्य-शरीर में मैं हूँ इसलिए अज्ञान मेरी अवना करते हैं।

इसलिए हम मन से परे होने का नाम ही विज्ञान और अध्यात्म का मिलन है। अनीतता का अर्थ है दोनों की एकता है। अक्सर हम एक भूल करते हैं कि विज्ञान की जलद्विधियों को ही विज्ञान मान बैठते हैं। सामान्यतः की तन्त्रात्मक सिद्धि। वैज्ञानिक उपकरण और ही विज्ञान और। विज्ञान का सही अर्थ है समशीतल। इसलिए विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों का हम उपयोग तो करते हैं पर वैज्ञानिक नहीं है।

(समस्तीपुर २३ २ '६८)

मानवीय एकात्मता सहज कैसे हो ?

दादा धर्माधिकारी

विज्ञान ने मनुष्यों को बाहर से एक-दूसरे के नजदीक लाकर रख दिया है। बाहर से मतलब केवल यह नहीं कि एक-दूसरे के निकट अधिक हो उसका रूप भी एक-दूसरे से समान हो गया है। विज्ञान के कारण दो बातें आयी—पहली निकटता और दूसरी, एकरूपता। अब तीन-चार बड़े आदमी ले लीजिए। कल्पना कीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की एक बहुत बड़ी सभा है और उसमें चीन, भारत, इंग्लैंड रूस आदि सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो उनकी भाषा अलग-अलग होगी लेकिन उन सबकी पोशाक करीब करीब एक होगी—सूट-पैन्ट। उनमें एक-दूसरे में सघर्ष भी होगा। चित्र भी सबके करीब-करीब एक-दूसरे से मिलते-जुलते नजर आयेंगे। अगर मार्टिन लूथर किंग का रंग काला न होता तो, पोशाक उसकी भी एक है। आज के अधिकतर विद्यार्थी पेंट-बुशट में होते हैं और उन सबके बाल सिलून में कटते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बाहर से विज्ञान ने एकरूपता आ गयी है। समान स्तर और जीवन के कुछ समान पैमाने प्रचलित होने में अब परिणाम आ रहे हैं—कामन स्टैंडर्ड के। विज्ञान के कारण इस प्रकार का 'स्टैंडर्डिजेशन' होगा ही है। जैसे दुनिया भर में बुखार नापने का एक ही थर्मामीटर होता है।

जाहिर है कि दुनिया में आज मनुष्य के बाह्य जीवन के कुछ समान नाप आये हैं। लेकिन मनुष्य भीतर से अभी नजदीक नहीं आया है। यह 'इटीप्रान का प्रश्न है। यह प्रश्न इसलिए पेश हुआ कि विज्ञान मनुष्य को बाहर से नजदीक ला सका, लेकिन भीतर से उसने मनुष्य मनुष्य को निकट नहीं मिलाया। प्रश्न उठता है कि अभीतर तक पहुँचाने में कौन-कौनसी बाधाएँ हैं। मैंने तीन बाधाएँ मुख्य मानी हैं—१ धर्म २ संस्कृति और ३ भाषा। ये तीनों बाधाएँ न हों तो मनुष्य विज्ञान से जिनता निकट आया, उतना मनुष्य में भी निकट आ जायेगा। परन्तु हाँ सक्ता है कि वह निकटता पशु के स्तर पर हो, केवल प्राणी के स्तर पर हो, 'एनीमल सेचल' पर। शारीरिक निकटता प्राथमिक होती है। जैसे, आज हम आदिवासियों में देखते हैं कि उनमें अमंस्कृति अमम्यता, अरिश्चितता होती है, लेकिन उनमें एक अद्भुत प्रेम भी होता है, एक अद्भुत एकात्मता भी होती है। परन्तु उनका परातन प्राथमिक है। उसमें ऊपर वे नहीं आयेंगे।

इसलिए जहाँ-जहाँ पर मनुष्य के विचारों का विकास हुआ, तत्त्वज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, यहाँ कुछ पृथक्ता आती चली गयी। विशिष्टता आयी और उसके साथ कुछ भिन्नता भी आती चली गयी। और उसमें स आगे विरोधी पैदा हुए। तो हमलोगों को देखना यह है कि इस विरोध का स्वरूप क्या है। जब हम इस विरोध का स्वरूप देखने जाते हैं, तब हम उतनी देर के लिए भूल जाना चाहिए कि हम अमुक धर्म के हैं, हम हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। यह भी भूल जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं। सिर्फ हम मनुष्य हैं। अब यह समस्या मानवीय हो गयी।

आज की समस्या का स्वरूप

विज्ञान का एक गुण है कि वह कितनी समस्या को क्षेत्रीय नहीं होने देता। यह विज्ञान का एक प्रभाव है। जैसे पहले उद्योग म यदि अनाज हो जाता था तो वह सिर्फ क्षेत्र तक ही सीमित होता था, यान क्षेत्र म ही उस समस्या का हल हो जाता था। लेकिन आज वह समस्या सारे देश की बन जाती है। जैसे अब पाकिस्तान में कोई सुभान हुआ तो केवल पाकिस्तान तक ही वह सीमित नहीं रहता। हमारा पाकिस्तान से यद्यपि सघर्ष है, फिर भी हमारे यहाँ ऐसे कहनेवाले हैं कि इस समय हमको पाकिस्तान की सहायता करनी चाहिए, उसकी इस आपत्ति में सहायता करनी चाहिए। दुनिया भर के जितने लोग हैं सबके मन म उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है। वस्तुतः आज हमारी हर समस्या विश्व-रूप धारण करती है। जैसे अजुन ने जब चतुभुज का रूप देखना चाहा था तब वह ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जो भव्य, भयानक, रोद्र था, वह नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सभी विशेषताओं को भूल जाइए। केवल मानवता स ही विचार कीजिए। फिर भी इसमें धर्म, संस्कृति, भाषाएँ, ये तीनों बाधाएँ क्यों हुईं ? ये तो सबको जोड़ने, मिलाने के लिए पैदा हुई थीं। यही तो धर्म का प्रयोजन था कि मनुष्य को मनुष्य से मिलाये और ईश्वर को ईश्वर से। इसके लिए धर्म आया। संस्कृति किसलिए आयी ? मनुष्य मनुष्य के लिए नम्र बने। मनुष्य मनुष्य के लिए नम्र बने यही तो संस्कृति है न ? उसके स्वरूप अलग-अलग होंगे। मान लीजिए कि कई प्रात हैं—आसाम, बंगाल, उड़ीसा। तो उनकी बोली भिन्न होगी। कोई कहेगा 'जो', कोई 'आरा' कहेगा—इत्यादि। तो एक 'आज्ञा' कहेगा और दूसरा 'जी' कहेगा। इन दोनों शब्दों में अन्तर है। लेकिन भाव एक है। ईश्वर के सामने मनुष्य नम्र होता है, यह नम्रता दबाव नहीं है। मनुष्य से मनुष्य दबता नहीं है, ईश्वर के सामने मनुष्य नम्र होता है, यह संस्कृति का आविष्कार है।

संस्कृति का तत्त्व

संस्कृति की अभिव्यक्ति अलग-अलग हो सकती है। लेकिन संस्कृति का तत्त्व एक है। उसका 'करेंटेंट' भी एक है। मनुष्य में दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे जीवों के लिए भी प्रतिष्ठा की भावना होती है। यहाँ तक कि उसमें अपने शत्रु के लिए भी प्रतिष्ठा की भावना होगी। वह भावना जितनी अधिक होगी उतनी वह अधिक मुसम्भृत है और जितनी अहंकार की भावना होगी, उतना वह असम्भृत है।

मैं अंग्रेजों के जमाने में जेल में था तो जेजर मुझे पूछता था कि क्या आपको पान, मुपारी मिलती है कि नहीं। उन दिनों मेरी पान-मुपारी खाने की आदत थी। तो मैंने कहा कि यहाँ खाने का नियम नहीं है, मिलेगा तो खाऊँगा। तब उसने मुझे जवाब दिया कि कल अगर सरकार मुझमें बहती है कि आपको निकाल कर कोड़े मारो तो मैं मारने में नहीं हिचकूँगा। पर इस तरह मैं आपका अभिमान नहीं करूँगा, क्योंकि आप उस तरह के अपराधी नहीं हैं।

ऊपर मैंने तीन वाक्यांश वा जिक्र किया है। वे वाक्यांश क्या हो गयी? क्योंकि उनमें अपने-अपने को बड़ा बताने के लिए विवाद हुआ। कोई कहता है कि मेरा धर्म पहले हुआ, तो पहला देवता मेरा हुआ, इत्यादि।

धर्म और सम्प्रदाय

जो मनुष्य को मिलाने के लिए आये थे, वे एक को दूसरे से अलग करने लगे। मार्क्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि धर्म अफीम है, जो लोगों को भुगवे में डालता है। लेकिन यह कहते-कहते मार्क्स ने भी एक दूसरे अलौकिक धर्म की स्थापना कर दी। धर्म याने क्या होता है? धर्म में एक सबन बड़ी विशेषता हानी है कि वह गलती नहीं कर सकता। जो वह कहता है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रमाण है। तो जब धर्म इस अवस्था में आ गया तो मैं कहता हूँ कि मेरा वेद स्वतः प्रमाण है। इसी प्रकार मुसलमान और ईसाई, कुरान और बाइबिल के लिए अभिमान रखते हैं। इस प्रकार इसमें भी मैं, तू, हम खड़े हैं। तो इनमें भी सघर्ष है। जिनमें सघर्ष है, वे दो प्रकार के हैं। एक वह है, जो धर्म जन्म-सिद्ध है। इस धर्म में आप जन्म लें तो धर्म आपका। तो मैंने जन्म-सिद्ध धर्म कहा। तो ऐस कौन-कौनसे धर्म हैं? साधारणतया हम दो-चार नाम लेते हैं। जैसे हिन्दू धर्म कहते हैं। यह जन्म से ही प्राप्त होना है। यह जन्माश्रित है। शायद पारसियों का धर्म भी ऐसा ही है। तीसरा, ऐसा धर्म बहुत कुछ अंश में यूरुदियों का धर्म है। ऐसे कुछ धर्म हैं, जो धर्म जन्मतः प्राप्त होते हैं। जैसे आजकल अब हिन्दुत्व भी लिया जा सकता है। लेकिन इसमें धर्म नहीं मिलता है। मुख्यतः यह जन्म से

प्राप्त है। हो सकता कि कुछ धर्म मनुष्य अपनी इच्छा से ले सकते हैं। ऐसे धर्म हैं १ बौद्ध धर्म, २ ईसाइयो का धर्म, ३ इस्लाम धर्म, ४ सिख धर्म, ५ जैन धर्म। ये पाँच धर्म मनुष्य अपनी इच्छा से ले सकते हैं और अपनी इच्छा से छोड़ भी सकते हैं इसलिए इन धर्मों को संप्रदाय कहते हैं। तो संप्रदाय में हम अपनी इच्छा से जा सकते हैं और अपनी इच्छा से निकल सकते हैं। संप्रदाय—जिसमें 'ब्रीड' होने हैं या क्रियाशील होता है यह एक पथ है एक संप्रदाय है। इन संप्रदायों में एक गुण सामान्यतया यह होता है कि जितने संप्रदाय हैं वे दूसरे संप्रदायों को अपने में लाना चाहते हैं। इसे 'एग्र सिवनेस' कहते हैं। यह आक्रमणशील है क्योंकि यह दूसरों को अपने में शामिल करना चाहता है। तो जो दूसरों को अपने में लेना चाहता है वह प्रचार का प्रयत्न करेगा और उस धर्म का प्रचार होगा और ऐसा प्रचार होगा कि दूसरे धर्मवाले अपने धर्म को छोड़कर उसमें आयें। इसके लिए वह दूसरों की निन्दा करेगा और अपने धर्म की स्तुति गायेगा।

अब हर संप्रदाय में एक बात और होती है। उसके कुछ 'सिवन', संकेत होते हैं। लेकिन जब उन संप्रदायों के सिवा चिह्न ही अवशेष रह गये हैं। क्योंकि सभी संप्रदायों के कुछ अपने-अपने चिह्न होने हैं। इसलिए मनुष्य जब एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में चला जाता है तो वह एक समाज से दूसरे समाज में चला जाता है। याने धर्मान्तर में समाज-परिवर्तन होता है। बज आफ रेलिजन मींस चेंज ऑफ कम्युनिटी। संप्रदाय के दो सामान्य गुण मैं आपको बताय।

(१) संप्रदाय में एग्र सिवनेस होता है—याने वह दूसरे को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है।

(२) संप्रदाय-परिवर्तन के साथ समाज-परिवर्तन भी होता है।

संप्रदायों के दो प्रकार

एक संप्रदाय में और दूसरे संप्रदाय में कुछ भेद भी होते हैं। कुछ संप्रदाय 'मिनिस्ट्री' नहीं हो सके कुछ 'मिनिस्ट्री' होते हैं—एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को परास्त करना चाहता है और कुछ ऐसा नहीं है जो कबल प्रचार करनेवाले होते हैं। तो वेचल जो अपना प्रचार करनेवाले हैं एम वीन-वीनस हैं? पुराने जमान में जैन थे, आज बौद्ध। ये दो संप्रदाय एक थे कि जा या तो दूसरा को अपने में शामिल करवाने में लेकिन 'मिनिस्ट्री' नहीं। वे कुछ प्रचार करते हैं। दूसरे कुछ हैं जो 'मिनिस्ट्री' होते हैं। उनमें में सारा अर्थ 'मिनिस्ट्री' इस्लामी और ईसाई हैं। लेकिन उनमें भी अब पुराने गुण से एक अंतर हो गया है। वह अंतर यह है कि उन्होंने राजमत्ता और धर्ममत्ता को एक तरह से भिन्न माना। राजमत्ता और धर्ममत्ता में वे अन्तर नहीं मानते।

राजसत्ता और धर्मसत्ता में एक भेद शुरू से माना गया है। ख्रिस्ता धर्म में एक द्रैत नाम चलाया। हमारा देश धर्म-निरपेक्ष राज है। यहाँ 'सक्युलर स्टेट' आया। तब यहाँ 'मिलिटेंट' होने हुए भी राज की इस्लाम जैसी प्रखरता नहीं आयी, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि ये सारे धर्म—सिख, जैन को छोड़कर—बौद्ध, इस्लाम, ख्रिस्ती, अंतर्राष्ट्रीय हैं। किमी एक देश में नहीं। तो ये तीन अंतर्राष्ट्रीय हैं। पाकिस्तान का धर्म तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक है।

तो संप्रदाय अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन धर्म-सत्ता और राज-सत्ता दोनों का अभिन्न नाम है। इसलिए हमें ऐसा गैर-मुसलमान को उसमें लेना नहीं चाहते, उसमें से निकालना चाहते हैं। उन 'हिज्रत' कहते हैं। जैम मक्का में मुहम्मद साहब मदीना चले गये। तो, ऐसा राज, जिसमें मुसलमान सत्ता नहीं, कुरान और मुहम्मद नहीं, उस राज्य में मुसलमान को नहीं रहना चाहिए। मेरा देश और राज्य नहीं, इसलिए मैं उस देश में नहीं रहूँगा, इसमें मैं 'एक्स्ट्रा टेरिटोरियल'—देशवाह्य निष्ठा—अतिदेशिक निष्ठा पैदा होनी है। परंतु अतिदेशिक निष्ठा का राज मुसलमानों का होना चाहिए, जिसमें से आज हमारी हिन्दू-मुस्लिम समस्या पैदा हुई है।

मैंने अपने साथ कृपाण रख सकते हैं, क्योंकि उनकी संप्रदाय-निष्ठा देश-निष्ठा से बलवान होनी है और उनके 'कास्टोडियन' में भी है। कोई हिन्दू मुसलमान बनना चाहे तो बन सकता है और फिर हिन्दू बन सकता है, लेकिन कोई मुसलमान हिन्दू नहीं बनगा, क्योंकि उसमें 'एक्स्ट्रा टेरिटोरियल' है। ऐसे देश में जहाँ कुरान और मुसलमान राज नहीं होता है, यदि मुसलमान होने हैं और उस देश को छोड़कर चले जाते हैं तो धार्मिक समझे जाते हैं। 'एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लायल्टी' से मतलब है—राज्य को बदलना और मेरी संप्रदाय-निष्ठा मेरी देश-निष्ठा से बलवान है यह मानना।

पाकिस्तान इस्लामी देश है। बौद्ध धर्म तो कई देशों में है। एक बर्मा राज ने उसको स्वीकार किया है, जो हमारे पड़ोस में है। तो दो प्रतिदेशी राष्ट्र ऐसे हैं, जिनमें से एक इस्लामी गणराज्य है और दूसरा बौद्ध धर्मी। बौद्ध धर्म के धर्मानुयायी कहते हैं कि हिन्दू तो जममिद से भारत के राजभर में है। हिन्दू धर्म भारत से बाहर नहीं है। नेपाल में है, लेकिन नेपाल तो बना हुआ राष्ट्र है। याने भारत के बाहर नहीं भी हिन्दू धर्म नहीं है। फिर भी यहाँ पर हिन्दूधर्म को 'मेजरिटी' याने बहुमत का धर्म मानते हैं।

—किशोर शांति-दल सिबिर, पुरी के भाषण से।

सामूहिक और वैयक्तिक अध्यापन

वशीधर श्रीवास्तव

अध्यापन के साथ कक्षा की भावना जुड़ी हुई है। एक अध्यापक द्वारा एक शिष्य का अध्यापन भी अध्यापन ही है, किन्तु जब हम 'अध्यापन' या 'शिक्षण' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो १०-२० छात्रों को पढाते हुए अध्यापक का चित्र सामने आता है। प्रारम्भ से ही अध्यापन का अर्थ सामूहिक शिक्षण ही रहा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि सभ्यता के आरम्भ में अध्यापन की इकाई वैयक्तिक ही थी, परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा नहीं था। सम्भवतः सबसे पहली कक्षा उस गुफा में लगी थी, जब एक वृद्ध अनुभववी मानव के चारों ओर कुछ लोग उसमें पत्थर का भोजार बनाना सीखने के लिए एकत्र हो गये होंगे। इसके बहुत बाद भारतवर्ष में गुरुकुलो, आश्रमों और यूनान के प्राचीन एकादमियों के चित्र के साथ भी एक गुरु द्वारा एक से अधिक शिष्यों के शिक्षण का चित्र ही सामने आता है।

वास्तव में शिक्षण एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव अपने उस अज्ञित ज्ञान को, जिसके द्वारा उसे सुस्तपूर्वक जीवन-यापन करने में सहायता मिली है, अपनी सतान को देता है। जब शिक्षण का यह कार्य अविधिक सस्थाओं (जैसे परिवार) द्वारा सम्पन्न किया जाता है तब वह भले ही वैयक्तिक रहे, परन्तु जिस समय वह किसी सविविक सस्था (जैसे विद्यालय) के हाथ में आता है वह सामूहिक हो जाता है। समूह में शिक्षण ही तब वह अधिक सुविधाजनक होता है।

उच्च कोटि के शिक्षण की विधि क्या हो ?

सामूहिक शिक्षण के स्थान पर वैयक्तिक शिक्षण के आन्दोलन ने उस समय में जोर पकड़ा, जब मनोविज्ञान का पर्याप्त विकास हो गया और मनोवैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया कि बाल्को में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, अतएव उनका शिक्षण भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाय। यह सत्य है कि एक ही कक्षा में भिन्न-भिन्न स्तर के विद्यार्थी रहते हैं। उनकी रुचियाँ भी भिन्न होती हैं, किसीकी गणित में रुचि होती है तो किसीकी साहित्य में, कोई पढ़ने-लिखने में तेज होता है, और जो भी पढाएँ शीघ्र ही समझ लेता है, तो कोई हाथ का काम बच्चा

कर लेता है और किसीकी स्मरण-शक्ति अच्छी होनी है तो कोई रात भर रटता है, फिर भी सबेरे सब भूल जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिसे अम्बीकार नहीं किया जा सकता। अतः अधिक मनोवैज्ञानिक बहरी होगा कि विद्याभ्यास की वैयक्तिक रुचि और बौद्धिक स्तर के अनुसार ही उनकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, जिससे अन्वेषण का कार्य अधिक प्रभावकारी हो और बालको की वैयक्तिक शक्तियों और सम्भावनाओं का अधिक-से-अधिक उपयोग उनके सकल शिक्षण के लिए किया जाय। वैयक्तिक शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी की वैयक्तिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। बालक के सहज व्यक्तित्व का विकास तभी सम्भव होगा, जब उसे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपनी गति से प्रगति करने का अवसर दिया जाय। बालक के समुचित विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे शिक्षक का व्यक्तिगत सम्पर्क और ध्यान प्राप्त हो। यह वैयक्तिक शिक्षा से ही सम्भव है। अतः उच्च कोटि का शिक्षण के लिए वैयक्तिक शिक्षण की पद्धति उपयोगी है।

सामूहिक शिक्षण का गुण

वैयक्तिक शिक्षण का आदर्श है—'एक बच्चे के लिए एक अध्यापक'। परन्तु जब राष्ट्र के सभी बच्चों की शिक्षा होनी है तो इतने अध्यापक वहाँ से धार्ये? कौनसा राष्ट्र इतना धन्य कर सकेगा? अतः वैयक्तिक शिक्षण की विधि व्यावहारिकता की कमीटी पर खरी नहीं उतरती। व्यावहारिकता की दृष्टि से सामूहिक शिक्षण को ही अपनाना पड़ेगा। आज के युग में यही उसका सबसे बड़ा गुण है।

परन्तु सामूहिक शिक्षण-विधि का सबसे बड़ा गुण यही नहीं है कि वह सस्ती है और उसके द्वारा राष्ट्र के सभी बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। उसका उतना ही बड़ा गुण यह भी है कि यह बालको की सामाजिक भावना का विकास करती है। सामूहिक शिक्षण द्वारा बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ-साथ पढ़ने से बालक का समाजीकरण होता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और विद्यालय एक सामाजिक संस्था। शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है बालक के व्यक्तित्व का इस प्रकार विकास करना कि वह एक सफल नागरिक बनकर समाज में अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यह सभी युगों में सत्य था, परन्तु आज के समाजवाद और लोकतंत्र के युग में और भी अधिक सत्य है। इसलिए सामूहिक शिक्षण ही युग के अनुरूप है।

बच्चा से माप-माप पढ़ने से बालको में परस्पर मित्र-बुलन्द रहने के भाव उत्पन्न होते हैं और वे समय पर एक-दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। वे अपने स्वार्थों को दूसरे के लिए छोड़ना और दूसरों की सेवा करना सीखते हैं। ये

एंगे गुण हैं, जिनका विकास वैयक्तिक शिक्षण से नहीं हो सकता। ये गुण तो समूह में रहने और कार्य करने से ही विकसित होते हैं। सामूहिक शिक्षण से निम्न-लिखित लाभ हैं :—

१. इसमें समय और शक्ति की बचत होती है। यह सत्य है कि एक बच्चा में कुछ तीव्र बुद्धि के छात्र होते हैं और कुछ मन्द बुद्धि के। अध्यापक सबको एक ही पाठ एक ढंग से पढ़ाता है। अतः इस शिक्षण से न तो तीव्र बुद्धिवालों को लाभ होता है और न मन्द बुद्धिवालों को। तीव्र बुद्धिवालों को अपनी गति धीमी करनी पड़ती है और उनकी प्रगति में बाधा पड़ती है। मन्द बुद्धिवाले कक्षा के माय नहीं चल पाते। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ होती हैं, जिन्हें अध्यापक दूर नहीं कर पाते; फलतः वे पीछे छूट जाते हैं और अध्ययन में उनकी रुचि नहीं रह जाती है। इस प्रकार तेज और कमजोर, दोनों प्रकार के लड़कों की हानि होती है। परन्तु कक्षा में अविकाराध्य सामान्य बुद्धि के होने हैं। उनकी बुद्धि-वृद्धि में अन्तर तो होता है, परन्तु बहुत बड़ा नहीं। अतः उनकी अविकाराध्य कठिनाइयाँ भी एक-सी होती हैं। सबको एक धार समझा देने से काम चल जाता है। इस प्रकार समय और व्यक्ति की बचत होती है।

२. सामूहिक शिक्षण से बालकों में स्पर्धा की भावना जागृत होती है। स्पर्धा में प्रेरणा की शक्ति होती है, एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा होती है। व्यक्तिगत प्रगति के लिए स्वस्थ स्पर्धा-भावना का बड़ा मूल्य है, अकेले रहने से यह भावना नहीं जागती।

३. चरित्र के कुछ दूसरे और गुण हैं, जो समूह में ही उत्पन्न होते हैं। अनुकरण बालक की सहज प्रवृत्ति है। इस पद्धति के विकास और पोषण के लिए बालक का समूह में रहना आवश्यक है। अकेला बालक अपने अध्यापक के अलावा दूसरा किसका अनुकरण करेगा? अनुकरण अनेक कौशलों की आधार-शिला है। अनुकरण से बालक बहुत सीखता है।

४. सामूहिक शिक्षण से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी होता है कि इसमें व्यक्ति का संकोच और शिक्षक दूर होती है। शिक्षक आत्मप्रकाशन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। समूह में दूसरों की देखा-देखी कुछ बोलने, कुछ करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। समूह के साथ काम करने से यह बहुत बड़ा लाभ है। 'सात पाँच मिल कोर्जे काज, हारे-जीत न आवे लाज', यह पुरानी कहावत है, जिससे सामूहिक शिक्षण के पक्ष का समर्थन होता है।

५. इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी हैं, जिनका प्रभावकारी शिक्षण व्यक्तिगत प्रणाली से नहीं हो सकता। साहित्य, संगीत, कला, समाज-शास्त्र, धर्म

आदि ऐसे हो विषय हैं। ये ऐसे विषय हैं, जिनको अध्यापक सभी अधिक उत्साह से पढ़ा पाता है, जब वह समूह को पढ़ाता रहता है। इन विषयों के लिए सामूहिक शिक्षण-पद्धति ही अच्छी है। समूह के सामने अध्यापन करने की चेष्टा अध्यापक को स्वाध्याय की प्रेरणा देती है। वह स्वयं धुब पढ़ना है और यथाशक्ति अपने विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा करता है। समूह अध्यापक के मर्मश्रेष्ठ को बाहर लाता है।

सामूहिक शिक्षण की न्यूनताएँ

यह सब होते हुए भी सामूहिक शिक्षण-पद्धति अध्यापक-केंद्रित है, बालक-केंद्रित नहीं। इस पद्धति का क्रियाशील प्राणी अध्यापक है, विद्यार्थी नहीं। वह तो निष्क्रिय श्रोता है। यही निष्क्रियता सामूहिक शिक्षण का अभिशाप है। बालक क्रियाशील प्राणी है। सामूहिक शिक्षण-पद्धति में उसे अपनी रुचि के अनुसार काम करने का अवसर बहुत कम मिलता है। इस पद्धति में अध्यापक का शिष्य के साथ सम्पर्क भी कम हो जाता है। कभी-कभी जब कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब तो अध्यापक बहुत-से विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं जान पाता। शिक्षण-प्रक्रिया में अध्यापक का बहुत गरिमाभय स्थान है। वह विद्यार्थियों की प्रेरणा का स्रोत है। उमका सम्पर्क ही वह पारस है, जो विद्यार्थी को सोना बनाता है। जिस शिक्षण-पद्धति में पारसमणि ही खो जाय, उममें निरवय ही सुधार की आवश्यकता है।

- इसीलिए अनेक शिक्षा-शास्त्रियों ने सामूहिक शिक्षण-पद्धति में सुधार करने के लिए उसमें वैयक्तिक शिक्षण-पद्धति के गुणों को सम्मिश्रित किया है। ऐसी चेष्टा की गयी है कि बालकों की व्यक्तिगत रुचियाँ और बौद्धिक भिन्नताओं के अनुसार उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और काम करने का अवसर प्रदान किया जाय और उन्हें षष्ठा-सम्भन अध्यापक का सम्पर्क और उनकी व्यक्तिगत सहायता प्राप्त हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि कक्षा में बालकों की संख्या २०-२५ से अधिक न हो, जिससे व्यक्तिगत सहायता दी जा सके। कुछ लोग उन्हें टोलियों में बाँटकर आधे भाग में शिक्षण, आधे भाग में स्वाध्याय अथवा स्वक्रिया की व्यवस्था करते हैं, जिनमें सामूहिक और वैयक्तिक, दोनों ही विधियों का लाभ उठाया जा सके।

वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षण का कितना सामंजस्य हो? इंग्लैंड के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री सर परसीनन कहते हैं—सबसे सन्तोषजनक सामंजस्य ५० प्रतिशत सामूहिक शिक्षण (कक्षा-कार्य) और पचास प्रतिशत वैयक्तिक शिक्षण (व्यक्तिगत कार्य और स्वाध्याय) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। •

स्वराज्य आश्रम, वेङ्छी : एक परिचय

जब सन् १९२१ में महात्मा गांधी ने असहयोग की अहिंसक लड़ाई के लिए बारडोली तहसील को चुना तब लड़ाई की पूर्वतयारी के रूप में तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक प्रवृत्तियों का आन्दोलन काफी रफ्तार में चला था। इसी वक्त तहसील के रानीपरज—आदिवासी प्रदेश में भी अधिक मात्रा में हलचल चली थी। वेङ्छी इस आदिवासी, आदिमजाति प्रदेश का केन्द्र था।

चौरीचौर के हत्याकाण्ड के कारण असहकार आन्दोलन बन्द किया गया, लेकिन बारडोली तहसील में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ तो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रही। आदिवासी गाँव वेङ्छी में चरखे मोल लिये और सूत कतना सीखने के लिए बारडोली आश्रम से एक कार्यकर्ता की माँग की। उसके जवाब में बुनाई-काम जाननेवाले अपने तीन-चार आदिवासी सहायकों की टुकड़ी के साथ श्री चुनीभाई महेटा वेङ्छी में सन् १९२४ में आ पहुँचे। और वहाँ से आदिवासी अगुआ स्व० जोगण पटेल की द्रोणडी में आकर बास किया। इस प्रकार वेङ्छी आश्रम का श्रीगणेश हुआ।

गाँव के बहुत-से भाई-बहन अपनी कताई की खादी के कपड़े पहनने लगे। वेङ्छी के आसपास के गाँवों में भी इस वातावरण का अच्छा असर हुआ। कमरा, चरखा, खादी का फैलाव हुआ। दो-तीन सालों में करीब २०० गाँवों के सैकड़ों परिवार चरखे अपनाकर खादीपारी हो गये।

रानीपरज विद्यालय

खादी-काम के लिए वेङ्छी आश्रम में चरखे और कारखों के वर्ग मन्त ही चलाये जाते थे। इस अरसे में श्री जुगतधम दवे तथा चीमनभाई भट्ट वेङ्छी में आकर बसे। उन्हें शिक्षा में अधिक दिलचस्पी होने के कारण जब बुनाई-वर्गों को राष्ट्रीय

शिगा को सस्था 'रानीपरज विद्यालय' का स्वरूप दिया गया। इस विद्यालय का आरम्भ कर्ताई बुनाई आदि की प्रक्रियाएँ सिखाने का तो था ही, इसके बलावा इस प्रदेश के आदिवासी ग्रामजना के वाले इसी स्थानिक समाज म स सबक पैदा करना भी था।

सन् १९२८ म बारडोली तहसील क किसानाने ने बनाय गय जमीन क लगान क खिलाय सरदार बल्लभभाई पटेल क नेतृत्व मे नाकर का अहिंसक सत्याग्रह चलाया। इसम बड्डी की ग्राम-जनता, आश्रम के कार्यकर्ता एव विद्यार्थियो न अच्छा हिस्सा लिया। सत्याग्रह का सफल परिणाम आन पर बारडोली और आम तोर पर गुजरात क बहुत स हिस्सो म चरखा-केन्द्रित रचनात्मक आन्दोलन की बाढ आयी। इस प्रवृत्ति के लिए बारडोली और इसके आसपास के तहसीलो म छोटे-छोटे सात-आठ आश्रम कायम किये गये।

अब वेड्डी आश्रम के रानीपरज विद्यालय की त्वरित गति स तरक्की होने लगी। आश्रम म आदिवासी विद्यार्थी, ग्रामसेवक तथा जुनाहा का बडा पूय पैदा हुआ, और वेड्डी के स्वराज्य आश्रम को वह स्वरूप प्राप्त हुआ, जो आज दिखाई देता है।

नमक-सत्याग्रह

बारडोली की नाकर' की लडाई तो स्थानिक स्वरूप की थी, किन्तु इस हकीकत ने कि इन भोले भाले स्वभाव के ग्राम-किसानो ने साम्राज्य-शुक्रमत को मजबूर किया था, सारे भारत देश के वातावरण पर गहरा प्रभाव डाला और देश म गमी ला दी। फलत सन् १९२९ की लाहौर कांग्रेस ने पूण स्वातन्त्र्य का प्रस्ताव स्वीकार किया, और एक साल मे स्वराज्य' देने की अंग्रेज सरकार को ललकार दी। इस ललकार को साधक करने के लिए गांधीजी ने रचनात्मक प्रवृत्तिपा का आन्दोलन तीव्रतर बनाया और वर्ष के अन्त मे सरकार को थोर से प्रत्युत्तर न मिलन पर सन् १९३० मे 'नमक-सत्याग्रह' की मराहूर लडाई की घोषणा की।

इस नमक सत्याग्रह म बारडोली तहसील के दूसरे विभागो की तरह वेड्डी आश्रम एव इदगिर्दे के खादीवासी आदिवासी किसानो न भी प्रशाननीय हिस्सा लिया। खादी और मद्य-निषेध की प्रवृत्तियाँ अधिक मात्रा म आग बढीं। जेय यात्रा करले म भी आदिवासी लोगो ने अच्छा सहयोग दिया। लडाई की आग को बुझाने के लिए सारे देश मे गिरफ्तारी आदि अयाचार किय गय। उनम वेड्डी आश्रम के मुख्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। देश की अनेक राष्ट्रीय

संस्थाओं के साथ बड़ो आश्रम को भी सरकार ने जन्म कर लिया । इस दौरान आश्रम की सेतीबाडी और मकान अत्यन्त बरबाद हो गय ।

जन्ती म से आश्रम मुक्त होने पर उसकी पुन मरम्मत की गया और स्टाडी, शिशा आदि प्रवृत्तियाँ फिर म शुरू कर दी गयी । इसने बाद स्वराज्य-संग्राम के दौरान पुन दो दसा बडो आश्रम जन्म लिया गया । दीध समय तक जन्ती म रखन के बाद अत्यन्त नुकसान के साथ आश्रम याप्त कर दिया गया ।

सन् १९३८ म हरिपुरा गाँव म तापी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ५१ वाँ अधिवेशन हुआ । उसम बडो आश्रम म कायन्ताआ तथा विद्याधिया ने विट्टलनगर क सफाई-काम की जिम्मेवारी अपने सिर ली थी ।

बुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ

सन् १९३८ क य दिन देश म बुनियादी शिक्षा क जन्म म थे । बडो आश्रम के आसपास क २२ देहाता म बुनियादी पाठशालाआ का सघन क्षत्र अस्तित्व म आया । बड़ो गाँव की बुनियादी पाठशाला का सचान्न बड़ो आश्रम को सुपुद किया गया । छोडे वर्षों के बाद आश्रम क रानीपरज विद्यालय को उत्तर बुनियादी विद्यालय के प्रयोग क रूप म चालू कर दिया गया ।

स्वराज्य सरकार आने के साथ ही देश म नशाबदी, ऋणराहत और गणोत-नियमन जैसे कानून लागू किये गये । सुरत जिले मे इन कानूनों को अमल म लाने का बड़ो आश्रम एक गहत्व का केन्द्र बना । उसके प्रयत्नों के कारण इस प्रदेश म इन कानूनों का अमल ठीक तोर से हुआ । इन कानूनों के द्वारा लेन-देन का पुराना महाजनी मार्ग बन्द होने के कारण आदिवासी किसानवर्ग निरावार स्थिति मे न फँस जाय इसलिए उन लोगों की विविध कायकारी सहकारी मडकियाँ बारडोनी और सुरत जिले के करीब सभी आदिवासी आबादी के तहसीलो म शुरू कर दी गयी और उसम इस प्रदेश के अधिकतर गाँव समाविष्ट कर दिये गय ।

स्वराज्य के वर्षों मे आदिवासी-सेवा का कार्य जिले की सभी तहसीला म फैलने लगा । आश्रम म शिक्षा पाय हुए और आश्रम के वातावरण स प्रभावित सेनक और खादीनारी प्रागवासियों ने चारों ओर सवाकार्य शुरू कर दिये । उन सबको संगठित करके 'रानीपरज सवासभा' नामक संस्था का सन् १९५१ म प्रस्थापन किया गया ।

जगल कामदारों की सहकारी मडकियाँ

सुरत जिले म बहुत बडा प्रदेश जगलो का होने की वजह से वहाँ की आदिवासी प्रजा जगल विभाग के नोकर तथा जगल-कटाई पर ठेका रखनेवाले व्यापारी वर्ग के द्वारा कुत्सित व्यवहार, अत्याचार और शोषण की चगुल म पँसी रहती थी । राज्य म

जगल कामदारों की सहायता के लिए योजना शुरू की गयी। मुरत जिले में यह प्रवृत्ति 'रानीपरज सेवासभा' ने बड़े उत्साह के साथ अपने सिर से ली। इसके फलस्वरूप आजकल ६० जगल कामदार मजदूरियाँ कार्य कर रही हैं। और जिले का करीब सारा जगल काटने का कार्य इन मजदूरियों के हाथों में आ चुका है।

हलपति सेवा सघ

मुरत जिले के गाँवों में पुराने जमाने से 'हाल प्रथा' नामक जंगलवासी की पद्धति में आदिवासी जनजातों का पशु चराने का व्यवस्थापन चल रहा था। उनकी तरकीब का बाय हरिपुरा का प्रयोग बाद में शुरू किया गया। हरक कुटुम्ब को अपनी जमीन पर अपना स्वतंत्र घर हो, ऐसा कार्यक्रम गुजरात सरकार के सम्मुख पेश कर दिया गया है। अब हरक कुटुम्ब का घर बना देने का कार्यक्रम बाकी है।

हलपतियों की आबादी घटती-घटती की जमीन के मुकाबिले में अधिक है, जिसके कारण उनका लिए ग्रामोद्योगों की तालीम की योजना महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसके लिए प्रयत्न चलाने हैं। हलपतियों को नशामुक्त करने का कार्यक्रम शीघ्र गति में शुरू कर दिया गया है, जिसको अधिक सफलता मिल रही है। हलपति लोग ग्रामपंचायत की योजना में प्रतिदिन उत्साह प्रकट कर रहे हैं। कहीं-कहीं उन्हें ग्रामपंचायत के अध्यक्ष बनकर गाँव की सेवा करने के सुअवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। उनकी गति विकास की ओर है। आश्रमशालाएँ, छात्रालय, बालवाडियाँ आदि बाय हलपतियों को शिक्षा की ओर अभिमुख कर रहे हैं। अब हलपतियों की मजदूर-मजदूरियों और सेविंग्स मजदूरियों स्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इन्हीं सब कार्यों के लिए सन् १९६१ में 'हलपति सेवा सघ' नामक संस्था स्थापित की गयी। जिला पंचायत की ओर से तीन तहसीलों में हलपतियों के लिए सर्वोदय-योजनाएँ चालू कर दी गयी हैं। हरक योजना में २० से ३० गाँव समाविष्ट हैं। उनका संभालना हलपति सेवा सघ करता है।

शिक्षा-क्षेत्र में रानीपरज सेवासभा ने आग्रह रखा है कि शिक्षा की सारी प्रवृत्तियाँ नयी तालीम पद्धति में ही कार्यान्वित की जायें। सेवासभा द्वारा नयी तालीम की विभिन्न कक्षा की समस्याएँ चलायी जाती हैं वे निम्न प्रकार हैं

रानीपरज सेवासभा ने जिले की सभी तहसीलों में जगलवासी अनुसूचित जातियों के कुमारा तथा कयाजा के छात्रागण शुरू किये हैं। इन छात्रागणों के बालकों को गाँवो-विचार के संस्कार एवं राष्ट्रीय जीवन का वातावरण देने की कोशिश की जाती है। जिन गाँवों में छात्रालय स्थापित किये जाते हैं, वहाँ की पाठशालाएँ बुनियादी बनायी जायें ऐसा प्रयत्न किया गया है, जिनमें छात्रों का उद्योगमय राष्ट्रीय शिक्षा का फायदा पहुँचे। मुरत जिले में आजकल रानीपरज सेवासभा सेवान्वित कुमारा के

१७ और कन्याओं के ११ छात्रागृह हैं। इनका पायदा १०६५ छात्र तथा ५५५ छात्राएँ उठा रही हैं।

भविष्य में आदिमजाति में शिक्षा का अधिक प्रसार हो मने इस वास्तु आश्रमशाळा नामक योजना सरकार ने स्वीकार की। इस योजना में बुनियादी शिक्षा खेती सघन उद्योग के लिए जमीन और गृहा की मुक्ति दी गयी थी। रानी परज सेवामा आदिवासी विभागों में १८ आश्रमशाळाएँ खग रही है। और इनमें ८०० छात्र तथा ७६० छात्राएँ नयी तालीम की शिक्षा ले रहीं हैं।

गुजरात नयी तालीम सघ

बुनियादी शिक्षा के मुक्त जिले में एवं गुजरात के दूसरे जिलों में मिले हुए अनुभवों के फलस्वरूप गुजरात में गुजरात नयी तालीम सघ नामक संस्था कायम की गयी। गुजरात नयी तालीम सघ ने राज्य में ठीक प्रकार से बुनियादी शिक्षा की उन्नति हो तथा सरकार के काय भी शूद्ध माग पर प्रगति करे इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये। सघ ने नयी तालीम के सिद्धान्तों के अनुसार बाल्याडियों की हल्चल शुरू की और सैकड़ों स्त्री-मुद्रा को उसकी तालीम देने के शिविर चलाये। १४ शिविरों में कुल मिलाकर १६४ शिविराएँ और १७४ शिष्यको को तालीम दी गयी है।

बुनियादी शिक्षा की शालाओं की संख्या बढ़ने पर गुजरात नयी तालीम सघ ने सरकार को उत्तर बुनियादी शिक्षा की योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की। उसके फलस्वरूप गुजरात राज्य ने उत्तर बुनियादी योजना स्वीकृत की। वेदछे तथा मही आश्रमों के उत्तर बुनियादी विद्यालयों में एवं गुजरात के दूसरे विभागों के प्राप्त अनुभव यह योजना बनाने में बहुत ही सहायक साबित हुए हैं।

इस प्रकार राज्य-स्वीकृत उत्तर बुनियादी योजना बनने के कारण मुक्त जिले में ८ कन्याओं तथा ११ कुमारों के—कुल मिलाकर १६ उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं। और उनमें ५६१ कन्याएँ तथा ६८६ कुमार पढ़ रहे हैं। १४८ छात्राएँ और २४१ विद्यापी उत्तर बुनियादी शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

गुजरात के दूसरे विभागों में भी लोग इस उत्तर बुनियादी योजना में दिलचस्पी ले रहे हैं। आजकल राज्य में ४७ से अधिक उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं।

आदिवासियों की उच्च शिक्षा

उत्तर बुनियादी शिक्षा पूर्ण करनेवाले कुमार और कन्याओं में से कई उच्च स्तर पर देश की शिक्षा और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ करने की योग्यता पा सकें

इसलिए उनको निम्नांकित दो उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अधिन पढाई के लिए भेजा जाता है—

१. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
२. लोकभारती, सणोसरा

बुनियादी शिक्षा

सुरत और वज्जमाद जिलों में कुछ मिलाकर आजकल ६२५ बुनियादी शालाएँ चल रही हैं। इन जिलों में अब गुजरात के दूसरे कुछ जिलों में बुनियादी शिक्षा का काम ठीक ढंग में चल रहा है। शिक्षक भरने कायों में श्रद्धा रखनेवाले हैं। और आंतरिक जीवन में भी खादीधारी और वस्त्र-स्वावलम्बी हैं। यह सब होते हुए भी राज्य की सभी बुनियादी शालाएँ सतोपकारक रूप में चल रही हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। इस परिस्थिति को देखकर गुजरात नयी तालीम संघ ने एक समिति नियुक्त की थी। उसने राज्य की १५२ बुनियादी शालाओं तथा २६ ट्रेनिंग कालेजों की मुलाकात की और ये संस्थाएँ किस प्रकार के दर्दों से पीड़ित थीं उसकी जाँच-पड़ताल की और उसके फलस्वरूप समिति ने गुजरात सरकार के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशें गुजरात सरकार ने स्वीकार की हैं। इसके फल-स्वरूप गु० न० ता० संघ ने 'घनिष्ठ नयी तालीम योजना' नामक योजना दी है, जो इन बुनियादी संस्थाओं को ठीक चलते पर लाने की कोशिश करेगी। और उसके पालन में गु० न० ता० संघ सरकार को हरेक प्रकार से सहयोग दे रहा है। घनिष्ठ नयी तालीम योजना के मुख्य तत्त्व निम्नांकित हैं

१. बुनियादी शिक्षा का उद्योगकौशल अपूर्ण होने के कारण उनके लिए बुनाई तथा घुनाई मोडिया के खास वर्ग चलाता।
२. बुनियादी शालाओं के साधन-संरक्षण भलीभाँति न होने के कारण खास बड़इयों के द्वारा दुरुस्त करा लेता।
३. शालाओं के पास साधन विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबिले में पर्याप्त न होने के कारण, उमें पर्याप्त मात्रा में भोल लेता।
४. घुनाई से पूती बनाने की क्रिया कच्ची उम्र के बालकों के हाथों से अच्छी नहीं बन पाती और अब अधिक सफल पीजण मोडिया उपलब्ध होने के कारण पाठशालाओं में उन्हें दालिल करना, और शिक्षकों को उसकी तालीम देने के लिए खास वर्ग चलाता।
५. शिक्षा-विभाग का साधन-संरक्षण का खर्च हल्का करने के लिए बरखे बालक स्वयं सरोद लें, ऐसा करना। इसका खर्च सर्व सम्बन्धित वर्गों में नीचे के अनु-मार बाँट देने का है

- (क) मूल्य के ५०% खादी-कमिशन अपने नियम अनुसार दें।
 (ख) मूल्य के २५% सरकार अथवा जिला तथा तहसील पंचायत दें।
 (ग) मूल्य के २५% विद्यार्थी स्वयं करें।

६. विद्यार्थियों के उद्योग का फल—खादी—उनको बख्शनावश्यक बनाने के लिए दे देता। परन्तु वह बच्चा मात्र—कपास—घर से लाये या मशीन में।
७. पाठशालाओं में वात हुए कुट सूत का बुनाई अगर विद्यार्थी न कर सकें तो मिलहाट खादी-मन्थाए बुनाई कर देना मंजूर करें। भविष्य में जिला पंचायतों के द्वारा जुटाहा को स्वयं प्रवर्ध करें।
८. इस धनिष्ठ नयी तालीम योजना के व्यवहार में गु० न० ता० सघ हरेक जिले में तालीमवाले मागदशकों को नियुक्त करके सरकार व शिक्षा-विभाग की सहयोग दे रहा है।
९. सरकार की आर्थिक हालत सग होने के कारण इस योजना के कार्य में अ०भा० खादी और ग्रामोद्योग कमिशन नीचे निम्नी मदद दे एसा प्रबन्ध किया गया है
१. मागदशकों का खर्च।
 २. चरखे की कीमत का आया हिस्सा।
 ३. शिक्षका व वग जो गु० न० ता० सघ चलाता है उनका खर्च।

गु० न० ता० सघ अब तक खादी उद्योगवाली बुनियादी पाठशालाओं का काम ही हाथ में ले सका है। खेती शाखाएँ एवं अध्यापन मदिरों के कार्यसुचार की योजनाएँ यथासमय आगे हाथ में ली जायेंगी।

भूतकालीन बम्बई राज्य में सन् १९४९ से सर्वोदय विकास-योजना के नाम से क्याण गांधी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ करनेवाली योजना बनायी थी। इस योजना के अनुसार राज्य के हरेक जिले में करीब ५० गाँवों के सघन क्षेत्र में काम चल रहा है। उसमें खेती गोपालन खादी आदि ग्रामोद्योग ग्रामसफाई गाँव के रास्ते नशाबंदी आदि क्याण गांधी-मदति के अनुसार चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के संचालक अपने क्षेत्र में जितनी शाखाओं के संचालन की इच्छा रखें उतनी शालाएँ उन्हें सुपुद की जाती हैं। उन्हें इन शालाओं को बुनियादी शाखाएँ बना देना पता है।

रानीपूरज सवासभा की ओर से सुरत तथा बलसाड जिला में ५ सर्वोदय केंद्र अब चल रहे हैं। और इनमें ७८ बुनियादी शालाएँ तथा १८ बालवाडियाँ चलायी जा रही हैं।

गांधी विद्यापीठ और उसकी पृष्ठभूमि

गुजरात प्रदेश के उत्तर बुनियादी विनोत आजकल गुजरात विद्यापीठ, महमदाबाद में तथा लोकभारती ग्रामविद्यापीठ, सणोसरा में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। उनके लिए अपने ही प्रदेश में उत्तम बुनियादी शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए ऐसा विचार कई वर्षों से प्रकट होता रहा है।

सन् १९६७ में वेडल्टी आश्रम के नजदीक ११० एकड़ जमीन खरीदकर गांधी विद्यापीठ का प्रारम्भ किया गया है।

(१) गांधी विद्यापीठ के मुख्य पदाधिकारी

- १ कुलपति आचार्य काकासाहेब कालेलकर
- २ उपकुलपति आचार्य जुगताराम दवे
- ३ महामान्य श्री अल्लु शाह

(२) गांधी विद्यापीठ की प्रबंध समिति

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| १ श्री दिलखुश ब दीवानजी भव्यन | २ श्री मोहन परीख उपाध्यक्ष |
| ३ श्री जुगताराम दवे | ४ श्री शीगाभाई दरजी |
| ५ श्री चीमनलाल भट्ट | ६ श्री भूलाभाई पटेल |
| ७ श्री नानुभाई पटेल | ८ श्री दयाराम पटेल |
| ९ श्री मुकुटभाई चौधरी | १० श्री छोटभाई भारती |
| ११ श्री शीगाभाई देसाई सहायक | १२ श्री बलपूर्णा महेता |
| १३ श्री सरोजबहन शाह | १४ श्री हृषिकान्त खोरा |
| १५ श्री अल्लु शाह मंत्री | |

(३) विद्यापीठ का क्षेत्र

गांधी विद्यापीठ अपनी आवश्यकता और सुविधा के मुताबिक विभिन्न विषयों के महाविद्यालय स्थापित करेगा या संयोजित करेगा। आजकल की तात्कालिक आवश्यकता निम्न विषयों के महाविद्यालयों की है

- | | |
|---|------------------|
| १ समाजशास्त्र | २ शिक्षाशास्त्र |
| ३ प रिणा | ४ कृषि-गोशास्त्र |
| ५ नृपशास्त्र तथा वनविद्या | |
| ६ बुधि और संशोधनों के सीमित (रुधु) समय के पाठ्यक्रम भी साधारण विद्यार्थियों के लिए। | |
| ७ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए विशेष तालीम के लिए भी वगैरे निकालना जरूरी रहेगा। | |

य विद्यालय तथा तालीम केन्द्र वेडल्टी में तथा सुरत जिले के अलग-अलग विभागों में सुविधा के अनुसार स्थापित करने का स्वप्न है।

(४) विद्यापीठ के सिद्धान्त

गांधी विद्यापीठ के प्रधान सिद्धान्तों की ब्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है

- १ विद्यालयों के स्थल ग्रामक्षेत्रों में ही रहें, एसा आग्रह रखना ।
- २ सभी विद्यालय एक ही स्थल पर रहने की अपेक्षा सुविधा के मुताबिक मुस्त, बलसाह जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हों ।
- ३ बीघभाषा गुजरती रहेगी । हरेक विषय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्र-भाषा, संस्कृत आदि संस्कार भाषाएँ, भारत के विविध राज्यों की भाषाएँ, पूरब और पश्चिम की अन्य भाषाओं की पढ़ाई की सुविधा करना ।
- ४ अक्सर, इसी प्रदेश के ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा । हांगीन गुजरात, भारत के अन्य विभागों एवं विदेशों के जिज्ञासु विद्यार्थियों को भी अपनी सुविधा के अनुसार प्रवेश दिया जायगा ।
- ५ ध्यान-जीवन विद्यापीठ के इन विद्यालयों का आवश्यक अंग माना गया है ।
- ६ गुरु-शिष्यों के सम्बन्ध घनिष्ठ निकट हों, इसलिए विद्यार्थियों की सीमित संख्या को ही प्रवेश दिया जायगा ।
- ७ विद्यापीठ के विद्यालयों में जनमिलन और जनसेवा के लिए प्रचुर अवकाश रहेगा । प्रत्येक विद्यालय के मुख्य विषयों के उपयोगी संपर्क और सेवा के कार्यक्रमों की योजना की जायगी ।
- ८ विद्यापीठ के सभी विद्यालयों में शरीररथम और उद्योगों का वातावरण रहेगा । इसके लिए भी हरेक विषय के अनुरूप योजना रहेगी ।
- ९ इस विद्यापीठ के सभी विद्यालयों में विज्ञान का उच्च वातावरण रहेगा । हरेक विषय के अनुरूप विज्ञान की आयोजना लागू की जायगी ।
- १० विद्यापीठ की आर्थिक समस्या यथाशक्ति स्वावलम्बन पर एव देश की जनता की और सस्थाओं में मिलनेवाले और राज्य की ओर से संप्रेम और बन्धनमुक्त मिलनेवाले अनुदानों और भेंटों पर निर्भर रहेगी ।

(५) प्रथम महाविद्यालय

गांधी विद्यापीठ का प्रथम महाविद्यालय—समाजशास्त्र महाविद्यालय—का प्रारम्भ ता २२-६-६७ को वेडघी में कुलपति काकासाहेब कालेलकर के मंगल प्रवचन से हुआ ।

समाजशास्त्र का अध्यासक्रम, पाठ्यक्रम धार वष का रखा गया है । प्रथम वर्ष में ४८ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था । दूसरे ३४ विद्यार्थी और १४ विद्यार्थिनिर्मा भी ।

विद्यार्थियों में २५ उत्तर बुनियादी, विनोत मोर २३ सामान्य माध्यमिक शालान्त भाई-बहनें थी।

इसमें आसाम के आदिवासी प्रदेश में से ४३ विद्यार्थी थे; और गुजरात के दूसरे विभागों के ५ विद्यार्थी।

(६) समाजशास्त्र महाविद्यालय के अध्यापक

१ श्री हर्षकान्त बोरा, M Sc—आचार्य

वेदछी आश्रम में शिक्षा और भूदान-कार्य का २० वर्ष का अनुभव।

२ „ नानुभाई शाह, M A, B Ed

वेदछी आश्रम में शिक्षा का १० वर्ष का अनुभव।

३ „ शिवामाई राठोड, M A (गुजरात युनिवर्सिटी)

४ „ गणुभाई भनियादरा, M A (गुजरात विद्यापीठ)

५ „ रमेशचन्द्र त्रिवेदी, ब्रह्मिन्नातक (लोकभारती)

६ „ रामजीभाई षटेज

७ „ इंद्रजित ठाकर, सगीत मध्यमा (जीवनभारती, मुलत के संगीत शिक्षक)

८ „ विनोदचंद्र महेता, B Sc (Agra)

मानद अध्यापक

९ श्री दिनुभाई पारेख

१० श्री रमणभाई चौमरी

(७) समाजशास्त्र महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति

१ श्री दिग्गुण ब दीगानजी, अध्यक्ष

२ „ मोहन परीख

३ श्री अल्लु शाह

४ „ हर्षकान्त बोरा, सयोजक

(८) विद्यापीठ की आर्थिक मदद

गारी विद्यापीठ की स्थापना जल्दी से ही, ऐसी भावना प्रदर्शित करने के लिए ८० कार्यकर्ताओं और मित्रों ने रु० ५,००० भेंट किये। जिले की जंगल कामदार मजदूरियों ने रु० १,१५,००० भेंट किये हैं। मुलत जिला पंचायत ने रु० २५,०००, बान्नीठ तहसील पंचायत ने रु० ५,००० भेंट किये हैं।

गुजरात सरकार उत्तम बुनियादी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का विचार कर रही है। विद्यापीठ के निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों और शिक्षा-शुल्क सरकार के निम्न जातियों के कल्याण विभाग की ओर से देने का विचार-विमर्श चल रहा है।



सम्पादक के नाम चिट्ठी

स्वस्थ मूल्यांकन

[नयी तालीम की सफलता के लिए स्वस्थ मूल्यांकन की अनिवार्यता इसका विषय है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि मूल्यांकन पूर्ण और स्वस्थ हो तो नयी तालीम के लिए हितकर होगा, परंतु आज उसकी गुजाइश है क्या? — स०]

आज हम संक्रमण की स्थिति में गुजर रहे हैं। हमारे भाषार और विचार दोनों पर पश्चिम का रंग अपनी पूरी गहराई के साथ चमता जा रहा है। हमारे अपने सिद्धान्त और अपने अध्यापन आज हमसे कितनी दूर छूट गये हैं—उन्हें पीछे भ्रूणकर देख सकें इतनी भी फुरसत हमारे पास रह नहीं गयी है। एक तरफ तो देश की आर्थिक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था बिखरती चली जा रही है और दूसरी ओर हम इन वास्तविकताओं की ओर स आँखें मूढ़े सरपट आगे दौड़े जा रहे हैं दुनिया के उन षट् देशों की पीठ में शामिल होने के लिए जो हमारी पकड़ से काफी आगे हैं। हम यह सोच भी नहीं पाते कि हमारी दुरवस्था हम आगे बौड़ने में नहीं तक बाधक होगी। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारी वनियादी तालीम को आज का प्रबुद्ध जनमानस अपना सहयोग नहीं देता अथवा दे नहीं पाता तो यह कोई अम्भाविक नहीं है।

आज ज्ञान शब्द अपने मूल अर्थ से काफी दूर जा गया है। आज का ज्ञान भौतिक तकभूषण शिलाब्द अवास्तविक प्रवृत्तिप्राण और यशोपजीविका का साधन बनकर रह गया है। असर में यह ज्ञान नहीं ज्ञानाभास है और इस प्रकार के ज्ञान में युक्त व्यक्ति ज्ञानी नहीं जानशिल्पी है—अपने स्वरूप को भूलकर छाया को ही में समझनेवाला। इसी कारण जब प्रबुद्ध समुदाय के समस्त शिक्षा की नयी प्रणाली की

बर्बा होती है तब इसे बित्तकों द्वारा असंगत बताकर काट देने की ही चेष्ट की जाती है, अथवा अशक्य कहकर इससे मुंह मोड़ लिया जाता है ।

समाज के इस प्रबुद्ध वर्ग के समझ शिक्षा की नयी प्रणाली को छाना ही है, उन्हींके तर्कों के माध्यम से इसकी उपादेयता और समर्थता सिद्ध करनी है और उन्हें विविध उपायों से सक्रिय सहयोगी बनाना है । इसके लिए मुलभे हुए मानस के व्यक्ति चाहिए, नयी तालीम के तत्वों को जिन्होंने अच्छी तरह जान लिया है और जो अपने जीवन में इन तत्वों को समाहित करते हैं । लेकिन जिन्होंने नयी तालीम को ठीक से समझा नहीं है, जो जानी नहीं, अनिबु ज्ञानाभास-प्राप्त हैं और विनर्क-प्रिय हैं, जो अपनी भावना को वानानुबूझित करने में सक्षम हैं, जिनमें सिद्धान्त के प्रति निष्ठा और दृढ़ता नहीं है, जिन्होंने अपने को ऐसे रंग में रग रखा है कि जिन पर सब प्रकार का रंग चढ़ सकता है—ऐसे व्यक्ति शिक्षा में और वह भी नयी प्रणाली में कदापि निरुक्त नहीं किये जान चाहिए । परन्तु आज हम देखने हैं कि इस क्षेत्र में लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति इसी योगी व है । नयी तालीम क्या है ? इसकी विशेषता क्या है ? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसके पीछे गांधीजी की भावना क्या थी ? आचार-विचार और वातावरण के लिए यह प्रणाली किम और दृगित करती है ?—यह सब नहींबन् जानते हुए भी आज नयी तालीम के शिक्षा-केन्द्रों में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं । नयी प्रणाली के प्रति उनकी निष्ठा नहीं, सिद्धान्त में दृढ़ता नहीं, लेकिन जीविका चरानी है, सत्या चरानी है, इसलिए 'नहीं मामा से वाना मामा अच्छा' समझकर ऐसे लोग घञ्जले से इसमें आ रहे हैं अथवा उन्हें आने दिया जा रहा है । उन्हें प्रवेश देने समय हम यह मोच नहीं पाते अथवा मोचने का प्रयत्न नहीं करते कि ये हम नयी तालीम से चिन्तनी दूर ले जाकर एक देंगे । हमारा चुनाव यों गलत हो जाता है जो हमें आने नहीं, पीछे घसीट ले जाता है । और उममें भी जब ऐसे अनिष्ट व्यक्ति नयी तालीम की सत्या के वरिष्ठ यानी अधिकार-सम्पन्न होते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या है ?

आज की बच पड़ी नगरीय विचार-पारा के अनुसार परिवार का मतलब है— व्यक्ति स्वयं, माता-पिता, पत्नी-बच्चे, भाई-बहन बस । पड़ोसी हमारे वेगाने हैं । माय में रहनेवाले, वाम करनेवाले पराये हैं । हमारा इनमें कोई मतलब नहीं, वांछा नहीं । बनने कोशिश हम उनमें सम्पर्क तक रखना नहीं चाहते । हमारी इस नयी प्रणाली में यह वृत्ति सभव नहीं । दस कार्यकर्ता होंगे तो सभी भाई-भाई । सभी एक-दूसरे के दुख-मुग में भागीदार, सभी एक-दूसरे के सहयोगी—निष्ठावान— विश्वासपात्र । लेकिन आज की संस्थाओं में इस परिवार-भावना का सर्वथा अभाव

दीखता है। यो ऊपर से भाई-बहन-मामा दीखते हैं किन्तु अन्दर टटोलने पर माफ़ दीख जाता है कि यह तो सम्बन्धों का नकाबमात्र है। आड़े बक्त पर नकाब उतर जाता है और व्यक्ति का असली रूप सामने आ जाता है। एब-दूसरे पर विश्वास का आर्थिक अभाव नयी तारीफ़ के लिए कितना विघातक है यह तो अनुभवी ही बना सकते हैं। और यही नहीं प्रम-क्रम से यह परिवार राजनीति का अट्टा बनता जा रहा है। छाया में पृष्ठपोषण—समयन—सहयोग—मासय सभी पलते हैं। प्रत्यक्ष में दलमुक्त रहने की शपथ लेते हैं लेकिन अवसर आने पर चुबते नहीं, सहयोग-अप्यक करते हैं और दलीय भावना को विवर्धित करने की भरसक चेष्टा करते हैं नकाब में रहकर।

हमारे खेमे में हम अच्छे-दुरे सनिष्ठ-अनिष्ठ ज्ञानी-अल्पज्ञ शिल्पी-अशिल्पी, सबको प्रवेश देते हैं क्योंकि हम मानवमात्र पर विश्वास करते हैं (यानी हम उस समय स्निग्ध भावलोक में रहते हैं)। लेकिन अपनी हैसियत और सुविधाएँ हमारे ध्यान में नहीं रहती। हम अपने माथियों-सहयोगियों को नयी प्रणाली की दिशा में नम्यक विकास के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे पास उनके शिक्षण प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं होती। आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत भाव-सकीणता के कारण हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पाते। केवल अपने यहाँ के प्रयोगों का अनुभव कितना मसाला जुटा पायेगा ?

संस्थाओं में प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं रहती केवल कतिपय गत्यमात्र संस्थाओं को छोड़कर। यहाँ भी नकाब पड़ा रहता है। कहने के लिए प्रयोग की स्वतंत्रता रहती है किन्तु कदम-कदम पर अवरोध बना रहता है। संस्था के प्रधान या मुखिया की हर बात में अनुकूलता बाध्यनीय होती है। अमुक बातें उनके मनोनुकूल हो तभी अमल में लाना चाहिए अन्यथा खतरे की घटी बजने का भय बना रहता है। यानी व्यक्ति-पूजा महत्त्व पाने लगी है। आर्थिक अभाव और उपकरणों की अपर्याप्तता तो इसमें मुख्य रूप से बाधक होती ही है।

नयी प्रणाली में लगे साथियों को निरन्तर प्रेरित करने उन्हें योग्य निर्देशन देने प्रयोग में रूचि लेकर बताना देने समस्त आवश्यक उपकरण और सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्षम और दृष्टि-भूत व्यक्ति सम्बन्ध में होने चाहिए। उनके पास काफी समय हो सुदीर्घ अनुभव हो अथ उत्तरदायित्वों में वे पूर्णतः मुक्त हों। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति बिरले ही दीखते हैं। हमारे देश में न तो क्षमता का अभाव है और न योग्य निर्देशकों का। लेकिन वे प्रायः समयभावी और अथ अनेकानेक उत्तरदायित्वों से घिरे रहते हैं जिस कारण प्रयोगों को स्वस्थ निर्देशन नहीं मिल पाता।

वैयक्तिक हित-विरोध, मानापमान, पद-लोलुपता, दूसरा के प्रति हीन भावना आदि ऐसे कुछ तत्त्व हैं, जो नयी प्रणाली की भावना को तोड़ते हैं, दिल को दिल से जोड़ते नहीं। फलतः बिस्तराव पैदा होता है। हम भी अपना मूल्यांकन करते नहीं और इन विघातक तत्त्वों से विरत होकर अपने कर्तव्य निभाते नहीं। बस, आम नागरिकों की तरह हम भी वितर्क में फँसकर कार्य में जड़ता पैदा करते हैं। आपस की निन्दा-स्तुति से उठकर हम अपने काम में तमय नहीं हो पाते।

अतः आवश्यक है कि हम दूसरों का नहीं, अपना स्वस्थ मूल्यांकन करें, एक-दूसरे के प्रति विश्वास और सद्भावना पैदा करें, पुष्ट करें, प्रयोग के लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया करें और प्रयोगकर्ताओं को प्रयोग की स्वतंत्रता दें (व्यक्तिपरक अवरोध न रहें), कमलपत्र की तरह अपने को और संस्थाओं को राजनीतिक जल-स्पर्श से सर्वथा मुक्त रखें, सफल-मध्यम-तत्त्वज्ञाना व्यक्तियों को जुटाएँ (तत्त्वज्ञाना से भरा मतलब नयी प्रणाली की भावना को समझनेवाले व्यक्ति से है। तो ही नयी प्रणाली शीघ्र गति प्राप्त कर सकती है, अपने सीमित दायरे में निकलकर खुले मैदान में प्रतिष्ठापित हो सकती है, विकास की दिशा में सकती है।

—काली प्रसाद आलोक

तरुण शांति-सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक २६, २७ मई '६६, स्थान बम्बई

भारतीय तरुण शांति सेना (इण्डियन यूथ पीस फोर) का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक २६ और २७ मई, '६६ को बम्बई में होगा। राष्ट्रीय प्रश्नों में दिलचस्पी रखनेवाले सभी छात्रों के लिए सम्मेलन खुला रहेगा। तरुणों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने तथा छात्र-आन्दोलन को विधायक मोड़ देने के कार्य-क्रमों की चर्चा होगी।

यह स्मरण रहे कि तरुण शांति-सेना को जनतंत्र, राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता और विश्व-शांति के मूल्यों पर निष्ठा है और उत्तम जाति, सम्प्रदाय या स्त्री-मुख्य का कोई भेदभाव नहीं माना जाता।

- प्रवेश शुल्क रु० ५-००
- रहने की मुक्त सुविधा
- दो दिन का भोजन-खर्च रु० १०-००
- शरीर होनेवालों के लिए रेल-रियायत की सुविधा।

प्रवेश-शुल्क भेजें तथा सम्पर्क करें

—सचालक, तरुण शांति-सेना, वाराणसी-६

स्थायी भाव और चरित्र

रामसूरत लाल

स्थायी भावों का आधार मूल प्रवृत्ति तथा संवेग है अर्थात् यह एक संवेग-जनित भाव है। अतः स्थायी भावों को परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं—
“किसी भी वस्तु के प्रति स्थायी भाव तभी ही सकता है जब कि हमारी मूल प्रवृत्तियाँ तथा संवेग उस वस्तु के धारों ओर स्थायी रूप से सुसंगठित हो जायें।”
उदाहरणार्थ, बालक का पिता के प्रति आदर का स्थायी भाव। बालक अपने पिता का अपमान नहीं सह सकता। पिता से बार-बार प्रेम प्राप्त होता है। उसको सुरक्षा की भावना तथा अन्य मूल प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि का कारण पिताजी हैं। अतः पिता को किसी कष्ट में देखकर बालक दुःखी ही जाता है।

स्थायी भाव का निर्माण

बालक जन्म के बाद जब बड़ा होने लगता है तो वह वातावरण के सम्पर्क में अधिक आने लगता है और उसकी विचार-शक्ति में विकास आने लगता है। वह वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। मूल प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि के लिए वह वातावरण के सम्पर्क में बार-बार आने लगता है। अनुभव के आधार पर वस्तुओं के प्रति संवेगात्मक विचार सुसंगठित रूप धारण कर लेते हैं और स्थायी भाव बन जाता है। उदाहरण के लिए बालक में देश-प्रति का स्थायी भाव तभी निर्मित होगा जब कि उस बार-बार अपने देश की महत्ता का ज्ञान करवाया जाय। यह बताया जाय कि उस देश की भौगोलिक स्थिति कितनी अच्छी है तथा उस देश के महा-पुरुषों के कीर्त्यापूर्ण कार्य का वर्णन हो। इससे बालक का प्रेम अपने देश के प्रति बढ़ता जायगा और वह स्थायी रूप धारण कर लेगा। छोटे में लेकर ऊँचे स्थायी भावों का निर्माण इसी प्रकार होता रहता है।

स्थायी भावों में अस्थिरता नहीं होती। संवेग तो अस्थिर होते हैं, परन्तु जब स्थायी भाव बन जाता है तो वह शीघ्र समाप्त नहीं होता। स्थायी भावों के कारण मन्दिर के गंग पट्ट बनने ही एक टिड्डू नजमस्तन हो जाता है।

नैतिकता के प्रति स्थायी भाव

अभी तक हमने देखा कि हमारे स्थायी भाव स्थूल पदार्थों की ओर थे, जो कि अनुभव के द्वारा स्वतः होते रहते हैं। परन्तु शिक्षा की मर्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि बालक के अन्दर नैतिक गुणों के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो जायें। हमने ऊपर देखा कि किसी भी वस्तु के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए बालक को उमका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। बालक 'भयता' की ठीक स नहीं समझ पाता है। परन्तु अत्यायक का कर्तव्य है कि वह पहले हरिश्चन्द्र की कहानी बालकों को सुनायें। अन्त में यह बतायें कि हरिश्चन्द्र इसी गुण के कारण इतने महान् हुए। इस प्रकार बालक 'सत्यता' से प्रेम करने लगता और कुछ समय में 'सत्यता' के प्रति स्थायी भाव बन जायगा। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक का स्थायी भाव गुणों से ही, केवल व्यक्ति-विशेष से नहीं। पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, श्री लालबहादुर शास्त्री जनता के प्रिय थे। बच्चों को समझाना चाहिए कि 'ईमानदारी' के गुण के कारण शास्त्रीजी इतने महान् बने। इस प्रकार बालक को 'ईमानदारी' के प्रति प्रेम का स्थायी भाव बनेगा। बेईमानी की ओर धृष्टता का स्थायी भाव निर्मित होगा। इस प्रकार शिक्षक बालक को नैतिकता के विकास में सहायक हो सकता है।

आत्मगौरव का स्थायी भाव

व्यक्ति के जीवन में आत्मगौरव का स्थायी भाव सर्वोच्च स्तर का स्थायी भाव है। इसके निर्मित हो जाने पर बालक का आचरण इसी पर निर्भर हो जाता है। उसका व्यवहार इसीके द्वारा संचालित होने लगता है। मंगूगल ने इसे 'सभी स्थायी भावों का स्वामी' कहा है क्योंकि सभी स्थायी भाव इसीके चारों ओर संगठित हो जाते हैं।

आत्मगौरव के स्थायी भाव का निर्माण भी उसी प्रकार होता है, जैसे उपर्युक्त स्थायी भाव बनने हैं। हमने देखा कि किसी भी स्थायी भाव के निर्माण में सम्बन्धित वस्तु या गुण की जानकारी मूलप्रथम होनी चाहिए। अतः बालक को 'आत्म' का ज्ञान होना आवश्यक है। यह अनुभव एवं उम्र की वृद्धि के साथ होता है। पहले बालक का ज्ञान शून्य होता है। 'जेम्स' का कथन है कि बालक ज्या-ज्या बड़ता है, संसार की वस्तुओं का उस ज्ञान हीन लगता है। बालक देखता है कि वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। उम्र सही लगती है। पर उससे बचने के लिए वह गर्म कपड़े पहनता है। अर्थात् वह यह समझता है कि वह भी वातावरण के प्रभाव से बचने का प्रयत्न कर सकता है। उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान होने लगता है। वह समाज में अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है। बालक जो भी कार्य करता है,

योग उसकी आज्ञा करना करते हैं। कुछ उसकी निन्दा करते हैं, कुछ प्रशंसा। जिस पर बालक विश्वास करता है या जो उसके बहुत निकट है, उनको बातों पर वह बहुत ध्यान देता है। यदि उसके शिक्षक और अभिभावक उसे एक ईमानदार बालक कहने लगे तो इस ईमानदारी का सम्बन्ध उसके 'आत्म' से हो जायेगा। वह अपने निकट के लोगों में इस गुण से वंचित होने में डरेगा और सतर्क रहेगा।

इस प्रकार बालक के अत्यन्त स्थायी भाव एवं सचेत उसके 'आत्म' के चारों ओर सुसंगठित होने लगते हैं। तभी आत्मगौरव का स्थायी भाव जाग्रत हो जाता है। व्यक्ति इस आत्मगौरव की रक्षा करता है। कहीं उसके आत्मसम्मान को धक्का न लगे, इसमें वह सतर्क रहता है। बालक अपने 'आत्म' को एक आदर्श आत्म समझने लगता है तथा उसकी रक्षा करता है। समाज ने बालक के जिन गुणों की प्रशंसा की उसका सम्बन्ध आत्म से होने ही बालक एक आत्म आदर्श का अनुभव करता है। वह इस आदर्श की रक्षा हेतु उन गुणों से वंचित नहीं होना चाहता।

स्थायी भाव और शिक्षा

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो गया कि स्थायी भावों का जीवन में कितना महत्त्व है। प्रारम्भ में बालक का जीवन मूल प्रवृत्तियाँ से संचालित होता है, किन्तु वह उम्रों उम्रों बड़ा होता है उसका व्यवहार स्थायी भावों से प्रभावित रहता है। स्थायी भाव अनुभव से निर्मित होने हैं। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालक में नैतिक गुणों के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न करे। उस चाहिए कि बालक में बड़ों के प्रति आदर भाव रखने का स्थायी भाव उत्पन्न करे। इसके लिए उसे इतिहास व साहित्य में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुषों के गुणों से प्रेम करना अध्यापक के द्वारा ही संभव है। बालक में उच्च आदर्श के गुणों को निर्मित करें। इनसे उसमें आत्मगौरव का स्थायी भाव बनेगा। शिक्षक को चाहिए कि वे बालक में हीनता की भावना का उदय न होने दें। बालक की थोड़ी-सी गलती पर यह कह उठता कि— 'तुम बड़े अयोग्य और अभाग्य हो,' बड़ा ही अमानवीयानिक है। हम बालक की समयानुसार प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे कुछ उत्तरदायित्व के कार्य देकर उसमें विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। इसमें उसमें आत्मसम्मान के उच्च आदर्श का निर्माण होगा और उसका चरित्र ऊँचा उठेगा।

चरित्र

सांसाध्यिक नियमों के अनुकूल व्यवहार को परिष्कृत करनेवाली मानसिक संरचना को चरित्र कहा जा सकता है। कुछ विद्वान् सच्चय-शक्ति तथा स्थायी भावों

के निर्माण को ही चरित्र कहते हैं। कुछ इसे आदतों का समूह कहते हैं। यदि इन परिभाषाओं को देखा जाय तो सभी एकांगी हैं। चरित्र की व्याख्या तभी हो सकती है जब कि हम उपर्युक्त सभी का सम्मिलित रूप लें। चरित्र एक ऐसा मानसिक संगठन है, जो सामाजिक व्यवहार को निश्चित करता है। रूस ने इसे केवल 'संगठित आत्म' कहा है। मूल प्रवृत्तियाँ और स्थायी भावों का संगठन जो कि आत्मगौरव के स्थायी भाव का निर्माण रूप है, चरित्र है।

अच्छे एवं दृढ़ चरित्र के लिए विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। चरित्र का एक दृढ़ आदर्श होना चाहिए। अच्छे चरित्र में देखा गया है कि व्यक्ति दृढ़तापूर्वक कठिनाइयों में भी काय-मग्न रहता है। उच्च चरित्र के व्यक्ति को अव्यवसायी होना चाहिए। अच्छे चरित्र का व्यक्ति प्रसन्न, आशावादी व साहसी होगा। वह कठिनाइयों का सामना साहस से करता है और प्रसन्नतापूर्वक आशावादी दृष्टिकोण के साथ उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है।

चरित्र के विकास में सहायक तत्त्व

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। अतः बालक के उच्च चरित्र के विकास में सहायक होना हमारा पुनीत कर्तव्य है। हम नीचे उन तत्त्वों का वर्णन करेंगे, जिनके सहारे बालक के चरित्र का विकास किया जा सकता है। 'हर्वर्ट' ने तो सम्पूर्ण शिक्षा का अर्थ चरित्र का विकास ही माना है।

(१) चरित्र और मूल प्रवृत्तियाँ—बालक का प्रारम्भिक जीवन मूल प्रवृत्तियों में ही मचागित होता है। चरित्र के विकास का आधार मूल प्रवृत्तियाँ ही हैं। इन मूल प्रवृत्तियों का शोषण करना होता है। उदाहरण के लिए प्रबल काम प्रवृत्ति से व्यक्ति बर्नाकार कर सकता है, परन्तु यदि उसके प्रवाह को समाजोपयोगी कार्यों, जैसे साहित्य से प्रेम, अध्ययन के प्रति उत्सुक कर दिया जाय तो व्यक्ति को इन भले कार्यों के लिए इसी प्रवृत्ति से शक्ति मिलेगी। अतः चरित्रविकास में शिक्षकों को बालक की मूल प्रवृत्तियों के शोषण के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(२) आदत—आदत यांत्रिक है, अतः चरित्र का विकास इस पर पूर्णरूपेण निर्भर नहीं है। परन्तु अच्छे आदतों के निर्माण से चरित्र के विकास में सहायता मिलती है।

(३) स्थायी भाव—हमने ऊपर स्थायी भावों के ऊपर पर्याप्त प्रकारा डाला है। हमने देखा कि अच्छे गुणों के प्रति स्थायी भावों के निर्माण से बालक का व्यवहार उच्च होता है। उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक तथा सवेगात्मक जीवन में सुधार हो जाता

है। आत्मगौरव के स्थायी भाव के निर्माण से बालक का जीवन एक आदर्श जीवन होता है जिसकी रक्षा के लिए वह अनेक कठिनाइयों का सामना करता है।

(४) चरित्र विकास में सकल्प शक्ति का स्थान—बालक में इस शक्ति को विकसित कर प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय उसके सामर्थ्य के अनुसार ही पढ़ाये जाने चाहिए। बालक को आत्मसमयी व क्रियाशील बनाना चाहिए जिससे अच्छे कार्यों के लिए शारीरिक सुख का वह त्याग कर सकें।

(५) शारीरिक तत्व—बालक का स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए उसके वातावरण में सुधार लाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य से अच्छे चरित्र के विकास में सहायता मिलती है। अच्छे स्वास्थ्यवाला व्यक्ति सवेगों पर अच्छा नियंत्रण रख सकता है।

(६) मानसिक तत्व—बालक को मानसिक शक्ति के उचित विकास के लिए अवसर दिये जायें। उसे मानसिक योग्यतानुकूल शिक्षा मिले। तीव्र बुद्धि के बालकों में चरित्र के उच्च गुण सुगमता से विकसित हो सकते हैं।

(७) नैतिक शिक्षा—नैतिक शिक्षा आज की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) ने तो नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा को पाठ्य-विषय के अन्तर्गत रखने पर जोर दिया है। वास्तव में नैतिक शिक्षा से चरित्र-विकास में सहायता मिल सकती है। उदाहरणार्थ ऐतिहासिक कहानियों के द्वारा बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए।

(८) निदेश—निर्देश का बालक के जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक और माता-पिता बालक को उत्साहित करें उसकी सफलता पर उसकी प्रशंसा करें तो बालक निश्चय ही उन्नति करेगा।

(९) अनुकरण—बालक अपने बड़ों की नकल करता है। अतः उसके समर्थ अच्छे व्यवहार करना चाहिए।

(१०) दण्ड एवं पुरस्कार—अधिक दण्ड देने से बालक में हीनता की भावना आती है। वह भय से अपनी प्रवृत्तियों को दबा लेता है जो भावना-श्रियों का निर्माण करती हैं। ये भावना-श्रियाँ बालक के विकास में बाधक होती हैं। बालक को चरित्र-सुधार के लिए कड़ा-कहीं कुछ दण्ड दिया जा सकता है। कठोर दण्ड देने में कोई लाभ नहीं।

बालक को अच्छे व्यवहार पर उस पुरस्कार देना चाहिए। उसकी प्रशंसा कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

बालक को आवश्यकता से अधिक लाठ-प्यार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक उद्दण्ड हो जाय और उसका सामाजिक विकास दोरपूण हो जाय। बालक को उतना ही प्यार देना चाहिए जितने की आवश्यकता है। •

छुट्टियों में तरुणों के लिए राष्ट्र-निर्माण का कार्यक्रम

हर साल भारत के लाखों विद्यार्थियों को महीना तक प्रोत्सुकाल की छुट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन उनमें से बिलकुल ही ऐसे होने हैं जो इन छुट्टियों का उपयोग अपने चरित्र-निर्माण तथा राष्ट्र-निर्माण के काम में करते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहेंगे ?

भारतीय तरुण शांति-सेना आगका इसका मौका दे रही है। इस साल मई और जून महीने में तरुण शांति-सेना की ओर से दो शिविर किये जायेंगे जिनमें आप यदि चाहें तो शरीक हो सकते हैं। दोनों शिविरों में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चुने हुए छात्र छात्राएँ इकट्ठे होंगे साथ-साथ जिनके साथ निर्माण का काम करेंगे साथ अध्ययन करेंगे और साथ मनोरंजन करेंगे। भारत के कोने-कोने से शिविराधीन इकट्ठे होंगे। उनमें बराबरी भाषा और प्रात का कोई भेद नहीं होगा। आप शिविर में शामिल होकर अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हैं।

प्रथम शिविर नगर के वातावरण में होगा और वह मुख्यतः अभ्यास-शिविर होगा जिनमें शिविराधीन छात्रों की समस्या के बारे में गहराई से सोचेंगे तथा दूसरा शिविर ग्रामीण वातावरण में होगा और वह मुख्यतः धर्म-शिविर होगा जिसमें शिविराधीन राष्ट्र-निर्माण के एक प्रथम कार्यक्रम में शामिल होते हुए इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि ग्राम-निर्माण के कार्यक्रम में छात्र क्या सहयोग दे सकते हैं।

शिविरों की जानकारी तथा आकषक अग

प्राठर्वा अ० भा० तरुण शांति-सेना शिविर

दिनांक ११ मई से २५ मई '३६

स्थान बम्बई

- (१) प्रतिदिन शेर घंटे का धर्मदान।
- (२) निम्न विषयों पर अधिकारी व्यक्तियों के व्याख्यान
 - (क) आधुनिक युग में गांधी का प्रसंगानुसृत महत्त्व,
 - (ख) विश्व-युवक आन्दोलन, ।
 - (ग) दूसरे महायुद्ध के बाद का विश्व।

(३) निम्नलिखित विषयो पर चर्चाएँ

- (क) राष्ट्रीय एकता,
- (ख) धर्म-निरपेक्षता,
- (ग) लोकतन्त्र,
- (घ) विश्व शान्ति ।

(४) वैविध्यपूर्ण मनोरंजन कार्यक्रम ।

(५) सर्वधर्म प्रार्थना ।

नौवां अ० भा० तरुण शांति-सेना शिविर

दिनांक १ जून से २१ जून, '६६

स्थान गोविंदपुर, जि० मिर्जापुर (उ० प्र०)

(१) श्रम-योजना

इस शिविर में जमीन के बाँध बाँधने तथा भूमि-सुधार के ठोस कार्यक्रम उठाये जायेंगे जिससे ग्रामदानी ग्राम के आदिवासियों का स्थायी लाभ होगा ।

(२) प्रतिदिन ४ घंटे का श्रमदान ।

(३) निम्न विषयो पर व्याख्यान तथा चर्चाएँ —

- (क) राष्ट्रीय परिस्थिति,
- (ख) राष्ट्र-निर्माण में युवकों का स्थान,
- (ग) ग्राम-विकास के कार्यक्रम ।

(४) वैविध्यपूर्ण मनोरंजन कार्यक्रम ।

(५) सर्वधर्म-प्रार्थना ।

दोनों शिविरों के साथ एक दिन का प्रवास भी आयोजित किया जायेगा । भोजन की व्यवस्था दोनों शिविरों में निःशुल्क रहेगी । आवेदन-पत्र भरने की आखिरी तारीख पहले शिविर के लिए २० अप्रैल, '६६ तक, और दूसरे शिविर के लिए १० मई, '६६ तक होगी । शिविरों का आवेदन-पत्र एक रुपये का डाक-टिकट भेजने से मिल सकता है । इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी निम्न पते से मंगवाइए

सचवाक, तरुण शांति-सेना शिविर,

अ० भा० शांति-सेना मण्डल,

राजघाट, वाराणसी-१

श्रान्तर भारती श्रम-संस्कार छावनी, सोमनाथ

मई १९६८ में आयोजित सोमनाथ श्रम-संस्कार छावनी में देश के युवक-आंदोलन में एक नयी दिशा का संकेत किया और अनेक नयी परम्पराओं को जन्म दिया। जब चारों ओर विध्वंस, निराशा और विस्मय था तब उसने रचना आशा और एकात्मता का नया दौर प्रारम्भ किया। देश के बाहर सौ युवक इस राष्ट्रीय प्रकल्प में किसी डिप्लोमेट, अफसर, या टास्क मास्टर के आदेश से नहीं बल्कि अपनी उम्र से सहभागी हुए। सोमनाथ के जगल में देश की मिट्टी से और मनुष्यों से प्यार करना उन्होंने सीखा। इस छावनी में बीसवीं शताब्दी के उस नवयुवक का दर्शन कराया, जो समूह की कार्यशक्ति में विश्वास तो रखता है, किन्तु केवल भेड़ों की भीड़ में सँ एक होकर नहीं रहना चाहता, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, किन्तु अपने ऊपर कोई लेबिल नहीं चिपकाना चाहता।

यह नवयुवा शब्दों और नारों से ऊब गया है। किन्तु वह ऐसे किसी मंत्र और तंत्र की तलारा में है, जो उसे यह बतलाये कि वह क्यों और कैसे जिये।

एक पीढ़ी पहले देश की आत्मा में एक महामंत्र गुँजा था—'छोड़ो भारत'। और अब तमाम विस्मय के बावजूद देश के हृदय से दूसरा मंत्र उठना प्रतीत हो रहा है—'जोड़ो भारत'। किन्तु मंत्र की सिद्धि के लिए तंत्र आवश्यक होता है। इसी तंत्र की खोज देश की नयी पीढ़ी ने इस श्रम-संस्कार छावनी में शुरू की।

देश का युवा मन खाली और अप्राहिज मालूम हो रहा है। केवल घोषणाओं से उसकी रित्तता भरी नहीं जा सकती। विध्वंस उसे शक्तिशाली नहीं बना सकता। केवल आन्दोलन उसे काम में नहीं लगा सकते। केवल सरकारी योजनाएँ उसकी कूटा को दूर नहीं कर सकती। किन्तु इस घटाटोप अंधकार में, सोमनाथ प्रकाश की एक किरण बनकर उसके सामने आया। अपनी लघुता के दायरों को तोड़कर उसने वहाँ अपनी महानता से सामनाकार किया।

यह छावनी 'श्रमदान' की नहीं, 'श्रम-संस्कार' की थी। वहाँ वह कुछ देने के बहकार से नहीं, बल्कि लेने की नम्रता से आया हुआ था। और फिर ऐसी छावनीयों का एक सिलसिला शुरू हुआ।

शुद्धता की अगली कड़ी

इस छावनी के अनुभव से लाभ उठाते हुए, कुछ विशेष संकल्पों के साथ, सोमनाथ में दूसरी अखिल भारतीय आन्तर भारती धर्म-संस्कार छावनी का आयोजन किया जा रहा है। ये संकल्प हैं—

- महाराष्ट्र की अपेक्षा देश के अन्य प्रांतों में, पिछली छावनी की तुलना में अधिक युवक-युवतियाँ सम्मिलित हों। देश के हर प्रान्त से कम-से-कम पचास शिविरार्थी इस छावनी में अवश्य उपस्थित रहें।

- इस बार शिविरार्थियों की मुक्त प्रवेश नहीं होगा। उनके आवेदन-पत्रों में दी गयी जानकारी के आदार पर उनका चुनाव किया जायेगा। चुनाव के बाद संयोजन-मिति उन्हें स्वीकृति-पत्र भेजेगी, तभी वे छावनी में शामिल हो सकेंगे।

- पिछले वर्ष की अपेक्षा छावनी के धर्म-कार्यों में अधिक विविधता होगी। पिछले वर्ष जब कि केवल वान की बाँधियाँ बनाने का काम हुआ, इस वर्ष नीतोड़ जमीन की खेती योग्य बनाने में लेकर उसकी सिंचाई के साधनों—जैसे बाँध, नालाब, कुएँ का निर्माण, और उत्पादित फसल के लिए गोदाम बाँचने तक के अनेक धर्म-प्रकल्प होंगे।

यह छावनी किसी प्रकार के सरकारी सहयोग से नहीं चल रही है। वह जनता का अपना स्फूर्त प्रयत्न है। हमें विश्वास है कि पिछले वर्ष की तरह इस छावनी में शामिल होनेवाले युवक-युवती भी अपने लिए एक सकल्य लेकर लौटेंगे और अपने-अपने देशों में इसी तरह की धर्म-संस्कार छावनियाँ आयोजित कर इस आन्दोलन की दूर-दूर तक पहुँचावेंगे।

छावनी के संयोजन में व्यवस्था की दृष्टि से, दैनन्दिन कार्यक्रमों को पूर्ववत् चार विभागों में बाँट दिया है। प्रथम, चार घंटे शारीरिक परिश्रम; दूसरे, तकनीकी प्रशिक्षण; तीसरे, बौद्धिक कार्यक्रम और चौथे, कला-मनोरंजन।

धर्मकार्य के घंटों तथा दैनिक विधियों के अनिश्चित छावनी का स्वरूप उन्मुक्त होगा। छावनी में अनुशासन होगा, किन्तु अपेक्षा यह रहेगी कि वह बाहरी दबाव से कम हो, स्वतः स्फूर्त रूप में अधिक। चित्रकारी, संगीत, नाट्य जैसे व्यक्तिगत शौचों तथा वागविचार के लिए अवसर रहेगा। बौद्धिक और तकनीकी-प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम शिथिल छावनी की तरह ही ऐच्छिक, किन्तु अधिक सुगठित रहेंगे।

छावनी में पहले एक सप्ताह के लिए ५० से १०० चुनिन्दा युवक-युवतियों की एक अग्रणी छावनी (पायोनिपरम कैम्प) होगी। यह एक तरह से नेतृत्व-प्रशिक्षण-शिविर ही होगा, जो छावनी की व्यवस्था और धर्म-प्रकल्पों का प्रत्यक्षीकरण

प्रारम्भ कर देगा। यह अग्रगामी शिविर १४ मई से २० मई तक चलेगा। मिर छावनी का प्रारम्भ २१ मई से होगा जो ३१ मई तक चलेगी। छावनी में शामिल होनेवाले के दो वर्ग होंगे—शिविरार्थी और अनियुक्त। शिविरार्थियों को पूरी अवधि तक छावनी में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उनके लिए रेन्वे-कंसेशन फार्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

धर्मकार्य के भी दो प्रकार होंगे—सामान्य और सप्ताहिक, जो करना चाहें वे 'पीस वेज वर्क' के आधार पर भी धर्मकार्य कर सकते हैं। बाजार भाव से उनके काम के दाम भोजन गुरुक काटकर चुकता किये जायेंगे—जैसे, १०० घण्टी (१० × १० × १) मिट्टी डालने के लिए दो रुपये दम पैस।

छावनी में न केवल शिक्षित युवक-युवती, बल्कि खेतिहर और कारखान के मजदूरों का भी स्वागत है। छावनी का सारा कामकाज हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ चलेगा। आवेदन-पत्रों के स्वीकार की अन्तिम तिथि १५ अप्रैल '६६ रखी गयी है।

यह निवेदन देश के सभी अंचलों में प्रचार प्रसार की अपेक्षा रखता है। वे, जो 'भारत-जोड़ो' के मंत्र-साधक बनना चाहते हैं इस संदेश के बाहक बनें। देश के लिए बुद्ध करने के लिए घड़नेवाले हर दिल, और फड़कनेवाले हर हाथ तक यह पुकार पड़े। मन, विचार, प्रेम, भाषा प्रान्त का कोई बन्धन नहीं है। नवनिर्माण में, एकात्मता में निष्ठा रखनेवाली हर वृत्ति प्रवृत्ति तक इस पटुचाना है।

आवेदन-पत्रों के लिए लिखें—आन्तर भारती—आनन्दधन, बरोरा, जिला-वादा (महाराष्ट्र) अथवा मुख्य मयोजक, आन्तर भारती धर्मसंस्कार-छावनी, महिगाश्रम, वर्धा (महाराष्ट्र)।

सर्व सेवा संघ का आगामी अधिवेशन

मागनी में हुई सर्व सेवा संघ समिति की बैठक में निश्चय किया गया कि आगामी सर्व सेवा संघ का अधिवेशन आंध्र प्रदेश में २५-२६-२७ अप्रैल '६६ को किया जाय। स्थान का निर्णय आंध्र के कार्यकर्ता साथे करेंगे। अनुमान है कि अधिवेशन निश्चित में आयोजित होगा। उक्त अधिवेशन में सर्व सेवा संघ के नये अध्यक्ष का चुनाव तथा नयी कार्य-समिति का गठन भी होगा।

‘नयी तालीम’ मासिक का प्रकाशक-विवरण

(न्यूजपेपर रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (फार्म न० ४, नियम ८) के अनुसार
हर एक अखबार के प्रकाशक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के साथ-साथ
अपने अखबार में भी वह प्रकाशित करनी होती है। तदनुसार यह प्रतिलिपि
यहाँ दी जा रही है। —स०)

- | | |
|--|--|
| (१) प्रकाशन का स्थान | वाराणसी |
| (२) प्रकाशन की आवृत्ति | माह में एक बार |
| (३) मुद्रक का नाम | श्रीकृष्णदत्त भट्ट |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | ‘नयी तालीम’ मासिक,
राजघाट, वाराणसी-१ |
| (४) प्रकाशक का नाम | श्रीकृष्णदत्त भट्ट |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | ‘नयी तालीम’ मासिक
राजघाट, वाराणसी-१ |
| (५) सम्पादक का नाम | धीरेन्द्र मजूमदार |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | ‘नयी तालीम’ मासिक,
राजघाट, वाराणसी-१ |
| (६) समाचार-पत्र के
संचालकों का
नाम-पता | सर्व मया संच (वर्ग) राजघाट, वाराणसी
(मन् १८६० के सीसायटीज रजिस्ट्रेशन
एक्ट २१ के अनुसार रजिस्टर्ड मार्चेंटिल
संस्था)
रजिस्टर्ड न० ५२ |

मे श्रीकृष्णदत्त भट्ट यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार
उपरोक्त विवरण सही है।

वाराणसी, ता० २८-२ ६६

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट
प्रकाशक

सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति द्वारा चेकोस्लोवाकिया की जनभावना का समर्थन

सांगरी (महाराष्ट्र) में २७-२-'६६ को सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने अपनी बैठक में चेकोस्लोवाकिया की परिस्थिति के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि अपनी शोचनीय स्वतंत्रता की नीति को कायम रखने के लिए सोवियत रूस तथा चारसा-भान्वि के देशों द्वारा की गयी आनामक कार्रवाइयों का चेकोस्लोवाकिया की जनता ने जिस बहादुरी के साथ अहिंसक प्रतिवार किया है, वह शक्तिपूर्ण प्रतिकार के इतिहास में सुवर्ण-पृष्ठ बनकर जुड़ा है ।

चेकोस्लोवाकिया की जनता की उसने मूलभूत मानव-अधिकारों में वंचित रखने की जो अमह्य परिस्थिति सोवियत रूस सहित चारसा-भान्वि के देशों ने अपनी आनामक कार्रवाइयों द्वारा पैदा कर दी है, उसके कारण ही उन्हें मानवीय ज्योति जगाने के लिए आ-मदाह करने की मजबूर होना पड़ रहा है । इस परिस्थिति में सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने गहरी विनोद व्यक्त करते हुए चेकोस्लोवाकिया की जनता के साथ हमदर्दी जाहिर की है ।

समिति ने यह राय जाहिर की है कि अपने देश में अहिंसा की शक्ति प्रकट करके ही हम चेकोस्लोवाकिया की जनता के मददगार हो सकते हैं । इस गभीर परिस्थिति में और बावजूद सारे दवावों के वहाँ की सरकार ने अपनी नीति पर कायम रहने की जो दृढ़ता प्रकट की है, समिति न उसकी सराहना की है ।

अंत में प्रबन्ध समिति ने संयुक्त राष्ट्रमंडल की मानव-अधिकार समिति से अपील की है कि चेकोस्लोवाकिया की वर्तमान समस्या के सम्बन्ध में अविश्वस्य कार्रवाई करे ।

आगामी सर्वोदय सम्मेलन

सर्वोदय समाज का आगामी सम्मेलन बिहार के राजगीर नामक स्थान पर २५-२६-२७ अक्टूबर '६६ को होगा । २१ अक्टूबर को प्रबन्ध समिति की बैठक और उसके बाद २२, २३, २४ को संघ-अभिवेशन होगा । इसी अवसर पर २६ अक्टूबर को राजगीर में जागतिक बोर्ड संघ की ओर से बोर्ड-पून का उद्घाटन भी होगा । २५ को दोपहर के बाद सम्मेलन शुरु होगा । बिहारदान की घोषणा के संदर्भ में उक्त सर्वोदय सम्मेलन में आन्दोलन का नया भित्तिज सृष्ट होगा, और एक नये ऐतिहासिक अध्याय का सूत्रपात होगा, ऐसी आशा की जा रही है ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष . १७

अंक . ८

मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

एक आन्दोलन का एक नया रूप शालाएँ क्या कर सकती हैं ?	३३७ श्री वशीधर श्रीवास्तव
शिष्यक कृतसकल्य हो	३४० श्री व० एम० आचार्य
मानवीय एकात्मता सहज कैसे हो ?	३४५ श्री शंकरराव देव
सामूहिक और वैयक्तिक अध्यापन	३४६ श्री दादा धर्माधिकारी
स्वरान्य आश्रम, बेडली एक परिवर्ष	३५८ —
गामी विद्यापीठ और उसकी पृष्ठभूमि	३६४ —
स्वल्प मूल्यांकन	३६८ श्री कालीप्रसाद 'आजीक'
स्वाधी भाव और चरित्र	३७२ रामसूरत शास्त्र
छुट्टियाँ म तरणों के लिए कायन्म	३७७ —
आन्तर भारती अम सस्कार छावनी	३७६ —

मार्च, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वष आगस्त स आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक बन्दा छ रूपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-अवधार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-मस्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाआ म व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित भ्रमल कुमार बसु;
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, पाराणसी-२ में मुद्रित ।

हिंसात्मक खूनी क्रान्ति एवं गांधीजी

गांधीजी ने कहा था :

‘आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूंजी और श्रम के बीच के शाश्वत संघर्ष का अन्त करना। इसका मतलब जहाँ एक ओर यह है कि जिन थोड़े से अमीरों के हाथ में राष्ट्र की सम्पदा का कहीं बड़ा अंश कन्द्रीभूत है उनके उतने ऊँचे स्तर को घटाकर नीचे लाया जाय वहाँ दूसरी ओर यह है कि अध-भूखे और नगरे रहनेवाले करोड़ों का स्तर ऊँचा किया जाय। अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच की यह चौड़ी खाई जब तक कायम रखी जाती है तब तक तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं कि अहिंसात्मक पद्धतिवाला शासन कायम हो ही नहीं सकता। हिंसात्मक और खूनी क्रान्ति एक दिन हाकर ही रहेगी अगर अमीर लोग अपनी सम्पत्ति और शक्ति का स्वेच्छापूर्वक ही त्याग नहीं करते और सबकी भलाई के लिए उनमें हिंसा नहीं बँटाते।’

देश में दंगे फसाद और खून खराबी का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इसमें आर्थिक सामाजिक विषमता भी बड़ा कारण है। गांधीजी की उक्त वाणी और तब से आज अधिक ध्यान देने की बाध्य करती है। क्या देश के लोग विशेषतः अमीर समूह के सकेत को पहचानेंगे ?

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति)
टुकटिया भवन कुदोहरों का भँरू जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित



मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामिया क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह अपनी माँकी छातीसे। वहाँ मुझे जीवनदायी दूध दे सकते हैं।

अंग्रेजी आज सारी दुनियाकी भाषा बन गयी है। जिसलिये मैं उसे दूसरी जवानक तौर पर जगह दूँगा—लेकिन विश्व विद्यालयके पाठ्यक्रममें, स्कूलोंमें नहीं।

—मो० क० गांधी

अपनाना और नीति के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना सामयिक कदम तो है ही, साहसपूर्ण भी है और इसके लिए शिक्षा-मन्त्री की जितनी भी सराहना की जाय, कम है।

परन्तु कदम जितना भी वाछनीय, सामयिक और साहसपूर्ण हो, उसे शिक्षा की दृष्टि से न तो व्यावहारिक ही कहा जा सकता है और न ठीक ही। और गलत कदम उठ गया है, ऐसा लगता है।

मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा-मन्त्री नये हैं और उन्हें उन कठिनाइयों का अन्दाज नहीं जो इस लक्ष्य-पूर्ति के मार्ग में आयेंगी। मैं यह भी नहीं कहता कि उन्होंने इस विषय में शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से राय नहीं ली होगी। जब जिम्मेवार व्यक्ति की हैसियत से उन्होंने एक बात कही है तो सब कुछ पूछ-ताछ कर किया होगा ऐसा भी मानता हूँ। फिर भी समस्या के व्यावहारिक और शैक्षिक पहलुओं की समीक्षा तो होनी ही चाहिए, ताकि कदम अगर गलत और अव्यावहारिक है तो उसे वापस लिया जा सके अथवा उसमें सुधार और परिवर्तन किया जा सके।

यह योजना जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कक्षा ६, ७ और ८ के लिए लागू होना जा रही है। यद्यपि घोषणा में 'कक्षा पाँचवीं से आठवीं तक' कहा गया है, परन्तु मैं 'पाँचवीं से' का मतलब 'पाँचवीं के बाद' ही लगाता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जूनियर वेसिक स्तर (अथवा प्राथमिक शिक्षा) कक्षा १ से कक्षा ५ तक चलता है। यह प्राथमिक शिक्षा की पहली इकाई है। दूसरी इकाई, जिसे सीनियर वेसिक स्तर (उच्चतर प्राथमिक शिक्षा) अथवा जूनियर हाईस्कूल स्तर कहते हैं, कक्षा ६ से प्रारम्भ होकर कक्षा ८ तक चलती है। जहाँ कक्षा ६, ७, ८ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा ९ से कक्षा १०) के साथ सलग्न हैं वहाँ इन्हें पूर्व माध्यमिक स्तर भी कहा जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश में त्रिभाषा-सूत्र सीनियर वेसिक स्तर से लागू होता है और हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा-मन्त्री की यह नवीन घोषणा भी सीनियर प्राथमिक स्तर के लिए ही है और दक्षिण की भाषाओं की पढ़ाई कक्षा १ में नहीं, कक्षा ६ से प्रारम्भ होगी। अगर यह बात सही है तो तुरन्त इसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ी शैक्षिक भूल का परिहार हो जाय—भूल इसलिए की इस प्रकार की नयी योजना शिक्षा के किसी नये स्तर में ही शुरू होनी चाहिए, बीच से नहीं।

उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग पाँच हजार सीनियर बेसिक स्कूल हैं। लगभग तीन हजार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें भी सीनियर बेसिक कक्षाएँ (कक्षा ६, ७ और ८) भी चलती हैं। इस प्रकार लगभग आठ हजार स्कूलों में दक्षिण की भाषाओं की अनिवार्य पढाई जुलाई १९६९ से प्रारम्भ होगी। अर्थात् इन्हीं ढाई-तीन महीनों में आठ हजार अध्यापकों का प्रबन्ध करना है। सहज ही प्रश्न उठता है कि इतनी जल्दी इतने अध्यापक दक्षिण से आकर उत्तर प्रदेश के गाँवों में (यह भूलना नहीं चाहिए कि इनमें पाँच हजार स भी अधिक जूनियर हाईस्कूल गाँवों में ही हैं), जहाँ का वातावरण उनके लिए नितान्त भिन्न होगा क्या अध्यापन के लिए तैयार हो जायेंगे ? अगर एक अध्यापक को कम-से-कम दो-सौ रु० भी प्रतिमास वेतन दिया गया तो आठ हजार अध्यापकों के लिए प्रतिवर्ष लगभग ढाई-तीन करोड़ रुपये चाहिए। क्या आसानी से उत्तर प्रदेश इस काम के लिए इतने अधिक धन का प्रबन्ध कर सकेगा ? अगर कर भी देगा तो सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम से इस नये अध्यापक के वेतन-क्रम में ताल-मेल कैसे बँटेगा ? ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उतना सरल नहीं है। इसी-लिए मैं मानता हूँ कि सीनियर बेसिक स्तर पर अनिवाय रूप से दक्षिण की एक भाषा पढ़ाने की योजना अव्यावहारिक है और घोषणा के पीछे भावुकता का हाथ अधिक है।

फिर सीनियर प्रिमरी स्तर पर अनिवाय रूप से दक्षिण (अथवा किसी दूसरे अहिन्दी प्रदेश) की एक भाषा पढ़ाना शैक्षिक दृष्टिकोण से भी गलत है। इस तर्क के सम्बन्ध में मैं कोठारी आयोग की मन्तुतियाँ को ही उद्धृत करूँगा। शिक्षा आयोग कहता है— 'मनु १९५६ और १९६१ में जो त्रिभाषा-सूत्र तैयार किया गया था, जिसके अनुसार हिन्दी क्षेत्रों में छात्रों को एक और भारतीय भाषा पढ़ाने की राय दी गयी थी, उनमें हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों में भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से समानता लाने की चेष्टा की थी। यह निर्णय शैक्षिक की अपेक्षा राजनीतिक अधिक था।' (शिक्षा-आयोग ८-३१) इस त्रिभाषा-सूत्र को छठी कक्षा में लागू करने में जिस भारी बोझ की आवश्यकता पड़ी उसे कोई राज्य उठा नहीं पाया। हिन्दी क्षेत्रों में एक अनिश्चित आधुनिक भाषा के अध्य-

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दक्षिण को भाषाओं का अनिवार्य शिक्षण

“जुलाई से प्रारम्भ होनेवाले आगामी शिक्षासत्र में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पांचवी कक्षा में आठवी कक्षा तक दक्षिण भारत की एक भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है, यह घोषणा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा० रामजीलाल सहायक ने राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मंडल की दिल्ली की ६ अप्रैल की बैठक में की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के आन्दोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहना चाहता है और यह उसी लक्ष्य की ओर एक कदम है। यह खबर प्रेस की है। इस विषय में अभी राजाज्ञा निर्गत नहीं हुई है परन्तु शीघ्र होगी, ऐसा निश्चय है।

राष्ट्रीय एकता आज इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वराज्य के बाद भारत में साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता जातिवाद, भाषावाद आदि जिन विघटनकारी प्रवृत्तियों ने सिर उठाया है उनको देखते हुए देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहे तो समझ्या मुलभेगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। उत्तर प्रदेश में, जो हिन्दी का गढ़ है, अगर अनिवार्य रूप से दक्षिण की अथवा अहिन्दी प्रदेशों की भाषाएँ पढ़ी जायें तो राष्ट्रीय एकता मधेगी, इसमें भी सन्देह नहीं। अतः इन भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की नीति

वर्ष : १७

अंक : ६

यन के लिए छात्रों में कोई अभिप्रेरणा भी नहीं थी। अतः उत्तर प्रदेश में तो आधुनिक भारतीय भाषाओं के नाम पर तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत ही पढ़ी जाती रही। इसे अहिन्दी प्रदेशों ने उत्तर प्रदेश की मनकारी कहा और अपने प्रदेशों में हिन्दी शिक्षण का विरोध किया। इन्हीं कारणों से कोठारी-आयोग ने त्रिभाषा-मूत्र में सुधार सुझाया और राय दी कि “यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चों को दूसरी भाषा सिखाने के पक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से प्राथमिक स्कूलों के लान्बो छात्रों को एक ‘नयी’ भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक की व्यवस्था करना बहुत दुष्कर काम है।” (८-३३-३) यह बोझ किसी भी राज्य से उठेगा नहीं। इसीलिए आयोग ने प्राथमिक स्तर पर, जिसमें जूनियर और सीनियर वेसिक, दोनों ही स्तर (कक्षा १ से ८ तक) शामिल हैं, केवल दो भाषाएँ पढ़ाने की राय दी है। जूनियर वेसिक स्तर पर केवल अपनी मातृभाषा (या प्रादेशिक भाषा) के अतिरिक्त हिन्दी या अंग्रेजी। तीसरी भाषा को माध्यमिक स्तर से अनिवार्य बनायी जाय। आयोग सिफारिश करता है, “तीन भाषाओं के अध्ययन की अनिवार्य बनाने के लिए निम्न माध्यमिक स्तर (कक्षा ८ से १०—उत्तर प्रदेश में कक्षा ६-१०) सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इस स्तर पर छात्रों की संख्या कम होती है और बेहतर सुविधाओं और शिक्षकों का प्रबन्ध किया जा सकता है।” (८-३३-४)

इसीलिए मेरा सुझाव है, और यही व्यावहारिक और शिक्षा के हित में होगा, कि दक्षिण (या अहिन्दी राज्य) की भाषा अनिवार्य रूप में उत्तर प्रदेश के उच्चतर हाईस्कूलों में पढ़ायी जाय। कक्षा ९ और १० में यह अनिवार्य रहे और कक्षा ११ और १२ में ऐच्छिक कर दी जाय।

एक दूसरी शान और है। शिक्षा-मन्त्री की जो घोषणा अखबारों में निकली है उसमें केवल दक्षिण की एक भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात तो की गयी है, परन्तु उन्होंने उसी घोषणा में यह सूचना भी दी है कि “राज्य में मल्ल, तेलगु, मलयालम, कन्नड और बंगला के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है।” इन वाक्यों में लगता है कि शायद केवल दक्षिण की नहीं, किसी भी एक अहिन्दी राज्य की भाषा की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जा रही है। यदि

ऐसा है तो घबड़ा है। अच्छा इसलिए है कि हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी कौनसी भाषा पढ़ी जाय, इसमें निर्णायक कसौटी छात्र की अभिप्रेरणा ही होनी चाहिए। “किसी राज्य के सीमावर्ती भागों के लोगो में सामान्यतः सीमा के पार की भाषा के सीखने में रुचि होती है और यह बखूबी अध्ययन की भाषा हो सकती है।”
(शिक्षा-आयोग ८-३७)

मेरा विचार है कि अहिन्दी राज्यों की भाषा की शिक्षा के सम्बन्ध में अभिप्रेरणा की यह नीति अधिक मनोवैज्ञानिक होगी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती छात्रों को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वे तीसरी भाषा के रूप में अपनी सीमा पार की पड़ोसी भाषा का अध्ययन कर सकें। उदाहरणार्थ—अगर बुन्देलखण्ड का रहनेवाला मराठी भाषा पढ़ना चाहे तो क्या नहीं पढ़े? क्योंकि बुन्देलखण्ड के कुछ स्थानों पर मराठी वातावरण पर्याप्त है। बंगला का अध्ययन भी इसी अभिप्रेरणा की कसौटी के कारण स्वीकार करना चाहिए इसलिए नहीं कि चूँकि दक्षिण की भाँति बंगाल में भी हिन्दी का विरोध है। परन्तु शिक्षा-मन्त्री की घोषणा से तो ऐसा ही लगता है कि जिन-जिन राज्यों में हिन्दी का उग्र विरोध है उन्हीं राज्यों की भाषाओं की अनिर्णय पढ़ाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। घोषणा के पीछे कोई शैक्षिक दृष्टि नहीं है।

एक और बात का ध्यान रखना है, चूँकि हम दक्षिण की भाषाओं के साथ उत्तर हिन्दुस्तान की एक बंगला भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं, अतः कहीं ऐसा न हो जाय कि व्यवहार में पढ़ाई केवल बंगला की हो रह जाय। बंगला उत्तर हिन्दुस्तान की भाषा है। हिन्दी में उमका बहुत साम्य है। बंगाल दक्षिण की अपभ्रंश उत्तर प्रदेश का अधिक निकट का पड़ोसी राज्य है, इसलिए छात्रों में बंगला सीखने की अभिप्रेरणा भी अधिक होगी। अतः बंगला का विकल्प करने में यह खतरा है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए और अगर राज-नैतिक कारण से सब कुछ करना है तो हिम्मत करके केवल दक्षिण की भाषाएँ ही रखनी चाहिए।

—बशीर खोवास्तव

सरकार-स्वतंत्र शिक्षा की बुनियादी बातें

काका कालेलकर

मैं शुरू से मानता आया हूँ कि शिक्षा और शिक्षा-शास्त्री अन्यायक सरकार के अधुना में न हों। सरकार के हुकम के मुताबिक मिलाना, सरकार की इच्छा के मुताबिक जीना ऐसी स्थिति शिक्षा शास्त्री की नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीशा को सरकार नियुक्त करती है, सरकार से उन्हें वेतन मिलता है, फिर भी सरकार से वे बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा-तंत्र और शिक्षा देनेवाले व्यक्ति सरकार से स्वतंत्र होने चाहिए। यह नियम अथवा हमारा यह सिद्धान्त केवल विदेशी राज्य के लिए नहीं था, स्वराज्य में भी स्वराज-सरकार के हुकम की ताबेदारी शिक्षा-तंत्र और अन्यायक के लिए नहीं होनी चाहिए। यही आदर्श स्थिति है। क्या पढ़ाना, क्या पढ़ाना, विद्यापिया को क्या रखना और पढ़ाना

इस विषय में जैसे विदेशी सरकार का दखल न हो वैसे ही स्वदेशी सरकार का भी दखल न हो, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए मुनिर्वामिदियाँ सब तरह में स्वतंत्र हों यही दृष्ट है।

हम योरोप आदि देशों का इतिहास पढ़ते हैं। एक जमाना था जब वहाँ के धर्मगुरु और उनका धर्मतंत्र वहाँ की शिक्षा की अपने अक्षुभ में रखते थे। 'सूर्य पृथ्वी के आमपाम घूमता है या पृथ्वी सूर्य के आमपाम घूमती है।' इसमें क्या पढाना वह भी धर्मगुरु की मुत्तमही पर था। यहाँ एक मजेदार किस्सा मुताबे बिना नहीं रहा जाता। अमेरिका में गुल्दमी नाबूद हुई और नीग्रो स्वतंत्र हुए और अपनी शाखाएँ बनाने लगे तब की बात है। अन्तर्द गाँव के लोगो ने एक पदा हुआ नीग्रो शिक्षक रखा और उसे शाखा सोप दी। गाँव के एक नीग्रो बूढ़े ने शिक्षक से पूछा, "मास्टरजी, पृथ्वी और सूर्य के बारे में आप क्या पढायेंगे? कौन किसके आमपाम घूमता है?" प्रजातिष्ठ शिक्षक ने जवाब दिया, "इस बाबल में मेरा कोई आग्रह नहीं है। आर लोग बहुमत में जो तय करेंगे वह में पढाऊँगा। मैं जनमत में माननेवाला हूँ। वही सर्वोपरि होता चाहिए।"

शिक्षा-विभाग की स्वायत्तता किस तरह की ?

इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षा-शास्त्री गैर-जिम्मेदार हो। क्या कोई कहेंगा कि शिक्षा-शास्त्री को सब प्रकार की छूट होनी चाहिए? वह चांगी करना सिखाये, व्यवहार सिखाये, विद्यापियों को राष्ट्रप्रेमी या समाजप्रेमी बनाये, आलमी या परावर्तकी बनाये, कुछ भी बनाये ?

शिक्षा का तत्र स्वायत्त होना चाहिए—'ओटोनोमस' होना चाहिए, यह ठीक है। परन्तु वह तो मन्चे प्रजातिर्गामी, मानव-व्यवहाररी और मन्चे शिक्षाशास्त्री के हाथ में ही होना चाहिए; गैर-जिम्मेदार, समाहितप्रेमी, सदाचार के शत्रु के हाथ में कभी नहीं होना चाहिए।

हमारे यहाँ परापूर्व में शिक्षा-तत्र प्रजाहित की उपेक्षा करता आया है, इसलिए शिक्षा-शास्त्री प्रजाहितनिष्ठ न हों तो भी देश में उनकी चल्ती आयी है।

प्राचीन काल की शिक्षा के गुण-दोष

प्राचीन काल में जब विदेशी राज्य नहीं था, तब भी शिक्षा का काम ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च वर्गों के हाथ में ही था और वह स्वाभाविक था। उन्होंने लोगो बनकर अपना स्वार्थ नहीं माना, धर्म और संस्कृति की उत्तम सेवा की। देश की सामूहिक एतता उन्हींके कारण है। जीवनीपयोगी ज्ञान के अनेक विषयों की दृष्टि उन्हींकी की। धर्म, तन्त्रज्ञान, मानसशास्त्र, योग, व्याकरण, भाषा-शास्त्र,

के पंचायत राज्य में जैसे सरकारी अमलदार दखल दे सकते हैं वही पर दखल नहीं दे सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।

या तो कोई भी योजना भयमुक्त नहीं हो सकती। प्रजा की चारित्र्य में यदि कुछ शक्ति होगी, सबकुछ यदि नेजल्वी होगी तभी ऐसी स्वायत्तता ही आयशा चानी पामना, ज्ञान प्रचार और प्रजा-कल्याण कर सकेगी।

सफेदपोशों की झूल

हम प्रजाकल्याण की बात जब करते हैं तब हिंदू समाज के सफेदपोश मध्यम-वर्ग के लोगों को ही प्रजा समझने की गलती अब नहीं होनी चाहिए। जो अपने को एलाइट (elite) कहते हैं उन्हींके हाथों में अबतक ज्ञानोपासना हुई है। उनकी सेवा की हम उपक्षा न कर। परन्तु इन सफेदपोश लोगों ने दूसरों की भाँति के प्रति आभोग्यता या आदर नहीं दिखाया, या बहुत कम दिखाया इस कमी का उन्हींको प्रायश्चित्त करना है।

प्रजा या जनता के अंदर बहुसंख्यक सभी वर्गों का समावेश होगा चाहिए। मनुष्य जाति के प्रति व मनुष्य हैं इसीलिए जिनके मन में आदरभाव है व ही सच्चे प्रजाप्रेमक हो सकते हैं। निचले स्तर की जनता के प्रति अनादर और उपेक्षा यह हमारी संस्कृति का बड़ा दोष है। इसके लिए प्रायश्चित्त किये बिना हम ठिक नहीं सकेंगे और आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे।

भिन्न धर्मों लोगों के बीच जो परस्पर-अलगाव है यह भी हमारी राष्ट्रीय कम-जोरी है। भायनात्मक एवता विवभित करनी हो तो अलगाव दूर करके सब धर्मसमाजा को ओतप्रोत होने का प्रयत्न करना ही होगा। धर्मभेद से समाजभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

इस भी इस दौर के विद्वेद यदि हम नष्टसंस्कृति का निर्माण नहीं करेंगे तो स्वराज्य में भी देश का नया विभाजन करने लगे। यह भारत मकट टांगा है तो उच्च शीव भाव और अज्ञान दोनो दौरा को नाबूद करना ही होगा।

आज की परिस्थिति में यह काम राजनीतिक लोग नहीं कर पायेंगे। उन क अमाननी गण नो अज्ञान पर ही जीने हैं। यह कभी किमोकी अमरता की न किमोकी इनकी सरम है। हम का अमानन बड़ाकर भिन्न घमो लगे व प्रति अज्ञान और अविज्ञान को रचना है वही घम का हितचिन्क है एत आदेश समाज में रुड हुआ है।

ऐस दादा को हडता न दूर करना यही प्रजाकल्याण का मुख्य काम है।

लोगा में अज्ञान है रुडि की दासता है सकुचितता है और व्यर्थिया जीवन के अभाव में जानवरों की टोलीमो' वृत्ति है। यह दूर करने के प्रयत्न शिक्षा साहित्य के द्वारा हो टी रुते है। एस आदेश रुडि का समन रखर अज्ञानक जने जीवन में सुखर कर और एम नवनीद का दीप्ता अपने विद्या यया का और विद्यार्थियों को दें, यही आज का मुख्य काम है।

समाज में ज्ञान का प्रचार होता है उसके प्रमाण में वायकुशलता का विकास नहीं होता। सांख्यिक और वैचारिक विकास से ही लोग सतोप मानत है। आदर्शों का अपन में विकास करने की बजाय केवल उह ओड लिया जाता है। और उतन से सब सतोप मानते हैं। यह भी एक बड़ा अपलक्षण है जो दूर होना चाहिए।

और अन में—स्त्री-मुह्य-ममानता का आघट रहे बिना शिक्षा का विकास नहा होगा और सामाजिक जीवन में आरोग्य नहीं आया।

आज की हालत में सामान्य हाईस्कूले में और कालेजा में बिना स्त्री पुष्प के भेद के विद्यार्थियों को दालित करना चाहिए। तदुपरान्त स्त्रियों के लिए अन्य संस्थाएँ भी होनी चाहिए। तभी निभयता से और शीघ्रता से प्रगति हो सकेगी।

शिक्षाशास्त्रिया की पूरी स्वायत्तता इस योजना के मुताबिक दी जायगी तभी समाज स्वराज्य को कायम रख सकेगा और दुनिया की मवा करने लायक हो सकेगा।

इसमें भी यह बात सही है कि यदि मोन जनोना बन जाय तो उमका अज्ञान पन दूर करने का कोई और समन है ही नहा। इसलिए अध्यापकों को अपन चारित्र्य की ओर ध्यान देना चाहिए। चारित्र्यवान ज्ञाननिष्ठ प्रयोग-मरायण और सर्वोदय में माननेवाले अध्यापका के हाथ में ही भविष्य की उन्नति है।

[तारीख ७ १ १९६ को भावनगर, सौराष्ट्र में कालेजा के प्राचा; । क समक्ष दिव हुए भाषण का अंश । मूल गुजराती से]•

परिवार और पाठशाला की भाषा की भिन्नता

भाषा सीखने-सिखाने का यह गारा टंग बहुत पुराना है और अनेक दृष्टियों में हमसे सुधार की अपेक्षा है। औपचारिक रूप में जिस परिनिष्ठित भाषा की शिक्षा दी जाती है, यह न्यूनतामय भाषा में भाषा के उन रूपों से भिन्न होती है, जो बालक अपने परिवार और परिवेश में सीखकर पाठशाला में आता है। सभी सुसंस्कृत और उन्नत भाषाओं की यह स्थिति है। हिन्दी के विशाल क्षेत्र में तो भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में उतनी भिन्नता और विविधता है कि, उदाहरण के लिए, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा-पंजाब के ग्रामीण व्यक्ति और बिहार प्रान्त के पूर्णिया और भागलपुर के व्यक्ति के लिए अपनी-अपनी बोली में एक-दूसरे को समझना-समझाना असंभव है। इसी प्रकार काण्डा के ग्रामवासियों का लडवा के ग्रामीणों के साथ अपने परिवेश की बोली में व्यवहार करना कल्पनातीत है। जिस भाषा में इन सबका सम्पर्क करना अनिवार्य हो जाता है, वह भाषा निरपेक्ष परिवेश की भाषा से भिन्न शहर की बोली है, अवधार की भाषा है, स्कूल, कचहरी, सभा-सोसाइटी की सुसंस्कृत भाषा है। सामूहिक नाम इन सब भाषा-भेदों का एक ही है—हिन्दी। इसलिए तथा इसलिए भी कि शहर की भाषा का सम्पर्क बाजार की घोस-बहुत शैशव-बाल में ही मिलने लगता है, यह समझ लिया जाता है कि पाठशाला में जिस भाषा की शिक्षा दी जाती है—चाहे वह पाठशाला जमशेदपुर जिले की हो, अथवा पूर्णिया जिले की, चाहे अम्बाला जिले की हो अथवा खंडवा जिले की—बाजार की मातृभाषा ही है। शैक्षिक दृष्टि में यह गलत है।

भाषा-कौशल के अभाव का परिणाम

भाषा का अपेक्षित अधिकार प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि प्रथम भाषा पर बाजार के परिवेश की भाषा के व्यापार के प्रति सजगता हो और शिक्षण यह जानना हो कि उस व्यापार को दूर रखने के उपाय क्या हैं। इसके अभाव में मातृभाषाओं का शिक्षण भी उचित रूप में नहीं होता, भाषा-शिक्षण के नाम पर विषय, व्याकरण या साहित्य का जो शिक्षण होता है, उम्र में भाषा-धीशलो पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि केवल विषय-ज्ञान पर बल दिया जाता है। भाषा-शिक्षण की इस अपेक्षा का परिणाम हमारे सामने है। अब हमें अच्छे वक्ता बहुत कम दिखाई देने हैं, रोचक दालचीन में भाषा-प्रयोग के मनोरंजक प्रसंग कम सुनायी देते हैं, अच्छे और शुद्ध लेखन दुर्लभ होने जा रहे हैं और भाषा-प्रयोग के पढ़ने और मंती समझने की क्षमता में शिथिलता बड़की हुई नजर आती है।

मातृभाषा के अनिश्चित जब अन्य भाषा के रूप में भाषा-शिक्षण पर विचार करते हैं, तब उदात्त प्रवृत्तियों और अधिक स्पष्ट और विन्यासपूर्ण हो जाती हैं।

हिन्दी-भाषी क्षेत्र के विस्तार की सीमाओं को स्पष्ट करनेवाली भाषाएँ—बंगला, उडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और कश्मीरी—अपने-अपने क्षेत्र के निकट की हिन्दी से इतनी अधिक भिन्नता-जुलता और परस्पर-प्रभावित दिखाई देती है कि प्रायः समझ लिया जाता है कि उन भाषाओं के बोलनेवालों के लिए हिन्दी इतनी सरल और सहज ग्रहणीय है कि उसके लिए विशेष परिश्रम करने और चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम यह होता है कि बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषा-श्रेणी में हिन्दी-शिक्षण के प्रति अपेक्षित सजगता नहीं रहती और भाषा के समझने, बोलने, लिखने और पढ़ने की मानक स्पष्टता और शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रयोग-विस्तार में भाषा के रूप में विविधता तो स्वभावतया आती ही है। एक दृष्टि से उसमें भाषा की शक्ति भी बढ़ती है और उसे वांछनीय ऋहा जा सकता है। परन्तु यदि उसके कारण भाषा के सामान्य व्यापार, प्रेषणीयता में बाधा पड़े तो भाषा सीखने का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। यदि गुजराती भाषी की हिन्दी में इतना अधिक पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती का प्रभाव हो कि वह बंगला भाषी के साथ, जिसकी हिन्दी में अत्यधिक बंगलापन बना रहे; सामान्य भाषा-व्यापार ही न कर सके तो दोनों का हिन्दी सीखना लक्ष्यहीन हो जायेगा और उन्हें किसी ऐसे सामान्य माध्यम की तलाश होगी, जिसके द्वारा व्यवहार करने में किसीकी अधिक शक्ति और बाधा का अनुभव न हो। यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि भाषा केवल मात्र विचार-विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि उसके प्रयोग से प्रयोक्ता के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का वीर होता है, अच्छी या कम अच्छी भाषा-शैली का अनुकूल या अनुकूल अमर पड़ता है और तदनुसार उद्देश्य की विधि में सफलता या निराशा प्राप्त होती है।

विक कार्य बहुत कम, प्रायः नगण्य रूप में ही हो सका है। वहाँ भी भाषा-शिक्षण व्याकरण-ज्ञान, साहित्य-अध्ययन और विषय-प्रदान रूप में ही प्रायः चलता है। उच्च शिक्षण में हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में भी अपेक्षित अन्तर नहीं किया जाता, एक ही प्रकार के प्रश्न-पत्र, दोनों क्षेत्रों के महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में चलते हैं।

वैज्ञानिक भाषा-शिक्षण

भाषा-शिक्षण का आधुनिक काल में, विशेष रूप से द्वितीय महायुद्ध के बाद, विश्व में जैसा विकास हुआ है और उसे जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे देश में भी इस अत्यन्त आवश्यक विषय के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाय तथा भाषा की शिक्षा को भाषा की शिक्षा के ही रूप में नियोजित करने के उपाय किये जायें। प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए उस विषय को वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और गम्भीर जानकारी की आवश्यकता होती है। भाषा के विषय में अभी तक तथ्य की जो उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा को भाषा-विज्ञान और उसकी प्रयोग्य (एप्लाइड) शाखा ने मिटाने का यत्न किया है, परन्तु प्रयोग्य-भाषा विज्ञान और भाषा-शिक्षण का सम्बन्ध अभी, कम-से-कम हमारे देश में नहीं जुड़ सका है। अभी हमारा भाषा-शिक्षक भाषा-विज्ञान के प्रयोग्य पक्ष का उपयोग करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सका है। हमारे भाषा-विज्ञानियों ने भी भाषा-शिक्षण के प्रयोग को दृष्टि में रखते हुए भाषा का परीक्षण, विश्लेषण और सामग्री-निर्माण का कार्य नहीं किया है। भाषा-विज्ञान के प्रयाग्य पक्ष और भाषा शिक्षण में जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध अपेक्षित है, उस सम्बन्ध बिना भाषा-शिक्षण को वैज्ञानिक रूप नहीं दिया जा सकता।

विभिन्न भाषा-क्षेत्रों में अन्य भाषा के रूप में हिन्दी-शिक्षण के क्षेत्र में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने जो कार्य किया है और आग कार्य करने की जो योजना बनायी है, उसकी ओर भाषा-शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर विचार और कार्य करनेवाले व्यक्तियों का समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा-शिक्षण की प्रविधि, सामग्री और उपकरणों का नवीनीकरण के साथ भाषा-शिक्षकों के नवीनीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है। भाषा-शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी आवश्यक परिवर्तन अपेक्षित है और साथ ही भाषा और साहित्य के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में मौलिक मुद्दों और सशोधन अपरिहार्य हैं।

भाषा-शिक्षण में भाषा पर बल देना चाहिए, न कि विषय पर, साहित्य का भी भाषा-शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग होना चाहिए, साहित्यिक जानकारी देना अनिच्छित लाभ के रूप में समझना चाहिए। अभी स्थिति विस्फुल्ल उन्नी है,

यानी भाषा को साहित्य की जानकारी देने का माध्यम माना जाता है और यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि परीक्षण में प्रायः विषय-ज्ञान, साहित्यिक जानकारी का ही मूल्यांकन होता है, भाषा-प्रयोग के दोषों तक की उमीदा कर दी जाती है। सब तो यह ही कि साहित्य शिक्षण का विषय ही नहीं है, यह तो आस्वादन का विषय है और साहित्यिक आस्वादन भाषा-कौशलों के अच्छे ज्ञान और उसकी पहचान तथा भाषा के समुचित संस्कार से ही सम्भव है। परन्तु यह विषय पृथक् और विस्तृत विचार की अपेक्षा रखता है।

माध्यम की भाषा का प्रश्न

शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा के प्रयोग की वास्तव में कोई मूल समस्या नहीं है, क्योंकि भाषा केवल एक साधन है, माध्यम है विभिन्न विषय जिनकी जानकारी भाषा के द्वारा दी जाती है; परन्तु माध्यम की भाषा का प्रश्न वस्तुतः भाषा-शिक्षण से भी अधिक कठिन समस्या का रूप धारण करता रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि जनसाधारण की प्रचलित भाषाएँ अभी तक उस आदर और मान्यता से वंचित रही हैं, जो विशिष्ट और अधिकार-सम्पन्न वर्गों की, प्राचीन और विदेशी भाषाओं को मिलता रहा है। इंग्लैंड में सोलहवीं शताब्दी तक अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं मिला था। लैटिन और फ्रेंच का अपेक्षाकृत अधिक सम्मान अठारहवीं शताब्दी तक रहा। हमारे देश में प्राकृत, अपभ्रंश और आवृत्त भाषाओं के प्रचलन के बावजूद संस्कृत का जो आदर रहा है, उसका प्रमाण आज भी मिलता है। निश्चित ही प्राचीन भाषाएँ अधिक संस्कार-युक्त और अभिजात-वर्गों की मान्य-भाषाएँ रही हैं। उन्हींको शिक्षा में स्थान मिलता था, उन्हींको शिक्षा का माध्यम बनाया जाता था।

प्राचीन काल में संस्कृत बहुत बृहत् एकमात्र सम्मान और प्रतिष्ठा की भाषा थी, परन्तु मध्य-युग में अरबी और फारसी ने—अजिवात फारसी ने—संस्कृत को राज-दरबारों और उनके प्रभाव-क्षेत्रों से बहिष्कृत कर दिया। संस्कृत केवल हिन्दू-सामिक क्षेत्र की भाषा रह गयी और इसी सदर्थ में उच्च साहित्य की भी यथाकदा रचना होनी रही। बरतुन मध्य-युग में समाज, संस्कृति और पलस्वरूप शिक्षा में विनाश की प्रवृत्ति पैदा हो गयी थी, क्योंकि विदेश की भाषा-संस्कृति ने सत्ताधिकार के साथ समाज के जीवन में प्रवेश किया था। मूलतः-मदरसी और पाठशा-संस्थाओं में अरबी-फारसी और संस्कृत भाषाएँ शिक्षा के विषय और माध्यम के रूप में धारणा की जा रही थीं। वाणिज्य-व्यापार, गृह-कलह और निरन्तर ईसाइयों के माध्यम से जब देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, तब तक और समस्या उठ खड़ी हुई। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के स्थायित्व की

दृष्टि से और कुछ भारतीय विचारकों और मनीषियों ने आधुनिकता-विज्ञान और प्रगति के प्रणेताओं में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा में प्रतिष्ठा का स्थान देना उचित समझा और उन्नीसवीं शताब्दी में ही संस्कृत और अरबी-फारसी को प्रगति-विरोधी और जड़ता-भोषक परम्परागत पाठशालाओं और मकतबों में सदा के लिए सीमित रखने और अंग्रेजी की शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में सर्वोच्च स्थान देने की योजना कार्यान्वित हो गयी और इन योजनाओं में देश की भाषाओं को अग्रिकाहीनों की निचली श्रेणी में ऊपर न उठने देने का भी पक्का प्राविधान कर लिया गया। अंग्रेजी भाषा शिक्षा का सबसे अधिक प्रतिष्ठित विषय बन गयी और उसने संस्कृत, अरबी-फारसी और आधुनिक भाषाओं को सबसे अधिक उपेक्षित विषय बना दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न अवश्य किया, परन्तु राष्ट्रीय नेतृत्व पर अंग्रेजी का जादू कम नहीं था। पटी कारण था कि अंग्रेजी भाषा ही, महात्मा गांधी के प्रयास के बावजूद सर्वोच्च स्तर पर ही नहीं, प्रादेशिक और प्रायः जिले के स्तर पर स्वतंत्रता-आन्दोलन का माध्यम बनी रही। यह स्थिति आज भी निर्जन्तता के साथ बनी हुई है। आज भी राजनैतिक पार्टियों की भाषा अंग्रेजी है, सरकारी कामकाज अंग्रेजी हटाने का धनपोर आन्दोलन करनेवाली पार्टियाँ भी अपना कामकाज अंग्रेजी में चलाती हैं, किसान और मजदूरों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली पार्टियाँ भी अंग्रेजी में चिपकी हुई हैं।

दुहरे माध्यम का परिणाम

परन्तु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आन्दोलन ने अंग्रेजी को एकछत्र साम्राज्य को हिलाया न हो। कोई भी आन्दोलन जन-भाषाओं की सर्वथा उपेक्षा करके जनता के जीवन को स्पर्श नहीं कर सकता। सार्वजनिक माध्यम सभा, भाषण, अखबार, पत्र-पत्रिका आदि की सहायता के बिना सार्वजनिक आन्दोलन नहीं फैलाया जा सकता। परन्तु सर्वोच्च स्तर पर इन सार्वजनिक माध्यमों की भाषा अंग्रेजी ही रही है। विधान-सभाओं, लोक और राज्य-सभाओं के भाषणों में मूल ही देश की भाषाओं का प्रयोग होता ही, इन सबका उच्चकार्य, नीति-निर्धारण, विधि-विधान और उच्च स्तरीय ही नहीं, प्रायः निम्नस्तर तक के राज-काज में आज भी अंग्रेजी का—तथाकथित अंग्रेजी का—जिस अब बेशरमी के साथ भारतीय अंग्रेजी कहने का फंशान चल पड़ा है—मुले-आम प्रयोग होता है। इस दुहरे माध्यम ने देश के जीवन में पुनः विभाजन पैदा कर दिया है, अधिकार-प्राप्त और अधिकार-हीनों की भाषा में भेद है और फिर हम लोकतंत्र और समाजवाद का दम भरते हैं।

विभाजन की स्थिति शिक्षा में भी है। बसुन्त सामाजिक जीवन के विभाजन का उल्लेख यहाँ शिक्षा-क्षेत्र के विभाजन की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए ही

किया गया है। माध्यम के रूप में अंग्रेजी और भारतीय भाषाएँ दोनों चल रही हैं; परन्तु स्थिति में अत्यधिक जटिलता है। सामान्य शिक्षा की दृष्टि से हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बहुत अन्तर है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में मानविकी, कला और समाज-शास्त्रीय विषय की शिक्षा वैकल्पिक रूप में उच्च स्तर तक हिन्दी में दी जाने लगी है, परन्तु अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में अधिकांशतः माध्यमिक स्तर तक ही भारतीय भाषाओं की माध्यम बनाया गया है। परन्तु प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर तक पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम भी मारे देश में चल रहा है, जिसका लाभ अधिक भाग्यवान और धनवान लोग ही उठा पाते हैं। इस प्रकार समाज को भाग्यवान अधिकार-प्राप्त और अभाग्य अधिकारहीनों के दो वर्गों में विभाजित करने का कार्य शिक्षा के द्वारा भी किया गया है और उसे रोकने के कोई कारगर और व्यावहारिक उपाय नहीं किये जा रहे रहे हैं, समस्या पर वाद-विवाद करने और योजनाएँ बनाने तक ही इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न के प्रति जागृकता दिखाई दे रही है।

माध्यम की उलटी गंगा

न जाने कितनी कमेटियों और कमीशनो के द्वारा यह मिथ्यान्त बार-बार दुहराया गया है कि शिक्षा का माध्यम शिक्षाधी की भाषा ही होनी चाहिए, यह न केवल वाञ्छनीय है, बल्कि अपरिहार्य है। परन्तु इतना होते हुए भी इस देश में अब भी गम्भीर बहस छिड़ती है कि उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की क्षमता अभी भारतीय भाषाओं में नहीं आयी है, अभी अंग्रेजी को माध्यम बनाये बिना काम ही नहीं चल सकता। इस बहस में यह संबंध भुला दिया जाता है कि विदेशी भाषाओं में मजिद ज्ञान-विज्ञान मुख्य करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा का ही नहीं, परीक्षा का माध्यम भी कोई एक विदेशी भाषा ही रहे। विदेशी भाषाएँ सीखना और जानना एक बात है, उन्हें माध्यम बनाना सर्वथा भिन्न। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक नहीं, एक से अधिक विदेशी भाषाएँ जानना जरूरी है। वास्तव में आज के युग में बहुभाषीयता विद्वत्ता का ही नहीं, मुमस्कार का भी लक्षण है, परन्तु इसके लिए यह किसी प्रकार आवश्यक नहीं है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई विदेशी भाषा चलाई जाय। उच्चतम शिक्षा के स्तर पर यद्यपि माध्यम का प्रश्न गौण हो जाता है, पर उस गौण स्थिति में ही नहीं, अपनी भाषा को माध्यम बनाने में ही विद्वत्-ज्ञान सम्पन्न रूप में सम्भव है, शैक्षिक चिन्तन तभी सम्भव है, जब आचारभूत भाषा अपनी भाषा हो। शिक्षा के माध्यम की आचारभूत भाषा होने पर ही उस भाषा में उपयोगी अनुवाद-कार्य भी हो सकता है। आचारभूत जो पुस्तकें अतृपित रूप में निरक्षरता है, उनकी प्रायः यह कहकर

आलोचना की जाती है कि उनकी भाषा कठिन है, वे बोधगम्य नहीं हैं, उनके द्वारा विषय का सही ज्ञान नहीं होता और उनके होने हुए भी अंग्रेजी की पुस्तकों के बिना काम नहीं चलता। यह स्थिति इसी कारण है कि जो भी थोड़ा-बहुत चिन्तन होता है, वह माध्यम भिन्न होने के कारण अपनी भाषा द्वारा नहीं हो पाता और अनुवाद की भाषा परायी जान पड़ती है। इस विषय में वास्तव में उठती चाल घड़ी जा रही है। कहा जाता है कि पहले अनुवाद या मौखिक पुस्तकें अपनी भाषाओं में तैयार कर ली जायें तब माध्यम बदल जाय। यह उठती गंगा बहाने के समान है। विज्ञान के इस युग में गंगा की धारा को उल्टा जा सकता है, नहरों के रूप में यह किया भी गया है, पर बाँध या नहर का पानी गंगा-जल नहीं हो सकता। स्वाभाविक यह है कि पहले माध्यम बदल जाय, यह जोखिम उठाया जाय कि अत्यापक अंग्रेजी की पुस्तकों से ज्ञान मचिन करके उसे भारतीय भाषाओं के शिक्षाधियों के सम्मुख प्रस्तुत करें और इस प्रकार शिक्षाधियों की जिज्ञासा और चिन्तन-शक्ति को उद्बुद्ध करें तथा अपनी नैयारी के रूप में एकत्र सामग्री को ही बाद में पुस्तकों का रूप प्रदान करें। यह कार्य बन्तुत परिश्रम-साँपत्र है। अंग्रेजी के नोट शिक्षाधियों के सामने पढ़ देने या रटकर उगल देने की अपेक्षा इस प्रक्रिया में अत्यापकों की अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना और समझना भी पड़ेगा, तभी तो वे शिक्षाधियों को समझा सकेंगे और उन्हें सोचने-समझने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। यदि यह जोखिम उठाया जाय तो जहाँ एक ओर कुछ अत्यन्त रोचक अभ्यासों की कलाई खुलेगी वहाँ कुछ नवीन प्रतिभाओं का भी उदय होगा।

आज प्रायः भारतीय भाषाओं की क्षमता की बात कही जाती है। निरचय ही यह ज्ञान स्वतंत्रता-पूर्व के उन "माडरेट", "लिबरल" नेताओं और अंग्रेजों जैसी बात है, जो कहा करते थे कि अभी भारत में स्वतंत्र होने की क्षमता नहीं है, अभी वह स्वतंत्रता का भार सभार नहीं सकेगा। भाषा की क्षमता अनुवाद तैयार करने और शब्द गढ़ने में नहीं बढती। भाषा की क्षमता भाषा-भाषियों की क्षमता की चोख होती है और भाषा-भाषी अपनी भाषा की और स्वयं अपने की तभी क्षमतावान बन्ता सकते हैं, जब वे उसका प्रयोग करें। पानी में उतरे बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता।

भगवान बरे, हमारे शिक्षकों, शिक्षा-शास्त्रियों, शिक्षा-नैति का निरारण करते चाहे राजनीतिक शिक्षा-नेताओं की समझ-बूझ से कि व शिक्षा में भाषा के महत्त्व की समझकर देश को भौतिक और नैतिक प्रगति की तीर करने में योग दें। यदि समय रहने वे ऐसा न कर सके तो इस प्रक्रिया में देश की क्षति होगी, समय और शक्ति का अदृश्य होगा और कौन जाने अँट किम करवट बैठेगा। •

युवक समाज क सामी कैसे बनें ?

आधुनिक युग क मात्री होने के लिए हम एक विशेष प्रकार की कानकुशलता की आवश्यकता है। वह है विज्ञान की समझन की अनुभूति और उमस लाभ उठाने की योग्यता। हम यह अच्छी तरह समझना होगा कि तकनीकी कुशलता उन्हे आज के समाज का गभदायक सामी बना सकती है, न कि नारबाजी। आगरा नगरी के प्रमुख निर्माता जकबर महान ने योग्य व्यक्तिया को अपनी राजधानी म इकट्ठा किया था। शक्तिशाली शासक होने के साथ-साथ जनकयाग म उनकी विशेष रचि थी। यनी पर राजा टोन्डमल के कुशल शासन प्रबध तथा शिल्पकारो की अनुपम हस्त कला क नाय-नाय बीरबल क चान्य तानमन क मगीत रहीम खानखाना के दोहो और अकबर फजल की शायर को पूरा-पूरा प्रांस्ताहन मिया था। इस प्रकार आगरा ज्ञान मन्त्रि और मानवाय चातुय एव कौशल का प्रमुख स्रोत रहा।

एव मन्त्राकाभा समाज को किसी काय को प्रभावशाली ढग स थोडे काल मे पूरा करने की क्षमता स लाभ पहुँचता है न कि केवल ज्ञान स ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता बनी जरूरा है। इसके बिना केवल किसी चीज का ज्ञान होना काफी नग। क्षमता अथवा कुशलता की चर्चा करते हुए मुझे अभी हाल म पने एक विश्वविद्याल विचारशील ममालोचक की भारत-मन्बधो धारणा का ध्यान आता है। उक्त ममालोचक न हमार देश को एक एसी आवश्यक भूमि बतलाया है जहाँ पर है अकथनीय काय-शियिलता और काय-कुशलता की कमी। मुझे इन शब्दो से तीव्रता जाग्रत लगा किन्तु जब मैं व्यथा स पुन सचन हुआ ता मुझे आभास हुआ कि मन भी अपन दश म काय-कुशलता क विकास की समस्या का जिक्र किया है। उच्च स्तर का निपणता के बिना हम सदा ढग स प्रगति न कर सकेंगे।

तकनीकी युग मे शिक्षा

विज्ञान का तकनीकीप्रदान जगत म क्या स्थान है या हाना चाहिए इसके बारे म कम्ना अमगत न हागा। हमारे उद्योगो का काफी विकास हुआ है। सरकार की नीति औद्योगिक विकास को प्रो-माहन देन की है और विकासशील उद्योगो को नजर म रखत हुए विज्ञान और तकनीकी का उन्नति की ओर भा पूरा ध्यान है। चीनी और पाकिस्ताना हमारा के बाद स आम-निभरता पर अधिक जोर है। दनिक सनाचार-यथा म प्रायः रोज न किस्त-न-किस्ता उद्योग-सम्पान द्वारा अपना निर्यात सम्बन्धी मरुताओं के विनापन देसन को मिच्छते हैं। मुझे धरणी है कि कुछ अमें से निर्यात को बचान क लिए विशेष प्रयत्न निय जा रहे हैं। न केवल आयात कम

बर्से पर राह है बिना हमारी बनी बीजा का निधान भा बड़े रंग है । यद्यपि पूजा भंगाना का समस्याआम निरन्तर व निग निधान को पद गुना अभि बगाना नैमा फिर भी यह मन्तोष की बात है कि हमारा देश म जा मरण भी बाहर जा रही है ।

शिक्षा मे तकनीकी

तकनीकी प्रगति का माग कोई मगम नये है उमर निग बहन मूल-युग आर परिश्रम की आवश्यकता है । म नया बद्र मजता कि हमन तकनीकी विकास का गतिशील बनानेवाले सभी अवयवों की अन्गी तरह मगगा है या नगी और उमर निग उचित वातावरण बनान का पूरा प्रयत्न किया है तथा अपनी शिक्षा प्रणाली को उचित मोड किया है । मन पन्त भी इस समस्या क कुछ पद-प्रा की चचा का है और आज फिर तकनीकी क निग आवश्यक अंगों क विषय म कुछ बहना चाहता हू । मवप्रथम तकनीकी गान जिम पर टेक्नागजा आधारित हाता है इसम गान का अजन और नय गान का विकास दोना ग आन ह । इसका तकनीकी विकास को बगान के निग समाज क अन्दर अनुकूल वातावरण और जनता म मग घात की भावना । तीसरा राजनतिक और प्रशानतिक प्रामाण्य । चौथा पूजा ब गामको जुगता । निर्मित बीजा की स्वत व निग प्रिनरण और बाजार व्यवस्था का अनुभव । और भी जरूरी बातें हैं जग—कमिया की शिक्षा आयाजन और मंचा गन-व्यवस्था की कुशलता और मयम बडकर निगी काम का बीग उग उन का भावना । य मारी बातें महत्वपूर्ण है और इनम म एक भी पन्तू क कमजार पन्त पर तकनीकी का अस्तित्व और प्रगति भी कमजोर पड जायेंगे ।

यह सब जानने है और यह एक बडे मतोष की बात है कि पिछले थाम वर्षों मे हमारी शिक्षा के क्षेत्र म विशेषत वागातिक तथा तकनीकी क क्षेत्र म वागातिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् परमाण-शक्ति मस्थान और मुरुगा-विज्ञान संस्थाओ आदि की स्थापना और विकास स वागातिक अनुसंधान का क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है । विश्वविद्यालयों म अनुसंधान क उच्च केंद्र स्थापित हुए है और उनमे काफी सुविधाएं दी गयी है । पिछले दस-पन्तह वर्षों म औद्योगिक विज्ञान क लिए तकनीकी और वावहारिक अनुसंधानों की काफी वृद्धि हुई है ।

तकनीकी समाज के लिए आवश्यक कुशलता

आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का जागर विशयगता है । तकनीका पर आधारित आधुनिक उद्योग की स्थापना और मंचान क निग विविध वाय कुशलता की आवश्यकता है । केवल एक बरी सख्या मे मजीनियर स्नातकों के हान स

ही औद्योगिकरण में वृद्धि नहीं होनी, बल्कि बेकारी की समस्या बड़ी हुई है। इसलिए जाहिर है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली बनाने रखने और विकसित के लिए जिस कुशलता और योग्यता की जरूरत है, वह हममें अभी भी पूर्ण रूप में नहीं आयी है। शिक्षा-संस्थानों में उत्तीर्ण स्तर तक मूलभूत मानवीय माधन है। आप क्षमा करें, यदि मैं यह कहूँ कि वे एक प्रकार में कच्ची सामग्री के समान हैं। उनको उन कुशलताओं और योग्यताओं में भी दक्ष करना होगा, जो कि आधुनिक ढाँचे के बनाने और विकसित करने के लिए आवश्यक है।

प्रगति-सम्पन्न देशों और हमारे देश के बीच जो तकनीकी खाद-मी दीव पड़ती है, इसका विशेष कारण है—कुशलताओं और योग्यताओं का अभाव। तकनीकी खाई से प्रतिभा-निष्पन्नता बढ़ती है, जिसे 'ब्रेन ड्रेन' कहते हैं। 'ब्रेन ड्रेन' में तकनीकी खाई पतपनी है और तकनीकी खाई में 'ब्रेन ड्रेन'।

आर्थिक दृष्टि में शायद भारतवर्ष आज अधिक शिक्षा की समस्या में पीड़ित है। यह एक प्रकार से अनिवार्य है। हमारे बहुत-से राज्यों के बजट में शिक्षा यदि सबसे महत्वपूर्ण नहीं तो एक बड़ा अंग तो अवश्य ही है। दुर्भाग्यवश हमारी आर्थिक प्रगति उतनी नहीं हुई, जितनी शिक्षा में वृद्धि। परिणामतः शिक्षा के प्रसार के मुकाबिले में नियुक्ति के स्थानों की गति बहुत पिछड़ी हुई है। फलतः हमारे बजार जनशक्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है। चूँकि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मांग है, इसलिए उन्हें बाहर अवसर मिल जाते हैं। लेकिन अन्य विषयों में शिक्षा प्राप्त करनेवालों का, जो काफ़ी बड़ी संख्या में है, क्या होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बेरोजगारों की यह बढ़ती हुई संख्या आनेवाले दिनों में आज की अपेक्षा बड़ी एक बड़ी समस्या उपस्थित न कर दे।

उत्पादनोन्मुखी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता

इस समस्या को हम कुछ हद तक मुझा सकते हैं अगर शिक्षा-प्रणाली पर हम और अधिक गौर करें तथा उन कुशलताओं और योग्यताओं की दिशा में कुछ करें जो उत्पादन की दृष्टि में मार्गक हैं। अमेरिका और इंग्लैंड-जैसे विकसित देशों में भी यह भावना अप्रमत्त है कि स्टिग्रम तकनीकी शिक्षा उद्योगों में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शायद हमें भी इसी दृष्टि में मोचना पड़े। मैं अमेरिका के स्टैनफोर्ड और इन्वैण्ड के लोबरो टेक्नालॉजी विश्वविद्यालयों में होनेवाले प्रयोगों को और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इन दोनों ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा की वास्तविक उत्पादन के साथ मिश्रित देने की कोशिशें की गयी हैं। जो औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए हैं, उन्हें भी शिक्षा जारी रखने की महत्प्रयत्न दी जानी है, जिसमें कि वे अपने ज्ञान और अपनी कुशलता को बढ़ाने रहें। व्यवस्थापन की शिक्षा के साथ

उत्पादन का व्यावहारिक पक्ष भी जोड़ दिया गया है। इस सम्पूर्ण योजना की व्यवस्था उद्योग की सहकारिता के साथ की गयी है। औद्योगिक संस्थानों में शिक्षा के अभाव वा विद्यालयों के आसपास कारखाने भी हैं। यहाँ कारखाने मशीनों भी देते हैं। इस योजना में शिक्षित उम्मीदवारों को काम पर भी रस लेते हैं। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के पास स्वयं अपना एक औद्योगिक संस्थान है, जहाँ स्नातकों को उस विषय में शिक्षा दी जाती है, जिसकी कि उद्योग को व्यापारिक उत्पादन के लिए जरूरत हो। इन दोनों ही योजनाओं में औद्योगिक प्रबन्ध से सम्बन्धित शिक्षा भी दी जाती है। क्या इस तरह की व्यवस्था अपने देश में कम-से-कम प्रयोगमात्र नहीं की जा सकती? तकनीकी सयान और इंजीनियरिंग विद्यालय, उद्योग के सहयोग से उनके क्षेत्र में सम्बन्धित ऐसी योजनाओं में भाग ले सकते हैं, और न केवल स्नातकीय स्तर पर, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी उन्हीं प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था को अपनाया जा सकता है।

उद्योग में प्रबन्ध-कुशलता की महत्ता

मैंने प्रबन्ध-कुशलता की चर्चा की थी। एक आधुनिक उद्योग के लिए सफल प्रबन्ध उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि पूंजी और श्रम। मेरे ह्याल में हमारे देश की बहुत-सी कमियाँ प्रबन्ध और संचालन की कमियों के कारण हो सकती हैं। ये कमियाँ राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर और भिन्न-भिन्न उद्योगों के स्तर पर हो सकती हैं। यूरोपीय अर्थ-व्यवस्था के अनेक आधुनिक विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विश्व में अमरीकी उद्योगों की श्रेष्ठता का कारण प्रबन्ध-कुशलता है। उनका कहना है कि साधारण धारणा के विपरीत बात यह है कि अमरीका प्रबन्ध-कुशलता के कारण, न कि तकनीकी अग्रता के कारण आगे बढ़ा हुआ है। वह प्रबन्ध-कुशलता की खाई है, तकनीकी स्तर की नहीं। उद्योग और व्यक्तियों में आधुनिक प्रबन्ध के तरीकों को प्रयोग में लाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए यूरोपीय नेता और चिंतक बहुत-से सुझाव रख रहे हैं।

भारतवर्ष में साधारणतः उद्योगों के संचालन में प्रशिक्षित प्रबन्ध-कुशल व्यक्ति कम हैं। कुछ असें से कहीं-कहीं औद्योगिक संस्थानों में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, मगर तब भी कुल मिलाकर देश में उनकी संख्या कम है। एक विख्यात अर्थशास्त्री ने लिखा है कि पारिवारिक प्रबन्ध-प्रणाली खत्म होती जा रही है, अब तो 'टेक्नी-वेट' का युग आ गया है, जो देश इसे नहीं अपनायेगा, वह पिछड़ा रह जायेगा।

मेरा विचार है कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे देश में भी जरूर होगा।

(आगरा विश्वविद्यालय के ३० नवम्बर, १९६८ के दीक्षात-नमामोह पर दिये गये भाषण से।)

नयी शिक्षा का आधार : आत्मपरिष्कार

आचार्य रजनीश

मनुष्य के प्राण भर रहना चाहत है। लेकिन कुछ ऐसा है कि प्राण भरत ही नहीं और जीवन रोज-राज अपूरण-अवूरा, लार्गी और रिक्त मानूम होता है। अण हीन मानूम हाता है दीड। सब उपाय व्यर्थ मानूम होने हैं। सब श्रम किसी रेगि स्तान म चा गया मानूम होता है। कही पहुँचन हुए मानूम नहीं होते। दौड़ते हैं जीवन भर, और कही नहीं पहुँच पात हैं। कोई उपलब्धि नहीं कोई परिणाम नहीं। कही कोई मजिग नहा मिगनी। और एमा मनुष्य का जीवन हों तों मौक्तिक समस्या, बुनियादी प्रश्न है मनुष्य के सामन—क्या हम उस पूर्ण कर रेंगे ? और भर लने को क्या म दीक्षित कर सकते हैं ? और जो शिक्षा यह न कर पाती हो वह शिक्षा मनुष्य को और भा विपादयुक्त करणी, 'फ्रस्ट्रेशन' स भर देगी, क्याकि जितना शिक्षित मनुष्य हागा उमम हृदय के पात्र को भरने की उतनी ही तीव्र लालसा हाणी। उनन ही उद्दाम बग म अपन हृदय को भरने के लिए वह दौड़ेगा। इसीलिए पिछली सदी म हमारा सदी ज्यादा विभिन्न मानूम पानी है। इसम पिछली सदिया का कोई गौरव नहा।

जितनी शिक्षा उतनी ही विक्षिप्तता

पिछले सदिया अशिक्षित था। अनीन का कोई गौरव नहीं है कि वे लाग दौड और हाग म थ। हम ज्यादा दौड और होड म है। शिक्षा बडी है। जिस मुक्त म जितना ज्यादा शिक्षा है उतनी ही विभिन्नता बड गया है। अनरीका सबसे ज्यादा शिक्षित मुक्त है तो सबम ज्यादा पागल भी। प्रतिदिन अमेरिका म १५ स ३० लाख लोग मानसिक विकारा का इलाज करवाने है। और य सरकारी आँकडे है बार बार जानत है कि सरकारी आँकडे कभी भी सच नहीं होने। न्यूयाक मे तान प्रशिक्षण लाग बिना दवा लिय रात म सा नती पात। उह यह विश्वास कठिन होता है कि लोग विमन पर माने जाते हैं और किस तरह सो जात हैं। न्यूयाक के मनोवैज्ञानिक का कहना है कि आनेवाली सदी म इस सदी क पूरा होते ही बिना दवा लिय गमा काइ भी व्यक्ति नहीं होगा, जा सो सक।

शिक्षा बढ़ती है, सम्म्यता बढ़ती है तो आदमी गगन क्यों हो जाता है ? विधिमत क्यों हो जाता है ? कोई कारण होगा । शिक्षा में कोई बुनियादी भूट होंगा । जिस बुनियादी मवाल को हट करना चाहते हैं उसका शिक्षा में सम्बन्ध है, बल्कि हो सकता है जिम् बीमारी को हम दूर करना चाहते हैं हमारी ऐसी शिक्षा हो जो इस बीमारी को घटाती हो । और, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वह बढ़ती है । और तब हम दूसरे कारण खोजते हैं । नहीं पीठियाँ खराब हो गयी । कन्डिमुग आ गया । लोगों का चरित्र गिर गया । यह हो गया, वह हो गया । हम दूसरे कारण खोजते हैं और अमरी कारण की ओर ध्यान भी नहीं देने ।

जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वह मनुष्य को बीमारी को घटानेवाली नहीं, बढ़ाने-वाली है । और यह शिक्षा आज की ही है एसा मन मोचें । यह शिक्षा हमेंसा से ऐसी ही है । एक जो पटा है, वह शिक्षा की बुनियाद और ढाँच में नहीं पटा है । शिक्षा का सामूहिक विकास हुआ है । जनता शिक्षित हुई, अखिलतर लोग शिक्षित हुए हैं । बहुजन लोग शिक्षित होते जा रहे हैं । जो लोग पिछली मरी में शिक्षित थे उनके साथ भी वही रोग था, जो आज सारे लोगों के साथ है । और जिस दिन सारी पृथ्वी शिक्षित होगी उस दिन ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि पृथ्वी एक बड़ा पागलखाना हो गयी ।

जितनी महत्वाकांक्षा उतनी ही रिक्तता

वात यह है कि मनुष्य का हृदय महत्वाकांक्षा को प्रशंस करने में कर्भा नहीं भर सकता । जितनी महत्वाकांक्षा विस्तृत होगी, मनुष्य उतना ही रिक्त और खाली होगा । और शिक्षा महत्वाकांक्षा बढ़ाती है । पहले दिन में हम बच्चों को महत्वाकांक्षा का जहर पिरोना शुरू कर देने हैं । पहली कथा में ही उन बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि प्रथम आँधों दूसरों को पीछे छोड़ो, नुम आगे हो आवाँगे तो पुरस्त्वत होंगे और सम्मानित होंगे और जो पीछे छूट जायगा वह अपमानित दान-हीन रास्ते के किनारे खड़ा हो जायगा । हम क्या मिखा रहे हैं ? हम मिखा रहे हैं कि जीवन का मूत्र है प्रथम होना । जीसम ब्राड्मन्ट ने एक अद्भुत बात कही । ब्राड्मन्ट ने कहा—बन्य है वे लोग, जो अन्तिम खड़े होने में समर्थ है ! और हमारी पूरी शिक्षा का एक ही स्वर है, बन्य है वे लोग जो प्रथम खड़े होने में समर्थ है ! या तो जीसम ब्राड्मन्ट पागल थे या हम पागल हैं । और इसके बीचा तीसरा कोई विकल्प नहीं । अन्तिम खड़े होने के मूल्य (बैल्यू) को हमारी शिक्षा नहीं मिलाती । तो फिर इस शिक्षा से कुछ भी नहीं पैदा होनेवाला है, क्योंकि प्रथम होने की दौड़ ही मनुष्य को विधिमत करने की दौड़ है । लेकिन एक यही मूल्य मानुम होना है कि प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया । इस प्रथम होने को घोट समझ लेना जरूरी है ।

हीनता की भावना की भयानकता

क्या आपने कभी सोचा है कि ३० बच्चों की कक्षा में एक बच्चा प्रथम हो जाता है, तो एक बच्चा प्रथम होना है उतना ही नहीं, २६ बच्चे प्रथम नहीं हो पाते हैं? कभी ध्यान किया है कि एक बच्चा प्रथम होकर आनन्दित और उत्साह से भर जाता है, तो २६ बच्चे जो प्रथम नहीं हो पाएँ हैं वे किम चीज से भर जाते होंगे? वे दुःख में, विपाद में, 'फ्रस्ट्रेशन' में, चिन्ता में भर जाते हैं। तो पूरे मुष्क में २०-२५ लोग प्रथम होने का आनन्द उठा लेंगे और शेष बहुजन समाज दुःखी हो जायगा, चिन्तित हो जायगा, पीड़ित हो जायगा। कुछ थोड़े लोग प्रथम होने का मुस्स और फूलमालाएँ पा लेंगे, और शेष मारे लोग हीनता और दीनता में, 'इन्फिरीअरिटी' से भर जायेंगे। और क्या आपको पता है कि जो आदमी अपने भीतर हीनता का अनुभव करने लगता है, जो समाज उसे दीन-हीन होने को मजबूर करता है उस समाज में वह बदला लेकर रहेगा, उसका प्रतिशोध लेकर रहेगा।

हिंसक शिक्षा से अहिंसक समाज नहीं बनेगा

वे बच्चे, जो मजान तोड़ रहे हैं और बसें जला रहे हैं और शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, हीनता का प्रतिशोध और बदला ले रहे हैं। यह पीछे छूट गया लोगों का क्रोध है। यह प्रथम नहीं हो पाये लोगों का वैमनस्य है। और वह व्यवस्था जो एक को प्रथम करती हो उन २६ की कीमत पर, जो १ का आगे जाती हो, २६ के बलिदान पर वह मारी शिक्षा हिमान्मक है, ब्यालेण्ट है। उन शिक्षा से कभी कोई प्रेमपूर्ण समाज और व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता। इन लोगों का बसूर नहीं है। ये बच्चों की भूट नहीं है। यह भूल पूरी शिक्षा के ढाँचे के ही गलत और पागल होने की है। लेकिन पिछली सदी में इसका पता नहीं चल सका, क्योंकि ये छोटे प्रमाण में था। बड़ा जन-समूह अशिक्षित था। और थोड़े से ही लोग पागल भी हो जाने थे तो इतनी बड़ी भीड़ में उनका पता भी नहीं चल सकता। अब भीड़ शिक्षित हो गयी है। अब आदमी पागल हो तो उनका पता चलना बहुत जरूरी हो गया है।

अतीत की मिथ्या

यह सवाल आज का नहीं है, अनेक लोग यह सोचने हैं कि पहले सब ठीक था अब गलत हो गया है। वे कोई बजह नहीं बना सकने गलत हो जाने की। कौन बहता है कि पहले सब ठीक था? किमने कहा आपको? कुछ ढाई हजार साल पहले हुए। वे लोगों को क्या समझा रहे हैं? वे लोगों को समझा रहे हैं कि चोरो मत करो, हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो, हत्या मत करो। यदि लोग अच्छे

थे तो य शिभाएँ किसको दी जा रही थी ? क्या बुद्ध का दिमाग खराब था कि लोग तो अच्छे थे और ब लगा को समझा रहे थे कि अच्छे हो जाओ ? दुनिया म पुरानी-म-पुरानी किताब जा हमारे बीच म है, ६५०० वर्ष पुरानी है। उस किताब की अगर भूमिका पड़े ता ऐसा मालूम होता है कि आजकल ही किसीने लिखी है। आज तक दुनिया म ऐसी कोई किताब नहीं है जिनम लिखा हो कि आजकल के लोग अच्छे है। है कोई किताब ? सारी दुनिया म, किमा भा युग का और किमा भी सदी की ? किसी शिक्षक न कहा है आज तक ? महावार न, वाइस्त न, वृष्ण न बन्धुशिशुस न, किसान यह कहा है कि आजकल क लोग अच्छे हैं और धन्यभाग हमारे, जो इस सदी म पैदा हुए ? आन तक सभी शिक्षक यह कहत रहे—अभागे हैं हम लोग, जो इस सदी म पैदा हुए है। पहले क लोग अच्छे थे। यह अतीत कब था ? यह अतीत की मिय्या हम धावा देता ह। बतमान कही आकाश य नहीं उतरता है। बतमान अतीत को शृङ्खला ह। हम जो आज हैं, हम उस आदमी क फल है, जो कल था। हम उसीके वृष पर ग्य हुए पत्त और फल हैं। जो आदमी कल था उसकी हम सतान हैं। उमी शृङ्खला की अगली कडी है हम हमारी बुनावट और हमारा बनाव और हमारा व्यक्तित्व उसस पैदा हुआ है। जो रोग हम पकडे हुए हैं, हो सकता है कि वह पूरी तरह प्रकट हुआ है आज, लेकिन वह रोग कल भी मौजूद था और कल भी विकसित था। उसके कौटाणु हमेशा मौजूद थे।

आज की यह सारी दुर्ब्यवस्था और दुर्भाग्य मनुष्य के अतीत के पूर दुर्भाग्य और दुःस्ववस्था का प्रमाणित करता है। वह उससे भिन्न नहीं है। उसका पूरा परिणाम उसके कलाइमकम म है। वही धारा अपनी पूरी जगह पहुँच गयी है। जो गंगा हिमालय से निकलती है वहाँ छोटी दिखाई पडती है, वहाँ पहचानना मुश्किल होता है कि यह गंगा है वही जब सागर मे मिलती है तो बहुत बडी हो जाती ह और पहचानना बहुत सरल हो जाता है कि यही गंगा है। लेकिन वही जो हिमालय से निकलती है जा सागर म मिलती है, वही गंगा है। आज गंगा बडी हो गया है। लेकिन वही गंगा हजारों साल स बीमे-बीमे बहती रही है। उसक अंदर धाराएँ बहती रही हैं। आज उसने विराट रूप ले लिया है। आज हम पागल हा गय है, घबडा गय है। अतीत को हम पहचान नहीं पाते हैं। और जिन वामार को जिनके मूल कारण को हम पहचान नहीं पाते है उसे हम दूर भी नहीं कर सकते।

महत्वाकांक्षा का ज्वर

मनुष्य की आज तक की सारा शिक्षा ही गलत रही है क्योंकि सारी शिक्षा

के क्षेत्र पर है महत्त्ववाना (ऐम्ब्रिशन) का ज्वर हावी रण। जैम शरार ज्वरग्रस्त होना है वैम मन भी ज्वरग्रस्त किया जा सकता है। तब हम बच्चा को सिखाते हैं कि प्रथम हा जाओ तब हम उह क्या सिखा रहे हैं ? हम उह निष्ठा रह हैं कि दूसरा की पीछे करने म आनन्द अनुभव करा। मतलब क्या है इम बात का ? जो आदमी प्रथम है, क्या उसको प्रथम होने की खुशा है ? नही उसकी खुशी २६ लोगो की दुखी करने म है और यह मय्या जितनी बडी होगी ३० की जगह ३ हजार, उसकी खुशी और बढ जायगी। ३० हजार होगी ता उसकी खुशी और भी बढ जायगी और ३० लाख होगी तो उसकी खुशी और भा बढ जायगी। और कया म वह अकला हो तो उसकी खुशी पीकी हो जायगी। अगर वह अकला ही है कथा का विचारो और प्रथम ना जाय तो उस कुछ भा खुशी नहीं हागी। लेकिन हम यही तां सिखाने ह और फिर जब सारे जीवन म प्रथम होने की दौड शुरू होती है तो हम घबरान गत हैं। और जो प्रथम होने का ही एकमात्र मूल्य सम्पत्ता है, सफल होने को, मुकद होने को नही प्रथम हान पर ही जिन जीवन के सारे पुरस्कार मिलते हैं, रेकगनिशन मिलता है वह आदमी वैम देखे कि किसकी लाश पर पैर रखकर और किसक बंधे को किसके सिर पर याथा करनी पडी ? अगर इम सबका हिसाब रये तो दिल्ली नहा पूंच सकता। प्रथम नही हा सकता।

तो प्रथम होने की कोशिश म बहुत गन्री है कि हम लोगो को सडियाँ बनायें, उन पर पैर रखें और उनम आगे निकल जायें। आदमी का एक ही उपयोग है कि वह सीने का काम दे दे और कोई उपयोग नही। और जहाँ सारे मुल्क मे ही हर आदमी दूसरे आदमी को मीडी बनाना चाहता है वहाँ अगर जीवन एक अंतर्द्व, एक मघप, एक हिमा हा जाय तो किसको शाय देन जाते हैं ? कल्पियुग को ? विगडे हुए लोगो को ? ये तो सहज परिणाम हैं और राग का हम पहचानत ही नही।

डाक्टर राधाकृष्णन शिषक स राष्ट्रपति हो गय तां सारे मुक म शिक्षका ने शिषक-दिवस' मनाना शुरू कर दिया। एन शिषक-दिवस पर भूल न कुछ लोगो न मुझे भी बुग दिया। मैं उनस बहा कि मरे समय म नही आती य वान कि एक शिषक राष्ट्रपति हो गय ता उसम शिषका का कौनसा सम्मान है। इससे बडा और अपमान क्या हो सकता है ?

प्रथम होना हिसा है

एक राष्ट्रपति किसी दिन छोड दे दिल्ली और आ जाय यहा और बह कि हम महाविद्यालय म शिषक हगि तो उम दिन शिषक-दिवस' मनाना और सम्मान

बनाते हैं। शायद जगत् में सभी चीजें चपतर में चपती हैं—बाद-तारे भी, सूरज भी, पृथ्वी भी। आदमी का मन भी गोल चक्कर में भ्रमण करना है। प्रथम होने की दौड़ कभी सफल नहीं हो पाती। हमारे अमरुत हो जाते हैं, मरुत कभी कोई हो नहीं पाता। दुखी मर हो जाते हैं, सुखी कभी कोई हो नहीं पाता। क्या महत्वाकांक्षा सिखानेवागी शिक्षा मनुष्य के हृदय के पात्र को चभी भर सकती ? नहीं।

शिक्षक कहते हैं, शिक्षा-शास्त्री कहते हैं कि अगर हम मन्वाकांक्षा न मिलायें तो आदमी बढ़ेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं। दौड़ने के लिए तोड़ा चाहिए, दौड़ने के लिए बुलार चाहिए। दौड़ने के लिए गरमी चाहिए। दौड़ने के लिए हौड़ चाहिए। किसीकी पीछे चलने की कल्पना और कामना चाहिए। किसीकी पराजित करने का चेग चाहिए। नहीं तो कोई आदमी दौड़ेगा नहीं। प्रायेण आदमी अपनी-अपनी जगह खड़ा रह जायगा।

एक कुत्ते की दिल्ली-यात्रा

एक कुत्ते ने एक बार काशी से दिल्ली की यात्रा शुरू की। अब जमाना बदल गया। पहले लोग दिल्ली से काशी जाते थे। अब लोग काशी से दिल्ली जान लगे। आदमियों के अखबारा को सड़क पर पड़ा देखकर कुत्ता को भी खबर लगी कि हम दिल्ली जाना जरूरी है। उनमें जो नेता था, उसने कहा—मित्रो, मैं जाता हूँ दिल्ली, दिल्ली लेकर ही रहूँगा। कुत्ता ने उसका बड़ा स्वागत किया और विदा कर दी। और दिल्ली के कुत्तों को खबर कर दी कि हमारे मित्र और नेता जाते हैं। उनके लिए सड़क हाउस में व्यवस्था करना। एक महीना लग जायगा, क्योंकि वे यात्रा पैदल ही करनेवाले हैं। वे किसी यान चढ़कर को पसंद नहीं करते। पैदल ही चलते हैं। पुराने भारत का रियाज है। वे वैसे ही पैदल चलते हैं। पुरानी संस्कृति है। एक महीना लग जायेगा। लेकिन दिल्ली के कुत्ते हैरान हो गये कि काशी का कुत्ता ७ दिन में ही दिल्ली पहुँच गया। क्या था मार्ग ? ७ दिन में वैसे तय किया होगा ? वे सब पूछने लगे, ७ दिन में कैसे दिल्ली पहुँच गये ? एक माह का मार्ग था। उसने कहा, मैं सोचता था, महीना लग जायेगा, लेकिन ७ दिन में ही दिल्ली जा गया। आ क्या गया, लाया गया। पहुँचाया गया हूँ, क्योंकि एक गाँव के कुत्ते मेरा दूसरे गाँव तक पीछा करते थे। वे छोड़कर जा भी नहीं पाते थे कि हमारे गाँव के कुत्ते मेरा पीछा करने थे। मुझे कहीं बीच में विश्राम का भीका ही नहीं मिला। लेकिन इतना कहते-कहते ही उस कुत्ते के प्राण निकल गये। दिल्ली तो पहुँच गया; लेकिन मर गया बेचारा दिल्ली पहुँचकर। दिल्ली कब्र बनती है पहुँचनेवाला की। दिल्ली बड़ा कब्रिस्तान है। उस कुत्ते की भी कब्र बन गयी। लेकिन महीने की

यात्रा ७ दिन में पूरी हो गयी क्योंकि एक लख थी। बुसार था। चारों तरफ में लोग उसके पीछे लगे थे। हम आदमी के साथ भी यही करते हैं। हम आदमी को भी किसी तरह दिना पहुँचा देना चाहते हैं मंजिल पर पहुँचा देना चाहते हैं। तो दोड़ओ उमरी महत्वाकांक्षा जगानो कि दूसर निकल जा रहे हैं तू सो जायेगा। एक भग भी सोना उचित नहीं है। देवता नहीं गव भागे जाते हैं। तू सग रहा कि गया। नू दाड। बट दखना है कि जो पहुँचना है भाग उसी फूलमालाएँ बन्नी जाती है। उसकी प्रतिष्ठा बन्नी है। अलवार में उसके फाँटा पीछे के पेज से पहुँचे पेज पर आने गत हैं। दखता है चारों तरफ यह हो रहा है तो उसके भीतर भी जगता है बुसार। वह भी भागना शुरू कर देता है। फिर जो उसमें पहुँच गये हैं कहते हैं—इतनी हिंसा नहीं इतनी होड नहीं। जो प्रथम हो जाते हैं वे पीछे के लोग को समझाते हैं कि पीछे रहो पीछे रहने में भी बड़ा मुन्न है। यह उनकी आत्म रक्षा का उपाय है यह सॉफ्ट-डिफेन्स है। नेता अनुयायियों में कहते हैं कि अनुयायी रहना बड़ी गौरव की बात है। राजनेता बन्ते हैं कि शिपक का बना मान है और माँग करते हैं दोग मत। जिन तरकीबों में वह भाग पहुँच जाता है उही तरकीबों को वह स्वयं तान लगाता है ताकि दूसर न पहुँच जाय। जिन सीढ़ियों से उनकी यात्रा होती है उन्हीं सीढ़ियों का पहुँचनेवाला तोड़न लगता है, ताकि दूसरे न पहुँच जाय। लेकिन दूसर भी जंघे नहीं है। उनको भी दिखाइ पता है कि दूसरे जिन तरकीबों से भाग पहुँच गये हैं। वे भी पहुँचना चाहते हैं और बबड़न में ही पहुँचने के लिए उनके प्राणा में प्रविष्ट कराया जाता है—महत्वाकांक्षा का बर। प्रत्येक व्यक्ति समाज और राज डमीन पीडित है

मूला पर तिनती गरमी है पृथ्वी पर उतनी हा सजा है उद्जन बम के बिल्कोट से । एक उद्जन बम का परिणाम होता है ४० हजार वर्गमील पर । दस कराड जिन्दी गरमी उत्पन्न हो जाती है । क्या पौधे बचेंगे ? कीड़े मकोड़े बचेंगे ? कुछ भी बचेगा ? अगर परमात्मा भी अचानक बच गया हो तो उसके भी बचने की सम्भावना नहीं । यह महत्वाकांक्षा का अन्तिम फल है ।

जगद्गुरु की महत्वाकांक्षा भी एक बीमारी

राष्ट्र सभी प्रथम होना चाहत हैं । हम भी, अमरीका और चीन भी, और भारत भी और पाकिस्तान भी । सभी प्रथम होना चाहत हैं । और प्रथम होना चाहत हैं, न नाम किन-किन ढगा न । नशा एक-सा है । राग एक है । भारत हजारों वर्षों से कहता है कि हम जगद्गुरु हैं सारी दुनिया क । यह भी प्रथम होने की बीमारी का एक हिस्सा है । और कुछ भी नहीं, यह बीमारी जरा सौम्य है । यह बुद्धार जरा तेज नहीं है, थोड़ा घीमा है लेकिन है वही बुद्धार । क्या आप जगद्गुरु होना चाहत हैं / साम्राज्य होना कानी नहीं है ? जगद्गुरु ही होंगे और बड़ा मजा यह है कि कोई कहे या न कहे, आप खुद ही डका पीटन फिरते हैं कि हम जगद्गुरु हैं । पागल होने का लक्षण है यह । जगद्गुरु होने का लक्षण नहीं है यह । लेकिन यह बीमारा सबको है । सारी दुनिया म है । एक एक आदमी को है एक-एक जानि को है, एक-एक राष्ट्र का है ।

प्रयाग की त्रिमूर्ति

अनेक नाम हैं नेताओं के लेकिन तीन नाम अगर हम लें जो सर्वोपरि हैं सबके मन में—महामना मालवीयजी ५० अक्षररत्न नरहू और राजपि ट न। वो ये अपने प्रयाग की प्रयाग के लिए त्रिमूर्ति ही कहलायगे। अपने हिंदू धर्म में एक त्रिमूर्ति प्रतिष्ठित है—ब्रह्मा शिव विष्णु ऐस हा आधुनिक जमान में प्रयागदत्त त्रिमूर्ति हैं। टटनजी की मवाएँ विविध क्षत्र में हुई हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जो सहन किया आजादी की प्राप्ति के बाद पार्लियामेंट के अंदर उठान जा काम किया पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस में जो काम किया वह सब मशहूर हैं और उसीके कारण भारत के महान् नेताओं में उनका एक स्थान बना। इसके अलावा वह रचनात्मक क्षेत्र में भी बहुत रुचि रखते थे और बहुत काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया। आप लोग जानते ही हैं कि, जम यहा पर सर्वोपरि और शक्तिशाली मोसायटी गोखले की स्थापित की हुई एक शाखा है उसीके नमूने पर लाला लाजपत राय ने एक पीपुल्स मोसायटी बनाया था जिसमें रचनात्मक सेवा करें भारत को ऐसी कल्पना थी। और उनके लिए योग्य मानवें अल्प ही, देने की योजना थी बिल्कुल गोखले के नमूने पर उसके टटनजी एक सदस्य थे और लालबहादुर शास्त्री भी उमीम थे। लालबहादुर शास्त्री ने उसमें बड़ा योग, कुशल योग दिया—इधर टटनजी उधर अक्षररत्न नरहू। उन सबके विचारों में कुछ वाता में कोई मतभेद होते हुए दोनों का सम्पर्क रखना दोनों का प्रेम हासिल करना यह कुशलता उन्होंने दिखायी। वह सब हम लोग की आख के सामने हुआ है।

उन्होंने हिन्दी को एक विशय स्थान देना चाहा और यह सोचा कि आज नही बर, कभी सारे राष्ट्र की सेवा के लिए हिन्दा उन्नयित होगी और सबके लिए हिन्दी उपयोगी साबित होगी ऐसा स्वप्न हिन्दी का हा और वह नागरी लिपि म लिखी जाय यह उनका आग्रह था। बहुत लोगों का गलत खयाल है कि ये उद्ग के खिलाफ थे, ऐसा है नही। उनके कई भाषण मीने सुन हैं। उनके भाषणो म जो हिन्दी बोली जाती थी उनमे काफी उद्ग शब्द आते थे और जो उद्ग शब्द हिन्दी म पच गय हैं और हिन्दी का शोभा तिन उद्ग शब्दो मे बढ़ायी है उन शब्दो का कायम रखने के पक्ष मे वे थ उनके बहिष्कार के पक्ष म नही थे। वे स्वय उत्तम उद्ग जानते थे। इतना ही नही बल्कि उन्होंने फारसी भाषा का भी उत्तम अध्ययन किया था, यहाँ तक कि फारसी मे वे बोल भी सकते थे और फारसी क अनेक महान कवियो के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। यह सारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिन्दी भाषा का उनका जो आग्रह था, उनम उद्ग इत्यादि का कोई द्वय नही था, बल्कि वे मानते थे और ठीक मानत थ कि उद्ग हिन्दी का हा एक प्रकार है और हिन्दी की सुन्दरता उद स बढ़ती है, तो वह हिन्दी के लिए अच्छी चीज है एसा वे मानते थ। मुसलमान लोग उद्ग सीखें पाठशाला म उमम उनको कोई विरोध नही था वे जहर सीखें लेकिन जहाँ तक राष्ट्रभाषा का ताल्लुक है वह राष्ट्रभाषा नागरी म लिखी जाय यह उनका आग्रह था। और मीने कहा कि मैं इसस सहमत हूँ और पहले भी सहमत था।

नागरी लिपि एकता-साधक है बर्नाड शा का सपना

यह सोचने की बात है भारत क लिए कि हिन्दी जितनी मदद करेगी एकता के लिए उसस नागरी लिपि कम नही जगग ही मदद करेगी ऐसा मेरा अनुभव है। मुझे अनेक भाषाएँ सीखने का मौका मिला है—भारत को बहुत सारी भाषाएँ सीखी हैं। उह सीखने के लिए अनेक लिपियो का अध्ययन करना पडा, जिसके कारण मरी आँखो पर परिणाम हुआ—अच्छा नही, बुरा परिणाम और परिणामस्वरूप मरी आँखो को तकलीफ भी हुई है लेकिन फिर भी व सारी लिपियो मीने सीख ली और उन भाषाओ मे जो सवालम साहित्य है उसका परिचय करने का योग्य बहुत मौका मुझे मिला है। तो म कह सकता हूँ कि नागरी लिपि से बढ़कर बर्नाडिक लिपि मीने इतना म पायी नही।

हिन्दुस्तान म तो खैर अनेक लिपियाँ हैं। व नागरी के करीब-करीब हैं नागरी म स ही योग्य बहुत पक्क करक बनी हुई है। लेकिन यूरोप की जो लिपियाँ हैं वे भी यूरोपियन लख्जेज क लिए उत्तम नही हैं। आज जो अक्षर लिखी जाती है रोमन लिपि म—अक्षर जो क लिए भी वह अच्छा नही—ऐसा ख्याल बर्नाड शा का था

क्यों नहीं करना चाहिए ? प्रान्तिक सरकार, दिल्ली की सरकार न पत्र-पत्राचार कर, एक प्रान्तिक सरकार, दूसरी प्रान्तिक सरकार में हिन्दी में पत्र व्यवहार करे—यह मारा क्या न करे नागरी में और हिन्दी में, और यहाँ माध्यम हिन्दी क्या न रखा जाय ? अनिर्वातनी बगैरह में हिन्दी क्यों न चले ? और यह सारा उनका एक प्राथमिक कार्य उन्होंने अपने सामने रखा है कि कम-कम इसमें तो हा ही जाना चाहिए । और जबतक यह नहीं होता, हम जिस मुँह से दूसरा से कहें कि भाई, तुम भी जरा हिन्दी सीख लो ।

बहुतों का खयाल है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के गिनाप है, ऐसा है नहीं । तमिलनाडु और बंगाल, इन दो प्रांतों में जो भाषाएँ चलती हैं वे बहुत उत्तम हैं, सम्पन्न भाषाएँ हैं, इसमें कोई शक नहीं । उन भाषाओं का अध्ययन करने का मौका मुझे तो मिला ही है । दक्षिण के लोग हिन्दी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मरा अनुभव नहीं । परन्तु प्रतिक्रिया होती है, अगर हम बहुत ज्यादा आग्रह डखर रखते हैं । और हिन्दीवाले कभी-कभी एक आलसी बन जाते हैं कि हिन्दी के अलावा और कुछ सीखते नहीं—और मुझ में यह राष्ट्रभिमान ! मैं न सिखा दी हिन्दी भाषा, बस हो गया—राष्ट्रभिमान । एक कीड़ी का खर्चा नहीं हुआ, परिश्रम थोड़ा भी करना नहीं पड़ा, एकदम एक ही हम राष्ट्रभिमान बन गए । और दूसरे लोगों में हम कह रहे हैं कि वे सीखें हमारी भाषा । तो इस प्रकार से आग्रह रखते हैं आलस्य रखकर ।

एक मादी बात । और भाषा तो छोड़ दीजिए, मराठी लीजिए । मराठी की लिपि नागरी है । यानी जिस लिपि में हिन्दी लिखी जाती है उसी लिपि में मराठी लिखी जाती है । लेकिन हम लोगों ने बचपन में तुलसी रामायण पढ़ी, आपस में कितने लोगों ने तुकाराम पढ़ा ? (इसका उत्तर आया कि नहीं पढ़ा) क्या नहीं पढ़ा ? अपनी हिन्दी है, राष्ट्रभाषा है, चढ़नी है, अपने का क्या जरूरत है दूसरी भाषा सीखने की । और हिन्दी और मराठी में फर्क भी कितना ? एक मराठी पद में आपको मुनाऊँ तुकाराम का—

चित्त शुद्ध तरी, शत्रु मित्र हाथी
ज्याग्रही न खानी मर्ष तथा ।

‘चित्त शुद्ध तरी’—अगर चित्त शुद्ध है तो शत्रु मित्र होने है अथवा उमक शत्रु मित्र बनन है और, ‘ज्याग्रही न खानी’—एक निर्वेद पुरुष को, शत्रु चित्त, पुरुष को शेर भी नहीं खा सकते और न मर्ष ही उमक का काट सकते हैं । अब उसका संसृष्ट में बढ़ता है—‘चित्त शुद्ध तर्हि शत्रु मित्र भवति’—यह हो गया संसृष्ट । और मराठी—

चित्त शूद्र तरी, बि० शूद्र तर्हि
 'शत्रु मित्र होती शत्रु मित्र भवति

अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या यह सीखने में मुश्किल हो जायगा? वही चित्त, वही शूद्र वही शत्रु वही मित्र वही सारे मन्वृत शब्द। बाप की स्टेड, य हमारे बाप की स्टेड सब इन्माण करते है—शब्द वहाँ और त्रिपि वही। पुस्तक खोल दी पढ़ना शुरू किया। अब करना क्या पड़ेगा लेकिन फिर भा सीखना नहीं कोई। खर सीखने हैं तो मानूम नही लेकिन मैं पूछूंगा कि यहाँ कितने लोगो न मराना पदी है? तात्पर्य यही है कि हम थोड़े आत्सी बन जान हैं हिन्दी लोग वह ठीक नहीं। अगर हम अपना यह आग्रह छुडे ग तो दण्डिण के लोग सीखन को तैयार हाने।

वैदिक काल की ईनिग

हिन्दी क मित्रमित्र में मन एक व्याख्यान दिया था दण्डिण भारत (तमिऴ-नाडु) में अब मैं घूम रहा था पदयात्रा में। और तमिऴनाडु म लगभग एक माऴ में घूमा हूँ। सो एक जगह मन विद्याधिया की समवाया। घना भर बाग सब लोगो न शान्ति में बात सुन ली। मन कहा देखा पिक्क का मेऴ (गम) जा है सारे भारत में उमम एक ईनिग होती है। एसी ईनिग हुई है वन्कि काऴ में वैदिक ऋषि दण्डिण में गय जन दण्डिण में गय बौद्ध दण्डिण में गय। ता य जन और बौद्ध विचार उत्तरी हिन्दुस्तान में दण्डिण हिन्दुस्तान में गय। यह उत्तरी हिन्दुस्तान की ईनिग हो गया। उमक बाद दण्डिणा हिन्दुस्तान की ईनिग शुरू हुई। शकराचार्य, रामानुज भाव और वल्भ—य सार दण्डिण भारत में उत्तर भारत में आय। और उन्होंने अपन विचार यहाँ दे दिय। और यहाँ तक उनका पभाव पडा कि आपक उत्तम-स-उत्तम महान् पुण्य हिन्दी क—कोन इनम बन्कर नाम त्रिया जायगा कधीर और तुलसीदास—दोना स्वामी रामानन्द क रिप्य और रामानन्द रामानुज के। अब रामानुज का प्रभाव कधीर और तुलसीदास पर पडे, यह कोई सामान्य बात थी क्या? इतना प्रभाव उनका पडा तो उनकी ईनिग चली यहाँ पर। शकर का प्रभाव नानधर महाराज पर पडा महाराष्ट्र में और बंगाल में विवेकानन्द, रामकृष्ण पर पडा, तो ठीक इसी प्रकार में दण्डिण भारत की ईनिग हो गयी। तो कैम हो गयी? क्या आपसे मिया उमको मन्वृत भाषा का आचार मिला।

(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में २० दिसम्बर '६८ की राजवि पुष्पासुन्दराम नन्दजी की प्रतिमा क अनावरण-समारोह के अवसर पर दिये गये भाषण स।)

ग्रीष्मावकाश के उपयोग का प्रश्न

काशिनाथ त्रिवेदी

मार्च-अप्रैल, '६६ में वार्षिक परीक्षाओं के निपटने पर देश के लाखों विद्यार्थियों और उनके गुरुजनों के सामने ढाई-तीन महीनों के लम्बे अवकाश के उपयोग का प्रश्न खड़ा होगा। हर साल इन दिनों में यह प्रश्न खड़ा होता है, पर बहुत कम जगहों में लोग इसका जवाब खोजने की खबरदारी रखते हैं।

जकमर होना यह है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले लाखों नए, बरोडो छात्र-छात्राओं का दो-ढाई से लेकर तीन-साढ़े तीन महीनों का यह अत्यन्त मूल्यवान समय यों ही बरबाद हो जाता है। उनका व्यवस्थित और सुसंयोजित उपयोग करने की कोई व्यवस्था और पहल कहीं से हो नहीं पाती। यदि हम दिशा में शिक्षा-संस्थाओं के कर्ता-वर्ता और छात्र-समूहों के मुखिया गम्भीरता से मोर्चे और व्यापक समाज-सेवा अथवा राष्ट्र-सेवा के लिए गरमी की छुट्टियों का उपयोग करने की दृष्टि में कुछ अच्छे, आकर्षक कार्यक्रम निश्चित करें, तो देश के गाँवों और शहरों में सामूहिक रूप से सेवा, शिक्षण और निर्माण के विविध काम हाथ में लेने और उन्हें पूरा करने की एक जोरदार लहर समूचे देश में उठ खड़ी हो।

हमारे नौजवानों में देश और समाज के लिए काम करने का उत्साह और उन्मग तो है, पर काम की व्यवस्थित योजना के अभाव में वे अपने अभिन्न से कुछ बच नहीं पाते और उनका कीमती समय यों ही नष्ट हो जाता है।

हम सबके मोभाग्य से सन् १९६६ का वर्ष देश में और दुनिया में गांधी-शताब्दी के निमित्त में 'गांधी-वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। लोक-सेवा, लोक-शिक्षण और लोक-सुधार के छोटे-बड़े अनेक काम शुरु हुए हैं। २२ वर्षों की

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १७

अंक ०

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

उ० प्र० व मूल्यों में शिष्य की	
भाषाभा का अनिवाय शिष्य	२८५ श्री वशीधर श्रीवास्तव
शिष्या की वृत्तियान्ती बात	३८० श्री काका बालकर
शिष्या और भाषा	३९६ डा० ब्रजेश्वर वर्मा
तदनाकी विकास के लिए शिष्या	४०४ डा० आमाराम
नयी शिष्या का आचार	४०८ बाबाय रजनीरा
राष्ट्रीय एकता-मात्रक नागरा लिपि	४२१ श्री विनोदा
श्रीष्मावकाश के उपयोग का प्रश्न	४२८ श्री काशिनाथ त्रिवेदी
टंक बनाम लाल पुस्तक-परिषद	४३० श्री वशीधर श्रीवास्तव

अप्रैल ६८

निवेदन

- नयी भाषा का रूप अगमन में आरम्भ होता है।
- नया नालीम का वार्षिक चक्र छ मय ६ और एक अंक के ५० पन्ना।
- पत्र व्यवहार करने समय छात्र अपनी छात्र-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाभा में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीहरिदास भट्ट सह-संस्थापक की धार में प्रकाशित प्रमल कुमार बन
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मन्त्रित।

गांधी-शताब्दी कैसे मनाये ।

★ आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण और ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लिए ग्रामदान-आन्दोलन में योग दें ।

★ देश को स्वावलम्बी बनाने और सबको रोजगार देने के लिए खादी, ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दें ।

★ सभी सम्प्रदायों व वर्गों भाषावार समूहों में सौहार्द स्थापना तथा राष्ट्रीय एकता व सुदृढता के लिए शांति-सना को सशक्त करें ।

★ शिविर, विचार-गोष्ठों, पदयात्रा वगैरह में भाग लेकर गांधीजी के संदेश का चिंतन-मनन और प्रसार करें, उस जीवन में उतारें ।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जय शताब्दी-समिति)
दुकानिया भवन कुर्नागरी का मैरू जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

जयं लालि
जयं लालि

श्रद्धांजलि अंक

मई १९६९



सारा भारत मेरा कुनवा
हर भारतीय मेरा सगा

डा० जाकिर हुसैन

जो इनमान था वह भगवान मे मिरा गीर जाते-जाते हमारे लिए इनसानियत को एक मिसाल छोड गया । गुणो को जिस थातो पर मनुष्य-जाति जिन्दा है, उसमे कुछ जोडकर वह गया ।

कौन मरा ? मात्र भारत का राष्ट्रपति, या एक ऊँचा इनसान, जो आजादी की लडाई मे लडा, जिसने वच्चो को प्यार किया, और उन्हे इनसान बनाने की कोशिश की, जो धर्म का पावन्द था लेकिन उन्माद से मुक्त रहा, जिसने ऊँचा से ऊँचा पद पाया लेकिन उसके मद से अलग रहा उसने जीवन के अनेक उतार चढाव देखे लकिन जो कभी इनसान को भूला नही और उसने कभी अपने भगवान को छोडा नही ?

विपत्तता और वैभव, दोनो मे जो अन्त तक अपनी मनुष्यता को बचाये रख सका, वह साधारण मनुष्य नही था । 'पूरा भारत मेरा कुनवा, और हर भारतीय मेरा मगा"—जो वनवन से बुडापे तक इस मत्र के सहारे धर्म और राजनीति के तूफानो मे अडिग खडा रह सका वह केवल मुसलमान नही था । वह यह सब तो था ही, परं कुछ और भी था । यह 'कुछ और' ही तो है जो लाखो की आँखो मे आँसू साता है, और याद बनकर दिलो मे छिपकर बँठ जाता है । इस 'कुछ और' के ही कारण सदियो बाद जब मनुष्य अपनी पुरानी

वर्ष : १७

अंक : १०

धरोहर को टटोलता है तो उसे उसमें मौजूद पाता है। हृदय के धन का कभी क्षय नहीं होता।

भारतीय हृदय इक्कीस साल पहले गांधी के गांधीत्व को पूरे तौर पर नहीं पहचान सका, उसे कुछ समय लगेगा जाकर हुसैन के बडप्पन को पहचानने में। हमारा हृदय आज भी हिन्दू है, मुसलमान है, ऊँच है, नीच है, उत्तरी है, दक्षिणी है। वह अभी विशुद्ध भारतीय नहीं हुआ है। हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्यता से दूर हैं लेकिन यह सौभाग्य है कि इस दूरी को पार करनेवाले हमारे बीच एक के बाद दूसरे आते गये, और हमें दिखाते गये कि दूरी तो है लेकिन ऐसी नहीं है जो पार न की जा सके। डा० जाकिर हुसैन उन लोगों में थे जिन्हें यह दूरी पार करने की कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी। उनके जीवन में दूरी कभी थी ही नहीं। तभी तो हिन्दू-प्रधान राष्ट्र में एक मुसलमान को राष्ट्रपति होने का गौरव मिला। जाकिर हुसैन के व्यक्तित्व में हिन्दू और मुसलमान, दोनों अपने बीच की दूरी भूलकर एक हो गये थे।

अगर डा० जाकिर हुसैन केवल राष्ट्रपति होते तो इतिहास की अनेक सूचियों में से एक में पड रहते, लेकिन उन्होंने तो इस देश के करोड़ों के हृदय में अपना स्थान युग-युग के लिए सुरक्षित कर लिया है।

—राममूर्ति

×

×

×

डाक्टर जाकिर हुसैन इस सप्ताह में नहीं रहे। वे गांधीजी की वैसिक शिक्षा के पुरोधा थे। सन् १९३७ में वैसिक शिक्षा की मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा करने के लिए जिस दिन गांधीजी ने उनको वर्धा बुलाया, उसी दिन वे अचानक पूरे हिन्दुस्तान में विख्यात हो गये। वैसे भी डाक्टर जाकिर हुसैन एक स्वतन्त्रता शिक्षा-शास्त्री थे। उन्होंने सन् १९२० में ही गांधीजी की पुकार पर कुछ दोस्तों के साथ अलीगढ़ का कालेज छोड़ दिया था और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रणयन के लिए जामिया मिलिया की स्थापना की थी।

पश्चिम के शिक्षा-जगत् में उस समय तक 'श्री आर्स' की दकियानूस शिक्षा-व्यवस्था के स्थान पर अनेक प्रगतिशील प्रणालियों का प्रणयन हो चुका था। वहाँ के शिक्षा-आकाश में रूसी, पेस्तालॉजी, फ्रायबर्ग, माण्टे-सरी और डिवी जैसे प्रकाशमान नक्षत्र जगमगाने लगे थे। हाथ से

काम करके सीखने का सिद्धान्त शिक्षा-जगत् में स्वीकृत हो चुका था। शिक्षा मजदूरी से मनोविज्ञान के पथ पर अग्रसर हो चुकी थी। डाक्टर जाकिर हुसैन विदेशों में तीन वर्ष तक रहकर इस प्रगतिशील नयी शिक्षा के सिद्धान्तों में निष्णात होकर लौटे और उनके श्रेष्ठ तत्त्वों का चयन कर जाँसिया मिलिया (जो उस समय तक अरबीगं से दिल्ली आ गयी थी) में भारत के प्राचीन आश्रमात्मक गुणगुणों की भाँति ओखला के ज्ञान तपोवन में कुलपति की हैमियन में अद्यतन-अध्यापन का काम करने लगे थे।

अतः उनको वर्षों शिक्षा सम्मेलन का सभापति बनाकर उनका जो आदर किया गया वह एक राष्ट्र प्रेमी प्रगतिशील शिक्षाविद का आदर था। इसके बाद तो डाक्टर जाकिर हुसैन का नाम वेमिक शिक्षा के मायम इस प्रकार सम्पृक्त हो गया कि अनेक लोग उन्हें वेमिक शिक्षा का 'प्रणेता' ही मानने लगे और यह तथ्य है कि आगे वेमिक शिक्षा की जो इमारत बनी वह उस पाठ्यक्रम की बुनियाद पर ही खड़ी हुई जो जाकिर हुसैन समिति' ने तैयार की थी।

साम्प्रत में इस पाठ्यक्रम में डाक्टर जाकिर हुसैन ने गाधीजी की नयी तालीम की पश्चिम के 'क्रियात्मक' स्कूल के व्यावहारिक सिद्धांतों के प्रकाश में ही गटा था। बुनियादी तालीम गाधी-दर्शन का निचोड़ है और बुनियादी शिक्षा का प्रणयन गाधीजी ने युग को अपने सपनों के सप्ताह के अनुकूल बनाने के लिए किया था। परन्तु वेमिक शिक्षा इतनी श्रान्तिकारी थी और शिल्प के माध्यम से समस्त भारतीय शिक्षा देने और स्वावलम्बन के उसके सिद्धान्त इतने नवीन थे कि पाश्चात्य शिक्षा में दक्षिण शिक्षा-शास्त्री उन्हें स्वीकार नहीं कर सके और प्रारम्भ से ही उनका विरोध हुआ। इन विरोधियों का उत्तर दिया डाक्टर जाकिर हुसैन ने। उन्होंने पश्चिम के 'क्रियात्मक' स्कूल (एक्टिविटी स्कूल) और योजना-पद्धति (प्रोजेक्ट पद्धति) के अपने गहरे अध्ययन के फल पर बुनियादी शिक्षा की आज के युग के अनुकूल बनाने की घोषणा की। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट पद्धति के चार सोपानों—(१) अभिप्रेरणा, (२) नियोजन, (३) कार्यान्वयन और (४) मूल्यांकन—के चौखूटों में फिट किया और उसे व्यावहारिक बनाने के लिए उसका एक पाठ्यक्रम तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने वेमिक शिक्षा को सन्तुलित, व्यावहारिक रूप दिया।

जाकिर साहब उन व्यक्तियों में थे जो मानते थे कि अगर बेसिक शिक्षा के दर्शन को वात छोड़ भी दी जाय तो इस पद्धति के मनो-वैज्ञानिक आधार इतने बूढ़ हैं कि अगर उसका ठीक-ठीक कार्यान्वयन किया गया तो राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन होगा और बुनियादी शिक्षा से राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होगी।

जब आनेवाले स्वतंत्र भारत ने 'गांधीवाद' में आस्था खो दी तो बुनियादी शिक्षा की आत्मा भी उसको पकड़ में नहीं आयी। बुनियादी शिक्षा का रूप विकृत हो गया। और तब डाक्टर जाकिर हुसैन को कहना पड़ा कि देश में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा का जिस प्रकार कार्यान्वयन हो रहा है वह एक धोखाधड़ी है। यह एक व्यथित आत्मा को पुकार थी जो अनसुनी कर दी गयी। राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति आज भी पहले जैसी ही निकम्मी है और एक ऐसी समस्या बन गयी है जिसका कोई हल दिखाई नहीं देता।

डाक्टर जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे भारतीय शिक्षा-जगत् के सूफी सन्त थे। पूर्व और पश्चिम की शिक्षा में जो श्रेष्ठ और वरेण्य है, उसका उनमें मिलन हुआ था। साधारण शिक्षक से वे इम महान देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें खोकर राष्ट्र ने बहुत दुःख खोया है और बेसिक शिक्षा-परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है। हम उनकी भोली और पवित्र आत्मा की शान्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।

—वंशीधर श्रीवास्तव

श्रद्धांजलियाँ

उन्होंने शिक्षा को पक्षपात की प्रवृत्तियों से बचाया

जयप्रवारा नारायण

“मेरे शायद यह गुन्ताग्वी की बात कहने के लिए माफ कर दिया जाऊँगा कि इस ऊँचे ओट्टे के लिए मुझे जिन अनेक अनेक बजहों से चुना गया, उनमें से एक खास बजह यह है कि मेरा ताल्लुक अपने मुस्क के लोगों की तालीम से रहा है।” ये उद्गार भारत के तीसरे राष्ट्रपति ने अपने प्रारम्भिक भाषण के दौरान जाहिर किये थे।

यह एक अनोखी बात है कि जब डा० जाकिर हुसैन को मुल्क के सबसे ऊँचे ओट्टे के लिए चुना गया तो उन्होंने अपना हवाला एक शिक्षक के रूप में दिया। वे जानते थे कि पिछले २० वर्षों में मुल्क में शिक्षकों का पेशा सत्ता की खोजताती के कारण अपनी इज्जत खो चुका था। लेकिन डा० जाकिर हुसैन के लिए शिक्षा का पेशा उनकी जिन्दगी थी। इसलिए नहीं कि उन्हींके शब्दों में वे भी “सियासी आममान के चमत्दार मितारे की तरह चमक नहीं सकते थे”, बल्कि इसलिए कि “शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य-सिद्धि का प्रथम औजार है।” और, मुस्क की शिक्षा का गुण राष्ट्र के गुण के साथ अविभाज्य रूप में जुड़ा हुआ है, यह बात टाक्टर जाकिर हुसैन ने अपने उद्घाटन-भाषण में ही कही थी।

अफसोस की बात है कि इस देश की शिक्षा सरकार की इस हद तक आश्रित हो गयी है कि वह राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं, बल्कि राजनीति का औजार बन गयी है। और, जैसे-जैसे मुल्क की राजनीति तेजी से ढलान की ओर विमलती जा रही है वैसे-वैसे शिक्षा भी गिरती जा रही है।

आजादी की लड़ाई के दिनों में ऐसी हालत नहीं थी। यह दुर्भाग्य है कि आजादी की लड़ाई के दिनों में सामने आनेवाली जूनियरिया के मुकामिने के लिए लोगों में जिस ढंग की निस्वार्थ सेवा, सबकी मिलीजुली कोशिशों और बटिन काम करने की विशेषताओं का दर्शन होता था वह आजादी के बाद नहीं दिखाई पड़े। उस जमाने में “राष्ट्रीय शिक्षा” के लिए लोगों द्वारा जगह-जगह जो कोशिशें की गयीं वे अपने आप में नमूना हैं। जाभिया निजिया की मिसाल उन जमाने की

कोशिशों का एक प्रशंसनीय उदाहरण है। और जामिया मिल्लिया की कहानी जैसे डाक्टर जाकिर हुसैन की जिदगी की ही कहानी है।

एक नहाना-सा बीज बरत-बढ़ने बरगद से विशाख वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आदमी की जिदगी में भी ऐसा ही होता है। आदमी के अंदर एक छोटी सी चिनगारी है जो उस ऊँचे बरतब की ओर ते जाती है। अगर आदमी के भीतर वह छोटी सी चिनगारी न पदा होती तो वह औरो के लिए अनजान ही बना रह जाता। डा० जाकिर हुसैन के बारे में भी ऐसा ही हुआ।

मरी जिदगी का वह पहला फैसला था जो मैंने खूब समय-भ्रमकर किया था। शायद वही एक फैसला है जो वाकई मैंने कभी अपनी जिदगी में लिया है, क्योंकि उनमें से ही मरी बाद की जिदगी का बहाव फूट निकला।" उपरोक्त शब्दों में जाकिर साहब ने अपनी उस जिदगी का जिक्र किया है जब उन्होंने अंग्रेजों में एक नवजवान शिक्षक-छात्र की हैसियत से अपने-आपको सभी चीजों से अलग करके असहयोग आन्दोलन में फूट पान का फैसला किया था। असहयोग आन्दोलन मई १९२० में गांधीजी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्र-यापी आन्दोलन था। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि जाकिर साहब ने बात कुछ बड़ा चडाकर कही है, लेकिन जो लोग उस नव जगण के जमाने में मौजूद रहे हैं और जिहान भावना के जोरदार बहाव में पत्कर नहीं बल्कि खूब मोच समझकर और दिल टटोकर उस जमाने की प्रेरणाओं को अनीकार किया था, वे ही इन शब्दों का अर्थ समझ पायेंगे।

मई १९२१ के जनवरी के दिन थे। उन दिनों आत्मा को आलसित करने-वाले असहयोग आन्दोलन का धारा में मैं खुद कूदने की तैयारी कर रहा था उस समय के अन्न निजी अनुभव की बात कहूँ तो कहना चाहिए कि उस जमाने ने मेरे भीतर ऐसी चाभी भर दी जो तब से लेकर आज तक बराबर मुझे जागे बढाती जा रही है।

तो, अंग्रेजों का निणय ही वह बीज था, जिससे भारत के तीसरे राष्ट्रपति का आविर्भाव हुआ। उन प्रारम्भिक बीजस्त्री निणय के अभाव में डा० जाकिर हुसैन शायद अनजान आदमी ही नहीं रहते लेकिन वे उस जमाने के उन बहुत-से पट-रिखे हिन्दुस्तानिया में न होने जो आमनीर पर प्रचलित अच्छी आमदनीवाणी नोकरिया या पेश में लगकर सनुष्ट रहन है। लेकिन, अपने उस फैसले पर बरते नवजवान जाकिर साहब ने अपनी जिन्दगी को जाजादी की लडाईं राष्ट्रीय शिक्षा मुर्बानी, और गरीबी के लिए समर्पित कर दिया।



२१० जाकिर हुसैन और विनोबा

भारत के तीसरे राष्ट्रपति के चुनाव के समय पहली बार राजनैतिक दलों में आपसी मतभेद पैदा हुआ। उस मतभेद के कारण एक ऐसे पद के लिए पक्षपात की राजनीति का खेल खेलने की नाममजबूत कोशिश की गयी जिस पद का महत्व ही इस बात में है कि वह हर तरह के पक्षपात से ऊपर की चीज है। हालाँकि डा० जाकिर हुसैन की उम्मीदवारों का फैसला चुनाव के जरिए हुआ, लेकिन उनकी पूरी जिन्दगी इस बात का सबूत है कि वे हमेशा मोच-नामजबूत हर तरह के पक्षपात से अलग रहे।

डा० जाकिर हुसैन के जीवनी-लेखक थीं ए० जी० नूरानी ने उनकी जिन्दगी के इस पहलू को प्रकाशित करते-वर्तते कई उदाहरणों का उल्लेख किया है, जैसे कि जामिया मिलिया की कांग्रेस और मुस्लिमलीग के आपसी द्वन्द का अखाड़ा बनाने से बचाने की उनकी सफल चेष्टा, अन्तरिम सरकार के बनने पर उनकी उससे उस समय तक शामिल न होने की हिचकिचाहट जबकि कि मुस्लिमलीग उसके लिए राजी न हो जाय, और अन्त में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के चुनाव के समय उनकी यह शर्त कि जबकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की चुनावसभा

(कोर्ट) उनके पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव नहीं करती तबतक वे उपबन्धनपति का पद स्वीकार नहीं करेंगे ।

पह उनकी सफलता का एक प्रमाण था कि उन्होंने शिक्षा की पक्षपात की उत्तेजना में तो अलग रखा, लेकिन राष्ट्रीयता की मूल धारा और आजादी की लड़ाई से नहीं । जामिया की रजत जयन्ती के अवसर पर १७ नवम्बर १९४६ में उन्होंने एक ही मंच पर एक ओर जवाहरलाल नेहरू, मौजाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान जैसे बड़े राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को इकट्ठा करके अपनी सफलता का जीता-जागता प्रमाण प्रस्तुत किया था ।

उस दिन डाक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था वह जल्दी भुलाने लायक नहीं । वह ऐसा समय था जब कि साम्प्रदायिक दंगों की लहर पूरे देश में फैल रही थी । एक शिक्षक की हैसियत से बोलते हुए उन्होंने कहा था—

“यह आग एक महान राष्ट्र में सुलग रही है । इस आग के रहते हुए उदारता और समझदारी के फूल कैसे खिलेंगे ? जानवरों की दुनिया में रहकर आप इनसानियत को कैसे बचायेंगे ? यद्यपि ये शब्द बहुत तीब्रे हैं, लेकिन आज की बिगड़ती हुई हालत में इससे ज्यादा तीब्रे शब्द भी नरम ही मालूम होंगे । हम लोग जो कि नये लोगों को इज्जत देने का वादा कर चुके हैं, अपने अन्दर महसूस होनेवाली तकलीफ को किस तरह जाहिर करें यह समझ में नहीं आता; जब कि हम देखते हैं कि बेगुनाह और मासूम बच्चे भी इस खौफनाक दृश्य के असर से सुरक्षित नहीं हैं । किसी भारतीय कवि ने कहा है कि हरेक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वह यह पैगाम लाता है कि खुदा ने अभी तक इनसान का भरोसा नहीं खोया है । लेकिन क्या हमारे मुल्क के लोगों का अपने आप पर से इतना भरोसा उठ गया है कि वे इन कलियों के खिलने के पहले ही उन्हें कुचल देने की स्वाहिश रखते हैं !”

और तब, विशिष्ट आमंत्रितों को “राजनैतिक आसमान के सितारों” के विशेषण से सम्बोधित करते हुए उन्होंने मन की उद्बोधित करनेवाली आवाज में कहा था—“खुदा के लिए एक जगह बैठिए और नफरत की इस आग को बुझा-इए । यह पूछने का समय नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके कारण क्या है ? आग फैलती जा रही है । मेहरबानी करके आप इसे बुझायें । इस समय सवाल यह नहीं है कि किस कौम पर मरने का खतरा मँडरा रहा है और किस पर नहीं । हमें इस बात का चुनाव करना है कि हम सभ्य इनसानों जिन्दगी पसन्द

[शेष पृष्ठ ४७५ पर]

भारतीय इस्लाम की सर्वश्रेष्ठ देन

सुरेश राम

राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की अचानक विदाई से सारे देश की बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमने अपने राष्ट्रपति के अतिरिक्त बहुत कुछ खोया है। वे एक महात्मा मन्पुरप थे। सचमुच वे भारतीय इस्लाम के सर्वश्रेष्ठ देन थे। सच्चे मुसलमान होने के साथ-साथ उन्होंने भारतीय शास्त्रों और सभ्यता का उज्ज्वल अंश सहज भाव से अपने में आत्मसात् कर लिया था। उनका जीवन मानी इस्लाम और हिन्दुत्व का अनोखा संगम था।

एक आदर्श नागरिक

डा० जाकिर हुसैन उन विरले विभूतियों में से थे जो भीतर और बाहर से सबके साथ समरसता महसूस करते थे और पूरी सच्चाई के साथ उसे अपने जीवन में व्यापार उतारते रहे। विनीकता और निष्ठ के साथ वे मानव-मात्र की समानता का, विशेषकर भारतीय गणतन्त्र के तले रहनेवालों की एकता का प्रतिपादन करते थे। और उन लोग की समझाने अथवा चेतावनी देने से कभी नहीं चूरते थे, जो छोटे और बड़े में ऊँचे और नीचे के फेर में पड़े रहते थे। यही कारण है कि उन को कभी न तो उन उप राष्ट्रवादी हिन्दुओं का विश्वास हासिल हुआ, जो हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का स्वप्न देखते हैं और न उन बट्टर सम्प्रदायवादी मुसलमानों का, जो जोर-जबर्दस्ती से अपने पुराने एक्काई को फिर से हासिल करने के मन्सूबे बनाते रहते हैं। जब आचार्य त्रिनीवाजी ने कुरआन के उत्तम अंशों का सकलन कर 'कुरान-सार' के नाम से प्रकाशित कराया तो कुछ मुस्लिम मित्रों को यह अच्छा नहीं लगा कि कुरान जैसे सम्पूर्ण ग्रन्थ में से कुछ छाँटा जाय, मगर डा० जाकिर हुसैन ने दिल जोड़ने की दिशा में एक उत्तम प्रयत्न के तौर पर इसका स्वागत किया। सब धर्मों की एकता के—और कहने में तो बड़ी आसान है, मगर उसे अमल में उतारना टेढ़ी खीर है—वे साकार प्रतीक थे। सच्चे अर्थों में वे एक भारतीय नागरिक थे, जिनमें किसी तरह का पक्षपात या संकोच नहीं था।

भारत उनका घर

जाकिर हुसैन साहब को गुलाब बहुत प्यारे थे। बड़ी मेहनत से वे इनकी बागवानी करते थे। उन्होंने एक नयी किस्म का गुलाब पैदा किया, जिसे भूजबुर्क

राष्ट्रपति डा० रामाकृष्णन् का नाम दिया और उन्हें भेंट में पेश भी किया। गुलाब के बारे में उनकी जानकारी अपना सानी नहीं रखती। जैसे वे गुलाब के शौकीन थे वैसे गुलाब जसा उनका दिल भी था। किसी सभा या मजलिस में वे आवपण के केंद्र बन जाते थे। पद या अधिकार की तमना ने उन्हें कभी नहीं सताया और इसी कारण से सत्ता देवी ने उनको अपनाया और ससार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सर्वोच्च आसन पर उन्हें विठाया। जैसा उन्होंने १३ मई १९६७ को राष्ट्रपति होने के अवसर पर कहा था सारा भारत उनका घर था और उसके सारे निवासी उनका परिवार।

महान शिक्षायोगी

तीस साल की उम्र में १२ अक्टूबर १९२० को अलीगढ़ में बापू के एक प्रवचन ने उनके जीवन का बदल दिया। उहान सरकारी नौकरी का प्रलोभन छोड़ दिया। सौ बरस पुराने ब्रिटिश शिक्षा-मण्डल के विरुद्ध विद्रोह किया और एक मित्र को साथ लेकर ओखला में जाकर बैठ गये जहाँ उन्होंने एक नया स्कूल खोल दिया। उस स्कूल ने अब जायिया मित्रिया इस्लामिया नामक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया है (जहाँ गत ५ तारीख को राष्ट्रपति को मध्यत को दफनाया गया) जो शिक्षा में अपने ढंग की अनोखी मस्था है। २२ वर्ष तक डा० जाकिर हुसैन साहब इसके उपकुलपति रहे और इस पीढ़े को बनाया और सवारा। वे एक महान् कोशिश के शिष्यविद् थे जिनकी सूझ बुझ और दूरदर्शिता अद्भुत थी। बापू की अद्वितीय दृष्टि ने इस शिक्षा शास्त्री को भाग लिया और उन्होंने नयी तालीम को चल्ान का उत्तरदायित्व डाक्टर साहब के सुपुत्र किया। इससे इनकी ख्याति देश भर में हो गयी। और जिस निष्ठा और कुशलता से उन्होंने हिन्दुस्तानी तालीम सघ की अध्यक्षता का पद सम्भाला उससे वे शिक्षा जगत् में लोकप्रिय हो गये।

जाकिर साहब को यह बड़ा दुःख था कि देश में नयी तालीम का प्रयाग ईमानदारी से नहीं किया गया। शायद बापू ने उनके अन्दर की पुरानी क्रान्ति कारिता को दबा दिया और वे स्वयं वह कीमत चुकाने से हिचकते रहे, जिसे लेकर उनका दद समझती और उनकी बात मान लेती। आज भी पुरानी शिक्षा प्रणाली जारी है और भारत जसा शायद ही कोई देश होगा जहाँ शिक्षा शिक्षिता का जनता से एकदम अलग कर देनी है। स्वतंत्र भारत का वह सबसे बड़ा अभिशाप है। आगे चलकर जब भारत के शासकों में इसकी दूर करने की सुबुद्धि और हिम्मत आयगी और इसकी जगह नया तालीम शुरू करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के माथे डा० जाकिर हुसैन का नाम भी सम्मान से लिया जायगा।

भारतीय संस्कृति के प्रतीक : डा० जाकिर हुसैन

रामनाथ रामचन्द्र दिवाकर

डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु भारत के लिए एक गहरा आघात है। जाकिर साहब उन महान देशभक्तों में से थे जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया था। वह एक महान शिक्षाशास्त्री व मुदर मानव थे। वे सादगी और सज्जनता के अष्टम आदर्श थे।

शिक्षा राष्ट्रनिर्माण का अनिष्ठादी साधन है। इस हम शिक्षक और शिक्षाविद् के रूप में डा० जाकिर हुसैन के जीवन का मुख्य स्तर कह सकते हैं। हम किसी भी मानदण्ड में देखें भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति महापुरुष रहे हैं। उन्होंने इस उच्च पद की प्रतिष्ठा और शोभा में सदा ही वृद्धि की है। राजगण्डालाकारी डा० राजेंद्र प्रसाद तथा डा० रामकृष्णन् ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सांस्कृतिक जीवन तथा इतिहास में जो योगदान दिया है वह सर्वोच्च मानदण्डों में मूल्यांकन करने पर भी अमूर्त्य सिद्ध होता है। डा० जाकिर हुसैन ने भी जो कि कभी उच्च पद या सत्ता के इच्छुक नहीं रहे, कुछ ही समय के अंदर यह सिद्ध कर दिया था कि वे भी उद्युक्त राष्ट्रपतियों की महान परम्परा को जारी रख सकते थे।

इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के रूप में तथा उससे पूर्व बड़े महत्वपूर्ण तथा त्रिपुल जनसहयात्राल बिहार राज्य के राज्यपाठक रूप में डा० जाकिर हुसैन अपना स्थान बना चुके थे। परन्तु उनके प्रशासकीय जीवन में कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धियाँ पाण्डित्य, शिक्षा, तथा ग्रामसेवा के क्षेत्र में रही हैं। उन्होंने कभी श्यामि की इच्छा नहीं रखी तथा शिक्षा के क्षेत्र में रहने के कारण वह अत्यधिक प्रचार तथा जनता की दृष्टि में आने से बंचित रहे। इस कारण मानव-व्यवहार में कुशलता, गहनता तथा कीमलता निबन्धित कर मके। इन सद्गुणों के कारण आज वह जिस पद पर थे, उसकी स्वीकार करके उन्होंने उस पद का ही सम्मान बढ़ाया है।

जीवन का मुख्य स्वर

डा० जाकिर हुसैन से भेंट करने पर हमारे मन में क्या भावनाएँ उठती थीं, उसको एक शब्द या कुछ शब्दों में बणन करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव है। अनायास ही हमारा ध्यान उनके समर्पित जीवन की ओर चला जाता है। सघर्ष, सेवा तथा बलिदान से पूर्ण उनके महान जीवन में एक ही स्तर विशेष रूप से दिखाई देता था जो कि इस देश के विभिन्न समुदायों को शिक्षा देने, उनके सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में उनके उत्तरदायित्व के प्रति उनको सचेत करने के गौरवपूर्ण प्रयास का स्वर था। भारत विभिन्न धर्मों तथा भाषाओंवाला एक प्राचीन देश है, जिसमें विभिन्न पंथ और संप्रदाय हैं परन्तु सबमें 'सुसंस्कृत सह-अस्तित्व' है। यह एक सुसंस्कृत जनता का सह-अस्तित्व है। ऐसे देश के नागरिक के लिए यह सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है।

बहुत दूर यह भावना अवश्य आती है कि 'बय पशुओं से पूरा जगत में तुम मानवता की रक्षा कैसे कर सकते हो?' क्योंकि हम अपनी चारों ओर धर्म, सम्पर्क भाषा इत्यादि धुंधले प्रश्नों पर लोगों को पागलपन के साथ झगड़ते देखते हैं। ऐसे समय में इस देश के नवयुवकों की एकता और परिश्रम का संदेश देकर डा० जाकिर हुसैन ने साहस का काम किया तथा इससे उनकी अतृष्टि का परिचय मिलता है। आज देश में जो बहुत सारी समस्याएँ हमारे सामने हैं, उनका निपटारा करते हुए वह कहते थे कि यह एक अभिशप्त देश है, पर आखिर यह हमारा देश है। हम यहाँ रहना है और यही मरना है। यही कारण है कि यह देश हमारे साहस की कसौटी होगा हमारी योग्यताओं को चुनौती देगा तथा हमारे प्रेम की परीक्षा करेगा। मेरा विश्वास है कि विनाश से हमारी मुश्किल आसान नहीं होगी, विनाश तो पहले ही काफी हो चुका है। उस की हमारे खून की नहीं, बल्कि हमारे पसीने की जरूरत है। उसे परिश्रम की घोर परिश्रम की तथा दौलत परिश्रम की जरूरत है।

जामिया का महान प्रयत्न

यह स्वर आज इस क्षण भी कितना सच्चा है? यह और भी शक्तिशाली प्रतीत होता है जब हम इसे स्वयं डा० जाकिर हुसैन के उस अथक परिश्रम के सन्दर्भ में देखते हैं जो उन्होंने अपने विधायी जीवन से ही शिक्षा के क्षेत्र में किया। कहा जाता है कि उन्होंने केवल एक निणय सन् १९२० में किया था कि अलीगढ़ की ब्रिटिश-निर्देशित शिक्षा-संस्था से असहयोग करूँगा। गांधीजी तथा अली बख्शान स्वतंत्रता-संग्राम के लिए आह्वान किया। जामिया मिलिया के रूप में एक और-गांधी

के बीज बोये गये। एक विद्रोही छात्र किस प्रकार एक सर्वोच्च स्तर का प्रौढ शिक्षाविद् बन गया इसका इतिहास जानने के लिए हमें उन महान राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था जामिया मिलिया का सधर्पपूर्ण इतिहास देखना पड़ेगा, जो इस्लाम एवं भारतीय राष्ट्रवाद के समन्वय का सबसे महान प्रयत्न है। प्रसिद्ध तुर्की पत्रकार अदवि ने सन् १९३५ में इस संस्था के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए कहा था कि इस संस्था के दो उद्देश्य हैं—प्रथम, मुस्लिम नवयुवकों को भारतीय नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना और द्वितीय, मुस्लिम आचार-विचार का हिन्दू धर्म से समन्वय। मैंने जितनी मुस्लिम शिक्षण-संस्थाएँ देखी हैं उनमें गांधीवादी आन्दोलन के सबसे निकट वही है।

डा० जाकिर हुसैन तथा उनके दो महान साथियों, डा० मजीद तथा श्री अदवि हुसैन साहब को इस संस्था के निर्माण में कितनी परीक्षाओं तथा सघर्षों से गुजरना पड़ा, उसका इतिहास रोमांचकारी है, कई बार यह परीक्षा का प्रलोभन के रूप में आयी कि राष्ट्रवाद और गांधी का मार्ग छोड़ दो, तो जामिया को आर्थिक मदद मिलेगी। परन्तु प्रलोभन में आने के विपरीत जामिया के कितने ही अध्यापक स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान जेल भेजे गये थे। इस संस्था के अध्यापकों में श्री जी० रामचन्द्र भी रहे हैं तथा देवदान गांधी वहाँ पढ़े थे। गांधीजी अंत तक जामिया मिलिया की अपनी संस्था मानते रहे।

लोकप्रियता का रहस्य

जामिया के लिए उन्होंने जो बलिदान तथा घोर परिश्रम किया, अच्छे तथा प्रेरणादायक अध्यापक बनाने के लिए उन्होंने जो दीर्घ साधना की, गांधीजी की नयी तान्त्रीय के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति उन्होंने जो निष्ठा रखी तथा सबसे बटकर राष्ट्र-मेवा की जो भावना उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी, जमीने परियामस्वरूप डा० जाकिर हुसैन को भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। यद्यपि उनके चुनाव से पूर्व कुछ विवाद से वातावरण में बुन्ध छा गयी थी, परन्तु कुछ ही समय में डा० जाकिर हुसैन ने यह मित्र कर दिया कि उन विवादों में शक्ति को नष्ट करना कितना क्षुद्र था। इस पद की गरिमा तथा शोभा उन्होंने प्रदान की; जो सक्षित, पर अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण विविध अवसरों पर वह देते रहे, उनके साथ सदैव रहनेवाली शिष्टता और नम्रता ने उनको ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, सबसे लोकप्रिय बना दिया था। अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डा० रामकृष्णन् के समान जाकिर हुसैन ने भी यह सिद्ध कर दिया था कि एक अच्छा अध्यापक मानवता का एक अच्छा शिक्षक ही सच्चा है और सर्वोच्च पद की शोभा बढ़ाने के माय-माय लोगों के हृदय में भी अपना स्थान बना सकता है।

अपने एवों पर नजर कर !

श्रीकृष्णदत्त भट्ट

वात है सन् १९६२ की ।

विनोबाजी की पुस्तक रूढ़ल कुरान (कुरान सार) छप रही थी । हम सबकी इच्छा हुई कि डाक्टर जाकिर हुसैन साहब से उमकी भूमिका लिखायी जाय । उन दिनों वे गवतार ये विहार राय के ।

हमारे भाई जान अहद फानमी (सम्पादक भूदान-सहरीक) ने जाकिर साहब से इसके लिए प्रायना की । दो पत्र भी लिखे ।

× × ×

कुरान शरीफ के अनमोल मोतियों का सन्धन । और सो भी विनोबा जैसे सन्त पुरप के द्वारा ।

और उस अमूल्य कृति की भूमिका का प्रश्न

कौन न कृतकृत्य हो उठेगा ऐसी सम्मानजनक फर्मायिश से ?

पर जाकिर साहब उसकी भूमिका—उसका मुकद्दमा उमका पेश लफज नहीं लिख सके नहीं लिख सके ।

आखिर क्यों ?

× ×

गीता प्रवचन में विनोबा कहते हैं—

महाभारत में तुलावार बन्ध की कथा है । जाजलि नामक ब्राह्मण तुलावार के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है । तुलावार उससे कहता है— भया इम तराजू की डडी की सदा सीना रखना पडता है । दस बाह्य कम को करते हुए तुलावार का मन भी सीवा सरल हो गया । छोटा बन्धा दुकान में आ जाय या जवान आदमी उसकी डडी सबके लिए एक-सी रहती है । न ऊँची न नीची ।

तराजू की डडी से तुलावार को समबत्ति मिली ।

मेना नाई बाल बनाया करता था । दूसरो के सिर का मल निकालते-निकालते उस पान हुमा— देखो मैं दूसरो के सिर का मल निकालता हूँ परन्तु क्या खुद

कभी अपने तिर का, अपनी बुद्धि का, भी मूल मीने निकाला है ?' ऐसी आ-यात्मिक भाषा उस कर्म से सूझने लगी । खेत का बचरा निबालते-निकालते कमयोगी को खुद अपने हृदय की वासना-विकाररुनी बचरा निकालने की बुद्धि उपजती है ।

कभी मिट्टी को रौंद रौंदकर समाज को पक्की हडिया देनेवाला गीरा कुम्हार उमम यह शिष्या नेता है कि मुझे भी अपने जीवन की हडिया पक्की बना लेनी चाहिए । इस तरह बड़ हाथ में थपकी लेकर 'हडिया कच्ची है या पक्की ?' यो सती को परीक्षा लेनेवाला परीक्षक बन जाता है ।'

×

×

×

तो जाकिर साहब के सामने जब 'रूठल कुरान' का मसविदा पेश हुआ तो वे भी जीवन की गहराई में उतर पड़े ।

मनुष्य जब आत्म-विश्लेषण करता है, अपने दिल के भीतर वाकता है, अपनी अमर्ग्यता पर गौर फरमाता है तो उसकी रूह काँप उठती है । दम्भिया और पाखण्डियों की बान छोड़िए । वे तो दुनियादारी के बच्कर में रहने हैं और रात-दिन ऐव को हुनर दिखलाने को कोशिश करते हैं । दोषों को गुण बताने की चेष्टा में लगे रहने हैं । कहा है—

एव य है कि करो ऐव, हुनर दिखलाओ,

बर्ता याँ एव तो सब फर्दोबशर करते हैं ।

मनुष्य अपनी गलती को गलती नहीं मानना चाहता । अपने दोष को दोष नहीं मानना चाहता । अपनी कमी को कमी नहीं मानना चाहता । बहेगा भूठ, उस पर मुग्ग्मा बघायेगा सब का । करेगा गलत काम, कोशिश करेगा यह बताने की कि वह सही ही कर रहा है । खुद अनाय करेगा, पर बतायेगा इस तरह कि दूसरा अन्याय कर रहा है ।

और यदि कभी मान भी लिया कि गलती हुई तो कह देगा कि 'To err is human—'मनुष्यमात्र से गलती होती है । मैं भी उसका अपवाद नहीं ।

×

×

×

पर साजको का, जिज्ञासुओं का, महापुरुषों का तरीका ही दूसरा होता है । अपने रुई जैसे जरा से दोष को वे पहाड़ जैसा बड़ा मानते हैं । गापी से छ टी-सी भूल होने तो वे उसे 'Himalayan Blonde'—'हिमाचल जैसी भूल' बताते । उमक लिए सच्चे जी से पश्चाताप करते ।

जाकिर साहब का भी यही तरीका था ।

विनोबाजी की 'रूठल कुरान' उनकी आँखों के आगे थी और वे जीवन की गहराइयों में उतर जाते ।

‘वहाँ कुरान शरीफ की नसीहतें और कहाँ मैं ?

एक दिन, दो दिन, चार दिन—यह सघप चलता रहा ।

आखिर २४ फरवरी ६२ को उहाने अपने दिल को हालत कागज पर उतार कर भाई जान फातमी साहब के पाम खाना ही कर दी । पत्र क्या है—
कागज पै रख दिया है फलेजा निकालकर ।

लिप्ता उहोन—

राजभवन, पटना

ता० २४ २ '६२

मुकरमी जनाब फातमी साहब

आस्सलाम अलैकुम ।

दोना नवाजिशानामे^१ मिले । यादररमाई का शुकिया और ताखीरे^२ जबाब की माजरत कबूल फरमाइए । मैंने विनोबाजी का इन्तेसावे कुरान मजीद गौर स देखा । बहुत अच्छा है । इसस मुस्लिम और गैरमुस्लिम, सब कुरान की तालीम की आसानी से समझ सकेंगे । खुदा उनकी सई^३ मशकूर^४ फरमाये ।

मुकद्दमा^५ या पेश लपज लिखने की बहुत कोशिश की । मगर कुछ न बन सका । रह रहकर यह खयाल कि तालीमात^६ कुरानी की तामीन्^७ मे क्या-क्या कौताहियाँ^८ मुससे सरजद होती है और अपनी जिन्दगी उस नकशे से कितनी दूर है जो कुरान चाहता है कुछ लिखन की हिम्मत नहा करन देता । किसी दूसरे को अपनी इस कशियत^९ का ममयाना दुधार^१ है । मगर यकीन फरमाइए कि सब है और बावजूद कोशिश के उसने कुछ न लिखने दिया । उम्मीद है कि आप मेरी गाजूरी^१ को ममय सर्वेगे और मुझे माफ फरमा देंगे ।

अगर बात विनोबा तक पहुंच चुकी है तो उनम भी माफ करा देंगे । मेरे दिल मे उनका जो इहताराम^१ है उसे बआसानी लपजो म वयान नही कर सकता । गर्रां दे रजिरटर डाक से बीमा करके वापिस करता हूँ ।

—मुहलिस

सही—जा० हु०

गिठने गिना जब ‘रुड्ड कुरान वाग्य फाइल उठट रहा था तो जाकिर साहब का यह खत पढ़कर आँखें भर आयी । कितने अंचे पवित्र और नम्र थे हमारे ये राष्ट्रपति जो कहत थे—

१ इषामत, २ विलम्ब, ३ पराक्रम, ४ यशस्वी, ५ भूमिका, ६ शिप्ता उरदेश, ७ व्यवहार ८ कमियाँ ९ हाग्न, १० नडिन, ११ विवशता, १२ आबर ।

“.....रह-रहकर यह खयाल कि तालीमान कुरानी की तामील से क्या-क्या कीताहियाँ मुमम मरजद होती हैं और अरती जिन्दगी उस तरसे से कितनी दूर है, जो कुरान चाहता है, कुछ लिखने की हिम्मत नहीं करने देता है।”

×

×

×

धर्मग्रन्थ सभी लोग पढ़ते हैं।

मन्त्र, स्तोत्र, भजन भी लाला करौडा लोग जपते हैं, पाठ करते हैं, गुन-गुनान हैं।

पर जावन की गहराश्या म कितने लोग उतरते हैं ?

मनुष्य जब जीवन के भीतरों पर नजर डालता है, तब न उसे पता चला है कि वह कहाँ है ? उसकी असली तस्वीर क्या है कौसी है—

तभी न उसके रोम रोम स यह आवाज उठती है—

बुरा जो देवत में चंग बुरा न दोला कोय।

जो दिठ सौजा अपना मुग़स बुरा न कोय ॥

आत्म विश्लेषण हो मनुष्य को ऊपर उठा सकता है पापी को परमात्मा बना सकता है। नाच को ऊँच बना सकता है। अमल्ल को सन्त बना सकता है। अशुद्ध को पवित्र बना सकता है। दुःख को साधु बना सकता है।

बाहर म हम चाहे जितने बड़े ऊँचे पवित्र माने जाने हो, उससे क्या बनना-बिगडना है ? वात तो है भीतर की। हमारा दिठ क्या है ? हमारा हृदय क्या है ? बन्तुन हम हैं कैसे ?

हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद, मत्सर के विकार ठूम-ठूमकर भरे हैं। इन विकारों पर कभी हमारी दृष्टि जाती है ?

जी नगी, इनकी तरफ हम पूर्ये आँख भा सामना नहीं चाहते।

तब तो ही घुका हमारा उधार।

×

×

×

हम यदि सच्चे अर्थ म मनुष्य बनना चाहते हैं, अतः भीतर मानवीय गुणों का विकास करना चाहते हैं, अपनी आज की शोचनीय हालत स ऊपर उठना चाहते हैं, सच्चे जिनानु साधक, भक्त या गानी बनना चाहते हैं, तो हम अपने हृदय की गहन गुहा में उतरना ही पड़ेगा।

अतः भीतर जो बुराइयाँ बरा पडा हैं, जो कमियाँ बरी पची हैं, उन्हें दूर किये गिना, हृदय को शुद्ध और पवित्र, निर्मल और निर्विकार बनाय बिना गति नहीं।

भाइए हम जाकिर साहब की अलविदा के इन क्षणों में उनसे आत्मविस्लेपण की शिक्षा लें आने दिल को धो धोकर माज माजकर स्वच्छ और पवित्र बनायें। अपने को हम निर्विकार बनायें।

अपन ऐबों पर नजर कर अपने दिल को पाक कर,
क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा मशहूर है।

जिस क्षण से हम अपने दिल को पाक करने के पराक्रम में जुट जायेंगे उसी क्षण से हमारा जीवन पवित्र से पवित्रतर उच्च से उच्चतर और उत्तम से उत्तमतर होता चलेगा। इसमें रस्तीभर भी सदेह नहीं।•

डा० जाकिर हुसैन : जीवन परिचय

अच्छे अध्यापक की विशेषताएँ

स्व० डा० जाकिर हुसैन

मनुष्य के मानसिक जीवन का प्रदीप्त सशक्तितो दूसर मानसिक जीवन मे प्रकाश पाना है। जीवन की गहनहानी बानी म खरखजे का देखकर एरबूजा रण बरस्ता है, और मा हर एन मनुष्य गिगी दूर का जगानक—मिपगनेवाला—बतानेवाग और बनानेवाग होता है।

दो प्रकार के लोग उनकी विशेषताएँ

कुछ लोगो का स्वाभाविक भुकाव स्वय अपनी ही ओर होता है। उनम शक्ति की लगना, बमाई का लगना, जमा कर-वरने डरी लगान की लग, लगच, ह्विस और अपनी बान को ओरा म मानवाने की चाह होती है। कुछ त्रिपता का भुकाव अपनी तरफ नहीं, ओरो की तरफ हाता है। उनम हमदर्दी, मबदना, मग-मिलार, उदारता, दूमरो को सहारा देने और मदद पहुँचाने की रक्षा त्रियात्मक होती है। किसीकी हर भीत की खोज लगात और हर जग को तह तक पहुँचने की धुन होती है। कोई दुनिया के मनानेवाले और पागनदली परमा मा क ध्यान मे लाा हुआ है, कोई अपन को उसकी परम कता म लीन करने, दूरी को दूर बरके तादात्म्य प्राप्त करने और मुक्ति पाने की लगन लगता है। कोई चीजें बनाता, विगाडता और नधी-नधी इजादा म बनने मन को तसल्ली देता है। आदमिया की इन भोट म अन्त्याक को कहां दूँडें, और इन भौटि-भौति क ब्यक्तिम म अच्छे अन्त्याक को कहीं म पकड निवाले ?

इस सवाल के जवाब म इम बात से मदद मिलेगी कि हन यह देखें कि जिस काम को आदमी करना चाहता है, जिन मान्यताओ म उमका मिश्राम है, जिन विरोधवाओ का वह मवर है या बनना चाहता है, वे किस तरह पूरी हो सकती हैं ? कुछ मिश्रताएँ सिर्फ चीजों मे आकर पूरी होती हैं। इनका साजक हमेशा चीजों के पीछे दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, आदमी की भौतिक आवश्यकताओ

पर बस अपने कारखाने का ठप्पा लगा देना काफी समझते हैं, और अपनी धातु को बदलने की जगह मुग्ध कर देने को तैयार रहते हैं। अच्छे अध्यापक के लिए तो जरूरी है, कि वह दूसरो से प्रेम करता हो, उनके दिल में आदमियों में आदमी होने के नाते प्यार हो। आप इन अच्छे विद्वानों, अच्छे अध्यापकों पर नजर डालिए, तो इनमें बहुत स गम्भीर धार्मिक लोभ दिखलाई पड़ेंगे, रूढ़-सौंदर्य के पारखी कलाकार भी इन्हींमें मिलेंगे। लेकिन ये विशेषताएँ इनकी मानसिक बनावट में बल-पूरे हैं। ताना-बाना तो बही, पर इनमें भवा का चाव और मानव मान के प्रति प्रेम विशेषता होता है।

अध्यापक के जीवन-ग्रंथ के मुख्यपृष्ठ पर 'विद्या' नहीं लिखा होता बल्कि 'प्रेम' शीर्षक होता है। उसे मानव मान में प्रेम होता है, समाज में प्रेम होता है, समाज में जो विशेषताएँ विद्यमान हैं—उनमें प्रेम होता है, उन नहीं नहीं जानते

अच्छा अध्यापक एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग से, आँसुओं से, यानी अभिव्यक्ति के साधारण ढंग से ही पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है। कोई ऐसी प्राकृतिक और आन्तरिक शक्ति होती है, जो उन नन्हें नन्हें झरोखों से झोंककर आत्मा के छिपे हुए तथ्यों को देर लेती और समझ लेती है।

से मुद्दयग होती है, जो आगे बढ़कर उन विशेषताओं को अमानेवाली है। इनमें जहाँ तक और जिन प्रणालियों से उन विशेषताओं की पूर्णता का मापन होता है, यह उनमें योग देना है। इसी काम में वह मानसिक सन्तोष और आत्मिक शान्ति उपलब्ध करता है।

अच्छे अध्यापक की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान यही है, कि इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चा और नवयुवकों के विरासोन्मुख व्यक्तिवाद की ओर होती है। उन्हींमें रहकर इन सन्तोष मिलता है, उनके विना दुनिया में यह परदेशी की तरह भटकता फिरता है। वह निर्दोष मदरस के नमुना ही में अध्यापक नहीं होता, बल्कि हर समय इनका मन अपने शिष्यों में ही अटका रहता है। अध्यापक के इस प्रेम का उल्लेख करना बड़ा बर्ज़न है। संभवतः इनमें और बहूत-बहूत सामान्य भाव सम्मिश्रित हो, सम्भव है कि आमसम्मान की आकांक्षा भी इनके मन में जग उठी हो, सम्भव है कि बच्चों का मन हाथ में लेने, अपने प्रति उनका स्नेह और शोभा प्राप्त करने की इच्छा भी इसमें विद्यमान हो, यानी थोड़ी-सी स्वार्थपरता भी हो।

यह सिद्धान्त एक अर्थ अत्यापन ही का हो सकता है। यदिमात्र योग इसे मूल्यता समर्थ मूल्यता ही नहीं और इस बचपन बताये तो यह समुच्च बचपन है और जवनक अत्यापक म यह बचपन है तत्रन्व वह यद्यो के मन के भे जानता है और इनके जीवन म बराबर भिन्न जुगुवर यह उतनी की ओर ने जा सकता है। जिस अत्यापक म यह बचपन नहीं होना यह बच्चा के मन की योगी नहीं सम्यता, न उहे अपनी बात समना सकता है। नादानी से गिधर कदम उठता है तो कुठन कुठ कुचर डागता है कुठन-कुठ तो डागता है अत्यापक म बहुत अधिक चित्तनशीलता और गहरा पाण्डित्य त्रक बचपन को कम कर देता है यह पहले से अधिक विद्वान या यह चीज बन जाता है जिम शिक्षा विरापन कहते हैं पर अत्यापक वह पहले से बुरा होता है।

अच्छ अध्यापक की क्षमता

हैं मन अध्यापक की म यह पहली पञ्चान बतायी कि उस बच्चा और नवपुत्रको स स्वाभाविक ग्यात्र जोर ममता हो और वह बच्चा म बच्चा बन सके तो यह है पत्नी और पुरुष चीन मगर भिन्न यही काही नहीं हर अछे अध्यापक ने इसका होना जरूरी है पर हर वह व्यक्ति जिसम यह विशेषता हो अच्छा अध्यापक नहा होता। उमम मन्त्र व इस सामनस्य को एक विशेष रूप से काया न्वित करन की क्षमता भी होनी चाहिए यह क्षमता अभ्यास और परिश्रम से बन सकती है मगर होनी है यह भी प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त उस उत्तम विद्याओ स भी सहायता भिन्नी है शिक्षा और मनोविज्ञान के सिद्धांत जान लेने से भी काम निकलना है। मगर सब बात तो यह है कि अच्छे अध्यापक म बच्चे के व्यक्तित्व को सनक्षण की प्राकृतिक क्षमता होनी चाहिए जब कोई विद्या बन्ती हुई बढती हुई सजीव वस्तु पर प्रभाव डालना चाहे जसा कि अध्यापक चाहता है तो पहले उस वस्तु का समक्षण बहुत ही आवश्यक है। अच्छे अध्यापक म यह विशेषता होनी चाहिए जो एक अच्छे नाटककार अच्छे उपचारकार या अच्छे इतिहासकार म होनी है कि वह एक छोटी-सी घटना में एक छोटी-सी बात से एक मायारण-सी क्रिया म चहरे के रंग स आँखा से यानी अभिव्यक्ति क मायारण ढंग से ही पूर आदमी की वास्तविकता का पता ग्या नेता है। मनो विज्ञान क सामान्य सिग्नल यथा आकर धोखा देने हैं और धारक बन जाते हैं। कोई ऐसी प्राकृतिक और आन्तरिक शक्ति होनी है जो उन नहे-नह चरोत्वा से शक्तिवर आत्मा के सिने हुए तप्या की देख लेती और समझ लेती है। अच्छे अध्यापक की दूसरी पहचान यह है कि उसम यह आन्तरिक शक्ति हो और अनुभूति की सश्रम तोत्रा भी।

अच्छे अध्यापक की चतुराई

मगर समझ लेना और जान लेना भी तो बारी नहीं ! समझकर, जानकर ठीक प्रकार स प्रभावित करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। निदान के बिना इगज नहीं होता, लेकिन किसीको खाने निदान आता हो और इगज न आता हो, तो वह भी लाभ नहीं कर सकता। अध्यापक में बड़ी प्रायुत्पन्नमति होनी चाहिए कि मामूली का समझते ही प्रायः बिना सोच विचार बिचे उचित उपाय उसकी समझ में आ जाय। बिना सोच विचार पर प्रभाव डालनेवाले सोच-विचार ही करते रहते हैं और किसी समस्या और उसकी युक्ति की अनगिनत वितायी कोशिशों के गोरख पथे में भटकते ही रहने हैं। लेकिन एक अच्छा अध्यापक अपनी स्वाभाविक चतुरता से उचित उपाय ढूँढ लेता है। कभी हँसकर, कभी नाराज होकर, कभी तात्पर्य करके, कभी नरमी में, कभी लज्जित करके, कभी उकसाकर, कभी मुद्द रोकर कभी अपनी तरफ खींचकर, कभी अपन से दूर करके, कभी पुराश्चा बतलाकर, और कभी आँख बचाने से यह अपना काम कर लेता है। इन सब मौकों के लिए कितना ही म निर्देश दिए जाय, क्योंकि बिना सोच के सबकुछ लिखा हुआ है। पर जिस वक्त काम पड़ता है तो 'लाल बिताव' के दखने का मौका नहीं मिलता, और अगर इसका कोई सामान्य निर्देश याद भी हो, तो इसको उस विशेष समस्या पर लागू करना भी तभी सम्भव होता है, जब कि अध्यापक में यह स्वाभाविक चतुरता (टैलेंट) पढ़ने से ही मौजूद हो।

सुधारकों और पैगम्बरों की तरह अध्यापक को बने बनावे व्यक्तित्वों से वास्ता नहीं पड़ता, बल्कि उसका सम्बन्ध उनसे होता है, जो अभी बन रहे हैं। सुधारक और पैगम्बर तो बने-बनावे व्यक्तित्वों से अपना काम ल लेते हैं। इन्हें उन विधासों, परम्पराओं, इरादों और विचारों का सबक बना देने हैं, जिनके प्रचार या सम्स्थापन के लिए ये आय हैं। जो इन्हें कल्ल करने निकलते हैं, ये उनके जीवन की दिशा ही बदलकर उन्हें अपने विरोधियों के लिए काल बना देते हैं। जो पहले एक तरफ झुकता था उसका सिर अब दूसरे के सामने झुका देने है। अध्यापक का सम्बन्ध होता है अविदित व्यक्तियों से। उसे अपन शिष्य के बननेवाले व्यक्तित्व की प्रवृत्ति को समझना और उसके विकास के साधनों का अनुमान करना पड़ता है, और उस चरम उन्नति पर पहुँचाने में योग देना होता है। न केवल मानसिक दृष्टि से ये साधन दिखाई देने हैं क्योंकि आदमी के जीवन में न जाने कितना अविवेक का अंश मिला है, न केवल अन्त प्रेरणा और सहज-बुद्धि पर ही अध्यापक भरोसा कर सकता है। यहाँ बस सहज-बुद्धि और अन्त-प्रेरणा को मिलाने की आवश्यकता होती है।

अच्छा अध्यापक उन विभिन्न चीजों से परिचित होता है जिनके प्रायः आदमी का शीर्ष (सीरत) ढंटा है और इन आम जानकारियों के साथ बच्चे की विशेष स्थिति का अभ्यस्त उम्र ठीक नतीजे पर पहुँचा सकता है। इसलिए उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त अच्छे अध्यापक में ठीक प्रकार से अभ्यस्त करने की प्रेरणा भी होनी चाहिए अन्यथा वह अपने शिष्य के पूरे व्यक्तित्व की परख नही कर सकता और उनकी सबसे सुगम उन्नति में पूरा योग नहीं दे सकता।

इस अध्ययन में प्रायः स्वयं अध्यापक का बना गया व्यक्तित्व ही बाधक बन जाता है। छात्रों के ज्ञान चीजों की खोज में स्वतंत्र रूप से कर सकता है पर वास्तव में उसके ही शरीर का अध्ययन (मुशाहिदा) निरपेक्ष रूप में करना कठिन है तो मन और भावना का अभ्यस्त भूया कम निरपेक्ष रूप में हो सकता है ? इसके लिए तो हरदम खुद अपने से लड़ना और अपने को दबाना होता है। महत्तम और कुर्बिपूर्ण सीने और उदर शीलवान् और अशिष्ट मनस और रोनी सूरत—सबको एक ही तरह उदासीनता के साथ देखना कोई सरल काम नही। मगर अच्छे अध्यापक का काम भी सरल नही होता और यह पौरख हर एक को ही प्राप्त भी नहीं हो सकता।

अध्यापक का असली काम

अध्यापक का असली काम शीर्ष (सीरत) का निर्माण करना है और सारी शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि वह बच्चे की विचार-शक्ति और उसकी कार्य-शक्ति को किसी सीधे राह पर डाल दे और उचित सिद्धान्तों के अनुसार—अच्छी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके शील में एकत्र हूँता उत्पन्न कर दे। जो व्यक्ति अध्यापक बनकर शिक्षा का यह काम पूरा करे उस स्वयं भी तो मान्य होना चाहिए कि वह शीर्ष को किस राह पर डाले। स्वयं उसके शील का भी तो कोई खास रंग और स्वयं उसके जीवन का भी तो कोई खास ढंग हूँता चाहिए। उसके प्रभाव से बच्चे में एकाग्रता (एकसूई) तो तभी ही पदा होगी जब कि स्वयं उमम भी एकाग्रता हो। जो खुद बाली के वगन की तरह धर उतर चुकता हो वह दूसरों को एक निश्चय में कम चला सकेगा ? शीर्ष की एकरूपता (एकसूई) के विभिन्न अंगों पर वही करण का यह अवसर नहीं है। वस इतना कहना काफी है कि ऊँचा शीर्ष उन्हींके प्राप्त होता है जिसके निश्चय में कुछ हूँता हो जिसका परामर्श हिनकर हो जो उचित आदेश दे सके और जिसमें विवेक भी हो जिसकी बात में कुछ मधुरता हो और जो दूसरों की स्थिति को इन मधुरता के कारण सहज

ही में समझ सकें। फिर जिसमें उन गुणों या विशेषताओं के लिए—जिन्हें यह विशेषताएँ समझता है—उत्साह और उमंग हो। अच्छे अध्यापक के लिए भावुकता-प्रधान जीवन में उदारता भी होती है, गम्भीरता और दृढ़ता भी। इसकी आत्मा में स्वल्प और सत्यता, रम्य और मौल्य, नेकी और पवित्रता, न्याय और स्वतंत्रता के प्रदर्शन (मजाहिरे) से—एक गमी पैदा हो जाती है, जिससे वह दूसरे दिग्गो को गरमाता है, और जिसमें तपा-तपाकर अपने शिष्यों के शील को खरा बनाना है।

शासक और शिक्षक का भेद

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना अच्छा है। वह यह कि अध्यापक अपने शिष्यों के शील को अपने प्रभाव में जो रंग-रूप देना है, उसमें शायद किसीको हुकूमत करने, शक्ति आजमाने, और जबरदस्ती करने का आभास मिले। क्योंकि हुकूमत करनेवाले भी दूसरों के इरादों को अपने अधीन बनाते हैं, और अध्यापक भी दूसरे के जीवन को अपने सपने पर चढ़ाने का प्रयत्न करता है, और दूसरों से अपने इरादे पूरे कराता है। लेकिन यह धोखा है। बात यों नहीं है। अच्छे अध्यापक में तो सत्ताधारियों और शासकों की प्रकृति का लेशमान भी नहीं होना। उसमें और इनमें जमीन और आसमान का अन्तर है। शासक सत्र करते हैं, यह सत्र करता है; वे मजबूर करके एक-ही राह पर चलाते हैं, यह आजाद छोड़कर साथ लेता है; एक के सामने है शक्ति और जबरदस्ती, दूसरे के हैं मूढत्व और विदमता, एक का कहना हर में माना जाता है, दूसरे का शोक से; एक हुकम देता है, दूसरा सलाह; वह मुद्राम बनाता है, और यह साथी।

अध्यापक और माँ

अच्छा अध्यापक एक अच्छा प्रवक्ता भी होता है, और ऐसी ही बहुत-सी छोटी-छोटी और विशेषताएँ भी रखता है। मगर इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनके जीवन की जड़ स्नेह की अजस्र धारा में अभिमंचित होती है। इसलिए यह वहाँ आशा लगाता है जहाँ दूसरे जी छोड़ देने हैं; वहाँ उत्तर खूँता है, जहाँ दूसरे धर जानें हैं, इमें वहाँ प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ दूसरे अन्धेरे की शिक्षावत करते हैं। यह जीवन के उपकरण को भी देखता है, लेकिन इसकी वजह से उनके उपकरण को भूँ नहीं जाना, और बड़े की महत्ता के साथ-साथ यह छोटे के महत्व की भी उपाशा नहीं करता। यह महापुरणों का-सा महान आदर्श मना अपनी आँखों के सामने रखता है, मगर नादान और वेपस बच्चे की ओर से जब मारी बुनियाद निरारा हो जाती है, तो दम दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके मन में अन्त तक आशा बनी खूँती है—एक उनकी माँ और दूसरा अच्छा अध्यापक।

गांधीवादी समाज-शिक्षा

के० एस० आचार्य

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शांति का न देश के सामने जो प्रमुख उद्देश्य रहा वह था अहिंसा के आन्दोलन पर समाज की पुनर्रचना करना। स्वराज्य प्राप्ति उनके लिए राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति का सत्य मात्र नहीं था बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक अछूत जीवन को उत्पन्न करने का मात्र मान था। गांधीजी एक समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें न दरिद्रता हो न अभाव हो न शोषण हो बल्कि व्यक्ति के विकास के विपरीत सामान्य उत्पन्न हो।

यह अहिंसक रचना निम्नोक्त विधियों से गयी जाती थी

१ ग्रामीण समाज की जासूदक-सांप्रदायिक उत्पत्ति को इसमें गांधी का सहयोग ही, उनमें सामूहिक उत्पत्ति के प्रति उत्साहवर्धित व सामाजिक न्याय व सुरक्षा की भावना पतन।

२ ग्राम समाज की सहायता करना यदि व अपने उपग्राम में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उद्योग कर गये स्वयं की विकास-योजना बना सकें व उन्हें कार्यान्वित कर सकें।

३ यह देखना कि मानना उनके जीवन की आवश्यकताओं—भोजन वस्त्र, निवास स्वास्थ्य व शिक्षा आदि—को पूरा कर सकें, साथ ही आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व वितरण को स्थानीय मानवों का उपयोग ही सके, क्षत्रीय स्वावलम्बन हा यथा व कार्य-विधि में ऐसा सुधार हो कि न तो मानव-श्रम का शोषण हो न काम में गलत लोप बर्बर हो पावे।

इस प्रकार की व्यापक क्रांति तभी हो सकती है जब कि लोगो ने इस स्वच्छ स स्वीकार किया हो तथा स्वयं इस परिवर्तन को लाने के लिए प्रयत्नशील हो। इसी दृष्टि में लोक-शिक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है।

इस समस्या की गहनता का तब अन्दाज हो सकता है जब कि कुछ मुद्दों का जो ग्रामीण समाज से सम्बन्ध रखने का, अध्ययन किया जाय।

गाँव की परिस्थिति

ग्रामीणों में गन्ना रोग एक रोग से ग्रस्त है जो कि उनके स्वास्थ्य या जीवनी शक्ति को सोखते रहते हैं तथा उनकी शक्ति व कार्य करने की इच्छा को समाप्त करते रहते हैं। गन्ना अवनतोगुणी कृषि पर निर्भर है या फिर भूमि में निम्नीय श्रमिका या हिम्नकारी के तौर पर बँधे हुए है। अनुपस्थित जमींदार इन असहाय अवस्था में उनका शापण करता रहता है। प्राकृतिक साधना व गैर-निम्नवाराणा विनाश के कारण प्रमश जगला का नाश, भूस्तरण, बाढ़ व नदिया-नागों का मिट्टी से भर जाना तथा पुन बाढ़ व विनाश—यह दूषित प्रम चाना ही रहता है। कई कुशल कारीगर जो जूना बनाने, कपड़ा बुनने, मिट्टी व बर्तन बनाने, लकड़ी व पत्थर में नक्काशी करने के काम में लगे हुए थे, फैक्टरी के बने मर्ने मामान से स्पर्धा न कर सकने के कारण या तो व्यवसाय की खोज में चल गये या परम्परागत धाना छोड़ बैठे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लोग इस भाग्य का फल मानते हैं, एक अमिट दुर्निवार कारण मान बैठे हैं। उन्हें पता नहीं कि न तो इन दुर्दशा को ईश्वरप्रदत्त माना जा सकता है, न यह अनिवाय ही है। लोग इतने आत्मी, निस्वामी परमुखापेक्षी हो गये हैं कि वे हर काम सरकार व माज्यम से करवाना चाहते हैं। सारी परिस्थिति बदल सकती है, और जीवन ज्यादा अच्छा हो सकता है, यदि लोग सजग हो जायें। कोई कारण नहीं कि दरिद्रता, अशिक्षा, रोग, आर्थिक शोषण, अभाव—य किसी समाज के अंग बने ही रहे। स्थिति में परिवर्तन लाना ही तो उसके लिए एक नयी दृष्टि तथा निश्चय, प्रयत्न व सहयोग की आवश्यकता है।

प्राचीन काल के गाँव

हमारी आज की-सी दुर्दशा अतीत में कभी नहीं रही। हमारा इतिहास ही दूसरा रहा है। मदा से ही भारत गाँवों का देश रहा है। एक जमाने में यही गाँव हमारी शक्ति, सुरक्षा व सुख के गढ़ थे तथा उनमें पर्याप्त स्वतंत्रता थी, स्वावलम्बन था। इतिहास की खोजें सिद्ध करती हैं कि भारत का पुराना गौरव उसके राजाओं व सामन्तवर्तीओं के कारण नहीं, बरन् लोगों के उद्यम व निश्चय तथा एक सुवर्द्ध सुसंगठित, आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के कारण था। प्राचीन काल का भारत एक परम साहमी, विपुल सम्पत्तिशाली राष्ट्र रहा। यह स्थिति अंग्रेजों के आगमन तक रही, उसके बाद गाँव की आर्थिक व्यवस्था विघटित हो गयी व गाँव शोषण के बंध लक्ष्य हो गये।

इमोजिन्, इसी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति की विरासत के आधार पर, गांधीजी इस निश्चय पर पहुँचे कि स्वराज्य का वास्तविक अर्थ गाँवों का नवनिर्माण है, ग्रामस्वराज्य यानी अहिंसा का जीना-जगता स्वरूप ।

गांधीजी की कल्पना का ग्रामस्वराज्य

गांधीजी की कल्पना के अनुसार, ग्रामस्वराज्य का अर्थ है, शोषण-विहीन, विवेन्द्रित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, सहयोग, मक्के लिए पूर्ण रोजगार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बल्ब, भोजन व निवास के क्षेत्र में ग्राम को स्वावलम्बी बनाने के लिए काम करेगा । गांधीजी ने कल्पना की थी कि गाँव छोटे-छोटे गण (रिपब्लिक्स) हों, जो कृषि व उद्योग में आत्मनिर्भर हों व अपने-आप में पूर्ण इकाई हो सकें । प्रत्येक ग्रामीण की शिक्षा, जन्म से मृत्युपर्यन्त की, नयी तालीम के आधार पर हो, प्रत्येक गाँव अपना भोजन व आवश्यक वपाम उगावे । उसके अपने चरागाह होंगे । यदि अतिरिक्त भूमि हुई तो द्रव्य उपज उगायो जा सकेंगे लेकिन मादक वस्तुएँ नहीं, जैसे—तम्बाकू, अफीम, गाँजा । बाँसों व प्रोडों के लिए गाँव का अपना सामुदायिक केन्द्र होगा, रंगमंच होगा, स्कूल होगा । सभी मुद्दों का निश्चय ग्रामसभा का होगा, वह भी लोगों की राय से (बहुमत में नहीं, वरन् उनकी वास्तविक इच्छा पहचान कर) । गाँव में शान्तिसेना होगी । गाँव के मकान स्थानीय साधनों से बने होंगे, परन्तु आक्कट जैसे अग्नेरवाले, बन्द हूँवाले नहीं । प्रत्येक घर में एक छोटा सब्जी व फल का बगीचा होगा । गाँव में एक पूजा-स्थान होगा, बाजार होगा, सट्कारी दुग्धशाला होगी तथा नयी तालीम की शाखा होगी ; झगडों को निपटाने की न्याय-पंचायत होगी । न कोई आत्मी होगा, न कोई खिलास में पडा रहेगा । यह ग्राम-स्वराज्य का नाश था, जो गांधीजी ने देश के सामने रखा था ।

संसदीय जनतंत्र की सीमाएँ

प्रस्तुत उद्यत्ता है कि अब ग्रामस्वराज्य लाने की इस द्वितीय कृत्ति को क्या आवश्यकता है जब कि एक समुचित वैन जनताधिक सरकार केन्द्र में है, जो कि ऐसे सविधान के आधार पर चर रही है जो कि आदर्श है व ऐसी परिस्थितियों में सहयोग के आधार पर मनुष्य-मन्त्रिक निर्माण कर सकता है । यह सही है कि हमारे यहाँ जनतंत्र है, परन्तु जनतंत्र प्रतिनिधित्व का है यानी हमारे अधिकार हमने सौंप दिये हैं । जनतंत्र की वास्तविक पञ्चायत यह है कि लोग इच्छित परिवर्तन को अपने प्रयत्न में लायें, इस हेतु आने में शक्ति उत्पन्न करें तथा अपनी समस्याओं को हल करें । बिना लोकशक्ति के कोई मनाज जीवित नहीं रह सकता । अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी संसदीय जनताधिक प्रणाली, जो दलगत राजनीति के आधार पर कार्य करती है जो कि केवट सत्ता हथियाने का खेल मात्र है, वह गांधी के सपनों का स्वराज्य तो नहीं ला सकती ।

सर्वविदित है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने, जिसके कन्वो पर नये समाज के निर्माण का भार था, संविधान में उल्लिखित इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन पंच-वर्षीय योजनाओं, सामुदायिक विकास व पंचायती राज को बनाया। परन्तु पंचायती राज के नियमोन्वियम ऊपर से बनकर आये, अतएव सत्ता उन लोगों के हाथों में रही, जो कि दिल्ली में बैठे थे। इसके परिणामस्वरूप स्वर्द्धा व दलगत झगड़े जो दिल्ली में थे गाँव में प्रतिबिम्बित होने लगे। गाँव-स्तर पर न तो विचार ही हुआ, न योजना ही बनी। सबसे प्रमुख समस्या भूमि की है, उसको तो दुआ तक नहीं गया। अब स्थिति इतनी गिर गयी है कि सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि पंचायती राज गिर जायगा यदि उसे केन्द्र से नहीं संभाला गया। सामुदायिक विकास की प्रयोजनाओं ने निम्न स्थिति के लोगों तथा साधनहीनों का कोई भला नहीं किया; उनका लाभ तो साधन-सम्पन्न लोगों ने ही उठाया। यहाँ तक कि भारत के प्रमुख राष्ट्रनिर्माता, नेहरू भी इन परिणामों को देखकर निराश हुए वगैर नहीं रहे तथा कहा कि राष्ट्र को नयी प्रेरणा व मार्गदर्शन के लिए गांधी की ओर मुड़ना होगा।

सर्वोदय की क्रान्ति कैसे होगी ?

गांधीजी को इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं था कि लोगों को जो स्वराज्य मिला वह यह स्वराज्य नहीं है जिसके सपर्प का नेतृत्व उन्होंने किया था। इसलिए उनके मन में एक और क्रान्ति की आवश्यकता थी, जनसाधारण के लिए आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, अहिंसात्मक क्रान्ति। यह सर्वोदय की क्रान्ति केवल एक ही विधि से हो सकती है, यानी लोकशक्ति जगाकर। सच्ची क्रान्ति तब होती है जब कि लोगों के मन में क्रान्ति के विचार जगें व उनमें नये मूल्यों का मृजन हो। यही गांधीवादी सर्वोदय-क्रान्ति का विचार विनोबा के ग्रामदान आन्दोलन में प्रतिबिम्बित हो रहा है।

ग्रामदान एक आर्थिक-सामाजिक क्रान्ति है, जिसमें ग्रामसमाज का प्रमुख बल व उत्तरदायित्व जाग्रत होकर ग्रामसमाज का विकास करेगा। यह क्रान्ति लोगों पर इन बातों के लिए जोर डालती है कि उन्हें अपनी समस्याएँ अपने चट-बूने पर ही हल करनी है, उनका बल्पाण उन्हींके हाथों में है, राजनैतिक दलों के नेताओं के नहीं, न शासन के हाथों में।

एक आधुनिक प्रशासन में राष्ट्रपति पियानोवाल्ड ने बताया है कि दखिना का निराकरण व्यक्ति व समाज में उद्देश्य जाग्रत कर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जनतंत्र का आधार लोगों का उसमें सीधा भाग व सर्वसम्पन्न निर्णय होना चाहिए। इन प्रकार के नये जनतंत्र के लिए नयी मानदोय तकनीक चाहिए, नये प्रकार का शिक्षण चाहिए।

प्रमिद्ध समाजशास्त्रवेत्ता पाठ गुप्तमन लिखत हैं भागीदारी का जनन एक माँग है कि हमारे जीवन को प्रभावित करनेवाले नियमों में हमारा भी भाग हो हम भी कुछ कह सकें। यह उमपद्वयि के विरोध में है जिसमें नियम ऊपर से आते हैं सामाजिक अभिव्यक्ति होना है सामूहिक व राजनतिक वकीकरण होना है अनुपस्थित स्वामित्व तथा सामूहिक प्रसार माध्यमों द्वारा समाज को वर्यता जाना है या अनुकूल वाद के लिए अनुकूल बनाया जाता है भागीदारी का जनन एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है वह यह है कि जा गेग किसी एक काय में लग्य हैं वे हा भीगीभीति जानत हैं कि उन कम किया जाय। सम्भावना यही है कि यह स्वतंत्र नियम अवश्य ही दक्षतापूर्ण साजपूर्ण सुदर व सव्य होना। प्रवृत्तिभूतक व आमविशालपूर्ण होना न समाज महत्याग अथ समूहा से विना अर्थिक ईर्ष्या या चिन्ता के होगा विना समाजिक अधिचार के या दवान की इच्छा के हाता। समाज प्रसार की समाज रचना भी सामूहिकतामयी होती है हम सभी काय करके ही समाज व तथा नागरिका को शिक्षण देने की विधि यही है कि वे कम भी हैं उन्हें शक्ति प्रदान करा। (यूनाके टाइम्स १४ जुलाई ६६) आज वेनगे का कथन है कि समाज प्रवृत्ति में सत्ता एवं उत्तरदायित्व के वितरण में काय अधिष अच्छा होगा लोगों की समक्ष अच्छा होगी इनके कारण स्वतंत्रता वडगी काम में लग जाने की भावना का विसराम होगा।

ग्रामदान की विशयताए

ग्रामदान का रहस्य है—भिन्न भिन्न प्रकार के ह्यया को मिगना—जिनकी दृष्टि अलग-अलग हैं मनोवृत्तियाँ अलग हैं। गाव में श्रमिक व जमादार व्यापारी व महाजन के साम्यी सम्बन्ध अधिश्चाम लोभ व शोषण के कारण पर बने होते हैं। ग्रामदान इस वस्तुस्थिति को वर्य देना चाहता है। वर्य सभी को ग्रामसभा में लाकर एकसूत्र में बाँटा है जिसमें श्रमिक अगता कम दते है जमीदार अपनी जमीन व महाजन अपने धन का अंश। प्रत्येक के धाने योने स्वाध्याय में सामाजिक क्रान्ति की धारा वर्य निकलती है। ग्राम-मनात्र मन्त्रिय होकर परिस्थितिवादी की सामूहिकता को समझने लगता है अपने आपके लिए सोचने के प्रति अग्रसर होता है तथा अपने सामाजिक-आर्थिक विसराम के लिए सोचने लगता है। इस भाँति यह नय मनोभासा मनोवृत्तियाँ व भूया की ग्रहण करता है। यह सब होता है मन की भावना से किसी बाह्य आदेश या निर्देशन से नहीं। यह गृहनामक-परिवर्तन केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसी दृष्टि से समाज-शिक्षण का मूल्य बहुत बड जाता है।

समाज-शिक्षा की परिभाषा

वास्तव में हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि 'समाज-शिक्षण' से हमारा तात्पर्य क्या है ? इस आन्दोलन के प्रारम्भ में प्रौढ-शिक्षा का अर्थ होता था प्रौढ़ों में निरक्षरता का अन्त करना । परन्तु आजकल प्रौढ-शिक्षा का अर्थ व्यावहारिक होता जा रहा है । कोठारी कमोशन (१९६६) ने इसकी परिभाषा करते हुए इसका उद्देश्य यह बतनाया है कि इसके द्वारा प्रत्येक प्रौढ को आत्म-विक्रम, जीवन-समृद्धि, व्यावसायिक दक्षता तथा सामाजिक-राजनैतिक जीवन में भाग लेने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए । इसकी विधि होगी प्रौढ़ों की निरक्षरता समाप्त करना, निरंतर शिक्षण, पत्राचार मात्र तथा पुस्तकालय का उपयोग । इस धारणा के आधार पर कि निरक्षरता राष्ट्र व समाज के विकास में बाधक है, कमोशन ने इस बात पर बल दिया है कि प्रौढ-शिक्षण व साक्षरता को राष्ट्रीय विकास-कार्यक्रमों में प्रथम स्थान देना चाहिए । साक्षरता-कार्यक्रम व्यावहारिक (फंक्शनल) होना चाहिए ।

मूल शिक्षण की परिभाषा

यूनेस्को ने एक नये पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया—मूल शिक्षण (फंडामेंटल एजुकेशन), जिससे उनका तात्पर्य यह है—एक ऐसा सामान्य शिक्षण जो कि अविश्वसित प्रदेशों के लोगों को अपनी समस्याओं को समझने में सहायता कर सके, उन्हें नागरिकों के अधिकार-कर्तव्यों का भान करा सके । क्योंकि इसमें समझने पर जोर दिया गया, अतएव एक अधिक व्यापक व्याख्या-जन्म "समुदाय-शिक्षण" प्रयोग में आने लगा, जिसका अर्थ न केवल नये ज्ञान, कौशल व मनोवृत्तियों के आधार पर व्यवहार-परिवर्तन है, वरन् उन्हें इस बात को सीखने में सहायता भी जाती है कि वे अपने आप की सहायता कैसे कर सकें ।

इन व्यापक व विस्तारपूर्वक शब्दों, पारिभाषिक व व्याख्यात्मक नाम-निष्पन्न के उपरान्त भी कार्यक्रम मूल रूप में वही है—निरक्षरता का उन्मूलन, साक्षरता-कार्य-वर्नाओं का प्रशिक्षण तथा प्रवृत्त व व्यवस्था सम्बन्धी इतर बातें । परन्तु ये सभी विधियाँ व कार्यक्रम मूल प्रश्न को अछूता ही छोड़े हुए हैं । ये गाँव के उच्चतर जीवन को गतिमान करनेवाले तत्वों को बढ़ावा नहीं देते ।

हिन्दुस्तानी तालीमी सच की एक मीटिंग (पूना १९४५) में गांधीजी ने अपने उद्देश्यों की इस प्रकार व्याख्या की थी—“जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा ।” समाज-शिक्षण का उद्देश्य है, मनुष्य की मूल आवश्यकताएँ पूर्ण हो, वह दूसरों के जीवन के बारे में अपना दायित्व समझे व जीवन को समृद्ध बनाये । गांधीजी ने नयी तालीमी की नवीन समाज-व्यवस्था की रचना में अप्रदूत के रूप में देखा, जिसका

प्रभाव बहुत आगे जानेवाला था। उनके मतानुसार शिक्षा जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चरनेवाली थी। नयी तालीम का उद्देश्य था नयी समाज-रचना, जिसका आधार था सहयोगी कार्य, सभी की भलाई के लिए। शिक्षा का अर्थ है एक विशेष प्रकार का जीवन जीना तथा इसी जीने के माय सोचना कि कैसे सहायी जीवन के द्वारा जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार नयी तालीम "समाज-शिक्षण" के उस मूल विचार के लगभग निकट आ जाती है, जिसका अर्थ केवल निरक्षरता-उन्मूलन नहीं, बल्कि व्यक्ति का विकास है, जिसमें वह अपने आत्म-सम्मान को जगा सके, अपनी गरिमा को पहचान सके व उसमें आत्मविश्वास पतये।

इस प्रकार देखा जाय तो गांधीजी का समाज-शिक्षण एक आर्थिक व सामाजिक शान्ति है, जिसमें लोगों का दृष्टिकोण बदलता है व वे अहिंसा के आधार पर नये मूल्यों की रचना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्राम-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए धनवान और गरीब, जमींदार व बटाईदार, जनमानस व वर्ग-विशेष, सभी अपने-अपने स्वामित्व का, अपनी योग्यताओं का व अपने कौशल का समुदाय के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं।

सर्वोदय-कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के शान्त व विनम्र प्रयोग मैकडो गाँवों में चर रहे हैं। कई स्थानों पर कुछ उपलब्धियाँ हुई हैं व समग्र विकास के कार्य हुए हैं। जमींदारों ने भूमिहीनों को वितरण हेतु भूमि दी है गरीब किसान महा-जनो के चगुठ (ऋणग्रन्थता) में मुक्त हुए हैं। ग्रामसभा की स्थापना हुई, जिसने सारे ग्राम के कल्याण का कार्य उठाया है। ग्राम-कोष की स्थापना हुई है, लघु सिंचाई-कार्य हुए हैं, स्वास्थ्य-सुधार अभियान हुए हैं, पीने के कुएँ बने हैं, न्याय की पचायतें बनी हैं, सर्वोदय-पाठ व शान्ति-सेना की स्थापना हुई है। अम्बर चरते चानू किये गये हैं प्रवृत्तिमूलक शिक्षा प्रारम्भ की गयी है। इस प्रकार ग्रामदान द्वारा ग्राम-मुननिर्माण कार्य की सम्भावनाएँ पल्लि होने लगी हैं।

ग्रामदान के मूल आधार

ग्रामदान की शान्त सामाजिक शान्ति में प्रभावशाली समाज-शिक्षण की क्षमताएँ भरी पड़ी हैं। उद्योग, कृषि, शान्ति-सेना, ग्रामसभा के कार्य के माध्यम से, समाज-शिक्षा की व्यवस्था करने से लोगों में वि्वास की भावना जगेगी, सहकारिता के भाव उत्पन्न होंगे, उत्पादन बढ़ाने की इच्छा जगेगी व सामाजिक जिम्मेवारी बढ़ेगी। ग्रामदान आन्दोलन एक जीवित रहने का कार्यक्रम है, जिसका आधार है सम्पूर्ण शिक्षण द्वारा राजनैतिक, सामाजिक मत्ता का विकेंद्रिकरण करना, गाँव के जनतंत्र की जड़ें मजबूत करना, आत्मविश्वास व स्वावलम्बन पतपाना। ग्रामदान समाजविज्ञानवेत्ताओं व समाज-शिक्षणशास्त्रियों के लिए एक चुनौती है। •

वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

सरलादेवी

सारी दुनिया के साधारण मनुष्यों का मूल स्वभाव और आकांक्षाएँ एक ही हैं—ये शान्ति से अपने परिवारों को पालकर शान्ति से ही रहना चाहते हैं। लेकिन सरकारों का स्वभाव—विशेषकर बहुमत और अल्पमत पर आधारित सरकारों का स्वभाव भी—एक ही है। समझ में नहीं आता है कि ये सरकारें क्यों जनता को बठपुतली की तरह नचाना चाहती हैं? दुर्भाग्यवश लगभग सारी दुनिया में जनता सरकार के द्वारा फँलायी हुई गलफहमियों में फँस जाती है। शायद यह इसलिए सम्भव होना है कि प्रेम और रेडियो सरकारों, राजनीतियों और पूजापतियों के हाथों में रहते हैं। ये लोग अपनी सत्ता और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जनता को भुलावे में डाल देते हैं।

धर्मों के दो अंश

जिस प्रकार पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न-भिन्न मार्ग होते हैं, लेकिन आखिर में ये सब मार्ग चोटी तक पहुँचते हैं, इसी प्रकार विभिन्न-विभिन्न धर्म भी विभिन्न विभिन्न नामों से ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन वह ईश्वर एक ही है। इसी प्रकार सब धर्मों में दो अंश होते हैं, एक स्थायी जो हमेशा के लिए सही रहता है, और दूसरा अस्थायी, जो विशेष व्यावहारिक परिस्थितियों में लाभदायक होता है, लेकिन जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए, ऐसा माना गया है। दुर्भाग्यवश जब धर्म किसी पुरोहित वर्ग के हाथ में पहुँचता है तब ज्यादातर उसका शाश्वत अंश लुप्त हो जाता है। और लोग अस्थायी अंश से चिपक जाते हैं। इसमें विभिन्न धर्म मुख्य रूप से एक होने पर भी ऐसा मालूम होता है कि ये भिन्न हैं, बल्कि परस्पर-विरोधी भी हैं। विनोबा जी जो आजकल सब धर्मों का सार प्रकाशित कर रहे हैं, यह इस बात को समझने के लिए एक बहुत आवश्यक तथा उपयोगी दिशा-निर्देश है।

रावी के एक भाई ने एतराज उठाया कि हिन्दू धर्म में और ईसाई और मुस्लिम धर्मों में किसी प्रकार का मेल-मिलाप नहीं हो सकता है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्मों की जड़ पुराने सुसमाचार (ओल्ड टेस्टामेंट) में है, और इसमें लिखा है कि तुम्हें गाय का मांस खाना चाहिए, जहाँ हिन्दू धर्म में गाय को गो-माता के रूप में पूजते हैं, और कोई भी उसका मांस नहीं खाना है।

एक भ्रामक दृष्टिकोण की सफाई करना बहुत आवश्यक है। वास्तव में उपरोक्त दोनों दृष्टिकोण प्राकृतिक परिस्थिति की वजह से उत्पन्न हुए हैं, और इस परिस्थिति का सही चिन्ता कहा भी नहीं जा सकता है।

आहार की नैसर्गिक परख

सर्वप्रथम हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य के शरीर की बनावट मांसाहार के उन्मुक्त है या निरामिष आहार के? मनुष्य की आँतें घास खानेवाले पशुओं की आँतों की तरह लम्बी हैं। गोमूत्र की बनिम्बत वनस्पति को हजम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए घास खानेवाले पशुओं की आँतें लम्बी होती हैं। मांस खानेवाले पशुओं की आँतें छोटी होती हैं, क्योंकि पाचन-रस मिश्रण के बाद मांस बहुत जल्दी हजम होना लगता है, और यदि वह ज्यादा देर तक आँतों में जमा रहता है तो सड़ने लगता है।

मांस खानेवाले (शिकारी) पशुओं के दाँत तीव्र और मांस पाड़ने के लायक होते हैं। घास खानेवाले जानवरों के दाँत दूसरे किस्म के होते हैं। मनुष्य के दाँत घास खानेवाले जानवरों के दाँतों जैसा लगने हैं। मनुष्य के मुँह में गोमूत्र पाड़ने लायक दाँत नहीं हैं। इसमें स्पष्ट है कि निर्मग की दृष्टि से मनुष्य निरामिषाहारी प्राणी है।

यहूदियों की भौगोलिक परिस्थिति

यहूदी लोग शुरू में रेगिस्तान में रहनेवाले खाला थे। रेगिस्तान में कहीं-कहीं नखलिस्तान होते हैं, जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। वहाँ पर खजूर और अजीर के माष-माष अनाज भी पैदा हो सकता है, लेकिन लोग ऐसी नखलिस्तानों में बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं। उन्हें ज्यादा समय चारे की खोज में रेगिस्तान में घूमते ही रहना पड़ता है। वहाँ पर मनुष्य के खाने के लायक कुछ पैदा नहीं होता है, और जानवरों का चारा भी मिश्रण दुर्लभ ही होता है। अपने पशुओं (ऊँट, भेड़, बकरो) का दूध, दही और पनीर खाते हैं। लेकिन पशुओं में नर दूध भी नहीं देते हैं, बच्चे भी नहीं देते हैं, और चारा उन्हें चाहिए। अल नर के पाड़ने में अल्प चारे पर एक बंश पड़ता है। इसके साथ धी, दूध और पनीर से मनुष्य की सुराक पूरी नहीं होती है। जानवरों को मारकर खाना एक

उपाय हो सरता था, लेकिन मनुष्य का स्वभाव गोश्ल खाने के अनुकूल नहीं है। इसके सिवाय, जो जानवर हमारे बीच पैदा हुए हैं और जिन्हें हमने वनस्पत से ही प्रेम से पाला हो, उन्हें मारकर खाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य और जानवरों की खुराक के दृष्टिकोण से मांस खाने के प्रति एक धार्मिक आदेश की आवश्यकता थी। वह मिला गया। यहोवा ने आदेश दिया कि 'पुर' वाले जानवरों को मंने मनुष्य की खुराक के लिए पैदा किया है, ऐसा हम बाइबिल में पढ़ते हैं।

परिस्थिति-परिवर्तन का प्रभाव

बाद को जब यहूदी लोग 'वायदा के देश' (Promised land) में बस गये, तो उनका गर्व था कि वहाँ 'दूध और शहद की नदियाँ' बहती हैं। उन्होंने बहुत गर्व में उस देश को आयाद करने, उसमें धन्न और फल के उत्पादन को शुरू कराया। उग परिस्थिति में खुराक के बारे में, धीरे-धीरे उनके विचार बदल रहे थे, यह सन पाठ की उस उक्ति में स्पष्ट है कि 'यदि तुम्हारा गोश्ल खाना तुम्हारे पड़ोसी को खुरा उगता हो, तुम गोश्ल मत खाओ।' याने उस देश में तब कुछ लोग गोश्ल नहीं खाते थे, यह दसमें स्पष्ट है। जैसे ही खुरवाले जानवरों में भी ईसाई लोग नर को खाने हैं, मादा को नहीं खाते हैं। मुस्लिम लोग ज्यादातर रेगिस्तानी देशों में रहे हैं, इसलिए वे स्वभावतः ज्यादा गोश्ल खाते हैं। लेकिन इन सब कौमों में भी कोई भी घोड़े का मांस नहीं खाता है। उसका मुख्य कारण यह होगा कि घोड़े और घोड़ी, दोनों वहाँ वाहन के काम में आते हैं।

भारत की परिस्थिति भिन्न थी। यह एक बहुत विशाल देश है। यहाँ की पुरानी सभ्यताएँ नदी के किनारे बसी हुई थी। नदियों के किनारे अनाज, तरकारी, फल-फूल पैदा करना आसान और सस्तर था। चरागाह काफी था। कृषि में बैल का उपयोग होता था। गोमाता से दही, दूध, घी मिलता था। कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता थी। अतः धर्म का उपदेश हुआ कि गाय को मारना पाप है।

नयी चुनौतियाँ

आजकल हमारे देश की परिस्थिति बदल गयी है। भूमि पर आबादी का दबाव है, आमदनी देनेवाली फसलों का प्रसार बढ़ता जा रहा है, जंगल बट गये हैं, और अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि या अल्प वृष्टि की वजह से हमारे सब पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन हो गया है। उन सब कारणों से आजकल गोपालन धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक कार्य हो गया है।

बूढ़ी गायों को कौन पालेगा ? यह परिस्थिति गोवध आन्दोलन करनेवालों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या 'गोवध-बन्द' आन्दोलन करनेवाले अपने-अपने

घर में एक-एक बूढ़ी गाय पालने की तैयार हैं ? क्या वे गाय के दूध और गाय के घी के ब्रत को पालकर भैंस का घी या वनस्पति को छोड़ने को तैयार हैं ? क्या गौभक्त नस्ल-सुधारक दृष्टिकोण से अच्छे सांड, पौष्टिक चारा इत्यादि दूध बढ़ाने वाली योजनाओं के प्रसार के सिन्सिने में सक्षम हैं ? क्या ये बूढ़े गाय-बैंगे के लिए जंगलों में गौ-मदनो की स्थापना, तथा उसके साथ उनके मृत शरीरों के एक एक अंग का सदुपयोग करने की दृष्टिकोण से कुछ सोच रहे हैं ? या गोनता से बुढ़ापे में धीरे-धीरे भूखो भरता पड़ेगा ?

आजकल की गायों की गिरी हुई हालत में यदि हम गोरक्षा करना चाहते हैं गोवश को बचाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है और वह यह है कि भारत में गो उपासना के द्वारा गोपालन में स्पष्ट और शुद्ध आर्थिक लाभ हो। आजकल गोपालन में आर्थिक हानि है—आर्थिक दृष्टिकोण से लोग भस को पालते हैं गायों को सिर्फ इसलिए पालते हैं कि उन्हें उनके बछड़ों की आवश्यकता है। जबतक गोपालन में आर्थिक हानि कायम रहती है तबतक हम किसी प्रकार में गाय को बुरी तरह मरने से या कटने से नहीं बचा सकते हैं।

विश्व परिस्थिति का संकेत

आर्थिक दृष्टिकोण से मासाहारी खुराक पैदा करने के लिए ज्यादा जमीन और ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है वनस्पत शाकाहारी खुराक के। इसलिए दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और पानी की घटती हुई मात्रा को देखते हुए लगता है कि अब दुनिया को ज्यादा-से-ज्यादा शाकाहार की ओर बढ़ना पड़ेगा।

मासाहार और शाकाहार के बीच जो धार्मिक भेद दिखाई देते हैं वे वास्तव में धार्मिक नहीं हैं। ये भेद इसलिए खड़े होने हैं कि हमने धर्मों के अस्थायी अंश को स्थायी माना और उन चेतना दृष्टि में नहीं बलित जब दृष्टि से ही देखा है।

हिन्दू लोगों के सामने यह चुनौती है कि यदि वे गोव्रत को रोकना चाहते हैं तो उन्हें गाय का आर्थिक मुकसान उठाना पड़ेगा, और गो-उपासना को एक लम्बी गम्भीर और सशक्त योजना बनानी पड़ेगी। उन्हें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हिन्दू धर्म माननेवालों में भी कई ऐसी जातियाँ हैं जो परम्परा में गोव्रत खाती हैं। सब गोव्रत खानेवाली जातियों के सामने भी यह चुनौती है कि दुनिया की वर्तमान नैसर्गिक परिस्थिति में गोव्रत खाना कहाँ तक उचित है ?

यह प्रश्न वास्तव में आर्थिक और व्यावहारिक है न कि धार्मिक या सांप्रदायिक। यदि इस धृति से सब प्रश्नों पर विचारने की आदत बने तो दुनिया में बहुत कम ऐसे विषय रहेंगे जिन पर मौलिक मतभेद रहने की संभावना है।

श्री रा० शंकरन् से एक भेंट

गुरुशरणा

गांधीजी के पुण्यधाम सेवाग्राम में अन्तेवामियों का एक शिविर आयोजित हुआ तो शंकरन्जी से अनायास भेंट हो गयी। पन्द्रह साल पहले सेवाग्राम में मैं जब विदेशियों को हिन्दी सिखाने का काम करता था तो बड़ा हिन्दीवालो को तमिल भाषा सिखाने का काम मुझमें भी अधिक रचि में किया करते थे।

बंग के मद्रास और आज के तमिलनाडु प्रदेश के संजीर जिले के नागपट्टणम् नामक स्थान में सन् १९०१ में उनका जन्म हुआ। सन् १९१९ तक इण्टर की पढाई, फिर पाँच साल वही जन्म-स्थान पर शिक्षक रहे। उसके बाद आठ साल तक बम्बई की विभिन्न व्यापारिक कम्पनियों में एकाउण्टेण्ट का काम करते रहे। तदनन्तर पाँच साल तक बम्बई में और फिर पाँच साल तक मद्रास में हिन्दी-प्रचार का काम करने के बाद सन् १९४२ से शंकरन्जी सेवाग्राम में ही रह रहे हैं। बीच में सन् १९५० से १९५३ तक कुछ समय शरणार्थियों के बीच सेवाकार्य के लिए फरीदाबाद गये, पर वहाँ से आकर सेवाग्राम में ही रहकर शिक्षण-कार्य करते रहे और अब ६८ वर्ष की अवस्था में नौकरी में निवृत्त होने के बाद भी तमिल सिखाने की सेवा में तन, मन, और धन, तीनों में प्रवृत्त हैं।

प्रश्न : गांधीजी को आपने तमिल कैसे सिखायी ?

उत्तर : सन् १९३१ से १९३६ तक मैं बम्बई में हिन्दी-प्रचार का काम करता था। उसी समय सन् १९३५ में "मणिभवन" में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गांधीजी से मिलने गया। उन्होंने केवल १० मिनट का समय दिया। हम लोगों की

हिन्दी-सेवा से वे प्रसन्न हुए और कहा कि अच्छा काम है, लगातार करते रहना चाहिए। तभी से उनके परिचय हो गया।

इन्दौर के साहित्य-सम्मेलन में मैं गांधीजी के साथ था। उस समय इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसी हिन्दी होनी चाहिए जो आम लोगों में बोली जाय और समझी जाय तथा देवनागरी और उर्दू, दोनों लिपियों में लिखी जाय।

बम्बई में भारतीय साहित्य परिषद् बनी तो मैं श्री वे० एम० मुशी के सम्पर्क में आया। उन्ही दिनों 'सिवासदन' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुशी प्रेमचन्द बम्बई आये हुए थे। उन दिनों मेरा उनका काफी साथ रहा। पूरे एक साठ तक हम दोनों अक्सर मिलते रहे।

बम्बई के बाद मैं मद्रास आया और मई १९३७ में १९४२ तक, ५ साल मद्रास रहा। उन दिनों हमारी हिन्दी-पढाई की कगार बहुत लोकप्रिय हो गयी थी। बाबुसाहेब खेर भी पढ़ने आने थे। उनका लडका भी उनके पाम बँटकर पढ़ता था। उन्होंने पाँच परीक्षाएँ भी पाम की। बाद में तो वे मंत्री हो गये थे। फिर भी उनके मन में हिन्दी-प्रेम आखिर तक रहा। आज़कल दक्षिण में जो हिन्दी-विरोध है, वह केवल राजनीतिक है। सामान्य लोग हिन्दी की कद्र करते हैं। मद्रास में कलिका मेरे पाम पढ़ता था। श्रीमती एम० एम० सुब्बाय्यमी हिन्दी सीखनी थी, बाद में तो वह सिनेमा-जगत की ऊँची कलाकार हुईं। हिन्दी-प्रचार के साथ-साथ मुझे हिन्दीवादी को तमिऴु निम्बाने की प्रेरणा हुई और फिर गांधीजी जैसे तमिऴु सीखनेवाले मिले, तो क्या कहना!

प्रश्न गांधीजी ने तमिऴु भाषा किस तरह सीखी? उन्हें क्या कठिनाइयाँ आयीं?

उत्तर : वहाँ में जब नयी तालीम का काम शुरू हुआ तो श्री आर्यनाथकम्जी मुझे यहाँ ले आये। मैं सेवाग्राम में २५ जुलाई १९४२ को आया। १ अगस्त १९४२ को गांधीजी सेवाग्राम में 'नयी तालीम भवन' का उद्घाटन करने आनेवाले थे। तब मैं यही था।

सन् १९४६ में आशादेवी आर्यनाथकम् के साथ शरणार्थी-शिविर में फरीदाबाद गया। वहाँ भी नयी तालीम का काम शुरू किया। उसके बाद फिर सेवाग्राम लौट आया। तब से यही पर हूँ।

सन् १९४४ के अक्टूबर माह में गांधीजी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से एक माह का समय निकाला और कहा कि आधा घण्टा रोज तमिऴु भाषा सीखेंगे। तो मैं उनका तमिऴु-शिक्षक बना। वह तमिऴु पहले में थोड़ी-सी जानते थे। उसकी पढ़ने के साथ-साथ उन्होंने लिखने का अभ्यास कराया। सन् १९४६ में जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की हीरक जयन्ती मनायी जानेवाली थी तो गांधीजी

मद्रास गये। वहाँ वे २० दिन रहे और मुझे भी साथ ले गये। उस समय मेरी उनके साथ निवृत्तता आयी। उनके साथ ट्रेन में जाते समय दान में मिले पैसों की जिम्मेदारी तथा सूत की गुण्डियाँ आदि रखने का काम मेरे जिम्मे था।

गांधीजी ने सन् १९४५ में एक बहुत बड़ी बात शुरू की कि वह जन भी मद्रास के लिए पत्र लिखते थे तो प्रायः मुझे बुलाकर तमिल में लिखने को कहते। वे तमिल बोल लेते थे, समय भी लेते थे। पर लिखाते तमिल भाषा-भाषी स थे। जिना साहब को जब कभी पत्र लिखाना होता तो हमेशा उर्दू में लिखाते थे। भिन्न-भिन्न भाषाओं में उनका पत्र-व्यवहार चला करता था।

प्रश्न : गांधीजी को सिखाने के बाद, क्या अभी भी आपकी तमिल मिखावन चल रही है ?

उत्तर : संवाग्राम-वर्षा के जिज्ञासु कार्यकर्ताओं को तमिल सिखाते समय मेरे पास १२ पाठ तैयार हो गये थे। उनका संग्रह करके उन्हें टाइप कराया और कुछ मित्रों को वे पाठ दिये तो लोगों को बहुत पसन्द आय। जब मैं वाराणसी के ग्राम-इकाई विद्यालय के 'आडिट' के लिए गया तो सन् १९६४-६५ में वहाँ भी तमिल पाठ पढाये। सिट्टराज डड्डा तथा कुछ अन्य कार्यकर्ता हमारे तमिल पाठ में आया करते थे। पढाते-पढाते धीरे-धीरे पुस्तक ही तैयार हो गयी। काकासाहब कालेलकर ने उसकी प्रस्तावना लिखी। गांधी स्मारक निधि ने उसे छपाने के लिए ६०० रु० की आर्थिक सहायता दी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने उसकी प्रशंसा की और २५० रु० भेजे।

केन्द्रीय हिन्दी निर्देशनालय दिल्ली में भी मैंने तमिल पाठ पढाये। विनोबाजी को भी तमिल सिखाने का मुझे मौभाग्य मिला है। आज भी जब विनोबाजी से भेंट होती है तो मुझे देखते ही वे तमिल में बात करते हैं। इस तरह हिन्दीवालों को तमिल सिखाने का काम आज भी चल रहा है।

शकरन्गों से जो भेंट-वार्ता चली, उसमें उनके कर्तृत्व के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का भी सहज परिचय आ जाता है। उनकी लगन और निष्ठा निस्सन्देह अनुकरणीय है कि ६८ साल की उम्र में भी वे निरन्तर अपनी धुन में लगे हुए हैं, जिस देखकर मेरे जैसे आलसी आदमी को भी तमिल सीखने की प्रेरणा हुई और यह विश्वास हुआ कि तमिल भाषा सीखी जा सकती है। उत्तर भारत के लोगों ने गुलामी के दिनों में तो दक्षिण की भाषाएँ नहीं ही सीखी, पर आजादी मिलने के बाद भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि गांधीजी की वान मानकर उत्तर भारत में दक्षिण की भाषाएँ सीखने का सिद्धसिद्धा नित नूतन धड़ता तो आज स्थिति दूसरी ही होती।



सम्पादक के नाम चिट्ठी

उत्तरप्रदेश में तमिल सिखाने की योजना

इस विचार का मन में आना ही एक शुभ लक्षण है कि उत्तर भारत में, खासकर हिन्दी प्रान्तों के स्कूलों में दक्षिण की एक भाषा सिखायी जाय। हिन्दी के प्रति घोर विरोध और राजनैतिक दाँव-पेंच के कारण यह सद्विचार आया। फिर भी अमल में लाने के बारे में सच्चाई से कोई कार्य किया जायेगा, ऐसा नहीं दोखता था। अब उत्तरप्रदेश के शिक्षा-मंत्री की एक घोषणा अखबारों में निकली है कि 'भाषाभी जुलाई से उत्तरप्रदेश के स्कूलों में दक्षिण की एक भाषा अनिवार्य रूप से सिखायी जायेगी।'

दक्षिण भारत के चारों प्रान्तों में वहाँ की कांग्रेसी सरकार ने सन् १९३७ में स्कूलों में हिन्दी की अनिवार्य पढ़ाई शुरू की। आज ३२ साल बाद प्रतिनिया के रूप में उत्तरप्रदेश में दक्षिण की भाषाओं का आदर होने लगा है। भारतीय सर्वांगीण एकत्व को मानकर हिन्दी का प्रचार शुरू हुआ। क्या वह एकत्व केवल राजनीतिक एकत्व ही रहे ?

दक्षिण भारत में हिन्दी को अनिवार्य करते समय से ही विरोध भी शुरू हुआ था। उस विरोध का कांग्रेसी सरकार ने अपने दण्डबल से सामना किया। उसी नीति ने सन् १९६७ में कांग्रेस को पूरी तरह से नष्ट-भ्रष्ट किया। लोगों को बड़ा अचरज होता है, लेकिन इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, वहाँ के कांग्रेस का सबसे कमजोर कार्यक्रम हिन्दी का था।

जरा सोचिए तो सही, स्कूलों में बच्चों पर हिन्दी को लादा गया। हिन्दी के लिए अग्र्य शिक्षक रचे गये। दूसरे सब शिक्षक हिन्दी के प्रति उदासीन रहे। चारों तरफ अग्रजी का प्रभुत्व था, ऐसी हान्त में हिन्दी शिक्षण में तेज कैसे आता ? इस 'अनिवार्य हिन्दी शिक्षण' से हिन्दी कमजोर हुई और माय-साथ उसे राजबल से चलानेवाणी कांग्रेस भी कमजोर हुई। हवा के एक झोंके में उसका सारा-का-सारा दाँवा बाजू के महल जैसा गिर गया।

दूसरा भी एक पहलू है जिस पर तटस्थ भाव से विचार करना है। डी० एम० के० दल का हिन्दी का विरोध एक निमित्त मात्र था। वे भारतीय एकत्व को भी नहीं मानते थे। उनके दिल में द्वेष और स्वायत्तता थी। सारे देश के स्वराज्य की कल्पना उनमें नहीं थी। आश्वय की बात तो यह है कि इस विरोध के बारे में किसीने गांधीजी से सलाह-मशविरा नहीं किया। किसीको भी यह विन्ता नहा थी कि इस अनिवाय हिन्दी के कारण न केवल पैसे और श्रम दोनों बरबाद होते थे, बल्कि एक तरह का दम चारों तरफ फैल रहा था।

सब प्रान्तों में हिन्दी प्रचार हुआ। क्या उससे हिन्दी समर्थ हो सकी? इस क्षण विस्तार में हिन्दी भाषा भाषी ने क्या कुछ पराक्रम दिखाया? भारत की सब प्रमुख भाषाओं को सीखने के लिए अग्रजी में पुस्तकें पिछड़ी शताब्दी में ही तैयार हो गयीं। तमिल का व्याकरण सन् १८५५ में लंदन में छपा। उसीकी मदद से गांधीजी ने सन् १८९३ में तमिल सीखी थी।

सन् १८७५ के करीब श्री कालङ्क्या ने दक्षिण की चारों भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण अग्रजी में लिखा। कमजोर रोमन लिपि में भारतीय भाषाओं का रूपान्तर करने के तरीके निकाले गये।

देश स्वाधीन हुआ तो हिन्दी का बोलबाला शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह था कि क्या हिन्दी द्वारा भारतीय भाषाओं को सीखने की उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं? सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर छोड़कर हिन्दी प्रांत के नेतागण हिन्दी साम्राज्य का स्वप्न देखते रहे। समूचे भारत के भिन्न भिन्न प्रादेशिक गाँवों के नाम तथा स्त्री-पुरुषों के नाम इन दोनों को देवनागरी में ठीक-ठीक लिखना ही तो काफी समय और मेहनत लगेगी। नामों को अंग्रजी में जैसे दिगाड़ा उसी तरह हिन्दी में अपना लिया। अंग्रज साम्राज्यवादी थे। देश गुलाम था। लेकिन स्वतंत्र देश में यह लागूवाही कस चल सकती है?

ऐसी परिस्थिति में आज एक शिक्षा मंत्री अपने प्रांत में स्कूलों में दक्षिणी भाषाओं को प्रवेश करने का शुभारम्भ करना चाहते हैं यह खबर आशाजनक है और मोहक भी। उसके लिए एक व्यावहारिक योजना लेखक ने बनायी है। भाव शक्ति है कि उस पर विचार-विनिमय हो और यथाशीघ्र अमल भी हो। उत्तर प्रदेश का अनुकरण करके अन्धाय प्रांत भी यह कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं।

उत्तरप्रदेश के किसी एक-दो स्थान (लखनऊ जिलाहाबाद) में वहाँ के हार्ड स्कूलों के स्थानीय शिक्षकों की मई और जून महीने में ही तमिल सिखाने की व्यवस्था की जाय।

शिक्षकों के लिए तमिल के प्राथमिक शिक्षण हेतु नागरी लिपि और हिन्दी भाषा में लिखे गए एक किताब तैयार है। इसी पुस्तक को तमिल लिपि में भी प्रकाशित किया गया है, ताकि तमिल भाषा का परिचय होने के बाद उसकी लिपि भी आसानी से सीखी जा सके। और पुस्तकों के लिए भी मॉडल तैयार है।

उपरोक्त दोनों किताबों के अध्ययन के पश्चात् उन शिक्षकों को तमिल के विशेष ज्ञान के लिए मदुराई युनिवर्सिटी में तीन महीने के लिए भेज सकते हैं। उम युनिवर्सिटीवाले ने एम्पी मदद करने के लिए अपनी तैयारी बतायी है।

शिक्षकों के परिष्कार केंद्रों में भी तमिल सिखाने की व्यवस्था की जाय और इसके लिए तमिलनाडु के ही कुछ शिक्षकों को बुलाया जाय। इस तरह तमिल सीखे हुए शिक्षकों को भी मुंबईवाले कुछ समय के लिए मदुराई में प्रशिक्षण दिलाया जाय। दक्षिण भारत में हिन्दी को अतिवाच्य करने समय इसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रशिक्षण केंद्रों में भी हिन्दी दाखिल हो।

नागरी लिपि द्वारा तमिल सीखने के बाद तमिल लिपि द्वारा तमिल भाषा निखाना आसान होता है, ऐसा अनुभव संसिद्ध हुआ है। इसलिए दोनों लिपियों में किताबें तैयार करवाकर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की गयी है।

—रा० शंकरन्
तमिल-नागरी प्रचार केंद्र सेवासाल, वर्धा (महाराष्ट्र)

[पृष्ठ ४४० का शेष]

करते हैं या बचरता की। सुदा के नाम पर ऐसा न होने दीजिए कि इस मुल्क में सम्पत्ता की सुनियारें शांति भंग हो जायें।"

मैंने उनके शब्दों का विचार से इसलिए उद्धृत किया है कि उनका न देश आज भी तरोताजा है और आज के राजनीति के आकाश के सितारों को भी उनके मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रखने की जरूरत है।

जो इतना सक्ति, मृज्जनशील, शिष्ट, निर्भय, सयवादी, समर्पित और राष्ट्र द्वारा माय या ऐसे आदर्शों की जिन्दगी को कहानी वस्तुतः सबके लिए प्रकाश और वासोत है। (मूट अंग्रेजी में)

(धो ए० जी० वरानो द्वारा लिखित डा० जाकिर हुसैन की जीवनी की प्रस्तावना ।)

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष : श्री एस० जगन्नाथन्

लोकसेवक की परिभाषा में यह कहा गया है कि लोकसेवक वह है जो अपना अधिकार समय भूदान-ग्रामदान आन्दोलन को दे श्री एस० जगन्नाथन् जो हाल ही में सर्व सेवा संघ के नये अध्यक्ष संघ के तिस्तुति अविवेशन में चुने गये हैं का सारा ध्यान इस आन्दोलन की ओर लगा हुआ है। वे इस आन्दोलन में इतने तन्मय हो गये हैं कि स्वप्ना में भी इस आन्दोलन की साकार करने के प्रयत्न किये करते हैं। उनको मुख्य विन्ता भूमिहीनों की समस्याएँ हैं। वे स्वप्न देखनेवाले व्यक्ति नहीं हैं बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्रिया में पूर्ण विश्वास है। अजुन के बारे में कहा जाता है कि जब उनके गुरु ने उनसे निशाना लगाने के पूर्व यह पूछा कि तুম क्या देख रहे हो तब अजुन ने कहा था कि सिर्फ मछरों की आँख, जिस पर निशाना लगाना है और कुछ नहीं। श्री जगन्नाथन् में उसी अजुन की छाप है जो ग्रामदान आन्दोलन में सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देखते हैं उनका ध्यान जरा भी विचलित नहीं होता। वे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। आन्दोलन के प्रति उनकी इस गहन निष्ठा ने ही उन्हें आन्दोलन में उगे उनके सभी साथियों के इतने निश्चल ला दिया है।

वे अपने-आपको आन्दोलन के प्रयत्न काय में लगा एक कायकर्ता मानते हैं। जब उन्होंने गांधीग्राम की स्थापना रामचन्द्र दम्पति के साथ की तब उनका मुख्य काय कायकर्ताओं का संगठन खड़ा करना था। कायकर्ताओं के वसी संगठन से वे प्रेरणाएँ और नयी स्फूर्ति ग्रहण करने जाते हैं। उनमें नेतावा का दिखावा नहीं है। उन्होंने कायकर्ता और जनता का तादात्म्य साधा है और यही उनके विश्वास तथा शक्ति का स्रोत है।

रामेश्वरम् के पास रामनाथपुरम् जिले के मंगरपचाई नामक छोटे में गाँव के एक सम्भ्रान्त परिवार में आपका जन्म सन् १९१४ में हुआ था। १८ वर्ष की अवस्था में जब वे अमेरिकन कालेज मद्रुराई में इंटरमीडिएट के छात्र थे उन्होंने अपने जीवनकाल का करण कर लिया। उन्होंने कानन छोड़ दिया और



एस० जगन्नाथन्

आज काम कर रही है। बंगलोर में उन्होंने छात्रों के साथ काम किया। उससे प्रेरित होकर वाशिंगटन नदी के तट पर म्दुराई में उन्होंने एक छात्रावास चलाया जिसमें मुख्यतया हरिजन छात्र थे। सन् १९४२ के आन्दोलन में आप और भी सक्रिय हुए। फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में उनका सम्पर्क राष्ट्र के कई राजनैतिक नेताओं और रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले कार्यकर्ताओं से हुआ, जिससे उनके विचारों में मर्यादा आयी।

स्वतंत्रता के बाद वे रचनात्मक कार्यक्रमों में लग गये और गांधीग्राम की स्थापना में श्री जी० रामचन्द्रन् और डाक्टर सौन्दरम् की सहायता की। उनका योगदान यह था कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के विचारों के निर्माण में सहयोग दिया और किसानों के संगठन गांधी किसान संघ की स्थापना की।

भूदान-आन्दोलन जब ग्रामदान चरण पर पहुँचा, तब श्री जगन्नाथन् अग्रणी बनार में थे। उन्होंने मध्यम तन्त्रिणाडु की यात्रा ही नहीं की, बल्कि ग्रामदान आन्दोलन को म्दुराई और निरुत्तर प्रदेश जिलों में व्यापक बनाया। श्री जगन्नाथन् के मन में सामाजिक न्याय के प्रति जो सम्मान था, उसीने मंत्रियों के मन्तव्यशास्त्र द्वारा किये जानेवाले अपाचारा के विरोध में आन्दोलन कर दिया, जिससे उन्हें बन्धन पट्टी में संयाप्त करना पड़ा। उस देश के सभी विद्वानों ने इन सत्याग्रह में

स्वतंत्रता-संग्राम में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्हें अपने कालेज के बगल में एक शराब की दुकान पर धरना देने के आरोप में तीन महीने की जेल की सजा हुई। जेल से लौटने के बाद अपने अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध, जो यह चाहते थे कि वे अपना अध्ययन जारी रखें वे तिरुपत्तूर में क्रिस्तकुल आश्रम में चले गये। यहीं से उनका पत्र-व्यवहार गांधीजी से शुरू हुआ। बाद में वे बंगलोर आ गये और वहाँ के छात्रों में सक्रिय रूप से काम किया। उनके ग्रीष्मकालीन शिविरों का संचालन किया। वे दीन सेवा संघ के विकास में भी सहायक रहे जो एक फलती-फूलती संस्था के रूप में

भाग किया। समय समय पर होनेवागी भूगन ग्रामदान की पदयात्राआ ने विशेष कर सर्वोदय-रूप में श्री जगन्नाथन् का किसानों क साथ निकटनम सम्पन कराया। ग्रामदान-सूभान की चुनौती ने तमिलनाडु के सर्वोत्थ फायकताओं को एक बार पुन सक्रिय कर दिया और उन्होंने श्री जगन्नाथन् क नृ व म प्रालदान का सकल किया। तत्र से तमिलनाडु म सघन प्रयत्न चल रहा है और सफ़्ता भी मिल रही है। एक बे बाद दूसरे गात्र का ग्रामदान घोषित हो रहा है। श्री जगन्नाथन् कठिन परीक्षा की घि यों स गुजरे है और सदैव अपने को अधिक प्रतिभायान् और हठ सिद्ध किया है।

उनके प्रयत्नों का आज यह परिणाम सामने आ रहा है कि वायवर्तियों का आन्दोलन जनसामान्य का आन्दोलन बन रहा है।

उनके आत्मज्ञ भूभिकुमार एक कालेज म अध्ययन कर रहे हैं और उनकी आत्मज्ञा सया एक नसरी स्कूठ म है। [धनु -त्रिकुनादित्य सिंह, मूल अमेत्री से]

सर्व सेवा संघ प्रकाशन की अनुमम भेंट

मनोजगत की सैर

लेखक

श्री मनमोहन चौधरी

मूल्य : ६००

मनोविज्ञान पर हिन्दी में लिखी पाठ्य पुस्तकी की सहया तो काफी हो गयी है, पर जन सामान्य की रुचि के लिए इस क्षेत्र में पठन सामग्री का अभाव है। श्री मनमोहन चौधरी की प्रस्तुत पुस्तक 'मनोजगत की सैर' इस आवश्यकता की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। निश्चय ही इससे पाठक को अपने अन्तमन को जानने अथवा ग्रामसाक्षात्कार की दिशा में सहायता मिलेगी। — राजाराम शास्त्री उपहृत्तपति, काशी विद्यापीठ

‘नयी तालीम’ का विशेषांक

‘नयी तालीम’ का अगला अंक विशेषांक होगा, जो जून तथा जुलाई के अंकों को मिलाकर संयुक्त रूप में जुलाई में प्रकाशित होगा। पाठकों में निवेदन है कि जून का अंक अलग से प्रकाशित नहीं किया जायगा।

विषय

विकासशील भारत की शैक्षिक व्यवस्था-रचना

इस विषय के अन्तर्गत आर्थिक विकास और शिक्षा-सम्बन्धी निम्नलिखित मुद्दों पर गाम्भीर्य-सामग्री प्रकाशित करने का प्रयास होगा —

१. पिछड़ेपन की व्याख्या
२. आर्थिक विकास के उद्देश्य
३. आर्थिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी पृष्ठभूमि
४. अमानता, अज्ञान, और असतोष तथा पिछड़ेपन में इनकी भूमिका
५. राष्ट्रीय आर्थिक विकास में कृषि और ग्रामीण समाज की भूमिका
६. राष्ट्रीय आर्थिक विकास में शिक्षित जन-शक्ति की भूमिका
७. शैक्षिक व्यवस्था-रचना की रूपरेखा

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १७

अंक : १०

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

डा० जाकिर हुसैन	४३३ श्री राममूर्ति वंशीधर श्रीवास्तव
उन्होंने शिक्षा को पक्षपात की ..	४३७ श्री जयप्रकाश नारायण
भारतीय इस्लाम की सर्वश्रेष्ठ देन	४४१ श्री सुरेश राम
भारतीय सत्कृति के प्रतीक	४४३ श्री र० रा० दिवाकर
अपने एबो पर नजर कर ।	४४६ श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट
अच्छे अध्यापक की विशेषताएँ	४५१ स्व० डा० जाकिर हुसैन
गांधीवादी समाज शिक्षा	४५६ धो० के० एस० आचार्य
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता	४६६ सुश्री सरला देवी
श्री रा० शंकरन् से भेंट	४७७ श्री गुणशरण
उ०प्र० म तमिल सिखाने की योजना	४७३ श्री रा० शंकरन्
सर्व सेवा सच के अध्यक्ष	४७६ —

मई, '६६

६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चक्र ४ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-सूचिका का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट तब सेवा सच की ओर से प्रकाशित भ्रमल कुमार बसु;
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

गाधी-शताब्दी कैसे मनायें !


★ आर्थिक व राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण और ग्राम-स्वराज्य की स्थापना के लिए ग्रामदान-आन्दोलन में योग दें ।

★ देश को स्वावलम्बी बनाने और सबको रोजगार देने के लिए खादी, ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दें ।

★ सभी सम्प्रदायों, वर्गों भाषावार समूहों में सौहार्द-स्थापना तथा राष्ट्रीय एकता व सुदृढता के लिए शक्ति-सेना को सशक्त करें ।

★ शिविर, विचार-गोष्ठी, पदयात्रा वगैरह में भाग लेकर गाधीजी के सदेश का चिंतन-भवन और प्रसार करें, उसे जीवन में उतारें ।

गांधी रचनारमक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति)
टुंकनिया भवन बुन्दीगरों का मैरू जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित



विशेषांक
जून-जुलाई, १९६९

गांधीजी का इस जगह पश्चिम की विचार-धारा से बुनियादी मतभेद था । उनके लिए साध्य थे जीवन के मूल्य सत्य और अहिंसा । शिक्षण उन मूल्यों को जीवन में अस्तित्व करने के लिए साधन था, और, विकास शिक्षण की अनिवार्य निष्पत्ति था (प्रोडक्शन वाई प्रोडक्ट थाव एजुकेशन) । नयी तालीम उनकी इसी कल्पना पर आधारित है । गांधीजी के लिए जीवन एक सम्पूर्ण डिजाइन था, और मनुष्य उसका चेतन निर्माता और कलाकार । वह मनुष्य के मुकाबिले अन्य किसी चीज को प्राथमिकता नहीं दे सकते थे । गांधीजी मानते थे कि मूल्यों को सामने रखकर भारत योजनापूर्वक अपने विकास, शिक्षण, संगठन और तकनीक को रूप देना स्थिर कर सकता है ।

तीन

आज सन् १९६९ है। स्वराज हुए २२ साल बीत गये। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ, और नहीं भी हुआ। जो कुछ हुआ वह कम नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ी एक कमी यह रह गयी कि जो हमने किया उससे हमारे हाथ ऐसी कुजी नहीं आयी जिससे हम आगे के लिए रास्ता निकाल सकें।

क्या कारण है कि आज हम अपनी जनता को इतनी निराश और असहाय पाते हैं ? यह नहीं दिखाई देता कि देश २२ साल का जवान है। इसके विपरीत दिखाई यह देता है कि देश समय से पहले बूढ़ा हो चला है जो अपनी विफलताओं पर अपना सिर घुन रहा है। जनता और सरकार, जसे दोनों की दो दुनिया हो गयी है। अविश्वास और अनास्था का राज है। समाज जसे है ही नहीं। अगर है तो उसने अपनी समस्याओं को पहचानने की वृत्ति भी खो दी है हल करने की शक्ति की तो बात ही क्या ? सरकार के पास पैसा है। वह साधन जुटा सकती है लेकिन कोई भी सरकार वह शक्ति कहाँ से लायेगी जो कठिनाई को अवसर बना देती है जो हर पराजय में पुरुषार्थ और मृग्यु में जीवन को प्रतिष्ठित कर लेती है ?

देश के हमारे युवक और युवतियाँ हमसे नाराज हैं—बेहद नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि आ-मघात तर उतारू हैं। उनकी शिकायत है कि हम बड़ों ने उनके भविष्य के साथ खेजवाड किया है। वे पूछते हैं यह कौनसी व्यवस्था है जिसमें हमारे साथ इन्साफ नहीं है, हमारे लिए इज्जत नहीं है हमारे ईमान के लिए अवसर नहीं है ? इसी तरह के सवाल छोटे किसान दम्तकार मजदूर भूमिहीन हरिजन आदिवासी सब पूछ रहे हैं। योर् मिलने के बाद अब लियों भी पूछने लगी हैं।

चार

आज जो लाखों विद्यार्थी शिन्धा पा रहे हैं वे परीक्षा पास करने के बाद क्या करें ? जो बकार बठे हैं वे किस काम में लगें ? समाज में जो विषमता के शिकार हैं वे कहाँ जाय ?

इन प्रश्नों का उत्तर किसके पास है ? सरकार के पास वादे हैं उत्तर नहीं। जो बड़े हैं उनका पास उपदेश हैं समाधान नहीं। वादे और उपदेश से किसका पेट भरेगा ? उत्तर न पाकर गुम्मा और अधिक बढ़ता है और तब मनुष्य धीरज छोड़ कर बदला लेने पर उतारू हो जाता है। आज देश में वही हो रहा है। देश की जनता देश से बदला ले रही है।

वर्ष : १७

अंक : ११-१२

शिघ्रता और विकास : समस्या क्या है ?

राममूर्ति

एक

• समस्या यह है कि भारत को शिघ्रता भी चाहिए और विकास भी। ये दोनों चीजें हर देश को चाहिए। जहाँ तक पश्चिम के देशों का सम्बन्ध है, उन्होंने इस समस्या को पिछले दो शताब्दियों में अपने ढंग से हल किया है। नयी टेक्नालाजी, उद्योगीकरण और व्यापार को केन्द्र में रखकर उन्होंने अपनी सेती, उद्योग, बाजार, सैनिक-संगठन, राजनैतिक क्रिया, शिक्षण, लोककल्याण आदि सबको उसके इर्द गिर्द विशिष्ट किया है। उन्होंने एक पूरी नयी सभ्यता ही बना डाली है। उनकी इस रचना में विकास साध्य है और शिघ्रता साध्य। लेकिन पश्चिम में जो ऐतिहासिक परिस्थिति थी वह भारत में नहीं है। परिस्थिति से विकास की दिशा स्थिर होती है।

गांधीजी का इस जगह पश्चिम की विचार धारा से बुनियादी मतभेद था । उनके लिए साम्य थे जीवन के मूल्य सत्य और अहिंसा । शिक्षण उन मूल्यों को जीवन में चरिताय करने के लिए सामन था, और, विकास शिक्षण की अनिवार्य निष्पत्ति था (प्रोडक्शन बाई प्रोटेक्ट आंव एजुकेशन) । नयी तालीम उनकी इसी कल्पना पर आधारित है । गांधीजी के लिए जीवन एक सम्पूर्ण डिजाइन था, और मनुष्य उसका चेतन निर्माता और कलाकार । वह मनुष्य के मुकाबिले अन्य किसी चीज को प्राथमिकता नहीं दे सकते थे । गांधीजी मानते थे कि मूल्यों को सामने रखकर भारत योजनापूर्वक अपने विकास, शिक्षण, संगठन और तकनीक की रूप रेखा स्थिर कर सकता है ।

दो

अगर हम अपने देश के सद्म में शिक्षण और विकास के प्रश्न पर सन् १९४७ में विचार करने बैठते तो कुछ दूसरी ही बातें सामने आती । झण्डे का बदलना, जमींदारी का दूटना, प्रशासन और शिक्षण का राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनना ये तीनों काम साथ-साथ होते । लेकिन यह सब नहीं हुआ । झण्डा बदला, और जमींदारी दूटी लेकिन प्रशासन नहीं बदला, और शिक्षण नहीं बदला । अंग्रेजी जमाने में प्रशासन और शिक्षण विदेशी हितों के साधन थे, और स्वतंत्रता होने पर भी वे विदेशी परम्परा का ही निर्वाह करने के लिए ज्यों-के-स्यों छोड़ दिये गये । सिर्फ इतनी बात नयी हुई कि ऊँची कुर्सियों पर हमारे नेता मिनिस्टर बन कर बैठ गये और सरकारी अधिकारी जहाँ थे वहाँ रहने दिये गये ।

विकास के लिए भी हमने इतना ही सोचा कि देश अपना है और हम उसके मालिक हैं इसलिए हमें अपने देश का विकास करना है । लेकिन कैसे करना है, इसे सोचने की हमने जरूरत ही नहीं समझी । हमारे नेताओं ने पहले से मान रखा था कि विकास का जो नमूना पश्चिम ने अपने लिए तैयार कर रखा है उस पर चलना और देश को उस पर चलाना स्वतंत्र सरकार का काम है । स्वतंत्रता की लड़ाई के जमाने में गांधीजी तथा अनेक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जीवन के जो मूल्य विकसित किये थे तथा ग्राम-और परीवी प्रधान भारत के विकास के लिए जो कार्यक्रम स्थिर किये थे वे ताक पर रख दिये गये । कहा गया कि पिछड़े भारत को दौड़कर दुनिया के दूसरे देशों के साथ होना है । वक्त कहाँ कि हम मुड़कर पीछे देखें ? नतीजा यह हुआ कि यत्र पूजा सविधान के साथ-साथ हमने विकास की योजना भी इम्प्लोट कर ली । बड़े बड़े निर्माण होने लगे । कम्प्यूनिटी डेवलपमेण्ट चालू हो गया । सरकार देश के विकास में जुट गयी । कृतज्ञ जनता स्वराज के मुत्तो की प्रतीक्षा करने लगी ।

तीन

आज सन् १९६६ है। स्वराज हुए २२ साल बीत गये। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ, और नहीं भी हुआ। जो कुछ हुआ वह कम नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ी एक कमी यह रह गयी कि जो हमने किया उससे हमारे हाथ ऐसी वृत्ति नहीं आयी जिससे हम आगे के लिए रास्ता निकाल सकें।

क्या कारण है कि आज हम अपनी जनता को इतनी निराश और असहाय पाते हैं ? यह नहीं दिखाई देता कि देश २२ साल का जवान है। इसके विपरीत दिखाई यह देना है कि देश समय से पहले बूढ़ा हो चला है, जो अपनी विफलताओं पर अपना सिर घुन रहा है। जनता और सरकार, जैसे दोनों की दो दुनिया हो गयी है। अविश्वास और अनास्था का राज है। समाज जैसे ही ही नहीं। अगर है तो उसने अपनी समस्याओं को पहचानने की वृत्ति भी खो दी है, हल करने की शक्ति की तो बात ही क्या ? सरकार के पास पैसा है। वह साधन जुटा सकती है, लेकिन कोई भी सरकार वह शक्ति कहीं से लायेगी जो कठिनाई को अवसर बना देती है, जो हर पराजय में पुष्पार्थ और मृत्यु में जीवन को प्रतिष्ठित कर लेती है ?

देश के हमारे युवक और युवतियाँ हमसे नाराज हैं—बेहद नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि आत्मघात तर उतारू हैं। उनकी शिकायत है कि हम बड़ों ने उनके भविष्य के साथ खेलवाड़ किया है। वे पूछते हैं “यह कौनसी व्यवस्था है जिसमें हमारे साथ इन्साफ नहीं है, हमारे लिए इज्जत नहीं है, हमारे ईमान के लिए अवसर नहीं है ?” इसी तरह के सवाल छोटे किसान, दस्तकार, मजदूर, भूमिहीन, हरिजन, आदिवासी, सब पूछ रहे हैं। वोट मिलने के बाद अब लियों भी पूछने लगी हैं।

चार

आज जो लाखों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं वे परीक्षा पास करने के बाद क्या करें ? जो बंकर बंठे है वे किस काम में लगे ? समाज में जो विषमता के शिकार हैं वे कहाँ जायें ?

इन प्रश्नों का उत्तर किसके पास है ? सरकार के पास वादे हैं, उत्तर नहीं। जो बंठे हैं उनका पाग उपदेश है, समाधान नहीं। वादे और उपदेश से किसका पेट भरेगा ? उत्तर न पाकर गुस्सा और अधिक बरता है, और तब मनुष्य धीरज छोड़कर बदला लेने पर उतारू हो जाता है। आज देश में वही हो रहा है। देश की जनता देश से बदला ले रही है।

पांच

बाईस वर्षों बाद यह सोचना भूठ है कि शिक्षण अन्तग चलेगा, विकास अन्तग होगा, राजनीति अपने ढंग से बढ़ेगी, और बाजार अपनी राह जायगा। अगर हमारा अबतक का अनुभव यह बनाता हो कि हमने सही दिशा छोड़ दी है, तो साहसपूर्वक अब भी हम सही दिशा पकड़ लेनी चाहिए, और उस पर हठता के साथ चलना चाहिए। केवल पैर नहीं चलेगा, पूरा शरीर घनेगा। सारे अंग साथ चलेंगे। इसीका नाम है समग्र प्रान्ति। इस समग्र प्रान्ति का दर्शन गांधीजी के रचनात्मक कार्य में था। उस योजना में देश की प्रतिभा और परिस्थिति का आगरा था। मनुष्य उसका केन्द्र था। इसलिए सफलता निश्चित थी।

एक अवशाली ने विकास के प्रसंग में एक बार गांधीजी से कहा था "भारत पूँजी में गरीब देश है (इण्डिया इज ए कॅपिटल ह्यूरी कंट्री)।" गांधीजी ने उत्तर दिया था 'नहीं, भारत धर्म में धनी देश है (इण्डिया इज ए सेक्टर रिच कंट्री)।' इन दो वाक्यों से स्पष्ट है कि हम किधर जाना चाहिए था और हम किधर चले गये।

आज हम ऐसी जगह पहुँच गये हैं जहाँ एक ओर देश के करोड़ों अशिक्षित श्रमिक देश के विकास से बहिष्कृत हैं, और दूसरी ओर लाखों शिक्षित युवक-युवतियाँ विकास के लिए बेकार हैं क्योंकि इस पढाई ने उन्हें न सोचने लायक छोड़ा है, न हाथ से कुछ करने लायक। लेकिन न हम पढाना बन्द कर पा रहे हैं, और न विकास के नये नये नारे लगाना। यह एक अजीब सिकट है।

छ

बात यह है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षण और विकास का अनुबन्ध नहीं है। न शिक्षण को विकास से प्रोत्साहन मिल रहा है, और न विकास को शिक्षण से पोषण। प्रश्न यह है कि यह अनुबन्ध कैसे कायम किया जाय, और कौन करे? क्या यह काम सरकार के कानून से, और सरकार के आदमियों से, हो सकेगा? स्वयं सरकार भी नहीं मानेगी कि होगा। इस काम के लिए सचमुच इस ५२ करोड़ के लोकतंत्र के 'लोक' की शक्ति चाहिए। लेकिन वह 'लोक' अभी सोया हुआ है। जब वह जगेगा तो अपनी समस्याओं से जूझने का रास्ता निकाल लेगा। लेकिन तबतक? क्या वे भी सोये रहेंगे जो जगे हुए अपनी आँखों के सामने सब कुछ देख रहे हैं? कुछ शिक्षकों, कुछ विद्यार्थियों, कुछ विद्यालयों को तो आगे आना ही चाहिए। जो आगे बढ़ना चाहे उन्हें आगे बढ़ाने में सरकार पूरी मदद करे, इतनी अपेक्षा तो उससे है ही।

सात

आगे बढ़ना एक बात है, और सही दिशा में आगे बढ़ना बिल्कुल दूसरी । विकास 'उतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं, और न तो शिक्षण उतना ही है जितना हम चलाते हैं । विद्यार्थी' को छोड़कर विकास नहीं, और नागरिक को छोड़कर शिक्षण नहीं, शिक्षण और विकास के इस अनुबन्ध को छोड़कर अब गुजर नहीं ।

प्रश्न है कि इस अनुबन्ध को अमल में कैसे लाया जाय ? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं निकाली जा सकती जिसमें हर गाँव, हर कारखाना, हर कार्यालय, लाब-शिक्षण (पोपुल्स फंक्शन एजुकेशन) का 'क्यास' भी बन जाय ? बेटी में बीज आदि के मुद्दारे के कारण ग्रामीण जनता 'विज्ञान' को चाहने लगी है । इस चाह का लाभ उठाकर उसे बहुत-सा दूसरा ज्ञान भी दिया जा सकता है, और मालिक-मजदूर के नये सम्बन्धों की भूमिका में समग्र विकास की नयी दिशाएँ मुचायी जा सकती हैं । इसी तरह हर विद्यालय को विकास और समाज की सेवा की इकाई बनाने की बात भी सोची जा सकती है, सोची जानी चाहिए । विद्यालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कुठ गाँवों की, बुद्ध महुल्लों की । सेवा के कार्यों की कमी नहीं है । चाहिए मेधा की वृत्ति और धर्म । जो विद्यालय खुद विकास का जीवन नहीं अपनायेगा वह समाज के विकास की शक्ति नहीं पैदा कर सकेगा ।

समस्या है समस्या को समझने की, और जब समझ में आ जाय तो समाधान को लागू करने की । यह प्रयत्न समस्या को समझने का है, और समाधान की दिशाएँ तय करने का । अभी यह भी नहीं हो पाया है । •

विश्लेषण

- सामान्य घादमी क्या करे ?
- पिछड़ापन : विकास और शिक्षण की समस्या
- नारी-जीवन की वर्तमान भूमिका और प्रयेक्षित ताम्बोम से शिक्षा
- यह असन्तुलित विकलांगी विकास या पिछड़ापन ?
- पिछड़ेपन की पृष्ठभूमि में असमानता, अज्ञान और असंगतोप
- राजनोति, शिक्षण और विकास
- राष्ट्रीय विकास में कृषि और ग्रामोण समाज की भूमिका

सामान्य आदमी क्या करे ?

दादा धर्माधिकारी

आज हम सबके सामने यह सवाल है कि सामान्य आदमी 'मैन आन दी स्ट्रीट' क्यों है ? इसे 'मैन आन दी स्ट्रीट' क्यों कहा गया ? आगिर रास्ते पर वह आदमी होना चाहिए, जिसे कही जाना हो । रास्ता किसी-न-किसी मजसद के लिए, मजिल के लिए होता है, रास्ता अपने-आप में कोई मुकाम नहीं है । तो फिर वह रास्ते पर जो आदमी है वह कौनसा आदमी है ? 'मैन आन दी स्ट्रीट' वह है, जिसको कोई ठौर-ठिकाना नहीं है, जो रास्ते पर है, लेकिन जिस कही जाना नहीं है । 'मैन आन दी स्ट्रीट' का मुँह किस तरफ है ? जो रास्ते पर होगा वह किसी-न-किसी तरफ मुखातिब होगा, लेकिन यह ऐसा है कि जिसका किसी तरफ मुँह नहीं है, सिर्फ रास्ते पर है । रास्ते पर इसलिए है कि उसने लिए और कही जगह नहीं है । क्या इसके लिए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कोई जगह है, यह सवाल है । हम यह चाहते हैं कि जो 'मैन आन दी स्ट्रीट' है उसकी समाज में इज्जत हो, समाज में उसकी कद्र हो, उसका खवा हो । यह बन हो सकता है, यह मवाल हमारे सामने है । आज का जो समाज है इसकी बुनियादों को जचनव गही बदलते तबतक यह नहीं हो सकता ।

आज जो रास्ते पर है उसके लिए कोई जगह है ही नहीं । उसको वोट देने का हक है । दिली के तस्त पर उसकी हुकूमत है । वह अगर चाहेगा तो इदिराजी कुसी पर बैठेगी और नहीं चाहेगा तो नहीं बैठ सकेगी । यह होते हुए भी वह रास्ते पर क्यों है, उसका कोई ठौर क्यों नहीं है ? यह सवाल आज दुनिया भर के सब देशों के सामने है और दुनिया के नवजवानों को यह प्रश्न परेशान कर रहा है ।

हमारे देश में बहुत बड़े साधु हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, पैगम्बर हुए, भगवान के अवतार हुए, लेकिन इस 'मैन आन दी स्ट्रीट' का मसला जहाँ पर पहुँचे या आज भी वहीं है । इसका मतलब यह है कि हम ममले को हल करने के लिए उस 'मैन आन दी स्ट्रीट' को ही पहल करनी होगी । उसीके पराक्रम से अगर यह जमाना बदलेगा तो उसकी हालत सुधरनेवाली है; नहीं तो, अब उसके लिए कोई जगह नहीं है । यह जो 'मैन आन दी स्ट्रीट' कहलाता है, यह जो 'कामन मैन' है उसीकी हुकूमत का नाम 'लोकतंत्र' है । लोकतंत्र में उस साधारण मनुष्य की हुकूमत है, जिसको आज आप 'कामन मैन' कहते हैं, 'मैन आन दी स्ट्रीट' कहते हैं । मैं उसे सामान्य मनुष्य नहीं कहता हूँ । इसकी बजह आप लोगों के सामने घोंडे में कहना हूँ ।

दो तरह के लोग

'स्ट्रीट' पर आज दो तरह के आदमी हैं। एक वे हैं, जो रास्ते पर और चौराहों पर अपनी ताकत से, अपनी लाठी से, दहशत से हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इनका 'स्ट्रीट कानर सोसाइटी' कहते हैं। दूसरे वे हैं, जो साधनहीन हैं, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इनका सवाल आज दुनिया भर के सब लोगों के सामने है। इसका दो तरह के जवाब सोचे गये। एक जवाब यूरोप और अमेरिका ने सोचा और दूसरा जवाब रूस और चीन ने सोचा। ये दोनों इसके जवाब हैं, जो आज दुनिया में हमारे सामने मौजूद हैं। अमेरिका ने क्या किया? यह जो साधारण मानव है, इसको वोट तो दे दिया, आजादी तो दी, लेकिन उस आजादी के साथ इज्जत नहीं दी। नौबत यह है कि जिसके पास डंडा है वह वोट छीन ले और जिसके पास पैसा है वह वोट खरीद ले। समाज में इज्जत की जगह पैस और डंडे ने ले ली। इस डंडे का नाम है 'स्ट्रीट कानर सोसाइटी'। अबतक 'स्ट्रीट कानर सोसाइटी' में सिर्फ गाँव के गुंडे होते थे, लेकिन अब उसमें पढ़े-लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, बाबू हैं, वकील हैं, डाक्टर हैं, ये सब लोग धीरे-धीरे 'स्ट्रीट कानर सोसाइटी' में शामिल हो रहे हैं।

साधारण मनुष्य आज समाज का कल और पुर्जे बने हैं, जिसे 'टेक्नाक्राजिकल पैराडाइज' कहते हैं। 'टेक्नाक्राजिकल पैराडाइज' समाज वह है, जिसमें बल-कारखाने बहुत-से हो गये हैं यत्र बहुत-से हो गये हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है कि ये सारे यंत्र आखिर किसके लिए हैं? जब पहले-पहल यंत्र दाखिल हुए तो कहा गया कि 'आयरन हास' आ गया। लोहे का घोडा मनुष्य को कहीं ले जा रहा है? उसको कहीं पहुँचना था और कहीं ले जा रहा है, यह बुनियादी सवाल है और इसका जवाब जबतक नहीं दिया जायगा, तबतक यह, जो 'मैन आन दी स्ट्रीट' है, पैसला नहीं कर सकेगा कि आखिर पहुँचना कहीं है।

साधारण मनुष्य की व्याख्या

पहले हुकूमत ऐसे आदमी के हाथ में थी, जिसके पास पैसा था, जिसने तालीम पायी थी। धीरे-धीरे सत्ता 'डेमॉस' के हाथ में आयी, जिस आदमी 'कामन मैन' कहते हैं। लेकिन यह 'डेमॉस' भीड़ के पीछे चलने लगा—ऐसी भीड़, जिसमें बहुत-से आदमी हैं।

मरा निवेदन यह है कि जबतक भीड़ का राज रहेगा, तबतक मानव का राज नहीं होगा। भीड़ और व्यक्ति, दोनों अलग हैं। भीड़ में हजारों सिर होंगे, लेकिन दिमाग नहीं। आज हम लागू करने लगे हैं कि जिस तरफ भीड़ जगमगा हो

उस तरफ लोकांतर जा रहा है। लेकिन हमको सोचना यह होगा कि लोकांतर में जो लोग हैं वे मानव हैं। और ऐसे मानव हैं, जिनके हाथ में हुकूमत नहीं है। जिसके हाथ में हथियार है वह सिपाही है, जिसके हाथ में पैसा है वह साहूकार है, जिसके हाथ में सत्ता है वह सरकार है। ये तीनों जिसके हाथ में नहीं है वह है साधारण मनुष्य ! इस साधारण मनुष्य का 'रोल' क्या हो, भूमिका क्या हो, यह प्रश्न है।

अब दुनिया भर के नवजवान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यह जो समाज में नाटक खेला जा रहा है, इसका नायक 'कामन मैन' होना चाहिए। अबतक नायक कौन रहा है ? कोई पैगम्बर रहा है, साधू रहा है, राजा-महाराजा रहा है, कोई वीर रहा है, लेकिन 'कामन मैन' नहीं रहा है। 'कामन मैन' अबतक इतिहास का विषय रहा, लेकिन इस 'कामन मैन' ने इतिहास नहीं बनाया। अब जरूरत इस बात की है कि समाज में 'कामन मैन' का 'रोल' हो, यह इतिहास का विधाता बने।

पश्चिम की समस्या

विज्ञान के इस युग में सामान्य मानव के लिए कोई 'रोल' ही नहीं रह गया। यूरोप में, अमेरिका में, 'हिप्पीज', 'बीटल्स' वगैरह हैं। ये सारे इससे तंग आ गये हैं कि वहाँ मानव के लिए कोई काम ही नहीं रह गया, मानव के लिए कोई 'रोल' नहीं रह गया। आखिर मनुष्य जीये तो किसलिए ? उसको पुर्णार्थ के लिए कोई अवसर नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुयोग नहीं रह गया है। सभी का यंत्रोत्थरण हो जाने पर फिर मानव क्या करे, यह सवाल रह जाता है। पश्चिम में पुस्तक की समस्या है। हमारे यहाँ पुस्तक का सवाल नहीं है, बेकारी का सवाल है। 'आटोमेशन' और 'साइबरनेशन' तक जहाँ 'टेकनालाजी' पहुँच गयी है वहाँ 'यंग मैन' के सामने दो सवाल हैं। अगर सारे काम यंत्र करते हैं तो मैं क्या करूँ ? दूसरी चीज है अति वृद्धि। मनुष्य अथा गया है। साने-बहाने के लिए उसके पास इतना है कि अब उसे पता नहीं चल्ता है कि उसके साथ क्या करे। सामानों में मानव खो गया। इतनी कुत्सियाँ हैं कि बैठने के लिए मनुष्य नहीं हैं। आप योडी देर के लिए मानें कि फ्लोरिडा के पास १०० मोटरें हो गयीं। लेकिन वह तो एक ही मोटर में एक ही सीट पर बैठेगा। आपके पास अगर १० सूट हैं, तो उनकी पहनने के लिए मौके दूँदने होंगे। कोई तो मौका ऐसा हो कि सूट पहनें। पश्चिम के मानव को यह समस्या है। उनकी एक क्रांति वहाँ शुरू हो गयी है। दूसरी क्रांति सन् १९६० में फ्रंस के विद्यार्थियों ने की, जिसमें 'कामन मैन' शामिल है। उनका कहना है कि 'कामन मैन' को आपने साता दे दिया, कपड़ा दे दिया और महान दे दिया तो अब उनके मन में आजादी की आकांक्षा नहीं रही। आपको जरूरी

समाज के लिए कुछ पैक हासेस चाहिए थे वह आपने बना लिये । वे खा-भोकर सुखी हो गये । मानव के नाते उनका कोई 'रोल' नहीं रहा । यह वहाँ वा सवात्र है ।

वर्तमान परिस्थिति

हमारे वहाँ तो मनुष्य का वक्त भी खाली है और पेट भी खाली है । इसके लिए न कारखानों में जगह है, न खेती में और न दफ्तरों में । वहाँ का पदान्त्रिधा आदमी भी इस काममें मैन' में शामिल हो गया है । अब चित्र क्या है ? चित्र यह है कि अबतक अपने देश में और दूसरे देशों में भी जितने दगे हुए, उन सबमें आपने सुना होगा कि कौनसे लोग ज्यादा-से ज्यादा शामिल हैं ? उनमें ज्यादातर आर्ट्स स्कूल के विद्यार्थी हैं । मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्कूल के छात्र और छात्राएं कम हैं । यह क्या है ? इसलिए कि ये जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, इनको थोड़ा 'ट्यूमेंट्रीज' का शिक्षण दिया जाता है और जो टेक्निकल स्कूलों में हैं उन्हें 'आयडियालाजी' का उतना शिक्षण नहीं दिया जाता है ।

'टेकनालाजी' में काम के लिए मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए काम नहीं होता है । इसीलिए 'टेकनालाजी' में मनुष्य का 'रोल' नहीं रह जाता है । आपने अगर मुनाफे के लिए यथोकरण किया है, तो मुनाफे के लिए जो काम होंगे, उन कामों के लिए जितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी, उतने मनुष्यों को आप बनायेंगे, उनको आप शिक्षण देंगे और जो उमके लिए आवश्यक नहीं होंगे वे बेकार रह जायेंगे ।

वस्तुतः इस विज्ञान के युग में मानवता का मूलभूत सवाल यह है कि इसके मूल्य क्या हों । मनुष्य के लिए संयोजन होगा या 'प्लैनिंग' में ठीक बैठाने के लिए मनुष्य तैयार किया जाय ? यह सवाल आज यूरोप-अमेरिका को सता रहा है । यही कारण है कि एक मनुष्य का एक वोट होने हुए भी आज वह 'मैन आन दी स्ट्रीट' है ।

आज दुनिया में विज्ञान ने यह सभावना पैदा कर दी है कि कोई भूखा और नंगा न रहे । आज इतना अन्न पैदा हो सकता है कि दुनिया में किसीको भूखा रहने की जरूरत नहीं है । आज इतने कपड़े हो सकते हैं कि नंगा रहने की जरूरत नहीं है । यह होते हुए भी आज दुनिया में मनुष्य भूखा नंगा और बेकार क्यों है ? इसका कारण यह है कि उत्पादन जो होता है वह वितरण के लिए नहीं होता है, वह विक्रय के लिए होता है, चीज उसको मिलेगी जो खरीद सकता है, उसको नहीं मिलेगी जो खरीद नहीं सकता । चाहे चीजें दुनिया में जितनी बढ़ जायें । आज अमेरिका में इतना अन्न है कि वे लोग खा नहीं सकते । आपने यह सुना होगा कि वे अन्न समुद्र में फेंक देते हैं लेकिन भूखों को नहीं देते । अब उसे भूखे

राष्ट्रा को क्यों देने हैं ? उनके लिए यह भी एक 'इनवेस्टमेंट' है। उनकी इस ख़रान के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय 'राजनीति' है। अमेरिका में अन्न अधिक है मनुष्य कम हैं, जमीन अधिक है। कारखाने में ज्यादा चीजें बनती हैं तो अपने-आप इन चीजों का वितरण क्या नहीं होता ? इसलिए नहीं होता कि वितरण का आधार खरीद है। जबकि वितरण का आधार खरीद रहेगी तबतक माधारण मानव का ख़रवा समाज में बढनेवाला नहीं है।

समाज कौन बदलगा ?

जिस समाज में आप और हम आज रहते हैं उस समाज में बनानेवाले को कोई इज्जत नहीं है बरतनेवाले की इज्जत है। आपमें कोई पूछे कि जूता कितने में खरीदा तो आपने बताया कि चालीस रुपये में। इसमें आपका सम्मान बढगा लेकिन उस जूते की बनानेवाले की कोई इज्जत नहीं। जिसके हाथ में तलवार है उसकी इज्जत होगी, उसको बनानेवाले की नहीं। जो अच्छा-भ-अच्छा कपडा पहनना है उसकी इज्जत होगी लेकिन कपडा बनानेवाले की नहीं। इसका कारण यह है कि बरतनेवाला खरीद सकता है। इज्जत खरीदनेवाले की है। इस ख़तज्ञान को बदलना है। लेकिन कौन बदलेगा यह सवाल है। इसका जवाब मार्क्स ने दिया कि वह बदलेगा, जिसको बदलने की जरूरत है। जो समाज में सुख से जी रहा है उसको समाज बदलने की क्या जरूरत है ? वह तो चाहेगा कि जसा समाज है वैसा बना रहे। भगवान से रोज़ प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर, जैसी दुनिया आज है वसी रहे। जिस दुनिया में रोज़ नये मकान बना सकते हैं और किराये पर दे सकते हैं जिस दुनिया में नयी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन चीजों को नहींगे दागों में बेच सकते हैं ऐसी दुनिया को बनाने रख। आज होता यह है कि जो मजबूरी में है वे मरीदे जा सकते हैं। पूँजीवादी समाज में दु खो मानव खरीदा जा सकता है और इसीका नाम भ्रष्टाचार है। जिस समाज में चीजें खरीदनेवाले को ही मिसनी है वह समाज भ्रष्ट है।

एक बार मैंने विलोत्रा से कहा कि चोरबाजारी बढ गयी है बाग बाजार जोरों पर है। तो उन्होंने कहा कि बाजार मफ़ेद कब रहा ? बाजार का तो यह नियम है कि चीज उसको मिलेगी जो ज्यादा-से ज्यादा कीमत दे सकता है उसको नहीं जिसको ज्यादा-से-अपवादा जरूरत है। बाजार में प्रतिद्वन्द्विता होती है। हमारा समाज बाजार पर खडा है। हमारे मदिरों में मस्जिदों में भी बाजार है। जिस समाज में हर चीज खरीदी जा सकती है ऐसे समाज की बन्दियादा को बढाना होगा। और बदलने की जिम्मा जरूरत है वह बदलेगा। लेकिन जिसको जरूरत है वह खरीदा जा सकता है। यह अनुभव हुआ अमेरिका का और फ्रांस तथा जर्मनी का। इसलिए

आज वहाँ जो समाज बदलने की कोशिश हो रही है, उसमें उन लोगों का यह कहना है कि उसमें श्रमिक और बुद्धिमान, दोनों हों। बुद्धिमान वह है जिसकी बुद्धि खरीदी न जा सके। जिसकी बुद्धि खरीदी जा सके वह बुद्धिमान नहीं, बुद्धिजीवी है। आज ऐसे बुद्धिमानों की आवश्यकता है, जो अपनी बुद्धि बेचने के लिए तैयार न हों, जिनको तलवार से डराया न जा सके साहूवार अपने पैसों से खरीद न सके और हाकिम अपने हुकम से तैनात न कर सके। ऐसे जो लोग होंगे उनके भरोसे ही समाज बदलने की शान्ति होगी।

आपने देखा कि मानव की शान्ति के लिए विनोबा आगे आया, कोई मजदूर नहीं आया। लेकिन विनोबा की आगे क्यों आना पड़ा? मजदूरों के काम के घंटे कम हो जाते हैं वेतन बढ़ता है सब सुविधाएँ हो जाती हैं तो वह सुखी हो जाता है। तब वह शान्तिकारो नहीं रहता। उसको समाज के बदलने की जरूरत नहीं होती। समाज बदलने की जरूरत उसको हीनी है जिस मनुष्य की बुद्धि में स्वतंत्रता की आकांक्षा होती है, जिसको इंसान की शान की चिन्ता होती है।

भूख का जवाब अन्न कारखाना नहीं

आज हमारे देश में सबसे बड़ा मसला भूख का है। इस भूख का जवाब है अन्न। भूख का जवाब कारखाना नहीं है। दुर्गापुर में, भिलाई में, बहमदाबाद में कारखाने हैं लेकिन इन कारखानों से भूख का मसला हल नहीं होता। कारखानों से जो चीजें पैदा होती हैं वे भूख का जवाब नहीं होतीं। भूख का जवाब है जमीन। इसलिए इस देश में अगर समाज की बुनियाद को बदलना हो तो जहाँ भूख का जवाब है वहाँ से शुरुआत करनी होगी। यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि भेती में पैदा होनेवाली हर चीज भूख का जवाब नहीं है। जैसे सोंफ, मिर्च तम्बाकू आदि चीजें भूख का जवाब नहीं हैं।

आपमें से हर कोई कहेगा कि अन्न सस्ता होना चाहिए हर चीज सस्ती मिलनी चाहिए। तो किसान पूछेगा कि हमारा क्या होगा? इस सवाल के दो ही जवाब हो सकते हैं। एक तो, अन्न सारा यंत्रों से पैदा हो, मनुष्यों की जरूरत ही न रहे। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जो लोग इसमें एतराज करेंगे वे सही होंगे। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अगर इस देश में यंत्रों से अन्न तैयार हो जाता है तो ठीक है लेकिन शर्त यह है कि अन्न सबको मिले, जिसको भूख है, चाहे वह खरीद सके अथवा नहीं। इसना काम तो यंत्र नहीं दे सकेगा कि सबको काम मिले। इस देश में कोई भी बड़े-से-बड़े नेता से लेकर छोटे-से-छोटे नेता तक, काग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक, कोई आज यह नहीं कहता है कि यंत्र से हम इस समस्या का हल कर लेंगे।

फिर दूसरा जवाब यही रह जाता है कि अन्न उपजाने की प्ररणा के लिए ऐसा इन्तजाम हो जिमम जमीन, औजार और मेहनत का दाम न हो । आज इससे सिवाय कोई चारा नहीं है । इस तरह का इन्तजाम करना होगा । इस इन्तजाम का नाम विनोबा ने 'ग्रामदान' रखा है । मनलब इतना ही है कि मेहनत हर एक को होगी, लेकिन वह मेहनत सबकी मानी जायेगी । आप इसे ग्रामीकरण कह लीजिए । जवन्क यह नहीं होगा तबतक देश विकास नहीं कर सकेगा । जिस देश म १०० म से ७०-८० लोग खेती पर निर्भर हैं जिस देश म भूप की समस्या मुख्य समस्या है, और लोकतंत्र को हम कायम रखना चाहते हैं तो समाज-परिवर्तन का कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिसमे इस साधारण मानव का 'रोल' रहे ।

मैंने आपके सामने दो चीजें रखीं । एक चीज कि यह 'मैन आन दी स्टीट' कौन है । यह वह है जिसका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है । अगर हम चाहते हैं कि समाज म इसकी कोई इज्जत हो तो सबसे पहले जरूरत है कि इसका समाज मे कोई उपयोग हो, समाज म इसका कोई 'रोल' हो । यह रोल कैसे आ सकता है ? इसके लिए मैंने दो चीजें आपके सामने रखीं । आपके सामने एक चीज यह रखी कि यह तब होगा जबकि बंटवारा बिन्नी की बुनियाद पर नहीं होगा । उत्पादन उपयोग के लिए होगा इतना ही काफी नहीं है बटवारा जरूरत की बुनियाद पर होगा । दूसरी चीज यह रखी कि इस तरह की परिस्थिति पैदा करने के लिए कौन प्रयत्न होगा । जिसके पास सारी चीजें मौजूद हैं, जिन्दगी की सारी चीजें प्राप्त हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि समाज बदले । जरूरत उसको है जो बेकार है गरीब है, भूखा है लेकिन बेकार को, गरीब को, भूखे को अन्न मिल जाता है, थोडा-सा काम मिल जाता है तो फिर उसे आजादी की फिक्र नहीं रह जाती । इसलिए उसके साथ उनको शामिल होना होगा, जिनको आज भी ये चीजें मिलती हैं लेकिन आजादी की कीमत जो लोग जानते हैं । इन दोनों को मिलकर शान्ति करनी होगी, तभी उसम से साधारण मनुष्य का समाज निकलेगा ।

रांची १३-६-६६

पिछड़ापन : विकास और शिक्षण की समस्या

राममूर्ति

(१) विकास का गुण

१ प्रायः यह समझा जाता है कि विकास का अर्थ आर्थिक निर्माण है। गरीब देश के लोगों के सामने हर वक्त अपनी गरीबी का सवाल तो रहता ही है इसलिए विद्वानों और विशेषज्ञों की यह बात मान्य हो जाती है कि गरीबी का मुख्य कारण यह है कि गरीब देश विकास के लिए काफी पूँजी नहीं लगा पाता। यह सत्य है कि पूँजी के बिना विकास नहीं हो सकता लेकिन यह मानना भी बहुत बड़ी भूल है कि पूँजी से ही विकास हो जायेगा। पिछड़ेपन के कारणों को और गहराई से समझने की जरूरत है। इस प्रश्न का उत्तर ढूँढना चाहिए कि क्या कारण है कि लोग अपने ही विकास के लिए आवश्यक पूँजी नहीं इकट्ठा कर पाते? जो पूँजी उनके पास मौजूद है उसे भी क्यों नहीं लगा पाते?

२ अब यह महसूस किया जाने लगा है कि पैसे से बड़ी पूँजी मनुष्य स्वयं है। उसे बनाने की ओर अबतक बहुत कम ध्यान दिया गया है और जब दिया भी गया है तो डाक्टर इंजीनियर सेती-विशेषण आदि तैयार करना काफी मान लिया गया है। यह सही है कि विकास के लिए इनका होना अनिवार्य है लेकिन इनका होना ही काफी नहीं है। अनुभव यह बता रहा है कि एक पिछड़ा हुआ समाज वास्तव में पिछड़ा हुआ समाज है जिसका एक पहलू है आर्थिक गरीबी। पिछड़ापन सम्पूर्ण है हर क्षेत्र में है। विकास को रोकनेवाला सबसे बड़ा कारण है गरीब देश का पूरा सामाजिक ढाँचा—उसकी विषमताएँ, उसके आपसी भेदभाव और अलगाव। इनके कारण असंख्य लोगों की प्रतिभा और उनका अभिक्रम कभी उभर ही नहीं पाता और यह सभी केवल डाक्टर इंजीनियर बनाने से दूर नहीं होती। विकास के लिए हुनर (कौशल स्किल)—असंख्य प्रकार के हुनर—आवश्यक हैं लेकिन उससे भी अधिक महत्त्व है लोगों की दृष्टि (आउटलुक) बदलने का। यह लोक-शिक्षण का काम है।

इस दृष्टि से प्रश्न उठता है कि क्या हमें गरीबी को अवधारणा से दिमाग की गरीबी भी नहीं जोड़नी चाहिए और धन में सजनामक वृत्ति को भी नहीं गिनना चाहिए जिसके बिना विकास संभव नहीं है? एच० जी० वेल्स का कहना कि कितना ठीक था कि सम्यता शिक्षण और प्रत्येक के बीच दौड़ है (सिविलिजेशन इज ए रेस बिटवीन एजुकेशन एण्ड कंटेस्ट्राफी)।

३. विकास धीरे-धीरे और टुकड़ों में नहीं होता। धीरे-धीरे की सलाह पराजय की सलाह है और खतरनाक सलाह है। यह एक निर्मम सत्य है कि गरीबी और पिछड़ापन एक दुष्चक्र है। गरीबी स्वयं गरीबी का कारण है। समस्या है कि यह दुष्चक्र कैसे टूटे, कहाँ टूटे? हमारी आँखें इस बात से खुलनी चाहिए कि इतनी अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने पर भी गरीब देशों में कितने कम लोग का और कितने कम देशों का विकास हुआ है। यह स्थिति धीरे-धीरे चलने से दूर नहीं होनेवाली है। इसके लिए एक व्यापक, समग्र, तेज कार्यक्रम (ग्रैंड प्रोग्राम) चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इतने अधिक लोग शिक्षण, ट्रेनिंग, प्रोसाहन, सहायता, संगठन के वृत्त के भीतर जल्द-से-जल्द आ जायें कि अर्थनीति को प्रभावित कर सकें और समाज को प्रयोजन और नयी दिशा दे सकें।

कोई समाज एक सीमा के बाहर पूँजी और विशेषज्ञ नहीं हज़म कर सकता। इसलिए पूँजी और विशेषज्ञों के लिए चिन्ता के साथ-साथ यह चिन्ता भी होनी चाहिए कि समाज की पचाने की शक्ति भी (एम्बार्गोविंग कंपैसिटी) बढ़ती चले।

४ विकास-योजनाओं को आँकने की कसौटी निर्णय यही नहीं है कि भूख कितनी कम हुई, या बीमारी कितनी घटी। भूख मिटाना और बीमारी कम करना जरूरी तो है ही, किन्तु भूख और बीमारी घटाने का काम इस प्रकार किया जाना चाहिए कि साथ-साथ एक पुष्ट, न्यायपूर्ण और उदार समाज का निर्माण होता चले। पिछड़े समाजों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन गुणों का अभाव पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण होता है।

५ समग्र दृष्टि से देखने पर विकास की निम्नलिखित मुख्य आवश्यकताएँ सामने आती हैं

- पूँजी।
- टेक्निकल ज्ञान और अभ्यास।
- साक्षर जनता जिसमें अच्छी तरह शिक्षित लोगों का एक ठोस समुदाय हो।
- काफी हद तक सामाजिक न्याय।
- भ्रष्टाचार की सरकार।
- विकास की सही दृष्टि और भूमिका।

(२) सम्बन्धों का सवाल

६ गरीबी, अज्ञान और बीमारी गरीबी के कारण भी हैं, और परिणाम भी। वास्तव में उन सारा महत्त्वहीन है। इनके होने से मनुष्य अपनी पूरी ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता, और न तो अपने समाज के लिए ही जितना करना

चाहता है कर पाता है। कम लोग हैं जो अपनी मनुष्यता को बचाने रतते हुए ज्यादा दिना तक कष्ट भेळ सके। जरूर कष्ट में तपकर कुछ लोग ऊँचा उठते हैं, लेकिन अविकार लोगों का कष्ट में पतन हो जाता है, और जो थोड़े साहसी होते भी हैं उनकी सस्या घटते-घटते बहुत थोड़ी रह जाती है। इसका अनुभव उन लोगों ने अपने जीवन में किया होगा जो लम्बे कष्ट या लम्बी बीमारी में गुजरे होंगे, और जिन्होंने अपने को सम्पत्ति की कोशिश की होगी। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कष्ट-सहन चरित्र निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। यही बात अधिकार, प्रशंसा, वैभव के लिए भी बही जा सकती है। लेकिन गरीबी और अमीरी में एक अंतर है। अमीर कभी अपनी अमीरी को छोड़कर ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन गरीब नहीं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के करोड़ों लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है।

७ मनुष्य अपने भीतर के मन और बाहर की परिस्थिति के मेल से चलता है। उसके विकास की बुनियाद यह है कि उसमें काम करने, और प्यार करने की साथ-साथ क्षमता होनी चाहिए। काम तो कुछ-न-कुछ सभी करते हैं, और कई लोग दिमाग में समाज विरोधी विष भरकर भी असाधारण क्षमता के साथ काम करते हैं। होना यह चाहिए कि काम सक्षम भी हो और सर्जनात्मक भी। क्षमतापूर्ण कार्य और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध साथ-साथ जरूरी हैं। प्रेम में और चाहे जो है लेकिन इतना तो है ही कि हम उस प्रेम को प्रेम नहीं कहेंगे जिसमें इस नीयत से किसीसे प्रेम किया जाय कि उससे हमारी किसी सवेगात्मक भूल की वृत्ति होगी। प्रेम अपने में वृत्ति है। उसका इतना ही अर्थ है कि हमसे अलग एक व्यक्ति है जिसके लिए हमारा दिल उमड़ता है। हमारी आज की सम्यता में काम और प्रेम के इस समन्वय का अभाव है। हमारी आर्थिक पद्धति ने जीवन के सहज और सुखद सम्बन्धों को तोड़ दिया है।

८ आज के पिछड़े देश उन्नत देशों की अपेक्षा कहीं तेज गति से उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिना में तेजी के साथ आगे बढ़ जाने की कोशिश में उन्होंने अपने सम्बन्धों के ताने-बाने को ढीला कर दिया है, कहीं-कहीं बिल्कुल तोड़ दिया है।

९ स्तौपचनक सामाजिक सम्बन्धों का विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जहाँ यह सही है कि अत्यधिक प्रतिद्वन्द्विता सम्बन्धों को तोड़ देती है, वहाँ यह भी सही है कि अपर्याप्त व्यक्तिवाद से सर्जनात्मक वृत्ति कुठित हो जाती है। इतना व्यक्तिवाद तो होना ही चाहिए जिससे मनुष्य अपने गुण और कौशल का अपने ढंग से प्रयोग कर सके।

हैं, यह आवश्यक है कि वह अपने समाज के हितों और आवश्यकताओं के प्रति जाग-
 रूक हो। विकास में दो सिद्धान्त आधारभूत हैं एक, समता। दो, सामाजिक न्याय।

समता का इतना अर्थ तो हो ही कि सबके लिए अवसर और सामाजिक सरक्षण
 की समानता हो।

न्याय का आगर उचित पुरस्कार है। पुरस्कारों में इतनी विषमता न हो कि
 धन या सामाजिक हैसियत की जल्यंत्रिक साइ पैदा हो जाय।

(३) शिक्षण विकास की कुंजी

१० जैसा पहले संकेत किया जा चुका है पिछड़े समाज का सबसे बड़ा लक्षण
 यह है कि पिछड़ापन एक दुष्चक्र बन गया है। उदाहरण के लिए चूकि लोगों में
 अज्ञान है इसलिए वे गरीब हैं, वे गरीब हैं इसलिए बीमार हैं वे गरीब भी हैं और
 बीमार भी, इसलिए उनकी उत्पादन शक्ति बहुत कम है इसलिए वे दिनोदिन और
 अधिक गरीब होने जाते हैं। अक्सर यह हाता है कि गरीबी और दीनता के कारण
 उनकी ओर ध्यान तभी जाता है जब उनका दमन या शोषण करता होता है
 अन्यथा वे समाज में उपेक्षित रहते हैं। नतीजा यह हाता है कि पिछड़े देश की
 अधिकांश जनता राष्ट्रीय जीवन की धारा से बहिष्कृत-भी हो जाती है और उसका
 विकास में कोई योगदान नहीं हो पाता। इसलिए मानना पड़ेगा कि पिछड़ापन एक
 नाम है मनुष्य-शक्ति का सही और पूरा इस्तेमाल न होने का स्थिति का।

११ इस स्थिति का एक कारण यह है कि पिछड़े देशों में लोक-शिक्षण पर
 ध्यान बहुत कम दिया जाता है। जो कुछ पैसा शिक्षण पर खर्च होना है वह स्कूली
 शिक्षण में लगता है, प्रौढों के शिक्षण पर नहीं। लेकिन शिक्षण पर विचार करते
 समय यह तय कर लेना चाहिए कि पिछड़े देश में शिक्षण की क्या दिशा होगी,
 यानी शिक्षण में ज्यादा जोर 'कन्व्यूमर' शिक्षण पर दिया जायगा या 'इन्वेस्टमेण्ट'
 शिक्षण पर। तात्कालिक लाभ देनेवाले शिक्षण के साथ-साथ अगर व्यक्ति के जीवन
 को स्थायी और मजबूत मजुद्धि देनेवाला शिक्षण भी नहीं मिलेगा तो समाज
 नहीं बनेगा।

१२ अगर हम मनुष्य-शक्ति का सही उपयोग को सामने रखकर विकास की
 बात सोचें तो आज जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं भिन्न बातें सामने आयेंगी।
 विकास का पारम्परिक 'आर्थिक' दृष्टिकोण गलत सिद्ध हो चुका है, क्योंकि सामाजिक
 और मानवीय कारणों की उपेक्षा की गयी है।

विकास के लिए यह अनिवाय है कि पिछड़ेपन के दो कट्टर शत्रुओं में पीछे
 छुड़ाया जाय। वे हैं १ पारम्परिक प्रभाव (ट्रेडिशनल इन्फ्लुयेंस), २ विषमता

चाहता है कर पाता है। कम लोग हैं जो अपनी मनुष्यता को कायम रखते हुए ज्यादा दिनों तक कष्ट भेड़ सकें। जरूर कष्ट में तपकर कुछ लोग ऊँचा उठते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का कष्ट में पतन हो जाता है और जो थोड़े साहसी होते भी हैं उनकी सख्या घटते घटते बहुत थोड़ी रह जाती है। इसका अनुभव उन लोगों ने अपने जीवन में किया होगा जो लम्बे कष्ट या लम्बी बीमारी से गुजरे होंगे, और जिन्होंने अपने पने समझने की कोशिश की होगी। हमें यह मानकर चटना चाहिए कि कष्ट-सहन चरित्र-निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। यही बात अधिकार, प्रशंसा, वैभव के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन गरीबी और अमीरी में एक अन्तर है। अमीर कभी अपनी अमीरी को छोड़कर ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन गरीब नहीं। एशिया अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के करोड़ों लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है।

७ मनुष्य अपने भीतर के मन और बाहर की परिस्थिति के मेल से चलता है। उसके विकास की बुनियाद यह है कि उसमें काम करने, और प्यार करने की साथ साथ क्षमता होनी चाहिए। काम तो कुछ-न-कुछ सभी करते हैं, और कई लोग दिमाग में समाज-विरोधी विष भरकर भी असाधारण क्षमता के साथ काम करते हैं। होना यह चाहिए कि काम सक्षम भी हो और सजनात्मक भी। क्षमतापूर्ण काय और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध साथ साथ जरूरी हैं। प्रेम में और चाहे जो है लेकिन इतना तो है ही कि हम उस प्रेम की प्रेम नहीं करेंगे जिसमें इस नीयत से किसीसे प्रेम किया जाय कि उससे हमारी किसी सवेगामक भूल की वृत्ति होगी। प्रेम अपने में वृत्ति है। उसका इतना ही अर्थ है कि हमसे अलग एक व्यक्ति है जिसके लिए हमारा दिल उमड़ता है। हमारी आज की सम्यता में काम और प्रेम के इस समन्वय का अभाव है। हमारी आर्थिक पद्धति ने जीवन के सहज और सुखद सम्बन्धों को तोड़ दिया है।

८ आज के पिछड़े देश उन्नत देशों की अपेक्षा नहीं तेज गति से उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ जाने की कोशिश में उन्होंने अपने सम्बन्धों को ताने-बाने को ढीला कर दिया है, कहीं-कहीं बिल्कुल तोड़ दिया है।

९ स्तोत्रजनक सामाजिक सम्बन्धों का विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जहाँ यह सही है कि अत्यधिक प्रतिद्वन्द्विता सम्बन्धों को तोड़ देती है वहाँ यह भी सही है कि अपर्याप्त व्यक्तिवाद से सजनात्मक वृत्ति कुठिल हो जाती है। इतना व्यक्तिवाद तो होना ही चाहिए जिससे मनुष्य अपने गुण और कौशल का अपने ढंग से प्रयोग कर सके।

हैं, यह आवश्यक है कि वह अपने समाज व हितों और आवश्यकताओं के प्रति जाग-
रूक हो। विकास में दो सिद्धान्त आधारभूत हैं एक, समता। दो, सामाजिक न्याय।

समता का इतना अर्थ तो हो ही कि मरने के लिए अवसर और सामाजिक संरक्षण
की समानता हो।

न्याय का आधार उचित पुरस्कार है। पुरस्कारों में इतनी विषमता न हो कि
धन या सामाजिक हैसियत की अन्यत्रिक खाई पैदा हो जाय।

(३) शिक्षण विकास की कुंजी

१० जैसा पहले संकेत किया जा चुका है पिछड़े समाज का सबसे बड़ा लक्षण
यह है कि पिछड़कर एक दुष्चक्र बन गया है। उदाहरण के लिए, चूकी लोगों में
अनाम है इसलिए वे गरीब हैं, वे गरीब हैं इसलिए बीमार हैं वे गरीब भी हैं और
बीमार भी, इसलिए उनकी उत्पादन-शक्ति बहुत कम है इसलिए वे दिनोदिन और
अधिक गरीब होने जाते हैं। अकस्मिक यह जाना है कि गरीबी और दीनता के कारण
उनकी ओर ध्यान तभी जाता है जब उनका दमन या शोषण करना होता है
अथवा वे समाज में उपेक्षित रहते हैं। नतीजा यह जाना है कि पिछड़े देश की
अविकाश जनता राष्ट्रीय जीवन की धारा से बहिष्कृत-सी हो जाती है और उसका
विकास में कोई योगदान नहीं हो पाता। इसलिए मानना पड़ेगा कि पिछड़ापन एक
नाम है मनुष्य-शक्ति का सही और पूरा इस्तेमाल न होने की स्थिति का।

११ इस स्थिति का एक कारण यह है कि पिछड़े देशों में लोक शिक्षण पर
ध्यान बहुत कम दिया जाता है। जो कुछ पैसा शिक्षण पर खर्च होता है वह स्कूली
शिक्षण में लगता है, प्रौढा के शिक्षण पर नहीं। लेकिन शिक्षण पर विचार करते
समय यह तय कर लेना चाहिए कि पिछड़े देश में शिक्षण की क्या दिशा होगी,
यानी शिक्षण में ज्यादा जोर 'कन्स्यूमर' शिक्षण पर दिया जायगा या 'इंवेस्टमेण्ट'
शिक्षण पर। तात्कालिक लाभ देनेवाले शिक्षण के साथ-साथ अगर व्यक्ति के जीवन
को म्यामी और सशोणीय समृद्धि देनेवाला शिक्षण भी नहीं मिलेगा तो समाज
नहीं बनेगा।

१२ अगर हम मनुष्य-शक्ति के सही उपयोग की सामने रखकर विकास की
बात सोचें तो आज जो कुछ हा रहा है उससे कहीं भिन्न बातें सामने आयेंगी।
विकास का पारम्परिक 'आर्थिक' दृष्टिकोण मूलतः मिट हो चुका है, क्योंकि सामाजिक
और मानवीय कारणों की उपेक्षा की गयी है।

विकास के लिए यह अनिवार्य है कि पिछड़ेपन के दो कठोर समुहों से पीछा
छुड़ाया जाय। वे हैं १ पारम्परिक प्रमाद (ट्रेडिशनल इगॉरिया), २ विषमता

में विश्वास करनेवाले धींड़े-म लोगो का समाज पर निरंकुश शासन । इसके लिए यह जरूरी है कि नयी चेतना और नये मूल्यावाले अधिक-से-अधिक लोग सामने आये और समाज में अपनी क्षमता और निष्पत्तता से अपना बजन पैदा करें । जब समाज का ढाँचा द्रुपित होना है तो आर्थिक पिछड़ापन तो होता ही है, साथ ही प्रशासन, खेती, श्रमिक आदि सब निरन्धमे हो जाते हैं । स्वयं शिक्षण-पद्धति, जो विकास योजना की रीढ़ है, निकम्मी हो जाती है । स्पष्ट है कि पिछड़ा देश क्यों तब चरनेवागी स्कूली शिक्षा की प्रतीक्षा नहीं कर सकता । इसलिए जरूरी हा जाता है कि समाज में जो भी क्षमता, कौशल, शक्ति आदि जाज पीरन मौजूद है उन्हें ही बढ़ाने की कोशिश की जाय । यह मान लिया जाय कि स्कूली शिक्षण विकास के कई साधनों में से एक—एक ही—है ।

१३ इस तरह विकास-योजना के हम नीचे लिखे मुख्य तत्व गिना सकते हैं .

१ सबसे पहले लोगों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विश्वास पैदा करना कि विकास धाछनीय ही नहीं, संभव भी है । इस भावना के हृदय में घुम बिना मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं जगगा । लोगों को लगना चाहिए कि वे अपन बच्चो को असमय मरने से बचा सकते हैं, ज्यादा खाना प्राप्त कर सकते हैं, और वे एक प्रगतिशील देश के नागरिक हैं ।

२ खेतिहर देश में खेती पर विशेष ध्यान नितात आवश्यक है क्योंकि वहाँ की जनता का जीवन और संस्कृति खेती से अनेक रूपों में जुटी हुई है । खेती के अन्तर्गत ये बातें हैं

एक, यह जाना जाय कि लोग अच्छी खेती की ओर मुहँ इसके लिए किन प्रेरणाओं की आवश्यकता है ।

दो, शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर विज्ञान और खेती का ज्ञान कैसे दिया जाय ।

तीन, स्वयं खेतिहरों को शिविरो आदि के द्वारा खेती का शिक्षण दिया जाय ।

चार, खेती में विशेषज्ञ होने के लिए स्कूली सर्टिफिकेट पर जोर न दिया जाय ।

पाँच, खेतिहर मजदूरों के लिए खेती से बचे समय में निर्माण के कामों की व्यवस्था की जाय । ऐस कामों की ग्रामीण क्षेत्रों में कमी नहीं है ।

३ उद्योग में लौह धीर्जे जहरी हैं

एक धमिलो के लिए धावास, स्वास्थ्य शिक्षण की व्यवस्था ।

दो मजदूर-मगठना को प्रोत्साहित किया जाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश न की जाय ।

तीन काम करते करते ऊँची ट्रेनिंग दी जाय ताकि श्रमिक अपनी क्षमता बढाकर उन्नति कर सकें ।

४ सरकार की ओर से जोर डाला जाय कि हर कारखाने में हर तरह के श्रमिक या व्यवस्थापक के लिए आगे के शिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कारखाने की ओर से की जाय ।

५ इसी तरह प्रौढ शिक्षण का व्यापक पैमाने पर प्रबन्ध हो ताकि नागरिकता का स्तर उचा उठे । विशेष रूप से बेकार पड़ी हुई स्त्री-शक्ति के समुपयोग की बात सोची जाय ।

६ मान्यमिक शिक्षण में कई मुषारो की ओर तत्वात् ध्यान दिया जाय जैसे

घघे के और तकनीकी कोस,

शिक्षक प्रशिक्षण

प्राथमिक शिक्षण के तेज विस्तार के कारण पैदा हुई समस्याओ का अध्ययन,

विश्वविद्यालयों की ओर से करेस्पण्डेंस कोस की व्यवस्था ताकि अधिक-से-अधिक लोग लाभान्वित हो सकें ।

७ यह ध्यान देने की बात है कि पिछडे देश को शुरू में विश्वविद्यालय या बहुत ऊँचे स्तर के विद्यालय खोलने की प्रतिबन्धिता से बचना चाहिए । विश्व का ज्ञान लोगों के पास पहुँचाने की व्यवस्था की जाय, न कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढायी जाय ।

१४ पिछला देश सोचेगा, योजना बनायगा, और आगे बढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कुछ-न कुछ जाखिम उठानी ही पडेगी । ऐसे देश में राजनीति कभी-कभी ऐसे रास्तों पर जोर देती है जो आ-मघाती हीता है । उसमें बचना चाहिए । नये रास्तों की सतत तलाश, और आगे बढने का हठ सकल ही विकास की कुजी है ।

—एडम कुल्ले कृत 'एजुकेशनल स्ट्रेटजी फार डेवेलोपिंग सोसाइटीज' के आधार पर ।

नारी-जीवन की वर्तमान भूमिका और अपेक्षित तालिम की दिशा क्रान्तिवाला

आज मनुष्य ने चाँद पर घर बसाने की योजना बनाकर अपने अरमानों को ऊँचाई का उद्घोष कर दिया है। अपनी बुद्धि के सहारे इहलोक ही नहीं, परलोक के सुखों को भी ला उतारने का दावा वह अति प्राचीन काल से करता आया है। सुख-प्राप्ति की इस दौड़ में वृद्ध और जवान, शिक्षित और अशिक्षित, गरीब और अमीर, सब शामिल हैं। लेकिन सुख की इस दौड़ को दुःख के द्वन्द्व में बदल देनेवागी चीज है आपसी प्रतिद्वन्द्विता और छोटी-छोटी चपटी की चेष्टाएँ। इसी चेष्टा में हर आदमी अपने को दूसरों से अलग रख विशिष्ट बनने की अनेक योजनाएँ छोटे-बड़े पैमाने पर बनाता है। पथ, पक्ष, वाद, आदि इस अलगाव के विभिन्न रूप हैं। परिणाम यह है कि सुख की चाह में उल्लास की एक भयकर स्थिति समाज में पैदा हो गयी है।

सम्बन्ध का आधार ?

जब किसी उल्लास का मुल्लास पकड़ से बाहर हो उठता है तब चतुर्मुखी प्रतिभा-सम्पन्न मनीषी कोई नया सिरा ढूँढ़ने का इशारा करते हैं। कुछ इसी तरह का सकेत गांधी ने दिया और प्रचलित कोणों से भिन्न कोण जीवन को देखने का सुझाया। यह भिन्न कोण क्या है? 'अलगाव' की जगह 'लगाव' के विन्दु से जीवन को देखना, विशिष्ट की जगह 'सब' का नया जीवन-मूल्य विकसित करना।

'सब' के इस मूल्य को व्यक्ति का संस्कार बनाने की प्रक्रिया को नाम दिया 'नयी तालिम'। नयी तालिम के 'सब' में अमीरी गरीब साथ है, शिक्षित-अशिक्षित साथ हैं वृद्ध-युवक साथ हैं सवण अवन साथ है तो एक जिज्ञासा हाती है, कि क्या स्त्री-पुरुष भी साथ हैं? क्यों नहीं, भाई-बहन, माँ-बेटा, चाचा-बेटी, पति-पत्नी के रूप में स्त्री पुरुष साथ ही तो हैं! यह उत्तर मिलता है। फिर भी प्रश्न रह जाता है कि क्या स्त्री स्त्री के नाते पुरुष पुरुष के नाते भी साथ है? ऐसा साथ जिसको किसी आवरण की, परम्परा की, आवश्यकता न हो? जिसका आधार मात्र मानवीय हो, सत्यता हो?

आचार का प्रश्न उठते ही हमारे शास्त्र, धर्म, संस्कार, मान्यताएँ परम्पराएँ एक अटकाव ला देते हैं। एक विस्मय, एक भय पैदा कर देते हैं। बिना किसी परम्परागत मान्यतावाले सम्बन्ध में समाज के तथाकथित व्यवस्थाप्रिय लोगों

को नयकर अनीति और अराजकता का दर्शन होने लगता है। अनीति और अराजकता का यह काल्पनिक भय खड़ा कर सम्पूर्ण मानव के अनांग को निःसत्व बनाने और दबा देने से क्या शान्ति, स्थिरस्था और विकास सम्भव है ?

मुक्ति की आकांक्षा नयी जकड़ में

स्वतंत्र भारत की परतंत्र नारी इस दबाव को महसूस करने लगी है। वह इससे मुक्त होना चाहती है। लेकिन मुक्ति की दिशा नहीं सूझती, तो मुक्त-भोग को ही वरण कर लिया है। धन, यौवन, रूप, और बुद्धि बाजार में उसकी मुक्ति की प्रेरणा के प्रतिद्वन्दी बनकर खड़े हैं। बाजार का यह चौराहा इसे उसके मातृत्व से ही मुक्त किये दे रहा है। उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा, उसकी सहिष्णुता, उसके सतीत्व का लोप होता जा रहा है। मुक्त जीवन के भ्रम में वह देह के बन्धन में जकड़ती जा रही है। आज की शिक्षित और स्वतंत्र महिला को अपने नस्ल-शिक्ष के बनाव-ठनाव का जितना ख्याल दूसरों की खानिर करना पड़ता है, उतना अशिक्षित महिला को नहीं। शिक्षण और सम्यता का आज का पैमाना यह साज-सज्जा, अग प्रत्यग का उभार निखार और चटकाव-भटकाव हो रह गया है। एक शिविर में पीएच० डी० की छात्रा को कहते सुना, "यहाँ तो कपड़े लाने बेकार हो गये।" "क्यों भई, पहनो न, कोई रोकता है क्या?" "क्या पहनें, कोई देखनेवाला भी है ?

इस चकाचौंध के बीच एक मिनट ठहरकर सोचना पड़ता है कि मुक्ति की जो चाह थी, वह किसमें ? दबाव से ? दबाव जो स्त्री के ऊपर पुत्र का है, दबाव जो मानवता पर पशुता का है, अगर उससे मुक्ति की चाह थी, तो इस प्रयास में उनके चित्त पर के दबाव ममात हुए, घटे या और बड़ हो गये ? अपने जीवन के सत्व को, व्यक्तित्व के अस्तित्व को उसने स्वीकारा या नकारा ? मुक्ति के इस अभियान में उसको पुत्र का भय बड़ा या घटा ? ये सवाल भारत ही नहीं, विश्व की नारों के सामने हैं।

इस अप्रिय तथ्य से कौन इन्कार करेगा कि बावजूद मह-शिक्षण के, बच्चे-से-कन्या मिलाकर हर क्षेत्र में स्त्री का आगे आना सम्भव नहीं हुआ है। य भय, ये दबाव घटे नहीं, बढ़े हैं। आज अकेली लड़की न परिचितों में निश्चित है, न अपरिचितों में, उसकी सुरक्षा न घर में है, न बाहर, उसके लिए न फर्स्ट क्लास का सफर निरापद है, न थड क्लास का, रूप और धन से भिन्न उसके व्यक्तित्व का गौरव न धर्म को मान्य है, न शिक्षण को। राज्य और व्यापार का तो आवार ही है रूप और धन।

इस परिस्थिति के दर्द से पीड़ित एक स्वर—“हम समझ नहीं पाती कि हम ‘आउट ऑफ डेट’ अच्छे हैं, या वह जो ‘अपटूडेट’ हैं। “वात क्या है ?” “तरक्की करते-करते पति ऊँचे पद पर पहुँच गये, उनके दिमाग ऊँचे हो गये, रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो गया, उनके सामने हम पिछड़ रहे हैं।” “जब आपको अपने पिछड़े-पन का एहसास होता है तो क्यों नहीं उसे छोड़ देती, रुझियो को क्यों पकड़ रखा है ?” “क्या कहती हो, रुझि ? अरे, तो क्या कत्रब में जाकर धोपर और शराब पीने लगेँ, मर्दों की कमर में हाथ डालकर नाचने लगेँ। हमारे साहबों की यही ताजिन्दगी हमारे सामने है।” अगर इस ‘अपटूडेट जिन्दगी’ में रुचि लेकर और भी जानने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि स्क्व-कालेजों की प्रिधानाचार्या तब अफसरों का लडकियाँ भेंट करती हैं। यह नगराना पेश हाता है विद्यालय की तरक्की के लिए, यह अपसर होता है समाज की व्यवस्था बनाये रखने के लिए, यह पली होती है, इस सबको आज म बर्दाश्त करने और अपने पति की तरक्की के लिए ऊँचे अविकारी का मनोरजन करते हुए अपना पातिव्रत्य ढोने के लिए। शिदाग के इन सौदो, तरक्की के इन मूल्यों और नारी के प्रति भोग के इन दृष्टिकोणों को रखकर इन्सान अपना कौनसा विकास करना चाहता है ?

विकास या अध पतन ?

अगर यह सीधी विकास की नहीं है, अध पतन की है, तो इसके प्रति विद्रोह कौन करेगा ? विद्रोह की ताकत कहाँ से आयेगी ? रूप, यौवन और धन की ढेरी में से ? भय, अविश्वास और सन्देह की नीनियों में से ? या इस धिनौने पातिव्रत्य में से ? यह पातिव्रत्य, जो नारी-जीवन को नि सच्च बनानेवाला अभिराष सिद्ध हो रहा है, स्त्री को सिर से उतारना ही पड़ेगा।

जो शास्त्र, समाज, वातावरण, परिवार अपनी कन्या के लिए विवाह और पातिव्रत्य को किगी भी कीमत पर जीवन का अनिवार्य अंग मानता है, वह क्यों नारी के धिनौने व्यापारों को सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता है बल्कि खुद ही उसे चलाता भी है ? एक ओर देवी कहकर पूजता और दूसरी ओर नरक का दरवाजा कहकर निषकारता क्यों है ? आज भी नारी को अपने ऐसे भक्तों प्रशस्तों, आराधकों से चाहे वह निकट सम्बन्धी ही क्यों न हो, झुझने को हिम्मत करनी होगी। कभी-कभी नये खून में जोश आता है, लेकिन ‘तजे कंत वृज बनितन’, धर्म-क्षेत्र में मोह-भ्रत हुए अजुन की स्थिति में पड़ जाता है। ‘जब अपने ही विरोध करते हैं तो सहा नहीं जाता।’

मैं उन सबके सामने एक ही सवाल रखती हूँ कि ‘सहा नहीं जाता’ कहकर तुम्हारा घुटना टेकना सहना नहीं तो और क्या है ? जब इस स्थिति को अपमानित

होकर सह सकती हो ता, इससे मुक्त होने का दर्द नमग्मान क्या नहीं सह सकती ? वह सहना जोते-जोते मरण है, यह सहना मरते दम तक जीना है । उस सहने में हम नरक का द्वार बने रहने हैं, इस सहने में सर्जन का दरवाजा खोले हैं । अपनी सहन-शक्ति को हमें मानवता के ध्वस में से निवालेकर नयी रचना में लगाना है, शान्ति हमारे अन्दर है ही, उसे धन, ह्य और यौवन के दिटले बंधव से निकाल प्रेम, पुण्याय और विश्वास की नयी राह पर लाना है ।”

हो सकता है पुण्याय को धन का और प्रेम को ह्य का सामना करना पड़े, इन नये मूल्यों को कुचलने और दबा देने के पड्यत्र किये जायें, आज के सम्बन्धों की दीवालें लडखल जायें, कुटुम्ब की बहारदीवारी टूटे और भीतर का सब बाहर आ जाय, दाम्पत्य की बडियाँ भी टुक जायें । सम्भव है लडकियों के सामने अविवाह की स्थिति पैदा हो जाय, पर हट सकत्य होना होगा कि प्रत्येक अर्गचिकर स्थिति को स्वीकारेंगे, पर डरलच नहीं, परतकता नहीं । अपने अस्तित्व का लोप और व्यक्तित्व की ह्य में भागीदार नहीं बनेंगे । तय करना ही होगा कि शिक्षण के सह को कीचड में से निवालेकर जीवन में स्थापित करेंगे, केवल आर्थिक, राजनैतिक ही नहीं परत् सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को भी सहजीवन की नीव पर ही विकसित करेंगे । आज एक व्यक्ति दूसरे के सामने है, साथ नहीं । स्त्री-मुग्ध सह-जीवी नहीं, संरक्षित है । इसीलिए भरित है । बन्धे-से-कन्धा मिलाने का हौनला भी हृदय को हृदय से मिलने नहीं देता । तरह-तरह के भय सामने खडे होने हैं ।

मही है कि हृदय मिलाने के पहले हृदय में प्रेम और विश्वास की पूंजी जमा करनी होगी, आज के खाली दिलों को लेकर मिलाने भी जायेंगे तो टकरायेंगे । हमारी बुद्धि समृद्ध है, बाहर से भी हम समृद्ध हैं, पर अन्तर खोखला है । इसे निर्भयता, हृदता और विश्वास में अतिप्रोल करना होगा । इन्सान इन्सान के बीच के स्वामित्व की भूमिका को हटाकर सम्यत्व की प्रतिष्ठा करनी होगी । तब गानी को बल्यता का एक दिल मानव भारत ही नहीं, विश्व की समस्याओं का मुकाबिला कर सकेगा, तब वह चाँद पर ही नहीं, ब्रह्म में भी वाम करेगा ।

अपेक्षित है दिठ की समृद्धि बडानेवाली शिक्षा, पुण्याय जगानेवाली शिक्षा, सहजीवन के लिए ही जोदन देनेवाली शिक्षा । यह शिक्षा आज की प्रतिडन्दिता, परीक्षा और परतकता को शिक्षा से एकदम भिन्न होगी !

शान्तिवाला—सत्यापिका सचालिका, जीवनभारती, शिक्षादरदाऊ, अलीगढ़ ।

यह असंतुलित विकलांगी विकास या पिछड़ापन ?

रामचन्द्र राही

विकास की बात होती है तो अनायास निगाहे भारत के विशाल धागन में फँस जाती हैं और तब भारत की एन' ऐसी तस्वीर सामने आ खी होती है जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे महानगर अपनी विराट बाया म विकास का अद्यतन पैमाना समामे हुए होते हैं, और रौंद, मुसहरी, देवरी, रीगा-जँस गाँव भी होते हैं जो विकास के नहीं, अविकास के यानी पिछड़ेपन के निम्नतम स्तर निर्धारित करने में सहायक होते हैं। इस विराट दर्शन से थककर निगाहे शिथिल हो जाती हैं, तब भी, कुछ दृश्य अटके रह जाते हैं पलकों में। ये दृश्य एकसाथ पिछड़ेपन, विकास की आकांक्षा, दिशा तथा उसके पैमाने की ओर संकेत करते हैं।

• बिहार का एक सर्वोदय आश्रम। सूदूर जंगल में बसे एक गाँव का करीब ८-९ साल का लड़का आया है इलाज में। सूखी हड्डियों पर काली चमकदार चमड़ी, आँखों में पीलापन, शरीर के अनुपात में सिर की गोलाई कुछ अधिक बड़ी, और गुम्बारे-सा फूला हुआ पेट। साथ खाने बैठता है तो मुझ ३० साल के जवान से दूना भात खा जाता है, फिर भी आँखों में तृप्ति के नहीं, अतृप्ति के ही भाव झलकते हैं, बार-बार रसोईघर की ओर ताकता और हर अदर से बाहर आनेवाले आदमी से कुछ पाने की आशा लिये हुए सकुचाता-सकुचाता अपनी कोई माँग पेश करता है। डाक्टर की हिदायत उसे बार-बार सुनायी जाती है कि इससे अधिक खाने पर रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी और वह हर बार सिर नीचे गड़ाकर लगभग खाली थाली में ताकने और कभी-कभी जूठे हाथ की उँगलियाँ चाटने लगता है। परोसनेवाले को कुछ-न-कुछ थाली में डालना ही पड़ता है और तब उसके चेहरे पर आयी क्षण भर की चमक देखते ही बनती है। न जाने कितनी पीढ़ियों की घनीभूत अतृप्ति के बीच तृप्ति के कुछ लम्हे इस पीढ़ी के लिए। मन कहता है, दवाखाने का डाक्टर भला इसको क्या रोग-मुक्त करेगा, उसे तो शायद मज्र क्या है और कितना पुराना है इसका एहसास भी न हो।

• उत्तरप्रदेश के एक ऐतिहासिक नगर की मुख्य सड़क का एक नुककड़। एक मजदूर लगातार दरोगा को भेदी स-भेदी गालियाँ बकता जा रहा है। बीच-बीच में घोपणा भी करता है—'साला, हम भी वोट देकर सरकार बनाता है, तुम क्या तुम्हारे बाप भी वोट के लिए हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ता है। बीच-बीच

मे वह जोर-जोर से हाथ-पाँव पटकता है। चार ओर मजदूर उसे पकड़कर दबाये हुए हैं। फिर भी उसमें न जाने कहाँ से बला की ताकत आ गयी है। सबसे अपने को छुड़ाकर एक ओर भागने को होता है कि उस ऊँचे चबूतरे से नीचे ओंवा गिरता नाक और मुँह से खून बहने लगता है। पूछने पर पता चलता है कि उसकी कमाई इधर एक साल से कुछ अधिक होने लगी है। लेकिन बुरी सगत में पड़ गया है। दारू खूब पीता है और सड़को-चौराहों पर बड़े घर की बहू-बेटियों पर 'बोली कसता' है। आज पुलिसवाले पकड़ ले गये थे दरोगा के पास, उसने दो-तीन हूएटर जमा दिये हैं, तब से ही पागल की तरह बकझक रहा है।

“क्या बताऊँ साहेब, दूर देहात में इसका भर-पूरा परिवार है। आया था तो इतना सीधा-सादा, नेक और ईमानदार, कि हम लोग सोचते थे कि यह शहरी जिन्दगी के लायक नहीं। लेकिन तब इसकी जेब में इतने पैसे नहीं रहते थे, जितने आज रहते हैं। अब पैसा क्या कमाने लगा कि आदमी से शंतान हो गया।” मैं वहाँ अधिक देर ठहर नहीं पाता, सेबी से आगे बढ़ जाता हूँ।

×

×

×

• मैं जिन मुहल्ले में रहता हूँ वहाँ के कुछ रईम और रईसी की आवाशा पालनेवाले लोग बरसात के मौके पर मुहल्ले के बीचो-बीचवाले तिराहे पर हर साल कजरी, कव्वाली आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया करते हैं। कार्यक्रम रात के १०-११ बजे से शुरू होता है और सुबह के ८-८½, और कभी-कभी १०-११ बजे तक चलाता है। उन दिनों रात में न तो पास-पड़ोस में कोई सो पाता है, न कोई काम कर पाता है, इसलिए अक्सर जब वह आयोजन शुरू होनेवाला होता है तो मैं कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना लेता हूँ। इसी तरह के एक बहाने का कार्यक्रम पूरा करके एक बार वापस लौटा तो देखा कि सुबह के आठ बजे भी पूरी उमंग के साथ वह आयोजन चल रहा है।

एक मोटे धुल्लुने बदनवाली अंधेड उम्र की नर्तकी मंच पर कजली गा रही है। उसके हाव-भाव में अश्लीलता की कोई कमी नहीं है, और ८-१० साल के छोटे बच्चों से लेकर ६०-७० साल के बड़े-बूढ़ों तक सबके सब पूरी तन्मयता से उसमें मजा से रहे हैं।

तभी एक सफेद बालोंवाले रईम-से दीख रहे सज्जन अपनी नाक की नीक तक लटक आये पतले फ्रेम और मोटे शीशेवाले चश्मे की जरा हाथ से संभारकर १२-१३ माठ की एक लडकी की ओर घूरते हुए कहते हैं “बाईजी, बीच-बीच में ऊँ जवन घटकार घटनी हो इहो के स्वाद मिलत रहे के चाही।” मैं अपनी आँखों

मे देख रहा हूँ कि यह मासूम लड़की बलसामी-सी उठ खड़ी होती है और उस अघेड नर्तकी की तरह अश्लील प्रदर्शन के सीखे हुए पाठ दुहराने लगती है। दरक-मएडली में एन नयी रीनक-सी धा जाती है।

‘वाह-वाह, चमेली तो गुलाबो स भी अधिक खुशबूदार है।’ एकसाथ कई लोग रुपये-दो रुपये के नोटों के साथ अपने मन का कीचड़ उछालते हैं। और मेरे लिए और अधिक देर तक वहाँ ठहरना असम्भव हो जाता है।

×

×

×

• इटारसी जवशन पर मद्रास जानेवाली डीलबस एक्सप्रेस आकर खती है। मैं तीसरे दर्जे के वातानुकूलित डब्बे के सामने जाकर खटा होता हूँ, जिसमें बैठने की गद्दीदार कुर्सियाँ होती हैं। पहले तो मेरे बहुत मामूली लिबास को देखते ही कगडकट फटकार देता है “यह ‘एयर कगडोशएड’ डब्बा है देखते नहीं?” “देखता हूँ, लेकिन दर्जा तीसरा है, यह भी तो दिखाई दे रहा है?”—मैं प्रश्न में ही जवाब देता हूँ। “लेकिन इसमें पैसे अधिक लगेंगे।” “मैं चुकाने को तैयार हूँ।” और तब मुझे अन्दर घुसने की इजाजत मिलती है। अदर मेरी आँखें बूँड रही हैं कि क्या सचमुच इसमें कोई मेरी तरह तीसरे दर्जे का भी यात्री है। कोई नजर नहीं आता। बाहर गमी है, लेकिन डब्बे के अन्दर कुछ ठडक-सी महसूस होती है। चादर बाहर नहीं है। इसलिए बने से गमछा निकालकर कान पर लपेट लेता हूँ, और पहनी हुई घोंती का एक हिस्सा ओढ़ लेता हूँ।

मुझे इस लिबास में देखकर दो-तीन बच्चे खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं। एक तन्ही गुडिया-सी विटिया अपने नाँ बाप का ध्यान मेरी ओर आकर्षित करने के लिए कहती है “ममी, डैडी, लुक देअर, हाऊ बरएडरफुल। लुक्स लाइक ए मकी।” और मम्मो-डैडी मेरी ओर क्षणभर ताककर अपनी सीसे निपीड लेते हैं। गाडी की रफ्तार तेज हो गयी है, और अतक मैं पूरे डब्बे के आकर्षण का केन्द्र बन चुका हूँ। बच्चे बार-बार मेरी ओर ताकते, और विचित्र प्रकार की नकलें उतारते हैं। मेरी सीट की चार-पाँच कतार पीछे बैठे एक सरदारजी कुछ गुस्से में बहबडाते हैं, “कैस-नँसे ‘अनकलवरड्’ लोग पाय जाते हैं इम इन्दु ता म। ऐसा लगता है कि इस देश में सम्पत्ता नाम की कोई चीज कुछ है ही नहीं। यूरोप में ता।”

“कितना ‘बैठ इम्पेशन’ बंबीज के लिए ‘बोयट’ कर रहा है यह ब्रूट।”— सरदार जी के बगल में बैठे एक दूसरे सज्जन फुसफुसाते हैं। मुझे लगता है कि आजाद भारत की किसी गुलाम बन्नी का कैदी बन गया हूँ।

मेरी पलको मे रती के बारीक कण चुभने लगते है । इन दृश्यों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता । पिछड़ेपन, और विकास के कुछ सदर्थ अजीब विसंगतियों के साथ चित्त पर छा जाते हैं ।

भूख और भूख

जहाँ भूख-ही-भूख है, पीड़ियों स जो पेट की ज्वाला जल रही है, वह कभी बृद्धी नहीं । तन का लहू निबूडता रहा मन के भाव सूखते रहे । जहाँ सबम पहली और (स्लिहाल) सबके आखिरी माँग है 'भात की, कभी कोई दूसरी आकाशा पैदा भी होनी है तो इस भूख की आग म जल जाती है, वहाँ के पिछड़ेपन की व्याख्या क्या की जाय, और उनके विकास की व्यूह-रचना क्या हो ? अगर उनसे पूछा जाय जो इस परिस्थिति मे मरते जीते हैं तो उनका एक ही जवाब मिलेगा—कोई योजना करनी है तो ऐसी करो कि भरपेट भात मिले । ठीक भी है, भरपेट भात तक नहीं मिले तो इसमे बढकर क्या होगा पिछड़ापन और इसे दूर करने की योजना से बढकर विकास को कौनसी होगी दूसरी योजना ?

आज की जो परिस्थिति है, उमम तो ये भूखे लोग पेट भरने के लिए नस्वो, बाजारा, नगरा, और महाननरो की खाक छानते हैं । तन (श्रम, सौंदर्य या प्रतिभा) बेचते हैं, पेट भरता है, लेकिन भूख फिर भी भेष बदलकर लौट आती है और भी विकराल बनकर । इस भूख स कोई दाह पीकर, कोई नर्तकी के अपलील प्रदर्शनी में खोकर, कोई 'डिप्लोमेट' या अन्य किमी कीमती अप्रेजी नरो की बोलली में डूबकर और इसी तरह के न जाने कितने साधनो-प्रसाधनो के सहारे मुक्त होना चाहता है, लेकिन अनृति है कि बढती ही जाती है, घटने का नाम नहीं लेती । यह भूख तनिक सम्य और आकर्षक बनती है तो सत्ता लिप्सा का रूप धर लेती है, और जब फैलकर युद्ध की शरिडका बन जाती है तो पूरी मानवता कराह उठती है । साधनो-प्रसाधनो स अपने को छल रहे टुकडो म विभाजित हमलोग अपने को सम्य घोषित करने के लिए दूसरो को असम्य घोषित करते चले जाते हैं । हम विकास के नय पैमाने निर्धारित करते है, उम ओर तेजी से दौड़ते हैं, अक्सर अपने आपको पहले नम्बर पर रखने के लिए दौड लगाने म अधिक दूसरो को घक्कियाते हैं, और विकास की तथा-कथित अमुक मजिल पर पहुँचकर पीछे छूट गये गिरते-पडते और गुड़कते लीगो को निछड़े हुआ की सजा दे डालते हैं ।

आज का हमारा शिक्षण (सिर्फ भारत का ही नहीं, मारी दुनिया का) इस बेतरतीब और अमनुलित विकलागी विकास की धारा को मोड़ने का काम नहीं करता, सिर्फ इस स्थिति को कायम रखने का संरजाम मुहैया करता है ।

आज भी बिहार क छोटीनागपुर अनुमागण्ट का आदिवासी चौद पर पहुँचने-वाली दुनिया से मुह मोडकर अपनी स्वायत्तता कायम रखने के लिए क्या सघर्ष करना है ? क्यों वह चाहता है कि हमारे जीवन की सरचना म बाहरी हस्तक्षेप न हो, नही तो हम नष्ट हो जायेंगे ? हम तथाकथित विकसित लोग इस आदिवासियों का पिछड़ापन कहते है और य पिछड़े आदिवासी हमारे विकास स दूर भागकर अब तक की नात पिछड़ेपन और विकास की परिभाषा के आधे प्रश्नचिह्न खडे कर देते हैं । हम उनके इस प्रश्न की अपक्षा कर सकते हैं करते रहे हैं, उस क्या कहेंगे ? उस विक्रमता म ही वे आदिवासी जीवन के करीब जाते हैं और विकास के अद्यतन वैभव म नफरत करते है । क्या य भी उपेक्षणीय हैं ? या पूरे समाज के विकास की दिशा क सामने एक बडे प्रश्नचिह्न के रूप म खडे हैं ?

आदिवासी जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करने म लेखकीय मशा अबतक हुए विकास-कार्यों को व्यथ घोषित करने की उतनी नही है जितनी कि उसके असतुलित क्रम को स्पष्ट करने की है ।

सत्ता का बहुरूपियापन

फक क्या है आदिवासी जीवन रचना म और आज की विकसित समाज रचना मे ? आदिवासी समाज (और शायद हर समाज कभी-न-कभी आदिवासी रहा होगा) की रचना आज भी मनुष्य के साथ मनुष्य के सम्बन्ध और परस्पर की पूरक आवश्यकताओं पर आधारित है । उनके समुदायो मे व्यक्ति का जीवन एक-दूसरे के जीवन के साथ गुथा हुआ है । इसीलिए उनक बीच की निर्णायक शक्ति न धम की सत्ता है न राज्य की सत्ता है न धन की सत्ता है । इसके विपरीत सम्य समाज का प्रारम्भ ही हुआ था धम की सत्ता स जो राज्य-सत्ता की बरास्ता धन की सत्ता तक पहुँचा हुआ है । धम और राज्य की अवशेष सत्ता धन की सत्ता मे धुल गयी है और धन विज्ञान को खरोदकर मानव का पथ निर्देशक बन गया है । धन की सत्ता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचकर जब मानव की चेतना को निगलने लगी थी तो उस चेतना का विद्रोह मानवीय उद्घोष के साथ प्रगट हुआ था । दुनिया ने उस नये लाल क्लितिज का दर्शन किया था लेकिन धन की सत्ता ने विज्ञान की यांत्रिक मत्ता का आवरण ओंकर उस नये क्लितिज की लाली को ढँक लिया जान पडता है । इसलिए सारी सत्ताओं की सीमाओं को तोडकर मानवीय चेतना मुक्त समुदायो मे प्रगट होता चाहकर भी एक नये वाद की सत्ता के बदलाने में बंद हा गयी है ।

फंती सत्ता सिकुडा मानव

विकास और व्यवस्था के आकषक और छलिया रूप में प्रगट हुई ये 'सत्ताएँ' मानव को मानव में तोड़ती आयी हैं। वैभव की दुनिया फैलती गयी है और इमान की जिन्दगी दूटती-बिखरती गयी है, क्योंकि विकास के क्रम में केन्द्रबिन्दु मनुष्य का सम्बन्ध नहीं रहा है। वैभव को विभूति मनुष्य नहीं बन पाया है। शांति और व्यवस्था के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच होनेवाले टकराव (जो जुड़ने के क्रम में सहज थे नहीं तो आज के मनोवैज्ञानिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दम्पति को आपस में खुलकर बगड लेने की सगाह क्यों देने ?) आपसी टकराव से सगाज को बचाने के लिए एक तीसरी शक्ति की मनुष्य में ईजाद की और वही शक्ति 'सत्ता का रूप लेकर मानव के लिए भ्रमासुर बन गयी। उसकी शक्ति बढ़ती गयी बापरे बढ़ते गये। आज वह शक्ति पूरी दुनिया को मकड़ों दफे सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने की क्षमतावाली हो गयी है और उसके पोषक दायरे राष्ट्र के नाम से घरती के छोटे-बड़े भूखण्डों के रूप में विकसित हो गये हैं। शक्ति की इस अपरिमितता और दायरों की इस व्यापकता में मनुष्य इतना लघु और दूटे-बिखरे रूप में हुरदम अपनी अंतिम घड़ियाँ गिनने को विवश हो जायेगा, ऐसा कब, किसने सोचा था ? लेकिन आज यह नग्न परिस्थिति हमारी आँखों के सामने है।

इस 'सत्ता (जिन्हीं बुनियादी शक्ति हिंसा के सिवाय और कुछ नहीं है ?) के इद-गिद की विकसित यह सम्यता एक ओर विपुलता और सेवस के जनने द्वय भोग तक सिकुड आये सम्बन्धों से पोषित है तो दूसरी ओर शोषण और दमन की कड़ी में गिरने करोड़ों इन्सानों की जीवित लाशों की बुनियाद पर टिकी है। मानव-चेतना इस स्थिति से विद्रोह कर रही है, और अब व्याकूलता की कराह मुखर हो रही है, लेकिन इसकी क्या गारण्टी है कि पुरानी सत्ता फिर किसी नये रूप में इसे दब नहीं देगी।

एक बड़ा प्रश्नचिह्न

विकास और सम्यता के खोखले मानदण्डों में टूटकर बिखरी इन्सान की जिन्दगी को देखकर ही शापद आदिवासी इस सम्यता से दूर रहना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि सम्यता में दूर रहकर भी वे अपने आपस अपने परिवार से, अपने पड़ोसी और ग्राम समुदाय में अलग नहीं हैं। जब कि इसके विपरीत हम 'सम्य' लोग समुदाय से क्या, पड़ोस परिवार और यहाँ तक कि अपने आपस भी कटो हुई जिन्दगी का भार ढो रहे हैं।

इस विश्लेषण के आधार पर आदिवासी जीवन को 'मॉडल' के रूप में पेश करना हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल उसकी जीवनी शक्ति को सामने लाने का प्रयत्न है—दिशा-निर्धारण के लिए। यह एक तथ्य है कि आदिवासी समुदाय अपने आप बहुत कम द्रूटते हैं, जब भी द्रूटते हैं तो बाहरी प्रहारों से। और हमारी 'मम्य रचना' तो ऐसी है कि उसमें हम अपने आप द्रूटते रहते हैं।

समाज जन्मते ही मर गया

समाजवादी विचारों की तलाश में हम बहुत पीछे मुड़कर देखना हीमा, वहाँ जहाँ से मनुष्य के साथ मनुष्य के होनेवाले टकरावों और उसके दुष्परिणामों से समाज को बचाने के लिए 'तीसरी शक्ति—सत्ता' का जन्म हुआ था। वास्तव में जब तक सत्ता का जन्म हुआ तभी 'समाज शिक्षा' को 'धर्म' छू गया और आज हम यह कहने की धृष्टता करना चाहते हैं कि जिस हम 'समाज' कहते हैं वह समाज 'सत्ता' का ही एक छद्म रूप है। इसीलिए समाजवादी शक्ति की निष्पत्ति मुक्त मानवों के मुक्त समुदाय के रूप में न होकर एक नयी साम्यवादी सत्ता के रूप में हुई, जो मानव के लिए पहले की सत्ता से कम जकड़नेवाली साबित नहीं हुई।

यह 'सत्ता' विकसित कैसे हुई? तालीम से इसका क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के उत्तर में ही एक बुनियादी बात स्पष्ट होती है कि सत्ता के पक्षधरों का निर्माण करने के लिए विशेषज्ञों की तालीम शुरू हुई। धर्म की सत्ता में धर्म के विशेषज्ञ कुछ लोग बने, राज्य की सत्ता में राज्यशास्त्र के विशेषज्ञ कुछ बने, और 'सत्ता' का ज्यो ज्यो फैलाव होता गया, 'तालीम' भी उसके पोषण के लिए उसी आवश्यकता के अनुसार और अनुपात में बढ़ती गयी। जब जो सत्ता सर्वोपरि रही, तब उसने उसके अनुस्तर की तालीम चलायी और 'विशेषज्ञ' पैदा किये। यह सिलसिला भारत में अंग्रेजी सल्तनत स्थापित करते समय भी जारी रखा गया। उसे जरूरत थी हीन चेतनावाले मिय्या स्वाभिमानों गुलामों की और मेकाले साहब ने उसकी व्यूह रचना तैयार कर दी। देश उन पडे-लिखे सभ्य गुलामों से पट गया। वे अंग्रेजी 'सत्ता' के भारतीय स्तम्भ बने रहे। आजादी के बाद भी चूकि विकास की दिशा वही 'सत्ता-निर्द्धत' रही, इसलिए कोई बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी, और 'सत्ता' के पुर्जों का निर्माण कार्य 'तालीम' के सुन्दर 'साइबोर्ड' के साथे में आज भी चल रहा है।

इस पूरी तालीम की योजना में 'समाज' कहीं नहीं रहा। समाज अगर रहता, तो विकास की ईकाई समाज का हर सदस्य होता। 'सब' को छोड़कर 'अल्प' को लेकर आगे बढ़नेवाली सत्ता पोषक तालीम के कारण मानव विकास की धारा

आरम्भ में गुमराह हो गयी। उसकी पद्धति और उसके साधन अमानवीय हो गये।

गानी ने इस बुनियादी भूज को परखकर ही ऐसी तालीम की योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें 'सर्व' के शिक्षण और फलस्वरूप 'सर्व' के विकास की योजना थी। लेकिन वह योजना 'सत्ता' की शक्ति से दबकर रह गयी।

लोकतांत्रिक सत्ता आज अपने नवीनतम रूप में भी 'अल्प' की सत्ता बनकर ही रह गयी है, 'बहु' का उद्घोष भर है। 'सर्व' का तो कही नाम भी नहीं।

एक आखिरी सघर्ष

वास्तव में 'सर्व' को सामने रखकर विकास की जो योजना बनेगी, वह तालीम केन्द्रित ही हो सकती है। इसलिए जिस जगह आज सत्ता की शक्ति आग्नि-पत्य जमाये हुए है, उस जगह तालीम की शक्ति पदा करके 'सत्ता' की यानी हिंसा की शक्ति को समाप्त करना होगा। इसके लिए भी गानीजी ने मञ्जित किया था—
The struggle for the ascendancy of civil over military power is bound to take place in India's progress towards its democratic goal (भारत के लोकतांत्रिक लक्ष्य तक पहुँचने में सैनिक शक्ति पर नागरिक शक्ति के आरूढ़ होने का सघर्ष अद्वयम्भावही है।)

मनुष्य और मनुष्य के बीच पैदा होनेवाले टकरावों को दूर करने के लिए 'सत्ता' की तीसरी शक्ति की जगह 'चेतना' की आपसी शक्ति का विकास करना होगा। यह विकास 'सर्व' की जागृत चेतना का मिलाजुग स्वस्वरूप होगा। इसलिए शिक्षण का कार्यक्रम ऐसा बनाना होगा जो स्कूल की चहारदीवारी और पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं, 'सर्वजन' के अविकसित और विकास के नाम पर असतुलित आज के मानव-समुदायों के बीच चर सके। इस कार्यक्रम को चलायेगा वह जो चेतन होगा, और जो सत्ता' (केवल सरकार नहीं, समाज के हर क्षेत्र में स्थापित बहुरूपिया सत्ता) को नकारते हुए, उसके प्रहारों को भेजते हुए आगे बढ़ेगा, जिसकी चेतना उसे ऐसा किये बगैर चैन से बैठने नहीं देगी।

यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि तीसरी शक्ति से हमारा मतलब आखिरी शक्ति के रूप में संगठित हिंसा और उसके द्वारा पैदा किये गये भय को आधार बनाकर मनुष्य मनुष्य को नियंत्रित करनेवाली रचना है। इस रचना में नियंत्रित व्यक्ति या वर्ग बदलते रहते हैं, बुनियादी तौर पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं तरह 'सर्व' से हमारा मतलब मनुष्य मात्र से है। इस रचना के कारण भले ही कोई नियंत्रक की जगह हो, और चाहे नियंत्रित की

स्थिति में हो। जब हम 'सर्व' के शिक्षण की बात करते हैं तो उम्मीद आशय यह होता है कि सबकी चेतना को उद्बोधित करना, इस आस्था के साथ कि बाल्यम से सत्रम चेतना-शक्ति जागृत होगी ही।

यह एक ऐतिहासिक सुयोग है कि आज 'सत्ता' अपनी विकरालता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई है और मानव की 'चेतना' अस्त होकर विद्रोह पर उतारू है।

सब की 'चेतना' का उद्बोधन

सही मानी में तत्काल 'सर्व' के शिक्षण की व्यूह रचना उसकी 'चेतना' को उद्बोधित करने और 'सत्ता' के आवरण को चीरकर उसकी विद्रूपता को सामने लाने की ही हो सकती है होनी चाहिए। इसके लिए 'सर्व' के जीवन को प्रभावित करनेवाली सामाजिक, राजनीति धार्मिक तथा अन्य सभी प्रकार की धुंध सत्ताओं से एकसाथ या छिटपुट टकराने की जगह किसी केन्द्रीय बिन्दु पर 'सर्व' की सकलित और सगठित चेतना-शक्ति द्वारा प्रहार करना होगा। ज्यो-ज्यो वर्तमान सत्ता टूटेगी, 'सर्व' के विकास की सम्भावना और परिस्थिति बनेगी।

तालीम और विकास को टुकड़ों में देखनेवाले आलोचका और विद्वानों का यह आशय हो सकता है कि यह एक कल्पना की गैरतालीमी उड़ान है। इससे न तो विकास का कोई सम्बन्ध है और न तालीम का, उनमें निवेदनपूर्वक यही कहना चाहेंगे कि अपनी निगाहों की परिधि को फैलाकर तथ्य को देखने का प्रयत्न करें। आज चेतन मनुष्य को यह समझाने की जरूरत नहीं होगी चाहिए कि सत्ता अर्थात् हिंसानिद्रित समाज रचना में विकास और तालीम के जो भी काम हो रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है—इस या उस यात्रिक ढाँचे का मनुष्य को मात्र एक पुर्जा बनाना। इस ढाँचे में जकड़ा हुआ मनुष्य सम्बन्धों से कटकर जाता है। सम्पन्नता, सम्मान और सेवक को आत्म-सुख का आधार बनाता है, लेकिन सुख उसके लिए भ्रममयीचिन्ता बनकर रह जाता है। क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए वह खुद उपाजन नहीं बनता, श्रमता या धिक्ता बनता है। क्रय-विक्रय के सम्बन्धों में भोग का क्षणिक सुख मिलता भी है, तो सजन के स्थायी सुख से वह वंचित ही रहता है। मनुष्य जब उपाजनशील होता है तो उसको मनुष्य के साथ, बिना किसी बोध की तीसरी दलाली-शक्ति के, प्रत्यक्ष जुड़ना होगा है। उपाजनशील जीवन शान्तिप्रिय होता है जब कि बिना उपाजन किये उपभोग की सामग्री प्राप्त करनेवाला जीवन स्वभाव से नुटेरा होता है, यह एक इतिहास का तथ्य है।

गांधीजी ने उत्पादन की प्रक्रिया, जीवन के प्रत्यक्ष सम्बन्ध और निसर्ग को तालीम का माध्यम बनाने की बात कही थी। व्यक्ति का जीवन स्वयं से शुरू होकर चेतन समुदाय और उसके इर्द-गिर्द की प्रकृति से जुड़े और धींच के पैदा होनेवाले टकरावों, उलझनों या समस्याओं को मनुष्य स्वयं मिलकर हल करें, यह स्थिति लाने की जिम्मेदारी तालीम की है। तालीम कंस इसके योग्य बने यह विस्तार से सोचने का विषय है। लेकिन इसमें शुनियादी बात यह है कि ऐसी तालीम विशेषज्ञता की एकागी तात्वीम नहीं हो सकती, वह 'सर्व' को लेकर ही अग्रे बढ़ेगी, कुछ को बहुत आगे बढ़ाने और शेष को बहुत पीछे छोड़नेवाली प्रक्रिया बन्द होगी। यानी 'सर्व' की समग्र क्षमता विकसित होगी।

हिंसा का चरित्र और चेतना की शक्ति

सवाल उठ सकता है कि जिस तरह हर एक के अन्तर में 'चेतना' के जागृत होने की सम्भावना मानी गयी है, उसी तरह स तो 'हिंसा' भी हर एक के अन्तर की चीज है। यहाँ मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि हिंसा मनुष्य का अन्तर्निहित तत्त्व है, या नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हिंसा की अभिव्यक्ति में प्रतिपक्षी को दबाने की चेष्टा होती है, और यह चेष्टा शत्रु और संगठन का आधार लेकर मानव-अस्तित्व के लिए शुनीती बन जाती है, जब कि मानव की 'चेतना' को उसकी मूल शक्ति बनाने पर मानवता के निरन्तर उजागर होने और परिष्कृत होने की सम्भावना है।

शत्रु और संगठन की हिंसक शक्ति किसी भी चीज को दबाती है, हल नहीं करती, इसलिए 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की बात पलती है। इसमें किसी-न-किसीको दबाना है। जो सबकु होगा, वह दबायेगा, जो निर्बल होगा, वह दबेगा। विज्ञान की विकसित तात्त्विकता, शक्ति को निरन्तर केन्द्रित करती जाती है, यह उसकी सहज दिशा है। इसके कारण नियंत्रक शक्ति के रूप में आज 'सरकार' (चाहे वह किसी भी ढाँच की क्यों न हो) सर्वशक्ति-सम्पन्न सत्ता है। इस पूरी स्थिति को नामने रखने पर जाहिर है कि हिंसा की शक्ति 'सर्व' को शक्ति नहीं हो सकती। वह अधिक-से-अधिक अन्य या बहुसंख्यक वर्ग की हो सकती है। और यह हमने पहले ही कहा है कि इस प्रकार की आज की शक्ति-सम्पन्न सत्ता के इर्द-गिर्द जो रचना हुई है, और जिसकी पोषक तालीम विकसित हुई है, उन सबका परिणाम मानव-अस्तित्व का संकट बन गया है।

व्यापक जन-शिक्षण द्वारा जन-शक्ति अन्विष्ट

सर्व की शक्ति विकसित करने के लिए आज एक व्यापक जन-शिक्षण की आवश्यकता है। यह जन-शिक्षण व्यक्ति और समाज की समस्याओं के अनुबन्ध में

करना होगा। जैसे-जैसे व्यक्ति की चेतना जागेगी और स्पष्टीकृत समुदायों में संगठित होती जायेगी वैसे-वैसे एक नयी शक्ति पैदा होती जायेगी जो हिंसा की सत्ता को स्थानान्तरित करेगी। अब इस शंका को जहूरत नहीं कि यह असम्भव बात है, क्योंकि दो स्रोत पर मनुष्य की चेतना में अपने 'स्वत्व' का भान होने लगा है, और 'सत्ता' से विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं—एक तो यूरोप की विपुलता से प्रस्त नयी पीढ़ी में, और दूसरे भारत-जैसे अविश्वसित या विकासशील माने जानेवाले देशों के दलित लोगों में। यह ठीक है कि एक ओर 'हिपीज' हैं, दूसरे और 'नक्साल-वादी' हैं। दोनों का विद्रोह अभी दिग्भ्रान्त है, लेकिन जगह-जगह चेतन क्षेत्रों में खोज जारी है। इस खोज में भारत का ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य का आन्दोलन इस मानी में अग्रणी माना जा सकता है, क्योंकि इसने इस शक्ति को आधार बनाया है; जिसे हम मानव की 'चेतन-शक्ति' के रूप की कल्पना कर रहे हैं।

नये क्षितिज की भिलमिल आभा

मानव की 'चेतना' को शक्ति मानकर इस नये परिप्रेक्ष्य में समाज-रचना का स्वरूप क्या होगा, यह एक सवाल सहज ही पैदा होता है। इसका 'ब्लूप्रिण्ट' पेश करना तो सम्भव नहीं, लेकिन दूर क्षितिज पर उभरती हुई कुछ आलोक-रश्मियाँ दिखाई पडती हैं, जिन्हे यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा; क्योंकि इनमें विकास के नये आयाम का संकेत मिलता है। विकास के इस नये आयाम को कदम-दर-कदम यथार्थ करने के लिए परिवर्तन की शक्ति पैदा करनेवाली तालीम की ब्यूह-रचना करना होगा।

(१) मनुष्य की क्षमता को समाप्त करनेवाली भीमकाय मशीनें हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी मशीनें चाहिए, जो मनुष्य की कार्य-कुशलता बढ़ाने में सहायक हों। आज तो विकास का मापदण्ड मशीनें बन गयी हैं, यह मापदण्ड बदलना होगा, विकास का मापदण्ड मनुष्य मात्र के समग्र विकास को बनाना होगा।

(२) हमें ऐसे महानगर नहीं चाहिए, जहाँ मनुष्य की भीड़ का तो पारावार न हो, लेकिन मनुष्य हर जगह मनुष्य से अजनबी ही, अपरिचित हो। हमें ऐसी वस्तियाँ चाहिए, जहाँ आदमी आदमी को पहचाने, एक-दूसरे के साथ जुड़े, एक-दूसरे के काम आये और हर तरह से एक-दूसरे के जीवन के खालीपन को भर सके।

(३) हमें ऐसी राष्ट्रीयता नहीं चाहिए, जो पहले तो घरती को टुकड़ों में बाँटती है और फिर उन टुकड़ों में रहनेवालों को एक-दूसरे के खिलाफ उभाडती है, भय और नफरत पैदा करती है और आखिर में युद्ध की भयंकर लपटों के हवाले कर देती है। हम तो महासागर की उन लहरों-जैसा एक-दूसरे से जुड़कर खेलना चाहते हैं, जहाँ कोई विभाजन नहीं है, हर बूँद एक-दूसरी से जुड़ी है।

(४) मशीनों ने उत्तेजना बढ़ानेवाली चीजें पैदा की हैं ; मनुष्य के अन्दर भूयो जरूरतें पैदा की हैं और आज वह हृदय से शून्य होकर इन जरूरतों की मृगमरीचिका के पीछे भटक रहा है, उसके जीवन की कोई दिशा नहीं रह गयी है, कोई अर्थ नहीं रह गया है । हम चाहते हैं जीवन के मकसद को तलाशना, हृदय की शून्यता को भरना ।

(५) हम ऐसा मनुष्य बनना चाहते हैं कि जिसके जीवन का पूरा-पूरा विकास हो, किसी एक हिस्से का नहीं । इसके लिए जरूरी होगा कि खेतों और उसके सहायक उद्योगों के साथ ऐसी नयी वस्तियाँ बसें, जिनमें मनुष्य मनुष्य से परिचित होकर, एक-दूसरे से जुड़कर रह सके । उसके अन्दर की छिपी हुई प्रतिभाओं का पूर्ण विकास हो । पूरी दुनिया ऐसी ही आपस में जुड़ी हुई वस्तियों का विशाल समूह बने ।•

रामचन्द्र राही—सह-सम्पादक 'भूदान-यज्ञ', सर्व सेवा सघ-प्रकाशन, राजघाट,
वाराणसी



शैक्षिक रगमच

पिछड़ेपन की पृष्ठभूमि में

असमानता, अज्ञान और असन्तोष

ब्र० ना० कौशिक

स्वतंत्रता की तरफाई में राष्ट्रीय विवास को निसर बाना चाहिए था । स्पष्ट रूप से ग्रण और फोडा से युक्त अस्वस्थ देहवाले भारतीय प्रजातंत्र ने समूचे राष्ट्र से यह उगम्वा लिया है कि शिक्षा-नीति के निर्धारण में मूलभूत खामी रह गयी है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय विकास-संरचना का व्यूह खण्ड-खण्ड हो रहा है ।

बीस-बाईस वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी असमानता, अज्ञान और असन्तोष के पुतने यथावत् खड़े हैं । हर क्षेत्र में, हर स्तर पर इस प्रलयकारी यमत्रय के नग्न रूप ने खुलकर नृत्य किया है । प्रजातंत्र की भावनाओं के विपरीत स्वभद्र इतना प्रबल हुआ है कि पद, धन, वासना, कुटुम्बपरस्ती एवं ओढ़ी वृत्तियाँ नैतिकता एवं राष्ट्रीयता से ऊपर उठ गयी हैं ।

नागरिक जीवन का नित्यक्रम

दल-बदल, दुल-मुल राजनीति, विघटन की ओर बढ़ते राज्य भापाई संघर्ष, छत्र-आन्दोलन, हड़तालें, अस्पष्ट शिक्षा, काला बाजार, सामाजिक मानदण्डों में गिरावट, लूट, आगजनी, राष्ट्रीय सम्पत्ति की लुञ्जकर होली, लाठीचाज, गोली, मौत, और फिर जाँच-आयोग नित्यक्रम बन गया है ।

असन्तोष और भय का रूप इतना व्यापक हो चुका है कि कोई भी सही बात सुनने को तैयार नहीं । फिर भी बात बढ़ती है, संघर्ष होता है, गोलियाँ चलती हैं, कुछ समय के लिए मरघट की शान्ति फैल जाती है या यो कहे कि बात मान ली जाती है । हाँ, चुनाव के समय भसानिया वैराग्य अवश्य जागता है लेकिन इससे क्या सार्वजनिक असन्तोष के ये शीले शान्त हो जायेंगे ? ये कभी भी, कहीं पर कितने भयकर रूप से भटक उठेंगे, इसका पूर्वानुमान सर्वथा असम्भव है । चिन्ता का विषय यह है कि भारत में अब इतनी शक्ति शेष नहीं रह गयी है जो सार्वजनिक असन्तोष की इस आँवी को सहन कर सके ।

चार आधारभूत प्रश्न

असन्तोष की इस पृष्ठभूमि को घेरे हैं चार आधारभूत प्रश्न —

- १ क्या सार्वजनिक असन्तोष की पृष्ठभूमि में असमानता है ?
- २ क्या इस सार्वजनिक असन्तोष का कारण अज्ञान है ?

३. क्या असमानता और अज्ञान के मिश्रित प्रभाव ने विकासमान भारत के ढाँचे को अस्तव्यस्त कर दिया है ?

४. क्या असन्तोष अपने आप में कोई समस्या है, यदि है तो उसका रूप क्या है ?

चतुर्थ और अन्तिम प्रश्न के उत्तर में पूर्णतया स्पष्ट है कि असन्तोष अपने आप में कोई समस्या नहीं है। यह तो कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली स्थिति का नाम है। समस्या के मूल में निहित है असमानता और अज्ञान।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ही देश को समृद्धिशाली बनाने का सर्वाधिक विश्वसनीय यंत्र है। शिक्षा इस यंत्र को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व है। शिक्षा स्वल्प अर्थतंत्र की कुत्रो है।

राष्ट्रीय श्रोवृद्धि की कसौटी

राष्ट्र किस प्रकार अपनी प्राकृतिक, भौतिक एवं पुराणशक्ति का उपयोग करता है ? कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास, शिक्षा, धर्म, रक्षा व अन्य राष्ट्रीय सेवाओं में सन्तुलन है या नहीं ? राष्ट्रीय आय का उपयोग, बचत, मूल्या में स्थिरता एवं नागरिक जीवन-स्तर की समुन्नत अवस्था जब सन्तुलित होकर व्यक्ति की इकाई तक पहुँचती है तभी आर्थिक समानता और समृद्धि की श्रोवृद्धि होती है।

प्रस्तुत विचार एक पक्ष है। आय की प्राप्ति एवं उसके उपयोग में, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोककल्याण का सर्वोपरि स्थान है। केवल आय और व्यवसाय की वृद्धि को ही विकास मानना भी न्याय-संगत नहीं है। प्रस्तुत सभी अवस्थाओं के विपरीत भारत आज असमानता की भट्टी में घबक रहा है। अमीर और अधिक अमीर हुआ है। गरीब नैतिक सकट में उत्पन्न गया है। शराब एवं नशीले पदार्थों का उत्पादन बड़ा है। बृहद उद्योगों और घरेलू उद्योगों में साम्य नहीं बैठा। घरेलू उद्योग संरक्षण प्राप्त करने पर भी अपनी साख नहीं जमा सके।

राष्ट्रीयकरण की भावना राष्ट्रीयकरण के साथ विकसित नहीं हुई। प्रायः सभी राष्ट्रीय उद्योग घाटे में चले रहे हैं। कृषि, व्यापार, वन-उद्योग, पशुपालन, शिकार, मत्स्य-उद्योग, कृत्रिम कला, रक्षा-सामग्री, शिक्षा आदि पर घुटिपूर्ण ध्येय के निर्णय को राष्ट्रीय आय-समिति ने स्वीकार किया है। विश्व के विकसित और अर्द्धविकसित देशों की तुलना में भारत अपना स्थान नहीं बना पाया है।

एकाधिकारवाद के दुष्परिणाम

आर्थिक असमानता के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय-व्यय का विवरण नियमित रूप से सही प्राप्त हो, परन्तु सांख्यिकी कठिनाइयों एवं प्रशास-

निक ढील के कारण इसमें सदा बाधा रही। डा० के० एन० राज जैसे अर्थशास्त्री राष्ट्रीय थाप के अनुमानों के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों की सत्यता में नई बाधाएँ अनुभव करते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो यह चुनौती दी है कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन सही आँकड़े प्रस्तुत करने में असफल रहा है। देश का बाधे से अधिक उत्पादन तीन बड़े निजी उत्पादकों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त अस्सी या नब्बे बड़े व्यावसायिक समूहों के हाथ में ढाई हजार कर्मनियॉ हैं। लघु उद्योग-वर्तों पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं कर पाते। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के कारण शोषण पर बल देते हैं। आर्थिक असमानता, छोटे व्यक्तियों के दमन, और उपभोक्ताओं के शोषण स्पष्ट है कि एकाधिकार कभी सामाजिक हित में अपनी सेवाएँ नहीं दे सकता। बड़े व्यवसाय मूल्य-दर ऊँची करके उत्पादन कम कर देते हैं।

राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर निजी स्वायत्तता बंद जाते हैं। लोकसभा में व्यावसायिक वर्ग के विरुद्ध उठता हुआ शोर एव दूसरी ओर प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा चुनावों में मुक्त हस्त से दान करना लगता है। स्वार्थों और सिद्धान्तों की यह दुमूही अपनी इच्छानुसार सरकती रहती है। जनता सिंघु में उठी लहरोबद प्रगट और विलीन होती रहती है।

वस्तुतः इस सबके मूल में है अज्ञान। 'ससार में अंधकार नहीं, अज्ञान है।'

आर्थिक असमानता एक पक्ष है, इसी प्रकार जीवन के हर स्तर पर असमानता साँप की कँचुली की भाँति आ गयी है, जिसने राष्ट्र के विकास की गति को जड़ कर दिया है।

एक दुर्भाग्यपूर्ण शैक्षिक प्रणाली

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययन की समस्या प्रतिवर्ष जटिलतर होती जा रही है। तीव्र बुद्धि के बालक विज्ञान की ओर अग्रसर हैं, फिर विदेशों की ओर पलायन करते हैं। सामान्य बुद्धिवाले कला विषयों में अपना जीवन खपा रहे हैं।

वस्तुतः कला जैसे विज्ञान विषय तीव्र मस्तिष्क बालकों को ही ग्रहण करने चाहिए जिससे वे राष्ट्र को कुछ दे सकें। वृत्त-विषय (तकनीकी शिक्षा) सामान्य स्तर बुद्धि बालकों हेतु है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि जो कुछ माना पिता नहीं बन सके, वह अपने बालकों को बनाना चाहते हैं। बालक उस प्रतिभा विशेष का धनी नहीं—बस दोनों में ही असन्तोष रहता है।

विद्यालय प्रवेश के समय या उच्च शिक्षा में प्रवेश पाते समय अभिभावक अपने दायित्व का चरम सुख स्वीकार कर लेता है कि उसका लड़का कालेज में पढ़ रहा है। परन्तु क्या पढ़ रहा है—किस विषय को उमने लिया है? उस विषय की परि

समाप्ति कहीं पर है, या होगी—इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। विद्यालयोंमें निर्देशन मिलता नहीं—गच तो यह है कि विद्यालय बालको की भीड़ बनते जा रहे हैं।

विद्यालय-आरम्भ पूर्व-कक्षा के अभाव में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक के पश्चात् उच्च शिक्षा, सब विशृङ्खल कड़ियाँ हैं, जहाँ शिक्षा समाप्त कर आनेवाला बालक यह जान ही नहीं पाता कि उसे क्या करना है।

प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रख जिस शैक्षिक व्यूह-रचनाकी आवश्यकता आज का विवेकशील प्राणी अनुभव कर रहा है उसका स्वरूप, निदान्त, लक्ष्य एवं क्रियान्विति का रूप क्या हो, यह ध्यान में रखना आवश्यक है।

असमानता और अज्ञान के चक्रव्यूह में हम एक योद्धा का बलिदान दे चुके हैं। बुनियादी शिक्षा शैक्षिक व्यूह-रचना ही नहीं थी वरन् एक धर्मशुद्ध धा, जिसे आज की तथाकथित मकाले-मन्तानों ने जीत लिया जान पड़ता है। पाण्डव (जनता) फिर १४ वर्ष के लिए वनवास में चले गये हैं।

व्यूह-रचना के दो प्रारम्भ-बिन्दु

भारत के स्वतंत्र होते ही शिक्षा का रूप स्पष्ट हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ। आग बाईस वर्ष पश्चात् भी द्विभाषा और त्रिभाषा सूत्र की चर्चा पथावत है। अंग्रेजी की रक्षाय दो-दो भाषा-संशोधन विधेयक आये, कभी आरथासन तो कभी दुहाइयाँ। इसीलिए जनता में अज्ञान है। आवश्यकता इस बात को जानने की है कि क्या शिक्षा राज्य का विषय है? विवेक इस बात को कहता है कि जनता स्वयं शिक्षा को अपने हाथ में ले ले।

आज विकासशील भारत के लिए शैक्षिक व्यूह-रचना निर्धारण करते समय दो पक्ष प्रबलतर हैं, जिन पर विचार करके आगे बढ़ना समीचीन होगा —

प्रथम—शिक्षा-उपायन पश्चात् जीवन में निश्चिन्ताता।

द्वितीय—उत्तरदायित्वपूर्ण वृत्तियों की बालक में दृढता।

आज देश के समक्ष दो ही बड़े संकट हैं —

१ देश की बढ़ती हुई पुरुष शक्ति का उचित उपयोग।

२ सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति स्व का बलिदान।

यही विकास-शील भारत के लिए दो शैक्षिक पक्ष हैं, जिन पर राष्ट्र को अपना ध्यान केन्द्रित कर लेना चाहिए। •

अ० ना० कौशिक—सदस्य शिक्षा सभाय, राजस्थान विश्वविद्यालय।

राजनीति, शिक्षण और विकास

इन्द्रनारायण तिवारी

विकास, राजनीति और शिक्षण एक ही सिक्की की तीन बडियाँ हैं। विकास साध्य है, राजनीति साधन और शिक्षण एक प्रक्रिया। तीनों में अयो-याधय सम्बन्ध है। जो सम्बन्ध बीज, वृक्ष और फल में है वही सम्बन्ध शिक्षण, राजनीति और विकास में है। राजनीति मानव-समूह की आवश्यकता का प्रबन्ध करती है। विकास मानव की भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता की परिणति है और शिक्षण है विकास की तैयारी।

विकास के दो तट्य हो सकते हैं। पहला, भौतिक कर्मों की पूर्ति और दूसरा, जीवन में वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक खोज के लिए उत्साह एवं वेत्तनी। वस्तुतः भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन, विकास के दो पक्ष हैं। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रोफेसर टामनवी ने अपनी पुस्तक 'भारत और विश्व' में यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार भारत की सामुदायिक योजना भौतिक विकास का आधार है और इसी पर आध्यात्मिक जीवन का प्रस्फुटन होगा।

शिक्षण का प्रयोजन

शिक्षण वस्तुतः एक प्रक्रिया है, जो हमारी राजनीति को निष्कर्ष और विकास को सही दिशा देती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि मानव जीवन के छिपे गुणों का, उसकी 'पोटेन्शिया' का प्रत्यन्भीकरण करना। अतः सफल शिक्षण प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उस व्यक्तित्व में सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक खोज के लिए तत्प होती है। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह मनुष्य के हृदय में असीम निर्भयता एवं मस्तिष्क में सामूहिक जीवन की प्रगति के लिए अनन्त शक्ति का संचार करे।

राजनीति विकास और शिक्षण के बीच की कड़ी है। आज की राजनीति राजनीति नहीं रह गयी है। केवल सत्ता स्रष्ट की दुष्ट नीति हो गयी है। विनोबा ने अपने जगत्प्रसिद्ध सत्यघाप में कहा भी है कि मजहब और सियासत का जमाना लूट गया। जमाना 'माइस' (विज्ञान) और सहानियत का है। गांधी ने भी सत्यहीन राजनीति को दमघुटन की राजनीति कहा था। सुकरात ने एथेस की राजनीति को दिवालियापन बतलाया और लेनिन ने पश्चिम की साम्राज्यवादी राजनीति को पड्यत्र कहा है। आज के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय समाज की राजनीति सत्ता की पूजा करती है। भारतीय राजनीति तो मखौल की राजनीति ही गयी है।

वस्तुन राजनीति का मतलब है सबसे ऊँची नीति । तभी अरस्तू ने अपने 'पॉलिटिक्स' को 'मास्टर साइस' कहा है । राजनीति का मतलब है वह नीति, जो राज्य में मानव-समूह का विकास करे । यह तो पृथक्ता से ऊपर समग्रता की नीति, विपमता से हटकर साम्य की नीति और साम्प्रदायिकता से हटकर निष्पक्षता की ही नीति हो सकती है । तभी महात्मा गांधी ने राजनीति में सत्ता की जगह सत्य का दर्शन पाया । विनोबा ने भी अपने 'आचार्यकुल' के निष्कर्ष में बताया है कि हमें संकुचित राजनीति, पक्ष की नीति, स्थानीय नीति नहीं, व्यापक नीति चाहिए, जो विशाल जनसमूह का कल्याण कर पाये ।

परिस्थिति की विडम्बना

व्यवहार में हम कुछ और ही पाते हैं । सम्पूर्ण विश्व-समाज की मन स्थिति अत्यन्त दूषित है । शिक्षण-प्रक्रिया से राजनीति घृणा करती है । शिक्षण राजनीति को प्रेरणाहीन करता जाता है । विकास राजनीति को नपुंसकता और शिक्षण की प्राणहीनता का शिकार हो गया है । वस्तुतः शिक्षण और राजनीति में वैरभाव दीखता है । प्रक्रिया और साधन में भेद नहीं है । विज्ञान और कर्म में मतभेद है । यही विकास की विडम्बना है । विकास ने जीवन का संतुलन खो दिया है ।

जरा विश्व-समाज की ओर देखें । पश्चिम संतुलन खो चुका है, प्रचुरता के बावजूद अस्त है । जीवन एक 'मोनाटोनी' हो गया है । पूरव भूख की ज्वाला से अस्त, विश्व का दक्षिण भाग विकासविहीन 'एग्जेरिया' है । विश्व का उत्तर भाग भौतिक विकास की परिणति पर है । 'वैलेंस' खिसक गया है । 'प्रपोरशन' कहीं नहीं दीखता । नतीजा सामने है । पश्चिम का युवक अशोचित है । मानव मशीन होता जा रहा है । भौतिक सुख के कोड़े उसे चाटने को उदावले ही रहे हैं । पूरव के सत्कार का युवक मायूम है, उदास है । भूख, निराशा और वैषम्य की ज्वाला उसे राख करती जा रही है । वैषम्य ही उसके भाग्य का सत्य हो गया है । भविष्य सुट गया है ।

हम अपने देश की ओर देखें । आजादी आयी । आजादी मिलते ही बड़ी-बड़ी उम्मीदें बैठी कि विकास की प्रणाली तेजी से आगे बढ़ेगी, शिक्षण-प्रणाली नवजीवन का संचार करेगी । राजनीति विकास की बाहिका बनेगी । विज्ञान प्रचुरता का साहक होगा । अज्ञान मिटेगा । विपमता मिटेगी । जीवन में लौकिक और आध्यात्मिक तत्वों का संतुलन होगा ; नीरसता समाप्त होगी । जनजीवन निर्वहता जायगा । जीवन में संयम होगा । न होगी बेरोजगारी, न बीमारी, न महामारी । जीवन में कष्टमयज्ञ न होगी । हर व्यक्ति को भौतिक विकास एवं आध्यात्मिक खोज का मौक़ा मिलेगा ।

इसमें शक नहीं कि विकास आया, लेकिन वैपम्य भी आया। जमींदारी हटी तो भूमिहीनों की सख्या भी बढ़ी। उद्योग बढ़ा, बेकारी की समस्या भी बढ़ी। राष्ट्रीय आय बढ़ी, विदेशी कर्ज भी बढ़ा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति परेशानी भी बढ़ी। राष्ट्रीय वैभव बढ़ा, समाज की गरीबी भी बढ़ी। बिजली चमकी, अंधेरे का दायरा भी बढ़ा। सड़कें बनी, शोषण की रफ्तार भी बढ़ी। समता का नारा मिला, धनी गरीब की खाई भी बढ़ी। न्याय-व्यवस्था आयी, परन्तु गरीबों के जीवन में अन्याय की मात्रा भी बढ़ी।

विडम्बना का मूल कारण

प्रश्न उठता है, ऐसा हुआ क्यों? कारण स्पष्ट है। आज देश को शिक्षा-प्रणाली स्वस्थ नेतृत्व का निर्माण नहीं कर पा रही है। शिक्षक विद्यार्थी से डरता है। विद्यार्थी तथाकथित राजनीति का हथकड़ा बना है। विश्वविद्यालय का 'सिलेबस' प्राणहीन है। उसमें विकास की दृष्टि मिलती नहीं है। विज्ञान 'टेक्नोलोजी' का रूप ले लेता है। 'टेक्नोलोजी' शोषण का जरिया बन जाती है। इतिहास दूरदृष्टि प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह मृत राजाओं एवं सधर्ष की एक गाथा मात्र रह गया है। समाज-शास्त्र जीवन में सामंजस्य की कला को प्रस्थापित नहीं कर पाता। अर्थशास्त्र जहाँ गणित के सहारे वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त कर रहा है वहीं यह दिशाहीन होता जाता है। राजदर्शन सत्ता के उत्थान-पतन की एक कहानी मात्र रहा गया है। सुकरात से अधिक लोग मेकियावेली को जानते हैं। फिर विश्वविद्यालय ग्रामीण जीवन से दूर हैं। वस्तुतः वे भारतीय जीवन में एक द्वीप मात्र बने हैं। ग्रामीण शिक्षण आना-रहीन है। ग्राम-शिक्षक अने अस्तित्व के लिए क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बना है। शिक्षाविद् बुद्धिकुठित हैं। आचार्यों में जयघोष, सत्यघोष की शक्ति नहीं। शिक्षा में परिवर्तन पिजूल खर्च माना जाता है। शोध-कार्य को समाज बेकार समझता है। सम्पूर्ण प्रणाली कल्पनाविहीन, रचनाहीन होती जा रही है। फलतः परोक्षार्थी प्रसूत हैं। शिक्षण एक बोझ मात्र है। शिक्षण का कार्यक्रम प्रेरणाहीन हो गया है। शोध उद्देश्यहीन। प्रशामन शिक्षा को हेय की दृष्टि से देखता है, शिक्षण प्रशामन को कृपा की दृष्टि से। विशिष्ट वर्ग समाज की समस्या को परमनिराशा की दृष्टि से देखता है। विभक्त व्यक्तित्व नागरिक जीवन की उपज है, निराशा, घोर निराशा समाज की प्राप्ति। सामाजिक समस्या घनीभूत होती जाती है। विषमता जीवन की प्रतिष्ठाया बन चुकी है, और अस्तित्व के लिए विरोध-प्रदर्शन जीवन की दैनिक आदत। रोटी की माँग जीवन की दिनचर्या है। ज्ञान, समत्व एवं साम्य जीवन की मृगचूषणा है। पारस्परिकता तथा पड़ोसीपन का लोप होता जा रहा है। जीवन के मूल्य टूटते-बिखरते नजर आते हैं।

और परिणाम

फलत राजनीति में नेतृत्व का सर्वत्र अभाव है। जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एव सत्ता की राजनीति समाज के हर क्षेत्र में बौल्ललाहट पैदा कर रही है। विकास के लिए पड़ा प्रचुर प्राकृतिक वैभव यो ही नष्ट हो रहा है। विस्तृत भूमि वैज्ञानिक कृषि के लिए तड़प रही है। सिंचाई के लिए जल-स्रोत की कमी नहीं। जल से भरी नदियाँ यो ही बहती जाती हैं। उनके जल का उपयोग नहीं। गंगा-यमुना के पानी को केरल तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसी सम्भावनाएँ हैं, लेकिन सह-मति नहीं, सगठन नहीं। राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने टी० वी० सी० का उद्घाटन करते हुए कहा था कि नदियाँ पोलिटिक्स नहीं जानती, लेकिन भारत की नदियों से भी राजनीति की सड़ी महक आती है। कितनी ही नदियों के पानी के लिए वर्षों स प्रदेशों में आपसी विवाद चल रहा है। किस योजना को मुविषा के माध्य अन्तिम रूप दिया जा सकता है? कहाँ का अभियंता निराश नहीं है? कहाँ का कृषक निराश नहीं और किस कार्य-योजना पर मजदूर मजदूर नहीं? न तो शिक्षण ने थम की मर्यादा पर आधारित तकनीकी नेतृत्व पैदा किया, न तो राजनीति ने निर्माण का साधन।

हम विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तो विकास इस क्षेत्र में कुछ अधिक हो नहीं पाया है और जो हुआ भी है उसने शोषण की प्रक्रिया को अधिक-से-अधिक बढ़ाया। टेक्नोलॉजी के सहारे वैभव का उपयोग सञ्चित हो गया। साधारण जन-जीवन पर उसका कुछ असर दीखता नहीं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के नाम पर शोषण की रफतार बढ़ती ही जाती है। वैभव के केन्द्रीकरण के साथ-साथ गरीबी का भी विकेन्द्रिकरण होता जा रहा है। विज्ञान का फल भारत की ५० करोड़ जतना के भाग्य का सिठारा नहीं, कुछ इनेगिने परिवार का ही भाग्य चमक सका है। सीमेण्ट, लोहे, एव अन्य यांत्रिक सामन कुछ ही परिवार के उपयोग में खाने हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो दीन-हीनो की कुटिया मिटती ही जा रही है। फिर यह बही देश है जहाँ हजारों अभियंता बेकार बैठे हैं, करोड़ों एकड़ जमीन पर सिंचाई नहीं और अनन्त जल-स्रोत नदियों में बेकार ही नहीं जाते, लाखों नर-नारो को बाड की चनेट में ले लेते हैं। कभी-कभी यह शोषण पड़ता है, क्या हम बीसवीं सदी के विज्ञान युग के उत्तरार्द्ध में जी रहे हैं?

बहने का मतलब यह है कि दुष्ट राजनीति और नपुंसक शिक्षण प्रणाली देश के हर क्षेत्र में असतुलित विकास का कारण बनी है। हर सचेत नर-नारो को यह समझ लेना है कि किस प्रकार असतुलित विकास हर सबके को परेशान करता जा रहा है। जहाँ वैभव है वही सभी तरह के अस्वस्थ जीवन का प्रदर्शन भी।

वह इसलिए नहीं कि बेभव अपने में बुरी चीज है, प्रत्युत इसलिए कि शोषण के सहारे सयोजित धन में उपयोग की भावना के पीछे भय का आवार होता है। उसी तरह हम पाते हैं कि प्रपीडित वर्ग अलग बेरोजगारी, बीमारी और निराशा के धोर अङ्कार में भटक रहा है। एक ओर केन्द्रित धन के पीछे भय है, छुट जाने का, दूसरी ओर निर्धन वर्ग को भय है भूखमरी का।

परिस्थिति परिवर्तन की दिशा

ऐसी स्थिति में कुछ सुधार की बात तो की जा सकती है। लेकिन इतना तो कह ही देना होगा कि सुधार-योजनाओं की कमी नहीं, कमी है, केवल कार्यान्वयन की।

पहली बात तो यह समझ लेनी है कि राजनीति से समाज का छुटकारा नहीं है। अतः राजनीति को घृणा की दृष्टि से न देखा जाय। हर क्षेत्र से नयी प्रतिभा का राजनीति में प्रवेश होना चाहिए, तभी राजनीति का स्तर उठ सकता है। राजनीति से पलायन का तरीका अगर जारी रहा तो सारे समाज पर, हर तबके पर भारी खतरे की सम्भावना है। अगर वैज्ञानिक, प्रबुद्ध प्रतिभाएँ राजनीति में प्रवेश करती हैं, तो शिक्षण और विकास का स्वरूप भी बदल सकता है।

दूसरी बात यह है कि शिक्षण में आमूल परिवर्तन करना होगा। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हम चीनी शिक्षण-प्रणाली को कार्यरूप देना होगा। चीन के स्कूल का कार्यक्रम "फिपटी-फिपटी" पर आधारित है। आधे समय में सीखें और फिर उसे कार्यरूप दें। श्री विनोबा भावे ने कहा भी है कि महात्मा गांधी के विचारों का कार्यरूप तो चीन ही दे रहा है।

तीसरी बात यह है कि विकास का आवार "अन्त्योदय" हो। मतलब यह कि हर विकास को तभी मकल माना जाय, जब उसमें समाज के अन्तिम व्यक्ति के लिए कोई जगह हो। ऐसे वर्ग का उत्थान अत्यन्त आवश्यक है, तभी हम सन्तुलित ढंग से विकसित हो पायेंगे। और तभी राजनीति की परिणति सत्ता-सघर्ष नहीं प्रत्युत विकास हो पायेगा। शिक्षण-प्रणाली तब एक नवजीवन का संचार करेगी और विकास आर्थिक समता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक प्रगति एवं सांस्कृतिक गतिशीलता का परिचायक हो पायेगा •

श्री इन्द्रनारायण तिवारी—प्राध्यापक, राजनीति, गांधी विद्या संस्थान,
राजघाट, वाराणसी।

राष्ट्रीय विकास में कृषि और ग्रामीण

समाज की भूमिका

डा० मोती सिंह

जबतक हमारा देश आजाद नहीं था, हमारे सामने मुख्य समस्या राजनैतिक स्वाधीनता की थी, यद्यपि वह राजनैतिक स्वाधीनता साधन मात्र थी। शायद सबसे महत्वपूर्ण साधन थी—ऐसी समाज रचना का जिसमें प्रत्येक नर और नारी अपनी प्रतिभा, शक्ति और रचि के अनुसार अपनी सभावनाओं का इस तरह में विकास कर सके, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकतम हित का सम्पादन हो सके। आजादी के बाद भी आज हमारे सामने यही चुनौती मुख्य रूप से विद्यमान है।

आजादी हासिल करने के लिए हमको गांधीजी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। विकास को सम्पन्न करने के लिए गांधीजी की प्रेरणा आज हमारे बीच नहीं है। हाँ उनके शिष्य और अनुयायी कहे जानेवाले लोग समाज की नयी रचना करने में अवश्य लगे हुए हैं।

भारत जैसे विशाल देश और इतनी बड़ती जनसंख्या की गरीबी को देखकर प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्पन्नता का अनुभव कराना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य है। यह कठिनाई इस कारण से और भी बड़ जाती कि हम पश्चिमी देशों की आशातीत भौतिक प्रगति से चर्चार्चन होकर स्वयं भटकाव में पड़ जाते हैं। लम्बे असें तक हमारा देश गुनामी में जकड़ा रहा है। उसकी जो विरासत हमें मिली है उसमें हमारी प्रगति को बहुत बांध रखा है। फिर भी हम दूसरे देशों के समक्ष जल्द-से-जल्द पहुँचना चाहते हैं। और वहाँ तक पहुँचने में देर होने से घोर असंतोष, निराशा और कूटा व्यक्ति और समाज के मानस में घर कर रही है। नैतिक मूल्यों को प्रणिष्टा जो गांधीजी की सबसे बड़ी देन थी, हमारी आँखों से निरन्तर ओझल हो रही है। एक असीम अन्तराल हमारे नैतिक मूल्यों और भौतिक आकांक्षाओं के बीच उपस्थित है। इसको जोड़ना ही हमारे राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह जोड़ने का काम शायद शिना ही कर सकती है।

आज की हमारी विकास-योजनाएँ शहर और शहरी जीवन के विकास को प्रगति और सम्पन्नता का केन्द्र मानकर संचालित हो रही हैं। गाँवों का नगरीकरण किया जा रहा है। नये विशाल उद्योग प्रतिष्ठान हमारे देश की धरती पर फसीले की तरह उमड़ रहे हैं जहाँ से अमनोप और असमता का साव हो रहा है, समाज में अनेक नयी व्याघ्रियाँ उनके सम्पर्क से पैदा हो रही हैं। गाँव निरन्तर उजड़ रहे हैं

और शहर दानव की तरह अपना आकार बढ़ा रहे हैं। यह सब इसलिए ही रहा है कि आज हमारे मूल्यों की पहचान धुँबली हो गयी है।

गांधीजी की दृष्टि बहुत मौलिक और दूरगामी थी। उन्होंने आदर्श समाज की रचना के लिए यह अनुभव किया कि शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसीलिए उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम में वेसिक शिक्षा को शामिल किया। यह शिक्षा-पद्धति गांधीजी की अपनी देन थी और इसका उद्देश्य था शिक्षा को जीवन और जीवन के यथार्थ से सम्पृक्त करना। उन्होंने हाथ के कौशल को शिक्षा का केन्द्र बनाया। श्रम के द्वारा सीखने का कार्यक्रम, विद्यार्थी की बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक क्षमताओं का विकास करने के साथ ही विदेशियों द्वारा बनायी गयी अनेक तरह की विषमताओं को भी तोड़ने का एक सशक्त माध्यम था।

शिक्षा की आवश्यक निष्पत्ति

शिक्षा को उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए उसको जीवन से जोड़ना, जीवन की सगति में लाना और जीवनोपयोगी बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके द्वारा उन नैतिक मूल्यों का स्वयमेव विकास होगा, जिनकी शून्यता और खोखलेपन के कारण हमारा विकास, जिसका लक्ष्य केवल भौतिक सम्पन्नता है, रोक जा सकता है। इस स्थापना की आवश्यक निष्पत्ति यह होनी चाहिए कि हमारा देश जो गाँवों का देश है और जिसकी आर्थिक प्रणाली कृषि पर आधारित है, उसके चेहरे को हमारी आधुनिक शिक्षा प्रतिबिम्बित करे। आज हमारी आरम्भिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक कोई भी बिन्दु नहीं है, जहाँ इस शिक्षा-प्रणाली का मेल ग्रामीण और कृषि-जीवन से होता हो। यह बात दूसरी है कि गाँव के बच्चे और बच्चियाँ गाँव के स्थापित स्कूल में शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन उनके सामने गाँव और समाज दूसरे शब्दों में भारतीय जीवन के वे मूल्य नहीं हैं, जिनकी प्रतिष्ठा करने से ही यहाँ की धरती और वातावरण के अनुकूल सामाजिक जीवन का विकास हो सकता है। आज के स्कूल की चहारदीवारी में बच्चे आरम्भ से ही न केवल अपने को बन्द पाते हैं, बल्कि जीवन भर अपने को एक दायरे में बन्द करने की आदत डाल लेते हैं। यह दायरा ग्रामीण और कृषि-जीवन से हमेशा कटा हुआ होता है।

आज हमारे विकास के सामने जो एक प्रश्नबिह्वल लगा हुआ है उसका मुख्य कारण शायद यही है कि हमारी ग्राम्य शक्ति का अभी तक इन विकास-योजनाओं के साथ हार्दिक सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाया है। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली ने एक व्यापक असन्तोष, विद्रोह और हिंसा की भावना नयी पीढ़ी में पैदा की है। उनमें स्वाग, सामाजिक सेवा, सहकार और सामूहिक जीवन की भावनाओं का जन्म देने

के स्थान पर विखराव, कुएठा, स्वार्थ और उपभोग की भावना इतनी प्रगल्भ हुई है कि विकास के नाम पर जो कुछ भी थोड़ी-बहुत हमारी भौतिक प्रगति हुई है, वह असन्तोष और हिंसा की बाड़ में डूब जाना चाहती है। इसका एकमात्र विकल्प यही है कि हम माहसपूर्वक शिक्षा के सारे ढाँचे को बदलें। जीवन के साथ उसको सम्मूक्त करें और मानवीय धर्म और समता के आधार पर नये मनुष्य की रचना को अपना लक्ष्य बनाकर इसके कार्यक्रम को नये सिरे से ढालें। आरम्भिक शिक्षा केवल अक्षर और गिनती की शिक्षा न होकर काय, प्रयोग और साहसिक जीवन के बीच विरोधी जाय। गाँव की शिक्षा चहारदीवारी से बाहर निकले, खेतों, तालाबों, बगोचों, नदियों के बीच उन्मुक्त भाव से उनकी कला, सौन्दर्य और उसके श्रम से अपने को स्पन्दित करे। तभी हमारी सोयी हुई कृषि और गाँव समाज की शक्ति जगेगी और राष्ट्रीय विकास की यह कुएठा और गतिहून्यता समाप्त होगी। शिक्षा के हर स्तर पर प्रत्येक कार्यक्रम को किसी लक्ष्य के अनुस्यू हमें ढालना होगा, चाहे वह प्रणाली या पाठ्यक्रम हो, या पाठशाला-प्रबन्ध हो।

आधुनिक शिक्षा और जीवन ने हमारे मन, विचार और आदर्शों को विदेशी प्रभाव से इतना रंग डाला है कि हजार चिस्ताने और शेर करने मर भी आधुनिक शिक्षा में पले हमारे देशवासी देश के ग्रामीण जीवन के आदर्शों के प्रति सच्ची निष्ठा अपने में उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति चाहे वह सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेता, अध्यापक या नीति बनानेवाला हो गाँव में जब भी जाता है अपने को ग्राम्य जीवन से भिन्न और ग्राम्यवासियों से इतर समझता है। उनकी वेशभूषा, रहन-सहन, चाल-ढाल और भाषा-व्यवहार को वह हीन भाव से देखता है और अपने में एक श्रेष्ठता का, अर्थात् अलग्गाव का अनुभव करता है। इस अलग्गाव की भावना पैदा करने और बढ़ाने में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजों की नौकरी ने सबसे उल्लेखनीय कार्य किया है।

ग्रामीण जीवन की भूमिका राष्ट्रीय विकास में तभी महत्वपूर्ण हो सकती है, जब हम उसकी भाषा उसकी मान्यता और जीवन-प्रणाली के प्रति न केवल सम्मान का भाव पैदा करें बल्कि उसे शिक्षा और विकास दोनों का आधार बनायें। शिक्षा के साथ ग्रामीण जीवन और उसके आदर्शों की सही संगति जिस दिन प्रतिष्ठित हो जाय उम दिन हमारे देश के जीवन में एक नया पौष्य, आत्मविश्वास और कर्म-उत्ता का संचार हो सकता है। •

डा० मोनी सिंह—प्राचार्य, डिप्टी कालेज, गाजीपुर।

जून-जुलाई, '६६]

[५२७]

विचार-मंथन

- भारतीय शिक्षा कैसी हो ?
- आज की शिक्षा
- शिक्षा का दायित्व

भारतीय शिक्षा कैसी हो ?

डा० सीताराम जायसवाल

भारत सरकार ने कोठारी शिक्षा-आयोग की नियुक्ति करके भारत के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना के महत्त्व को स्वीकार किया था। कोठारी शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट सन् १९६६ में प्रकाशित हुई। कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के उद्देश्यों पर समुचित प्रकाश डाला। इस लेख में हम, कोठारी शिक्षा-आयोग ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की जो व्याख्या की है, उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली उसी समय 'राष्ट्रीय' कहलाने की हकदार है, जब कि वह राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

वर्तमान भारतीय शिक्षा

वर्तमान भारतीय शिक्षा जन-जीवन में अलग है। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है और न ही यह भारतीय जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखती है। भारत के अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी राज को मजबूत रखने के लिए भारत में एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की थी, जो सामान्य जनता के लिए नहीं थी। यह शिक्षा-प्रणाली दफ्तर के बाबुओं के लिए थी और यही शिक्षा-प्रणाली स्वतंत्र भारत में भी चल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के द्वारा भारतीय शिक्षा में शक्तिकारी परिवर्तन लाना चाहा। लेकिन भारत के शासक-वर्ग की निष्ठा बुनियादी शिक्षा में न थी। और इस प्रकार गांधीजी की 'नयी तारीफ' 'बेकार' सिद्ध कर दी गयी।

लेकिन अब वर्तमान भारतीय शिक्षा में आपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हो गया है। यदि समय रहते भारतीय शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन नहीं किया गया तो यह सारी शिक्षा-व्यवस्था अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण स्वयं नष्ट हो जायेगी। वर्तमान छात्र-असतोष इस बात का परिचायक है कि आज की शिक्षा नयी पीढ़ी के लिए निरर्थक है। आज का छात्र यह भली-भाँति समझता है कि जो शिक्षा वह प्राप्त कर रहा है, किसी काम की नहीं है। यही कारण है कि आज के भारत में शिक्षित बेकारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय शिक्षा के उन उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए, जिनका उल्लेख कोठारी शिक्षा-आयोग ने किया है।

भारत की भावी शिक्षा

भारत की भावी शिक्षा के उद्देश्यों के सदर्थ में कोठारी शिक्षा-आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा जन-जीवन से सम्बन्धित हो और यह जनता की

भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसीके साथ भारतीय शिक्षा भारत में वाछनीय सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का साधन बने। इसमें सन्देह नहीं कि भारत की भावी शिक्षा गत्यात्मक होनी चाहिए, जिससे कि तीव्र गति से होनेवाले परिवर्तन में वह अपना योगदान कर सके। लेकिन इसीके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम किस प्रकार का सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं। केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि हम किस प्रकार का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं। जबतक यह बात हमें स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होती तबतक हम भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा को भी ठीक से नहीं समझ सकेंगे। कोठारी शिक्षा-आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की चर्चा तो की है, लेकिन इसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया है।

सामाजिक परिवर्तन

पहले हम सामाजिक परिवर्तन का लें। भारतीय समाज बदल रहा है। गांधीजी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा भारतीय समाज में वाछनीय परिवर्तन लाना चाहा। गांधीजी ऐसा सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, जिसमें 'सर्वोदय' हो अर्थात् सबका कल्याण हो और समाज में किसीके द्वारा किसी अन्य का शोषण न किया जाय। पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ व्यक्ति चतुराई से अन्य के श्रम से लाभ उठाते हैं। लेकिन हमें ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाना है, जो शोषण के स्थान पर सहयोग, हिंसा के स्थान पर अहिंसा, तथा सभी प्रकार के भेद-भावों को मिटाकर समता का प्रसार करे। स्पष्ट है कि इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन तो 'नयी तालीम' ही ला सकती है न कि कोठारी शिक्षा-आयोग द्वारा प्रतिपादित शिक्षा।

आर्थिक परिवर्तन

भारत में गरिबी को दूर करने के लिए शिक्षा द्वारा ऐसा आर्थिक परिवर्तन लाना होगा, जो 'आर्थिक समानता' स्थापित करे। गांधीजी ने आर्थिक समानता के विषय में लिखा है—

“आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ जगत् के सब मनुष्यों के पास एक-सी सम्पत्ति का होना, यानी सबके पास इतनी सम्पत्ति होना, जिससे वे अपनी मुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।” गांधीजी का यह कथन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आज विश्व के साम्यवादी भी आर्थिक समता की चर्चा करते हैं। लेकिन अंतर मुख्य रूप से साधन के कारण है। साम्यवादी हिंसा के द्वारा आर्थिक समता स्थापित करते हैं, जब कि

१ "गांधी-विचार-रत्न", सन्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, पृष्ठ : २१५।

गांधीजी "अहिंसा के द्वारा, घृणा के विरुद्ध प्रेम की शक्ति का उपयोग करके - लोगों को अपने विचार का बनाकर आर्थिक समता"^२ संपादित करना चाहते हैं। इस प्रकार भारत में ऐसा आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए, जो अहिंसक तरीके से आर्थिक समता का प्रसार करे। दूसरे शब्दों में, भारतीय शिक्षा भारत में अहिंसक आर्थिक क्रान्ति लाये।

भारतीय शिक्षा जो अहिंसक आर्थिक परिवर्तन करेगी उसके फलस्वरूप भारतीय जनता 'धर्म' की ही अपनी पूंजी समझेगी। भारतीय जनता इस बात में विश्वास करेगी कि सामाजिक न्याय के लिए, सबकी भलाई के लिए समान भाव से कार्य करना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा द्वारा आर्थिक परिवर्तन अहिंसा पर आधारित हो। लेकिन अहिंसा का अभ्यास कठिन है। इसके लिए शिक्षा के द्वारा भारतीय जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान देना होगा।

सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य

भारतीय शिक्षा की व्यूह-रचना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षा ऐसे सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करे, जो भारतीय संस्कृति को गतिमान बनायें। यह तो हमें ज्ञात ही है कि सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य किसी भी संस्कृति के अतिव्यापक अंग हैं। वास्तव में ये मूल्य उन उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा साधनों के समान हैं, जो किसी समाज के सम्मुख सदा रहते हैं। जब यही साध्य जीवन के अंग होते हैं, तब ये जीवन-मूल्यों के रूप में व्यक्ति तथा समाज के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। अतः आज की शिक्षा में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को कदाचित्त सबसे अधिक महत्त्व दिया जाना है। लेकिन आधुनिक जीवन में विज्ञान ने इतनी अधिक भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कर दी हैं कि आज का मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वल्प को भूल गया है। इसीलिए स्वामी विवेकानन्द 'मनुष्य' का निर्माण करनेवाली शिक्षा पर बल देने थे।

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर समस्त सामाजिक, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिपादन किया है। भारतीय शिक्षा उसी समय वास्तविक सामाजिक, नैतिक, तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर सकती है, जब कि भारतीय दैहिक दर्शन सत्य तथा अहिंसा पर आधारित हो।

२. "गांधी-विचार रत्न," सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली, पृष्ठ : २१५

डा० सीताराम जयसवान—प्राध्यापक, शिक्षा मन्त्रालय, लखनऊ विश्वविद्यालय।

आज की शिक्षा

देवेन्द्रदत्त तिवारी

शिक्षा के दो पक्ष हैं या यों कहा जाय कि शिक्षा की दो त्रियाएँ हैं। एक तो यह कि शिक्षा अतीत की संस्कृति, इतिहास एवं मान्यताओं को विद्यालयों के माध्यम से सुरक्षित रखती है—पुरानी पीढ़ी, नयी पीढ़ी को पुरातन सत्कार देती है। शिक्षा का दूसरा कार्य नयी संस्कृति, नये विचार, नये आदर्श एवं मान्यताओं का निर्माण करना है। इस रूप में शिक्षा सामाजिक शान्ति का संचार करती है, समाज को नया रूप, नयी विधाएँ एवं नयी दिशाएँ देती है। जिन्होंने वर्तमान भारतीय शिक्षा और उसके सामाजिक परिवेश को गहराई से देखा है वे यह जानते हैं कि हमारी शिक्षा ने न तो पुरानी संस्कृति की ही रक्षा की और न नयी मान्यताओं का सर्जन ही किया। आज हमारे सामने पुरानी और नयी मान्यताओं से विहीन एक असीम, अनन्त, पथहीन, दिशाहीन और क्षितिजहीन शून्य है और हर व्यक्ति निराशा के घने आवरण में मार्ग ढूँढ़ने का प्रयास कर रहा है। यदि शिक्षा द्वारा हमारी आकाशाओं की पूर्ति नहीं हुई तो इसका दोष किस पर है? मेरा विचार है कि इस दोष के भागी हम शिक्षक हैं।

प्रगतिशील शिक्षा-प्रणाली की देन

यदि हम प्रगतिशील देशों की ओर दृष्टि उठाकर देखें तो हम पता चला है कि आज अमरीका की ओर समृद्धि है, जो सम्पन्नता है, जो शक्ति है वह वहाँ के महान् शिष्याविद् डिवी के विचारों तथा उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली के ही कारण है। उमने अमरीका के निवासियों को अपनी शिक्षा-पद्धति द्वारा कर्मयोग का पाठ पढ़ाया, जिसके फलस्वरूप अमरीका का प्रत्येक नागरिक स्वावलम्बी, कर्मशील और आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार रूस में भी वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में जब शान्ति हुई तो प्रसिद्ध शिक्षक ए० एस० मैकारेंको ने श्रम पर आधारित शिक्षा का सूत्रपात किया और पचास वर्ष पूर्व जो देश जारराही से व्याप्त, जर्जर और पददलित था वह आज संसार में गर्व से अपना मन्त्र उँचा उठाये हुए विद्यमान है। ऐसे कितने ही उदाहरण प्रगतिशील देशों के लिये ला सकते हैं।

यह सौभाग्य का विषय है कि इस देश में भी स्वतंत्रता-संग्राम के संदर्भ में जब शान्ति का संचार हुआ तो एक नयी विचारधारा, बुनियादी शिक्षा के रूप में, गान्धीजी ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादक क्रिया होनी चाहिए और उस उत्पादक क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को आत्म-निर्भरता और स्वावलम्ब्यता की

शिक्षा दी जानी चाहिए। गांधीजी ने जो कुछ कहा था वह कोई नयी बात नहीं थी। इस शब्दाब्दी के प्रारम्भ में ही डिवी ने 'स्कूल एण्ड सोसायटी' में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।* लगभग ३० वर्षों के बाद भारतीय शिक्षा-आयोग ने भी उसी आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन की बात को दोहराया है। उसका कथन है कि शिक्षा-संस्थाओं में जो कुछ भी कार्य किया जाय, उससे विद्यार्थियों एवं विद्यालयों को कुछ आर्थिक आय होनी चाहिए और उसमें स्वावलम्बन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

"In a well-organized programme work-experience, atleast from the higher primary stage, should also result in some earning for the student—either in cash or in kind. This would meet, to some extent the expenditure which the students have to incur on their education or on their maintenance while at study. The amount of this earning will naturally increase as the student go up the educational ladder and it becomes possible to organize work-experience in a manner that would enable them to 'earn and learn'. The ultimate objective should be to move towards a situation in which the education of a student is not held to be complete unless he participates in some type of work-experience in real life conditions and earns some amount, however small, towards his own maintenance. This will also help to develop in him values which promote economic growth, such as appreciating the importance of productive work and manual labour, willingness and capacity for hard work and thrift. We realize that this is no easy task, but it will pay adequate dividends in the long run." (Chapter 1, para 131, p 8)

इन सब बातों के होते हुए भी देश ने गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को हृदय से स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि हमने एक लम्बे अरसे के लिए प्रगति के द्वार बन्द कर दिये; विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी उसी पद्धति का अनुसरण करती रही जो अंग्रेजों के समय में प्रचलित

* Dewey John, "The School and Society, The University of Chicago press U S A. (Published Nov, 1899), P 15

"The great thing to keep in mind then, regarding the introduction in the school of various forms of occupation, is that through them the entire spirit of the school is renewed."

थी और यद्यपि हम प्रत्येक कमीशन और प्रत्येक कमेटी से यह सुनते आये है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, किन्तु आज तक कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ। आज की शिक्षा-संस्थाएँ ऐसे कारखाने हैं, जहाँ से निकलने के बाद नवयुवक निष्क्रिय और निष्प्राण हो जाते हैं। भगवान ने जो दो हाथ काम करने को दिये है उनका प्रयोग करने में न केवल वे अयोग्य हो जाते हैं, प्रत्युत उनका प्रयोग करने में वे लज्जा का अनुभव करने लगते हैं, उन्हें शर्म आती है। गीता के देश में यदि लोग कर्मयोग को इस प्रकार भूल जायें तो देश का कल्याण कैसे होगा ?

प्रगतिशील देशों के छात्रों की मिसालें

आप किसी भी प्रगतिशील देश को ले लें तो आप यह देखेंगे कि वहाँ के बच्चे एवं नवयुवक पर्श पर झाड़ू लगाकर, होटलों में जूटे बर्तन धोकर, अखबार बेचकर और नाना प्रकार के अन्य कार्य करके अर्थोपार्जन कर अपना कार्य चलाते हैं। अपना दरवाजा और चारपाई यदि टूट जाय या अपना सामान कहीं ले जाना हो तो शायद ही उन देशों में कोई भी मजदूर या नौकर को तलाश करता पाया जायगा, किन्तु अनेक यहाँ अपना सामान ले चलने में सकोच का अनुभव होता है। चीन के विद्यार्थियों ने अनेक विद्यालयों की इमारतें एवं सड़कें बनायी है। जापान में हर घर तथा हर परिवार उद्योग का केन्द्र है। मेरे बहने का तात्पर्य केवल यह है कि जो कुछ प्रगतिशील देशों में हो रहा है या जो कुछ गांधीजी ने प्रतिपादित किया था अथवा जिस बात को पुष्टि कोठारी-कमीशन ने की है वह कोई नयी बात नहीं है। हमारी प्राचीन संस्कृति में उत्पादक एवं उपयोगी क्रिया द्वारा शिक्षा दिये जाने के प्रमाण मिलते हैं। समाज-सेवा भी शिक्षा का प्रमुख अंग था। इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

छान्दोग्योपनिषद् के अनुर्य अध्याय में सत्यकाम जाबाल का एक आख्यान है। सत्यकाम आचार्य के पास विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है। आचार्य ने वेदों की शिक्षा देने के पहले सत्यकाम को एक काम सौंपा। उन्होंने सत्यकाम को चार गौ दुर्बल गायों का दायित्व दिया और यह कहा कि जब ये गायें हृष्टपुष्ट होकर एक सहस्र हो जायें तब मेरे पास आना। वर्षों के श्रम, संयम और साधना के पश्चात् जब वे गायें एक सहस्र हो गयीं तब वह आचार्य के पास आया। आचार्य ने उसे देखते ही कहा, "बत्स ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा भासित हो रहा है, क्या किसीने तुझे कुछ ज्ञान दिया है ?" सत्यकाम ने उत्तर दिया, "अन्ये मनुष्येभ्यः"—अर्थात् मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह मनुष्यों से नहीं पाया। उपनिषद् के आख्यान के अनुसार उसने ज्ञान प्राप्त किया था वायु, अग्नि, और पशु-पक्षियों से। इस आख्यान में शिक्षा का सार्वभौम और शाश्वत सिद्धान्त समाविष्ट है। ङ्खी ने कहा है कि शिक्षा दर्शन

का त्रियात्मक पक्ष है और उमने यह भी कहा है कि पहले त्रिया होती है तब विचारों का सर्जन होता है। सत्यकाम ने गो-गालन की त्रिया द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी तुलना आचार्य ने ब्रह्मज्ञान में की और यह रहस्य भी इस देश के वासियों को समझना चाहिए कि गो-गालन और वृषि में सबसे पहले उत्कर्ष प्राप्त करके अमरोका ने गत शताब्दी में अपने वृषि महाविद्यालयों (Land Grant Colleges) द्वारा प्रगति का पथ प्रशस्त किया।

रूमो ने भी, जो आधुनिक शिक्षा-मदतियों का मूल प्रवर्तक और प्रेरणा-स्रोत कहा जाता है, इसी प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का समर्थन किया है, जिसका उल्लेख उपनिषदीय आख्यान में प्रकारान्तर से किया गया है।

शिक्षक - शैक्षिक परिवर्तन की मूल शक्ति

इससे यह स्पष्ट है कि हम उन उपयोगी प्राचीन प्रणालियों को भूल चुके हैं, जिन्हें पाश्चात्य देशों ने आत्मसात कर अपना विकास किया है। जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारी वर्तमान शिक्षा न तो पुरातन मान्यताओं का संरक्षण करने में समर्थ है और न नयी मान्यताओं की सर्जना करने में। फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो? समस्या के समाधान के लिए अनेक सुझाव बड़ी-बड़ी समितियों द्वारा दिये गये हैं, किन्तु इन सुझावों में गत्यवरोध समाप्त करने की क्षमता न उत्पन्न हो सकी। उसका मुख्य कारण यह है कि परिवर्तन और सुधार करने की सिफारिशें उन लोगों के गले नहीं उतरी, जिनमें परिवर्तन लाने की क्षमता थी। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया की मूल शक्ति शिक्षक में केन्द्रित है। यदि शिक्षा के उद्देश्य बदलने हैं, यदि पाठ्यक्रम बदलना है, यदि शिक्षण-विधि में सुधार करना है और यदि मूल्यांकन की विधियों में संशोधन करना है तो यह सबकुछ सम्भव नहीं हो सकता जबतक शिक्षक अपनी शक्ति का और अपनी क्षमताओं का प्रयोग स्वाध्य वाछनीय परिवर्तनों के लिए न करे। केवल केन्द्र पर बैठकर कुछ योजनाओं के बना लेने से और कुछ आदेश एवं परिपत्र निर्गत कर देने से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन अथवा सुधार नहीं होगा।

शैक्षिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार

प्रगतिशील देशों में स्थानीय संगठन, वे चाहे स्थानीय शिक्षा-अधिकारी (Local Education Authority) हो, चाहे लोकल स्कूल-बोर्ड हो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के उद्देश्य स्वयं निर्धारित करते हैं। विद्यालयों के शिक्षक स्वयं अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और अपने विद्यार्थियों का मुख्यतः स्वयं मूल्यांकन करते हैं। अमरीका में मौनियर हाईस्कूल का प्रधानाचार्य, हाईस्कूल पास करने का प्रमाणपत्र स्वयं दे देता है। रूस में यद्यपि प्रश्नपत्र बाहर से बनकर आते हैं

किन्तु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन स्थानीय विद्यालय का एक पैनल करता है। ऐसे देशों में शिक्षक प्रतिदिन सोचता है कि उसे कल क्या पढ़ाना है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना तो नहीं हुई जिससे विद्यार्थियों को परिचित कराना हो। इस प्रकार विद्यालयों में वातावरण से सम्बद्ध गतिशील पाठ्यक्रम चलता रहता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ही परिवर्तन के कारक हैं। हमारे यहाँ जबतक शिक्षकों एवं विद्यालयों को यह सक्रियता नहीं मिलेगी और जबतक पुराने प्रशासकीय ढाँचे में शिक्षा चलती रहेगी तबतक शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसीलिए डाक्टर कोठारी ने भारतीय शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय शिक्षामंत्री को सम्बोधित करते हुए अपने पत्र में यह कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार जड़ता तथा निष्क्रियता को समाप्त करना है।

यह हृष का विषय है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने जहाँ बड़ी-बड़ी योजनाएँ प्रस्तुत की हैं वहाँ एक विचार सस्थान्तगत योजना-निर्माण (Institutional Planning) का भी है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि सस्थाओं को अपने विकास के लिए अपनी योजना स्वयं बनानी चाहिए और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। आज का युग केन्द्रीय योजनाओं का युग कम है, स्थानीय एवं विकेन्द्रीय योजनाओं का अधिक। इसके लिए यदि प्रशासकीय प्रणाली कुछ परिवर्तित करनी पड़ें तो वर्तमान उपलब्ध आर्थिक सुविधाओं में ही विकास और प्रगति के द्वार खुल सकेंगे। •

डा० देवेन्द्रवत्त तिवारी—उपशिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) उ० प्र० इलाहाबाद
 प्राचाय-सेंट्रल, पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

शिचा का दायित्व

ति० न० आत्रेय

पाँव के तलवे इस ढंग से बने थे कि उसके मुकाबिले जमीन पर खड़े-खड़े चलने की ऐसी सुन्दर व्यवस्था और कुछ ही नहीं सकती थी। मगर जिस दिन हमने जूते पहनना शुरू किया उसी दिन से तलवों को मिट्टी के संसर्ग से बचाकर उनकी जरूरत को ही मिट्टी में मिला दिया। तलवे अबतक बड़ी आसानी से हमारा बोझ ढो रहे थे, मगर अब तलवों का भार हमें ही सहायना पड़ रहा है। अब नगे पाँव सड़क पर चलते हैं तो तलवे हमारी सहायता न करके उलटे पग-पग पर कूट का कारण बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं उनके धारे में हमें हमेशा चौरुना रहना पड़ता है। मन की तलवों की सेवा में निपुक्त न रहें तो मुसीबत आ सकती है—तलवों में टूट लग गयी तो छीक, पानी भर गया तो बुखार, आदि। अन्त में मोजे, चट्टी, बूट, एडीदार जूते आदि विविध उपकरणों से उनकी पूजा करते-करते उन्हें सभी कामों से छुट्टी ही दिये देते हैं।

इसी तरह विश्व-शक्ति और अपनी स्वाधीन शक्ति के बीच हमने अपने सुभोति के लोभ से बहुत-सी बीमारें खड़ी कर दी हैं। सस्कारवश और अभ्यासवश कृत्रिम आश्रयों को ही हम मुविधा समझ बैठे हैं और अपनी स्वाभाविक शक्तियों को अमुविधा। कपडे पहनते-पहनते हमने ऐसा कर डाला है कि अपने चमड़े से भी कपड़ों को बड़ा मानने लगे हैं।

इसमें शक नहीं कि सम्य समाज में कपडे-लुत्ते और जूते मोजों की जरूरत पड़े, इसीलिए उनकी सृष्टि हुई, परन्तु इन साधनों को ही प्रभु मानकर उनके सामने अपने को सकुचित बनाये रखना कहीं तक ठीक है ?

शरीर के लिए जैसे कपडे, मोजे, जूते आदि हैं, हमारे मन के लिए पुस्तकें भी, ठीक वैसे ही हो उठी हैं। हम यह भूल-से गये हैं कि पुस्तक पढ़ना शिक्षा का मात्र एक मुविधाजनक साधन है उल्टे हम पुस्तक पढ़ने को ही शिक्षा का एकमात्र साधन समझ बैठे हैं। इस विषय में हमारे संस्कार को डिगाना असम्भव-सा हो गया है।

ज्ञान में रस-सञ्चार कैसे ?

शिक्षक किताब हाथ में लेकर बचपन से ही हमें किताब रटाना शुरू कर देते हैं। परन्तु पुस्तक के भीतर से ज्ञान-सन्धय करना हमारे मन का स्वाभाविक धर्म नहीं है। हमारी मनन-शक्ति का स्वाभाविक विधान तो यही था कि प्रत्यक्ष वस्तु को देख-सुनकर, टिला-टुलाकर अदृष्ट ही आसानी से यह उसका ज्ञान प्राप्त कर

लिया करती थी। दूसरे के अनुभूत और परीक्षित ज्ञान को भी जब उन लोगों की जबानी सुनता, तभी हमारा मन उसे समझता है। न्यायि मुँह की बातें तो कोरी बात नहीं होती, वह असल बात होती है, उसमें प्राण होना है, आँस और मुँह का भाव होता है, फण्ट का स्वर होता है, हाथ और अंगुलियाँ का संनिह होता है और इन सबके द्वारा वान स मुनने की भाषा को एव आवाज और संगीत मिल जाता है, वह बात आँस और कान, दोनों की चीज बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम यह मानुम हो जाता है कि धोन्नेवाला मनुष्य अपने हृदय की चीज सीधे निकालकर तुरन्त हम दे रहा है, तो एक हृदय के साथ दूसरे हृदय का प्रत्यक्ष मिलन होता है और उस मिलन के कारण ज्ञान में रस का सचार होने लगता है।

विकृत सस्कार

परन्तु बदकिस्मती से हमारे शिक्षक किताब पढ़ाने के एक उपलक्ष्य रह गये हैं और हमारे बालक किताब पढ़ने के एक उपसग। इससे नतीजा यह होता है कि जिस तरह हमारा शरीर कृत्रिम चीजों की आड में पडकर सृष्टि के साथ अपना सम्बन्ध खो बैठा है और उसे खोकर ऐसा आदी बन गया है कि उस सम्बन्ध को अब कष्टदायक और लज्जाजनक समझने लगा है, उसी तरह हमारा मन भी दुनिया के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध की स्वाद-शक्ति बहुत-कुछ खो बैठा है। सभी चीजों को किताब में से समझने का एक अस्वाभाविक अभ्यास हममें जमकर बैठ गया है। पास ही में जो चीज पड़ी है उस जानने के लिए भी हम किताब का मुँह ताकना पन्ता है। किमी नवाब का किस्सा है—जूता घुमा देने के लिए नीकर की बाट देखते-दखत शयु स धे धिर गये जोर कँद कर लिये गये। किताबी विद्या के बारे हमारी मानसिक नवाबी भी उसी तरह बहुत बढ गयी है। छोटे-से-छोटे विषय के लिए भी हमारा मन बिना किताब के ठहरता नहीं। विकृत सस्कारों के दोष से इस तरह की नवाबी हमारे लिए लज्जाजनक न होकर गौरवजनक हो जाती है और किताब के जरिये जानने को ही पारिडल्य समझकर हम उसका गव करते हैं।

जगत् को हम मन में नहीं छूने किताब से छूते हैं। कपडों में लडे हमारे शरीर में जसा एक सकोच उत्पन्न हो गया है किताबों के कारण हमारे दिमाग को भी वही बात हो गयी है वह बाहर आना ही नहीं चाहता। लोगों के सहज स्वाभाविक बरताव करना और उनसे अपनेपन के साथ मिलकर बातचीत करना हमारे शिक्षित समुदाय के लिए कठिन हो गया है। हम किताब के आदमी को पहचानते हैं, पृथ्वी के आदमी को नहीं पहचानते। किताबी आदमी हमारे लिए मनोहर है और ससार का आदमी कुक्ष्य और उबा देनेवाला। हम विराट सभाओं में भाषण

दे सकते हैं, पर आम लोगो से बातचीत नहीं कर सकते। हम बड़ी-बड़ी बातों पर यानी किताब की बातों पर आलोचना कर सकते हैं और स्वाभाविक बातचीत या मामूली बातें हमारे मुँह से ठीक तौर से नहीं निकलती, अर्थात् यह स्पष्ट समझने की बात है कि दैवदुर्विपाक से हम परिणत अवश्य हो गये हैं, लेकिन हमारा भीतर का मनुष्य मर गया है। मनुष्य के साथ मानव-भाव से हमारी अत्राय गति-विधि हो, तो घर की बात, सुख दुःख की बात, बाल-बच्चों की बात, रोजी-रोटी की बात, उद्योग-धन्धों की बात अर्थात् शिक्षा-क्षेत्र की सारी ही बातें हमारे लिए सहज और सुखकर होती हैं। लेकिन किताब का आदमी बनी-बनायी बात कहने का आदी है। प्रत्यक्ष से उस कोई मतलब नहीं। इस तरह मनुष्य जब किताब हो जाने की कोशिश करता है तो उसमें मनुष्य का अपना स्वाद जाता रहता है। और ऐसी अवस्था का स्वाभाविक परिणाम है निरानन्द जीवन।

समग्र विकास की सबसे बड़ी बाधा

इस प्रकार आज की शिक्षा-मण्डलि में बच्चों के समग्र विकास की सबसे बड़ी बाधा पुस्तकों पर निर्भरता के कारण हो रही है। समग्र विकास के इच्छुक शिक्षकों और अभिभावकों का काम है कि बच्चों के मन में ऐसे अन्धसंस्कार तो कभी पैदा ही न होने दें कि पुस्तकों का पढ़ना ही शिक्षा है। उन्हें यह बात हम बंदम बंदम पर जताते रहना चाहिए कि प्रकृति के अक्षय भण्डार से ही पुस्तकों का अन्वार खड़ा किया जाना है और उसमें सक्ता अविचार है। चूंकि आजकल किताबों का उद्यम बहुत बढ़ गया है, इसलिए पढ़ाने की प्रथा भी बढ़ गयी है। असल में पढ़ाने से ज्ञानी बनाने की जरूरत ज्यादा है। इस देश में प्राचीन काल में, जबकि गिफि प्रचलित थी तब भी, तपोवनों में पौधियों का व्यवहार नहीं हुआ। उस समय भी गुह अपने शिष्यों को ज्ञानी ही शिक्षा देते थे और छात्र उस वापी में नहीं, विभाग में लिख लेते थे। इस तरह एक दीप से दूसरा दीप जलता था। अब ठीक वैसा तो नहीं हो सकता, परन्तु फिर भी यथासम्भव छात्रों को किताबों के आक्रमण से बचाना ही चाहिए।

शिक्षा का विराट प्रश्न

इस प्रकार यदि पुस्तकों की पढ़ाई और तद्द्वारा विशिष्ट विषयों की जानकारी देना ही यदि शिक्षा का अर्थ नहीं है, मानव-निर्माण में भी यदि शिक्षा का स्थान स्वीकार करने हैं तो शिक्षा के सामने एक विचित्र प्रश्न खड़ा होता है। वह यह कि चूंकि समाज परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा को भी अपना स्वरूप बदलते रहना होगा, तो शिक्षा क्या समाज के परिवर्तनों के अनुसंधान वाली जाय, अथवा समाज के परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित करने का वह साधन बन सकती है या नहीं? क्योंकि

पुरानी परम्परा के आधार पर समाज जीवन का सन्तुलन बनाये रखना एव बात है और समाज का सन्तुलन बनाये रखने समाज-जीवन की बदलती बिल्कुल दूसरी बात है। शिक्षा से ये दोनों काम किये जा सकते हैं।

या सगान अमूर्त है, व्यक्तियों और उनके सम्बन्ध का नाम ही समाज है। तो व्यक्तियों के बारे में एक कथन यह है कि 'ससार के सभी मनुष्य समान हैं', तो दूसरा कथन यह है कि 'ससार का प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे से भिन्न है।' य दोनों कथन सत्य हैं और इन दोनों कथनों के बीच मानव का जीवन व्यवहार चलता है। इन दोनों सत्यों के सम्बन्ध में ही मानव जीवन का सत्य समझा हुआ है।

व्यक्ति की उन्नति के लिए और तद्वारा समाज के विकास के लिए जिन्नी भी संस्थाएँ बनी हैं उनका ध्येय यही मानव-जीवन है। व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए धर्म का उदय हुआ, तो हृदय के विकास के लिए नीति का निर्माण हुआ, इंद्रियों के विकास लिए कला का सृजन हुआ तो बुद्धि के विकास के लिए शास्त्रों का अर्थात् विज्ञान का आविष्कार हुआ। फिर सार्वत्रिक समाधान की खोज में भूतसेवा का उत्पन्न निकला।

इतिहास साक्षी है कि ये ही धर्म, नीति, कला, शास्त्र और भूतसेवा—मानव जीवन के ध्येय रहे हैं। यह दूसरी बात है कि कभी किसी एक अंग का जोर रहा, तो कभी दूसरे का, फिर भी मूलतः इन सब ध्येयों की साधना जीवन की दृष्टि से ही होती आयी है और आये भी होती रहेगी।

वास्तविक जीवन-ध्येय

और हमने देखा कि इनमें से जो भी ध्येय जीवन के स्पर्श से जितना दूर होता जायगा उतने अंश में वह ध्येय एकांगी होगा, जड़ होगा और असत्य होगा। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें सद्वस्तुओं के सारे अंश समाहित हैं—'मैन इज द मोटिंग पाइण्ट आव आल आस्पेक्टस आफ रियलिटी।' मानव का ध्येय उसकी आत्मा, बुद्धि, शरीर इन सब अंगों को अपने में समा लेनेवाला होना चाहिए और यही सत्य कहलाता है।

दूसरे शब्दों में सत्य के सभी अंगों की रक्षा करनेवाला ध्येय ही वास्तविक जीवन ध्येय है। समाज के सब व्यक्तियों को उस सत्य के आचरण के योग्य बनाना समाज की सभी समस्याओं का, विशेषतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह दृष्टि न रही तो समाज में जड़ सम्प्रदाय भूटे ध्येयवाद, दार्शनिक आचरण आदि हर प्रकार की गन्दगी फैलती है। इसका प्रतिकार करने के लिए समाज में ध्येयनिष्ठ पुरुषों की सदा आवश्यकता रही है। बदलती परिस्थिति में गयी-गुजरी विचार-धारा, निरूप-योगी मस्याएँ और अपर्याप्त नीति-वचन आदि खत्म होने चाहिए और कालानुरूप परिवर्तन उनमें होना चाहिए और करने का काम ध्येयनिष्ठ पुरुषों का है।

अनेक विचारकों का मत है कि आनेवाला युग शिक्षक का है। आज शिक्षक इस स्थिति से अनभिज्ञ है। फिर भी विज्ञान और लोकतंत्र का तकाजा है कि सामाजिकता का प्रमुख तत्त्व शिक्षा ही है। इसका अर्थ यह है कि समाज का समग्र परिवर्तन करने का जो ध्येयनिष्ठ पुरस्च का कर्तव्य है उसका एकमात्र साधन शिक्षा है और इसलिए शिक्षा का दायित्व इस युग में बहुत बड़ा है।

शिक्षा से अपक्षा

आज समाज में उत्पादन-शक्ति आमूलाग्र बढ़ रही है। और इसलिए परम्परागत सामाजिक संस्थाएँ ढह रही हैं। कई पुरानी विचारसरणियाँ निट रही हैं। विपन्नता के बन्धन असह्य हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन की चुनौती की ओर दुर्लभ्य कर केवल मूढ बनकर परम्परा के गीत गाते रहना समाज को बचाने का मार्ग नहीं है। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह जीवन में नया आशय भरे, समाज को नया रूप दे, ध्येयों को नया सस्कार दे।

धर्म का काम केवल पारलौकिक मोक्ष का जप करना नहीं, ऐहिक समाजान सिद्ध करने में सहायक होना है, और धर्म को यह रूप देना शिक्षा का धर्म है।

कला का काम केवल रस-विश्रस में डूब जाना नहीं, जीवन की समस्याओं का यथावत् विचार करके समाज-मानस को बोधयुक्त और पुरपार्थप्रवण करना है, और कला को यह रूप देना शिक्षा का विषय है।

नीति का काम केवल आदर्श आचरण का उच्चारण करना नहीं, व्यक्ति-व्यक्तिके अन्दर सानु जीवन के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सके ऐसी समाज-रचना करने में अग्रसर होना है, और नीति में यह प्रेरणा उत्पन्न करना शिक्षा का काम है।

विज्ञान का काम केवल भौतिक संशोधनों में उलझे रहना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के बल पर समाज की सारी गन्दगी और खामी मिटा देना है, और विज्ञान को यह मोड देना शिक्षा का ही दायित्व है।

भूतसेवा केवल एक भावनामय वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी आकाक्षा यह होनी चाहिए कि उसके द्वारा वैज्ञानिक नवसमाज की रचना हो, और भूतसेवा में यह वृत्ति निर्माण करना शिक्षा का कर्तव्य है।

यह होगा सभी ध्येयनिष्ठा सार्थक होगी, शिक्षा के सभी अग मानव के समग्र जीवन के निर्माण के साधन बनेंगे। और यह दुहराने की आवश्यकता नहीं कि सब पन्थसरणता से सन्नेवाला नहीं है, इसके लिए प्रत्यक्ष जीवन जोने की दामता घडनी चाहिए।

ति० न० आश्रेय—साहित्य-सम्पादक, ग्रामभाषणा प्रकाशन, पट्टीकल्याणा.
करनाल (हरियाणा)

शैक्षिक व्यूह-रचना

- शान्तिकारी सामाजिक शक्ति और शिक्षण
- राष्ट्रीय विकास और ग्रामीण समाज की भूमिका
- ग्राम-विकास और विद्यालय
- विकासशील भारत का शैक्षिक संयोजन

क्रान्तिकारी सामाजिक शक्ति और शिक्षण

धीरेन्द्र मजूमदार

प्रश्न राष्ट्र के विकास की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक समझते हैं ?

उत्तर हम पहले इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है क्या ? राष्ट्र विकास का साधन शिक्षा है, यह मान्यता आज हमारे समाज के किसी हिस्से की नहीं है। आज की आम मान्यता यह है कि समाज के हर काम के लिए राज्य ही एकमात्र साधन है। जब राज्य को ही विकास का साधन मानते हैं तो उसका माध्यम सरकार का विभाग होता है और पद्धति व्यवस्था और संचालन की होती है।

संचालन-पद्धति में हर काम का साधन सरकारी और गैर-सरकारी सेवक होता है। आज जनता की मान्यता यह है कि कोई-न-कोई सरकारी या गैर-सरकारी सेवक उनकी समस्या का समाधान कर दे। वस्तुतः इस सिद्धान्त का धोर पकड़कर आज दुनिया में सबको की बहुत बड़ी पूजा खी हो गयी है और दिन-दिन इसका परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके फलस्वरूप आज सेवा के प्रसंग को लेकर समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया है, जो जनता के कंधे पर बैठकर उसका शोषण और दमन कर रहा है। आज विभिन्न नेता और दलों के बीच सेवा के अवसर को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, वह इसी वर्ग के भिन्न-भिन्न खेना की पट्टीदारों का है।

जब जनता यह मानती है कि उस अपने से कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ सरकार को टैक्स, संस्थाओं को चन्दा और पार्टियों को 'वोट' देना है तब, राष्ट्र-विकास कैसे होगा ? आज तो टैक्स या चन्दा से राष्ट्र-विकास के लिए जो साधन इकट्ठा किया जाता है, उसका करीब ७० प्रतिशत सेवकों को खिलान में ही चला जाता है। अतएव जबतक इस पद्धति में बदल नहीं होता है यानी जबतक संचालित समाज-व्यवस्था के रथान पर स्वावलम्बी समाज-व्यवस्था का विचार मान्य नहीं होता है, तबतक राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। पहले ऐसी मान्यता का अभिधान करना होगा तब उसके लिए शिक्षा की पद्धति क्या होगी यह सोचने का अवसर आयेगा, क्योंकि स्वावलम्बन और सहकार का निर्माण शिक्षा के माध्यम में ही हो सकता है, कानूनी उद्दे से नहीं।

आज जो शिक्षा-पद्धति चल रही है वह समाज की मान्यता और माँग के अनुसार ठीक ही चल रही है, क्योंकि शिक्षा संचालक पैदा करने का माध्यम है और यही

सार्वजनिक मान्यता भी है। अतएव आज की पहली आवश्यकता यह है कि व्यापक लोक शिक्षण द्वारा जनता को इस बात की शिक्षा दी जाय कि वह अपने विकास के लिए राज्य, नेता, सेवक और समाज-संस्था के भरोसे न रहकर परस्पर-सहकार और सम्मति से अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूँढे। राष्ट्र-विकास के लिए यह पहली शर्त है।

अब प्रश्न यह है कि इस लोक-शिक्षण का वाहन कौन होगा? स्पष्ट है कि आज का जो शिक्षक-समुदाय है उसीकी इसका वाहन बनना पड़ेगा और उसीको सामाजिक मान्यता में बदल लाकर शिक्षा में समुचित परिवर्तन लाना होगा। इस परिवर्तन की दिशा का स्पष्ट संकेत गांधीजी खुद बरके गये हैं। उन्होंने नयी तालीम-पद्धति के बारे में साफ कहा है कि शिक्षा स्वावलम्बी हो और उसका माध्यम राष्ट्र के विकास का कार्यक्रम यानी उत्पादन की प्रक्रिया, सामाजिक कार्यक्रम और प्रकृति का अध्ययन हो। जब राष्ट्र की जनता स्वावलम्बी समाज के विचार को मानकर शिक्षा में उपरोक्त परिवर्तन लायेगी, तब राष्ट्र का विकास कोई अलग प्रवृत्ति नहीं रहकर, राष्ट्रीय शिक्षा की स्वाभाविक परिणति होगी।

प्रश्न : ये परिवर्तन होंगे कैसे? क्या आज का नेतृत्व यह अपेक्षा पूरी कर सकेगा? क्या शिक्षक-समुदाय अपने सुझाव लेकर सामने आयेगा? क्या विद्यार्थी स्वयं परिवर्तन की मांग करेंगे?

उत्तर : यह परिवर्तन कैसे होगा, इसका कुछ संकेत मैंने पहले प्रश्न में किया है। अगर देश में नेतृत्व होता तो शायद वह यह अपेक्षा पूरी कर सकता। लेकिन लोकतंत्र के गलत मांग पर चलने के कारण समाज में नेतृत्व का विघटन हो गया है। लोकतंत्र में लोकनायक का स्थान मुख्य होना चाहिए। क्योंकि लोकमत का स्थान सर्वोपरि होने के कारण उसे जमाने के कदम के साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और इसके मार्गदर्शन के लिए लोकमत के अग्रगामी नेताओं की आवश्यकता होती है। वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति में लोक गौण है और तंत्र मुख्य बन गया है। इसीके कारण देश के मुख्य प्रतिभाराली व्यक्ति लोक प्रतिनिधि के रूप में तंत्र-संचालन के काम में लग गये। लेकिन लोक प्रतिनिधि का स्वयं लोकमत का अनुगमन होता है। स्पष्ट है कि लोकमत का अनुगामी उसका अग्रगामी बन ही नहीं सकता। जब वर्तमान लोकतंत्र की पद्धति के कारण, जिसे आप नेता कहते हैं वह वास्तविक नेता नहीं रह गया है तब वह परिवर्तन कैसे लायेगा? चूंकि जनमत मुख्य रक्षणशील होता है, इसलिए उसके प्रतिनिधि को यथास्थिति की व्यवस्था में ही लगना पड़ता है।

शिक्षक-समुदाय ही वस्तुतः परिवर्तन का मुझाव लेकर सामने आ सकता है। इसके लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि वह स्वतंत्र चिन्तन की स्थिति में हो। आज तो वह राज्य और राजनीति के अधीन है, अर्थात् ऊपरोक्त राजा के अनुसार लोक-प्रतिनिधि की हकूमत में है। इसीलिए आज क शिक्षक के लिए स्वतंत्र चिन्तन की गुआइश नहीं है। शिक्षक परिवर्तन का मुझाव लेकर तब आ सकता जब शिक्षा और शिक्षक का राज्य-निरपेक्ष एक स्वतंत्र अस्तित्व हो—यानी जब शिक्षक राजनीति से ऊपर उठकर पूरे समाज पर अपनी समग्र दृष्टि रख सके। विनोबा समाज-शान्ति के लिए 'आचार्यकुल' का संगठन इसीलिए आवश्यक मानते हैं। जब 'आचार्यकुल' का संगठन होगा और उस कारण शिक्षक-समुदाय का वजन समाज में बढ़ेगा तब यही 'आचार्यकुल' नेतृत्व की रीतिता की पूर्ति कर सकेगा और तभी वह परिवर्तन का मुझाव लेकर सामने आ सकेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि संगठित 'आचार्यकुल' सरकार से यह मांग करे कि न्याय-विभाग की तरह ही शिक्षा विभाग भी सरकार-निरपेक्ष स्वतंत्र हैसियत हासिल करे।

विद्यार्थी अवश्य परिवर्तन की मांग करेंगे। और अनेक मुक्तों में वे ऐसी मांग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे देश का विद्यार्थी-समाज-परिवर्तन की आवश्यकता है ऐसा महसूस नहीं कर रहा है। वह भी संचालित समाज में सेवक बनना चाहता है, ताकि उसकी बेकारी का निवारण हो। वह अभी यह नहीं चाहता है कि वर्तमान समाज-व्यवस्था में परिवर्तन हो और वह उसका घटक बने। उसकी मांग मात्र इतनी ही है कि शिक्षा ऐसी अर्थकारी हो, जिससे नौकरी न मिलने पर भी वह कमाई कर सके, लेकिन आज की समाज-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है। अशिक्षा लौक कहते हैं कि औद्योगिक शिक्षा को मुख्य स्थान मिले। लेकिन आज की केन्द्रवादी अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक शिक्षा भी शिक्षित बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकेगी। इन्जीनियरी की बेकारी की समस्या आपके सामने है। केन्द्रवादी अर्थनीति जब औद्योगिक प्रक्रिया को 'आटोमेशन' से आगे बढ़ाकर 'साइबरनेशन' तक पहुँचा रही है तब लघु उद्योगों की शिक्षा समाज के किस काम आयेगी? विद्यार्थी को जबतक यह अनुभूति नहीं होगी कि आज की परिस्थिति में संचालित समाज-प्रणति को बदलकर स्वावलम्बी समाज का अधिष्ठान आवश्यक है तबतक वह भी शैक्षिक परिवर्तन के सदर्भ में कोई प्रभावकारी मांग नहीं बन सकेगा।

प्रश्न - हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उस स्थिति की जब एक नयी सामाजिक शक्ति उभरेगी, और समाज की बुनियादें बदलकर एक नयी सरकार बनायेगी, और तब अर्थनीति के साथ-साथ शिक्षा नीति पर भी नये सिरे से विचार करेगी? अगर क्रान्तिकारी शक्ति हो क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकती हो तो

हमें सबसे पहले उस क्रान्तिकारी शक्ति को ही विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए । क्या इस विचार से आप सहमत हैं ?

उत्तर : मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि क्रान्तिकारी शक्ति ही क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकती है । समाज में अधिष्ठित वर्तमान कोई भी संस्था दण्ड या तत्त्व परिवर्तन नहीं ला सकती है । लेकिन क्रान्तिकारी शक्ति को विकसित करने की स्थिति में अभी शिक्षक पहुँच नहीं हैं, यह समझ लेना चाहिए । अभी तो वे क्रान्तिकारी शक्ति का उद्बोधन मात्र कर सकते हैं । वस्तुतः विनोदा आज वही कर रहे हैं ।

आज देश और दुनिया में अनेक प्रकार की उथल-पुथल हो रही है जिसे देखकर लगता है कि क्रान्तिकारी शक्ति का अधिष्ठान हो रहा है । आज जो उथल-पुथल दिखाई दे रही है उसकी बुनियाद में क्रान्तिकारी शक्ति नहीं है, बल्कि बेचैनी का तात्कालिक उभाड़ है । जो लोग वर्तमान सत्तामूलक संचालित समाज में रहते हुए केवल सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, वे इस सत्ता-संघर्ष के लिए इस बेचैनी के उभाड़ को अपने पक्ष में संयोजित कर रहे हैं । इससे समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि सत्ता पर नये संचालक का कब्जा होना और नये सत्ताधारी अधिक-से-अधिक इतना कर सकेंगे कि पुरानी पद्धति के अन्तर्गत कुछ छोटी-छोटी बुराइयाँ दूर हो जायँ ।

वर्तमान के प्रति बेचैनी, और व्यवस्था के प्रति विक्षोभ क्रान्तिकारी शक्ति को जन्म जरूर दे सकता है, लेकिन वह तब ही सकता है, जब क्रान्तिब्रह्म और क्रान्ति-विचारक बेचैनी का कारण वर्तमान पद्धति है और उसका निराकरण क्रान्ति-विचार है, इस तथ्य के प्रति जनता को निरंतर शिक्षित करना रहे । वस्तुतः इतिहास में क्रान्ति के नाम पर जितनी घटनाएँ हो चुकी हैं, उनके द्वारा इस मूल तथ्य के अभाव में समाज में क्रान्तिकारी शक्ति का विकास नहीं हो सका । अबतक जितनी क्रान्तियाँ हुई हैं, उनकी प्रक्रिया यही रही कि शक्तिशाली क्रान्तिकारी जमात ने जनता की बेचैनी और विक्षोभ को संगठित कर तथा पुरानी पद्धति के संचालक को पदच्युत कर उसके स्थान पर अपने को ही अधिष्ठित किया है, और अपनी दृष्टि से उसी पुरानी पद्धति के मार्फत ही सुधार लाने का प्रयास किया है । इसके फलस्वरूप समाज में क्रान्तिकारी शक्ति का अधिष्ठान न होकर क्रान्तिकारी जमात का संगठन मजबूत हुआ है, जिसके कब्जे में पूरा समाज गिरफ्तार हुआ है । शक्ति क्रान्ति-विचार में निहित न होकर क्रान्ति-जमात के हाथ की सत्ता में आ जाने पर उस जमात का कोई शक्तिशाली व्यक्ति जमात और संस्था, दोनों का सर्वाधिकारी अधिनायक बन जाता है । इसके उदाहरण फ्रांस का नेपोलियन, और रूस का स्टालिन हैं ।

मान्म और हम के उन दिनों के सम्राट और जार यदि प्रजा-रंजक और कुशल शासक होते तो क्या लोकतंत्र और समाजवाद के विचार से उद्बोधित होकर जनता शान्ति में शांति होनी ? निस्संदेह नहीं होती । वस्तुतः लेनिन ने खुद कहा है कि जनता समाजवाद के विचार के कारण उनके साथ नहीं थी, बल्कि लेनिन और उनके दल द्वारा राहत पहुँचाने की शक्ति के कारण थी । इस तरह गहराई से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि फ्रांस और हम में शान्तिकारी शक्ति का नहीं, बल्कि विद्रोही शक्ति का उभाड़ हुआ था । समाज में शान्ति लाने के लिए शान्ति-शक्ति को उद्बोधित तथा विकसित करना होगा ।

इस मिनसिले में और एक प्रश्न पर सफाई होनी चाहिए । आपने कहा है कि 'सामाजिक शक्ति बुनियादें बदलकर एक नयी सरकार बनायेगी और तब अर्थ-नीति के साथ-साथ शिक्षा-नीति पर भी नये सिरे से विचार करेगी ।' इस सन्दर्भ में आप अगर यह सोचते हैं कि नयी सामाजिक शक्ति उभरकर नयी सरकार बनायेगी और फिर वह सरकार अपेक्षित परिवर्तन लायेगी तो फिर से आप पुरानी गलतियों को दुहरायेगी । वस्तुतः 'सरकार द्वारा विकास' इस मान्यता को बदले बिना कोई प्राण नहीं है । परिवर्तन तो जनता की सहकारी शक्ति से होगा । शान्ति-विचार से उद्बुद्ध जनता को सरकार के वर्तमान स्वह्य को बदलना तो पड़ेगा ही, लेकिन वह इसलिए नहीं कि बदली हुई सरकार उनकी समस्या का समाधान करेगी, बल्कि इसलिए उम्मीद करेगी कि सरकार जनता द्वारा राष्ट्र विकास के प्रयास में बाधक न होकर साधक बने ।

प्रश्न क्या कोई ऐसे परिवर्तन हैं, जो तत्काल सम्भव हैं ? वे क्या हैं ?

उत्तर समाज में शान्ति-विचार की शक्ति के अभिष्ठान से पहले कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं है, लेकिन शक्ति के उद्बोधन और विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ पुरानी पद्धतियाँ का परिवर्तन अपने-आप होता चलेगा । उदाहरण के लिए ग्रामदान से राज्यदान के संज्ञान को ले सकते हैं । राज्यदान को घण्टा के साथ विचार के प्रति आकर्षण और जिज्ञासा पैदा होगी, जो विचार-शिक्षण के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि बनगी । उस पृष्ठभूमि पर अगर आप विचार-शिक्षण का काम तेजी से कर सके तो पहला परिवर्तन यानी परिवर्तन शान्ति से नहीं, सम्मति से ही इसका अभिष्ठान तत्काल सम्भव होगा और इसके साथ ही-साथ रक्षण, पोषण और शिक्षण के प्रश्न पर जनता में चिन्तन का प्रारम्भ होगा । एक दूसरा परिवर्तन भी तत्काल सम्भव है और वह यह है कि सरकार लोक निरोध जमात के उम्मीदवारों द्वारा नहीं, बल्कि जनता द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों से ही बने । यह परिवर्तन यद्यपि शान्तिकारी नहीं है, तथापि शान्ति-अभिमुख अवश्य है । •

राष्ट्रीय विकास और शिक्षित जनशक्ति

वंशीधर श्रीवास्तव

स्वतंत्र भारत की शैक्षिक व्यूह-रचना

आज शायद ही कोई इस बात से इन्कार करे कि विकासशील भारत के लिए शैक्षिक व्यूह-रचना नहीं के बराबर हुई है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए राष्ट्र की जो आकाशाएँ उभरी, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का रूप लिया। इन योजनाओं में 'शिक्षा' को अत्यन्त 'निम्न' स्थान दिया गया। देश के विकास के लिए यंत्र और टेकनालोजी आवश्यक समझे गये। पूँजी की जरूरत भी महसूस की गयी। पूँजी अपने पास नहीं थी तो दूसरे से उधार माँगकर लायी गयी। परन्तु, शिक्षा को विकास का आधारभूत तत्व नहीं स्वीकार किया गया और इसीलिए उसे राष्ट्र की विकास-वृद्धि से जोड़ने की कोई चेष्टा नहीं की गयी। 'शिक्षा की प्रगति' के नाम पर केवल परम्परागत अनुत्पादक किताबी शिक्षा को बढ़ाया गया।

देश के स्वतंत्र होने के बाद सन् १९५०-५१ में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पूरे देश में लगभग ३० लाख छात्र पढ़ते थे। १९६५-६६ में यह संख्या बढ़कर १ करोड़ ३० लाख हो गयी और अनुमान किया जाता है कि १९७५-७६ तक यह संख्या ३ करोड़ २० लाख और १९८५-८६ तक ४ करोड़ ६० लाख हो जायगी। (शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट—७-३७) इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक-स्तर पर केवल आर्ट, विज्ञान और कामर्स के संकायों (फैकल्टीज) में सन् १९५०-५१ में छात्र-संख्या १,९१,००० से बढ़कर १९६५-६६ में ७,५६,००० हो गयी। (शिक्षा-आयोग १२०३-१) परन्तु इस वृद्धि का मतलब हुआ शिक्षित बेकारों की संख्या में वृद्धि, जिसका परिणाम है आज के छात्रों का विशोभ और असंतोष। छात्र आज चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे हैं—'हमें रोटी चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए।' अगर शिक्षा और बिजाम में अनुबन्ध स्थापित किया गया होता और देश में उपलब्ध प्रचुर धन को शिक्षा से सम्पन्न और कारगर बनाया गया होता तो यह नौबत नहीं आती।

फिर भी देश में विकास के अनुकूल शैक्षिक व्यूह-रचना का प्रयास हुआ, परन्तु हमें उसमें सफलता नहीं मिली। और हमारे इस असफलता का यह पहलू और भी कारणिक हो जाता है, जब हम देखते हैं कि देश के प्रबुद्ध वर्ग में बराबर यह चेतना रही है कि जो अनुत्पादक किताबी शिक्षा हम अपने छात्रों को दे रहे हैं,

उमड़ा सम्बन्ध न तो राष्ट्र के जीवन से है और न उन विज्ञानसाकान्ताओं से है, जो पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में बढमूल हुई हैं। इस चेतना और उमे कार्य-रूप में परिणत करने के प्रयासों और उनकी विफलताओं की कहानी स्वतंत्र भारत के शैक्षिक ज्ञान की सर्वाधिक निराशाजनक कहानी है।

बुनियादी शिक्षा - ध्यूह-रचना का प्रथम चरण

जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके सामने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति थी, जो उत्पादक और निर्माणमूलक थी, और जिसमें कोरी सिद्धान्तिक अनुत्पादक शिक्षा का सक्रिय विरोध था। इस शिक्षा पद्धति के विषय में 'राजाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग' के विदेशी सदस्य डाक्टर ए० ई० मागन लिखते हैं— 'भारत के लिए यह एक बहुत बड़े मौभाग्य की बात है कि इतिहास क इस महत्त्वपूर्ण क्षण में उस शिक्षा का एक ऐसा दर्शन और टाँचा प्राप्त हुआ है जिसका बुनियादी और सावभौमिक मूल्य है और जो नये भारत के निर्माण के लिए आदर्श का काम दे सकता है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम के बिन्ही अर्थों में हम भले ही महमत न हो, परन्तु बुनियादी शिक्षा की पूरी महत्त्वता पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उसमें उत्तम शिक्षा-पद्धति के वे सभी बीज मौजूद हैं जिसमें संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण और सम्भार होता है और जिसकी उत्कृष्टता के विषय में हमारा ज्ञान समय के साथ अधिक साफ होना आयेगा और जो अत में आलोचना और समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। बुनियादी शिक्षा की यह सक्लना संसार की शिक्षा को भारत की बहुत बड़ी देन है। गांधीजी ने जिस शिक्षा-पद्धति की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत की है, वह केवल बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं है, उसमें तो एक सावभौमिक शिक्षा-पद्धति के सभी तत्व मौजूद हैं।' (हायर एजुकेशन इन रिलेशन टु रूरल इण्डिया—ए० ई० मागन, पृष्ठ-१६) इसके पन्द्रह वर्ष बाद, कोटारी-आयोग ने, जिसमें देश विदेश के छोटी के शिक्षाशास्त्री थे बुनियादी तारीख के विषय में लिखा—“महात्मा गांधी ने २५ वर्षों में भी पहले बुनियादी शिक्षा का जो आदर्शन शुरू किया था, उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए नये प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिसका केन्द्र शारीरिक धर्म और उत्पादक कार्य और जिसका समुदाय के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह एक ऐसी शिक्षा के प्रति प्रार्थना थी, जो अनुत्पादक और पुलकीय थी और परीक्षामूलक थी। हमारा विश्वास है कि इस प्रणाली के मूल सिद्धान्त तत्त्वतः ठीक हैं और विचित सशोधन के माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली के, न केवल प्रारम्भिक स्तर पर, अर्थात्, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। ये मूल सिद्धान्त हैं (१) शिक्षा में उत्पादकता, (२) पाठ्यक्रम का उत्पादक कार्यकलापों तथा

भौतिक और सामाजिक वातावरण से सह सम्बन्ध और (३) शिक्षालय और स्थानीय समुदाय का घनिष्ठ सम्बन्ध ।” (शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट—८ १०५) आयोग आगे लिखता है— ‘बुनियादी शिक्षा के ये मूल सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे हमारी शिक्षा प्रणाली का सभी स्तरों पर (प्रारम्भिक स्तर से स्नातक स्तर तक) मार्ग-दर्शन होना चाहिए ।’ (शिक्षा-आयोग—८ १०६)

गायीजी की इस नयी तालीम को स्वतंत्र देश में प्रारम्भिक स्तर (कक्षा १ से कक्षा ७ तक) की शिक्षा के ‘राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति’ के रूप में स्वीकार किया और प्रदेशों में और क्षेत्रों में उसके प्रचार और प्रसार के लिए प्रयास हुए ।

मुद्रालियर कमीशन

यह महसूस किया गया कि बुनियादी शिक्षा को अगर प्रारम्भिक स्तर तक ही सीमित रखा गया तो इससे उस उत्पादक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, जिसकी विकासशील देश की आवश्यकता है । अतः मुद्रालियर कमीशन ने, जिसे भारत सरकार ने देश की माध्यमिक शिक्षा की जाँच के लिए नियुक्त किया था बुनियादी शिक्षा की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की सन्तुति की, जिससे माध्यमिक शिक्षा उद्योग-परक हो सके और प्रारम्भिक स्कूलों में जो कौशल प्राप्त कर लिया गया है उसका विकास हो । कमीशन ने सन्तुति की कि ‘माध्यमिक विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी “एक उद्योग” अनिवार्य रूप से पढ़े, क्योंकि इस स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उद्योग में अथवा हाथ के काम में कुछ समय लगाना और उस उद्योग में दक्षता प्राप्त कर लेना जरूरी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस उद्योग के द्वारा वह अपना भरण-पोषण कर सके ।’ (मुद्रालियर कमीशन रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय—१९५६, पृष्ठ ६५) इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ‘उद्योग’ अथवा ‘हाथ के काम’ को एक मूल विषय रखकर कमीशन ने बुनियादी शिक्षा की परम्परा को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है, जिसमें विकासशील देश को उत्पादक योजनाओं के लिए जिन कुशल एवं अर्द्ध-कुशल कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी माध्यमिक शिक्षा उस जरूरत को पूरा करने की मजबूत नींवें बने ।

राधाकृष्णन आयोग और श्रीमाली समिति

बुनियादी शिक्षा की इस परम्परा को विश्वविद्यालय स्तर तक बढ़ाने के लिए, और विश्वविद्यालयों की शिक्षा को देश की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए, राजा-कृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग ने, जिसे भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था, ग्राम-विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की । श्रीमाली समिति ने,

त्रिंशे भारत सरकार ने इस आयोग की सन्तुष्टियों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए नियुक्त किया था, आयोग की सिफारिशों से सहमत होते हुए, 'ग्राम-संस्थानों' की स्थापना की राय दी थी। इसके फलस्वरूप देश में उच्च शिक्षा के दस 'ग्राम-संस्थान' स्थापित हुए। इन संस्थानों के लक्ष्य और प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए श्रीमाली समिति लिखती है—“हम उच्च शिक्षा के इन संस्थानों की समुदाय के उत्पादक जीवन और आवश्यकताओं से सम्बन्धित कर देना चाहते हैं, ताकि इन संस्थानों के छात्र समुदाय के उपयोगी नागरिक बन सकें और उच्च शिक्षा सामान्य सामुदायिक जीवन से अलग न रहकर उसका अभिन्न अंग बन जाय। इन संस्थानों में विद्यार्थी छिपी लेने के लिए केवल सैद्धान्तिक विषयों को पढ़ने के बजाय ग्राम-जीवन की यथार्थ समस्याओं का निराकरण करना सीखेंगे। इन ग्राम-संस्थानों के छात्र किसी उत्पादक उद्योग में भाग लेंगे, जिससे वे अपने स्वयं का कुछ हिस्सा कमा लें; इससे उनमें आत्म-विश्वास का विकास होगा।” (रूरल इन्स्टी-ट्यूट्स, भारत शिक्षा मंत्रालय, पृष्ठ २-३)

इस प्रकार ग्राम-संस्थानों की इस सकलता में भारत की उच्च शिक्षा को राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को सम्मिलित करने की चेष्टा की गयी। जैसा कि इसी रिपोर्ट में दूसरी जगह समिति ने स्वीकार किया है, और जो इस बात की भी स्वीकृति है कि बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को अगर सही ढंग में प्रारम्भिक स्तर से विध्वविद्यालय-स्तर तक लागू किया जाय तो नये राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति में शिक्षा सहायक होती। यह दूसरी बात है कि काय-रूप में परिष्कृत होने पर ये ग्राम-संस्थान बुनियादी शिक्षा के संस्थानों की रक्षा नहीं कर पाये।

और वस्तुस्थिति यही है कि मुद्रालय, कमीशन, राजाकृष्णन् विध्वविद्यालय आयोग और श्रीमाली समिति ने वामिक शिक्षा के जिन सिद्धान्तों के प्रसार द्वारा देश को माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा को विकासशील राष्ट्र की आकांक्षाओं से जोड़ने की चेष्टा की थी, वे व्यर्थ सिद्ध हुए। पवित्रमी किताबों शिक्षा में पले हुए स्या-कथित शिक्षा-शास्त्रियों और प्रशासकों ने इन प्रगतिशील शैक्षिक व्यूह-रचनाओं को असफल सिद्ध कर दिखाया। अप्रैल १९६५ में दिल्ली में सर्व सेवा सभ द्वारा आयोजित नयी तालीम कन्वेंशन में अपने विचार प्रकट करते हुए स्वर्गीय आर्य-नायकम्जी ने कहा था—“आज बुनियादी तालीम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करनेवाले राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि सेनेटोरिएट (नोकरशाही) है।” वैदिक शिक्षा की सफलताओं-असफलताओं के कारणों का पता अगर देश में किसी एक व्यक्ति को था तो वे आर्यनायकम्जी थे और उनके इस कथन से असहमति की गुंजाइश

बहुत कम है। जो भी हो, सिद्धांतन ठीक होने हुए भी अनेक कारणों से ये प्रगति शील शैक्षिक व्यूह रचनाएँ देश की शिक्षा को राष्ट्र के जीवन और उसकी विवासा काशाओ से जोड नहीं पायी है और देश की शिक्षा प्रणाली आज भी अनुत्पादक बनी हुई है। यह छात्रों को ऐसा कुछ भी नहीं दे पा रही है, जिसके बरु पर वे राष्ट्र को समृद्ध बना सकें।

व्यहरचना की व्यथता का मूल कारण

तत्त्वतः ठीक होते हुए भी इन व्यूह रचनाओ की व्यथता का सबसे बडा कारण है राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली और राष्ट्र के विकास के लिए अपेक्षित जन-मस्या में अनुबंध का अभाव। यह तथ्य है कि देश के शिक्षाविदों और प्रबुद्ध प्रशासकों ने शिक्षा की शैलियों और नौकरी की गुविधाओ में तालमेल बैठाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अगर यह किया होता तो इन उद्योगपरक शैक्षिक योजनाओ को अधिक ईमानदारी से कार्यावित करने की चेष्टा की गयी हानी। परन्तु भारत अगर विकास का इच्छुक है और सही मान में विनास चाहता है तो यह आवश्यक है कि विकास के प्रत्येक प्रकार के काम के लिए उपयुक्त सध्या में शिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध हों। किसी व्यक्ति का किसी नौकरी के लिए कम या अधिक योग्य होने अथवा किसी योग्यता की मांग न होने के कारण किसी व्यक्ति का बेरोजगार रह जाने से अधिक निराशाजनक स्थिति उम देश के युवकों के लिए नहीं हो सकती जो देश समाजवादी व्यवस्था के लिए प्रतिभ्रुत है।

मौजूदा शिक्षा प्रणाली में शिक्षा और रोजगार के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। किसी भी समाजवादी व्यवस्था में इस प्रकार का सम्बन्ध होना ही चाहिए। सही समाजवादी व्यवस्था में तो प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को डिप्लोमा अथवा डिग्री के साथ नियुक्ति-पत्र भी मिलना चाहिए। शिक्षित युवकों को रोजगार देना राज्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अतः हमें शिक्षा का नियोजन इस रूटि से करना होगा कि राष्ट्र के विकास के प्रत्येक काम के लिए वाछित योग्यता के शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों और प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए उपयुक्त काम मिल सके। ऐसा होगा तभी विकास कार्य को शिक्षा से पोषण मिलेगा और शिक्षा को विकास से प्रोत्साहन।

प्रश्न है कि इस प्रकार का अनुबन्ध कैसे स्थापित किया जाय ? इसके लिए दो उपाय हैं —

(१) सबसे पहले उत्पादक सामान्य शिक्षा की उन उत्पादक योजनाओं को लागू करना होगा जो उद्योगपरक हैं और जो समुचित साधनों के अभाव में अमफल सिद्ध हो रही हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर

कार्यानुभव का शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने की सिफारिश की है। आयोग मस्तुति करता है कि रात्र के विकामाय समन्त उद्योगो मे जनसख्या की खपत और रोजगारो के ढांचे मे हो रहे परिवर्तन का ध्यान म रखकर शिक्षा-संस्थाओ के पान्यक्रम का इस प्रकार पुनर्निरीक्षण और संशोधन करना चाहिए कि ये पान्यक्रम व्यवसायपरक हो सकें। आयोग तो यह भी सिफारिश करता है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त उन व्यक्तियो के लिए जो काम-धंधो म लग गये हैं पदोन्नति विस्तार-वात्स्यक्रम का विकास करना चाहिए जिसम जो पदोन्नति के योग्य पाय जाय उनकी तरकी हो सके।

(२) दूसरा काम होगा अपेक्षित जनशक्ति का पूर्वानुमान।

अदत्तक इस प्रकार का पूर्वानुमान करके शिक्षा प्रणाली से तालमेल प्रस्तुत करन का कोई प्रयास नहीं हुआ है। इन प्रसंग म शिक्षा-आयोग ने कुछ दिलचस्प आँकडे प्रस्तुत किये हैं। आयोग लिखता है कि अपेक्षित जनशक्ति के पूव अनुमान के अभाव म माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार के इच्छुक पढ-लिखे व्यक्तियो के लिए स्कूल और कालेज छोन्ने और किसी प्रकार के रोजगार म लग जने क बीच की औसत प्रतीक्षा-अवधि सन् १९६०-६१ मे १०.४ सप्ताह थी। विश्व विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह अवधि ४५ सप्ताह थी। यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है आदश अवस्था यह होनी चाहिए कि औसत प्रतीक्षा-अवधि २६ सप्ताह से कम और ५२ सप्ताह से अधिक न हो।

शिक्षितों की बेरोजगारी कितनी ?

शिक्षित जनसख्या की बेरोजगारी के आँकडे और भी चौंकानेवाले हैं। सन् १९६१ मे मोटे तौर पर ५२ लाख कमचारी ऐसे थे जिनकी योग्यता मटिक या इसम अधिक थी। इनम लगभग ११ लाख व्यक्ति स्नातक थे। इन ५२ लाख कमचारियो म केवल १ लाख व्यक्ति उत्पादक उद्योगो म लगे थे। १९७६ मे मट्रिक पास कमचारियो को संख्या ५२ लाख से बत्कर १६६ लाख और १९८६ म ३२६ लाख ही जायगी। इसी प्रकार १९६१ म मौजूद स्नातक कमचारियो की संख्या ११ लाख से बत्कर १९७६ म ३३ लाख और १९८६ मे ६५ लाख हो जायगी। (शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट—५, २०) यह तो काम मे लगे हुए शिक्षितो की संख्या है। पर सभी शिक्षित व्यक्ति तो काम म नहीं लग पाते। १९६१ मे मट्रिक या इसम अधिक योग्यतावाले कुल व्यक्तियो की संख्या ८० लाख थी। यह संख्या १९७६ म बढ़कर २७० लाख और १९८६ म ५६० लाख हो जायगी। स्नातको की कुल संख्या जो १९६१ मे १५ लाख थी बत्कर १९७६ मे ४५ लाख और १९८६ म ९० लाख हो जायगी। (शिक्षा-आयोग—५, २१)

इन दोनों अनुच्छेदों की सभ्यता की तुलना की जाय तो मान्य होगा कि अगर नौकरी के लिए अपेक्षित जनसंख्या को दृष्टि में रखकर 'शिक्षा-संरचना' को रोकना गया तो १९८६ तक देश में २३४ मैट्रिक या इससे अधिक योग्यतावाले और २५ लाख स्नातक बेरोजगार हो जायेंगे। यह अत्यंत गंभीर स्थिति है और इसे रोकना गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा। शिक्षित बेकार युवक किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े खतरे हैं।

जाहिर है कि नौकरी के लिए अपेक्षित जनसंख्या और शिक्षा-संस्थाओं द्वारा तैयार व्यक्तियों की संख्या के बीच बराबर सम्बन्ध स्थापित करना होगा।

इस प्रसंग में शिक्षा-आयोग के सदस्य श्री० आर० ए० गोपाल स्वामी, जिन्होंने शैक्षिक उत्पादन, जनशक्ति की आवश्यकताओं और नौकरी के अवसरों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया है, निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये हैं —

(१) राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में अपेक्षित जनशक्ति के प्राक्कलनों को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए और उन्हें निरन्तर सशोधित करते रहने के लिए एक 'जनशक्ति संस्था समिति' की स्थापना करनी चाहिए। इस समिति में प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, गृह, धन तथा रोजगार आदि मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति को राज्य-स्तर पर जनशक्ति नियोजन करनेवाले अधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करके शिक्षा प्रणाली द्वारा तैयार व्यक्तियों की कुल संख्या तथा विशेषज्ञों की विभिन्न श्रेणियों की जनशक्ति के पूर्वानुमान तैयार करना और समय-समय पर उन्हें सशोधित करते रहना और इन पूर्वानुमानों को सम्बन्धित संस्थाओं के मार्ग-दर्शन के लिए समय-समय पर प्रकाशित करना चाहिए।

(२) राज्य-स्तर पर भी इसी प्रकार की 'जनशक्ति समिति' स्थापित करनी चाहिए। यह समिति केन्द्रीय जनशक्ति समिति के नमूने पर बनायी जाय। राज्य स्तर पर प्राक्कलन तैयार करने और योजना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व इसी समितियों का होना चाहिए।

(३) जिला-स्तर पर भी 'जनशक्ति समिति' स्थापित करनी चाहिए। इस समिति को जिले में मौजूद सभी शिक्षा-संस्थाओं और उन सभी व्यावसायिक संस्थाओं से जो रोजगार देती हों, निकट का सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए, जिससे जिला-स्तर पर भी अपेक्षित जनशक्ति के सर्वोत्तम प्राक्कलन उपलब्ध हो सकें।

(४) शिक्षा-संस्थाओं में भरती हुए और तैयार हुए व्यक्तियों की संख्या नौकरी के लिए अपेक्षित जनशक्ति के अनुरूप शिक्षा-संस्थाओं में जो सुविधा जुटानी पड़ेगी

उसकी योजना बनाना अगली समस्या है। यह काम राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर होना चाहिए। योजना बनाते समय व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार-कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उच्च शिक्षा-मस्यारों जो सुनिश्चाने चाहती हैं, वह तभी दी जायेंगी जब वे अपेक्षित जनशक्ति के अनुकूल हों। माध्यमिक शिक्षा को उद्योग-परक बनाना चाहिए और सामान्य शिक्षा के जिन क्षेत्रों में जहाँ 'शिक्षा-स्थिति' की स्थिति हो, वहाँ प्रतिबन्धात्मक नीति अपनायी जानी चाहिए।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा और रोजगार के बीच सीमा सम्बन्ध नहीं है। अगर इस प्रकार का सम्बन्ध कायम करना है तो ऊपर की नीति का उपयोग करना होगा। ऐसा होगा तभी शिक्षित जनशक्ति का बेरोजगारी या कम रोजगारी के कारण अपव्यय बचेगा और शिक्षित युवक-शक्ति का राष्ट्र के विकास-कार्य में समुचित उपयोग हो सकेगा।

शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता का प्रश्न

शिक्षा के जनशक्ति-नियोजित विकास और सुधार की समूची प्रक्रिया का आरम्भिक बिन्दु 'संस्था-नियंत्रण' है। राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली में मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं में विकास-कार्य की आवश्यकतानुसार मीटों की सभ्या पर नियंत्रण रखना होगा। इस प्रसंग में एक मौलिक प्रश्न उठता है कि जब यह सारे-ही-सारे योजना शैक्षिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध और नियंत्रण लगाने की योजना है, तो फिर शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता का क्या होगा। किसी भी प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता की वर्तमान प्रचलित विचारधारा के विपरीत नहीं होगी क्या? शिक्षा-आयोग इस प्रश्न का उत्तर एक प्रतिप्रश्न करके देना है—“स्वायत्तता किस बात की और किस प्रयोजन के लिए?” शैक्षिक संस्थाएँ, विशेषतः उच्चतर शैक्षिक संस्थाएँ जुडिशियरी की भाँति और लोक-सेवा-आयोग को भाँति स्वायत्त हो, यह ठीक है। परन्तु न्यायालय कानून नहीं बनाते, कानून लागू करते हैं। कानून तो विधान-सभाएँ बनाती हैं। लोक-सेवा-आयोग पद नहीं मृज्जन् करते। पदों का मृज्जन् सरकार करती है। आयोग या इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव भर करते हैं। न्यायालय और लोक-सेवा-आयोग, दोनों ही स्वायत्त संस्थाएँ हैं। विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थाएँ, इन दोनों संस्थाओं से अधिक स्वायत्त नहीं हो सकती। आज उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं का राष्ट्र के विकास के हित में प्रमुख कर्तव्य यही है कि उच्चतर शिक्षित जनशक्ति को शैक्षिक मांगना को लोकहित के लिए समर्थित करें। •

ग्राम-विकास और विद्यालय

ब्रज मोहन पाडे

हमारा राष्ट्र आज ग्राम-पुनर्रचना के एक अभूतपूर्व प्रयोग में लगा हुआ है। सामुदायिक विकास-योजना द्वारा हम गाँवों का समग्र विकास करना चाहते हैं, जिसके मूल आधार हैं—जनतन्त्र, स्वावलम्बन और सहकार। सामुदायिक विकास का अपना एक दर्शन है उसकी एक विशिष्ट कार्य प्रणाली है। मानव ही इस योजना का केन्द्र-बिन्दु है। इसके अन्तर्गत लोगों की रचि और आवश्यकताओं के अनुकूल, रचनात्मक कार्यक्रमों और स्वाजित अनुभूतियों के आधार पर, जीवन और व्यवसाय-सम्बन्धी वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं लाभकारी ज्ञान व कौशल देकर उन्हें इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है कि वे अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं को ठीक-ठीक समय सकेँ और मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से उनके समाधान की योजना बनाकर यथासम्भव अपने ही साधनों में उस कार्यान्वित कर सकें। राष्ट्रीय योजना-कार मानते हैं कि इससे उनका जीवन-स्तर समृद्ध और समुन्नत बन सकेगा।

स्पष्ट है कि इसके लिए लोगों को एक नया जीवन-दर्शन देना होगा, भविष्य के प्रति उनमें आशा और उत्साह तथा वर्तमान के प्रति साहस और पौरुष का संचार करना होगा। अनेक पारम्परिक आस्थाओं और मायताओं के स्थान पर नयी मायताओं और मूल्यों को जन-मानस में प्रस्थापित करना होगा। अनेक कुपरम्पराओं, कुसस्कारजय शिथिलताओं और दुर्व्यसनों के स्थान पर स्वस्थ तथा गत्यात्मक विचारों, सक्रियताओं और सीमाओं को प्रतिष्ठित करना होगा। मानव की वर्तमान नियोग्यताओं और सीमाओं को दूर करके उसमें नयी प्रेरणा, मकल्प, योग्यता और कुशलता का प्रस्फुटन करना होगा।

शिक्षा : समाज-प्रासाद का आधार

यह सब स्वस्थ और व्यापक शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा के दोनों ही रूप-सामाय शिक्षा (विद्यालय) और समाज (ग्राम) शिक्षा—इसके माध्यम हो सकते हैं। शिक्षा ही हमें वह आधार दे सकती है, जिस पर हमारी कल्पनाओं के स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का प्रासाद खड़ा हो सकता है। शिक्षा ही सदियों पुरानी अकर्मण्यता नियोग्यता और कुठाओं से हमें मुक्ति दिलायेगी और ज्ञान के वातायन खोकर व्यवसाय उत्पादन एवं सामाजिक आचरण के समुन्नत करने और उत्कृष्ट जीवन बिताने की कामना और संकल्प देगी। शिक्षा के ही द्वारा सर्वसाधारण की चिन्तनधारा बढ़नी जा सकती है। शिक्षा द्वारा ही लोगों में नये विचारों तथा वैज्ञानिक और यांत्रिक धारणाओं की प्राप्ति बढ़ सकती है।

विस्तार से व्याख्या करने पर हम अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी समुदाय का उत्थान और कल्याण वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था पर निर्भर रहता है। समाज में वांछित गुणा सस्कारों, विचारों, मान्यताओं और मूल्यों का बाजारोपेक्ष विद्यालयों में हो करके हम भविष्य में उसके निश्चित-प्रायः फल के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। बहुत अंश तक यह सब कुछ निर्भर करता है कुशल और सुयोग्य अध्यापकों के ऊपर। अतः ग्राम-पुनर्रचना और विकास का कार्य अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र के विकास-सम्बन्धी आदर्शों के अनुरूप ढालन की अपेक्षा तथा आग्रह करता है।

पंचायतीराज की स्थापना से जन-प्रतिनिधियाँ और ग्रामीण सस्थाओं पर ही विकास-कार्यों का नियोजन और संचालन का सारा भार आ गया है। इस कार्य द्वारा गाँव की समस्याओं और ग्रामीण मण्डलों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर है। अब प्रश्न सामने आता है कि किस प्रकार ग्राम-विद्यालय ग्राम-विकास में सहायक हो सकता है, किन्-किन दिशाओं में वह ग्राम-समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, किन कार्यक्रमों में योगदान दे सकता है तथा किस तरह वह गाँव के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में एक नयी लहर पैदा कर सकता है। यह अच्छा होगा कि अब कुछ ठोस ग्राम-विकास कार्यक्रम पर चर्चा की जाय।

'हरी क्रान्ति' और विद्यालय

आजकल सभी पत्र-पत्रिकाओं में 'हरी क्रान्ति' पर अनेक लेख प्रकाशित हो रहे हैं, नयी कृषि-विधियों पर चर्चा हो रही है और आये दिन व्यक्तिगत कृषकों के कृषि-उत्पादन कार्य में नयी-नयी सुझावों के उदाहरण दिये जा रहे हैं। कहीं भी पढ़ने में यह नहीं आया कि स्कूलों ने भी इस 'हरी क्रान्ति' को लाने में अपना योगदान दिया हो, जब कि ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में, विरूपकर बैसिक स्कूलों में, कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, मेरी राय में प्रत्येक ऐसे स्कूल में जहाँ थोड़ी-बहुत कृषि-योग्य भूमि है और सिंचाई का सम्पन्न उपलब्ध है, वहाँ कृषि व बागवानी का कार्यक्रम लिखा जाना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चा की सहायता से कृषि की नयी विधियाँ का प्रदर्शन करें। अच्छे बीज का उपयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग तथा नये तरीकों से बीवाई का कार्यक्रम स्कूल की जमीन पर किया जाना चाहिए, चाह वह छोटे पैमाने पर ही हो। इसमें भले ही कृषि-उत्पादन पर बहुत बड़ा असर न पड़े, परन्तु इसमें एक विरूप लाभ तो अवश्य होगा कि बच्चे को वैज्ञानिक कृषि-विधियों की जानकारी होगी। यही बच्चे जब प्रौढ़ होंगे और अपनी सेवा करन लगे हों तो वे कृषि-उत्पादन के नये तरीके स्वयं अपनाते लगे होंगे। वे अच्छे कृषक बनेंगे। बचपन से ही उनका मानसिक दृष्टिकोण बदलने लगेगा। आज प्रौढ़ किसान

को कृषि की नयी विधियों को अपनाने में जो मानसिक समस्या व रुकावट होती है वह नहीं होगा ।

स्कूल में जो बताया जाता है उसका पालन विद्यार्थी जल्दी करता है फिर स्कूल में किये गये प्रदर्शन का बच्चे के अभिभावकों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है । स्कूल के प्रति अब भी उनके दिल में आस्था है भले ही आज स्कूलों की मायना घट गयी है । स्कूल का अध्यापक भी इन नयी विधियों को अपने गाँव में अवश्य ले जायेगा, अपने खेतों में उनको अपनायेगा । इस प्रकार समय के बीतने पर स्कूल उन्नत कृषि का एक केंद्र बिंदु बन जायेगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि जिन स्कूलों में कृषि-योग्य भूमि है उनमें तत्काल सिंचाई के साधनों का प्रबंध किया जाय कृषि के उपकरणों को सुलभ किया जाय रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की जाय तथा उन्नत कृषि-सम्बन्धी साहित्य वितरित किया जाय । इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसे स्कूलों की ओर विकास-खण्ड के कृषि प्रसार-अधिकारी और ग्राम सेवक अधिक ध्यान दें उन्हें चाहिए कि खरीफ-रबी की गोटियाँ स्कूलों में आयोजित करें । यदि ऐसा किया गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक ऐसा स्कूल कृषि विज्ञान विकीर्ण का एक स्रोत बन जायेगा । और कृषि-उत्पादन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ होगा ।

पौष्टिक आहार योजना

आजकल देश में पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हो रही है । आय दिन पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं । मध्य यूनीसैफ भारत सरकार प्रादेशिक सरकारों की सम्मिलित पौष्टिक आहार योजनाएँ विकसित हो म चलाई जा रही हैं । इनमें ग्रामीण स्कूलों को इस योजना का केंद्र माना जाता है । इसके अन्तर्गत वागवानी कुनकुट-पालन और पौष्टिक आहार-योजना के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । यदि उचित ढंग से तथा सही निष्ठा से यह कार्यक्रम चलाया जाय तो स्कूल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है । क्योंकि कई दृष्टिकोणों से स्कूल ही एक उपयुक्त केंद्र है । स्कूल में कृषि व वागवानी की मुविधा है । अतः पौष्टिक आहार के लिए वहाँ शाक सब्जियों और फलों का उत्पादन हो सकता है । स्कूल में अभिभावकों की आस्था है स्कूल और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध है वहाँ प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनका ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत नेतृत्व है । आवश्यकता कबल इस बात की है कि स्कूल के अध्यापक थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से शिक्षा-कार्यक्रम का संचालन करें । मैंने अपना नियोजन अधिकारी के कार्यालय में कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ अच्छे सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख व सक्रिय मंगलता ने पौष्टिक आहार योजना को प्रदान

व्यावहारिक स्वरूप मिला है, ऐसे स्कूल आधुनिक उन्नत कृषि तथा पौष्टिक आहार के आदर्श केन्द्र हैं। उड़ीसा, मद्रास तथा उत्तर-प्रदेश में आपको कई ऐसे स्कूल देखने की मिलेंगे। स्पष्ट है कि ये स्कूल ग्राम विकास के वास्तविक केन्द्र हैं।

उदाहरण के रूप में मैंने कृषि-कार्यक्रम की यह दृष्टि के लिए चर्चा की कि किस प्रकार गाँव में शिक्षण और विकास का अनुबंध स्थापित किया जा सकता है तथा कैसे यह अनुबंध अमल में लाया जा सकता है। कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक शिक्षा प्रौढ शिक्षा सामूहिक शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रसार एवं प्रचार आदि से सम्बन्धित अनेक क्रिया-कलापों की योजना विद्यालय द्वारा विद्यालय के प्रांगण में तथा उसके बाहर की जा सकती है। इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव विकास की प्रगति पर पड़ेगा।

प्रथम प्राथमिकता

अब वास्तविक प्रश्न यह उठता है कि ग्राम-विकास और विद्यालय के अनुबंध को बनाये रखने तथा दृढ़ करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? किस प्रकार विद्यालय को विकास की इकाई बनाया जा सकता है? कैसे उन्हें और अधिक सक्रिय और जागृक बनाया जा सकता है?

मेरी राय में प्रथम प्राथमिकता स्कूल-अध्यापकों के प्रशिक्षण की दी जानी चाहिए। उनके प्रशिक्षण में ग्राम-विकास के मूल तत्त्वों तथा विकास-कार्य के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। सन् १९५७ में राष्ट्रीय विकास-परिषद् की अनुशासक आचार्य पर ग्रामीण अध्यापकों के अभिनवीकरण की प्रशिक्षण-योजना सचिव प्रशिक्षक दलों द्वारा चालू की गयी थी। इसके अन्तर्गत विद्यालयों के चुने हुए अध्यापकों को एक २१ दिवसीय शिविर में सम्मिलित किया गया। इन दिनों में उन्हें ग्राम-विकास के प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया गया। सैद्धान्तिक चर्चा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा भी दी गयी। शिविर समाप्त होने के पूर्व प्रत्येक अध्यापक ने एक व्यावहारिक योजना बनायी जिसके अनुसार वह अपने स्कूल तथा गाँव में जहाँ वह रहता था योजना को कार्यान्वित करेगा, मुझे कई ऐसे शिविरों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर मैं कई अध्यापकों से उनके कार्य-क्षेत्र में भी मिला। मैं बड़े गौरव से यह कह सकता हूँ कि इनमें से अनेक अध्यापकों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया, उन्होंने अपने स्कूल-गाँव में ग्राम विकास को एक व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया। गाँव के लोग अध्यापक के पास विकास-कार्य को जानकारी करने आने लगे। विशेषकर हमारे किमान भाई कृषि की उन्नत विधियों के निष्कर्षों में अध्यापक का सहारा लेने लगे। कनिष्ठ उदाहरण अध्यापकों ने गाँव में प्रौढ कक्षाएँ चलाने का भी निरूपण किया। इन प्रौढ केन्द्रों पर समयानुसृत ग्राम-

विकास के सभी पहलुओं पर चर्चा होती थी। मेरी स्मृति अब भी ताजा ही जाती है कि किस प्रकार इन केन्द्रों पर आने वाले प्रौढ़ों ने दरसात में अपनी-अपनी जमीन में अनेक प्रकार के फलों के पौधे लगाये थे।

अभिनवीकरण : प्रशिक्षण की फल-श्रुति

इस योजना के सफल संचालन से प्रेरित एवं प्रभावित होकर अभिनवीकरण-प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम को १९६० से ग्रामीण अध्यापकों के सत्यागत प्रशिक्षण का एक एकीकृत अंग बना दिया गया। तब से सभी नये अध्यापक सामुदायिक विकास की दीक्षा नार्मल स्कूल में ही प्राप्त करते आ रहे हैं। नार्मल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की एक त्रिदिवसीय गोष्ठी समाज-शिक्षा-केन्द्रों पर आयोजित की गयी और प्रत्येक नार्मल स्कूल से कम से कम एक अध्यापक को एक मास का अभिनवीकरण-प्रशिक्षण दिया गया। यही प्रशिक्षित अध्यापक नार्मल स्कूलों की दीक्षा देते हैं ताकि ग्रामीण अध्यापक अपनी-अपनी पाठशालाओं में जाकर ग्राम-विकास के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा को ढाल सकें तथा ऐसे कार्यक्रमों और प्रवृत्तियों का पाठशाला में सूत्रपात कर सकें जिसे बच्चों में जनतांत्रिक, सहकारी तथा स्वावलम्बन सम्बन्धी भावनाओं का विकास हो, विद्यालय और समुदाय में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सके, विद्यालय सम्पूर्ण समुदाय का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बन सके और अध्यापक अपने व्यक्तिगत जीवन तथा विद्यालय में किये गये त्रिया-कलापो से समुदाय का सप्रेरणा दे सके।

कृषक समाज की आकांक्षाएँ

समय के बीतते-बीतते जब ग्राम-समाज की आवश्यकताएँ बढ़ गयी हैं, उसकी आकांक्षाएँ नया मोड़ लेना चाहती हैं। केवल एक या दो कार्यक्रम लेकर ही समाज निरन्तर विकास के पथ पर आने नहीं जा सकता। कृषि-क्षेत्र की 'हरी क्रांति' ने समाज के सामने और भी अन्य समस्याओं को पैदा कर दिया है। खेत में केवल अधिक अन्न उगाकर ही किसान को सतोप नहीं हो सकता, उसे चाहिए अपने अनाज का उचित मूल्य, उसका श्रम-विक्रय, अनाज से जाने के लिए अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, परिवार के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध, जानवरों के लिए चारा, अपने लिए पौष्टिक भोजन, खेत की सिंचाई की व्यवस्था, स्वस्थ मनोरंजन, बिजली आदि।

युग की माँग

तो क्या हम आज केवल सरकारी क्षेत्र में सवालित योजनाओं से ही संतोष करें? सरकार अपने सीमित साधनों व मशीनरी से जो कुछ कर सकती है करे।

युग की माँग है कि अब समग्र विकास के लिए गैरसरकारी संस्थाएँ आगे बढ़ें। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्र, शोप-मस्यार्ण, स्वेच୍छिक सगठन, सभी को एकमत होकर ग्राम-विकास का कार्यक्रम अपनाना है। भले ही इन मस्यार्ण का अपने-अपने क्षेत्र में पढ़ाई, लिखाई, सौज, शोप-कार्य का महत्व हो पर जबरन इनके अयन व शोप-कार्य का समग्र विकास कार्यक्रम से व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हाता तबतक ये ग्राम-समाज व पुनर्रचना क माभेदार नहीं हो सकते। अतएव इन सभी को अपन 'क्षेत्र' के बाहर निकालकर 'विकास की इकाई' बनना पड़ेगा। प्रत्येक एसी मस्यार्ण को चाहिए कि वह ग्राम-समाज के कल्याण के लिए अपने को उसी प्रकार ढाले। इनका और ग्राम-समाज का निकट का सम्बन्ध होता चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को पोषित करते रहे। १० जुलाई १९६४ क 'भूदान-यज्ञ का उद्घरण में इस सम्बन्ध में यहाँ अपनी बात की पृष्ठिम देना चाहूँगा — 'समाज शिक्षण क लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के वास्तविक केन्द्र पर पहुँचे। वस्तुतः समाज का केंद्र आँगन है और परिधि पत्नी, आँगन और पड़ोस लेकर ही समाज बनता है। उसके बिना समाज नहीं रहता। वह एन मुसाफिरलाना बन जाता है।'

एही बात प्रामीण स्कूला की मां उमका तो समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है ही, ग्राम-समाज और ग्राम विद्यालय का एक पारस्परिक सम्बन्ध हमेशा में बना आ रहा है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं पोषक हैं, समग्र ग्राम-विकास के लिए दोनों का सक्रिय सहयोग नितान्त आवश्यक है। समाज अध्यापक वर्ग से सदैव शिक्षा लेता रहा है और भविष्य में भी अध्यापकों के सहारे ही अपने जीवन-पथ को सुचारु करता है। विद्यालय का क्या रूप होगा, क्या उसका कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार वह सफल हो सकता है, किन विधियाँ से विद्यालय अपने को ग्राम-समाज की सेवा में लगा सकता है, कौन वह अरन छात्रों को इस देश के भावी युग के कर्णधार तैयार कर सकता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यालया क अध्यापक किस प्रकार आज के युग में युग की माँग के अनुसार अपने जीवन को ढालन हैं। समाज को चाहिए कि वह अध्यापक व विद्यालया को उच्च सम्मानित स्थान दे और अध्यापकों को चाहिए कि वे मानव-विकास के लिए सदैव अथक प्रयत्न करते रहें। •

ब्रजमोहन पाडे—रजिस्ट्रार, गांधी विद्या सस्थान, राजघाट, वाराणसी।

विकासशील भारत का शैक्षिक संयोजन

रुद्रभान

प्रत्येक विकासशील देश को अपने विकास-कार्यक्रम से सम्बन्धित एक विराट यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूँढना होता है कि क्या वह देश की आबादी के सभी लोगों को साक्षर बनाने और शिक्षा का विकास-प्रक्रिया की धुरी बनाने की योग्यता को वरीयता (प्राइोरिटी) दे, (भले ही इसके नतीजे से आबादी के लिए तात्कालिक उपभोग की सामग्री के उत्पादन के लिए तत्काल पूंजी की कमी पड़े और आर्थिक विकास को रफ्तार धीमी रखने के लिए विवश होना पड़े), या वह ऐसे कार्यक्रमों को वरीयता प्रदान करे, जिनके कार्याचयन से राष्ट्रीय आय की तेज रफ्तार से वृद्धि हो और आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप दीर्घकालीन शैक्षिक एवं समाज-वल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए क्रमशः अधिकाधिक साधन उपलब्ध हो सकें ?

जाहिर है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ानेवाले कार्यक्रमों को वरीयता प्रदान करने की नीति स्वीकार की। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए भारी उद्योगों तथा औद्योगिक संस्थानों की स्थापना को सर्वोच्च वरीयता प्राप्त हुई, और शिक्षण तथा समाज-विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों की मात्रा कामचलाऊ योजनाएँ कार्यान्वित हुईं। आज भारत राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में त्रिस दौरे से गुजर रहा है उसका मूल स्रोत भारत की स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति ही है।

स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति की देन

आज का सामान्य भारतीय नागरिक प्रायः हताश और असंतुष्ट दीख पड़ता है। आजादी के २० वर्षों के विकास-कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बन गयी है कि देश के किसी-न-किसी हिस्से में विस्फोटक परिस्थिति का निर्माण होता रहता है।

शैक्षिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से आज की मूल समस्या यह नहीं है कि आज के भारतीय नागरिक की विकास में आस्था या रुचि नहीं है, बल्कि असन्धी समस्या यह है कि नागरिकों की जो मूल आस्थाएँ हैं, वे उस विकास की विपरीत दिशा में ले जा रही हैं। आज जो नागरिक असन्तुष्ट पड़ते हैं, होटलों में खाते हैं, कीमती पोशान पदार्थों हैं और मोटरों में घूमते हैं, वे अपने आपको विवसित आदमी मानते हैं, जब कि वस्तुस्थिति दूसरी ही है।

विकास का परम्परागत अर्थ है—समाज में प्रतिष्ठित सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ और बौद्धिक विरासतों का

उन्नयन । विकास का समाजशास्त्रीय अर्थ है—मानवीय स्वतन्त्रता, न्याय, और समानता के अनुरूप व्यक्ति की मूल वृत्तियों और प्रवृत्तियों का महज अनुकूलन । और विकास का आधुनिक अर्थ है—समाज में प्रचलित अद्यतन फैशन के अनुसार जीवन के तर्ज-तरीके और रहन सहन का निर्धारण ।

विकास में आस्था रखनेवाला भारत का आधुनिक नागरिक परम्परागत जीवन के ढंग को पिछड़ापन मानता है । उसकी आस्था के अनुसार परम्परागत जीवन के परिवर्तन में ही विकास की प्रक्रिया निहित है ।

इसका मतलब यह अर्थ नहीं है कि आधुनिक नागरिक अपने मुग की संस्कृति के अर्थों में परम्परावादी मनुष्यों की तुलना में अधिक मुक्त है । दरअसल वह आज भी अपने इद-गिद के वातावरण के अनुसार अपना जीवन बिताता है । और आज की संस्कृति का वह लगभग गुलाम ही है । अन्तर इतना ही है कि आज की नव-संस्कृति प्रचलित फैशन पर आधारित है, जब कि परम्परावादी व्यक्तियों की संस्कृति अतीत की परम्पराओं पर आधारित रहती है ।

आज का नागरिक सामाजिक दृष्टि में तो बहुत जल्दी बयस्क हो जाता है, लेकिन जीवन में उपस्थित होनेवाली पेचीदी समस्याओं और उलझनों को सुलझाने की जैसे उनके पास सूझबूझ ही नहीं रहती है । उसके इद-गिद ऐसी समय शिक्षण सस्थाएँ भी नहीं हैं जो उसे ऐसी परिस्थिति में सही मार्ग-दर्शन दे सकें ।

परिस्थिति की माँग

देश की मौजूदा परिस्थिति की माँग है कि आज के नागरिक न तो जीवन में होनेवाले परिवर्तनों के अंधविरोधी बनें और न तो उनके अधानुसरण करनेवाले हों । नागरिकों में इस प्रकार की संवेचना आये इसके लिए किसी ऐसी सर्वांगीण शैक्षिक-योजना की आवश्यकता है जो मानव-जीवन के स्वस्थ उद्देश्यों के अनुरूप नागरिक-जीवन का नवीनीकरण करती चले । आज समाज में ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो जमाने की इस माँग की पूर्ति कर सके । इस अभाव के कारण आज का सामान्य नागरिक प्रायः प्रचार या प्रतिक्रिया के अनुसार अपना सामाजिक व्यवहार और जीवन-मदति तय करता है ।

मैंने इस निबंध के प्रारम्भ में ही सकेत किया है कि आज हमारा देश जिन परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा है उसका मूल स्रोत स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति में निहित है । पिछले २० वर्षों में आर्थिक विकास की अनेक योजनाएँ कार्यान्वित हुईं । इन योजनाओं के कारण कई नये कारखाने खड़े हुए जिनसे नयी वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ । राष्ट्रीय उत्पादन तो बढ़ा, पर जितना अनुमान था उतनी उत्पा-

दन वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए भारी पूंजी के विनियोग से स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य को प्रत्येक वर्ष करोड़ों का घाटा दे रहे हैं।

आर्थिक योजनाकारों ने माना था कि तेज गति से औद्योगिक विकास होने पर राष्ट्र की आय बराबर बढ़ेगी तो उस बढ़ती हुई आय का शिक्षा तथा समाज-विकास के कार्यान्वयन में विनियोग होगा। किन्तु जो परिणाम आज सामने है वे अपेक्षा के विपरीत हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ विदेशों का और व्याज की रकमा में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रशासन और व्यवस्था का आवश्यक व्यय भी बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे प्रशासन और औद्योगिक प्रबन्धन में लगनेवाले लोगों की तादाद बढ़ रही है वैसे-वैसे देश की जनता घनी और निधन, सुविधा-सम्पन्न और विपन्न नाम के दो खेमों में विभाजित हो रही है। गरीब और विपन्न लोग राष्ट्रीय साधनों और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को देश के सम्पन्न और सुविधाशासी लोगों की समृद्धि मानते हैं। इसीलिए यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि राष्ट्रीय साधन जनता से लिये गये टक्स को रकम से घने हैं, ग्राम जनता अपना असंतोष और आक्रोश प्रकट करते समय राजकीय सम्पत्ति को अपने विषयतात्मक प्रहार का निशाना बनाती है।

राष्ट्रीय दुश्चक्र

इस प्रकार राष्ट्रीय साधनों की वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय साधनों के विनाश की खतरनाक प्रक्रिया भी शुरू है। प्रायः देश के किसी-न-किसी काने की मुद्ध जनता रेलवे, परिवहन, ढाकखानों और पुलिस थानों पर अपना विनाशकारी आक्रोश प्रकट करती है। प्रशासन और औद्योगिक उत्पादन का कर्मचारी तथा व्यवस्था-खर्च दिनों-दिन बढ़ रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति कार्यक्षमता घटती जा रही है। दफ्तरों में कुछ इनेगिने लोग ही पूरे समय तक काम करने हैं। अधिकार कर्मचारी ८ घंटे का यत्न लेकर मुश्किल से डेढ़-दो घंटे का काम करते हैं। जाहिर है कि मात्र कानूनी उपायों से इस स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

वस्तुतः विकास सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। दरअसल वह एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षण को मात्र जन-व्यापारिकी प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संयोजन की शुरुआत के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में अपने शैक्षणिक मुसौबों को, प्रस्तुत करते हुए वर्तमान केंद्रीय शिक्षा-मंत्री श्री वी० के० आर० बी० राव ने कहा है—'शिक्षा को दायद्वारतीय लक्ष्य-निर्दिष्ट की दृष्टि में मैं चाहूँगा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति-व्यक्ति को १० वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त हो। १० वर्ष की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का परम मुरास होना चाहिए। इस पदार्थ के अन्तर्गत, आगे की शिक्षा के अनेक

वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रखने होंगे।" श्री वी० के० आर० वी० राव के अनुसार विद्यार्थी के लिए सातवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के बाद ऐसे मुकाम होने चाहिए। ७ वर्ष की शिक्षा के पहले मुकाम पर पहुँचने पर विद्यार्थी को खेती तथा रोजगार-सम्बन्धी ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिसमें उस मुख्य रूप से शारीरिक श्रम का कार्य करना हो। शिक्षा के दूसरे सोपान यानी माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थी को खेती, वाणिज्य, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्र का ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि उसके प्राप्त करने के बाद वह खेती, वाणिज्य, तकनीकी संस्थानों, प्रशान्त तथा शिक्षण-संस्थाओं में सहायक कर्मचारी के पद में कार्य कर सके। शिक्षा का तीसरा सोपान विद्यार्थी का स्नातकीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों (पैक्स्टोज) की ओर उन्मुख करेगा जहाँ वे खेती पशुपालन, खेती-सम्बन्धित अन्य विज्ञानों, विनिष्पा, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र तथा विभिन्न कलाओं का शिक्षण प्राप्त करेंगे। शिक्षा का चौथा सोपान स्नातकीय शिक्षा के आगे का मुकाम होगा, जहाँ विद्यार्थी को विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी।

विकास के नव-सन्दर्भ में शिक्षण की भूमिका

डा० राव की कल्पना शिक्षा को मात्र राष्ट्र की आर्थिक प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं में अनुवृद्ध करने की है, जब कि परिस्थिति की माँग है कि विकास में सम्बन्धित सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षण के व्यापक दायरे में आ जायें।

प्रस्तुत निबंध में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षण की सकल्पना प्रस्तुत करते हुए रिलहाज में इतना ही कह सकता हूँ कि आज विकास के लिए जितने भी माध्यम हैं उनमें शिक्षण ही सर्वाधिक सख्त और प्रभावकारी होने की सम्भावना रखता है। प्रस्तुत शिक्षण-संस्था अपने सीमित दायरे में समाज का ही लघुरूप है। विकास के सन्दर्भ में शिक्षालय ही राष्ट्रीय संयोजना का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। शिक्षालय का पास-पड़ोस के जन-समुदाय के साथ जितना ही सजीव और सक्रिय सम्बन्ध होगा उतना ही वह उन समस्याओं के निराकरण में अपना वाछनीय सहयोग दे पायेगा। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि विद्यालय का क्षेत्र सिर्फ कक्षा की दीवारों और विद्यालय की चहारदीवारी तक सीमित नहीं होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि विद्यालय के शिक्षक और शिक्षार्थी पास-पड़ोस की सामान्य जनता यानी छात्रों के पालकों के निकट सम्पर्क में आवेंगे। विद्यालय का स्तर और दायरा जैसे-जैसे ऊँचा और विस्तृत होता जायेगा वैसे-वैसे वह अपने पास-पड़ोस के समुदाय के मुख्य कार्यक्रमों और

१. वी० के० आर० वी० राव—“एजुकेशन एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट”, एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, पृष्ठ-१०५।

दन वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए भारी पूंजी के विनियोग से स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य की प्रत्येक वर्ष करोड़ों का घाटा दे रहे हैं।

आर्थिक योजनाकारों ने माना था कि तेज गति से औद्योगिक विकास होने पर राष्ट्र की आय बराबर बढ़ेगी तो उस बढ़ती हुई आय का शिक्षा तथा समाज-विकास के कार्यक्रमों में विनियोग होगा। किन्तु जो परिणाम आज सामने हैं वे अपेक्षा के विपरीत हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ विदेशी कर्ज और व्याज की रकमों में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रशासन और व्यवस्था का आवर्तक व्यय भी बढ़ता जा रहा है। जैस-जैस प्रशासन और औद्योगिक प्रवर्धन में लगनेवाले लोगों की तादाद बढ़ रही है वैसे-वैसे देश की जनता धनी और निधन, सुविधा-सम्पन्न और विपन्न नाम के दो खेमों में विभाजित हो रही है। गरीब और विपन्न लोग राष्ट्रीय साधनों और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को देश के सम्पन्न और सुविधाशाली लोगों की समृद्धि मानते हैं। इसीलिए यह प्रचण्डी तरह जानते हुए भी कि राष्ट्रीय साधन जनता से लिये गये टंकस की रकम से बने हैं, आम जनता अपनी असन्तोष और आक्रोश प्रकट करते समय राजकीय सम्पत्ति को अपने विध्यसात्मक प्रहार का निशाना बनाते हैं।

राष्ट्रीय दुश्चक्र

इस प्रकार राष्ट्रीय साधनों की वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय साधनों के विनाश की छतरनाक प्रक्रिया भी शुरू है। प्रायः देश के किसी-न-किसी कोने की श्रद्धालु जनता रेलवे, परिवहन, डाकखानों और पुलिस थानों पर अपना विनाशकारी आघात प्रकट करती है। प्रशासन और औद्योगिक उत्पादन का कर्मचारी तथा व्यवस्था-खर्च दिनों-दिन बढ़ रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्यक्षमता घटती जा रही है। दफ्तरों में कुछ इनेगिने लोग ही पूरे समय तक काम करते हैं। अधिकांश कर्मचारी ८ घंटे का बोनस लेकर मुश्किल में डेढ़-दो घंटे का काम करते हैं। जाहिर है कि मात्र कानूनी उपायों से इन स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

वस्तुतः विकास सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। दरअसल वह एक शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण की मात्रा जन-व्यापकता की प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपादन की श्रुति के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में अपने शैक्षिक सुझावों की, प्रस्तुत करते हुए वर्तमान केंद्रीय शिक्षा-मंत्री श्री बी० के० आर० बी० राव ने कहा है—'शिक्षा का दीर्घकालीन लक्ष्य-सिद्धि की दृष्टि में मैं चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बालक-बालिका को १० वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त हो। १० वर्ष की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का पटना मुकाम होना चाहिए। इन पदार्थ के भागों, भाग की शिक्षा के अनेक

वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रखने होंगे।" श्री बी० के० आर० वी० राव के अनुसार विद्यार्थी के लिए सातवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के बाद ऐम मुकाम होने चाहिए। ७ वष की शिक्षा के पहले मुकाम पर पहुँचने पर विद्यार्थी को छेती तथा रोजगार सम्बन्धी ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिसमें उन मुख्य रूप में शारीरिक श्रम का कार्य करना हो। शिक्षा के दूसरे सोनान यानी माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थी को भेती, वाणिज्य, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्र का ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि उसके प्राप्त करने के बाद वह भेती, वाणिज्य, तकनीकी संस्थानों, प्रशासन तथा शिक्षण-संस्थाओं में सनदयाफता कमचारी के पद में कार्य कर सके। शिक्षा का तीसरा सोनान विद्यार्थी को स्नातकीय शिक्षा के विभिन्न सकारों (फैकल्टीज) की ओर उन्मुख करेगा जहाँ वे भेती पशुपालन, भतीस सम्बन्धित अन्य विज्ञानों, विविक्षा, वाणिज्य शिक्षाशास्त्र तथा विभिन्न कलाओं का शिक्षण प्राप्त करें। शिक्षा का चौथा सोनान स्नातकीय शिक्षा के आगे का मुकाम होगा, जहाँ विद्यार्थी को विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी।

विकास के नव-सन्दर्भ में शिक्षण की भूमिका

डा० राव की कल्पना शिक्षा को मात्र राष्ट्र की आर्थिक प्रवृत्तियाँ और प्रक्रियाओं में अनुबद्ध करने की है, जब कि परिस्थिति की माँग है कि विकास में सम्बन्धित सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षण के व्यापक दायरे में आ जायें।

प्रस्तुत निर्वचन में ऐम राष्ट्रीय शिक्षण की सकल्पना प्रस्तुत करते हुए फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज विकास के लिए जितने भी माध्यम हैं उनमें शिक्षण ही सर्वाधिक सफल और प्रभावकारी होने की सम्भावना रखता है। प्रस्तुत शिक्षण-संस्था अपने सीमित दायरे में समाज का ही लघुरूप है। विकास के सन्दर्भ में शिक्षण ही राष्ट्रीय संयोजना का केन्द्र-बिन्दु होना चाहिए। शिक्षालय का पास-पड़ोस के जन-समुदाय के माध्यम जितना ही सजीव और सधिय सम्बन्ध होगा उतना ही वह उन समस्याओं के निराकरण में अपना वाछनीय सहयोग दे पायेगा। इसका सीना अर्थ यह होता है कि विद्यालय का क्षेत्र सिर्फ कक्षा की दीवारों और विद्यालय की चहारदीवारी तक सीमित नहीं होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि विद्यालय के शिक्षक और शिक्षार्थी पास-पड़ोस की सामाजिक जनता यानी छात्रों के पाठकों के निकट सम्पर्क में आयेंगे। विद्यालय का स्तर और दायरा जैसे-जैसे ऊँचा और विस्तृत होना जायेगा जैसे-जैसे वह अपने पाम-पड़ोस के समुदाय के मुख्य कार्यक्रमों और

१ बी० के० आर० वी० राव—"एजुकेशन एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट", एन०डी० पब्लिशर्स, बम्बई, पृष्ठ-१०५।

समस्याओं से अनुपवित होगा। अर्थात् प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय और शोध संस्थाएँ सबकी सब अपनी क्षमता और जन-शक्ति के अनुसार पड़ोसी समुदाय एवं क्षेत्र के औद्योगिक तथा प्रशासनिक केंद्रों के प्रायश्चम को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। जिन समस्याओं का समाधान उनके दूतों के बाहर की चीज होगी उन्हें वे ऊपर की इकाइयों तक ले जाने का दायित्व निभायेंगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि शिक्षण की छोटी से लेकर बड़ी-से बड़ी इकाई अपने क्षेत्र की समस्त प्रवृत्तियों की धुरी होगी। नये शिक्षण की यह सकल्पना वर्तमान विद्यालयों के लिए नहीं है। विद्यालयों का वर्तमान ढांचा कायम रखते हुए उनसे यह भूमिका नहीं निभ सकती। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षण नीति को विकास मूलक बनना होगा।

शिक्षण की विकासमूलक भूमिका राष्ट्र की समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणात्मक परिवर्तन का सूत्रपात करेगी। शिक्षण की यह नयी और गंभीर भूमिका विश्व के लिए कोई नयी बात नहीं है। प्रत्येक विकासशील देश ने अपनी स्थानीय परिस्थिति और प्रतिभा के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का इस दिशा में कुछ हद तक प्रभावकारी उपयोग किया है।

नया तालीम के अरिष्ट शिक्षाशास्त्री श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने राष्ट्रीय उद्योगों की शिक्षण का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं वे अपेक्षित दिशा की ओर इंगित करते हैं—

सर्वोद्योग समाज में कारखानों के मालिक-मजदूर के रूप में दो भाग नहीं होंगे और न इंजीनियर और बुद्धि अलग-अलग होंगे। हर कारखाना विद्यापीठ का रूप लगेगा, जहाँ श्रम और छात्र रहेंगे। उदाहरण के लिए बितरजन के रेलवे कारखानों को लें। आज यह औद्योगिक नगर है। नयी तालीम की योजना में वह विश्वविद्यालय का रूप ले लगेगा। अगर आज वहाँ प्रतिवर्ष दो हजार मजदूर भर्ती किये जाते हैं तो नयी तालीम से क्षीण समाज में प्रति वर्ष दो हजार उत्तर बतियादा से उत्तीर्ण तथा यश-शास्त्र में शक्ति और प्रतिभा रखनेवाले युवकों की बुद्धि का बचल नहीं बचि छात्र के रूप में भर्ती किया जायगा। एक कारखाना में आज जहाँ फार्मेन और इंजीनियर हैं वहाँ प्रतिभावान् अध्यापक होंगे। छात्र तथा अध्यापक मिलकर कुछ प्रति उत्पादन का काम तथा साधन-साध शास्त्र की खोज करेंगे। छोटे समय तक अल्प से वेग में समकाम उन्नति से शास्त्र के विभिन्न पहलुओं की खोज करेंगे। एक कारखाना में विशेष रूप से प्रयोगशाला होगी, जिनमें प्रतिभावान् लोग काम करेंगे। उनमें छात्र-विद्यार्थी अनुसंधान भी होंगे। इसके लिए कायम तथा समय-विभाजन का विन्यून विवरण काम के अनुभव के साथ ही साथ तयार होगा

जायगा।^१ ऐसे विद्यापीठों का अभ्यास प्रथम सामान्यतः अलग-अलग होगा, लेकिन छात्र गणित आदि आवश्यक विज्ञान के बारे में भी अभ्यास करेंगे। विज्ञान के बारे में आवश्यक विज्ञान शब्द इस्तेमाल दिया गया है, क्योंकि नयी तालीम पद्धति में न शुद्ध विज्ञान और न आनुपणिक (अप्लाइड) विज्ञान, बल्कि हर स्तर पर आवश्यक विज्ञान का ही अध्ययन होगा।

लौहादि धातुओं के कारखानों के उदाहरणस्वरूप टाटातगर को लिया जा सकता है। नये समाज में ऐसा कारखाना विश्वविद्यालय का रूप लेगा। जैसे चित्तरजन के लिए कहा गया है उसी तरह इस किस्म के विज्ञान के काम में रुचि तथा प्रतिभा रखनेवाले उत्तर-बुनियादी के उत्तीर्ण बालक इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पावेंगे और अध्यापकों के साथ उत्पादन के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे।

इसी प्रकार दूसरे सभी कार्यक्रमों के लिए उत्तर-बुनियादी के चुने हुए बालकों को भेजकर सारा काम चलाने के माध्यम से अनुक-अनुक विशिष्ट विषयों के अध्ययन तथा अध्यापन का अनुक्रम जारी किया जा सकता है। अर्थात् नयी तालीम की उच्च शिक्षा के लिए उच्चस्तरीय कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय में परिणत करना होगा, जहाँ देश के चुने हुए प्रतिभावान् युवक ज्ञान-वर्षा के साथ-साथ उन कामों को भी संपादित करेंगे।^१

शिक्षण के चार आयाम

गाँव बाजार, दफ्तर और कारखाने—भारतीय राष्ट्रीय जीवन के चार मुख्य आयाम हैं। राष्ट्रीय विकास की सर्वोच्च आवश्यकता है कि इन चारों क्षेत्रों में मौजूद जनशक्ति का इस ढंग से शैक्षिक संयोजन हो कि इनमें से प्रत्येक अधिक कार्यक्षम हो और एक-दूसरे की पूरक शक्ति के रूप में अनुबन्धित हो। इन सन्दर्भों में शिक्षण गाँव बाजार, दफ्तर और कल-कारखाना, इन चारों क्षेत्रों को विकास की प्रक्रिया के पाने में परिरोनेवाला महत्त्वपूर्ण माध्यम होगा। राष्ट्रीय संयोजन तथा प्रशासन की स्थानीय इकाइयों शिक्षा की बुनियादी इकाइयों से अनुबद्ध होगी। इसी प्रकार प्रशासन तथा संयोजन की क्षेत्रीय शाखाएँ मान्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से तथा त्रिस्तरीय कार्यालय उच्च शिक्षण-संस्थाओं से सम्बन्धित होंगी।

शैक्षिक-संयोजन का यह कार्यक्रम सावधानीपूर्वक करने के लिए एक ओर शिक्षण संस्थाओं का क्षेत्र विद्यालय की चहारदीवारी से बाहर तक लेकर समाज-व्यापक करना होगा, दूसरी ओर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखानों के रोज

१ श्री धीरेन्द्र मजूमदार—“समग्र नयी तालीम” सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट; वाराणसी १ पृष्ठ १६४-१६५।

मर्राँ के काम, उनके प्रबन्ध और संचालन के काम को भी इस ढंग से पुनर्गठित करना होगा कि वह संचालन-प्रधान नीकरशाही की व्यवस्था से एक स्वयंपूर्ण और स्वयं-अनुशासित व्यवस्था में रूपांतरित हो जाय ।

आज के राष्ट्रीय मयोजन का मुख्य कार्यवाहक ठीकेदार, मुख्य प्रेरणा बाजार, और मुख्य स्रोत सरकार है । विकासोन्मुख शैक्षिक मयोजन के मुख्य कार्यवाहक राष्ट्र के शिक्षा-मनीषी, मुख्य प्रेरणा मानवीय विकास और मुख्य स्रोत राष्ट्र की शिक्षित जनशक्ति होगी । जबतक पूरा राष्ट्र एक महाविद्यालय और राष्ट्र की समस्त जनता उसकी आजीवन विद्यार्थी नहीं बनती तबतक राष्ट्र के विकास की संकल्पना अपूर्ण और अममाधानकारी हो रहेगी । इस संकल्पना में आचार्य का पद राष्ट्र का सबसे ऊँचा और सम्मानित पद होगा । देश के बड़े-से-बड़े लोग क्रिसो-न-क्रिसो शिक्षण-योजना में सक्रिय रूप में जुड़े होंगे । वर्तमान केन्द्रीय-योजना-आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् की जगह राष्ट्रीयशिक्षा-आयोग तथा क्षेत्रीय शिक्षा-परिषदें होंगी, जिनमें राष्ट्र के चुन हुए शिक्षा-शास्त्री, प्रतिष्ठित नागरिक और समाज के शोष्य बुद्धिशाली समाविष्ट होंगे । शिक्षा की स्थानीय समितियों में शिक्षक पालक और क्षेत्रीय उद्योग से सम्बन्धित तकनीशियन होंगे ।

राष्ट्र के अत्यन्त वन्दित तथा परस्पर असम्बद्ध विभागों को इस प्रकार की शैक्षण-प्रणिया में समाविष्ट करना आज के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक भारी चुनौती है । नीकरशाही के बन्दनों में जकड़ा हुआ भारतीय लोकतंत्र इस चुनौती का उत्तर दे सकेगा इसकी सम्भावना नहीं दीखती । जाहिर है कि राष्ट्र की जागरूक और प्रबल जन-शक्ति द्वारा ही यह ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न हो सकेगा । •

रुद्रभान—सह-सम्पादक 'नयी तालीम'—सर्व सेवा सच-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी ।



— नभाटा से

मेरी कल्पना का शिक्षण

मो० क० गांधी

• एक राष्ट्र के नाते शिक्षा में हम इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर शिक्षा प्रचार के कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो इस विषय में जनता के प्रति अपने कर्तव्य पालन की आशा हम कभी नहीं रख सकते। इसलिए रचनात्मक कार्यक्रमों की अपनी सारी प्रतिष्ठा को खो बैठने की जोखिम उठाकर भी मने यह कहने का साहस किया है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए।

• सभी शिक्षा वही है जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के उत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके और उन्हें प्रकाश में ला सके। इसलिए मैं ना बच्चे की शिक्षा का आरम्भ उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर अर्थात् जिम क्षण से उसकी शिक्षा शुरू होनी है उसी क्षण से उसे कुछ-न-कुछ नया सृजन करना सिखाकर ही कहूँगा। इस तरीके से हर एक पाठशाला स्वावलम्बी बन सकती है शायद यह है कि इन पाठशालाओं में तैयार होनेवाले बालकों को सरकार खरीद लिया करे। मैं मानता हूँ कि इस पद्धति द्वारा मन और आत्मा का उच्च-न-उच्च विकास किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो उद्योग-व्यवसाय कर्मचारी बचकान् सिखाये जाते हैं वे वैज्ञानिक ढंग में सिखाये जायें यानी बच्चों को यह समझाया जाय कि कौनसी क्रिया किसलिए की जाती है।

• इस चीज को मैं छोड़े आत्मविश्वास के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीठ पर मेरे अनुभव का बटन है। जहाँ-जहाँ मजदूरों को चरखे पर सूत कातना सिखाया जाता है वहाँ-तहाँ सब जगह इस तरीके से कमो-बेश काम लिया गया है। खुद मैंने भी इस तरीके से बच्चों को मोना और कातना सिखाया है और उसका परिणाम अच्छा हुआ है। इस तरीके से इतिहास भूगोल के पान का बहिष्कार नहीं किया गया है। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि बातचीत के जरिए जवानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी तरह सिखाये जा सकते हैं। वाचन-लेखन की अपेक्षा इस श्रवण-पद्धति में ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है।

• जब लड़के-लड़की भले-बुरे का भेद समझने लगे और उनकी रूचि का धोड़ा विकास हो जाय तभी उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना चाहिए। यह सूचना मौजूद शिक्षा प्रणाली में शान्तिकारी परिवर्तनों की सूचक है लेकिन इसके कारण मेहनत बहुत ही बच जाती है और जिस चीज को सीखने में विद्यार्थी को बरसों बीत

जाते हैं उसे इस तरीके से वह एक साल में सीख सकता है। इसके कारण सब तरह की वचत होती है और इसमें कोई शक नहीं कि दस्तकारी के माय साय विचार्यों गणित भी अवश्य ही सीखेगा।

• प्राथमिक शिक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्त्व देता हूँ। मेरे विचार में यह शिक्षा अंग्रेजी की छोड़कर और विषयों में आजकल की मैट्रिक तक होनी चाहिए। अगर कालेज के सब प्रेजुएंट अपना पढ़ा लिखा एकाएक भूल जायें, और इन कुछ लाख प्रेजुएंटों की याददाश्त के यों एकाएक बेकार हो जाने से देश का जो नुकसान हो उसे एक पलड़े पर रखिए, और दूसरी ओर उस नुकसान को रखिए जो तैंतीस करोड़ स्त्री पुरुषों के अज्ञानाचकार में घिरे रहने से आज भी हो रहा है, तो साफ मानूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीं है। देश में निरक्षरों और अनपढ़ों की जो सख्या बतायी जाती है, उसके आँकड़ों से हम लाखों गाँवों में फैले हुए घोरतम अज्ञान का पूरा अनुमान नहीं कर सकते।

• अगर मेरा बस चले तो कालेज की शिक्षा को जड़-मूल से बदल दूँ और देश की आवश्यकताओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मेकेनिकल और सिविल इंजीनियरों के लिए उपाधि-परीक्षाएँ रखी जायें, और भिन्न भिन्न कलकारखानों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। इन कारखानों को जितने प्रेजुएंटों की जरूरत हो उतना को ये अपने ही खर्च से तालीम दिलाकर तैयार कर लें। उदाहरण के लिए टाटा कम्पनी से यह आशा की जाय कि जितने इंजीनियरों की उसे जरूरत हो उतनों को तैयार करने के लिए वह राज्य की निगरानी में एक कालेज का संचालन करे। इसी तरह मिल मालिकों के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के प्रेजुएंटों को तैयार करने के लिए एक कालेज का संचालन करें। हमारे अनेक उद्योग यंत्रों के लिए भी यही क्रिया जाय। व्यापार के लिए भी एक कालेज हो।^१

• मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उस उच्च शिक्षा का मैं जरूर विरोधी हूँ जो कि इस देश में दी जा रही है। मेरी योजना के अन्दर तो अब से अधिक और अच्छे पुस्तकालय होंगे, अधिक सख्या में और अच्छी रसायनशालाएँ तथा प्रयोगशालाएँ होंगी। उसका अतगत हमारे पास ऐसे रसायनशास्त्रियों इंजीनियरों तथा अन्य विशेषज्ञों की फौज-की फौज होनी चाहिए जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हों और उस प्रजा की बढ़ती हुई विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। •

१ 'हरिजन', १९३७ में प्रकाशित

हिन्दी के उन्नयन में हिन्दी समिति का योगदान

कतिपय नये प्रकाशन

१. द्रव्य के गुण—लेखक—डा० डी० वी० देवगर, पृष्ठ-संख्या २३७, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ८ रुपये ।

विषय का प्रतिपादन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का ध्यान रखकर किया गया है । विद्वान लेखक ने दीर्घ काल तक लखनऊ विश्वविद्यालय में इस विषय के अध्यापन के बाद इस पुस्तक को तैयार किया था । छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है ।

२. भौतिक रसायन—लेखक—डा० सत्य प्रकाश एव डा० शिवप्रकाश, पृष्ठ-संख्या ५३७, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ११ रुपये ।

भारतीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा यह पुस्तक लिखी गयी है । बी० एमसी० के पाठ्यक्रमों के अनुसार उसे तैयार किया गया है ।

३. लेखन तथा मुद्रण स्याहियाँ—लेखक—श्री एफ० सी० चैहन, पृष्ठ-संख्या ३८२, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ६ रुपये ।

इस पुस्तक में लेखन तथा मुद्रण-स्याहियों के निर्माण की विरिधों, सामग्रियों, यंत्रों आदि पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए विषय को सरलतापूर्वक समझाया गया है । इस उद्योग में रचि रखनेवाले लोगों एवं विद्यार्थियों के लिए उपादेय है ।

४. पश्चिमो एशिया में राष्ट्रियता का विकास—लेखक—डा० ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम, पृष्ठ-संख्या ३५४, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ८ रुपये ।

इस पुस्तक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर पश्चिमी एशिया की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का परिचय दिया है । साथ ही वर्तमान समय में अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा एवं भौतिक विकास के लिए यहाँ के देश जो प्रयत्न एवं संघर्ष कर रहे हैं, उस पर अपेक्षित प्रकाश डाला गया है । राजनीति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है ।

सार्वभौम स्याति के कलहरमक, वैज्ञानिक एव ज्ञानवर्धक ग्रन्थों के हिन्दी रूपान्तर प्रकाशन करने के अनिर्दिष्ट यह समिति विश्वविद्यालय-स्तर के उपयोगी विषयों पर सन्दर्भ एव सहायक ग्रन्थ अनुभवों प्राध्यापकों से पाठ्यक्रमों के अनुरूप तैयार कराके प्रकाशित कर रही है । १७१ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है और अनेक प्रेम में हैं ।

विशेष विवरण और खरीद के लिए लिखें :—

सचिव,

हिन्दी समिति, सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

एक हजार पृष्ठों का साहित्य पाँच रुपये में

प्रत्येक हिन्दीभाषी परिवार में वापू को अमर और प्रेरक वाणी पहुँचनी चाहिए। गांधी वाणी या गांधी-विचार में जीवन-निर्माण, समाज-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण की वह शक्ति भरी है, जो हमारी बड़ी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी, नये मूल्यों की ओर अग्रसर करती रहेगी। परिवार में ऐसे साहित्य के पठन, मनन और चिन्तन से वातावरण में नयी सुगन्धि, शान्ति और भाईचारे का निर्माण होगा। गांधी जन्म-शताब्दी के अवसर पर हम सबकी शक्ति इसमें लगनी चाहिए।

हजार पृष्ठों का आकर्षक चुना हुआ गांधी-विचार-साहित्य पाँच रुपये में हर परिवार में जाय, इसका सयुक्त प्रयास गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और सर्व सेवा सध की ओर से हो रहा है। हर सस्या और व्यक्ति, जो गांधी-शताब्दी के कार्य में दिलचस्पी रखते हैं, इस सेट के अधिकाधिक प्रसार-कार्य में सहयोगी होंगे, ऐसी आशा है। इस प्रयास में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का सहयोग भी अपेक्षित है।

२० रा० दिवाकर

अध्यक्ष

गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान

७० न० देबर

अध्यक्ष, खादी-ग्रामोद्योग कमीशन

विचित्र नारायण शर्मा

उपाध्यक्ष, ७० प्र० गांधी-शताब्दी समिति

एस. जगन्नाथन्

अध्यक्ष, सर्व सेवा सध

जयप्रकाश नारायण

अध्यक्ष

अ०भा०शान्तिसेना मंडल

राधाकृष्ण बजाज

सचालक, सर्व सेवा सध-

प्रकाशन

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य सेट

पुस्तक	लेखक	पृष्ठ	मूल्य
१ आत्मकथा (सक्षिप्त)	गांधीजी	२००	१००
२ वापू-कथा (सन् १९२१-१९४८)	: हरिभाऊ उपाध्याय	२५५	२००
३ गोता-बोध, मंगल प्रभात	. गांधीजी	१३०	१२५
४ मेरे सपनों का भारत	: गांधीजी	१७५	१२५
५. तीमरी शक्ति (सन् १९४८-१९६९)	विनोबाजी	२४०	२००

कुल : १००० ७५०

आवश्यक जानकारी

- १ इस सेट में पाँच पुस्तकें होंगी, जिनका मूल्य ७ में ८० तक होगा। यह पूरा सेट ५ ६० में मिलेगा।
- २ इन सेटों की विक्री २ अक्टूबर के पावन दिवस से प्रारम्भ होगी।
- ३ चालीस सेटों का एक बडल बनेगा। एक बडल से कम नहीं भेजा जा सकेगा।
- ४ चालीस या अग्रिम भेट भंगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमीशन मिलेगा।
(सारे सेट फ्री डिलीवरी यानी निक्टतम रेलवे-स्टेशन-पहुँच भेजे जायेंगे।)
- ५ सेटों की अग्रिम बिक्री १ जुलाई १९६९ से शुरू है। अग्रिम बिक्री के लिए प्रति सेट २ ६० का हिस्सात्र में अग्रिम भेजने चाहिए। शेष रकम के लिए रेलवे रसीद बी० पी० या बैंक का मार्फत भेजी जायगी।
- ६ सेटों की रकम तथा आर्डर निम्नलिखित पते से ही भेजें

सर्व सेवा संध-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

“गाँव की आवाज” का प्रकाशन

“भूदान-पत्र” के परिशिष्ट के रूप में ‘गाँव की बात’ का प्रकाशन तीन वर्षों से होता आया है। लेकिन अब “गाँव की बात” के स्थान पर “गाँव की आवाज” का प्रकाशन अलग से शुरू हो रहा है। “गाँव की आवाज” सचमुच गाँव की ही आवाज होगी। इसलिए इसमें प्रकाशित सामग्रियों की शैली ग्रामीण और भाषा सरल-सुबोध होगी।

गाँव-गाँव में गरीबी के ग्रामस्वराज्य की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि गाँव के लोग चेतों, समझों, वृत्तों, और इसके लिए जरूरी है कि गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य का पर्चा पहुँचे। विनोबाजी बार-बार कहते हैं कि हमारा कोई-न-कोई पर्चा हर गाँव में पहुँचना चाहिए। क्या “गाँव की आवाज” को गाँव-गाँव पहुँचाया जा सकता है ?

इसका वार्षिक खर्चा केवल ४ रुपया है और एक प्रति का मूल्य २० पैसे है। इसका प्रकाशन हर माह की १ और १६ तारीख को होगा। विरह जानकारी के लिए लिखें—

प्यवस्थापक—पत्रिका विभाग, सर्व सेवा संध प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी -१

सम्पादक मंडल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष . १७

अंक . ११-१२

अनुक्रम

शिक्षण और विकास : समस्या क्या है ?

४८१ श्री राममूर्ति

विश्लेषण

सामान्य आदमी क्या करे ?

४८७ श्री दादा धर्माधिकारी

- दो तरह के लोग • साधारण मनुष्य की व्याख्या • पश्चिम की समस्या • वर्तमान परिस्थिति • समाज कौन बदलेगा ?

• भूख का जवाब अन्न १

पिछड़ापन विकास और शिक्षण की समस्या

४९४ श्री राममूर्ति

• विकास का गुण • सम्बन्धों का सवाल

• शिक्षण विकास की कुजी

नारी-जीवन की वर्तमान भूमिका और

अपेक्षित तालीम की दिशा

५०० सुश्री आग्निवाजा

• सम्बन्ध का आवार • मुक्ति की आकांक्षा

नयी जगह में • विकास या अव पतन

यह असन्तुलित विकलागी विकास या

पिछड़ापन ?

५०४ श्री रामचन्द्र राही

• भूख और भूख • सत्ता का बहुपरिमाण

• एक बड़ा प्रश्नचिह्न • समाज ज़मत ही

मर गया • एक आखिरी सपना • सर्व

की 'चेतना' का उद्बोधन • हिंसा का

परिण और चेतना की शक्ति • व्यापक

जन-शिक्षण द्वारा जन-जान्ति अनिवार्य

• नए चिन्त्र की शिक्षणिक भाषा

पिछड़ेपन की पृष्ठभूमि में अज्ञानता,

अज्ञान और असन्तोष

५१६ श्री द० ना० कौशिक

• नागरिक जीवन का नित्यनम

- चार आधारभूत प्रश्न • राष्ट्रीय श्रौवृद्धि की कसौटी • एकाधिकारवाद के दुष्परिणाम • एक दुर्भाग्यपूर्ण शैक्षिक प्रणाली • व्यूह-रचना के दो प्रारम्भ-बिन्दु

राजनैति, शिक्षण और विकास

५२० श्री इन्द्रनारायण तिवारी

- शिक्षण का प्रयोजन • परिस्थिति की विडम्बना • विडम्बना का मूल कारण • और परिणाम • परिस्थिति-परिवर्तन की दिशा

राष्ट्रीय विकास में कृषि और ग्रामीण समाज की भूमिका

५२५ डा० मोती सिंह

- शिक्षा की आवश्यक निष्पत्ति

विचार मंथन

भारतीय शिक्षा कौसी हो ?

५२६ डा० सीताराम जायसवाल

- वर्तमान भारतीय शिक्षा • भारत की भावी शिक्षा • सामाजिक परिवर्तन • आर्थिक परिवर्तन • सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य

भारत की शिक्षा

५३२ श्री देवेन्द्र दत्त तिवारी

- प्रगतिशील शिक्षा-प्रणाली की देन
- प्रगतिशील देशों के छात्रों की मिसालें
- शिक्षक शैक्षिक परिवर्तन की मूल शक्ति
- शैक्षिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार

शिक्षा का दायित्व

५३७ श्री ति० न० आवेय

- ज्ञान में रस-संचार कैसे ? • विद्वत भस्कार
- समग्र विकास की सबसे बड़ी बाधा
- शिक्षा का विराट प्रश्न • वास्तविक जीवन-धर्म • शिक्षा से अपेक्षा

शैक्षिक व्यूह-रचना

क्रान्तिकारी सामाजिक शक्ति और शिक्षण
राष्ट्रीय विकास और शिक्षित जनसंचित

५४३ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
५४८ श्री बंशीधर धीवालदाव

- स्वतंत्र भारत की शैक्षिक व्यूह रचना
- बुनियादी शिक्षा • व्यूह रचना का प्रथम चरण

- मुदालियर कमीशन
- राधाकृष्णन् आयोग और श्रीमालो समिति • व्यूह-रचना की व्यर्थता का मूल कारण • शिक्षितों की बेरोजगारी कितनी ? • शैक्षिक सस्याओं की स्वायत्तता का प्रश्न

ग्राम-विकास और विद्यालय

५५६ श्री ब्रज मोहन पाटे

- शिक्षा : समाज-प्रासाद का आधार • 'हरी वान्ति' और विद्यालय • पौष्टिक आहार-योजना • प्रथम प्राथमिकता • अभिनवीकरण • प्रशिक्षण की फलश्रुति • कुपक समाज को आकाशाएँ • युग की मांग

विकासशील भारत का शैक्षिक संयोजन

५६२ श्री रुद्रभान

- स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति की देन • परिस्थिति की मांग • राष्ट्रीय दुश्चक्र • विकास के नवसन्दर्भ में शिक्षण की भूमिका • शिक्षण के चार आमाण

परिशिष्ट

मेरो कल्पना का शिक्षण

मो० क० गांधी

समाप्ताचना

'नयी तालीम' का यह विशेषांक १५ जुलाई को प्रकाशित हो जाना चाहिए था, किन्तु प्रेस की गड़बड़ी के कारण यह अंक जुलाई के अन्त में प्रकाशित हो रहा है। इस अप्रत्याशित विलम्ब के लिए हम पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं। - सम्पादक

वार्षिक शुल्क : ६ रुपया

इस अंक का मूल्य :

एक प्रति : ५० पैसे

एक रुपया

श्री श्रीहरिप्रसादस भट्ट सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित, धर्मल कुमार वसु;
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, धारारानी-२ में मुद्रित

तत्त्वज्ञान

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गयी फाँसी तथा गणेशशंकर विद्यार्थी के आत्म-बलिदान के प्रसंगों से चुब्ध कराची कांग्रेस-अधिवेशन के लोगों को सम्बोधित करते हुए २६ मार्च १९३१ को गांधीजी ने कहा था :—

‘ जो तर्क यह ईमानदारी से समझते हैं कि मैं हिन्दुस्तान का नुकसान कर रहा हूँ, उन्हें अधिकार है कि वे यह बात ससार के सामने चिल्ला-चिल्लाकर कहें। पर तलवार के तत्त्वज्ञान को हमेशा के लिए तलाक दे देने के कारण मेरे पास अब केवल प्रेम का ही प्याला बचा है जो मैं सबको दे रहा हूँ। अपने तर्क मिथों के सामने भी अब मे वही प्याला पकड़े हुए हूँ । ’

उसके बाद का इतिहास साक्षी है कि देश ने तलवार के तत्त्वज्ञान को तलाक देनेवाले गांधी का साथ दिया। साम्राज्यवाद की नींव हिली, भारत में लोकतंत्र की नींव पड़ी और ससार को मुक्ति का एक नया रास्ता मिला।

ससार आज बंदूक की नली के तत्त्वज्ञान से और अधिक त्रस्त हुआ है। विनोबा ससार को वही प्रेम का प्याला पिलाकर बंदूक के तत्त्वज्ञान को तलाक दिलाना चाहता है और देश में सच्चे स्वराज्य की स्थापना के लिए उसने नया रास्ता बताया है।

क्या हम वक्त को पहिचानेंगे और महान कार्य में वक्त पर योग देंगे ?

अगस्त १९६८

वर्ष : १७ • अंक : १



जाली



- शिक्षक नये समाज का नायक
- लोकतंत्र के लिए शिक्षा
- कुमारमन्दिर के दो घटे
- 'मैं शिक्षक हूँगा'



राष्ट्रीय शिक्षा-नीति न नयी, न राष्ट्रीय

बहुत प्रतीक्षा के बाद आखिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षण पर अपनी नीति घोषित कर ही दी। पूरे इक्कीस साल लगे सरकार को यह तय करने में कि स्वतंत्र राष्ट्र की कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी होनी चाहिए।

शिक्षा आयोग जो सिफारिशों पहले कर चुका है, उन्हें पर अब भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। स्वयं आयोग की सिफारिशों में राष्ट्रीय शिक्षण के कितने तत्व हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन उन पर मुहर लगाकर भारत सरकार ने बता दिया है कि वह भी, जिसने अपने ऊपर राष्ट्र को बचाने और बनाने की जिम्मेदारी ली है, आयोग से आगे जाने को तैयार नहीं है। भारत तथा राज्य सरकारों के रवैये से अब यह बात सिद्ध हो गयी है कि क्या भूमि व्यवस्था, क्या बेकारी, और क्या शिक्षण, देश के जन-जन का छूने-वाले किसी प्रश्न पर सरकार प्रगतिशील रस भी लेने को तैयार नहीं है, क्रान्तिकारी रस की तो बात ही क्या। या, हो सकता है कि उनकी नीयत अच्छी हो, पर सही हिकमत न सूझती हो, या अगर सूझती भी हो तो आगे बढ़ने की हिम्मत न होती हो। कौन जाने? कुछ भी हो, आज का सरकारी ढाँचा और उसकी नीकरशाही, दोनों राष्ट्र के विकास के माध्यम

वर्ष : १७

अंक : १

अन नहीं रह गये, यह बात इस देश की जनता ने अतक नहीं जाना तो उन उसे जान लेना चाहिए ।

भारत सरकार ने अपनी घोषणा में किन बातों को राष्ट्रीय शिक्षण की दृष्टि से महत्व का माना है ? भाषा के सम्बन्ध में उसका निर्णय है कि हर विद्यार्थी तीन भाषाएँ पढे—मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा नहीं), हिन्दी और अंग्रेजी । जिसकी मातृभाषा हिन्दी होगी वह कोई दूसरा भारतीय भाषा पढेगा, विशेष रूप से दक्षिण की कोई भाषा । क्षेत्रीय भाषा विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम है । नकिन कितने दिनों में हो जाय, यह नहीं बताया गया है । (आयोग ने कम से कम दस वर्ष की सीमा रखी तो ख़ास की ।) कुल शिक्षण १५ वर्ष का है—१० स्कूल का, २ हायर सेकेंडरी का, ३ विश्वविद्यालय का । ६ से १४ तक का शिक्षण मुफ्त देने की कोशिश हो । इन बातों के अलावा यह कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकें अच्छी हों, शिक्षकों का स्थिति सुधरे, रिमर्च, विज्ञान, राष्ट्रीय सेवा, चरित्र निर्माण, तकनीकी, और खेती के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाय, तथा अच्छे निचारियों, लड़कियों, और पिछड़े समुदायों को प्रोत्साहन दिया जाय । भारत सरकार चाहती है कि ये सुधार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षण योजना के आधार बनें । आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत शिक्षण में खर्च होने लगे ।

यह है वह नीति जो बहुत इन्तजार के बाद सामने आयी है । खयाल हाता है कि अगर पचास साल पहिले कोई शिक्षण के बारे में कहता तो क्या ये ही बातें न कहता ? क्या भारत सरकार ने मान लिया है कि पिछले पचास वर्षों में राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षण की कल्पना का कुछ विकास नहीं हुआ है ? अगर हुआ है तो क्या हुआ है ? इन पचास वर्षों में भारत में गांधी आये, और चीन में माओ । दोनों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने देश को क्रान्ति की दृष्टि दी है, विकास की योजना दी है, शिक्षण की रीति और नीति दी है । एक तो शिक्षा आयोग के नामधारी देशा विदेशी विद्वानों ने पेन्ड लगाने के सिवाय और कुछ नहीं किया था, दूसरे उन भारत सरकार ने उस पेन्ड पर खलिया करने के सिवाय और कुछ नहीं किया है ।

विद्वानों और शासकों का इस योजना में कौनसी ऐसी चीज है जो भारत के युवकों और युवतियों को उत्पादक बनायगी, जो उनकी उगलियों में हुनर भरेंगी, जीवन में विज्ञान लायगी, और शिक्षा को विकास और प्रगतिशील लोकतंत्र का वाहन बनायगी ? क्या शिक्षण राष्ट्र की आय में हिस्सा लेने का ही हकदार होगा, या उसमें कुछ जोड़ेगा भी ? क्या अनुसन्ध होगा राष्ट्र की भावी दिशा में और इस तथाकथित नये शिक्षण में ? इसका नयापन क्या है ?

यह जाहिर है कि इन 'सुधारों' के राजरूद शिक्षण आज की तरह कितानों, इम्तहानों, और नीकरियों से ही जुड़ा रहेगा। इस शिक्षण से निकला हुआ विद्यार्थी आज जैसा ही निरुम्मा और अनुत्पादक होगा। उसके जानन में कोई नये मूल्य नहीं होंगे। वह समाज में 'मिसफिट' रहेगा। उसकी चष्टाओं में राष्ट्र की आकाक्षाओं का कोई भलक नहीं होंगी। और अन्त में यह शिक्षण-योजना अच्छा धुरी जा भा है, सिर्फ स्कूलों, कालजों, और विरुनविद्यालयों के लिए ही है, उनके बाहर जो विस्तृत समाज है उसे यह स्पर्श भी नहीं करती, गोया उससे अलग भी राष्ट्र कोई चीज है। राष्ट्रीय शिक्षण का उद्देश्य तत्र पूरा होगा जब समाज और विद्यालय एक लाइन में आ जायेंगे, अन्यथा नहीं। विकास के सन्ध में नागरिक का शिक्षण उतना ही आवश्यक है जितना विद्याया का।

जो योजना है उसमें यह आशा रखना कि राष्ट्रीय शिक्षण राष्ट्र क विकास का माध्यम बनेगा, और उसमें समाज-परिवर्तन की शक्ति होगी व्यय है। वस्तुतः शिक्षण की यह याजना न नयी है, न राष्ट्रीय।

युन मुक्ति

शिक्षक नये समाज का नायक

दादा धर्माधिकारी

मैं अपने जीवन में कुछ वर्ष एक अप्रशिक्षित शिक्षक रहा हूँ। आप लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं, मैंने नहीं पाया था। कालेज में पढ़ता था, देश की आवश्यकता हुई, लड़कों को पढ़ाने लगा। एक तरह से आपमें और मुझमें एक रिस्तेदारी है। यथवा आपकी विरादरी का होने में मैं गौरव का अनुभव करता हूँ। जब मैं सोचने लगता हूँ तो पाता हूँ कि जिस प्रकार के समाज में शिक्षक को जीवन-यापन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार के समाज में विद्यार्थी शिक्षण पा रहा है, उसी प्रकार का समाज भंगर रहा, तो शिक्षण से मनुष्य का विकास नहीं होगा। दोष शिक्षण का उतना नहीं है, जितना शिक्षण जिस सन्दर्भ में, जिस 'कान्टेक्स्ट' में दिया जा रहा है, उसका है। बर्ट्रण्ड रसेल का नाम आपने सुना होगा, दार्शनिक दार्शनिक हैं। एक दफा उन्होंने कहा 'देयर घॉट टु बी वाइडस्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ नॉलिज' ज्ञान का सार्वत्रिक प्रसार। मैं 'प्रचार' नहीं कह रहा हूँ—सार्वत्रिक फैलाव होना चाहिए। और आपके जोड़ते हैं — 'आइ टू नॉट मीन दि एजुकेशन ऑफ नॉलिज'—मैं 'शिक्षण' नहीं कह रहा हूँ। उसका कारण बतलाता है — 'दि एजुकेशन इज यूरेड बाइ गव नमेट टु फॉस्टर इग्नोरेंट प्रिजुडिसेज' सरकारें शिक्षण का उपयोग लोगों के मन में अज्ञान और द्वन्द्व फैलाने के लिए करती हैं।

शिक्षक का शील

प्रामाणिक प्रश्न जानने की उत्कण्ठा शिक्षक का शील है, विचार शिक्षक का शील नहीं है। विचार से मेरा मतलब कोई एक विचार। शिक्षक के पित्त में भंगर विचार घर कर लेता है, तो जिज्ञासा निकल जाती है। विचार के साथ, दशन के साथ आग्रह आता है, तब आग्रह दरवाजे में से जहाँ भीतर

घाया, जिज्ञासा खिडकी में से भाग जाती है। जिज्ञासा का पहला सक्षण है—
समझेंगे पहले, समझायेंगे बाद में।

आपका यह व्यवसाय है, जिसमें से ज्ञान बढ़ता है, अध्ययन बढ़ता है।
हमारे यहाँ 'पढ़ना' और 'पढ़ाना' एक ही धातु से निकले हैं। 'शिष्य' और
'शिक्षक' का धातु एक ही है। जो सिखाता है वह भी सीखता है, जो सीखता
है वह भी सिखाता है। यह नहीं होगा तो शिक्षण से मनुष्यों के दिमाग
एक संधि में ढाले जायेंगे। १५४८ ई. में इंग्लैंड का बड़ा साहित्यिक या। उसका
एक वाक्य है — 'वाई एजुकेशन मोस्ट हैव बीन मिसलेड'—शिक्षण से कई
गुमराह हुए हैं। क्यों गुमराह हुए हैं? वह कहता है — 'दि प्रिन्ट कन्टीन्यूड
वेयर दि नर्स विगन'—दाई ने जिस शिक्षण का, जिस संस्कार का प्रारम्भ किया
था, उस संस्कार को पुरोहित भागे बड़ाता है। इस तरह से धाय का जो
शिक्षण था वह घत में जाकर विश्वविद्यालय के शिक्षण से अधिक प्रभाव-
शाली मिद्ध होता है। इसलिए पहली चीज जो हमको समझनी है, वह यह
समझनी है कि शिक्षक की भूमिका तटस्थ होनी चाहिए। जो तटस्थ होगा
वह विनयशील भी होगा। 'विद्या विनयेन शोभते'। विद्या के साथ विनय
अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है।

मुख्य प्रश्न

हमारे सामने जो प्रश्न है, वह यह है कि आज का जो समाज है, उस
समाज के परिवर्तन में मुख्य भूमिका किसकी होगी? इस समाज-परिवर्तन का
नायक कौन होगा? भव तक इतिहास में समाज-परिवर्तन का नायक या तो
राज्य-नेता रहा है या सैनिक रहा है। कभी-कभी सन्त रहा है या धर्मप्रवर्तक
रहा है। क्या शिक्षक भी समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया का नायक हो सकता
है? यह प्रश्न है। नहीं होता है तो शिक्षण किसी काम का नहीं रह जायगा।
शिक्षण से न शिक्षक का विकास होगा, न शिष्य का।

भव शिक्षण पुलिस के हाथ में जा रहा है। किसी दिन फौज के हाथ में
चला जायगा। आप जानते हैं कि पुलिस और फौज में विभाग का स्थान नहीं
होता, बुद्धि का स्थान नहीं होता है।

जिंराही, साहकार और राज्य-सत्ता, तीनों बुद्धि से डरते हैं। सबको
अधिक भय भगर किसीका है तो बुद्धि का। जहाँ तक उनका बस चलेगा,
विचार को वे कभी प्रकट नहीं होने देंगे। राज्य-सत्ता विचार को नियंत्रित

करना चाहेंगी, धन-सत्ता भी नियंत्रित करना चाहेंगी और दास्य सत्ता को तो विचार से मतलब ही नहीं है।

विचार की शक्ति में विद्यार्थी और शिक्षक की शक्ति में संपत्तिधारी, सत्ताधारी और दास्य धारियों का जितना विवाद है उतना साहित्यिक का और शिक्षक का भी नहीं है। इसका परिणाम यह है कि विद्या तिगोरी की टहलुई बन गयी है, सतवार की दासी बन गयी है। और, सत्ता की पह पटरानी नहीं है और रानी भी नहीं है, रखली बन गयी है।

टालस्टाय ने एक दफा कहा था कि मेरी पाठशाला ही मेरा जीवन था। दुनिया के सबूट, दुनिया की चिन्ताओं, दुनिया की लालच, प्रलोभन, इन सबसे मेरा संरक्षण जिस मंदिर और जिस मठ में हुआ उस मंदिर और उस मठ का नाम स्कूल है। रस्किन ने कहा था कि मनुष्य के लिए फ्रांसी के तख्ते और जेलखाने बनाने की अपेक्षा लड़कों के लिए स्कूल खोलो। दो स्कूल खोलोगे तो दो जेलखाने बन्द होंगे।

लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? जेलखानों का रख स्कूल की तरफ हो गया है, जेल करीब-करीब विद्यालय हो गये हैं लेकिन विद्यालयों का रख जेल की तरफ हो गया है। ज्यादा से ज्यादा अपराध विद्यालयों में होते हैं। इस सबको अगर बदलना है तो हमारे रख को बदलना होगा, समस्या को देखना होगा और समझना होगा।

विश्वविद्यालय में बाजार का प्रवेश

समस्या यह है कि आज मनुष्य के जीवन को प्रभावित करनेवाली सस्था विश्वविद्यालय नहीं है। इसमें शिक्षण का दोष नहीं है। शिक्षण में कमियाँ हैं त्रुटियाँ हैं, दोष कम हैं। त्रुटियों की पूर्ति हो सकती है, दोषों का निवारण हो सकता है। फिर इन कालेजों में, इन विश्वविद्यालयों में प्रोफसर, विद्यार्थी वाइस चांसलर इन सबके दिमाग कुछ विगड़े हुए से क्यों मालूम होते हैं? इसका कारण विश्वविद्यालय से बाहर है और उस बाहर की सस्था का नाम है बाजार। मनुष्य के चित्त पर आज जिस सस्था का अधिक से अधिक प्रभाव व परिणाम होता है, उस सस्था का नाम बाजार है।

विश्वविद्यालय में बाजार का प्रवेश हुआ है, बाजार में विश्वविद्यालय का प्रवेश नहीं हुआ। मंदिर में बाजार का प्रवेश हुआ है, बाजार में मंदिर के मूल्य नहीं गये। परिवार में बाजार आ गया है, बाजार में पारिवारिकता

नहीं गयी। इस सन्दर्भ को बदल देना है। आज शिक्षण, कला, विद्या बाजार में बँठी हुई है। उनको बाजार में से उबारना है। कौन उबारेगा? वह नहीं उबारेगा, जिसकी श्रद्धा तिजोरी में है, तहत में है और तलवार में है। उबारेगा वह, जिसकी श्रद्धा विचार में है। विचार से मेरा मतलब है बुद्धि; तत्त्वज्ञान नहीं, दर्शन नहीं। मार्क्स की 'त्रान्ति' पुस्तक की 'त्रान्ति' है। 'कैपिटल' ने 'त्रान्ति' कर दी। मार्क्स ने कभी हाथ में तलवार नहीं उठायी।

'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' कोई शस्त्र नहीं है। शब्द ही शब्द हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं, जिसकी शब्द में निष्ठा थी।

शिक्षण प्राणवान कैसे होगा ?

तो यह जो बाहर की परिस्थिति है, जिसका प्रभाव हमारी शिक्षण सस्था पर होता है, इस परिस्थिति को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक शिक्षण प्राणवान नहीं होगा। दिक्कत यह है कि ये प्रयोन्माथित है। जब तक शिक्षण सही नहीं होगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा, और जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक शिक्षण सही नहीं होगा। इसलिए प्रश्न यह है कि समाज-परिवर्तन क्या विद्यार्थी और शिक्षक की एक भूमिका हो सकता है? इसका उत्तर देने का प्रयास इतिहास में पहली बार गांधी ने किया।

गांधी से पहले यह बात मानी गयी थी कि समाज परिवर्तन पहले होगा और बाद में मनुष्यो का शिक्षण होगा, और समाज परिवर्तन मत्ता के द्वारा होगा। सत्ता पर कब्जा करने के लिए हम दस्त्व का प्रयोग करेंगे। यह परंपरागत 'त्रान्ति' का विचार था। मार्क्स के अनुयायियों ने इस परंपरागत विचार का स्वीकार किया, क्योंकि तब तक दूसरा विचार समाज के सामने नहीं आया था। पहले पहल गांधी यह विचार लेकर आया कि जो 'त्रान्तिकारी' होंगे उनका अपना हृदय और अपनी वृत्ति अगर बदली हुई नहीं होगी, उसमें परिवर्तन अगर नहीं हुआ होगा, तो जिस समाज का वे परिवर्तन करेंगे वह 'त्रान्तिकारी' समाज नहीं होगा। 'त्रान्तिकारी' समाज के निर्माण के लिए 'त्रान्तिकारी' की अपनी वृत्ति और उसका अपना हृदय, दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 'त्रान्ति' की प्रक्रिया में लोकशिक्षण होना चाहिए।

सन् १८६० में सर राबर्ट लो इग्लैंड की शिक्षण-मिति के उपाध्यक्ष था। उसने एक सूत्र रखा हम अपने मालिकों का प्रशिक्षण करेंगे। अब ये मालिक कौन हैं? मतदाता। तब से चुनाव लोकशिक्षण का मुहूर्त माना गया।

लेकिन उम्मीदवार को शिक्षण कब मिल सकता है ? और, उम्मीदवारों के सिवाय और उम्मीदवारों के सहायकों के सिवाय मतदाता के पास और कोई जाता नहीं है। इसलिए मतदाताओं का शिक्षण नहीं होता। गांधी के सामने सवाल यह था कि अंग्रेजी राज को इस देश से अगर हटाना है तो किसके पुरुषार्थ से हटाया जाय। सिपाहों के ? तो सत्ता सिपाही की होगी; साहूकार के ? तो सत्ता साहूकारों की होगी। तो फिर किसका पुरुषार्थ होगा ? स्वराज्य की अधिक-से-अधिक आवश्यकता किसे है ? उन लोगों को है जो मुसीबत में हैं, जो दुर्बल हैं, जो दलित हैं, बंचित हैं। दलित और बंचित मनुष्यों के पुरुषार्थ से अगर स्वराज्य आता है तो वह उनका स्वराज्य होगा। इसलिए गांधी ने जल्ल का रास्ता छोड़ दिया, संपत्ति का रास्ता छोड़ दिया, पार्लियामेंट (सत्ता) का रास्ता छोड़ दिया। लोकशक्ति के रास्ते को अपनाया और उसमें एक विचार किया कि क्या स्वराज्य के आन्दोलन में से भी लोकशिक्षण हो सकता है ? शिक्षण का मतलब उनका शिक्षण, जो गरीब हैं, भूखे हैं, बेकार हैं, और जो निहत्थे, निःशस्त्र हैं। गांधी के सामने यह प्रश्न आया इसलिए उसने चुनाव के क्षेत्र को छोड़कर सार्वजनिक पुरुषार्थ के क्षेत्र को ले लिया और सत्याग्रह का आनिष्कार किया।

स्वराज्य के बीस वर्ष बाद आज हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि क्या इस देश का आर्थिक ढाँचा, अर्थ-रचना लोकशिक्षण की प्रक्रिया से आमूलाग्र बदली जा सकती है ? लोकशिक्षण किमका ? उमका, जिनको अर्थ-रचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। अर्थ-रचना में परिवर्तन की आवश्यकता किनको है ? जो मेहनत करते हैं, मालिक नहीं हैं, जो भूखे हैं, अन्न नहीं पाने हैं, जो नगरे हैं, कपडा नहीं मिलता है, जो बेघरवार हैं, घर नहीं मिलता है, जो मेहनत करने को तैयार हैं लेकिन मेहनत के साधन नहीं हैं। उन्हें श्रान्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है।

तो क्या श्रान्ति की ऐसी कोई पद्धति हो सकती है, जिस पद्धति में से इनका प्रशिक्षण हो ? इस सवाल का उत्तर विनोबा खोज रहे हैं। वह कहते हैं कि भूदान, ग्रामदान, जिलादान की प्रक्रिया ऐसी है जिन प्रक्रिया में से इन सारे लोगों का प्रशिक्षण हो सकता है।

आप विद्यार्थी और शिक्षक, दोनों हैं। आपकी दुहरो हैसियत है। इसलिए आपको समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि कुछ दान ऐसा होता है जिस दान में से देवताले का अधिक लाभ होता है। जैसे विद्यादान। कहलाता

तो है विद्यादान, लेकिन जो पढ़ाता है उसका लाभ जो पढ़ता है, उससे अधिक होता है। विद्यार्थी को अगर शिक्षक प्रामाणिकता में पढ़ाता है तो उसका अपना जितना लाभ होता है-उतना विद्यार्थी का भी नहीं होता है। 'व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्राधानम्।' जितना खर्च कीजिये उतना वह बढ़ता है। विद्या की यह विशेषता है।

व्यक्ति का समाज के लिए जो दान होता है, उसमें त्याग भी है और स्वार्थ भी है। ग्रामदान में कौन किसे दान देता है? व्यक्ति समाज को दान देता है। मैं आपको दान देता हूँ। आप मुझे दान देने हैं। दोनों मिलकर समाज को दान देने हैं। स्वयंप्रेरणा में मनुष्य जो देता है उसमें से उसकी शक्ति बढ़ती है। यह बहुत बड़ा लाभ है। जो मुझमें छीन लिया जाता है उसमें मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है। विनोबा कहते हैं कि अपनी जमीन का एक हिस्सा दे दो, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे दो। अपनी मेहनत का एक हिस्सा दे दो। स्वयं प्रेरणा से देने में देनेवाले की शक्ति बढ़ती है। डर में जो प्रान्ति होती है, उस प्रान्ति के बाद मनुष्य में पुरुषार्थ का विकास नहीं होता। एक फिलामफर ने बड़ी सुन्दर बात कही है — 'फियर इज दि हार्क रूम इन ह्विच ग्रॉल दि निगेटिव्म थार डेवलप्ड' मनुष्य के अभाववात्मक जितने गुण हैं, दोषात्मक जितनी विशेषताएँ हैं, वे सब विकसित होती है भय के साथ। भयभीतो की जो प्रान्ति होगी उस प्रान्ति में कोई प्रशिक्षण नहीं होगा।

मैं अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का, अपनी जमीन का, अपनी मेहनत का एक हिस्सा दे देता हूँ। इसमें लोकशिक्षण आरम्भ होता है। इसका परिणाम दो प्रकार का होगा। (१) समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ हो जायगा और (२) लोकतंत्र को प्राणवान बनाने की प्रक्रिया का आरम्भ हो जायगा।

औपचारिक लोकतंत्र में और वारतविक लोकतंत्र में बाहरी समानता ६६ प्रतिशत है। एक प्रतिशत अन्तर है। लेकिन यह एक प्रतिशत अन्तर भी प्रतिशत है। राज के ढाँचे में दोष एक ही है कि जो मतदाता है उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ। मतदाता के प्रशिक्षण की प्रक्रिया का आरम्भ प्रान्ति की प्रक्रिया से ही होना चाहिए। अत्यन्त वैज्ञानिक, सममानुबल और इस देश की परिस्थिति के अनुरूप इस पद्धति का आविष्कार विनोबाजी ने किया है।

(ट्रेनिंग कालेज, भागलपुर में दिनांक २४-४-६८ को दिया गया भाषण)

“मैं शिक्षक हूँगा”

राममूर्ति

भारत के इतिहास में यह एक विलक्षणता है कि जिन महापुरुषों ने हमारे देश के जीवन की बुनियादें बनायी हैं वे राजनीति के नहीं थे, भले ही समय के तकाजे के कारण उन्हें राजनीति को अपना माध्यम बनाना पड़ा हो। तिलक स्वतंत्रता की लड़ाई के योद्धा थे, लेकिन उनकी अपनी असली दुनिया किताबों की थी; गांधी राजनीति के मंच पर उतरे तो राजनीति की ध्वज ही बदल दी, और जिन्दगी भर कहते रहे कि राजनीति नहीं, धर्म उनका क्षेत्र है, नेहरू शुरू से अन्त तक राजनीति में ही रहे, लेकिन मन में उनके राजनीति नहीं थी, विज्ञान था, इतिहास था, भाज विनोबा नाम लेते हैं भूमि का, गांव का, समाज का, लेकिन अन्तर्मान की प्यास मिटती है धर्म से, अध्यात्म से, पढ़ने और पढ़ाने से। तिलक, गांधी, नेहरू और विनोबा ही नहीं, प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक सन्तों तक की हमारे देश में जो हजारों साल पुरानी एक लम्बी, अखण्ड परम्परा है वह शिक्षण की ही है। उद्बुद्ध भारत ने सदा शिक्षण की शक्ति को सर्वोपरि माना है, क्योंकि उसने मनुष्य को जगाने, उठाने, बनाने पर भरोसा किया है, न कि उसे कुचलकर समाप्त कर देने पर। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि तिलक की यह कामना रही हो कि अगर उनके जीते जी देश गुलामों से मुक्त हो गया तो वह शिक्षक होकर देश की सेवा करेंगे।

तिलक राज्य और राजनीति की शक्ति को नहीं समझते थे, ऐसी बात नहीं है। राजनीति अपने में किन्ती बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति से कितने विघातक काम हुए हैं, और हो सकते हैं, यह उनका मान्य था, पर यह भी मान्य था कि मनुष्य का सच्चा विकास राजनीति के हाथ में नहीं है। वह है 'विचार' के हाथ में। विचार की वृत्ति और शक्ति का ही नाम शिक्षण है। अब यह बात मिट्ट हो गयी है कि अगर विज्ञान और लोकतंत्र को वापस रखना है तो शिक्षण को सर्वोपरि रखना होगा। शिक्षण का विकल्प है दमन, और उसका एव ही अन्त है—विनाश। शिक्षण की शक्ति नागरिक की है, राजनीति की शक्ति नेता की। नागरिक की शक्ति नागरिक से शुरू होती है

और नागरिक को वापस मिलती है, राजनीति की उथल-पुथल नागरिक को साधन बनाती है और अन्त में उसके सीने पर बैठ जाती है।

तिलक केवल स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वह स्वराज्य चाहते थे। अगर केवल स्वतंत्रता की चाह होती तो राजनीति काफी थी, धूँक स्वराज्य चाहिए था इसलिए राजनीति से समाधान नहीं था। जनता अपने 'स्व' को प्राप्त कर सके उसे प्रकट कर सके, यह शक्ति राजनीति में कहाँ? राजनीति दमन और विभाजन का तंत्र है, स्वराज्य के लिए मुक्ति का मंत्र चाहिए। मुक्ति विद्या से मिलती है, और विद्या शिक्षक के पास है भले ही पेशा उसका वह न हो।

तिलक मन की चाह मन में लेकर दुनिया से गये। वह अग्रजी राज का अन्त देखने के लिए नहीं बचे। लेकिन जाने के पहले स्वतंत्रता की बुनियाद बनाकर गये, जिसके आधार पर गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की भव्य इमारत खड़ी की। 'मैं शिक्षक हूँगा' उनकी इस कामना में अविष्य के लिए यह संकेत था कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई का योद्धा हो वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वराज्य का सेवक बने शासक नहीं। गांधीजी की 'लोकसेवक सच की कल्पना का आधार भी क्या यही नहीं था? लेकिन देश ने नहीं समझा तिलक का मकेत और नही मानी उसने गांधी की सलाह। राजनीति के पुजारियों ने सत्ता की उपासना नहीं छोड़ी। उनके हठ का परिणाम क्या हुआ? इस देश की जनता के लिए पिछले इक्कीस वर्षों का इतिहास सत्ता की उपासना और उसके प्रकट होनेवाले दुष्परिणामों की ददभरी कहानी है।

इस अनुभव से हमने देख लिया कि भारत-जैसे देश के मवालों का राज नीति के पास कोई जवाब नहीं है। भारत ही नहीं, तमाम दुनिया में राजनीति का दीवाला निकर रहा है। हर जगह शिक्षण वन शिष्य की पुकार है। लेकिन उस शिक्षण की नहीं जो राजनीति का दास है बल्कि उस शिक्षण की जो सत्य के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं मानता, जो मनुष्य के सिवाय दूसरी हैसियत नहीं जानता।

एक अग्रस्त को लोकमान्य वाच गया पर तिलक की पुण्यविधि है। इन अवसर पर उनका स्मरण आता है, उस महानुष्य के प्रति अट्टा से तिर झुकता है। उनका दिया हुआ मंत्र जँभे चुनौती बनकर सामने आ रहा है। पिछले २१ वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया, पाया एक अनुभव यह अनुभव कि अगर देश को बचाना है बनाना है, तो शिक्षक की वृत्ति जगनी चाहिए और शिक्षण की शक्ति प्रकट होनी चाहिए। कौन जाने दिनावा का नया आचार्य कुल तिलक की उस आशा का एक मकार रूप निद्र हो। •

विचार से निष्पन्न हुआ था, अनेकानेक जीवों का मूल्य चुकाकर अन्त में, समाज में प्रचलित परम्पराओं और रुढ़ियों का परीक्षण और सशोधन करने पर बल दिया और तद्द्वारा लोकतंत्र को मुद्दत बनाने में सहायता दी। इन दिना लोकतंत्र लगभग नारा ही बन गया है। जो लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं, वे भी अपनी अधिनायकवादी ध्याख्या के अनुरूप अपने को लोकतंत्र के अनुयायी कह लेते हैं। उनकी दृष्टि में 'सवहारा का अधिनायक राज्य ही लोकतंत्र का उत्तम रूप है। हम लोग भी अपने सविधान में लोकतंत्र के ध्येय की प्राप्ति के लिए बचनबद्ध हैं।

लोकतंत्र का अर्थ

यह स्वाभाविक ही है कि जो शब्द इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में जनता को स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता आया है वह अपने अथगाम्भीय के साथ साथ अमरत्व भी हो। इसलिए लोकतंत्र की कोई सक्षिप्त परिभाषा देना सम्भव नहीं है। परन्तु सुविधा के लिए हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि लोकतंत्र एक राजनैतिक शब्द है जो ठोस रूप में अमर प्रकार के शासन का द्योतक है फिर भी उसमें गहन और महत्वपूर्ण दार्शनिक तत्व भी निहित हैं। लोकतंत्र अमर कुछ जीवन-मूल्यों को मनोवृत्तियों को और जीवन समस्या की उपाय पद्धति को सूचित करता है। तार्त्विक दृष्टि से लोकतंत्र में व्यक्ति ही अपने आप में अन्तिम ध्येय है। न केवल उसकी बुद्धि, बल्कि उसका शरीर भी अत्यन्त पवित्र है, और अधिवतर स्वतंत्र राष्ट्र के सविधान में उसके शरीर की पवित्रता के विशेष संरक्षण का प्रावधान है। दूसरी बात व्यक्ति समाज या राज्य का अनुचर नहीं है। वस्तुतः इन सस्याओं का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए है, और जब भी समाज या सस्था तथा व्यक्ति के बीच संघर्ष छिड़ता है, तब लोकतंत्र के अन्दर, व्यक्ति ही प्राधान्य का हकदार होता है। तीसरी बात जो उपर्युक्त दोनों मूलभूत सिद्धांतों से निःसृत होती है, यह है कि स्वातंत्र्य का अर्थ केवल वाणी और कृति का स्वातंत्र्य ही नहीं, परन्तु अभाव और भूख से मुक्ति भी है। इसे ही लोकतंत्र में धार्मिक स्वातंत्र्य कहते हैं।

लोकतंत्र के इन बुनियादी सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने की दृष्टि से व्यक्ति या जन-सामाज्य को नियंत्रण, प्रशासन, तथा सरकार के स्वरूप-निर्धारण में अपने निर्णायक भावों उठाने का अधिकार दिया गया है। अपने मतदान के द्वारा वह सरकार को बना सकता है, बिगाड़ सकता है।

लोकतंत्र : सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर

जब हम लोकतंत्र के लिए शिक्षा का विचार करते हैं, तब यह बिलकुल स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र का सही अर्थ जानते नहीं हैं। हमारी दृष्टि में व्यक्ति

के प्रति, उसके स्वातंत्र्य के प्रति या उसके अस्तित्व मात्र के प्रति समुचित आदर होता नहीं है। उससे मत माँगते समय उसे गुरुवर दायित्व तो सौंपते हैं परंतु शासन के दैनंदिन कार्यों में उसके निणय पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे अपने ही देश में आधे दिन सुनने में आता है कि लोकतंत्र विफल हो गया देश लोकतंत्र के लायक नहीं है जब कि यह बहनेवाले यह भूत जाते हैं कि यदि वे किसी तानाशाही तंत्र में जीत होत तो वे एसी आवाज भी उठा नहीं पाते। तानाशाही को माननेवाले लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि वे अपनी शासन पद्धति में मनुष्य-जीवन की इस प्रकार की अवज्ञा और निराशापूर्ण दुःखद स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लोकतंत्र के लिए शिक्षा का विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि हमारे शासक हमारे स्कूल हमारे शिक्षक तथा सबसामान्य जनता को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर एकमात्र लोकतंत्र में ही सम्भव है। इस स्वीकृति के अभाव में लोकतंत्र की सिद्धि के लिए कामकलाप सुझाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

शिक्षण क्षेत्र में लोकतंत्र का अभाव

जब हम शिक्षा के समय सगठन के बारे में सोचते हैं, तब दिखाई देना है कि उसमें लोकतंत्र के लिए अवसर ही नहीं है। वह एक ऐसा क्वटर क्विन्वाड है (रिजिड हियराकी) जिसमें व्यक्ति का दम घुटता है। शिक्षा के महाक्षेत्र में समान सभेदारी की भावना ही नहीं। प्रशासक, शिक्षक, बालक, माना पिता तथा जनता की दृष्टि से इस पहलू पर हम विचार कर सकते हैं। प्रशासक का प्रमुख काम विधि और नियमों के अनुसार शिक्षानीति को कार्यान्वित करने का है। वर्तमान शिक्षा के सिद्धान्त और नीतियाँ हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बनायी हुई नहीं हैं। स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद शायद ही कोई शिक्षानीति बनायी गयी है। बुनियादी शिक्षा की एक नीति थी जिसको कार्यान्वित करने की नीयत कभी नहीं रही, खाली शाब्दिक सहानुभूति भरपूर दी जाती रही। शिक्षामंत्री के रूप में डा० सेन के आने के बाद नयी शिक्षा-मदति भी खतम हो चली है। इस नीति निर्धारण में कुछ तो लोकतांत्रिक सत्व दाखिल हुआ, जब सरदार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम करनेवाले शिक्षाविदों से परामर्श लिया। मालूम नहीं कि निचले स्तर के शिक्षकों से भी कोई विचार विमर्श किया गया या नहीं। इसके अलावा, राष्ट्रीय नीति की सारी इमारत ही भारतीय शिक्षा आयोग (१९६४-६६) की रिपोर्ट की नींव पर खड़ी की जा रही है जिसे अनेक गण्यमाय व्यक्तियों ने निरर्थक और सारहीन बताया है। फिर,

शामक जिन नियमों और विधियों को दाखिल करना चाहते हैं, वे विदेशी शासन के बीते हुए जमाने के अनुकूल हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्राधार पर शासक ही वही कोई नियम और विधि बनाने का प्रयत्न हुआ है।

इसमें अधिक निराशाजनक बात तो यह है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास और विस्तार का अधिकार अधिकाधिक केन्द्रित करके लोकतंत्र के मूलतत्त्वों को हवा में उड़ा दिया गया है। विश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के अधीन बनाया गया, उसीके माफन बड़ी धनराशि दी जान लगी और यह सब विद्यालयों में माहक बाहरी हस्तक्षेप करने के सिवा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से उसका विकास करने का और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बटने न देने का उपाय तो बिलकुल नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि विवश किया जाता है कि केन्द्र द्वारा समुत्त कोई-न-कोई योजना शिक्षा में अवश्य दाखिल की जाय; यह देखा ही नहीं जाता कि उस योजना की वास्तविक आवश्यकता है भी या नहीं। इस बात के समर्थन में कई प्रमाण गिनाये जा सकते हैं।

शिक्षा में केन्द्रीय नियमन

शिक्षा में गुणात्मक विकास का नियमन 'राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान' (नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन) के निर्देशन और निरीक्षण में करने की भाशा की जा रही है, जो भले ही स्वतंत्र संस्था कहलाती हो, लेकिन लगभग केन्द्र-सरकार का ही एक अंग है और शैक्षिक चारित्र्य सम्बन्धी सारे दुर्गुणों का भण्डार है। राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान के प्रत्येक विभाग ने जो कुछ काम किया है, उसे अधिकृत मान लेना, और यह दिखाना कि प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों पर, जो कि शिक्षा की दृष्टि से बिलकुल ही असंगत और अनुपयोगी हैं, कितनी धनराशि खर्च की गयी है, न तो बुद्धिमानों की बात है, न ऐसा मानने के लिए कुछ गुंजाइश ही है। चर्चा का मुख्य मुद्दा यह है कि केन्द्रीय संगठन द्वारा सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्यपुस्तकें और एक-ही परीक्षा-पद्धति तय किया जाना क्या संगत है? प्रान्तीय स्तर के और उसमें भी नीचे के स्तर के अनेक उत्तम और निष्ठावान् कार्यकर्ता ऊपर से छन छनकर नीचे आनेवाले इस नये विचार और नयी कार्यसूचि की उपयोगिता नहीं मानते हैं। केवल एक बात सँ कि परीक्षा की जो नयी पद्धति अपनायी गयी है और जिस पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जा रही है, वह क्या वास्तव में उपयोगी

है ? और जो प्रश्नावली तैयार की गयी है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है और निरर्थक है। इना प्रकार केन्द्र द्वारा नियत पाठ्यपुस्तको और पाठ्यक्रमो के बारे मे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इन कदमो से शिक्षा जगत् को पचभ्रष्ट कराने के अलावा शिक्षा-क्षेत्र मे स्थानीय अभिक्रम (लोकन इनिशियेटिव) भी प्रायः खरम कर दिया गया है।

प्रातीय स्तर पर भी सारा चित्र घुघला ही है क्योंकि प्रातीय प्रशासन को भी केन्द्रीय अधिकारियो द्वारा निदिष्ट सिद्धान्तो और नीतियो का ही कार्यान्वित करना पडता है। यह कडाई सब जगह है। एक सा पाठ्यक्रम प्रवेश भर मे चलना चाहिए। पढाने को पद्धति मे कुछ भी परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता न किनी स्कूल को है न शिक्षक को। शिक्षा क्षेत्र का प्रत्येक कदम बाह्य शिक्षापद्धति से नियन्त्रित होता है और उसके समयन मे दलील यह दी जाती है कि शिक्षा स्तर को एकछत्रता और तुलनीयता किनी न किनी केन्द्रीय नियन्त्रण म ही सम्भव है। कही न पढाई की बात होती है न बच्चो के शैक्षणिक विकास की होनी है एकमात्र परीक्षा की चचा होनी है। जब दो तीन महीने तक स्कूल-कालेज बन्द रहते हैं तब भी इन बाह्य परीक्षाओ पर कोई असर नही पडना है और यथासमय परीक्षाएँ चलती हैं और विधि बत परीक्षाफल घोषित किया जाता है। कोई भी पूछ सकता है कि बिना पढाये ही बच्चो को परीक्षा ला जा सकती है तो फिर स्कूल की पढाई की आवश्यकता क्या है ?

आज के ढाँचे में शिक्षक, विद्यार्थी उपेक्षित

हमारे पास एक ऐसा ढाँचा है जिसमे शिक्षा मन्वन्धी सिद्धान्तो और नीतियो पाठ्यक्रमा और सगन्तो परीक्षा को पद्धतिया और स्वरूपा के बारे म न सि तब कुछ कह सकता है न छात्र कह सकता है। माता पिता और जनता को भी कहने की गुजाइश नहीं रह गयी है। ऐसी परिस्थिति मे शिक्षक से यह आशा की ही नहीं जा सकती कि वह अपने अध्यापन मे लाक्षणिक सिद्धान्तो को दाखिल करे। बालका को समझती आँस क्या चाहनी है और उनके उम्मीद चेहरो की माँग क्या है। हमारे शिक्षक को क्या मतलब ? उनका तो ऊपर से नियन्त्रित आदेश का पालन भर करना है। वे अपने घरे म बचे हुए हैं और उह मायका द्वारा सीबी हुई लकीर पर ही चलना है। जिह समीपारमक और तटस्थ बुद्धि से मोचना विचारना मिलाना है उन्हीं छात्रा को उनके आग्र पाग की निय बन्धता रहनेवाली परिस्थितिया से अपरिचित रखा जाना है

समस्या का प्रत्यक्ष सामना करने अथवा अपना निर्णय करने नहीं दिया जाता, जो भविष्य जीवन में विशेष रूप से आवश्यक बाने है।

पढाई ही पढाई; ज्ञान नदरद

यद्यपि छात्रों को अनिवार्य विषय के रूप में समाज विज्ञान पढाया जाना है और नागरिक शास्त्र उनके पाठ्यक्रम का एक विषय है फिर भी पढाई पूरी करके जब लडके बाहर आते हैं तब उनके दिमाग में न वास्तविक नागरिक धर्म का ज्ञान होना है न समाज के सामने प्रस्तुत समस्याओं की कल्पना होती है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है कि देश अकाल और सूखे का बुरी तरह गिवार हो रहा हो और फिर भी हमारे इनके सारे स्कूल कालेजों और विश्व विद्यालयों पर उसका किंचित भी प्रभाव न पडता हो? हमारे स्कूल के बच्चों और विश्वविद्यालय के छात्रों में कितने हैं जो ठीक से जानने हो कि कश्मीर की समस्या क्या है चीन का आक्रमण कैसा है अथमून्यत और अथ-सकोचन क्या है, वियतनाम और मध्य-पूर्व एशिया के संकट क्या हैं? स्कूल से बाहर आनेवाले कितने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की अच्छी आदतें होती? यह केवल सामान्य ज्ञान का विषय पढा देने या कुछ अधिक जानकारी उनके दिमाग में घुसा देने का प्रश्न नहीं है यह तो अपने आसपास की दुनिया में जीने का प्रश्न है। अमेरिका के राज्या के कई स्कूलों में वियतनाम, मध्यपूर्व के संकट और राष्ट्रीय एकता आदि विषयों की चर्चा की जाती है। विद्यार्थी चर्चा-मोठी चलाते हैं और जुनूस आदि भी निकालते हैं।

‘सन् १९६५ में वियतनाम जब विवाद का प्रमुख केन्द्र बना, तब अमरीका के पोर्टलैण्ड के पाम सन्नेट हाईस्कूल आदि कई स्कूलों में शालेय कार्यक्रम के अन्तर्गत वियतनाम की चर्चा को स्थान दिया गया। देश भर के स्कूलों में नागरिक अधिकारों के विषय की चर्चा भी दाखिल की गयी और कई बार शालाओं को प्रत्यक्ष कार्य में भी लगाया गया। डेट्राइट और सेलमा आदि दूर दूर बँटे हुए शहरों में हाईस्कूल के विद्यार्थियों ने अपने शाला अधिकारियों को सम्मति से तथा उनकी देखरेख में प्रदर्शन और जुनूस निकाले। मेरिडियन और मिमिसिपी में, अपने राज्य का स्वरूप सुधारने और शाला की समग्रता को कार्यरूप देने के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के शुभ लक्षण प्रकट हुए।’ हमारे देश में जन साधारण क दुख, कष्ट और अन्याय के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक रुडने का शिक्षण

१. ‘प्रामिसिंग प्रैक्टिस इन सिविल एज्युकेशन’—ड० डोनाल्ड डब्ल्यू राबिन्सन पृष्ठ ७

कितना को मितता है ? अधिकांश विद्यार्थियों का हमारे मविधान के बारे में भी जानकारी नहीं है। उह यह भी मान्य नहीं कि हम लोग ने लोकरात्रिक सिद्धांता को व्यावहारिक रूप में कार्यावित करने का ईसा पवित्र मकल्प किया है।

कल्याणकारी राज्य में राज्याभिमुखता

दुर्भाग्य से जनता और माता पिता को शिक्षा व विषय में कोई रुचि नहीं है। इसमें उनका अधिक दोष नहीं है। कल्याणकारी राज्य में यही मान्यता है कि जो भी करना है सब सरकार को करना है। माता पिता को यही करना है कि वे अपने बच्चा को चहारदीवारे के भीतर भेज दें, जो सरकार न बना रखी है। वास्तव में जनता के सहारे के बिना केवल सरकार देश के बच्चा की शिक्षा का भार उठा नहीं सकती है। जनता का सहारा तभी मिल सकता है, जब शिक्षा क्षेत्र में जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध और सहयोग हो। इंग्लैण्ड, रूस, अमरीका आदि उन्नत राष्ट्रों में जनता की ओर से स्कूल के भवन पुस्तकालय, माध्याह्निक भोजन आदि कई मदों में उल्लेखनीय सहायता मिलती है क्योंकि आपकी शाला के पाठ्यक्रम के व्यापक सिद्धांतों और नीति का निर्धारण करने में स्थानीय लोगों का प्रत्यक्ष हाथ होता है।

एकरूपता नहीं, विविधता चाहिये

ऊपर हमने देखा कि लोकतांत्रिक प्रमुख अंग हैं—व्यक्तिक स्वातंत्र्य और स्थानीय अभिक्रम। वर्तमान शिक्षा पद्धति का काम इसके विपरीत दिशा में चल रहा है। वह तो केन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहा है विकेन्द्रीकरण की ओर नहीं, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की एकरूपता की ओर बढ़ रहा है विविधता की ओर नहीं अपरिवर्तनीयता की ओर बढ़ रहा है लचीलेपन को ओर नहीं।

हमारा लोकतांत्रिक समाज कोई मर्यादित या बद्ध समाज (क्लोज्ड सोसाइटी) नहीं है जहाँ नागरिकों के कर्तव्य और कार्य स्पष्ट निर्धारित किये गये हों, बल्कि वह व्यक्तिनिष्ठा (इण्डिविजुअलिटी) और विविधता को प्रोत्साहन देनेवाला समाज है। हमारे जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में यह न तो वाछनीय है न ही व्यावहारिक है कि उत्तम नागरिकता की कोई एक परिभाषा बनायी जाय और सबसे एक-सी क्षमता और एक से चारित्र्य के पूर्ण पालन की अपेक्षा की जाय। उदाहरण के लिए जो विदेशनीति का निष्णात है, वह यदि स्थानीय चुनावों में रुचि न ले तो क्या हम उसे छोटा नागरिक कह

सकते हैं ? जो नागरिक विभासील है, सवेदनमय है, वह यदि अध्यात्म, यथा
 या विज्ञान का अनभिज्ञ है तो क्या हम उनकी प्रयत्नना कर सकते हैं ?”
 जहाँ विविधता की ऐसी परिस्थिति है यहाँ लोकमत व त्रिण शिक्षा पर
 विचार करना बड़ा कठिन है ।

शैक्षिक प्रवृत्तियाँ जनता की आवश्यकता में से निःसृत हो

लोकमत के लिए शिक्षा पर दो प्रकार से विचार करना होता । एक,
 बाह्य और युवका की समबद्ध साम्य शिक्षा, दूसरा प्रौढ शिक्षा । आज इन
 दोनों की बहुत ही उपेक्षा की गयी है । इस उपेक्षा का प्रमुख कारण यह है कि
 विकास को—चाहे वह शिक्षा का या स्वाध्य का या दाशुप का—जनमान्दो-
 लन के रूप में नहीं देखा गया । इसलिए सबसे प्रथम करना यह चाहिए कि लोगों
 को अपने बच्चों के विषय में स्वयं सजिब रुचि लेनी चाहिए । यह रुचि ऊपरी
 आदेशों से या दबतव्यों से निर्माण नहीं की जा सकती बल्कि प्रत्यक्ष जनता में
 काम करके ही की जा सकती है । सरकार का दायित्व यह नहीं कि माना क्रमिक
 यह अपने हाथ में ले ले, बल्कि जनता को उसके लक्ष्य की निदि में मदद
 करना है, जो लक्ष्य लोगों ने स्वयं निर्धारित किये हों जो उनके लिए वास्तविक,
 महत्त्वपूर्ण और प्रेरण दायी हो । इसलिए प्रमुख तत्त्व यह है कि शैक्षिक प्रवृत्तियाँ
 स्थानीय जनता की आवश्यकताओं और माँगों में से निःसृत और विकसित होनी
 चाहिए । तभी शिक्षा का या उसके सम्बद्ध किसी भा विषय का उनके लिए
 कुछ महत्त्व है । विकेंद्रीकरण के छिटपुट प्रयोग जरूर हुए पर उनके पीछे
 आस्था नहीं थी । हम भूतना नष्टा चाहिए कि हमारे देश का प्रशासनतंत्र वही
 बहुरी नौकरशाही का है जो अधिजी राज्य के हित के लिए बना हुआ था ।
 दृष्टिकोण में, जीवन पद्धति में और समूहगत समस्याओं की समाधान पद्धति
 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसलिए विकेंद्रीकरण के जो भी प्रयत्न हुए,
 और वे बहुत लोकप्रिय भी बताये गये लेकिन खाली प्रदर्शन और सरकार
 के विस्तार के सिवाय और कुछ नहीं थे । योजना-आयोग का इतिहास और
 उसकी उपलब्धियाँ इस बात की गवाही देती हैं । इसलिए अब तक जो
 निम्नगामी प्रवृत्ति रही है, अब उनके स्थान पर जनता की उच्चगामी प्रवृत्ति
 प्रारम्भ होनी चाहिए ।

पाठ्यक्रम शिक्षक तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से बने

शिक्षा की दृष्टि से हमारे परिणाम दूरगामी हैं । सबसे पहले शिक्षा की
 योजना केन्द्रीय या प्रान्तीय स्तर पर नहीं बननी चाहिए । वे द्र का या प्र-न का

अधिनार दत्त की प्रमुख समस्याया अथवा आवश्यकताया अथवा राष्ट्रीय चरित्र्य तक मामिठ रहना चाहिए । उणाहरण क लिए वे प्रतिर त वे लिए सन्याया का निमाण कर सकन हैं परन्तु स्थानीय जन समुदाया के नय निधारण का काम उनका नहा हाना चाहिए । प्राय दलीठ की जाती है कि राष्ट्रीय एक्ता और राष्ट्र भावना के निर्माण के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तका और शिक्षा क माध्यमा की एकस्पता आवश्यक है । इस प्रकार का विचार गिना क उन युनिमादी तत्वा के ही सिठ फ है कि शिक्षा परितर परिस्थिति के अमुख्य ही दी जानी चाहिए और छात्रा की अपनी भाषा मे ही दी जानी चाहिए । इसके बिना खाला गि त पद्धति की एकस्पता स राष्ट्रीय एक्ता सिद्ध नही की जा सकती बल्कि वास्तव म राष्ट्रीय एक्ता तो इस बात स अधिक मला प्रकार सिद्ध हो सकती है कि छात्रो को राष्ट्र के स्वास्थ के लिए आवश्यक और राष्ट्र जावन मे सम्भाव्य प्रश्नो के अनुभवो के आधार पर अध्ययन अध्यापन के विविध प्रकार अपनाये जायें । जो पाठ्यक्रम शिक्षक स्कूल तथा स्थानीय ङोणों के सहयोग से न बने केवल ऊपर के आदेश स लाश गया हो, वह सवथा प्राणहीन है । इसीका अर्थ है कि खालाभा मे लोचतांत्रिक दृष्टि विकसित करने क लिए गौरवणाही तथा अधिनायनवादी पद्धति और प्रक्रिया निरूपयोगी है ।

छात्रों के मूल्यांकन का दायित्व शिक्षक पर

खाला-परिवार का जिसमे शिक्षक छात्र तथा संचालक शामिल हैं काम पूण सहयोग और मैत्रा के वातावरण मे करना चाहिए । प्रस्तुत प्रश्नो पर विवेचनात्मक बुद्धि से सोचने और निर्णय लेकर अपनी राय कायम करने की समता छात्रों में पैदा करनी चाहिए । इसके लिए खाला के जीवन और अध्यापन की पद्धतियो मे आमूल परिवर्तन करना होगा । परिवर्तन की बात तो अनेक वर्षों से सुनी तो जा रही है परन्तु स्कूल की आज की पद्धति और प्रशासको की कटटरता कोई परिवर्तन होने नही देती । इस कटटरता का जन्म मुख्यतया परीक्षा नेद्रित शिक्षा की कोख से हुआ है । उसमे अध्यापन या पढाई पर जोर नही है परीक्षा पर है । जब तक बाह्य परीक्षा की यह कटटरता हावी रहेगी तब तक स्कूल या शिक्षक को स्वातन्त्र्य नही मिलेगा उनमे लचीलापन नही आयगा और इसीलिए कोई परिवर्तन भी सम्भव नही होगा । किसी भी परिवर्तन के लिए अरसर ही न देने की स्थिति अतवस्थता का लक्षण है । यदि हम

हृदय से चाहते हैं और ईमानदारी से चाहते हैं कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा देनी है, तो छात्रों की परीक्षा या मूल्यांकन का दायित्व पूर्णतया शिक्षक को सौंप देना चाहिए। श्री वाइल्टेड ने कहा था कि छात्रों का मूल्यांकन करने की योग्यता अगर किसीमें है तो वह उन्हें पढानेवाले शिक्षक के निवाय दूसरे किसी में नहीं है।

शिक्षा-स्तर की एकरूपता और सादृश्य आदि बातें निरी भ्रमात्मक हैं। सब बात तो यह है कि शिक्षक आज दूषित हो गया है और आत्मविश्वास खो चुका है। यह भाव्य की ही विडम्बना है कि आज स्वयं शिक्षक ही छात्रों के मूल्यांकन का दायित्व स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाता है और न वह चाहता ही है।

लोकतंत्र की शिक्षा में स्पर्धा नहीं, भेदभाव नहीं; समत्व

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मानदण्ड की धारणा आज असा-मयिक हो गयी है। प्रबुद्ध अवस्था में भी मानदण्ड की श्रेणियाँ निर्धारित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि वास्तव्यपूर्ण शिक्षकों या गुरुओं की बात ही अब नहीं रही। वास्तव्यपूर्ण शिक्षकों के विषय में डा० ब्लूम ने जो विश्लेषण किया है उससे मानदण्ड के नये दावे प्रस्तुत हुए हैं। यदि लोगो को लोकतंत्र के लिए शिक्षा देनी है तो हम ऐसा समाज निर्माण करना होगा जिसका आधार स्पर्धा नहीं, सहयोग हो, भेदभाव नहीं, समत्व हो, अन्यथा देश की जैसी प्रगति हम चाहते हैं, वैसी कर नहीं पायेंगे। लोकतंत्र के लिए शिक्षा देनी हो तो, श्री गुडनेड के शब्दों में, शाला का निम्न आदर्श होना चाहिए

“इस प्रकार के व्यक्तियों और ऐसे समाज का यदि निर्माण करना है, तो स्कूलों को मानवीय क्षमताओं के साथ एकरूप होना चाहिए और उनकी वृद्धि करनी चाहिए, भूत और वर्तमान की शालाओं को ही संजाते रहना नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया में छात्रों में जिन गुणों का विकास करना हो उसके सम्बन्ध में उनकी पृष्ठभूमि, स्वभाव और वर्तमान उपलब्धियों के अन्तर का ध्यान रखना चाहिए। इस अन्तर के स्वभाव का जितना जितना परिज्ञान बढ़ता जायगा अध्यापन की समस्याएँ उतनी उतनी आसान होनी जायेंगी।”

१“स्कूल करिक्कुलम एण्ड दि इण्डिविजुअल”—ले० जोन आई० गुडनेड, पृष्ठ १

समवाय-पद्धति : कठिनाइयाँ और उनका निवारण

वशीधर श्रीवास्तव

समवाय पद्धति से गीतना सीखने का प्राकृतिक उग है, पर आज के अध्यापक के लिए यह पद्धति दुरुह हो गयी है। इसका सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि हमारे अध्यापक को किताबों से पढ़ाने की आदत पड गयी है। किताबी शिक्षा उनसे स्वयं पायी है और किताबों के माध्यम से पढ़ाना उसे सरल मान्य होता है। इस पद्धति से पढ़ाने में उसे सोचना नहीं पडता। किमी पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है—'छादमी मर जाना पसन्द करता है, पर सोचना पसन्द नहीं करता।' समवाय पद्धति से पढ़ाने में स्वतंत्र नियोजन और कल्पना की आवश्यकता है। अध्यापक इस श्रम से बचना चाहता है।

कक्षा का बनावटी वातावरण

बच्चा का बनावटी वातावरण भी समवाय के कार्य को कठिन बना देना है। बालक अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में मविधिक ढग से कुछ नहीं सीखता। यह चढ़ना फिरना बोलना चलना और छोटे-मोटे काम करना तो उन लोगों के अनुकरण से ही सीख लेता है, जिनसे वह घिरा रहता है। यही सीखने का आदम अथवा प्राकृतिक ढग है। पर सभ्यता के विकास में एक ऐसा क्षण भी आया जब मनुष्य ने अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से सीखने की इस पद्धति का परिहारा कर मविधिक ढग में कक्षा में बँडाकर लिखने पढ़ने की पद्धति शुरू की। परिणाम यह हुआ कि उत्कार का स्थान अध्यापक ने और यथाथ परिस्थितियों का स्थान कक्षा के बनावटी वातावरण में ले लिया। कक्षा की चार दीवारा के भीतर पढ़ाने की शैली का विकास हुआ और उसीके अनुकूल अनुशासन की कल्पना की गयी। कक्षा के इस अस्वाभाविक परिवार और एक विशेष प्रकार के अनुशासन के वातावरण में समवाय पद्धति का ठीक-ठीक कार्यान्वयन नहीं हो पाता।

सफलता का एक खास कारण

समवाय के अप्रिय होने का एक दूसरा कारण यह भी है कि समवाय में अध्यापक को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है। बालक व्यक्तिगत प्रयोग करने हैं और इस प्रयोग में उनके सामने अनेक व्यक्तिगत समस्याएँ आती हैं। अध्यापक को इन समस्याओं का निराकरण करना पड़ता है। ४० या ४० से अधिक विद्यार्थियों की कक्षा में इन व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने का काम अध्यापक के लिए एक टेढ़ी खीर बन जाता है और वह इन प्रकार की पद्धति से जान बचाता है। आज अध्यापक के पास जो पाठ्यक्रम हैं वे परम्परा और पुस्तक केंद्रित ही हैं। उनमें विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम दिये गए हैं। समवाय के लिए त्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम चाहिए अर्थात् पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विषयों में न बटकर त्रियाओं और उपक्रियाओं में अथवा अनुभव की इकाइयों में बँटा हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम १० जाविर हुसैन समिति भी नहीं दे पायी जिसका परिणाम यह हुआ कि त्रिया को वेद बनाकर समवाय पद्धति से पढ़ाना कठिन हो गया।

बैनिक शिक्षा का पहला पाठ्यक्रम परम्परागत पाठ्यक्रम से बहुत भिन्न नहीं था। उसमें शिक्षा के अलग अलग विषय दिये गये थे यह दूसरी बात है कि उनमें से कुछ नये विषय भी थे। सामाजिक अध्ययन नया विषय था। सामान्य विज्ञान भी नया ही था। उसमें एक से अधिक शिल्प के भी पाठ्यक्रम दिये गये थे और सिद्धान्त की बात कह दी गयी थी कि इन्हीं उद्योगों से और बालक के स्वाभाविक और प्राकृतिक वातावरण में अनुबधित कर स्कूल के दूसरे विषय पढ़ाये जायें। माध्यम स्तर के अध्यापक के लिए यह काम बहुत कठिन हो गया। आवश्यकता इस बात की थी कि प्रयोग कक्षा के बालकों की क्षमता के अनुसार शिल्प की क्रियाएँ और उपक्रियाएँ तथा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण-सम्बन्धी अनुभव की इकाइयाँ निश्चिन की जानी और उनके माध्यम में जिन सैद्धांतिक विषयों का स्वाभाविक शिक्षण हो पाता उन्हें भी लिख दिया गया होता। ऐसा किया गया होता तो समवाय अधिक अच्छी तरह समय में आता। डाक्टर जाकिर हुसैन नमिनि न जो पाठ्यक्रम दिया वह त्रिया अथवा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं था। इसीलिए समवाय माध्यम योग्यतावात अध्यापकों के लिए हीसा बन गया।

यदि बालक की सहज क्रियाओं और उनके अनुभवों को दैनिक माताहिक और मानिक प्रयोजनाओं के रूप में व्यवस्थित कर लिया गया होता और उनके माध्यम में स्वाभाविक रूप से जिन विषयों का जिवना भी अनुबधन

सम्भव होता उम्मे व्यवस्थित ढंग से लिख दिया गया होता तो समवाय का काम पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन न बनता । पर ऐसा नहीं किया गया । फलतः अध्यापक ने अपनी बुद्धि के अनुसार व्यर्थ की हँस टास की । पूरी योजना अथवा उपयोगिता द्वारा समवायित ज्ञान देने के स्थान पर उपक्रियाओं के माध्यम से विषयों का तात्कालिक अनुबन्ध हूँडा गया, जिससे समवाय का रूप ही विकृत हो गया । जब तक शिक्षण क्रिया केन्द्रित नहीं हो जाता, पुराने ढंग के विषय-मूलक पाठ्यक्रमों से समवाय पद्धति के अनुरूप अध्यापन करना पुराने चौखट में नहीं तस्वीर बिटलाना भर होगा ।

समवाय का अर्थ

यह आवश्यक नहीं है कि शिल्प की प्रत्येक उपक्रिया में कोई न-कोई विषय समवायित हो ही । समवाय को व्यक्तिगत पाठा से नहीं, पूरी योजना में देखना चाहिए । अध्यापक को साहचर्य और समवाय (असोसिएशन और कोरिलेशन) के अन्तर को समझना चाहिए । तकली की चक्की गाल है—वृत्त भी गोल है—ऐसी दशा में दोनों में जो साम्य है उसी की चर्चा करके समवाय हो गया, ऐसा समझना भूल है । वृत्त पढ़ाते समय आप तकली की चक्की की बात बता दें अथवा तकली की चक्की को दिखाकर वृत्त की बात स्पष्ट कर दें और वृत्त का ठोस उदाहरण उपस्थित कर दें तो इस साहचर्य को समवाय की प्रक्रिया का पर्याय मानना गलत है । समवाय का अर्थ है क्रिया के बयो वैसे, क्या आदि का सम्यक् विवेचन । जब तक इन प्रश्नों का उत्तर बालक को न मिले, समवाय स्थापित नहीं हुआ । इस प्रकार की गलतफहमी भी सम्यक् समवायित अध्यापन के माग की बाधा रही है ।

समवाय पद्धति की सफलता के मार्ग में एक दूसरी कठिनाई यह है कि स्कूल में शिल्प की क्रियाएँ कराने के लिए समय से बच्चे भाल और शिल्प-सामग्री की पूर्ति नहीं होती । जब तक समय से पर्याप्त बच्चा भाल और शिल्प-सामग्री नहीं दी जाती आपट अथवा हमकी प्रयोजनाओं का सम्यक् अध्यापन सम्भव नहीं होगा ।

शिल्प सामग्री के समुचित वितरण के लिए जगह जगह प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आपट स्टोर (शिल्प भाडार) स्थापित कर देने चाहिए, जहाँ निश्चित भाव पर स्कूला को प्रामाणिक सामग्री मिले । मद्रास, आंध्र और केरल में इस प्रकार के भाडार हैं जिनके सफल संचालन से इन प्रदेशों में वैसिक शिक्षा को बल मिला है ।

सफलता की कुछ शर्तें

समवाय-पद्धति की सफलता के लिए प्रशिक्षित निरीक्षकों की बड़ी आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि बेसिक स्कूलों में समवाय पद्धति में अध्यापन की जाँच के लिए जिन अधिकारियों का निरीक्षण प्राप्त है, उनमें से अधिकांश 'बेसिक ट्रेड नहीं हैं। जब तक बेसिक शिक्षा के दर्शन और टेकनिक में प्रशिक्षित निरीक्षक वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण पथ प्रदर्शन नहीं प्राप्त होता तब तक समवाय पद्धति के अनुसार अध्यापन कठिन होगा। अतः निरीक्षक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए मेवाँत प्रशिक्षण, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना तथा वर्कशाप और सेमिनार आयोजित किये जायें। यह चेष्टा तो सर्वत्र होनी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण के लिए जो भरती हो उसमें बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता मिले।

आजकल बेसिक स्कूलों में जो पाठ्यक्रम प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश विषयानुसार हैं, त्रिमानुसार नहीं हैं। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं का यह काम होना चाहिए कि वे शिल्प तथा वातावरण सम्बन्धित क्रियाकलापों को उपस्थाओं में बाँटकर इनके चारों ओर पाठ्यक्रम के विषयों को चुनकर समवायित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का अनुबन्धित पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। पर यह प्रथम प्रयास था। अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर इस प्रकार का पूर्ण और नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाय। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पर्याप्त लचीला होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत रुचि और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए।

समवाय-पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण की अवधि कम-से-कम दो वर्ष कर दी जाय और बेसिक स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करनेवाली प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश की योग्यता कम-से-कम हाईस्कूल हो।

इन संस्थाओं में बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम का गम्भीर अध्ययन किया जाय, छात्राध्यापकों को त्रिमासिक अनुबन्धित इकाइयों का संगठित बरतना सिखाया जाय। प्रशिक्षण-काल में उन्हें शिल्प में और सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के वैज्ञानिक अध्ययन में पूर्ण दक्षता दी जाय। शिक्षण का अभ्यास भी व्यक्तिगत पाठों के रूप में न देकर समवायित पाठों के रूप में ही दिया जाय। यह भी आवश्यक है कि छात्राध्यापक लगातार १५-२० दिन तक

पूरी नशा को वैसे ही पढायें जैसा मयायं परिस्थिति में होता है। कुछ व्यक्ति गत पाठ दे देना भयवा दो तीन घंटे तक समवायित पाठ पढा देना ठीक नहीं है।

अध्यापक की योग्यताएँ

कई अध्यापक सब सब समवाय पद्धति से नहीं पढा सकते जब तक वह शिल्प की क्रियाओं में पूर्णतः दक्ष न हो और जब तक उनमें अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का पूरा अध्ययन न किया हो। वेमिक रूढ़ि के अध्यापक होने की योग्यता केवल उसीमें है जिसको समवाय के इन तीनों केन्द्रों का सम्पूर्ण ज्ञान हो। अध्यापक को उन राष्ट्रीय विषयों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए जिन्हें बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है।

समवाय का एक केन्द्र बालक का सामाजिक वातावरण है। अध्यापक को इस सामाजिक वातावरण से पूरा परिचित होना चाहिए। आज का सामाजिक वातावरण नित्य नवीन नित्य परिवर्तनशील है। अतः उसे नियम पूर्वक अवधारण और पत्र-पत्रिकाएँ पढना चाहिए जिससे वह अपने और बालक के सामाजिक वातावरण से परिचित रहे। उसने लिए अधिक से अधिक सामाजिक ज्ञान आवश्यक है। समवाय का एक दूसरा केन्द्र वाक्य का प्राकृतिक वातावरण भी है। अतः अध्यापक को इन प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक है।

प्रकृति के नियमों और रहस्यों को समझने के लिए जिज्ञासा और ज्ञान विषयों की आवश्यकता है। अध्यापक को जिज्ञासु और नयी बातें जानने की इच्छा रखनेवाला होना चाहिए।

इसी प्रकार सामाजिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाय। पाठ पढोस के मनुष्यों के जीवन के विषय में, उनके काम धन्धे, उनकी आदतें, उनका आर्थिक जीवन उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, उनके मनोरंजन, उनके सांस्कृतिक कार्य, उनके पालतू पशु-पक्षी सभी के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार जब तक समता के त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सुसम्बन्ध अध्ययन नहीं होता, समवाय का काम ठीक नहीं चलेगा और समवाय बालक के जीवन के हर पहलू को घेर नहीं पायगा।

प्राकृतिक वातावरण उपेक्षित

समवाय के तीन केन्द्रों में शिल्प के प्रशिक्षण के लिए तो कुछ हो भी रहा है परन्तु प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के लिए प्रयास नहीं किया गया

है। इस प्रकार समवाय का दो-तिहाई भाग उपेक्षित है। इन वातावरणों का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा-जोखा बहुत कम हुआ है। रामचन्द्रन् मूल्यांकन समिति ने लिखा है—“उडिया और धारवाड़ के कुछ बेसिक स्कूलों को छोड़कर प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अध्ययन-प्रसंगों को एकत्र करने का काम नहीं हुआ है। अतः तुरत इस बात का प्रयास होना चाहिए। इन वातावरणों का सर्वेक्षण और अध्ययन किया जाय और इस अध्ययन का लेखा जोखा रखा जाय। प्राकृतिक वातावरण में बालक की पृथ्वी से आकाश तक का सम्पूर्ण विज्व ही आ जाता है। भूमि का धरातल, स्थल की प्राकृतिक दशा, मिट्टी की किस्में, मिर्चाई के मायन, ऋतुएँ, फसलें, वृषि, फूल, पत्त, वृक्ष, पौधे, पशु, पक्षी, चाँद, वारे, वायु, अग्नि, अणु में लेकर ब्रह्मांड तक सभी प्राकृतिक वातावरण है और सभी के अध्ययन की आवश्यकता है।

सबसे आवश्यक दृष्ट है कि अध्यापक को नये प्रयोगों और अनुभवों से विषयों को अनुबन्धित करने की दीक्षा दी जाय। कर्म और ज्ञान को सम्बन्धित करने की यह कला अभ्यास से ही आती है। इसके लिए व्यावहारिक शिक्षण की आवश्यकता है। बढई कर्म करता है। उस कर्म में कितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वह नहीं जानता, उसका कर्म यत्रवत् है। उस कर्म के पीछे का ज्ञान भी यत्रवत् है। अध्यापक का दृष्टिकोण जागरूक जिज्ञासु का है, वैज्ञानिक शिक्षक का है और उसे यह दृष्टिकोण सतत अभ्यास से ही प्राप्त होता है।

बेसिक शिक्षण-पद्धति में प्रशिक्षित योग्य अध्यापकों की कमी सफल समवाय के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई है। योग्य अध्यापक का अर्थ यह है कि वह कम-से-कम आज के हाईस्कूल की कोई भी परीक्षा पास हो और उसे कम-से-कम दो साल तक बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों और पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया जाय। उसे कम-से-कम दो शिल्प अच्छी तरह सिखलाये जायें। उसे बालक के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना बतलाया जाय और बालक की शक्ति के अनुकूल जिया-बलायों के चारों ओर विभिन्न विषयों को बुनना सिखाया जाय।

सफल समवाय के सूत्र

कार्य की योजना बनाना सफल समवाय की प्रमुख शर्त है। इन अध्यापकों को पूरे वर्ष के कार्य की योजना बनाना बताया जाय और इस योजना की मासिक और साप्ताहिक इकाइयों में बाँटना सिखाया जाय। अध्यापक इन सारे

ऊपर बताया जा चुका है कि 'योजना बनाना' समवायित शिक्षण का अनिवार्य अंग है। इन योजना बनाने के लिए और इस सम्बन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत के लिए भी टाइमटेबुल में गुंजाइश रहनी चाहिए। इसी तरह योजना के कार्यान्वयन के लिए सामग्री जुटाना आवश्यक है। अतः यह भी टाइमटेबुल का अंग है।

क्षेत्र में बेमिक्त योजना का टाइमटेबुल परम्परागत अध्यापन के टाइमटेबुल से भिन्न होगा और उसमें उन तमाम नयी बातों को स्थान मिलेगा, जिनकी समवायित शिक्षण में आवश्यकता है।

सम्यक् समवायित शिक्षण के लिए उचित, और पर्याप्त साहित्य का होना भी आवश्यक है। पुस्तकें ऐसी हों जिनके पाठ बालकों के क्रिया-कलापों और अनुभवों से सम्बन्धित हों। अर्थात् शिल्पो, और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के क्रिया-कलापों से सम्बन्धित इस प्रकार की तीन चार छोटी-छोटी पुस्तकें प्रत्येक कक्षा के लिए आवश्यक हैं, जिनमें भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित वानें उन्हीं क्रिया-कलापों के माध्यम-द्वारा सिखायी गयी हों।

इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र अथवा समाज-शास्त्र, जिन्हे प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के माध्यम के स्वाभाविक ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता, उनके लिए अलग पुस्तकें हों। यह समझना कि पुस्तकों से शिक्षा का बोझ बढ़ जाता है, गलत है। बालक के जीवन और उसके क्रिया-कलापों से सम्बन्धित दस पुस्तकों का बोझ उतना नहीं होगा जितना अस्म्बन्धित दो पुस्तकों का, जिनमें सग्रहित सूचनाओं को उसे रटकर ही स्मरण करना है। इस प्रकार की पुस्तकें तो समवायित ज्ञान को सुसम्बद्ध और संपटित करने की माध्यम है। परन्तु खुद में उनका महत्व नहीं है और अध्यापन को उन्हीं तक सीमित करना ठीक नहीं है। ये पुस्तकें तो क्रिया और अनुभव की सहायक हैं। उनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है पर गौण है। प्रमुख स्थान तो बालक की अपनी क्रियाओं और अनुभवों और अध्यापक के विवेचन का ही है।

इन प्रकार की पुस्तकों का आज अभाव है। इन शिक्षा-विभाग को उपयुक्त पुस्तकें तैयार करने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापकों की वर्षशाप आयोजित करनी चाहिए। बेमिक्त प्रशिक्षण संस्थाओं को भी इस प्रकार का साहित्य तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस काम के लिए उनको सुविधाएँ दी जायें और साहित्य तैयार करने का यह काम इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम का अंग बना दिया जाय। •

कुमार मन्दिर के दो घंटे

वाली प्रसाद 'आलोक'

[कुमार मन्दिर के पहले घण्टे का विवरण 'नयी तालीम' के पिछले अंक में प्रकाशित हुआ है। दूसरा घण्टा यत्र स्वावलम्बन से सम्बन्ध रखता है, जो यहाँ प्रस्तुत है।—स०]

'मनुष्य की अनेक अनिवाय आवश्यकताएँ होती हैं जिनमें प्राथमिकता के क्रम से भोजन व बाद दूसरा स्थान वस्त्र का भाता है। इन अनिवाय आवश्यकताओं की सम्पूर्ति स्वावलम्बन के आधार पर करना हर दृष्टि से जरूरी होता है। एतदर्थ बड़ी-से बड़ी कठिनाई भी यदि उठानी पड़े, तो उठायी जा सकती है।' इसी भाव बोध के प्रकाश में कुमार मन्दिर आगे बढ़ रहा है।

वस्त्रोद्योग यहाँ का मूलोद्योग है। वर्षाकाल में नित्य दो घंटे और अन्य मौसम में नित्य एक घंटे का समय इसमें दिया जाता है। जैसे भोजन, सफाई आदि कार्य अनिवार्य रूप से रोज किये जाते हैं, उनमें कोई विशेष नहीं आता, उसी प्रकार उद्योग का कार्य भी नित्य निर्बाध चलते रहना चाहिए, यह आवश्यक है। यह हमारे दैनिक जीवन में अपना प्रमुख स्थान बनाए, हम इसे अपनी श्रद्धा और प्रतिष्ठा दें, यही इसका भाव है। इसी कारण अवकाश के दिनों में भी उद्योग का काम बन्द नहीं रहता, अपितु चलता रहता है। अवकाश के दिन अन्य कार्यक्रमों में से थोड़ा थोड़ा समय लेकर उद्योग के मम को बढ़ा दिया जाता है। इस कारण छुट्टी के दिन अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक काम होता है।

कथानुसार छात्रवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित रहता है। लक्ष्य निर्धारण में इसका ध्यान रखा जाता है कि छात्रों पर दबाव न पड़े, हँसते-खेलते घञ्चे अपने लक्ष्य पूरे कर सकें। इसलिए बच्चों की सामान्य गति का मध्यमान लेकर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हर प्रक्रियाओं के लक्ष्य-निर्धारण में बच्चों की राय विशेष काम करती है। मसलन, जितनी बच्चे की गति सामान्य तौर पर यदि १०० तार प्रतिघंटा है, तो उससे ही पूछा जाता है कि वह वष भर में कितना कम-से कम कात लेगा। हिसाब लगाकर वह बतलाता है कि वर्षाकाल के ३ महीनों में नित्य दो घंटे से १८ गुण्डियाँ और अन्य मौसम में नित्य एक घंटे से २४ गुण्डियाँ, कुल ४२ गुण्डियाँ कात लेगा। सहज ही वह अपने लिए ४० गुण्डियों का लक्ष्य ठग कर लेता है और लिखा देता है। कक्षा के हर

छात्र का ऐसा ही अलग अलग लक्ष्य लेकर उसका मध्यमान निकालने ह ।
 वी उस व र रा का वार्षिक लक्ष्य होता है । इसमें हर छात्र की सहमति होना
 है । किसीको दवाव या परेशानी मत्सूत नहीं होती ।

दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना होता है कि बच भर में लगनवाल कपडा
 क लायक मूत का उत्पादन अवश्य ही हो अ यथा कठिनाई पैदा होगी । बाजार
 में कपडा खरीना नहीं जाता । अत आवश्यकता के अनुसार मूत का उत्पादन
 पहरी होता है । ऊंची कक्षाओं में इसके लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की
 जाती है—ममय और साधा की सुविधा दी जाती है—गति में निरन्तर वृद्धि
 होनी जाय, इसके लिए हर सभव प्रयत्न किये जाते है । (यहाँ यह ज्ञातव्य है
 कि मन्दिर का छात्रालय पूरी तरह स्वावलम्बी है ।)

नीचे की कक्षाओं में उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं की गति और गुणों की
 वृद्धि पर ही बल दिया जाता है जब कि ऊंची कक्षाओं में प्रक्रियाओं के सिद्धांतिक
 ज्ञान के साथ गति और गुण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है । हर
 प्रक्रिया की हर पहलू से जानकारी दी जाती है । जहरी साधनों का उपयोग
 उनके निर्माण उन पर होनेवाले व्यय और उनके गुणों की जानकारी दी जाती
 है । उन साधनों की लम्बाई चौड़ाई और मोटाई का उहे ज्ञान होता है ।
 प्रश्नोत्तरो द्वारा उस ज्ञान काया को परिपुष्ट किया जाता है और प्रत्यक्ष काय
 द्वारा उसे सवारा जाता है । जैसे —कटाई कपो करना कैसे करना कब करना,
 कौन कौनसी उसकी भांगिक क्रियाएँ है उनमें क्या-क्या सावधानियाँ रखना
 साधना की व्यवस्था कैसे करना उहे सुरक्षित कैम रखना आदि आदि ।

माल भर उद्योग के जो काम बच्चे करते है उनका लेखा सम्बन्धित शिक्षक
 तो रखने ही है लेकिन कक्षा ३ स लेकर ८ तक के बच्चे भी रखते है । वे दैनिक
 और वार्षिक—दोनों प्रकार से लेखा रखते हैं । किस बालक ने कब क्या काम
 किया कितना काम किया कितने समय तक काम किया महीने भर में कितना
 काम बच भर में कितना किया आदि बातों का स्पष्ट और सुन्दर लेखा उनकी
 उद्योग-बहियों में देखा जा सकता है । सम्बन्धित शिक्षक समय-समय पर
 इनकी चीफ्स देख रख रखते हैं । अपने काम का मूल्यांकन भी बच्चे स्वय ही
 करते है जिसमें उहे अपने काम का अन्दाज हो जाता है ।

उद्योग की सभी आवश्यक व्यवस्था बच्चे ही करते हैं । सफाई सजावट,
 साधनों की दुस्ती साधना की व्यवस्था सेन देन का हिसाब आदि काय के
 प्रत्यक्ष अपनी रचि और जिम्मेदारी से करके सहज ज्ञान प्राप्त करने है ।

आश्रम की सामूहिक प्रार्थना में छोटे-बड़े सभी को उपस्थित रहना और अपने-अपने काम का विवरण देना जरूरी होता है। बच्चे भी जितना काम करते हैं, शाम को प्रार्थना में बताते हैं।

कताई बुनाई चूँकि मुख्य उद्योग है—यही यहाँ का शिक्षाधार है, इस कारण वक्षायत प्रगति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ५० प्रतिशत प्रामांक घाने पर ही छात्र उत्तीर्ण माने जाते हैं तथा उद्योग में उत्तीर्ण होना जरूरी होता है।

शाला की प्रार्थना के बाद का यह 'उद्योगवाला घंटा' मन्दिर का दूसरा घंटा होता है। बच्चे उद्योग में रत रहते हैं, अतः उन्हें प्रेरित करते रहने के लिए समयानुकूल मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। वर्षाकाल में, जब उद्योग की अन्य प्रक्रियाएँ नहीं हो पाती, तो दो घंटे की कताई ही निरय चलती है, तब ऋग्वेद के मंत्र बोले जाते हैं —

“तन्तु तन्वन् रजसो भानुमन्विहि
ज्यातिष्मतः पयो रक्ष धिया कृतान् ।
अनुत्बण वयत जोगुवामपो
मनुभवं जनया देव्य जनम् ।” (१०-५३-६)

“भूत बनाकर उस पर रग चढाओ। उसको खराब न करते हुए कपड़े बुनो। विचारशील बनो। सुप्रजा निर्माण करो। तेजस्वियों की बुद्धि द्वारा निश्चित हुए मार्गों का रक्षण करो। यह कवियों का ही काम है।”

इन मंत्रों को सब बच्चे डुहराते हैं और फिर कताई शारम्भ होनी है। यह कताई पूरे दो घंटे के लिए होती है। पहला घंटा मौन कताई का रहता है। मनन-चिन्तनपूर्वक पूरी गति से काम करना ही इस घंटे का मुख्य लक्ष्य होता है। इस पहले घंटे में मनन चिन्तन को पोषण देने के लिए प्रेरक साहित्य का वाचन होता है। कताई-बुनाई के बारे में गांधीजी के विचार, विनोबाजी के विचार, ऋग्वेद के विचार तथा विविध ग्रन्थों में से अवतरण पढ़े जाते हैं। गांधीजी कहते हैं—“कातो, समझबूझकर कातो।” वेद कहता है—“मा तन्तुष्येदि षपतो धियं मे, मा मात्रा धार्यपस पुर क्रनो. ॥” (२-२८-५) “मैं बुद्धिपूर्वक कपड़ा बुनता हूँ। मेरा सूत न टूटे। समय के पूर्व कार्य का परिणाम शीघ्र न हो।” इन बुद्धि से उद्योग का काम करना चाहिए। विनोबा कहते हैं—“स्व-देशी का ही प्रयोग होना चाहिए। स्वावलम्बन ही आधार होना चाहिए। स्वदेशी और स्वावलम्बन के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना कैसी?” वेद कहता

है—'स्वदेशी कपडा (वप निर्णय) पहननेवाला बीर, आत्माभिमानो, दान-शील और तेजस्वी होता है। स्वावलम्बन के आधार पर जीवन बितानेवाला महद्बल को जानता है। 'यो विद्यात् सूत्रम् विततम् सूत्रम् सूत्रस्य च, सविद्यात् ब्राह्मणम् महत् ।' गांधीजी ने सूत्र कतने को यज्ञ कहा है। वेद भी इसे 'यज्ञ' ही कहता है। उद्योग करनेवाला शिवाइ इस यज्ञ का अश्वयु (होता) होता है और उद्योग करनेवाला उमका यज्ञमान। वेद का यह मंत्र देखिये — 'यो यज्ञो विश्वत तन्तुभि तत एकसतम् देवकर्मभिरायत। इमे वयन्ति पितरो य आययु प्र वयाप वयत्यासते तते ।'—' जो यज्ञ तन्तुओं द्वारा फैलाया गया है, एक से एक दिव्यकर्ताओं द्वारा विस्तृत किया गया है उसके ये रक्षक (शिक्षक) ताने के साथ बँठते हैं और कहते हैं भागे बुनो और पीछे का ठीक करो।' और इस प्रकार एक-से एक प्रेरक वाचन चलता रहता है। इसके बाद बच्चे अपनी मोन साधना भजन धुन के साथ पूष कर दूसरे घटे की कटाई करते हैं। अत मे राष्ट्रीय धर्मों के साथ बच्चे अपने इस सूत्रयज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं।

वर्षाकाल मे अधिक कनाई के पीछे एक विशेष हेतु भी है। स्वावलम्बन की सिद्धि के लिए यह हेतु काफी उपादेय है। यह परंपरा कायम की गयी है कि इस यज्ञ के प्रेरक राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की जन्म-अन्य-सख्या के अनुसार ही अगली जन्मतिथि से उतने ही दिन पूर्व से सधन कटाई की जाय। यदि सन् '६८ मे गांधीजी की १०० वीं जयन्ती पड़ेगी, तो जयन्ती दिवस २ अक्टूबर से १०० दिन पूर्व से ही सधन कटाई हो और यह सधन कटाई स्वावलम्बन की सिद्धि में बड़ी सहायक होती है। प्राय सधन कटाई के दिनों मे ही इतना सूत्र कत जाता है कि भागे यदि कटाई न भी हो तो कोई ख़ास चिन्ता नहीं रहती। और प्रत्यक्ष अनुभव भी यही मिला है कि बच्चे कटाई के लक्ष्य प्राय इन्हीं दिनों मे पूर्ण कर लेते हैं। इसी कारण बाकी दिनों मे कटाई नहीं करके या कम करके उसकी अन्य प्रक्रियाओं मे अधिक जोर लगाते हैं।

पुन जयन्ती-वय-सख्या के मान से उतने घटो का अलएड सूत्रयज्ञ भी आयोजित किया जाता है। कते सूत्र का कपडा बच्चे को दिया जाता है।

अथ मौसम मे कपास की बोआई बुनाई से लेकर बुनाई तक का सारा काम होता है। कटाई पर जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले ही इस पर जोर दिया जा चुका होता है। इन दिनों सामान्य रूप से जितनी बुनाई सहज ही हो जाती है वही काफी मान ली जाती है। गति और गुण विकास की दृष्टि से कटाई की अन्य प्रक्रियाओं—कपास की सफाई, छोटाई, बुनाई, पुनाई, पुनाई,

बुनाई पर विशेष जोर दिया जाता है। उद्योग के प्रारम्भ में 'भोम सह नाववतु, सह नौ भुनवतु, सहवीर्यम् करवावहै। नेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। भोम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।' मंत्र अवश्य ही बोला जाता है।

हर छात्र की कक्षानुसार लक्ष्य-तालिका, गति-तालिका और कार्य-तालिका सुन्दर अक्षरो में लिखकर उद्योग-कक्ष में लटका दी जाती है। बच्चों को निरन्तर उत्साहित करते रहने के लिए और काम में मजबूती कायम रखने के लिए आवश्यक जानकारी और सूचनाएँ अलग-अलग फलकों पर लिखकर वहाँ टँगी होती हैं। जैसे—'शान्त और एवाग्रचित्त होकर काम कीजिए,' 'हमेशा अच्छी बातें सोचिए,' 'निरन्तर अपनी गति बढ़ाइए,' 'कतार में बैठिए,' 'अपना लक्ष्य पूरा कीजिए,' 'ठीक समय पर उपस्थित होइए,' 'स्वस्थ चित्त से कानिए,' 'नमस्कृत्यकर कातिए,' 'अपने साधन हमेशा साफ और तैयार रखिए,' 'गुण्डियाँ इस प्रकार बनाइए,' 'घोटाई करते समय इन बातों की सावधानी रखिए,' 'अच्छी पूनी इस तरह बनाइए,' 'पीन अच्छा लाने का प्रयत्न कीजिए,' 'अपनी जगह साफ करके ही उठिए,' 'बचरा बचरापटी में ही डालिए,' 'इधर-उधर दूटन, पूनी, रुई, या कपास मत फेंकिए,' 'अपना लेखा सदैव तैयार रखिए,' 'लेखा साफ-सुन्दर अक्षरो में लिखिए' आदि-आदि।

अपने प्रयोग के इन नौ वर्षों में कुमार मन्दिर ने उद्योग में कितनी प्रगति की है, इसके लिए सन् १९५६ से अप्रैल १९६८ तक की संलग्न तालिका देखिए—

वर्ष सम्	साफाई वजन किलो में	घोटाई वजन किलो में	तुनाई वजन किलो में	धुनाई वजन किलो में	पुनाई वजन किलो में	कताई गुण्डियाँ
१९५६	—	—	—	—	—	५७६
१९६०	१००	८८	—	६	५	१३०४
१९६१	६५	६१	—	४	२५	१४६५
१९६२	७०	६०	—	८	१५	१४१८
१९६३	१५	६	—	—	१०	२२७४
१९६४	१३५	१२३	३	५	५	२१४७
१९६५	११७	६४	२४	५४	७०	२१६१
१९६६	१३२	८६	१४	४	६७	२४३६
१९६७	३११	१८८	७८	८८	८८	२३२८
१९६८	११०	१२२	३०	१६	१५	१६१
कुल	१,०५५	७८४	१४६	१८४	३००	१७,३००

एक शिक्षा-दर्शन की आवश्यकता

डा० निभुवन श्रोभा

इतना तो सभी शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि आज की हमारी शिक्षा सैद्धांतिक ही अधिक है और इसका एकमात्र लक्ष्य है उपाधि प्राप्त करने नौकरियों में लगना। सैद्धान्तिक शिक्षा पुस्तकों की होनी है जब कि व्यावहारिक शिक्षा क्रियाशीलता और नव निर्माण की। व्यावहारिक शिक्षा केवल वही नहीं जो व्यवहार या कार्य द्वारा दी जाय, बल्कि सच्चे अर्थों में वह है जो पुनः कार्य-निर्माण में लये और व्यवहार में उतरे। शिक्षा का व्यावहारिक अथवा बुनियादी दर्शन यही है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम प्रकार समझ सकते हैं। विद्यालय से विश्वविद्यालय तक विज्ञान और टेक्नोलोजी की शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार या प्रयोग द्वारा दी जाती है। अपनी प्रयोगशाला और शिक्षण-शालाओं में विद्यार्थी विविध उपकरणों, सामग्रियों के सहारे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसके बाद भी वे अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग निर्माण-कार्य में कर रहे हैं? जब तक इस ज्ञान का भी लक्ष्य नौकरी मात्र ही रहेगा तब तक इसे भी हम व्यावहारिक शिक्षा नहीं कह सकते हैं। आज देश की शिक्षा, चाहे वह मानविकी विषयों की हो या विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की, उसमें व्यावहारिक दर्शन और दृष्टि दोनों का अभाव है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्य-व्युत्पन्न होती जा रही है। हम जैसे अंधेरे में भटक रहे हैं, निराशा, कुएठा, असतोष के शिकार बनकर।

सवाल यह नहीं कि देश में कितने विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले या कितने रुपये किस ढंग से खर्च किये जा रहे हैं। महत्त्व का प्रश्न यह भी नहीं है कि आज की शिक्षा हममें से कितने को रोजी-रोटी और नौकरी देने में समर्थ हुई। मुख्य सवाल तो यह है शिक्षा ने हमारा सर्वांगीण विकास किया या नहीं, जीवन के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण बदला या नहीं और अन्ततः इस शिक्षा से अर्थ की मर्यादा पहचानने की क्षमता हममें उत्पन्न हुई या नहीं। कृषि-क्षेत्र में खेती, खेती-हर, बीज, मजदूर और उद्योग के क्षेत्र में समस्त साधनों और सम्भावनाओं के बावजूद देश अभी तक आत्म-निर्भर न हो सका तो इसका मुख्य कारण यही है कि इन दोनों क्षेत्रों में लगे हुए लोगों के सम्बन्ध स्वयं आपस में नहीं सुधरे।

खेती या उद्योग के बारे में और उनमें लगे वर्गों के भावपत्नी सम्बन्धों और शेष सामाजिक व्यवस्था से उनके अतिसम्बन्धों के बारे में एक खास वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण जय तक नहीं आता तब तक न उत्पादन बढ़ सकता है और न उत्पादक शक्तियों का आधुनिकीकरण ही हो सकता है। यह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा पर निर्भर करता है और मैं वेदिकक स्वीकार करता हूँ कि आज की शिक्षा हमारे दृष्टिकोणों को बदलने में बिलकुल असमर्थ रही है। जब तक खेती खेतीहर से नौकरी और नौकरी करनेवाला श्रेष्ठ समझा जायगा तब तक देश का पढ़ा लिखा, नामधारी डाक्टर शिक्षक, शिक्षाशास्त्री, इंजीनियर गाँवों की और नहीं मुड़ सकता है।

शिक्षा की अव्यावहारिकता का ही अनिवार्य दुष्परिणाम है कि इस देश में शिक्षितों की बे रोजगारी और एक प्रमुख सवाल हो गयी। शिक्षित लोग गाँवों में रहकर खेती में काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें वैसी शिक्षा तो मिली ही नहीं है। नौकरियाँ भी रुचि और योग्यता के अनुसार हमेशा नहीं मिल पाती हैं। फल होता है कि उनमें कुएँ, घुटन और असतोष घर करने लगते हैं और उससे असामाजिक तत्वों—जैसे अनुशासनहीनता हिंसात्मक आन्दोलन का जन्म होता है। इस प्रकार देश की बहुत बड़ी जन-संस्था की योग्यता का उपयोग राष्ट्रीय हितों में नहीं हो रहा है।

विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता असतोष निराशा और विध्वंसक उग्र प्रवृत्तियों का मुख्य कारण उनकी शिक्षा की लक्ष्य हीनता है। वे अपना भविष्य अधकारमय देख रहे हैं। कहीं से भी उन्हें सहारा, आश्रय और आलवन मिलने की आशा नहीं है न सरकार से, न परिवार से, और न समाज से। वे देख रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे आदमी—अपारधी, ठेकेदार नेता—लाचों-कमा लेते हैं तो वे पढ़े लिखकर क्या करेंगे। शिक्षा समाप्त करने के बाद जीवन में उनके सामने कोई ठोस कार्य क्रम नहीं रहता है।

वस्तुतः यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह सकती है। यह स्थिति चिन्ता-जनक तो है लेकिन परिणाम में शुभ है। हृदय से ज्यादा बेकारी हो जाना ही बेकारी का हठ होगा। एक बहाव है हृदय का हृदय से गुजर जाना ही उसकी दशा है। अतः देश कायगा क्या? याने के लिए तो अन्न चाहिए ही। अन्न मारकर शिक्षितों को अन्न की मर्यादा पहचाननी ही पड़ेगी और शिक्षा की पुरानी सीक छोड़कर महात्मा गाँधी के बुनियादी शिक्षा के माग को अपनाया पड़गा। •

उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल

[दिनांक १४-७-६८ की बलिया में उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षाविदों की गोष्ठी आचार्यकुल की स्थापना के मद्दर्भ में दिनोवा के सात्रिष्य में हुई। उक्त गोष्ठी की सक्षित कार्यवाही यहाँ प्रस्तुत है।—स०]

प्रारम्भ में आचार्यकुल-गोष्ठी के अध्यक्ष-पद के लिए श्री करण भाई ने बानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, आचार्य जुगुल किशोर का नाम प्रस्तावित किया। इसके बाद श्री वशीपर श्रीवास्तव ने गोष्ठी में भाग लेनेवाले उपकुल-पतियों, डिग्री कालेज के प्राचार्यों और अन्य शिक्षाविदों का स्वागत किया और आचार्यकुल की योजना की एक सक्षित जानकारी प्रस्तुत की। आपने आचार्य-कुल की सक्त्पना के चार मुख्य लक्षण बताये

- (१) शासनमुक्त शिक्षा,
- (२) दलगत राजनीति-मुक्त शिक्षा,
- (३) अध्ययन अध्यापन की सुदृढ नींव,
- (४) नैतिक शक्ति के निर्माण द्वारा अशान्ति का शमन।

आपने कहा कि इन्हीं चार लक्षणों के चौखटे के भीतर गोष्ठी को आचार्य-कुल का निर्माण करना है। लेकिन यह लक्ष्मण-रेखा नहीं है। विद्वत्-वृन्द इससे बाहर जाकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

आचार्य जुगुल किशोर :

आज की परिस्थिति में शिक्षकों को सोचना होगा कि उनका क्या वर्तव्य है। पुराने समय में शिक्षकों का बड़ा ही ऊँचा स्थान था। परन्तु आज वह स्थान दूषित हो गया है। शिक्षकों की मान्यताएँ आज बदल गयी हैं। आज की जो नयी मान्यताएँ हैं, उन पर सोचना चाहिए। नयी मान्यताओं को हम अपने जीवन में हासिल करें और शिष्यों में तथा समाज में इसका प्रचार करें। नयी मान्यताओं के आधार पर ही नया समाज बन सकता है, और दोष दूर किये जा सकते हैं। अश्रेय दिनोवा ने जिक्र किया है कि शिक्षण-संस्थाएँ शासनमुक्त हों। लेकिन जब तक शासन है, तब तक उससे बिलकुल मुक्त होना सम्भव नहीं लगता। समाज बदल जाय, आमदान के अनुसार संगठन हो, तब शिक्षा शासन-मुक्त हो सकती है और शिक्षक ज्यादा स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।

आज समाज में शोषण की शक्तियाँ भी बढी हैं। उन्हें भी दूर करना है।

जनशक्ति को बढाने के लिए २० वर्षों में कुछ भी प्रयत्न नहीं हुए, लोकतंत्र कमजोर हुआ। अधिकारों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज शिक्षा बढ रही है, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ रही है। इस भ्रष्टाचार और हिंसा को सतम करना होगा। नये समाज का निर्माण हमारे अन्दर से ही होगा, बाहरी परिस्थितियों से नहीं।

विनोबा :

मुझे कोई खास लम्बा प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं। इस बारे में कई भाषण कर चुका हूँ बिहार में। इसकी छोटी सी पुस्तिका बनी है, वह आपको मिली होगी। जिन्हें वह न मिली हो, वे प्राप्त कर सकते हैं।

इसकी कल्पना कैसे उदित हुई, इसका विवरण इस पुस्तिका में थोड़े में आया है। बिहार में आचार्यकुल की स्थापना हुई है, यहाँ भी आप स्थापना करना चाहते हैं। अच्छा है। पूरे भारत में इसकी स्थापना होनी चाहिए।

इसमें छोटे शिक्षक का भी समावेश हो, इस तरह का प्रश्न उठा। इस पर मैंने सोचने की आवश्यकता महसूस की। मैंने सोचा भी है। वह आपके सामने रखता हूँ। 'आचार्य' शब्द शकर, रामानुज आदि के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे नीचे सर्वसामान्य शिक्षक के लिए भी 'आचार्य' का इस्तेमाल हुआ है—'मातृ देवी भव, पितृ देवी भव, आचार्य देवी भव।' इस तरह माता और पिता के बाद शिक्षक के लिए 'आचार्य' शब्द का इस्तेमाल हुआ। आचार्य कहते हैं कि विद्यार्थियों को हमारे जो मुचरित होंगे, उनकी उपासना करनी है, भ्रष्ट की नहीं। आचार्य हो गये तो गलत काम करते नहीं, ऐसा नहीं। भ्रष्टे काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं। लेकिन अनुकरण भ्रष्टे काम का करना है, जो सर्वमान्य है। गलत काम का अनुकरण नहीं करना है।

तो मैं कह रहा था कि 'आचार्य' शब्द पुराना है, और व्यापक अर्थ में इसका उपयोग हुआ है। इसलिए इसकी ही मानना ठीक होगा, 'शिक्षक' शब्द को नहीं। क्योंकि शिक्षक का मतलब तालीम देना ही होता है। अंग्रेजी में शिक्षक के लिए 'टीचर' शब्द का इस्तेमाल हुआ। 'टीचर' यानी 'टीचो' यानी। यह नया शब्द है, बनाया हुआ शब्द है। 'टीचना' यानी शिक्षाना।



शाचार्यकुल गोष्ठी में बोलते हुए विनोबाजी, अध्यक्ष हैं कानपुर
विरवविद्यालय के उपकुलपति आचार्य जगुल किशोर

अध्यापक दो प्रकारों हैं लनिग और टीचिंग । हमारे यहाँ किसी भी भाषा में 'टीचिंग और लनिग अलग अलग नहीं है । टीचिंग शब्द ही नहीं 'लनिग ही लनिग है । हम शिक्षकों की विरादरी नहीं बनानी है । शिक्षकों की विरादरी तो सारा समाज है । आचार्यों की विरादरी इससे भिन्न है । बिहार में भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पटना यूनिवर्सिटी ने इसे मान्य किया है ।

आचार्यकुल को परपरा बहुत ही उज्ज्वल है। उसकी शक्ति बढ़ानी है।
 जिन्नाक्षेत्र में भी यदि 'पार्टीपार्लियमन' चलेगी—विद्यालय ही इस पार्टी में
 और उस पार्टी में जाय और इतना नीच बित्तन चने तो हम हीन बनते हैं
 दान बनते हैं। पुराने समय में आचार्यों पर किसी का अकुण चलता ही नहीं
 था। कृष्ण को गुरु के पाम भेजा। (डिग्री की भी जरूरत है न ?) गुरु
 ने उसे एक दरिद्र ब्राह्मण के साथ एक कमरे में रखा। दोनों को जंगल
 से ञ्कड़ी लाने का काम दे दिया। कहीं एक राजा का बेटा कहीं एक गरीब
 ब्राह्मण का बेटा। यहाँ की शिक्षा पद्धति पर सन्नोटो का अकुण नहीं था।
 जो गुरु देगा वह शिक्षा। गुरु की सेवा करके बचे समय में शिक्षा। गुरु की
 वह हैमियत आपको प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार 'दाय विभाग शासन से
 और राजनीति से स्वतंत्र है उसके अकुण से मुक्त है उसी प्रकार शिक्षा
 विभाग को भी अलग होना चाहिए। आप राजनीतिज्ञों से कह दें कि वे
 राजनीति को शिक्षा-संस्थाओं से बाहर करें। बाहर उनके लिए बहुत जगह
 है। आप पणमुक्त राजनीति को मानेंगे। पणमुक्त राजनीति ही लोकनीति है।
 राजनीति का अण्पयन करने राजनीति में पड़ने नहीं।

आचार्यकुल व लिए आप अपने वेतन से कुछ हिस्सा इकट्ठा करें। एक
 आफिम हो। इस काम के लिए एक आदमी रहे। आप समय-समय पर मिलते
 रह। बीच-बीच में परिपद् और उपनिपद् कर। जब शिक्षक इकट्ठे होंगे
 तब वह परिपद् होषी। लेकिन जब नजदीक बठकर चर्चा करेंगे वह उपनिपद्
 होगी। उपनिपद् यानी नजदीक बठकर चर्चा। उसमें लाउड-स्पीकर नहीं
 होगा। भारत और विश्व में जो समस्याएँ पैदा होंगी उन पर आप अपनी
 एकमत राय दें। जहाँ एकमत नहीं उसे चर्चा करके छोड़ दिया जाय।
 और जिस पर एकमत हो उस व्यक्त किया जाय।

बाबा ग्रामदान के काम में लगा है। इसमें आपकी सहायता चाहिए।
 आप गाँव-गाँव में जाकर विचार फैलायें। बाबा आचार्यकुल के लिए अपने
 को जिनना अधिकारी मानता है उतना ग्रामदान के लिए नहीं मानता। बाबा
 बचपन से आज तक अण्पयन ही करता रहा है।

फिर बाबा ने ग्रामदान का काय क्यों उठाया ? इसलिए कि यह कस्तु
 काय है। वह नहीं हुआ तो आचार्यकुल भी खत्म ! भ्रम ब्रह्म। जब भ्रम कम
 होगा तो कन्ह होगा भाईवारा खम होगा प्रम नहीं रहेगा। इसीलिए भ्रम
 बढ़ाने का काम बाबा कर रहा है।

बाबा आपको अपनी शक्ति इस नाम में, उतनी देगा जितनी आप चाहेंगे ।
 'तक्षण शान्ति-सेना का काम भी इन लोगों ने उठाया है । उसमें उन्न
 की भी कुछ मर्यादा है । शिक्षक इस काम को कर सकते हैं । आपको इसमें
 सहयोग देना चाहिए । सबको प्रणाम । जय जगत् ।

श्री राजाराम दाश्री :

विनोबाजी के भाषण से हमें स्फूर्ति मिली । इसमें कोई मतभेद हो नहीं
 सकता । समस्या है कि शिक्षा को सरकार से स्वतंत्र कैसे कराये ? विनोबाजी
 ने न्याय से तुलना की । यह तुलना एक हृद तक सही है । परंतु आज जिन
 स्थिति में शिक्षक हैं उसमें उसका हाथ सरकार को बनाने में, उससे पैसा लेने
 में, शिक्षा पद्धति को लेकर उससे सम्बन्धित होता है । इस स्थिति में किसी
 प्रयोग की गुञ्जाइश नहीं रह जाती है । जब तक सरकार की मजूरी नहीं
 होती, तब तक कुछ होता नहीं । मान्यता के आग कुछ चलता नहीं । विद्यार्थी
 को धधा चाहिए, वह बिना मान्यता के मिलता नहीं । उसे प्रमाण पत्र
 चाहिए ।

शिक्षा प्रान्तीय विषय है या केन्द्रीय विषय ? केन्द्र को निर्देश देने का
 अधिकार है, लेकिन लागू करने का अधिकार है राज्य सरकारों को । इस पर
 स्वयं शिक्षा महकमा में खीचातानी है ।

शिक्षा सरकार से मुक्त हो तो सन्देह नहीं कि शिक्षक का स्तर ऊँचा हो
 और उसकी प्रतिष्ठा बढ़े । आज तो शिक्षक पर से विश्वास उठ गया है ।
 परीक्षाओं में बाहर से निरीक्षक बुलाये जाते हैं ।

श्री रोहित मेहता :

शिक्षा के बारे में विनोबाजी ने जो मागदर्शन हमें दिया, उन पर चर्चा
 शुरू हुई है । हमें सोचना है कि कैसे हम शिक्षा में फक कर सकते हैं । यदि
 भारत में २० वर्ष में कुछ नहीं हो सका तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है
 कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया । शिक्षा के क्षेत्र में जब तक
 परिवर्तन नहीं आया, तब तक आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन नहीं आ सकता ।

हमें साचना है कि हम किस दिशा में जाना है । विनोबाजी की बतायी
 हुई दिशा में जाना है या नहीं ? अगर इसको तय किया बिना समस्याओं को
 कायमना पर सोचेंगे तो उलझ जायेंगे ।

हम प्राचार्यकुल की स्थापना करना चाहते हैं - बिहार और बम्बई के
 सवल्प पत्र हमारे मामले हैं । दोनों को मिलाकर हमें कुछ दिशा मिलेगी ।

लेकिन केवल सकल्प-पत्र से कुछ नहीं होगा। इसमें 'निगेटिव' कन्टेन्ट है, 'पॉजिटिव कन्टेन्ट' चाहिए।

राजनीति और सासन से शिक्षा को तो मुक्त होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा-मस्थानों के अन्दर के वातावरण को भी राजनीति से मुक्त करना होगा।

जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें आचार्यकुल की व्यापक व्याख्या करनी होगी। उपनिषद् में 'इष्टीप्रोटेड' शिक्षा की चर्चा की गयी है। आज भी हम 'इष्टीप्रोटेड' शिक्षा की बात करते हैं।

विज्ञान और अध्यात्म का आचार्यकुल में समावेश होना चाहिए—दोनों का मिलाजुला आचार्यकुल। अगर ऐसा नहीं होगा तो शिक्षा में हम बहुत आगे नहीं जा सकेंगे। शिक्षा जीवन में अलग नहीं है। शिक्षा की दृष्टि और जीवन की दृष्टि हम अलग नहीं कर सकते।

मूल्य-परिवर्तन करना है। कौन करेगा? आचार्यकुल करेगा, लेकिन वह आचार्यकुल, जो व्यापक होगा।

आज का युग गतिप्रधान है, लेकिन गति के साथ दिशा अवरुद्ध है। राजनीतिवाले गति दे सकते हैं और आचार्यकुल के द्वारा दिशा मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल की स्थापना करके शिक्षा में परिवर्तन की कोशिश हम करें। लेकिन यह तब सम्भव है, जब विनोबा ने जो दिशा दी है, उस दिशा में हम काम करें।

वैठक के निष्पत्ति :

१ आचार्यकुल के इस सम्मेलन में एकत्र उपकुलपति, प्राचार्य और शिक्षा-प्रेमी, हन लोग प्रस्ताव करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल की स्थापना करेंगे।

२ 'आचार्यकुल' के लक्ष्यों में हमारी आस्था है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए हम आचार्यकुल सहिता तैयार कर, तदनुसार आचरण करेंगे।

३. आचार्यकुल के तात्कालिक और दूरगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए, प्रादेशिक स्तर पर, नीचे लिखे सदस्यों की एक 'संचालन समिति' प्रस्तावित की जा रही है, जिसे और सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा।

१. आचार्य जुगुल किशोर, उपकुलपति, वानपुर विश्वविद्यालय

(अध्यक्ष)

२ उत्तर प्रदेश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

३ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाराणसी

४ श्री रोहित मेहता, वाराणसी

५ डा० बी० चलम्, वाराणसी

६ डा० अनन्तरमन्, वाराणसी

७ आचार्य राममूर्ति, वाराणसी

८ प्रोफेसर उ० आसराणी, लखनऊ

९ श्री रामचन्द्र शुक्ल, लखनऊ

१० प्रोफेसर शीतल प्रसाद, मेरठ

११. श्रीमती शुभदा तैलग, वाराणसी

१२ श्रीमती लीला शर्मा, वाराणसी

१३ डा० राजनाथ सिंह, वाराणसी

१४ श्री दूधनाथ चतुर्वेदी, वाराणसी

१५ प्रोफेसर सुगत दासगुप्ता, वाराणसी

१६ श्री वशीधर श्रीवास्तव, वाराणसी (संयोजक)

४. फिलहाल इस समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी :

(क) समिति अध्यापकों और प्रोफेसरों से मिलकर आचार्यकुल के लक्ष्य और कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करेगी और सकल्प-पत्र तैयार करेगी ।

(ख) छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा करेगी और उनके सहयोग द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग में समस्याओं के निराकरण का प्रयास करेगी ।

(ग) शिक्षा-संस्थाओं के अधिकारियों से मिलकर संस्थाओं के वातावरण को परिवर्तित करने के साधन पर विचार विमर्श करेगी ।

(घ) आचार्यकुल के तात्कालिक और दूरगामी कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत करेगी ।

५. चूंकि इस समय विश्वविद्यालयों और विधी कालेजों के सुलने के कारण प्रदेश के अधिकांश उपकुलपति और प्राचार्य सम्मिलन में उपस्थित नहीं हो सके हैं, इन धक्कनवर, १९६८ में लखनऊ या कानपुर में फिर आचार्यकुल सम्मिलन बुलाया जाय, जिसमें सचानन समिति द्वारा प्रस्तुत तात्कालिक और दूरगामी कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाय ।

—शुभप्रभा

‘आचार्य-कुल’

इसी श्रृंख में उत्तर प्रदेश के आचार्य कुल की चर्चा छपी है। विनोबाजी के आचार्य कुल पर बिहार में किये गये कई भाषाओं का संग्रह ‘आचार्य-कुल’ नाम की पुस्तिका के रूप में छपा है। यह पुस्तिका हर शिक्षक के हाथ में तो होनी ही चाहिए, शिवा में रखि रखनेवाले लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। इसकी कीमत १ रु० है। आप सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, धाराणसी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित।
- प्रकाशन का चौदहवां वर्ष।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसन्धान और मुधरी तकनालाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका।

वार्षिक शुल्क २ रुपये ५० पैसे

एक अंक २५ पैसे

अंक प्राप्ति के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, ‘ग्रामोदय’

इला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ ए एस

भूल सुधार

‘नयी तालीम’ के गत जुलाई अंक में छपाई-सम्बन्धी दो अनर्घकारी भूलें हुई हैं।

१ पृष्ठ ५२६ पर शीर्षक ‘प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण’ की जगह ‘प्राथमिक शिक्षा में विकेन्द्रीकरण’ होना चाहिए।

२ मुखपृष्ठ पर ‘शिक्षक नये समाज का नायक’ नामक लेख का उल्लेख किया गया, किन्तु वह लेख उस अंक में नहीं छप सका। वह लेख इसी अंक में प्रकाशित हुआ है। इस भूल के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। —सं०

राष्ट्रभाषा का विकास-राष्ट्रीन्नति का साधन

हिन्दी समिति के कुछ प्रकाशन

१ प्रायोगिक भौतिकी	डा० सेठी और कुलश्रेष्ठ	१२-००
२ पृथ्वी की ध्रायु	डा० महाराजनारायण मेहरोत्रा	८-००
३ तारा भौतिकी	डा० निहालकरण सेठी	८-००
४ विमान और वैमानिकी	श्री चमनलाल गुप्त	५-५०
५ रेडियो सर्विंसिंग	श्री रमेशचन्द्र विजय	८-५०
६ प्रकाश और वर्ण	श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव	११-५०
७ रेडार परिचय	डा० विश्वेश्वरदयाल	५-५०
८ यांत्रिकी	श्री जगतबिहारी सेठ	११-००
९ दूरबीक्षण के सिद्धांत	श्री हरिप्रसाद शर्मा	६-५०
१० क्रोमेटोग्राफी	डा० हरिभगवान	५-५०
११ पौधों का जीवन	श्री नारायणसिंह परिहार	५-००
१२ भौतिक विज्ञान में प्राति	डा० निहालकरण सेठी	४-५०
१३ शक्ति वर्तमान और भविष्य	श्री एस० पी० गोयल	४-००
१४ उद्योग और रसायन	डा० गोरख प्रसाद	७-००
१५ तारे और मनुष्य	डा० निहालकरण सेठी	५-५०

कृपया व्यापारिक सुविधाओं के लिए लिखें—

सचिव, हिन्दी समिति एवं सहायक सूचना-निदेशक
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

‘नयी तालीम’ के पाठकों से

‘नयी तालीम’ के मग्नहर्षे वष का पहला अंक आपके सामने है । पिछले वर्षों में ‘नयी तालीम’ की प्रसार-संख्या ५ अंकों तक पहुँची । इसे प्रादेशिक शिक्षा विभाग, जिसको और पाठकों का भरपूर सहयोग, प्यार और सत्कार मिला । परन्तु व्यापक प्रसार के साथ साथ ‘नयी तालीम’ का खरीदकर पढ़ने-वाले पाठकों की तादाद भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी और अधिकांश पाठक इसे पुस्तकालय और सस्थाओं से प्राप्त करते ही पढ़ते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार बदलने के बाद जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने ‘नयी तालीम’ का खरीदना बन्द कर दिया तो पत्रिका की माहक-संख्या एकदम घट गयी और आज उसे घाटा उठाकर चलाना पड़ रहा है ।

पिछले वर्ष से हमने ‘नयी तालीम’ को प्रशिक्षण-संस्थाओं के अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए भी अधिक-अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश की है । पत्रिका में शिक्षा के माध्यम की समस्या, राजभाषा का प्रश्न, छात्र-विक्षोभ और अनतोष, शिक्षा में विकेन्द्रीकरण और शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ, आदि विषयों पर लेख निकले हैं । कोठारी-आयोग की सस्तुतिमाँ आज के शिक्षा जगत् के बहुचर्चित विषय हैं । उस पर तो हमने ‘नयी तालीम’ का एक विशेषांक ही निकाल दिया है ।

आज ‘नयी तालीम’ उत्तर प्रदेश में शिक्षा की एकमात्र स्टैंडर्ड पत्रिका है, और यह शिक्षा के हित में होगा कि मानेवाले वर्षों में इसका नियमित प्रकाशन होता रहे । इसके लिए आवश्यक है कि इसकी वर्तमान माहक संख्या दूनी हो जाय । बिना आप सबके सश्रिय सहयोग के यह कैसे होगा ? अतः हमारा निवेदन है कि ‘नयी तालीम’ का प्रत्येक पाठक एक-एक नया माहक बनाकर ‘नयी तालीम’ की आर्थिक नींव मजबूत करें ।

—सम्पादक

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १७

अंक १

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

न नयी न राष्ट्रीय	१ श्री राममूर्ति
शिक्षक नये समाज का नायक	४ श्री दादा धर्माधिकारी
' मैं शिक्षक हूँगा'	१० श्री राममूर्ति
लोकतंत्र के लिए शिक्षा	१२ चा० देवेन्द्रदत्त तिवारी
समवाय पद्धति कठिनाइयाँ और उनका निवारण	२२ श्री वशीधर श्रीवास्तव
कुमार मंदिर के दो पटे	३० श्री काली प्रसाद दालोक
एक शिक्षण दशन की आवश्यकता	३५ डा० त्रिभुवन शोना
उत्तर प्रदेश में प्राचायकुल	३७ श्री वृष्णकुमार
मुलपृष्ठ स्वतंत्रता की याद म पटना सचिवालय के सामने का शहीद स्मारक	

अगस्त '६८

निवेदन

- नयी तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम' का वार्षिक चंदा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनापत्र म ध्यान विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीवृष्णदत्त भट्ट सब सेवा सघ की ओर से प्रकाशित अमल कुमार शर्मा,
इन्डियन प्रेस प्रा० लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : अगस्त '६८

पहले से डाक-व्यय दिये बिना भजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० स० एल १७२३

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति

प्रधान कार्यालय

१ राजघाट कानोनी, नई दिल्ली १

फोन २७६१०५

अध्यक्ष

डा० जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति

उपाध्यक्ष

श्री बी० वी० गिरी उपराष्ट्रपति

अध्यक्ष

कार्यकारिणी

श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री

मंत्री

श्री आर० आर० दिवाकर

गांधी रचनात्मक

कार्यक्रम उपसमिति

अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी

मंत्री श्री पूर्णचन्द्र जैन

गांधीजी के जन्म के १०० वर्ष २ अक्टूबर, '१९६९ को पूरे होंगे।

आइए आप और हम इस शुभ दिन के पूर्व

- देश के गाँव-गाँव और घर-घर में गांधीजी का सन्देश पहुँचायें।
- लोगों को समझायें कि गांधीजी क्या चाहते थे।
- व्यापक प्रचार करें कि विनोबाजी भी भूदान-ग्रामदान द्वारा गांधीजी के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं।

यह सब हम आप कैसे करेंगे ?

• यह समझने-समझाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति ने विभिन्न प्रकार के फोल्डर, पोस्टर, पुस्तक-पुस्तकादि, सामग्री प्रकाशित की है। इसे आप पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने को दें।

• इस प्रकार की सामग्री और विशेष जानकारी के लिए आप अपने प्रदेश की गांधी-जन्म शताब्दी समिति तथा प्रदेश के सर्वोदय-संगठन से सम्पर्क तथा पत्र व्यवहार करें।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति

टुकलिया भवन कुदीगरो का में

जयपुर ३ (राजस्थान)

फोन ७२६८२

भारत का युवक-विद्रोह लक्ष्यहीन, दिशाहीन

आज सत्तार का युवक-विद्रोह के पथ पर चल पडा है। विद्रोह है रुद्धियों के खिलाफ, यथास्थितिवाद के खिलाफ, उस सत्ता के खिलाफ जिसके हाथ में शासन है और, युवक की समझ में, जो उसका इस्तेमाल जन-हित के लिए नहीं, कुछ रक्षित स्वार्थों की सुरक्षा के लिए कर रहा है। यदि यथास्थितिवाद को समाज-सम्मत 'दक्षिण मार्ग' कहा जाय तो वाम मार्ग की परिभाषा होगी, यथास्थिति चाहने-वालों के पिटे-पिटाये रास्ते से अलग का रास्ता। भारत में किसी जमाने के आध्यात्मिक जगत का बदनाम वाम मार्ग भी समाज-सम्मत दक्षिण मार्ग के विरुद्ध विद्रोह ही था जो पथभ्रष्ट होकर सामाजिक अनैतिकता का कारण बना। जो भी हो, वाम मार्ग की दृष्टि अगर समाज के अन्य रुद्धियों के प्रति विद्रोह है तो उसका मूल्य है और उसे असामाजिक प्रकृति कह कर न तो उसे टालना चाहिए, न धृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। यह मानना चाहिए कि ऊपर की मारी अस्त-व्यस्तता के बावजूद उस आन्दोलन के भीतर आशा की एक किरण है। अमेरिका के हिप्पी-आन्दोलन का उदाहरण ले लीजिये। वहाँ का हिप्पी-आन्दोलन अमेरिका के भीषण भौतिकवाद के विरुद्ध एक विद्रोह है, जो

वर्ष : १७

अंक : २

ऊपर से गाजा-चरस और एल० एस० डी० से लिपटा हुआ दिखाई देने पर भी, अपने भीतर अध्यात्म के लिए एक भूख छिपाये है और जो अमेरिका के पूंजीवाद मूलक भौतिकवादी संस्कृति को एक प्रखर चुनौती है। अभी कल के फ्रान्सीसी युवक विद्रोह के पीछे स्पष्टतः वामपथी साम्यवादी प्रेरणा थी जो आज की दीगाल के यथास्थितिवादी नीति के विरुद्ध विद्रोह थी। पश्चिम का युवक-विद्रोह यथास्थितिवाद की विरोधी शक्ति का और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ने का ही दूसरा नाम है। यह विरोध आज के संसार का स्थायी लक्षण हो रहा है—वैसे तो सदा से ही यह सत्य रहा है कि दकियातूसी वृद्ध पीढ़ी के अनमने हाथ से युवक ने शक्ति छीनी है। और किसी भी देश के युवक विद्रोह का लक्ष्य यदि इस प्रकार की शक्ति का छानना है तो उस विद्रोह का सामाजिक मूल्य है और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि क्या आज के भारत के युवक विद्रोह का यह लक्ष्य है? कोई लक्ष्य है भी या नहीं? अथवा वह लक्ष्यहीन, दिशाहीन है। अभी पिछले महीने वाराणसी स्थित गांधी विद्यास्थान में 'युवक-विद्रोह' पर जो सेमिनार हुआ था उसमें अधिकांश की राय यही थी कि भारतवर्ष में 'युवक विद्रोह' हुआ ही नहीं है—कम-से-कम उस अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में उसकी व्याख्या ऊपर की गयी है। इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए श्री अच्युत पटवर्धन ने यही राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे युवक जिन बातों के लिए विद्रोह कर रहे हैं उनका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। इन विद्रोहों का लक्ष्य न यथास्थितिवाद का विराव है और न रुढ़ियों से लड़ना है। कितने युवक हैं जिन्होंने 'दहेज' की कुप्रथा के विरुद्ध सगठित विद्रोह किया है? स्वराज्य के बीस वर्ष बाद भी, वानूनन अपराध घोषित होने के बावजूद भी, आज हरिजनों के प्रति देश में जो घट्याचार है कितने युवकों ने उसने विरुद्ध विद्रोह किया है? एक दिन इस देश में एक हरिजन युवा जिन्दा जला दिया गया था। उम दिन देश के किस बाने में युवक विद्रोह हुआ था? बालेजो और विश्वविद्यालयों में आये दिन छात्राग्राहों का अपहरण होता है। कितने विद्यार्थियों ने इस घटना से दुःख होकर विद्रोह किया है? भारतवर्ष

में सामाजिक अन्यायो के विरुद्ध विद्रोह करने का वातावरण ही नहीं बना है। भारत के युवक-आन्दोलन में वह प्रवृत्ति ही नहीं है जिसके कारण लन्दन के युवक 'ऐटम बम्ब' बनाना बन्द करने के लिए विद्रोह की आग में कूद पड़ते हैं अथवा अमेरिका के युवक 'वियत-नाम' में युद्ध बन्द करने के लिए न्यूयार्क की सड़को पर जुलूस निकालते हैं। आज विद्रोह का अर्थ है मानव-मूल्यों की रक्षा के लिए मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना। इससे कम का लक्ष्य रखनेवाले को 'विद्रोही' की सजा नहीं दी जा सकती।

राजस्थान के मेवा-मुक्त शिक्षा निदेशक श्री जान ने भी कहा कि भारतीय छात्रों के विद्रोह का लक्ष्य इतना सकीर्ण रहा है कि उस विक्षोभ के विस्फोट को विद्रोह की सजा नहीं देना चाहिए। कभी उन्होंने केवल इसलिए विद्रोह किया है कि उनके विद्यालय के कैंटीन में समोसे का आकार कुछ छोटा हो गया था। कभी उन्होंने सिनेमा का रेट घटाने के लिए आगजनी और लूट-पाट की है। उनकी सामूहिक कार्य-विमुखता और उपद्रव को 'विद्रोह' की सजा देना ठीक नहीं है। अंग्रेजी हटाओ के लिए अथवा हिन्दी वचाओ के लिए सड़को पर निकलकर ट्राम और बसों को जताना भी ऐसा ही उपद्रव है, जिसे किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर सगठित विद्रोह समझना भूल होगी। परन्तु इस भूल से भी अधिक भूल यह हो रही है कि लोग इस उपद्रव को विश्व के युवक-आन्दोलन के साथ जोड़कर उसे सम्मानित बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने अवतक जो कुछ किया है उससे उनको क्रान्ति का अग्रदूत मानना ठीक नहीं होगा।

परन्तु सेमिनार में भाग लेनेवाले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि अगर यह मान लिया जाय कि यथास्थितिवाद के विरुद्ध काम करके 'प्रतिष्ठान' पर चोट पहुँचाना ही 'विद्रोह' है तो छात्रों के आन्दोलनों के जो भी कारण रहे हो, वे ऊपर से कितने ही छिछने क्यों न दिखाई देते हो, अप्रत्यक्ष रूप से उनमें प्रतिष्ठान को चोट पहुँचाने की भावना अन्तर्निहित रही है। भाषा के आन्दोलन के पीछे भी प्रतिष्ठान को चोट पहुँचाने की भावना ही अन्तर्निहित थी। छात्रों की स्थानीय सकीर्ण माँगों के पीछे क्या यथास्थितिवाद को

वदलने की चेष्टा नहीं है। विद्यार्थी जब केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उसके छात्रावास में सुविधाओं की कमी है अथवा उसकी सस्था के खुलने और बन्द होने के समय में परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या वह सस्था के प्रशासन में छात्र का भी हाथ हो—ऐसी माँग करके यथास्थितिवाद का विरोधकर प्रतिष्ठान पर चोट नहीं करता ? हिन्दी भाषा का आन्दोलन तो स्पष्टतः यथास्थितिवाद के विरुद्ध एक आन्दोलन था, प्रतिष्ठान पर एक चोट थी, जिस बात को पीछे डालकर उसे देश को बिखेरनेवाली प्रक्रिया कहकर छोटा दिखलाने की कोशिश की गयी। इससे आन्दोलन का मूल्य नहीं घटता।

इसलिए जय प्रकाश नारायण ने कहा कि युवक विद्रोह के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं वे एकांगी हैं। यह ठीक है कि भारतीय युवक का आन्दोलन जन आन्दोलन का अंग नहीं बना है। यह भी ठीक है कि विद्रोह के लिए कोई 'केन्द्र' चाहिए और युवक विद्रोह का कोई केन्द्र नहीं है। आज के विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्र विभिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त हैं। इन सस्थाओं में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का एक विद्यार्थी संगठन है जो अपनी राजनीतिक पार्टी के लक्ष्यों से शासित है। इस स्थिति को दूर करना होगा जिससे छात्रों को एक सामान्य मंच मिले—ऐसा मंच जो 'प्रगति' का मंच हो। आज विद्यार्थियों में असंतोष और क्षोभ है यथास्थितिवाद से और इच्छा है इस यथास्थितिवाद को उलटने की। मैं चाहता हूँ कि इस असंतोष और उथल-पुथल से कुछ रचनात्मक तत्त्व निकल जिससे विक्षोभ को एक दिशा मिले—एक लक्ष्य और केन्द्र प्राप्त हो, ताकि नयी पीढ़ी भारतीय समाज के निर्माण के लिए प्रगतिपूण कदम उठा सके।

अस्तु, आज भारत के युवक-समाज में विक्षोभ है—यह निर्विवाद है। इस विक्षोभ के कारण जो भी हो अपने मूल में वह असामाजिक प्रकृति नहीं है, और आवश्यकता इस बात की है कि उसे रचनात्मक दिशा दी जाय। आज जिस प्रकार वह बिखरा बिखरा केन्द्रहीन है वैसा ही अगर बना रहा तो वह निष्फल ही होगा। आज का युवक-आन्दोलन शक्ति की प्रसव पीड़ा है और अगर वह आज की ही तरह हिंसात्मक बन रहा है तो वह निष्फल नहीं होगा बल्कि व्यर्थ के रक्तपात का कारण भी बनेगा।

—बशीर धीरास्तव

मिलिये काकासाहब कालेलकर से

गुरुशरणा

८३ वर्षीय काकासाहब कालेलकर को देखकर स्वाभाविक रूप से प्राचीन ऋषियों का स्मरण ही आता है जो सन्यास धारण कर सर्व जन हिताय समाज का अपना जीवन अर्पित कर दिया करते थे।

काकासाहब अपने जीवन-काल में ही मोक्ष-साधना के लिए हिमालय जा रहे थे। ऋषिकुल हरिद्वार में कुछ समय रहे भी थे, पर स्वराज्य की आकांक्षा उन्हें उस समय के हिमालय महात्मा गांधी के पास खींच लायी जिनके साथ रहकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में अपने जीवन के ३५ स्वर्णिम वर्ष व्यतीत किये और आजादी मिलने के बाद राजसत्ता में न जाकर गांधीजी की तरह ही जन-शक्ति जाग्रत करने हेतु लोक-शिक्षण के काम में लग गये और आज भी उसीमें दत्तचित्त हैं। उनका आज का रहन-सहन, व्यक्तित्व और अपार ज्ञान उपनिषदों में वर्णित ऋषियों-जैसा ही है। उनके व्यक्तित्व में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, दोनों के गुण विद्यमान हैं। वे पातिनिकेतन और सेवाग्राम दोनों जगह रहे हैं और आज उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों में दोनों स्थानों की छाप स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। रवीन्द्र की सांस्कृतिक और गांधी की रचनात्मक प्रवृत्ति की विरासत उनके व्यक्तित्व में एकाकार हो गयी है। अपने बाद विश्व-समन्वय के विचार को फलता-फूलता देखने के लिए जीवन-काल में ही वे एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाकर अपने शिष्यों, सहकर्मियों और उन पर श्रद्धा भक्ति रखने-वालों को काम सौंप देनेवाले हैं, जिसकी आर्थिक व्यवस्था एक ट्रस्ट को सौंपकर उसे अपनी पुस्तकों को सभी राख्टी अर्पित कर देने का उनका विचार है।

तेज से चमचमाता चेहरा, लम्बा धरहरा शरीर, धातकीत में अत्यन्त विनम्र ।
 उनको देखकर, उनकी वाणी सुनकर मन धन्य हो उठा । उम्र दिन कुछ
 अमेरिकन पैमिफिस्ट्स (शांतिवादी) एक मूविंग सेमिनार के रूप में भारत में
 आये हुए थे । वे काका साहब से मिलने आये तो उन्होंने शांति की कुछ विषय
 समस्याओं पर उनसे सुलकर चर्चा की तो काकासाहब की स्पष्ट वाणी का
 उन पर तो अमिट प्रभाव पड़ा ही पर इन पक्तियों के लेखक को लगा कि एक
 श्रृष्टि बोल रहा है । उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को ईसा मसीह के नये रूप की
 संज्ञा दी और गोरे अमेरिकन को ब्लैक पावर आन्दोलन के साथ जुड़ जाने की
 सलाह दी । रंगभेद के आरोप से तिलमिलाकर जब उन लोगों ने भारत के
 जातिवाद की ओर झंगुली उठायी तो उन्होंने तड़पकर कहा कि मेरे पाप
 बताने से आपके पाप नहीं धुलनेवाले हैं । हमारे यहाँ भारत में अनेक सामाजिक
 बुराईयाँ हैं जिनसे मैं इनकार नहीं करता, पर आप अपने दोषों को देखें-परखें
 और हम अपने को, और दोनों उन्हें दूर करें, तभी सारी दुनिया की मानवता
 का कल्याण होगा । उनके गले जब यह बात उतरती नहीं दिखी तो उन्होंने
 जोरदार शब्दों में कहा कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वैकवर्ड कमीशन के
 अध्यक्ष के रूप में जब मैं दक्षिण गया तो देखा कि यहाँ जन्मजात ईसाइयों और
 पिछड़ी जातियों, जैसे—आदिवासी, हरिजन आदि से घर्मान्तर हुए ईसाइयों के
 बीच बड़ा भेदभाव है । उनके गिरजे अलग, खानपान अलग और तों और,
 दोनों के अज्ञान अलग ! अब बताइये क्या हमारी निन्दा करने में ईसाइयों
 के नाम पर यहाँ चल रहा यह भेद क्षम्य है । काकासाहब की दो दूक सिंह-
 गर्जनाओं को सुनकर वे सभी अवाक् रह गये । कौनिया देश में भारतीयों
 के वहाँ के निवासियों पर अमरुद व्यवहार का जब अमेरिकनों ने जिक्र किया
 तो उनका स्पष्ट कथन रहा कि यह उन सबको प्रंग्रेजों ने ही सिखाया है, जिसे
 अब वे दूसरों पर अमल में ला रहे हैं । पहले का भी गलत था, यह भी
 गलत है । जरूरत है समस्याओं को जड़ से समझने की, न कि परस्पर
 निन्दा की ।

काका साहब से और ज्यादा-से-ज्यादा जानने की मन में सहज जिज्ञासा
 हुई । मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके
 लिए आज की ज्वलन्त समस्याओं के समाधानकारक कहे जा सकते हैं ।

प्रश्न १—गांधीजी के देश में गांधी का नाम क्यों नहीं हो पा रहा है ?

उत्तर—गांधीजी के कारण उस समय सारे रचनात्मक कार्यक्रमों में विविधता के बीच एकता का तत्त्व निहित था जो उनके बाद टूट गया। और, सबको एक समझनेवाला वह काम आज भी नहीं हो रहा है। गांधी के देश में गांधी का काम करनेवालों में आत्मियता का अभाव सबसे बड़ी विडम्बना है। गांधीजी एक-एक को बुलाकर उसकी कठिनाइयाँ सुनते थे। आज जिनके पास अधिकार है, अनुदान देने की शक्ति है, कष्ट निवारण की क्षमता है वे बुलाने के बजाय उल्टा चाहते हैं कि लोग दौड़ दौड़कर उनके पाम जायें और आर्थिक सहायता की याचना करें। सब रचनात्मक समस्याओं का सम्मिलित चिन्तन करनेवाला कोई नहीं रहा, इसलिए उस महात्मा की माला के मनके उसीके देश में एक-एक कर टूटकर बिखर रहे हैं ?

प्रश्न २—राष्ट्रभाषा प्रचार ५ वारे में आज आपकी क्या राय है।

उत्तर—लोग मानते हैं कि राष्ट्रभाषा प्रचार ही मेरा मुख्य और एकमात्र रचनात्मक कार्य है। यह बात सही नहीं है। मेरा मुख्य और एकमात्र रचनात्मक कार्य जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था वह है—राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो शक्ति करनी है उसकी तैयारी के अनुरूप राष्ट्र के नवयुवकों को तैयार करना यही थी मेरी राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना। इसी कार्य के लिए मैं उन दिनों लेखन कार्य करता था। दैनिक एक पाठ्यक्रम समाधारण चलता था लेकिन मेरे मन में सबसे महत्व का काम राष्ट्रीय शिक्षा का ही था। सस्था मिले तो सस्था के द्वारा यह काम करने नहीं तो देश में मुसाफिरी करते हुए लोक सम्पर्क साधूँ। लोगों से बात चीत करूँ और लोकशिक्षण तथा लक्ष्मण का कार्य करूँ यह भी इस काम के पीछे मेरी भावना।

गांधीजी ने मुझे राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की और स्वदेशी सृष्टि के विकास के लिए राष्ट्रभाषा का कार्य सिर पर लेने को कहा। यह कार्य मुझसे लेने का विचार उनके मन में बहुत पहले ही था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा यह जितना हो सके उतना ही लेने का उन्होंने तय किया था। विद्यापीठ का काम छोड़ा तब राष्ट्रभाषा का काम उन्होंने मेरे सिर पर डाल दिया, उसके साथ भारत की सब भाषणों के विकास का काम भी ही जाता था। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ हरगिज यह नहीं था कि ईसाई, मूढ़ी,

पारसी आदि अथ धर्म समाजों की तरफ हम उभे जा रहें। भारतीयतात्मक एतना यह शब्द जबाहरलाल नेहरू ने बाद में बनाया, लेकिन चीज गांधीजी की ही थी।

अब मैं देखना हूँ कि भारतीयतात्मक एतना, समाज सुधार और धर्म संस्करण का सब धार्मिक विश्व-समय में आती है। केवल भाषाभाषा को बनाने से लोग मूल और व्यापक उद्देश्य समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भाषा के सबाल को मैंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप देकर उसे नया नाम दिया है—विश्व समन्वय। गांधीजी के आश्रम में जो ११ धर्मों की उपासना थी उसमें एक बहुत्व का अर्थ या सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव उत्कृष्ट होने पर सर्वधर्म समभाव आ ही जाता है और भारतीय धर्म को बनाना में भारतीय संस्कृति को आ ही जाती है इसलिए विश्व समन्वय के नाम से अब मैं काम कर रहा हूँ।

प्रश्न ३—आपको इस काम में आनंद की अनुभूति कैसी हुई ?

उत्तर—मैंने अपने जीवन में कभी आनंद हूँडा ही नहीं। अगर मिला तो वृत्तज्ञतापूर्वक उसे ले लिया। जब देश की प्रगति रुक जानी है अथवा सावजनिक जीवन में अनेक तत्त्व बढ़ने लगते हैं तब दुःख होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरे दीर्घ आयुष्य में मैंने राष्ट्र की प्रगति में इतना सफ़ेद और उतार चढ़ाव देखे हैं कि मैं कभी निराश नहीं हूँ। और आजकल की स्थिति देखकर लोग जितने घबराये हुए हैं उतना मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। पुराने दोष जो दबे हुए थे बाहर आये हैं, इसलिए राष्ट्र के मानस को जोरों का आघात हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इस आघात के बाद हमारी पुराण प्रियता और जड़ता दूट जायगी और भारतीय संस्कृति भूतकाल की बहुत-सी भली बुरी दोनों प्रकार की चीजें छोड़कर नवसंस्कृति का निर्माण करेगी।

इस विश्वास से मेरा उत्साह कायम है। कुछ बढ़ भी रहा है और भविष्य की योजनाएँ दिमाग में बन रही हैं। इनमें आनंद का तत्त्व किंतना है यह देखने का काम मेरा नहीं है।

प्रश्न ४—इन काय में आनंद की डरशिर रोल कैसा रहा ?

उत्तर—लीडरशिप रोल के बारे में मैंने कभी सोचा है और न सोचने वाला हूँ। यह प्रश्न मेरे मन में उठता ही नहीं। मैं आस्तिक हूँ। सर्वविचार और सत्काय ईश्वर की चीजें हैं। उनका अर्थ यथानम होता ही है। ईश्वर ही सनातन 'लीडर' है। •

संस्कृतियों के समावेश में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयोग

सरला देवी

आजकल की "छोटी दुनिया में मनुष्य की विभिन्न स्तर की संस्कृतियों का समावेश कैसे हो, यह सरकारों तथा शिक्षकों के सामने एक मुख्य सवाल है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि आदिवासियों की संस्कृति बना में सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं पर विकसित होनी चाहिए। ग्रीक का विचार है कि आदिवासियों की संस्कृति को मिटाकर वतमान प्रचलित पाश्चात्य सभ्यता की स्थापना होनी चाहिए। यह सवाल ऐसा है कि बकूल के पड पर आम की बलम लगायी जाय या उसे बढ़ूल ही, कि तु स्वरथ बबून, बनने का मौका दिया जाय ?

आदिवासियों की सांस्कृतिक भूमिका में अंतर है। इसलिए अक्सर यह पाया जाता है कि वृद्धि के उत्तम होने पर भी वे आधुनिक शिक्षा में, विशेषतः पढ़ने लिखने में, पिछड़ जाते हैं। और अपनी इस असफलता का कारण निराशा, असंतोष तथा रंग भेद और रंग सघप की वृत्तियों में षंम जाते हैं।

भारत में भी आदिवासी-समस्या जटिल है। सूरत जिले में वायवर्तिका ने इस समस्या का एक अच्छा समाधान खोज लिया है। वे आदिवासियों को ठीकेदारा के शोषण से बचाकर खुद बन के उत्पादना का व्यापार करने और उन्हें ही पक्के माल बनाने का अवसर देते हैं। अपने ही जीवन के लिए अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने का भी प्रबन्ध यहाँ है, इसलिए यहाँ के आदिवासी खुद अपनी स्वामाविक विकास की जिम्मेवारी उठाते हैं। ऐसे प्रयोग सही ढंग से व्यापक पैमाने पर चलने चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयोग दूगरे ढंग से चलते हैं। सरकार आदिवासियों को वहीं परम्परागत पढ़ने लिखने की शिक्षा देने की कोशिश करती है, जो आजकल सब जगह प्रचलित है। इसके फलस्वरूप, जो आदिवासी बच्चे सरकारी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आगे जाकर

न "आर्यसभ्यता" —मे जम पाते हैं, न चपरासी तथा अन्य छोटी-मोटी नीकरियाँ पाकर "नागरिक सभ्यता" में अनना प्रख्या स्यान् बनाकर सनोप का जीवन स्थान कर पाते हैं। यह आदिवासियों पर एक प्रकार का अन्याय है। यदि सरकार उन्हें 'आर्यसभ्यता' से विस्थापित करना चाहती है तो उसे एक ऐसी नीति अपनी चाहिए, जिससे आदिवासी वर्तमान गाँवों में या नगरो में अपने लिए उचित और सुसंस्कृत स्थान पा सकें। परन्तु उन्हें अपने ही वातावरण में रखकर पश्चिमी शिक्षा देना बरूल में आम की कलम लगाना है।

इस सदर्भ में 'तिलिया ऐश्वर्य वानर' का "शिक्षक" नामक पुस्तक काफी दिलचस्प है। इसमें वह एक महत्वपूर्ण प्रयोग का वर्णन करती है, जिसमें उतने सिर्फ न्यूजीलैण्ड के "मावरो" आदिवासियों का ही समावेश करने का प्रयत्न नहीं किया, अपितु प्राथमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किये हैं।

मावरो अपने "पा" (गाँव) में रहते हैं। वे लोग पाषाण सभ्यता के सम्पर्क में आये हुए हैं, अंग्रेजों बोलते हैं, पश्चिमी वस्त्र पहिनते हैं, नीकरी इत्यादि करने हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवन में व्यवस्था और अनुशासन नहीं आया है। वे काफी शगबालू और क्रोधी होने हैं, शराब भी काफी पीते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि शिक्षा के कारण बदनी हुई परिस्थितियों में भी उनकी भीतरी वृत्तियों में परिवर्तन नहीं हो पाया है।

एक सही शिक्षिका के नाने लेखिका ने अपने विद्यार्थियों को पूरी कठिनाइयों को समझा है। उतने सन्त है कि उनको बुद्धि में कोई कमी नहा है, लेकिन जीवन की बुनियाद बिल्कुल भिन्न होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता है। जो शिक्षा उन्हें दी जानी है उस शिक्षा में उन्हें कोई वास्तविकता या अर्थ नहीं दीखता है इसलिए उन शिक्षा में उन्हें दिलचस्पी और श्रद्धा नहीं होनी है। वग के अनुशासन को वे नहीं मान पाते, और पुस्तक की मामूली में उन्हें किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं होनी। उनकी कठिनाइयों पर लेखिका ने उनके समाधान के लिए प्रयोग किया है।

१—नव गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से पूछ गया था, क्या भारत सभ्यता नागरिक सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता? ता उन्होंने उत्तर दिया, "वह आर्यसभ्यता" है।

सर्वप्रथम उन्होंने अनुशासन को अपनी ही व्याख्या की है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे दिन भर अपनी कक्षा में सुव्यवस्थित ढंग से चुपचाप बैठें। “अनुशासन” का अर्थ यह है कि आप जिस वक्त आवश्यक समझें उसी समय बच्चों पर नियंत्रण रख सकें। वह लिखती है— “बच्चे अपने-अपने ढंग से अपने अपने कामों में लगे हैं। रेत में खेल रहे हैं, या मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं या लिखने-पढ़ने में लगे हैं, लेकिन जब मैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ तो पिढानों पर एक निश्चित राग बजानी है—वह राग जिसके द्वारा प्रसिद्ध सगीतज्ञ वेठोवन ने अपने श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसी सगीत में मैं अपनी पूरी कला लगाती हूँ। याने शुरु से ही बच्चों की सही रुचि पर विश्वास करती हूँ। धीरे-धीरे कमरे में एकदम आश्चर्यजनक शांति हो जाती है। उसी समय मैं जो कुछ सूचना देनी होती है देती हूँ और बच्चे प्रेम और दान्ति से बहुत अच्छी तरह मेरी बात सुनते हैं।

उसकी पढाई की पद्धति भी तिराली है। उसे विश्वास था कि बच्चे तब पढ़ेंगे जब शब्दावली का मौलिक मेल उनके दैनिक जीवन के साथ होगा। लेकिन इस प्रकार की पुस्तकें आज कहाँ मिलती हैं? घत सुबह को, प्रथम वर्ग में, वह एक-एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उससे पूछती है कि आज वह कौन-सा शब्द पढ़ना चाहता है? शिक्षिका उस शब्द को एक मजबूत कार्ड पर लिखकर, लिखते समय बच्चे से दोहरवाती है और बच्चे का नाम कार्ड में भी लिखती है। फिर वह बच्चा उस पर अपनी ऊँगली फिराकर पढ़ता है। वह अपना कार्ड घर भी ले जाता है, और दूसरे दिन सुबह उसे वापस लाता है। वह सबके कार्डें मिलती है। बच्चा अपने पुराने कार्डों को निकालकर उन्हें पढ़ता है और एक नया कार्ड भी पाता है। बच्चे एक-दूसरे को सुनाते-सुनाते भी हैं। शुरु से ही वे शब्द को ही पढ़ते हैं। उन्हें अक्षरों का ज्ञान पहले नहीं दिया जाता।

इस पद्धति में लेखिका को दो-तीन बातों का अनुभव हुआ है। एक, सबसे ज्यादा शब्द जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, वे या तो “भय” से या “प्रेम” से सम्बन्धित थे। लड़कों का भुकाव ज्यादातर बाहन या घासों के शब्दों की ओर था, लड़कियों का घरेलू बातों की ओर। निम्नलिखित शब्द प्रधान होते थे।

भय सम्बन्धित : माँ, बाबा, भूत, डर, जगती सुपर, पुलिस, मकड़ी, बुत्ता, मगर, जेब, साइ, मारना, कुकड़ो, चिल्लाना, पीटना, तोड़ना, लडना, गर्जना, रोना।

प्रेम से सम्बन्धित —प्रेम करना हाको (मावरो नृत्य) नाचना प्यारी,
एकसाथ मैं और-तुम गाना ।

चाहन : जेट, बीप, हवाई जहाज रेलगाडी कार, ट्रक ट्रलर, बस ।

अन्य . मकान पाठशाला, माजे मेढक अखराट मूंगफनी दलिया,
तस्वीर ताडी ।

इस शब्दावली से बच्चों की मानसिक परिस्थिति और उद्यम पुथल की एन
बहुत साफ ज्ञानक मिलती है और उसीको लेकर शिक्षा के पूरे ढाँचे की बात
बह कहती है । फिर भी अपनी किताबों में उन शब्दों का प्रयोग करने में
उसने सिर्फ हिम्मत की ही आवश्यकता नहीं बल्कि यथास्थिति के विरुद्ध
दृढ़ता की भी आवश्यकता महसूस की है ।

इस प्रकार बच्चों की मनोदशा समझने से फौरन समझ में आता है कि
क्यों साधारण पढ़ने की सामग्री में वे दिलचस्पी नहीं लेते । उनकी अचेतन मन
स्थिति के साथ पाठ्यवस्तु का कोई सम्पर्क ही नहीं था । जो शब्द उनकी
दैनिक परिस्थिति से निकलते हैं उनके अचेतन मन की मुत्तियों को सुलझाने
में सहायक होते हैं । लेखिका परेशान होकर पूछती है— क्या जेनट और जौन
कभी नहीं ठोकर खाते थे कभी नहीं गिरते थे ? क्या उनकी मा कभी उन्हें
प्यारी कहकर गोद में लेकर चूमती नहीं हैं ? क्या जौन हमेशा अपनी माँ
की बात को मानता है ? क्या उसे कभी भी किसी बात में डर नहीं लगता
है ? क्या अमेरिका में मौसम हमेशा सुहावना ही रहता है ? क्या वहाँ तूफान
कभी नहीं होता है ? हमारे बच्चे डरते भी हैं प्रेम भी करते हैं लडते भी
हैं मारते भी हैं । इन सभ्य पुस्तकों में यह सब बच जाता है और इनकी
स्वाभाविक वृत्तियों की उपेक्षा होती है । इसलिए साहित्य में बच्चों की सही
रुचि का निर्माण नहीं हो पाता है और बाद में वे गजाकिया और
कुत्सित पुस्तकों के सिवा कभी किसी दूसरे इग की अच्छी पुस्तक को हाथ में
उठाते नहीं हैं ?

यह सारा विचार लेखिका को बच्चों की प्रारंभिक चित्रकला का अध्ययन
करने से आया । उन्होंने पाया कि यूजीलैण्ड के लडके हमेशा कुछ वाहनों
की तस्वीर बनाते हैं । लडकियाँ घर की तस्वीर बनाती हैं । टांगा में बच्चे
पेड़ों की तस्वीर बनाते हैं ममोझा के बच्चे गिरिजा की चीत के बच्चे फूल
की तस्वीर खींचते हैं । यह चित्र ही उनकी प्रथम लिपि है जो उनके जीवन

से जीवित सम्पन्न रखती है। याने उन्हें एक बुनियादी शब्दावली मिलनी चाहिए जो बाह्य दशन के बनिस्वत भीतरी दशन को प्रकट करे।

पाँच बष के बच्चों के मन से दो धाराएँ निकलती हैं एक सजनात्मक दूसरी नकारात्मक। यदि हम सजनात्मक प्रकृतीकरण को प्रोत्साहन देते रहेंगे तो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ अपने आप कमजोर होती जायेंगी। बच्चों के पढ़ने में उनके लिए प्रथम शब्दों का ज्वरत अर्थ होता है। यदि इन शब्दों के माध्यम से उन्हें पढ़ना सिखाया जायेगा तो बाद में भी वे पढ़ने में रस लगे और पढ़ने की आदत स्वाभाविक भी हो जायेगी।

लिखने में बच्चे पहले बुनियादी शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं। जब उन्हें लगभग चालीस शब्द आ जात है तो ये छोटे छोटे वाक्य भी लिखने लगते हैं।

आमतौर पर तीन बष में भी मावरी बच्चे आगे बढ़ने के लिए पूरे तयार नहीं होते थे लेकिन इस पद्धति से उनके बच्चे दो साल के अंत में पूरी तरह तयार होने लगे। पाँच साल की उम्र से ही लिखने में उनकी व्यक्तिगत शक्ती प्रकट होने लगी और सात साल के बच्चे अनुभव या कहानी इत्यादि के एक-दो प्रश्न भजे से लिखने लगे। बच्चे अपने पारिवारिक या घर के जीवन के बारे में जो कुछ भी लिखते थे उनकी शिक्षिका इस पर कभी कोई नतिक रंग नहीं चलाती थी। शगडे पुलिस जेल नाजान बच्चे शराब धेरायाघात सबके बारे में बच्चे खुले दिल से अपना अनुभव लिखते थे क्योंकि ये बात उनके जीवन की मुख्य सामग्री थी। अपनी दीर्घी के प्रम में ये उनकी वृत्तियों से मुक्त होकर अनजाने में नये जीवन मूल्यों की ओर बढ़ने थे।

इस गिनण में प्रकृति का सम्पर्क भी एक मुख्य वृत्ति थी। दोपहर को बच्चे खेलते थे। पत्तियों और पशुबंदियों की मध्या गिनने से गणित के प्रारम्भिक पाठ होने थे। स्वागत होता था—गागा कुत्ता बिल्ला चिड़ियों इत्यादि निमज्रित अतिथियों का। पौधों के विकाम का अध्ययन होता था। नाच-गाना बराबर चलता रहता था—बच्चे अपने अपने नये नृत्यों का आविष्कार करते थे। कभी-कभी बच्चे मौन भी रहते थे। लेकिन ज्यादातर कमरे में हला-मुला और अस्पवस्था का राज्य रहता था। यथापि वास्तव में वहाँ अन्वयस्या नहीं थी बच्चे सब अपने अपने निजी कामों में बहुत व्यस्त और सुखदम्यित रहते थे। ये अपनी शिक्षा में सिर्फ लिखने-पढ़ने में अन्त नहीं पा रहे थे। लेकिन अनजाने में वे दो सस्कृतियों के बीज के माग पर

एक महत्वपूर्ण श्रवण यात्रा कर रहे थे। पुस्तक के चित्रों से स्पष्ट दिखाई देता है कि यह श्रवण यात्रा सबके लिए कितनी आनंददायी यात्रा थी।

सिंधिया बानर ने इस महत्वपूर्ण प्रयोग में अपने जीवन के लगभग बीस वर्ष बड़ी निष्ठा से व्यतीत किये थे। बच्चा की ढिल्ली हुई पुस्तक तथा कहानियों के आधार पर वह अपनी पाठ्य-पुस्तक बनाती गयी। लाखों कोशिशों के बावजूद उन्हें कभी सतोष नहीं होता था कि ये पुस्तक वास्तव में बच्चों के लिए जीवन्त हैं। शिक्षा के अधिकारी उनके इस अव्यवस्थित तथा अनुशासनहीन पद्धति को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आखिर में एक शिक्षा अधिकारी निकले जिन्होंने उनके प्रयोग का महत्व समझा। उन्होंने उनकी किताबों को एक नये ढंग के टाइपराइटर से टाइप करवाया जिसका टाइप बच्चों की किताबों के लायक था। लेखिका बहुत खुश हुईं। हालांकि वह बच्चों की किताबों में बहुत ज्यादा तस्वीर पसंद नहीं करती थीं फिर भी उनमें तस्वीर भी अच्छी बनी। ६६ प्रतिर्या निकाली गयी थी। वे भी धीरे धीरे फट गयीं। फिर किताबों को छापन का मवाल आया। उन्होंने एक नया सेट बनाकर शिक्षा विभाग को द दिया। लेकिन छपाई में देर होती गयी बहाने पर बहाने चढ़ते रहे। जब आखिर में उन्होंने कहा कि यदि आप छपानेवाले नहीं है तो कम-से-कम मुझे वापस दीजिये तो उत्तर मिला कि गलती से किताबें जला दी गयी हैं।

उन्होंने फिर एक बार अपने मन से किताब बनाने की कोशिश की। लेकिन अब वह धुँड हो गयी थी इसलिए उन्होंने किताबों को छापने का विचार छोड़ दिया।

अपने अनुभवों पर आधारित शिक्षक नामक पुस्तक लिखकर उन्होंने सात वर्ष एक यूजीलैण्ड में उसे छपवाने का प्रयत्न किया यह साचकर कि यह छोटा टापू हमारा परिवार है यहाँ के अनुभव यहाँ पर ही छपने चाहिए और सबप्रथम यहाँ के शिक्षकों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सात साल की टालमटोल के बाद उन्होंने एक अमेरिकी मित्र का आग्रह स्वीकार किया और उन्हें अपने देश में इस पुस्तक को छपवाने की अनुमति दी।

वास्तव में अपने ही देश में पैगम्बर की स्तुति कभी होती नहीं है। और विना भी क्षेत्र में जातिकारी प्रयोग करने के लिए हम जनता और सरकार की आलोचना और विरोध को भेजने की तैयारी होनी चाहिए।

पुस्तकालय-विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तकालय का महत्व : प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक

तारकेश्वर प्रसाद सिंह
पुस्तकालय अधीक्षक, विहार

भारत वर्ष शिक्षा में मानव-सभ्यता का एक प्राचीनतम जन्म स्थान रहा। हजारों वर्ष पूर्व हमने बौद्धिक त्रिमाबलापों की एक परम्परा कायम की थी। यहाँ बड़े चिन्तक एवं दार्शनिक पैदा हुए थे। वेद उपनिषद् का यहाँ जन्म हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने रूपने चिन्तनशील विचारों को परंपर के चट्टान, कांस, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़ के पत्ते, वृक्ष की छाल आदि पर लिख छोड़े हैं। जैसे-जैसे इन हस्तलिखित विचारों को विश्व के सामने लाया जाता है, वैसे वैसे सारा प्राचीन ऋषियों के विचारों से प्रभावित होता जा रहा है। विदेश के पुस्तकालयों में इस प्रकार के बहुत से हस्तलिखित प्राचीनतम ग्रन्थ पाये जाते हैं। मैंने डेनमारक के राजकीय पुस्तकालय में एक पृथक् विभाग पाया, जिसमें प्राचीनतम देशों जैसे भारतवर्ष, मिथ, मध्य एशिया, चीन आदि के प्राचीनतम ग्रन्थ सुरक्षित हैं। इस विभाग के पुस्तकाध्यक्ष १८ भाषाओं के ज्ञाता थे। इस तरह दुनिया और विशेषकर एशिया के देश मानव सभ्यता की देन के लिए भारतवर्ष के ऋणी हैं।

प्राचीनतम ग्रन्थों की रक्षा हो

विदेशी आक्रमणों के कारण भारतवर्ष से प्राचीनतम ग्रन्थ केन्द्र लिखित ग्रन्थ भिन्न हो गय। आज भी भारतवर्ष का कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसमें अमीर उमरा, ब्राह्मण आदि के परिवार में हस्तलिखित ग्रन्थ न पाये जाते हों। इन्हीं ग्रन्थों को बाहर के विदेशी विशेषकर मिशनरी लोग मुहम्मदि दाम पर खरीदकर अपने देशों में भेज रहे हैं। हमलोग इन ग्रन्थों का महत्त्व नहीं समझते हैं। कारण यह है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वायत्त से व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता बढ़ गयी है। हम अपनी प्राचीन सभ्यता की समझदारी रखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं कर पाये हैं। इसलिए हमलोगों का देश विदेशी सभ्यता को मृग दृष्टि का धोर बढ़ता जा रहा है। यह देश के लिए खतरे की बात है। यदि कोई देश अपनी प्राचीन सभ्यता में परिपक्वता प्राप्त करने के पहले ग्रन्थों को नकल करना चाहता है तो उसकी हालत वही होती है जो इस के पर लगन वाले कौबे की हुई थी। अब सचमुच में हम यदि सभ्य बनना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी सभ्यता का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए भारत के गाँवों में जो प्राचीन सभ्यता के स्रोत हस्तलिखित ग्रन्थ पड़े हैं उनका संग्रह विभिन्न पुस्तकालयों में होना चाहिए। शोधकर्ता विद्वत्समझली उन ग्रन्थों का अध्ययन कर वर्तमान समय में भारतवर्ष की सभ्यता की क्या रूपरेखा होनी चाहिए उसको देश के सामने लायें।

अतः वर्तमान युग में भारतवर्ष के पुस्तकालय के दो काम होते हैं—प्रथम प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह करना। द्वितीय गाँवों में इन पुस्तकों पर आधारित पुराने एवं नये विचारों का प्रचार करना। इसके लिए हम अपने देश के केंद्रों के ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

बुद्ध-युग के पूर्व ज्ञान ऋषि महर्षियों तक सीमित था। ये ऋषि महर्षि गुफाओं एवं कुटियों में रहते थे। उन जनाने में न तो मुद्रणकला का आविष्कार हुआ था और न कागज आदि का। आ मन्त्र प्रकाशन की भाँसा इतनी परिपुष्ट और परिपक्व भी नहीं हो पायी थी। अतः ऋषि मुनि आत्मचिन्तन के बाद अपने विचारों को गुफाओं की चट्टानों पर ताम्र भोज एवं ताड पत्र पर तथा चित्रलिपि या दूटे फूँटे अक्षरों में लिख छोड़ते थे।

प्राचीन अलेख मानव सभ्यता का स्रोत

भारतवर्ष जसा मित्र भी एक प्राचीन सभ्यता का देश है। मैंने विश्व की राजधानी कैरो के अजायबघरों में इस तरह के बहुत से अलेख देखे हैं। इन

प्राचीन आलेखा को मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा स्रोत समझा जा रहा है। कहना न होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारों का उद्गम सात सौ आलेख ही हैं। भारतवर्ष में भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए शिष्य मण्डली का विकास किया। इस शिष्य मण्डली ने जगह-जगह पर विद्या-केन्द्र बनाये। विद्या-केन्द्रों में भगवान बुद्ध के उपदेशों के सप्रहाय भी बनाये गये। ये सप्रहाय वर्तमान युग के पुस्तकालय जैसे चलते थे। हस्तलिखित ग्रन्थों को बहुत मावधानी से तैयार किया जाता था। उनको मठ-राजा-महाराजों के महल एवं धनी लोगों के घरों में सुरक्षित रखा जाता था। ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में तक्षशिला विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। समस्त भारतवर्ष से विद्यार्थी वेद, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद् के विरोध अध्ययन के लिए आते थे। इस तरह तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के हस्तलिखित ग्रन्थों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय था। यह विश्वविद्यालय ईसा-पूर्व के मरने के बाद २८० वर्षों तक चलता रहा, किन्तु बाहरी विदेशी आक्रमणों से तक्षशिला विश्वविद्यालय छिन्न-भिन्न हो गया।

प्राचीन पुस्तकालय

५

फिर भी बौद्धिक मठों में बड़े-बड़े पुस्तकालय बने रहे। जगत टीला नालन्दा उर्दू तपुरी बाल भी जैसे मठों में बहुमूल्य पुस्तकों के पुस्तकालय थे। इनमें नालन्दा का पुस्तकालय साज-सज्जा से परिपूर्ण था। नालन्दा का पुस्तकालय एक विशाल क्षेत्र में बना हुआ था। इसमें रत्नमागर, रत्नसागर और रत्नदधि नाम के तीन विशाल भवन थे। रत्नमागर में नौ मजिले मकान थे। इस पुस्तकालय में सूत्र तथा तांत्रिक पुस्तकें सुरक्षित थीं। यह मठ १२ वीं शताब्दी तक बना रहा। इसके अतिरिक्त विक्रमशीला, जगन्नाथ, मगध में विहार, काश्मीर में 'जयेन्द्र', पंजाब में विचनापट्टी, बिजनौर जिले में 'महीपुरा', कर्नाल के पास 'भद्रा', आन्ध्र प्रदेश में 'हिरण्यव' और अमरावती के मठों में पुस्तकालय थे। राजा भोज के समय में सरस्वती मंदिर में एक बहुत विशाल पुस्तकालय था। संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में जैन-मंदिरों में काश्मिर में ३० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ पाये गये। तजोर में १२ हजार ग्रन्थ पाये हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा वस्तुपाल ने तीन बड़े-बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की थी जिनमें १८ करोड़ रुपये लगे थे।

इस तरह प्राचीन भारत पुस्तकालय क्षेत्र में अपने गौरवपूर्ण अतीत पर अभिमान कर सकता है। जैसे जैसे बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के राज समाप्त होते गये वैसे-वैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी खतम होते गये। मुसलमानों के आगमन से हिंदू संस्कृति का हास हुआ। और अमराजा के आने से उसी तरह हिंदू मिश्रित हिंदू-मुस्लिम सभ्यता का भी हास हुआ। फिर भी बहुत कुछ बचोप रह गया है जिसकी पृथ्वी पर सांस्कृतिक उत्थान किया जा सकता है। पुस्तकालय इस काम में बड़ी सहायता कर सकते हैं।

मुगलकाल में भी बहुत बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण हुआ था। सम्राट हुमायूँ ने आगरे के किने में राजकीय पुस्तकालय का निर्माण किया था और लालबैग को उसका पुस्तकाध्यक्ष बनाया था। सम्राट अकबर ने भी हास्तलिखित ग्रंथ का लालकिल में एक पुस्तकालय का निर्माण किया जिसमें २४ हजार हास्तलिखित ग्रंथ थे और जिसकी कीमत ६५ करोड़ रुपये थी। इस पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष उस समय के फारसी के प्रसिद्ध विद्वान फंजी रख गये। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय भाषाओं की बहुत सी पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया था। इस प्रकार प्रायः सभी मुस्लिम राजाओं के समय पुस्तकालयों के निर्माण पर ध्यान दिया गया था।

जनता पुस्तकालय का अभाव

हिंदू राजाओं द्वारा भी बहुत-से पुस्तकालय खोले गये थे। सन् १६२४ में जयपुर के महाराजा गवाई जयसिंह ने खोलेप विद्या पर एक पुस्तकालय का निर्माण किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में एक पुस्तकालय का निर्माण किया था और उस समय के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुशी भुशवत राय' पुस्तकाध्यक्ष बनाये गये थे। उन युग के मराठा सम्राटों द्वारा निर्मित तजोर में सरस्वती महल पुस्तकालय प्रायः भी मौजूद है। इस पुस्तकालय में केवल नागरी तन्त्र मलयालम बंगाली पंजाबी कन्नड़ी और उडिया प्रक्षरों में २० हजार हासिल ग्रंथ मौजूद हैं। इसमें करीब ८००० ग्रंथ ताट के पत्तों पर हैं। सन् १८१० तक भारतवर्ष में मुद्रण कला का अभाव रहा इसलिए बहुत से पुस्तकालय मुद्रित वस्तुओं का अभाव में नही शुरू। प्राचीन पुस्तकालयों पर दुर्घटना बर्षों पर हम हम निष्पत्त पर पहुँचते हैं कि पुस्तकालयों का निर्माण बलिपय व्यक्तियों से सम्बन्धित रहा है। उनका खोलेप के कोई निश्चित तरीके भी नहीं थे। कोई अधिनियम भी नहीं बनाया गये थे अतः विभिन्न पुस्तकालय नियमित नहीं। पत्र-पत्रों के अभाव में पुस्तकालय खोले गये

में सरकार ने बलकत्ते के पब्लिक लाइब्रेरी को खरीद लिया और उसका नाम 'इम्पीरियल लाइब्रेरी' रखा जो अब नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है। इस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया।

पुस्तकालय का स्वर्णयुग

पुस्तकालय के इतिहास में इस प्रकार स्वर्ण युग का प्रारम्भ हुआ। सन् १९१० में महाराजाधिराज शंयाजी राव ने अपने बड़ोदा राज्य में अमेरिका के पुस्तकालयाध्यक्ष, डब्ल्यू. ए. वर्डन की सहायता से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की एक ममय योजना बनवायी। इस योजना के अनुसार राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय होगा, जिसकी बहुत शाखाएँ होंगी। कुछ शाखाएँ चलती फिरती होंगी जो गाँव गाँव में घूम-घूमकर स्त्री और बच्चों को पुस्तक तथा पत्र-पत्रिकाओं के पढ़ने की सुविधा देंगी। इन शाखाओं के साथ अन्य दृश्य-विभाग भी रहेगा जो निरक्षर लोगों में चलचित्र द्वारा ज्ञान की बातें दिखायेगा। बड़ोदा में सन् १९१० में पुस्तकालय विभाग खोला गया। धीरे धीरे बड़ोदा में बहुत से पुस्तकालय खोले गये। उन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिए पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए बड़ोदा में सन् १९११ में पुस्तकाध्यक्ष-प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। सन् १९१२ में पुस्तकालय विज्ञान की एक पत्रिका निकाली गयी। शनैः शनैः देश में पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकें निर्मित होने लगीं। केन्द्रीय सरकार ने सन् १९१८ में लाहौर में केन्द्रीय पुस्तकालय सम्मेलन बुलाया। सन् १९२० में मसिल भारतीय 'पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन' निर्मित हुआ। सन् १९२६ में बलकत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के माध्यम-साथ अखिल भारतीय पुस्तकाध्यक्ष सम्मेलन भी हुआ।

राज्यों की सरकारों ने पुस्तकालय के विकास के लिए समितियों का निर्माण किया। पुस्तकालय के विकास में युनेस्को का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में पुस्तकालय विकास की एक समग्र योजना बनायी गयी जिसमें राज्य पुस्तकालय, जिला राज्य पुस्तकालय और अनु-मंडलीय पुस्तकालयों की व्यवस्था की गयी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय के प्रगतिशील पर विशेष जोर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने सिंहा कमेटी नाम की एक महाहकार कमेटी बहाल किया। उन समिति ने देश में अगले १५ वर्ष में लाइब्रेरी के विकास की एक समग्र योजना बनायी है। देश में जितने प्रकार के पुस्तकालय हैं—राजकीय पुस्तकालय से लेकर जिला स्तर तक—उनके बीच एक प्रकार का समन्वय होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था कि जिन राज्यों की जनता पुस्तकालयों से लाभान्वित नहीं होती, उस राज्य में ठीक तरह से राज चलाने में कठिनाई होती है। पुस्तकालयों की बढ़ती हुई समस्या को वैज्ञानिक ढंग से चलाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 'सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर 'डाक्टरेट कोर्स तक की व्यवस्था शीघ्र देश में की गयी है।

पुस्तकालय विज्ञान मात्र एक प्रकार का प्रगतिशील विज्ञान समझा जाता है। इसका बहुत कुछ श्रेय डा० रगनायन् को ही देना चाहिए। स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार का उद्गार व्यक्त किया था कि 'प्रत्येक गाँव में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। इस तरह भारतवर्ष में पुस्तकालयों का जाल बिछना जा रहा है। उन पुस्तकालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए केन्द्र एवं राज्य में अधिनियम बनाना जरूरी है। जिन राज्यों में अधिनियम बन गये हैं, उन राज्यों में पुस्तकालय ठीक ढंग से चल रहे हैं और जिन राज्यों में अधिनियम अभी नहीं बन पाये हैं उन राज्यों में पुस्तकालय जैसे-जैसे सुल जाते हैं और ठीक ढंग से चलने भी नहीं हैं। सभी तक मद्रास, आन्ध्र, एवं मैसूर में अधिनियम बन चुके हैं। वहाँ लाइब्रेरी योजनापूर्वक चल रही है। जिन राज्यों में अधिनियम नहीं बन पाये हैं उन राज्यों में पुस्तकालय-प्रशासन में अस्तव्यस्तता दीप्त पड़नी है। पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य 'पुस्तकालय सम्बन्धी शासन को नियंत्रित करना है जिसमें पुस्तकालय कम पैसों में अधिक प्रभावशाली ढंग से चले।' कहना च होगा कि प्रत्येक राज्य इस प्रकार के अधिनियम की बात सोच रहा है। •

सकल्प के बोल नित्य बोलने से उसमें निहित भावनाएँ हृदय को स्पर्श करती हैं और तदनुसार आचरण करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी अनायाम इस दिशा में गतिमान होने हैं और दान की परंपरा का पुत्र बनने में अपना योग देने हैं। आज की दुनिया में छाई हुई विषमनाएँ—उनकी विविध विधाएँ धान नमाज और राष्ट्र को कमजोर करने में लगी हैं—यह सकल्प और य उठने कदम उनकी चुनौती को स्वीकार कर उन्हें छिन्न-भिन्न करने की धानुर होते हैं और आशा बंधाते हैं कि य उभरते क्षितिज अपने जीवनारम्भ में पहले इन्हें ही मिटावेंगे।

कुमार-मन्दिर में कताई उद्योग मुख्य है। छोटे बड़े सभी को नियम कानना और कितना कान लिया उसकी जानकारी प्राथमिकता में नित्य ही देनी पड़ती है। सभी सहज भाव से ऐसा करते हैं। बच्चों की क्षमता के अनुसार जो उत्पादन होता है, उसीसे प्रकृति छूटनी करके कपड़ा बुनवाया जाता है। बच्चों की आवश्यकता के आधार पर कपड़ा बनवाकर दिया जाता है। कताई का वार्षिक लक्ष्य बच्चों की आवश्यकता के आधार पर बनती है। हरेक को सात भर में ३ कमीज, ३ बनियान, ३ नेकर, ३ चड्डी, १ तौलिया और १ धेली दी जाती है। वस्त्रों की आवश्यकता के अनुरूप कताई बड़े बच्चे को कर ही लेते हैं—बालक अधिक भी कर लेते हैं। छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती नहीं कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप गुडियाँ कात सकें। उनकी कमी बड़े बच्चे मिलकर पूरी करते हैं। बड़े बच्चों की भावना का थोड़ा अनुमान आपको हो, इसके लिए नीचे का प्रमाण देखिए .—

'गृहपतिजी के सामने छात्र-परिपक्व बंटी है। वस्त्रों की आवश्यकता की सूची बन रही है। छोटे बालक श्री हरिसिंहजी की चारी आती है। आवश्यकता तो उन्हें भी है। साल भर के लिए ३ बनियान, ३ कमीज, ३ चड्डी, १ तौलिया, १ धेली के अनुरूप कम से कम ५६ गुडियाँ तो कातनी ही होंगी। यह बालक सात भर में ५६ गुडियाँ कात नहीं सकता। क्योंकि इतनी क्षमता उसमें है नहीं। तब क्या इन्हें आवश्यकता के अनुसार कपड़े नहीं मिलेंगे? क्या ये धीरो को देखकर तरसने रहेंगे? और क्या बड़े बच्चे इन्हें तरसने देंगे? नहीं, वे क्यों तरसने? (श्री गृहपतिजी बच्चा को समझाते हैं, सहकार और समानता के भाव बच्चों में जगाने हैं, बड़े बच्चे प्रेरित होने हैं) दो बालक श्री जितेन्द्र कुमारजी और श्री वशीलालजी खड़े होते हैं और श्री गृहपतिजी से कहते हैं—'भाईजी, श्री हरिसिंहजी को भी आवश्यकता के

अनुसार कपडे दीजिये । अपनी कताई के अगवा इनकी कताई की पूर्ति हम करेंगे । हम दोनों मिठकर इनकी कमी पूरी कर दगे । हम पहेंगे और ये क्या तरसेंगे ? एसा हम नहीं होने दगे । हम सभी एक समान रहेंगे । और क्या त तन सोना बच्चे श्री हरिसिंहजी की कमी को पूरी कर देते है । श्री हरि सिंहजी को भी इन दोनों भाइयो की मदद से काफी प्ररणा मिली । उनका भी उसाह बढा—स्वाधय की भावना जगी शगता का विकास हुआ और ३० गुडियाँ उहोने भी काती ।

परिवार की विशद भावना का विकास यहाँ होना है—हवा और पानी का अनकूलता इहे प्रदान की जाती है ।

कुमार मंदिर के हर सदस्य—डोटे बडे भाई बहन सभी एक-दूसरे स आदर के साथ व्यवहार करते है । वाणी-सयम को इस व्यवहार में प्रमुखता प्राप्त है । सभी को इस मर्यादा का ध्यान रखना होता है कि उनकी वाणी स्वलता-गलता से बच्चों पर बुरा असर न पडे । बच्चे बडे सभी के लिए यह आवश्यक है कि वे एक दूसरे के नाम के आग जी लगाकर संबोधित करें । गुदजन भी छात्रो की नाम मे जा लगाकर आदरपूर्वक बुलावें । जैसे—गौनमजी, विवेककुमारजी रमेशजी आदि । सेवको को भी नाम के साथ जी लगाकर बुलाया जाता है । बहनो के नाम के साथ बहन शब्द लगाकर बुलाने की परपरा बनी है ।

वाक्य भषवान होता है । उनम निहिन देवत्व को आदर बना उसकी प्रतिष्ठा करना उसके सदगुणो को उभारकर बिकास की दिशा देना जरूरी होता है । उनके लिए आदर देने का यह परपरा प्ररक हो सकनी है एसा अनुभव आने लगा है ।

गुदजना को मास्टर साहब प्रिंसिपल महोदय, सर' आदि के विभू पणो से परे रहना पढता है । पारिवारिक भावना को हद करने के लिए हर नव निपुक्त कामबर्ताभा का यहाँ नामकरण होता है । बच्चे उहे नाम लेकर न पुकारें घृष्टा और भवणा सिर न उठाएँ इसलिए यह विधि सम्पन्न की जाती है । पायबर्ताभा के नाम पारिवारिक रिश्तो पर ही आधारित होत है—बाबाजी बाबाजी दादाजी बप्पाजी मामाजी नानाजी भाईजी जीजी आदि । बच्चे तो इन नामो स सम्बोधन करने ही है पायबर्तागण भी अधिवतर इमका प्रयोग करते हैं । इस नामकरण के कारण यानावरण मे भाःमीमता का माधुय पुता है—हम सब अपने परिवार मे ही हैं— एसा

लगता है। और हम सतव् खुले दिल दिमाग से एक दूसरे से चर्चा-परिचर्चा—समस्याओं का निराकरण आदि करते हैं। दूरत्व का विचित्र भी बोध नहीं होता। जब किसी नये कार्यकर्ता का स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है और उनका नामकरण हाता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होती है, उसका अनुमान लगाना कठिन है। वे हर्षोत्फुल्ल हो जाते हैं और उन नये व्यक्ति से मिलकर उनका प्यार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उनकी हर सम्भव सेवा का यत्न करते हैं।

कुमार-मन्दिर की हर जिम्मेदारी प्रायः बच्चे ही वहन करते हैं। वक्षा की नायकी से लेकर टोलीनायक तक, छात्रालय की व्यवस्था से लेकर मन्दिर की व्यवस्था तक, सब काम और जिम्मेदारियाँ वे ही वहन करते हैं। शाला-सभा में वे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं—उन्हें अमल में लाते हैं—कठिनाइयों के लिए गुरुजनों से मिलकर समाधान ढूँढते हैं—आपन में अनायास उत्पन्न होनेवाले संघर्षों का कारण ढूँढकर उसका समत सौम्य तरीके से करने का काम बच्चे ही करते हैं। जो समस्या उनसे नहीं गुलझ पाती, केवल उसी के लिए ही गुरुजनों के पास आते हैं। एक दूसरे की शिकायत करने की वृत्ति अभी समूल नष्ट नहीं हुई है, लेकिन कम अवश्य हुई है। इस दिशा में प्रयत्न चलता रहता है।

यह क्षेत्र सस्कार और सभ्यता की दृष्टि से अत्यधिक अविकसित है। औसतन ५-६ प्रतिशत लोग साक्षर हैं। साक्षरों में भी उनकी ही संख्या अधिक है, जो केवल अपना नाममात्र लिख लेते हैं और मामूली बानें ममज्ञ लेते हैं। निरक्षरता के इस कलक को मिटाना अजिहर शिभिनो का प्रमुख दायित्व है। इन दिशा में मन्दिर के बच्चे और गुरुजन प्रयत्नशील हैं। उनकी टोलियाँ बनती हैं, आवश्यक साधन एकत्रित करते हैं और एक एक गाँव में एक एक टोली जाती है—कौन-कौन साक्षर हैं, इनकी सूची तैयार करनी है—फिर निरक्षरों को हस्ताक्षर करना सिखाया जाना है। यो, इन काम में काफी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अनीम उदताह के आगे कठिनाइयों की यह चमक फीकी पड़ जाती है। बच्चे ३-३, ४-४ लोगों का अपना नाम लिखना सिखाते हैं—लिखने की भासात विधि बताते हैं। क्षेत्र की स्थिति, समाज का मानस और कार्य में आनेवाली कठिनाइयों का बच्चों की अनुभव होता है। उस सम्बन्ध में बच्चे प्रश्न करते हैं, गुरुजन उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नात्तर से ज्ञान बढ़ता है।

बच्चे सभी काम एक-दूसरे के सहयोग के आधार पर करते हैं। किसी काम के लिए टोली बनती है और टोलीनायक के नेतृत्व में सभी मिलकर संयुक्त जिम्मेदारी से काम संपादन करते हैं। किसी एक ही बालक पर काम का भार नहीं पड़ना, जैसा कि ग्रामरूप में देखा जाता है। सहयोग और सहकार की भावना के कारण काम का दबाव महसूस नहीं किया जाता और काम तो बस, एक बेल ही जाता है। खेल-खेल में काम पूरा हो जाता है।

बड़े बच्चे सर्वदा छोटे की मदद करते हैं। उन्हें हताश होने नहीं देते। अपना काम कर चुकने पर या कभी कभी बरने के पहले भी— अपनी सहज सुविधा से वे छोटे की सहायता करते हैं। छोटे बच्चे उन बड़े बच्चों की छाया में निरन्तर गतिमान होते हैं—उनसे हो सकनेवाले हर काम में वे भाग लेते हैं।

प्रतिदिन एक घण्टा देशी खेल होता है। विदेशी खेलों की सुविधा और अनुकूलना न होने से देशी खेलों पर ही जोर दिया जाता है। सुविधानुसार गुरुजन भी खेलों में भाग लेते हैं। खेलों में हार की भावना को तो उभारने का ध्यान किया जाना है, लेकिन विद्वेष न बड़े, सघर्ष की स्थिति न घा जाय, खेल के प्रति उदासीनता की घृष्टि न उमरे, इसलिए बड़ी सतर्कता से खेल खेलाये जाते हैं। हार-जीत की भावना को स्फुरित न होने देने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाती है। 'मैं जीता, तुम हारे—इसके कारण ही तो विद्वेष फैलना है, सघर्ष होना है, उदासीनता-हीनता बढ़ती है। यहाँ इसको पतनने नहीं दिया जाता। "बस, खेलना हमारा काम है। शारीरिक स्वस्थता के लिए हम खेलते हैं, स्फूर्ति और सुघडपन हममें आये, खेलों के नियमों-उपनियमों को हम जानें—इसलिए खेलना है—खेलते हैं—हार-जीत से हमारा कोई मतलब नहीं होता।' इस भावना को बच्चों के मानस में विविध उपायों द्वारा उतारा जाता है।

हर साथी और बच्चे इसका आग्रह रखने हैं कि हमारे साथ रहने वाले पड़-पौरे, कीड़े मक्काड़े, जीव जन्तुओं के नाश हमारा व्यवहार सौम्य हो। ये भी हमारे परिवार के अंग हैं। 'हम इन पौधों को बड़ी आभोज्यता से लगाने हैं—इनकी रक्षा करते हैं—इन्हें अन्न पानी देते हैं, सारसमात करते हैं, विकास की दिशा में बढ़ने के लिए हर सुविधाएँ जुटाते हैं, तो उन्हें कोई तर्कहीन न हो, इनका भी रक्षण हमें रखना चाहिए'—इस भावबोध के

साथ इनके साथ व्यवहार करते हैं। बच्चों को इसका एहसास कराया जाता है कि पेडा-पौधा के पत्त तोड़ने से उन्हें कष्ट होता है जैसे कि हमको होता है। य भी हमारी तरह हमें रोना गाठ है। दुख का अनुभव करते हैं श्री जगदाशचन्द्र बसु का परिचय इन प्रसंग में दिया जाता है। उनके अनुभवानों का परिचय दिया जाता है। परिवारों में साँपा विच्छिन्ना और चूहों की भरमार है। जहाँ तक बना है इनके साथ परिवारों की सदस्यों का व्यवहार होता है मारा नहीं जाना इन्हें पकड़कर दूर बेजाकर छोड़ दिया जाता है। गोशला की गायों और बछड़ा के साथ आत्मीयता बनायी जाती है और स्नेह-दान मिलता है।

छात्र निवास के सामने ही पेडा की बत्तारें हैं। हर पेड़ों के इद गिद मिट्टी और पत्थरों का झोटा बना है। पेड़ों की जड़ों के पान कुछ जगह छूटा हुआ है। शोले पर ही बैठकर बच्चे दातुन-कुसल करते हैं। दातुन के चीर वही पात्र में इकट्ठा किये जाते हैं। अथवा दातुन बरतन का निषेध है। जगह जगह धूक पात्र रखे हैं। इधर-उधर धूकना बजित है। नाक का मल भी इधर उधर नहीं गिराया जाता। यदि अचानक गिर गया तो तत्काल मिट्टी से ढक दिया जाता है। जगह जगह पेशाबघर बने हैं। छात्र या अथ कोई भी अंतर्वासी बाहर मल-मूत्र का त्याग नहीं करते।

मंदिर की ओर से बाल विनाद श्रैमायिक निकलता है जो हस्तलिखित होता है। बच्चे ही इसके सारे काम करते हैं। सम्पादक उपसम्पादक बच्चे ही होते हैं। इसमें लेख कहानियाँ कविताएँ आदि अधिवक्त्र बच्चों की होती हैं। उनकी मनोमय वन आ की दिशा इससे जानी जाती है। बच्चों को प्रोत्साहन मिले इसके लिए गुरुजन भा पत्रिका के अनुसूचक प्रक रचन एँ देते हैं। हर बच्चे की रचनाएँ उनके अपन अक्षरों में लिखी होती हैं। रंग चित्रों के अथवा इसमें दी जाती है। परामर्श और व्यवस्था के लिए एक सम्पादक मण्डल गठित है जिसमें ३ गुरुजन हैं। श्री अनन्त जी इसके प्रवक्त्र सम्पादक हैं और श्री भार्गवसिंहजी कक्षा ७ इसके सम्पादक हैं। श्री कुमारी चित्रावती वामनिधा सम्पादक की सहायता करता है। पत्रिका हर वर्ष १५ अगस्त २ अक्टूबर २६ जनवरी और १८ अप्रैल का प्रकाशन होती है। पत्रिका की रूप सज्जा और चित्र सज्जा के लिए श्री मन १ जी स्वरूप निमाण और व्यवस्था करते हैं।

—काली प्रसाद 'आलोक'

अंधी खाइयाँ और तड़पते फूल

विवेकी राय

मेरे सामने ग्रामीण भारत की तड़पती नयी पीढ़ी है जिसके सामने घना अधकार है। भविष्य के सपनों के नाम पर घोर निराशा की दाहक बिनगा रिया हैं। परिस्थितियों के मार से टूटा उल्लान है। अभिशाप्त जवानी मर्महित होकर घूल में जोर रही है। रोजी रोनी और नौकरी का भस्वर शिखर तो बहुत दूर है तलहटी की पास-केलवाली अंधी खाइयाँ हैं जो प्रनयिनन शिक्षित नाम से पुकारे जानेवाले युवकों के लागों से पटी हैं। हाय रे वह शिक्षा जो कोरी नौकरी मात्र दिलाती है। हाय रे वह वेड्डा जुगा जिसमें तवीस अरु से ऊपर प्राप्त करनेवालों के लिए भाफिस के बावू की कुर्सी है और इससे एक अरु भी कम पानेवाले के लिए सीधे रेल की पटरी और हाय रे वह अच्छी सरकार जो इसे देखते-सुनते भी कथन उपनयन की फाइल मात्र बनती जाती है।

तो शुरू करें वह क्या ? अगर क्या तो एब पूरी ब वता है। युवकों के हृदय की येनाएँ क बना के रूप में निराश हैं। उनही पीडा में सूकान होना है उनकी मगवेदना में ज्वालानुखी का सा विस्फोट होना है। उसमें झुंझने की मरमराहट नहीं बल्कि टूटन की सद्यःसाहट हानी है। यह वह भाग हानी है जा पहाड का पेट फडकर निभर ब रूप में वह निराशती है। उसवे प्रवाह में अचर यह जाने है। मेरा दिन जा घान दिन भर ह वाहोन रहा तो क्या

आश्चर्य ? कमल के पत्र में ऐसा ही एक बवंडर है। कई बार पढ़ गया। नये खून का हाहाकार कागज से उतरकर चित्त पर चढ़ गया है। शब्द शब्द अपनी गूँज की धुमन ले कर छा गये। भावों की वे सजल मेघ की तरह पत्तियाँ विजली जैसी चमक उठती हैं।

इन प्रकार कमल के पत्र से ऐसे अद्वय ब्रह्म और अलेख लेख की गूँज निकलती है कि विचलित कर देती है गाँव की यह शिक्षित युवक क्यों ऐसा है ? क्या वह यह नहीं जानता है कि उसके देश का नवीन निर्माण होने जा रहा है ? क्या उसे यह पता नहीं है कि उसके ग्रामीण परिवेश का आशुद मस्तक चाया कल्प होने जा रहा है ? क्या उसे यह पता नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं की तथाकथित सफलताओं से स्वर्णरत्न का उबलास मुरभि का सुयोग मिल-जाना चाहिए ? तब यह क्यों निराश है ? क्यों रोता है ? किन्तु मैं इन प्रश्नों के उत्तर के पूर्व यह जानना चाहूँगा कि वह जिन शौगो जानवरों, भ्रष्टाचारियों गदी गलिया, खण्डहर से मकानों, भू-खाने सी बँसवारिया, टूटी चारपाइयों, कार्ड और सेवार-मरी गडहियों की मेलला कचहरी धानेदार की चर्चियों, कीचड़ से विचारों, अज्ञान भरे ज्ञानों और मरी हुई जिदगियों के बीच रहता है, उसका क्या ठीक-ठीक पता सबको है ? क्या देश के कणधार जानते हैं कि स्वराज्य मिते एक युग बीन जाने पर भी ऐसा तिमिरप्रस्त गाँवा का मुल्क है जहाँ अपने देश और राज्य के ज्ञान की कोई हल्की विचार विरणु भी नहीं उपजी ? जहाँ इस तरह की कल्पना कि अपने लिए नहीं देश के लिए जीना है' की भी नहीं जा सकती, जहाँ जीवन की सीमा बाल बच्चों तक सीमित है, जहाँ शिक्षा का अर्थ केवल यही है कि बालक स्कूल जा रहा है और फीस लग रही है, जहाँ एक पैसे के नमक की चिन्ता करनेवाले लोग फीस की गहरी रकम चुकाते एँठ एँटकर रह जाते हैं और महज ही आशा करते हैं कि वेटा बड़ा होकर कमायेगा, पढ़ लिख कर घर भर देगा, उसकी नौकरी लगते ही दिन लौट आयेंगे। बस, आगे कुछ नहीं। कल्पना की दौड़ इससे आगे जा ही नहीं सकती है। उनके आगे भावी पीढ़ी की सिद्धि के दो सोपान हैं। पहला परीक्षा पास करना और दूसरा नौकरी करना। उन्हें क्या पता कि अभी परीक्षा की ताडका के लिए किमी राम का भवतार नहीं हुआ और न नौकरी की पूढना के लिए किसी गानुए विहारी ने ही जन्म ग्रहण किया है। एक हथकड़ी है दूसरी वेडी। हर भारतीय ग्राम का विकल शिक्षित नौजवान चोर है। अग्निभावकों के सामने वह खड़ा है। सिर झुका है। अग्निभावक दाँत पीस

कर कहता है 'आवारा हो गया है। जवानी इम टिप्पणी को सह नहीं पाती। वह उफनती है उबलती है।

कमल लिखता है—

घनघोर निराशा के बीच जब मैंने किसी प्रकार अपने को सँभाला तो आँखों ने आँसू के दो बूंद गिरा दिये। वे आँसू जिनमें मेरी भूतपूर्व परीक्षा और उसकी विफलता का इतिहास लिख गया। सामने किताब फँली मिली। किताब में वही पाठ खुला मिला जिसकी पीढा आज एकदम बेचैन कर देती है। बी० ए० के द्वितीय वर्ष में परीक्षा देने में मुझे पूरा आशा थी कि सफलता मिलेगी। इसी बीच दुर्भाग्य ने एक खेल खेला। खेल बड़ा निष्ठुर और कटु रहा। उस मैंने सह लिया पर यह आज की पीढा ? आह। यह तो एकदम असहनीय है। यह जनरल इंगलिश का वही पन्ना पयो खुला है जिसने मेरे भाग्य के सुख पर कालिख पोत दी। ठीक वही पाठ, ठीक प्रश्न पत्र में आये हुए प्रश्न का अध्याय। अंग्रेजी के लिखित प्रश्न पत्र के दिन ही उनकी मौखिक परीक्षा—लिखित परीक्षा ७ बजे सुबह और मौखिक परीक्षा ७ बजे शाम को। ठीक एक ही प्रश्न। मगर भाग्य ? वह तो खेल खेल रहा था। कहने की यह आवश्यकता नहीं कि मेरी सफलता और असफलता के बीच की दूरी महज १२ घण्टे की थी। वे घण्टे कट गये। दिन कट गये। मास कट गये, परन्तु आज के ये क्षण ! ओह, ये तो ब्रह्मा के दिन हो गये। पाठ ब्रह्माण्ड होकर मेरे मस्तिष्क शून्य में चक्कर फाटने लगा। क्या सचमुच जीवन की सफलता का अर्थ था कागज पर विदेशी लिपि और भाषा में लिखा यह पाठ ? हाय रे, योग्यता की परीक्षा लेनेवाला मानव ? हाय रे ! मेरे भाग्य के दूबते सितारे ! आज मेरे सामने एकदम अंधेरा है, रोता अंधेरा है। कहीं से आवाज आती है कि 'फैल हो गया'। तो सून खोल उठता है। जिनके लिए काला अक्षर भैस बराबर है उनकी दृष्टि में मैं 'आवारा हूँ। क्या मैं आवारा हूँ ? बताइए कहीं आवारा हूँ ? क्या आवारा इसलिए हूँ कि पढ़ रहा हूँ ! क्या मैं दूध की मक्खी इसलिए हूँ कि पैस का पेड़ लिए नहीं घूम रहा हूँ। क्या मेरी परछाई इमलिए हल्की हो गयी है कि 'पूरव' या 'पश्चिम' गौब छोड़कर नहीं गया ? और न परदेश से लौटकर पड़ोसियों पर पौंस जमायी, न सिनेमा की अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की प्रशंसा की, न 'शांति' आदि रोचक शहरी शब्द का प्रयोग किया न 'बाप' को 'पापा' या "डैडी" कहा, न स्त्री को "मैडम" कहा ? लोग मुझे घर से निकलने नहीं देते। निकल पड़ें भी तो धायद सदा के लिए, दूररी और "केठ" के लिए घर में प्रवेश की आज्ञा नहीं। सँघ

छद्मदर की गति । वही मेरा अध्ययन मेरे इस जन्म की निधि बोडी के माल की न हो जाय ? मोने से तोल तो उसकी होगी जिसके पास प्रमाण-पत्र है । बिना प्रमाणपत्र के मैं एक पेल इन्मान 'भावारा' हूँ । जिस परम पिता ने हमे दिश्व में भेजा, जिसने मुझे हरियाली के बीच खिलने का अवसर दिया, जिसने मुझे सोने चाँदी-मा चमकाया, तो क्या ये मेरे प्रमाणपत्र नहीं ? क्या इसलिए कि उस पर सरकार की मुहर नहीं है ? पीड़ितों के खून के बलिदान का मूल्य कहां ? पक्षे के नीचे बैठे इंसान की बलम के त्रोक के नीचे जो स्याही है वही असली प्रमाणपत्र के चक्रे को सही करती है । तब मैं भी चर्चूँ । अपने गून को स्वाही के रूप में बदल दूँ । पुस्तको को उलट दूँ । पाठो को बन्द कर दूँ । सेबिन यह पाठ बन्द होता नहीं । अक्षि भूँद लेने पर भी चमकता है । 'दी गायियन वे' । कोडे पर कोडे मारकर बेचैन कर देता है । नीचे लेखक को जगह लिखे 'एस०' और 'राधगृष्णन्' शब्द को काश मेरे आँसू गीले कर देते ?"

यह है कमल के पत्र का भ्रश । क्या राष्ट्र के इन युवक आँसुओं को कोई समझ सकता है ? मैं देश के कोटि-कोटि तड़पते कमलों से कहना चाहता हूँ कि प्रतीक्षा करो । गाँव की अंधी साइयो से उठो । अपने को सम्पूर्ण भाव-सम्पत्ति के साथ राष्ट्र के ऊपर छा जाने दो । भविष्य तुम्हारा है । •

अक्सर माना जाता है कि लड़कों को जिन्दगी के लिए कुछ जरूरी जानकारी देना और उसे कितनी जानकारी हासिल हुई, इसकी एक बार परीक्षा लेना, यही तालीम की कसौटी है । मगर तालीम की यह कसौटी विलकुल ही एकांगी है । उसमें बहुत हुआ, तो तर्क-शक्ति की, स्मरण-शक्ति की परीक्षा होती है । लेकिन जिसे हम आत्म विकास कहते हैं, उसकी प्रगति लड़कों में कहीं तक हुई, इसका उससे पता नहीं लग सकता ।

—विनोबा

योजना-पाठ-संकेत

वशीधर श्रीवास्तव

[गत जुलाई अंक में होली की योजना का पाठ सवेत दिया गया है । प्रस्तुत पाठ सवेत उसी क्रम में है ।—म०]

दिनांक	वक्षा ४	घटा ५ ६	समय ८० मिनट
--------	------------	------------	----------------

योजना — होली या उत्सव मनाना ।

उपयोजना — रंगमच के लिए फूलदान सजाना ।

सम्बन्धित विषय — सामान्य विज्ञान ।

प्रसंग — फूल के भाग और उसके कार्य ।

मुख्य उद्देश्य —

क्रिया सम्बन्धी १ फूलदान में फूलों को विभिन्न क्रमा में सजाने की विधि बताना ।

ज्ञान सम्बन्धी २ फूल के भाग और उनके कार्य बताना ।

पूर्वज्ञान छात्र विभिन्न प्रकार के फूलों से परिचित है ।

प्रस्तावना १ बच्चों होली के उपलक्ष में तुम्हारी कक्षा को कौन सा काय दिया गया है ? (रंगमच के लिए फूलदान सजाना)

२ फूलदान सजाने के लिए कितने किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
(फूलों और फूलदानों की)

३ फूलदान हम क्यों सजाने हैं ? (शोभा बढ़ाने के लिए)

४ रंगमच के लिए फूलदान तुम किस प्रकार सजाओगी ? (समस्या)

उद्देश्य कथन आज हम लोग रंगमच के लिए फूलदान सजाना सीखेंगे ।

प्रस्तुतीकरण छात्राभ्यापिका विभिन्न प्रकार के फूलदान छात्रों को दिखा कर प्रश्न करेगी ।

१ तुम लीज कितने प्रकार के फूलदान देख रही हो ? (लम्बे गोल चपटे तिकोने लटकानेवाले दीवानों पर रखनेवाले जग के आकार के इत्यादि ।

२ (छात्राध्यापिका सजे फूलदानों को दिखाकर प्रश्न करेगी) इन फूलदानों को किननी तरह सजाया गया है ? (गोलाकार त्रिकोणाकार घडाकार, चद्राकार रूप में)

३ गोलाकार फूलदान को किस प्रकार सजाया गया है ? (विभिन्न प्रकार के फूलों में गोलाकार रूप बनाया गया है ?) क्यों ?

४ (लम्बे फूलदान की ओर सकेत करके) इस फूल को किस प्रकार सजाया हुआ देख रहे हो ? (लम्बी डठी के एक रंग के फूलों से । क्यों ?)

५ चपट फूलदान को किस प्रकार सजाया गया है ? (गुलाब की छोटी डठीवाली फूलों से । क्यों ?)

६ (त्रिकोणाकार फूलदान की ओर सकेत करके) यह त्रिकोणाकार फूलदान किस प्रकार सजाया गया है ? (भ्रममान कोण बनाने हुए तीन फूल रंगे हैं क्यों ?)

उपयुक्त फूलों से सजे फूलदानों के अनिश्चित छात्र अध्यापिका विभिन्न प्रकार के अन्य फूलदानों के चित्र भी दिखायेगी जिसे वह रूद्राफ पर चिपकाती जायेगी ।

७ (विभिन्न प्रकार के फूलों को दिखाकर) यह फूल किस प्रकार के हैं ? (लम्बी ओर छोटी डठीवाले घनी व कम पसुडोवाले इत्यादि ।

८ फूलों को सजाने समय जो पसुडियाँ गिर जाती हैं उन्हें तुम लोग कहीं रखोगी ?

(छात्राध्यापिका बतायेगी कि घसुदर पसुडियों का उपयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि एक घीसे के कटोरे में पानी भरकर उस पर उनको फेंका देने से सुदरता बढ़ जाती है । छात्राध्यापिका करके दिखायेगी)

९ फूलों को ताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए ? (फूलदान में पानी भरकर रखना चाहिए ।)

आदर्श प्रदर्शन (छात्राध्यापिका बतायेगी कि जब तुम्हें विभिन्न फूलदानों के विषय में पान हो गया) जब मैं तुम्हें इस तरह का फूलदान सजाना बताऊँगी । (माडल की ओर सकेत करेगी) ।

१ फूलों को छाँटकर लगाना ।

२ कपापूरण ढग से सजाना ।

३ रंगों का ध्यान रखना ।

४ व्यवस्थित ढग से सजाना ।

५ फूलदानों के आकारानुसार फूल सजाना ।

६ फूल को बरबाद न करना ।

७ फूल ताजा रखने के लिए फूलदान में पानी भरना ।

उपयुक्त सावधानियों को छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखती जायेगी ।

सामग्री वितरण छात्राध्यापिका प्रत्येक बालक को डलिया में फूल और फूलदान देकर उन्हें सजाने का आदेश देगी ।

क्रियाशीलन : छात्र अपनी इच्छानुसार फूल सजायेंगे और साथ ही श्यामपट्ट पर लिखी सावधानियों का ध्यान रखेंगे ।

निरीक्षण कार्य छात्राध्यापिका प्रत्येक बालक के पास जाकर देखेगी कि वे फूलों को नष्ट न करें । साथ ही उनके बैठने व कार्य करने का ढंग सुधारेंगी और आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करेगी । पक्षा में अनुशासन रखेगी ।

श्यामपट्ट कार्य : उपयुक्त सावधानियों को अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी ?

विचार विमर्श छात्रों द्वारा सजाये गये फूलदानों को अध्यापिका सामने रखकर छात्रों से उनकी तुलना करवायेगी । छात्र अपनी ग़ुटियाँ स्वयं निकालेंगे और विचार विमर्श करेंगे ।

सम्बन्धित विषय सामान्य विज्ञान

उद्देश्य कथन अब हमलोग फूल के भाग और उसके कार्य के विषय में पढ़ेंगे ।

प्रस्तुतीकरण अध्यापिका प्रत्येक बालक को डल सहित फूल देगी और उनसे फूल का निरीक्षण करने को कहेगी ।

प्रश्न :

१ फूलों का कौन सा भाग तने से जुड़ा है ? (सबसे नीचे का डल-वाला भाग)

२ (डल की ओर तकत करके) इस भाग को क्या कहते हैं ? (डल)

३ डल का क्या कार्य है ? (फूल को ऊपर उठाये रखना और फल तक खाना पहुँचाना ।)

४ डल के ऊपरी सिरे पर फूल का कौन सा भाग देखती हो ? (छोटी-छोटी हरी पत्तियों का भाग)

५. (पुष्पक की ओर सकेत करके) इन छोटी हरी पत्तियों के समूह को क्या कहते हैं ? (पम्बुडियो या पुष्पक) •

६. पुटचक्र का आकार कैसा है ? (बटोरी की तरह)

७. पुटचक्र का क्या कार्य है ? (फूल की रक्षा करना)

८ (दलचक्र की ओर संकेत करके) पुटचक्र के भीतर का भाग किस रंग का है ? (लाल)

९ यह लाल रंगीन सुन्दर भाग क्या कहलाता है ? (पखुडियाँ)

१० पखुडियों के पूरे समूह का क्या नाम है ? (दलचक्र)

११. दलचक्र का क्या कार्य है ? (फूलों के कोमल भागों की रक्षा करता)

१२ दलचक्र का रंग सुन्दर तथा भड़कीला क्यों होता है ? (कीड़े इसकी ओर घायें)

१३ (पुकेसर की ओर संकेत करके) यह पतला सूत्र क्या कहलाता है ? (चोटी या पुकेसर)

१४ पुकेसर का क्या कार्य है ? (भ्रमर्या) (बीज बनने में महत्वपूर्ण करेगा)

१५ (स्त्री, केसर की ओर संकेत करके) फूल के सबसे बीच का भाग क्या कहलाता है ? (मध्यापिका छात्रों के न बताने पर बतायेगी यह फूल का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है)

१६. स्त्री-केसर का क्या कार्य है ? (बीज पैदा करना)

फूलों के भाग बताते समय मध्यापिका फूल के भाग का चार्ट दिखायेगी ओर श्यामपट्ट पर खींचते जायेगी ।

पुनरावृत्त प्रश्न

१ फूल के कितने भाग होते हैं ?

२. पुटचक्र का क्या कार्य है ?

३. स्त्रीकेसर क्यों फूल का आवश्यक भाग है ?

श्यामपट्ट-कार्य : छात्रों से प्राप्त उत्तरों को सुधारकर मध्यापिका श्यामपट्ट पर निम्न बातें लिखेगी ।

१ फूल के भाग :—१ डठल, २. पुटचक्र, ३. दलचक्र, ४ पुकेसर ५ स्त्रीकेसर ।

२. पुटचक्र फूल की रक्षा करता है ।

३. स्त्रीकेसर में बीज तैयार होता है ।

लिखित व निरीक्षण कार्य : छात्रामध्यापिका कावियों पर श्यामपट्ट से उतारेगी । छात्रामध्यापिका उनका निरीक्षण करेगी । उनके बैठने व लिखने का दृश्य सुधारेगी । •

राजस्थान सरकार की शिक्षा-नीति का श्वेत पत्र

भुवनेशचन्द्र गुप्त

[राजस्थान शिक्षा-विभाग की ओर से आयोजित भावू-मणोष्ठी में राजस्थान सरकार की 'शिक्षा-नीति-श्वेत पत्र' विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा-धिकारियों एवं शिक्षा-विशेषज्ञों ने इसके विविध पहलुओं पर स्वतंत्रतापूर्वक अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। नीचे उसकी रूपरेखा दी जा रही है। सं०]

यह श्वेत पत्र संभवतः एक या दो माह में राज्य विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस श्वेत के पारित हो जाने पर शिक्षा-विभाग एवं शिक्षा के अन्य अभिकरणों के उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट एवं स्थिर हो सकेंगे।

श्वेत पत्र के प्रारूप में छह अध्याय हैं :—

१—उद्देश्य

२—शिक्षा और जीवन, अर्थात् शिक्षा उत्प

३—शिक्षा के लिए अवसर की समानता

४—शिक्षकों की शिक्षा, व्यावसायिक उन्नति और स्तर

५—स्तरोत्तर उन्नति

६—वित्त और प्रशासन

कोठारी आयोग के समान प्रस्तुत राजस्थान के श्वेत पत्र में भी भावी शिक्षा-नीति के निम्नांकित चार लक्ष्य रखे गये हैं —

- १—शिक्षा तथा उत्पादन के मध्य के अन्तर को दूर करना
- २—शिक्षा प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्रदान करना
- ३—शिक्षकों के शैक्षिक स्तर समुन्नत करना
- ४—शिक्षा के समस्त सापानों को उच्च स्तर प्राप्त कराना

श्वेत पत्र में निम्नांकित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है :

- १—राज्य एवं निजी प्रयत्ना की शिक्षा-क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी ?
- २—इस आधार पर भविष्य में शिक्षा-तंत्र का क्या रूप होगा ?

इस प्रकार श्वेतपत्र में विज्ञान, उद्योग, भाषा आदि से उत्पन्न सभी समस्याओं पर विचार किया गया है। यह राज्य की स्थायी नीति की एक रूपरेखा मात्र है। शिक्षा आयोग की सत्सुति के अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नियमों में सम्बन्ध करके उन्हें एक अधिनियम का रूप दिया जाना निश्चित किया गया है।

यह श्वेत पत्र राज्य में शिक्षा की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने का एक आधार है। इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नांकित हैं —

१ आज पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ केवल ०.५ प्रतिशत बालकों को ही मिल पाती हैं। यह सुविधा भी केवल उन बच्चों का ही मिलती है जो कि नगरों में रहते हैं और मध्यम परिवार के हैं। राज्य की शिक्षा नीति (श्वेत पत्र) के कार्यान्वयन में यह सुविधा बढ़कर १० प्रतिशत बच्चों को मिल सकेगी और उसमें विपन्न परिवार के बच्चों को स्थान मिल सकेगा।

२ राजस्थान राज्य के छह से सात वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन् १९८५ से १९८६ तक पहली बक्षा में प्रवेश पाने की व्यवस्था कर दी जायेगी। इसी आधार पर छह से ग्यारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे कुछ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ सकेंगे।

३ इन समय प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात १ : १० का है। श्वेत पत्र में यह अनुपात घटाकर १ : ५ करने का विचार है।

४ श्वेत पत्र में माध्यमिक विद्यालयों (Secondary School) की संख्या प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर पाँच कर देने का विचार है।

५ इनके पारित हो जाने पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक महा-विद्यालय की स्थापना होगी तथा प्रत्येक महाविद्यालय में विज्ञान-शिक्षा की

व्यवस्था कर दी जायेगी। महाविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के आधार पर हा हो सकेगा।

६ धायात्मिक एव अल्पकालीन शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने की श्वेत पत्र में सन्तुति की गयी है।

७ इसमें शिक्षका के वेतन में सुधार का आश्वासन दिया गया है तथा वेतन-मान अध्यापक की योग्यता एव अनुभव के आधार पर किया जायेगा। इस दृष्टि से प्राथमिक शाला में रहकर भी कोई स्नानकोत्तर शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) की वेतन शृङ्खला में आ सकेगा क्योंकि वेतन-मान निर्धारण इस आधार पर नहीं होगा कि वे किस प्रकार के विद्यालय अध्यापन कार्य करते हैं। इसी प्रकार योग्यता एव अनुभव के आधार पर कोई भी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने रहकर भी निरीक्षक एव उप निदेशक की वेतन शृङ्खला में स्थान पा सकेगा।

८ सभी शिक्षका की वेतन शृङ्खला एव वेतन मान में समानता लाने का निश्चय श्वेत पत्र में किया है। इस सुविधा का लाभ सरकारी, गैर सरकारी, पंचायती एव नगरपरिषद के विद्यालयों में काम करनेवाले सभी शिक्षकों की सेवा, परिस्थितियों, वेतन शृङ्खलाओं आदि में समानता लायी जायेगी।

९ शिक्षा-नीति निर्धारण में शिक्षक का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए अध्यापका के व्यावसायिक सगठनों का प्रास्ताहित करने की नीति अपनायी जायेगी।

१० निजी सस्थापना का शिक्षा की उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक-व्यय पर उन्हें दत्त प्रतिशत अनुदान तथा अन्य स्वीकृत-व्यय पर कुछ प्रतिशत अनुदान देने की नीति अपनायी जायेगी।

११ निरीक्षण की प्रभावकारिता बढाने के लिए उन्हें अधिक अधिकार मिलने तथा प्रशासन को दृढ़ करने के लिए राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार शिक्षा विभाग को शक्ति दृढ़ किया जायेगा।

१२ शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए पाल्थनम सुधार, सेवारत प्रतिशाल, स्वायत्तनामी विद्यालय, विद्यालय सगम आदि कार्य पायहप में परिणत किये जायेंगे।

राजस्थान राज्य का यह श्वेत पत्र शिक्षा का अधिार-पत्र (Charter) कहा जा सकता है। आज के युग में परिवर्तन बढी तीव्रता से हो रहे हैं, इनके साथ सभी को बढत मिलाकर चलना पडेगा, परंतु स्थापना की

अन्यता एक बड़ी बाधा है। योजनाबद्ध कार्य से सभ्यता को अनावश्यक बर्बादी नहीं होती, परन्तु योजना बनाने के पूर्व तात्कालिक एवं सुदूर भविष्य की आवश्यकताओं का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। धन और जन शक्ति का भी पूर्ण उपयोग इस तरह किया जा सकेगा। इस कार्य के लिए एकाग्रता आवश्यक है। इनके लिए श्वेत पत्र में संगठित सुयोजित समन्वित, सुबद्ध रूप से सभ्य प्रयास हो सकेंगे। यह आवश्यक है क्योंकि शिक्षा के दूरगामी प्रभाव होने हैं। अतः ऐसे उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए शिक्षा जगत में प्राथमिकताओं एवं प्रमुखताओं को स्थिर करना पड़ेगा, अन्यथा कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हो सकेगी। राज्य में शिक्षा को प्रमुखताएँ तथा प्राथमिकताएँ तय करने के लिए श्वेत पत्र एक आधार-स्वम्भ है। ऐतिहासिक महत्व का यह दस्तावेज शिक्षा के सभी अभिकरणों को इस ओर चलाने में सहायक होगा।

सुझाव और समीक्षा

(१) शिक्षा-क्षेत्र में श्वेत पत्र से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करनेवाले लोग हैं। उसकी सफलता असफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि शिक्षा क्षेत्र में कार्य करनेवाले लोग इसे किसनी लगन उत्साह तथा ईमानदारी से क्रियान्वित करते हैं तथा अप्रक्षित परिणामों की ओर अग्रसर होने में योगदान देते हैं। समस्त योजनाओं का लक्ष्य एक ही होता है कि छात्रों की अच्छी शिक्षा — और यदि वही नहीं हुई तो सुधार एवं परिवर्तन करने की समस्त योजनाएँ निराल हो जाएँगी। श्वेत पत्र में इसपर भी विचार विस्तार से किया जाना चाहिए था।

(२) आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सोचें कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना ही न हो। इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा का क्या रूप होगा? वर्राकि कौठारी भाषीय की ससुति के अनुवार दोनों को शिक्षा एक समान देने की बात कही गयी है जबकि दोनों के क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। श्वेत पत्र में इस पर विस्तार से विचार आवश्यक था।

(३) आज की शिक्षा में लगनशील, ईमानदार एवं सच्चे कार्यकर्ता तमो मिल सकेंगे जबकि भारत की सांस्कृतिक धरोहर अर्थात् जीवन के मूल्यों को बालकों को देने का प्रयास हो। गुरु-शिष्य की प्राचीन परम्परा एवं सम्बन्ध बनाने का ओर प्रयत्न हो। परन्तु श्वेत पत्र में इस बात पर विशेष ध्यान नहीं गया है।

(४) राजस्थान सरकार की शिक्षा-नीति का श्वेत पत्र राजस्थान की शिक्षा के ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् राज्य में शिक्षा की बहुत प्रगति हुई है, किन्तु इस प्रगति ने शिक्षा की मूलभूत कमियों को और अधिक उभार कर सामने प्रस्तुत कर दिया है। शिक्षा-क्षेत्र में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ था। पहले शिक्षा पर डेढ़ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय किया जाता था, अब यह रकम बढ़कर तीस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गयी है। परन्तु शिक्षा में जितना परिवर्तन आना चाहिए था उतना नहीं आया है। सैकड़ों वर्षों से चली आती हुई पद्धति को बदलना इतना सरल भी नहीं है। इस प्रकार शिक्षा से जहाँ तक सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली क्योंकि शिक्षा-क्षेत्र की प्राथमिकताएँ अथवा प्रमुखताएँ निर्धारित नहीं की गयी थी। परन्तु व्यक्ति के चरित्र के बिना कुछ नहीं हो सकेगा।

(५) आगे आनेवाले वर्षों में शिक्षा स्तर तथा ढाँचे के विकास के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। परन्तु सामाजिक विषमता मिटे बिना ऐसा कैसे होगा। सामाजिक विषमता मिटाने की योजना या विचार पर कुछ सोचा नहीं गया है।

(६) तीसरे, इसके साथ-साथ उन पिछड़े हुए लोगों को भी साथ में लेना होगा, जिन्होंने अब तक शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएँ भी नहीं पायी हैं। इसलिए भविष्य में शिक्षा के स्तरीकरण के साथ-साथ उनका नियंत्रित तथा योजनाबद्ध फैलाव भी चलता रहेगा। इस दृष्टि से गाँवों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। अतः गाँवों में यह कैसे हो सकेगा इस और कोई संकेत नहीं किया गया है।

(७) आज की परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है और इन परिवर्तित परिस्थितियों में अध्यापक अपनी जिम्मेवारी सभाल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक योग्य हों एवं पूर्णरूपेण संतुष्ट हों। यदि वे संतुष्ट न हों तो वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकेंगे। राज्य का दायित्व है कि वह अध्यापक की स्थिति सुधारे। निजी संस्थाओं में आज भी न तो पूरे वेतनमान है और न नियत समय पर उन्हें पैसा मिलता है। उनके स्वाभिमान पर रुदा चोट की जाती है। उससे उसकी सुरक्षा का भी निपण्ड हो।

(८) जहाँ राज्य अध्यापक का वेतनमान उठाकर उनकी स्थिति में सुधार करे, वहाँ अध्यापक को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह कारखाने में

क'प'सोल मजदूर से भिन्न व्यक्ति है। अध्यापक के प्रति सम्मान का भाव किनी सरकारी भ्रजा से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह तो अपने स्वयं के प्रयत्नों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अध्यापक को मदा ज्ञानार्जन एव व्यक्तित्व के विकास के अवसर राज्य सरकार को जुटाने चाहिए। इसे भी श्वेत पत्र में रख लेना चाहिए।

(६) बच्चा का विकास करना अध्यापक का प्रमुख दायित्व है। इस कार्य के लिए अध्यापक को बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने एडोंगे क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो एक वे देखने हैं। आदर्श सुत्र-मुविधाभा के बीच पले विवशता का क्या मूल्य है? पत्र के अधीन रहनेवाला अध्यापक बच्चे के सामने क्या आदर्श रख सकेगा?

(१०) शिक्षा-नीति निर्धारित करने से सम्बन्धित समस्त कार्यों में अध्यापको को सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि नीति का निधारण वे ही लोग करें, जिन्हें इसे कार्यरूप में परिणत करना है। यह कार्य अध्यापक प्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ करते हैं, जबकि वे द्रागे आनेवाले सूत्र के बारे में विचार करते हैं और अपनी योजना बनाते हैं। अत्र अवकाश से तात्पर्य कार्य की समाप्ति न समाप्ता जाय ध्रविनु कार्य के आरम्भ से ही समाप्ता जाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान राज्य में भिन्न-भिन्न स्तर पर प्रीष्मावकाश या शीत-कालीन अवकाश सगोष्ठी आयोजित करने की योजना पर विचार श्वेत पत्र में होना चाहिए। अध्यापको के अध्ययन के लिए मुख्य स्वातो पर पुस्तकालय एव रहने को व्यवस्था करनी चाहिए। निश्चित समय पर उसे ऐसे कार्य के लिए छूट का प्रावधान श्वेत पत्र में नहीं है। •

स्कूल ने यदि विद्यार्थियों के प्रति अपना पूरा फर्ज अदा किया होगा, तो १४ वर्ष की उम्र के लड़के सच्चे, निर्मल और तन्दुरस्त होने चाहिए। वे ग्राम-श्रुति के होने चाहिए। उनका दिमाग तथा हाथ एक से विकसित होने चाहिए। उनमें छलकपट नहीं होगा। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, पर वे पैसे कमाने की चिन्ता में नहीं पडेंगे। जो कुछ प्रामाणिक काम उन्हें मिल जाय, उसे वे कर सकेंगे। वे शहर में जाना नहीं चाहेंगे। वे स्कूल में सहयोग व सेवा के पाठ सीसे होंगे। वैसे ही भावना वे अपने आसपास के लोगों में प्रकट करेंगे। वे भीखारी या परोपजीवी कमी नहीं बनेंगे।

—गांधीजी

दिल्ली के बेसिक स्कूलों में कताई-बुनाई की ट्रेनिंग

खादी-ग्रामोद्योग आयोग के आह्वान पर, सन् १९६० में औद्योगिक सलाहकारी मण्डल, दिल्ली प्रशासन ने बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को कताई बुनाई में ट्रेनिंग का काम अपने हाथ में लिया। इस कार्य के संचालन एवं मार्गदर्शन के लिए एक ट्रायल उप-समिति का गठन किया गया, जिसने ट्रेनिंग के बाद शिक्षक कताई-बुनाई का प्रसार विद्यार्थियों में सही दिशा में कर सकें और जिससे उनमें शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा जागृत हो। इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए आयोग ने एक लेक्चरर की सेवाएँ भी दिल्ली के लिए उपलब्ध की।

कार्य की प्रगति

प्रारम्भ में अल्पकालीन प्रशिक्षण का आयोजन दिल्ली में ही हुआ। उसको अधिक नियमित बनाने की दृष्टि से सन् १९६३ में २४ शिक्षकों को नीलो खेड़ी स्थित खादी-ग्रामोद्योग विद्यालय में प्रशिक्षण दिलाया गया। दिल्ली में लेक्चरर की नियुक्ति के बाद घोरमावकाश में सन् १९६४ से १९६७ तक प्रति-वर्ष निम्न प्रकार शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गयी

वर्ष	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
१९६४	२४
१९६५	२४
१९६६	८६
१९६७	६३
	<hr/>
	२३०

नया माडल चरखा

सन् १९६७ ६८ में, स्कूलों में नया माडल चरखा और अम्बर चरखा भी प्रारम्भ कराया गया। राष्ट्रीय वैशिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली की ओर से अहमदाबाद से १० नये माडल चरखों का सेट मंगाया गया तथा इस समय स्थानीय लाजपतनगर स्कूल में उस यूनिट को चलाया जा रहा है। यह यूनिट उक्त स्कूल में सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके अनिर्दिष्ट, शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थान, अलीपुर, व बेसिक स्कूल शाहदरा में मुफ्त हुए अम्बर चरखे भी प्रारम्भ किये गये हैं।

आज दिल्ली में लगभग ४०० स्कूल ऐसे हैं जहाँ कतार्ई दस्तकारी का प्रशिक्षण चलता है। इनके अलावा, ३ शिक्षक प्रशिक्षण-केन्द्री पर लगभग ३०० शिक्षक प्रतिवर्ष इस ढाँच को सीखते हैं।

गत वर्ष कतार्ई का स्वयं अभ्यास करने तथा बस्त्र में स्वादनम्बन की दृष्टि से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा लगभग ५०० पेटी चरखे व हजारों तकलियाँ सरीदी गयीं। इस प्रकार जो मूत काता गया उससे सुन्दर दरियाँ, अस्टर, तथा निवार बनायीं गयीं। अच्छे मूत को खादी भण्डारों द्वारा कपडे में बदलीन किया गया। इस प्रकार बच्चों में अपने स्कूल की वर्दी तैयार करने पर श्रम के प्रति एक विशेष निष्ठा उत्पन्न होती है।

स्कूलों में देव कपास उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया। कुछ विशेष भवसरो पर कतार्ई प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गयी। उद्योग विभाग, दिल्ली प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है तथा उसने अपने यहाँ से कुछ शिक्षकों को स्थायी रूप से काम सिखाने के लिए स्कूलों को दिया है। •

सच्चा धर्म शिक्षण साहित्य का विषय नहीं है। चरित्र निष्ठा, ईश्वर नियमक श्रद्धा और देह से पृथक् आत्मा का मान यही धर्म का सार है और वह सत्पुरुषों की संगति से ही मिलता है। इसलिए सुशील शिक्षकों की योजना ही बेरी धर्म शिक्षण की योजना है।

—विनोबा

सर्वोदय-पर्व के मौके पर कुछ शिक्षण-साहित्य

घण्टों से ?? सितम्बर से २ अक्टूबर तक अर्थात् विनोबा जयन्ती से गांधी-जयन्ती तक की अवधि में सर्वोदय-पर्व मनाया जाता रहा है। पू० विनोबाजी ने इस अवधि को 'शारदोपासना' का पर्व कहा है। इस अवधि में अनेक कार्यक्रमों के साथ साहित्य प्रचार का कार्य क्रम मुख्य रूप से चलता है। इस अवसर पर सर्व सेवा सघ प्रकाशन की कुछ शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं।

घण्टों की फुलवारी	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	० ७५
वैदिक धर्म क्या कहता है	' प्रत्येक	० ७५
तीन भाग		
जैन धर्म क्या कहता है ?		० ७५
सिख धर्म क्या कहता है ?		० ७५
बौद्ध धर्म क्या कहता है ?		० ७५
पारसी धर्म क्या कहता है ?		० ७५
यहूदी धर्म क्या कहता है ?	'	० ७५
ताम्र और बभ्रुश धर्म क्या कहता है ?	'	० ७५
ईसाई धर्म क्या कहता है ?	"	० ७५
इस्लाम धर्म क्या कहता है ?		० ७५

नयी तालीम-साहित्य

शिक्षण विचार	विनोबा	२ ५०
शिक्षण और सरकार		० २५
जीवन दृष्टि	'	१ २५
भाषा का प्रश्न	"	० २५
समग्र नयी तालीम	पीरेन्द्र मजूमदार	१ २५
सुनिश्चितादी शिक्षा पद्धति	'	० ६०
बच्चा की कला और शिक्षा	देवीप्रसाद	८ ००
वास्तव धर्मों प्रयोगशाला में	म० भगवानदीन	५ ००
बालक बनाम विज्ञान	"	० ७५
बालक सोचना कैसे है ?	'	० ६०

माता-पितामो से	म० भगवानदीन	०.५०
बालवाडी (नया संस्करण)	जुगतराम दवे	४.००
हमारा राष्ट्रीय शिक्षण	चाहचन्द्र भण्डारी	२.५०
बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा	डा० जाकिर हुसेन	१.५०
बुनियादी शिक्षा क्या और कैसे ?	द० सोनी	१.२५
सुन्दरपुर की पाठशाला	जुगतराम दवे	०.७५
पूर्व बुनियादी	शांता नाहलकर	०.५०
शिक्षण और शान्ति	जयप्रकाश नारायण	०.५०

कथा-कहानी साहित्य

आमो हम वनें : (आठ भाग)	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	
" १. उदार और दयालु		१.५०
" २. भीठे और मुलायम		१.५०
" ३. साहसी और मेहनती		१.५०
" ४. नम्र और सेवापरायण		१.५०
" ५. सच्चे और अच्चे		१.५०
" ६. सुशील और सहनशील		१.५०
" ७. नेक और ईमानदार		१.५०
" ८. उद्यमी और पराक्रमी		१.५०
बोलती घटनाएँ (भाग १)	म० भगवानदीन	०.५०
" " (" ३)	"	०.५०
" " (" ४)	"	०.५०

बाल-साहित्य

बिल्ली की कहानी	म० भगवानदीन	३.००
खेल-खेल में सीखना	शिरिय	१.५०
शहद का छत्ता	"	१.००
ब से कमला	"	१.००
कतक थंघी धुनुं मनइयाँ	राष्ट्रबधु	०.७५
नये झकुर	श्रीराम चिचलीकर	०.२५
कुतुहलें हैं (बाल-गीत)	रामेश्वरदयाल दुवे	१.००

विनोबा-जयन्ती ११ सितम्बर के अवसर पर

प्र भा त - स ह गी त

आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।
आज बचायी है जिसने इमान की ।
आज बढायी जिसने हिन्दुस्तान की ।

जिसने आजादों की कीमत तोल दिया,
जिसने इसानों के धन्धन खोल दिया,
जिसने प्यार मुहब्बत की जय बोल दिया,
जिसने भबल सुधार है शँतान की ।
आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।

जिससे उजड़ी घरती को अभिमान मिला,
जिससे उस सुनसान गगन को मान मिला,
जिससे दीनों को, दलितों को, आण मिला,
जिससे हिम्मत पस्त हुई तूफान की ।
आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।

उठो उठो अब नौजवान लो अगडाई,
सूरज निकला, नयी रोशनी है छाई,
'बापू का सन्देश दे रही पुरवाई—
उठो उठो यह बेला है बलिदान की ।
आज जयन्ती है मनुज महान की ।



‘विनोबाजी ७४ साल के हुए—वे शतायु हों यह हमारी कामना है

हम जन का विश्वास बदलने निकले हैं,
हम जग का भ्रम्यास बदलने निकले हैं,
हम धरती काकाश बदलने निकले हैं—
हम बदलेंगे उलटी चाल जहान की ।
आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।

हम ‘बापू’ का स्वर्ण घरा पर लायेंगे,
हम ‘बाबा’ का स्वप्न सजीव बनायेंगे,
हम गाँवों में ग्रामराज्य चमकायेंगे—
आज शपथ है अपनी भारतदान की ।

आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।
लाज बचायी है जिसने इंसान की ।
छान बड़ायी जिमने हिन्दुस्तान की ।

—रघुराज सिंह ‘शकेश’

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १७

अंक २

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

भारत का युवक विद्रोह

मिलिये बाकासाहब कालेलकर से

संस्कृतियों के समावेदा से

पुस्तकालय का महत्व

कुमार मंदिर संस्कार निर्माण

अपी खाइयाँ और तड़पते फूल

मोचना पाठ संकेत

राजस्थान सरकार की शिक्षा-नीति

दिल्ली के वैसिक स्कूलों में कताई

सर्वोदय पत्र के नौके पर कुछ पुस्तकें

प्रभात सहगीत

मुख्य आवरण आचार्य विनोबा

४६ श्री वशीधर श्रीवास्तव

५३ श्री गुरतरण

५७ श्री सरला देवी

६२ श्री सारकेश्वर प्रसाद सिंह

७० श्री बानी प्रसाद झालोक

७६ श्री विवेकी राय

८० श्री वशीधर श्रीवास्तव

८४ श्री भुवनेशचंद्र गुप्त

९० —

९२ —

९४ श्री रघुराजसिंह राकेश

सितम्बर '६८



निवेदन

- 'नयी तालीम' का वचन अग्रस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खर्चा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों का पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीहृष्यादत्त भट्ट सब सेवा सघ की ओर से प्रकाशित अमल कुमार बघु
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

भूमि-समस्या और ग्रामदान

गांधीजी ने १९४५ में लिखा था :

‘किसान याने भूमि जोतनेवाला, चाहे वह भूमिधारी हो या भूमिहीन श्रमिक, सर्वप्रथम आता है। वही भूमि का नमक अपना प्राण है अतः उसका वास्तविक अधिकारी भी वही है, न कि वह जो केवल भासिक है और जोतता नहीं। लेकिन अहिंसक पद्धति में भूमिहीन श्रमिक न जोतनेवाले मासिक को जबरन बेदखल नहीं करेगा। उसकी कार्य-पद्धति ही इस प्रकार की होगी कि जमींदार द्वारा उसका शोषण असम्भव-हो जाय। इसमें किसानों के परस्पर निकटतम सहकार-सद्भाव की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए जहाँ भी जरूरत हो, विशेष संघठन या समितिमाँ बनायी जायें। हमारे ज्यादातर किसान बे-पढ़े-लिखे हैं। प्रौढों व स्कूल जाने लायक उम्र के नौजवानों को शिक्षित करना होगा। भूमिहीन श्रमिकों का वेतन-मान इतना तो ऊँचा उठना ही चाहिए, जिससे कि वे एक सामान्य सुखप्रद जीवन बिता सकें। इसका अर्थ है कि उनको सतुलित आहार मिले, रहने को मकान तथा पहनने की कपड़े हों, और उनकी स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।’

आप इन करोड़ों किसान भाइयों को अपने पाँवों पर सड़ा होने के लिए समर्थ करने में क्या कर रहे हैं ?

ग्रामदान वह कार्यक्रम है, जिसके जरिए आप अहिंसक पद्धति से यह कर सकते हैं।

.. सन् १९६९ गांधीजी की जन्म शताब्दी का सात है।


आइए, हम ज़ब तुरन्त इस काम में छुट जायें।

राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम
उपसमिति द्वारा प्रसारित

गाँधी
जन्म
शताब्दी
के
उपलक्ष
में



लरुण - शान्ति - सेना - अंक



वर्ष : १७ • अंक : ३

अक्टूबर १९६८



प्रेरणा का स्रोत

पिछले अर्धशताब्दी के समय बिहार ने दुःख और निराशा की जो भ्राम तस्वीर पेश की थी, उसमें कुछ प्रकाश और आशा बिखेरनेवाले बिन्दु भी थे। उनमें एक था, विदेशी स्वयंसेवकों द्वारा लघु सिपाई और पेय जल की आपूर्ति के कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया निष्ठापूर्ण सेवा का काम। वे कुएँ खोदते थे, नलकूप गाड़ते थे, चट्टान तोड़ते थे, चट्टान छोड़नेवाली मशीन पलाते थे, भोजनालय-केंद्रों का संचालन करते थे, कपड़े धीरे धवाएँ बाँटते थे। उनमें से अधिकतर विद्यार्थी थे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी जैसे अनेक देशों से आये थे। अत्यधिक शीतल जलवायु के आदी होते हुए भी उन युवकों और युवतियों द्वारा अग्रेल, मई, जून की भयानक गर्मी में इतना कठिन परिश्रम किये जाने का दृश्य-बड़ा हृदयहारी था। भारत के प्रति अथवा बिहार के करोड़ों अकाल-ग्रस्त लोगों के प्रति उन स्वयंसेवकों का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उनका स्वयंसेवक परिश्रम उस नैसर्गिक भ्रातृत्व भावना का साक्षी था, जो मानव परिवार को जोड़ती है और जाति, धर्म या राष्ट्र के अवरोधों को भस्मीकार करती है।

विदेशी विद्यार्थियों के इस उद्दलत उदाहरण के विपरीत या बिहार ने उन विद्यार्थियों का आचरण जो अपने नागरिक बच्चों की दुःखों के प्रति उदासीन देखे रहते थे। वे विद्यार्थी चुप बैठे थे, ऐसी भी बात नहीं। जहाँ परिस्थिति उन्हें निष्ठापूर्ण सेवा की माँग कर रही थी, उस समय वे बैरजिम्मेवार तोड़-फोड़ के ढाँचों में अधिक दिलचस्पी लेते दिखायी पड़ रहे थे।

विदेशी विद्यार्थियों के विपरीत भारतीय विद्यार्थियों के इस आचरण ने हमें लज्जित किया और हमें यह सोचने के लिए बाध्य किया कि चाहे सांकेतिक तौर पर ही सही, इस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग हमें सुझाना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी-अकाल-सेवा-शिविर आयोजित करने के विचार का जन्म हुआ। कुल मिलाकर सात जिलों में साठ शिविरो का आयोजन हुआ, जिनमें लगभग ४०० विद्यार्थियों ने भाग लिया और राहत के कार्य किये। इन शिविरों के अनुभव से यह प्रकट हुआ कि बिहार के जो विद्यार्थी उपद्रवकारी और गैर-जिम्मेदार मालूम हुए थे (में समझता हूँ कि दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति थी) वे अन्दर से बिलकुल ठोस हैं। आवश्यकता एक ऐसे नेतृत्व और मार्गदर्शन की तथा ऐसे स्थायी कार्यक्रम की है, जो उनकी उमड़ती हुई शक्तियों को रचनात्मक दिशा में मोड़ सके।

मूलतः, राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के काम करने के लिए एक विद्यार्थी-सेना का संगठन करने का विचार था। बाद में यह महसूस हुआ कि बेहतर यह होगा कि विद्यार्थियों के सामने और अधिक व्यापक उद्देश्य रखा जाय, और इन नये आन्दोलन में केवल विद्यार्थियों की ही नहीं, आम तौर पर सभी युवकों को शामिल किया जाय। इस विचार के अनुसार अन्त में यह तय हुआ कि राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण विद्यार्थी-सेना बनाने के नये विचार को अखिल भारत शांति-सेना मंडल की वर्तमान युवा-शाखा "किशोर शांति दल" से जोड़ दिया जाय। इस समग्र कल्पना को भारतीय तरुण-शांति-सेना की संज्ञा दी गयी।

युवक और शांति की पुकार

श्री जयप्रकाश नारायण का तरुण शांति-सेना का विचार आज के युवक-संगठनों की बीड़ में एक और युवक-संगठन जोड़ने ही का गही है; न यह संगठन अमेरिकन शांति-सेना का अनुकरण ही है। यह एक ऐसा विचार है, जो पिछले कई वर्षों से विकसित हो रहा था।

पिछले कुछ वर्षों से छात्रों में अभूतपूर्व प्रशान्ति झील पड़ी है। उड़ीसा, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम में व्यापक स्तर पर हिंसात्मक विस्फोट हुए। अनेक युवकों ने एनी हिंसापूर्ण कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसने मद्रास को हिन्दी विरोधी आंदोलन से हिला दिया और अनेक उन 'बद आंदोलनों में हिंसा लिया, जो देश की सामान्य जिन्दगी का एक-एक अंग बन गये हैं।

अध्यापकों पत्रकारों और राजनीतिज्ञों द्वारा इन हिंसापूर्ण कार्यों के विरोध में आवाजें उठायी गयीं। कुछ लोगों ने पूछा, 'आप जीपें और बसें क्यों जलाते हैं?' युवकों ने जवाब दिया, "क्या पुलिस गोलीकाठ भेज ही दूँ नौजवानों से ये बसें और जीपें ज्यादा कीमती हैं?" कुछ लोगों ने पूछा, 'देश के भावी कर्णधार किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं?' नाराज युवकों ने उत्तर दिया, "आपकी पीढ़ी ने जैसा समाज बनाया है वैसा तो हरगिज नहीं।"

प्रधान मंत्री ने कहा, 'मुझे विद्यार्थियों से पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन्हें अपनी समस्याओं का हल सड़को पर हूँदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।' "लेकिन क्या हमें आपसे कहीं और मिलने की अनुमति है?" उन छात्रों ने पूछा, जो सरकारी अधिकारियों को अपनी बात सुनाने में असफल हो चुके थे।

इस प्रकार की गरम बातचीत के बीच से एक ऐसी आवाज आयी जिसने छात्रों को समझकर समस्या की जड़ हूँदना चाहा, छात्रों के दोष हूँदने के बजाय उन्हें समझकर समस्या की जड़ तक पहुँचना चाहा। यह आवाज थी 'छात्र बंदोबाद यंत्र की तरह हैं जो समाज का उतार चढ़ाव सूचित करते हैं। यह स्पष्ट है कि जिस समाज में इतने व्यापक छात्र आन्दोलन हुए हैं उसमें गहरा परिवर्तन होना चाहिए। भारत का छात्रांदोलन कोई इक्की दुक्की घटना नहीं है, बल्कि यह विश्व-व्यापी आंदोलन का एक भाग है जो समाज में परिवर्तन की माँग करता है।'

यह आवाज शांति सेना की आवाज थी, शांति की आवाज थी। इस आवाज ने युवकों से कहा, "आपका आंदोलन क्रांति की प्रसवपीठा है, और अगर यह हिंसात्मक बना रहा तो गर्भपात निश्चित है और इससे मातृभूमि का खून बह जायेगा। किन्तु यदि आप शांति के रास्ते पर चले तो आपने विधायक सामाजिक प्रशान्ति के सभी गुण मौजूद हैं। फिर आपका जो प्रवृत्त में क्यों न बदल दिया जाय?" इस चुनौती से एक नये आंदोलन का जन्म हुआ।

—नारायण देसाई

भारतीय तरुणों के लिए पराक्रम का कार्यक्रम

नारायण देसाई

तरुण हमेशा क्रांति के अप्रदूत होते हैं। गुण-गुणों से देश-देश में यही सिल-सिला रहा है। इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के अप्रदूत आजादी के आन्दोलन में भारत के तरुण हुए थे। इतिहास इसका साक्षी है।

जगत भर में जगह-जगह तरुणों में एक प्रकार की बेचैनी नजर आ रही है। नयी क्रांति के आसार उनके चिंतन और आचरण में नजर आ रहे हैं। इण्डोनेशिया में तरुणों का आन्दोलन महान राजनैतिक परिवर्तन कराता है, जापान में तरुणों का आन्दोलन अमेरिकन मिलिटरी देस को बढ़ने से रोकता है। अफ्रीका के आजादी आन्दोलन के नेताओं में से शायद ही कोई चालीस साल से ऊपर का होगा। अमेरिका के तरुण वियतनाम के युद्ध में शामिल होने का आदेश देनेवाला 'ड्राफ्ट कार्ड' जलाकर बरसों की जेल भुगतने को तैयार होते हैं, इंग्लैण्ड के इस्टर् मार्च में अगुवाई तरणों की होती है। फ्रांस में तरुणों के एक सप्ताह के आन्दोलन ने सैकड़ों साल पुरानी शिक्षा-पद्धति जड़ से हिला दी। यूगोस्लाविया के तरुणों के आन्दोलन के सम्बन्ध में वहाँ के राज्यकर्ता पक्ष के एक नेता ने कहा : हमारा पक्ष जो वर्षों में नहीं कर पाया, इन लड़कों ने एक सप्ताह में कर दिया। कहीं रेडगार्ड्स हैं, कहीं वीटल्स हैं, वही घोटनीबस हैं। हर जगह तरुण इतिहास के करवट बदलने के निमित्त बन रहे हैं।

पद्धति में शुद्ध साधनों का अप्रग्रह होना है, वहाँ वह नये युग की भेरी बज जाता है, जहाँ यह अप्रग्रह नहीं होता वहाँ वह अराजकता मात्र रह जाता है।

बेचैनी तो भारत के तरुणों में भी भूरि-भूरि है। अनेक प्रसंगों में यह बेचैनी प्रकट भी होती रहती है। भारत के उन तरुणों के सामने जो बेचैन हैं, यह एक चुनौती है कि यह अपनी बेचैनी के पीछे मूल्यों का अधिष्ठान रख सकते हैं या नहीं, वे अपनी कार्य-पद्धति में साधनों की शुद्धि ला सकते हैं या नहीं। आज जगत् के तरुणों को नये-नये पुरुषार्थ करने की इच्छा हो रही है। भारत के तरुणों में भी पुरुषार्थ करने की तमन्ना दुनिया के किसी देश के तरुणों से कम नहीं होगी। प्रश्न यह है कि क्या उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम है जो पुरुषार्थ के इस तीव्र आवेग का किसी मूल्य के साथ अनुभव जोड़ सकता है। इस प्रश्न के, इस चुनौती के जवाब में भारतीय तरुण शांति सेना अपने मूल्य और अपने कार्यक्रम लिये खड़ी हैं।

तरुण शांति-सेना भारत के तरुणों को चार मूल्यों के पीछे जीवन न्योछावर करना सिखाना चाहती है।

प्रथम मूल्य है राष्ट्रीय एकता। स्वराज्य के बीम बरम के बाद भारत में आज वह स्वस्थ राष्ट्रीयता नजर नहीं आती जो स्वराज से पहले थी। स्वस्थ राष्ट्रीयता का स्थान आज आक्रमक राष्ट्रीयता, सङ्कुचित राष्ट्रवाद ने लिया है। फलतः भारत के मानचित्र पर आज भारतीय नागरिक नजर नहीं आता। तरुण शांति-सेना एक राष्ट्रीय नागरिकत्व पैदा करना चाहती है जो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद आदि से ऊपर हो, और जो विश्व-नागरिकत्व की दिशा में प्रथम सोपान-सा हो।

तरुण शांति सेना दूसरा मूल्य लाना चाहती है धर्म-निरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव का। भारत के तरुणों से वह कहती है कि धर्म का हमारे लिए उतनी ही हद तक उपयोग है जितनी हद तक वह मानव और मानव को जोड़ता हो। मानव को मानवता बढ़ाने में जो धर्म उपयोगी होता है उसका हम आदर करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जिसे दूसरे की निंदा का माध्यम लेना पड़ता है वह धर्मपिता हमें नाकबूल है। तरुण शांति सेना जिस तीसरे मूल्य को प्रतिष्ठा करना चाहती है वह है गणतंत्र का मूल्य। न सिर्फ शासन और राजनैतिक क्षेत्र में, बल्कि मानवीय पारस्परिकता के तमाम क्षेत्रों में गणतंत्र वह मूल्य है जो इंसान की इंसानियत को इज्जत करता है। गणतंत्र स्वातंत्र्य का रक्षक विचार है, सर्व का शोषक है और है मानवता का पूजक। तरुण शांति सेना आज

श्रीर शिक्षकों के सम्बन्धों में, छात्र-आन्दोलन की पद्धति तथा देश के राजनैतिक और आर्थिक तंत्र में गणतंत्र की रक्षा और विकास करना चाहती है।

तरुण शांति सेना का चौथा मूल्य है शांति। अतः शांति, बहिः शांति, मानसिक शांति, जागतिक शांति। शांति उसकी पद्धति में होगी, शांति उसका लक्ष्य होगी। लेकिन तरुण शांति-सेना के मन की शांति स्मशान की शांति नहीं है, जिन्दा शांति है। वह ऐसी शांति होगी जिसमें अन्याय का प्रति-कार करने की शक्ति हो, शांतिमय समाज की प्रतिष्ठा करने की शक्ति हो, जिसमें जात हो।

इन चार मूल्यों की भाज न सिर्फ हमारे देश को, किन्तु सारे जगत् को आवश्यकता है। इन चार मूल्यों को आदर्श के स्वरूप में रखकर व्यवहार में तरुण शांति-सेना के पास सीधे-सादे, लेकिन व्यापक कार्यक्रम हैं।

प्रथम कार्यक्रम शाला-महाशालाओं के चालू रहते करने का है। तरुणों से यह कहती है कि सप्ताह में कम-से-कम ढाई घण्टा दीजिए—भ्रम, स्वाध्याय और सेवा के कार्यों के लिए। इससे आपके शरीर, दिमाग और अन्तःकरण का विकास होगा। राष्ट्रीय कामों को करने का इससे आपको अभ्यास होगा। और आप यदि कुशलतापूर्वक ये काम करेंगे तो इससे आपके आसपास के समाज को भी लाभ होगा। किसी-गैर की सेवा का कार्यक्रम, किसी-गरीब प्रस्ती की सफाई का कार्यक्रम, किसी निरक्षर को साक्षर बनाने का कार्यक्रम, धारोग्य के ज्ञान का प्रचार का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम आप स्वयं उठा सकते हैं। शिक्षा-पद्धति में आवश्यक सुधार करने की बात भी आप उठा सकते हैं।

दूसरा कार्यक्रम है छुट्टियों में शिविरों का। ये शिविर ऐसे होंगे, जिसमें तरुण किसी राष्ट्रीय निर्माण के कार्य के लिए शरीर-परिष्कृत करेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों के भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवाले तरुण साथ रहेंगे, साथ कार्य-योजना करेंगे, साथ उन पर भ्रमल करेंगे। ये शिविर तरुणों के लिए गणतन्त्रात्मक पद्धतियों के प्रत्यक्ष अनुभव होंगे।

तीसरा कार्यक्रम छात्रों के स्नातक बन जाने के बाद का है। तरुण शांति-सेना ने स्नातकों से एक साल राष्ट्र के लिए देने का आवाहन किया है। इस एक साल में तीन महीने तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जायगा और बाकी दो महीने वे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में योग्य मार्गदर्शकों की देखरेख में सेवा कार्य करेंगे। ये सेवा-कार्य विभिन्न प्रदेशों में परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार से होंगे।

इसमें राष्ट्र के त्तरणों की शक्ति निर्माण कार्य में लगेगी। आज शिक्षा और जीवन में सीधा सम्बन्ध प्राय नहीं-सा है। एक साल के प्रत्यक्ष सेवाकार्य से त्तरणों को जीवन के लिए कुछ उपयोगी अनुभव मिलेगा, जिससे जीवन में प्रवेश उनके लिए सहज हो जायेगा, और वर्तमान जीवन को बदलने तथा उन्हें उपरोक्त मूल्यों की ओर टालने की प्रेरणा भी मिलेगी।

त्तरण शांति-सेना के सगठन में त्तरणों ही का सीधा हिस्सा रहेगा। अध्यापकों से वे सलाह और मार्गदर्शन लेंगे, किन्तु उनके सगठन में अध्यापकों की दस्तदाजी नहीं होगी। इस सगठन में निर्णय करने के लिए वर्तमान गण-तंत्र को छिन्न करनेवाली बहुमती का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सर्वसम्मति या सर्वानुमति का आग्रह रखा जायेगा, जिससे विधायक पुरुषार्थ में अलग-अलग मतवाले तत्वों का भी सम्यक् उपयोग करने की उन्हें तालीम मिलेगी।

सर्वोदय आन्दोलन की दृष्टि से त्तरण शांति-सेना इस आन्दोलन को एक नया आयाम (डायमेंशन) देती है। इसके द्वारा सर्वोदय आन्दोलन को नगरो में त्तरणों में तथा बुद्धिजीवियों में प्रवेश का मौका मिलता है। और भारतीय त्तरणों को त्तरण शांति-सेना से कुछ मानवीय मूल्यों पर स्थिर राष्ट्रीय पराक्रम का मौका मिलता है।

त्तरण शान्ति-सेना क्यों ?

इसलिए कि

- यह बहुत जरूरी है कि युवक एक मित्र मण्डल के रूप में संगठित होकर देश की समस्याओं को समझने की कोशिश करें और जिज्ञासा तथा अध्ययनपूर्वक उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें।

- युवक इस काल में ऐसी समस्या से गुजरते हैं, जो मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से सतोषप्रद तथा भावनात्मक दृष्टि से शान्तिपूर्ण और रचनात्मक होनी चाहिए।

- अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण में जिनका विश्वास नहीं है, ऐसे नवयुवकों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक अनुशासन के अन्य तरीके के विकल्प की जरूरत है।

युवकों की आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति

राधाकृष्ण

युवकों की आवश्यकताएँ क्या हैं और उनकी पूर्ति कैसे हो, इस प्रश्न पर विचार करते समय, सामान्यतया भावी जीवन में उनसे हम जो अपेक्षाएँ रखते हैं, उनको ही सामने रखकर सोचते हैं, और शिक्षा उसीकी तैयारी है। मनुष्य का भावी जीवन उसकी किशोरावस्था और यौवन के उदयकाल की सफलताओं और विफलताओं पर निर्भर है। इसलिए युवकों की तात्कालिक तथा समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न टालने जैसा नहीं है।

यदि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा व्यापक समाज की माँगों की पूर्ति के परिणामस्वरूप कोई बुनियादी संघर्ष छिड़ता हो, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्तियों का निर्माण ही लोकतांत्रिक संस्कृति का वास्तविक अर्थ है और वही उस संस्कृति का रक्षक भी है। इसलिए युवकों को कोई भी कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति की उसकी आन्तरिक आवश्यकताओं की, और तद्वारा समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके।

बुनियादी आवश्यकताएँ सबसे पहले प्राती हैं, और यह स्वाभाविक ही है। यदि समाज से हम दारिद्र्य, दीनता, पुस, जीवन का नीचा स्तर और बेकारी को मिटा सकें तो बड़ों के रागान युवक भी उन्नत होंगे, संतोषी होंगे और उनका व्यवहार भी सुधरेगा। हम इस बुनियादी सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी वर्तमान आर्थिक-सामाजिक रचना लोगों को दबानेवाली, शोषण करनेवाली, अन्धायपूर्ण और विषमता से भरी हुई है। इस समाज में करोड़ों को अपनी प्राथमिक शिक्षा, कारीगरी और जीविका के लिए उन मुट्ठीभर लोगों से संघर्ष करना पड़ता है, जिनके हाथों में समाज के साधन-स्रोतों का अधिकांश एकत्रित हो गया है।

विकसित और उन्नत देशों में भी वहाँ की असमानता का प्रभाव युवकों की भावनाओं पर पड़ता ही है। अमरीका के एक शिक्षाशास्त्री का कहना है कि "शालाएँ अपने द्विविध दारिद्र्यो से मुक्त नहीं हो सकती, एक यह कि युवकों में जो तनाव, निराशाएँ और उत्तेजनाएँ हैं, जिनका मूल कई स्तरों में विभक्त समाज में है, उन्हें दूर करना, और दूसरा, युवकों के सामने ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करना जिनसे वे अपनी क्षमताओं की पूर्णतया विकसित कर अपना सुख

तथा समाज के लिए अपनी उपयोगिता दोनों सिद्ध कर सकें।" हमारे समाज की विफलताएँ हमारे युवकों के व्यवहार में प्रतिबिम्बित होती हैं, और चूँकि किशोरो में एक भाक्रमक वृत्ति होती है, युवकों में उत्साहितरेक के कारण कुछ भी नर गुजरने का जोश होता है, इसलिए उसे आसानी से या थोड़े में समाप्त नहीं किया जा सकता।

युवकों के असन्तोष की—जो शीघ्र ही विद्रोह में बदल जाता है—जड़ें अधिक गहरी हैं। पश्चिम के प्रगत राष्ट्रों में युवक उपयोग-प्रधान समाज के विरुद्ध नर रहे हैं, और पूर के युवक विकासशील राष्ट्रों में उत्पादन-प्रधान समाज के खिलाफ वगावत कर रहे हैं। एक में वे उद्देश्यहीन जीवन से तस्त हो उठे हैं, और दूसरे में उन्हें जीविका का सापन बहुत कम मिलता है, क्योंकि उनसे सदिग्ध भविष्य के लिए आज भूषे रहने की माँग की जाती है।

समुदाय की विफलता

युवकों का असन्तोष समाज की अस्वस्थता का और समाज नेताओं का विफलता का द्योतक है। युवकों का समुचित लालन पालन परिवार शाला और समाज, तीनों का मिला जुला दायित्व है। परन्तु आज इन तीनों में से कोई भी अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं रहा है। आज अच्छे परिवार का अर्थ यही है कि उसमें बड़े और बच्चे सब यथास्थिति को स्वीकार करके, परस्पर से जो जैसा चला आया है उसी रिवाज और रहन सहन को निभाते चलें, बाकी मुख-दु ख की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता न रहे। अच्छा बच्चा वह है जो माता पिता का कहा मानता है और अपना रोजगार जुगने में व्यग्न है। अच्छा स्कूल वह माना जाता है, जिसमें परीक्षा पास करनेवाले और विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों का प्रतिशत अधिक हो, या वहाँ से निकलनेवाले शिक्षितों को ठीक काम मिल जाता हो। अच्छा समाज, जैसे ऊपर कहा गया है, आज हम देख ही रहे हैं। तब, युवक अपना सतोष कहाँ ढूँढें ?

परिवार आज बच्चों में सुदृढ चारित्र्य का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं जिससे युवकों में हिम्मत, भागे बढने का उत्साह, आदर्श की निष्ठा और मानव-प्रेम विवमिन हो सके। आज के स्कूल हमारे युवकों को किन्ने प्रकार का उद्योग सिखाने में या समाज में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाने में असमथ हैं, भले ही कुछ स्कूल अच्छा बौद्धिक शास्त्र पढा देते हा। परिवार युवकों में अन्तमुखता, समयशरो, दायित्व भावना, नेतृत्व शक्ति, स्वास्थ्य और दक्षता,

प्रत्यक्ष कार्यानुभव तथा सृजनशील और शैक्षिक मनोरंजन की सुविधाएँ दे नहीं पा रहे हैं, जो पारिवारिक या सामुदायिक जीवन जीने से ही प्राप्त हो सकती हैं।

इसलिए जो भी युवकों के कार्यक्रम बनें वे वर्तमान परिस्थिति के असंतुलन को ठीक करनेवाले और सुधारनेवाले होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि उनसे "युवकों को पहल करने की प्रेरणा मिले, उनकी कल्पना शक्ति और शोधवृत्ति को प्रोत्साहन मिले, जो उनकी यौवन-सुलभ उत्साह शक्ति को आक्रामक या विध्वंसक मार्ग पर मुड़ने से बचायें, उनमें आत्मनिश्वास जगायें, जो उन्हें सफलता की प्राप्ति के प्रति आशावान् बनायें, निर्भय बनायें, उत्तेजना और उद्वेग से मुक्त करें और उनकी अव्यक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्वस्थ अवसर प्रदान करें। वे ऐसे भी होने चाहिए कि 'युवकों को उनकी मनोवृत्तियों और स्तरों को ठीक से विकसित करने की प्रोत्साहित करें, जिससे वे अपनी फुरसत के उपयोग के लिए स्वस्थ कार्यकलापों को चुन सकें, उन्हें भिन्न भिन्न कलाएँ सीखने, सुश्रुति और ज्ञान की वृद्धि करने के अवसर दें ताकि वे अपने को किसी-न किसी सृजनशील प्रवृत्ति में सलग्न रख सकें, उनमें स्कूल के पाठ्यक्रम के बाहर के भी कामों में जो कि शिक्षाप्रद हो और आरोग्य-विज्ञान से सम्बद्ध हो, अवसर होने की वृत्ति जगायें, और घर और समाज, दोनों को एकत्र लाकर उनकी फुरसत या सदुपयोग करने की अधिक उत्तम सुविधा प्रदान करें।'

भारतीय तरुण शान्ति-सेना

देश में आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न भारतीय तरुण शान्ति सेना कर रही है। परिवर्तन की जो माँग आज है, जिससे युवकों का वर्तमान व्यवहार प्रेरित हुआ है, वह कुछ राष्ट्रीय रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगने की आवश्यकता के साथ जुड़ी हुई है। यदि इस अवस्था को हम भावी शान्ति की प्रसूतिवेदना स्वीकार करते हैं तो उस शान्ति को शान्तिमय साधनों के द्वारा सिद्ध करना या एक विकल्प युवकों को विश्वशान्ति की भावना और दृष्टिकोण का शिक्षण देने के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवन के अन्तरंग और बाह्यरंग दोनों पहलुओं का समन्वय करने की दृष्टि से, जिससे जीवन पूर्ण और सार्थक हो सके, इसमें युवकों के व्यक्तित्व विकास पर विशेष बल दिया जाता है। चूँकि शिक्षा का वर्तमान तंत्र और पद्धति असफल हो गयी है, इसलिए युवकों का ध्यान शैक्षिक समस्याओं को शान्तिमय साधनों से हल करने की ओर खींचने की आवश्यकता है। तरुण शान्ति-सेना, कलेजों और विश्वविद्यालयों में स्वयंसेवकों की एक इस प्रकार की टोली

तैयार करने का प्रयत्न करती है जो शान्ति और नवरचना की भावना को लेकर समाज की सेवा करने की इच्छा रखते हो, योग्यता रखने हो और उसके लिए पर्याप्त तैयारी कर चुके हों। तरुण-शान्ति सेना ऐसे युवकों में अभिन्नम, अनुशासन, सहकार और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दृष्टि से प्रशिक्षण देने का भी प्रयत्न करती है।

भारतीय तरुण शान्ति-सेना युवकों का एक स्वतंत्र और स्वच्छिक संगठन है। इसमें १४ से २२ वर्ष तक की कोई बहन या भाई शामिल हो सकता है जो शान्तिमय समाज की स्थापना के लिए सकल्प करता है, पड़ोसी की सेवा का विशेष ध्यान रखता है, जो राष्ट्र की किमी रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए वर्ष भर में एक महीने का समय—चाहे लगातार एक बार, या १५-१५ दिनों के हिसाब से दो बार—समर्पित करें, जो शोक-तांत्रिक जीवन, धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए वचन बद्ध हो। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता, लोकतंत्र और विश्वशान्ति—इन चार सम्भा पर तरुण शान्ति-सेना का संगठन खड़ा है।

प्रत्येक स्कूल और कालेज में इसकी अपनी एक इकाई हो सकती है। इकाई के सदस्यों की मर्यादा कोई मर्यादा नहीं है। इकाई का नायक सर्व-सम्मति से एक वर्ष के लिए चुना जायेगा। इकाई की बैठक बुलाना, सदस्यों का रजिस्टर रखना, हाजिरी रखना, और कार्यवाही की रिपोर्ट भेजना उसका काम होगा। प्रत्येक जिले की एक जिना स्तरीय शाखा होगी। जिला-संगठन के सदस्यों और मण्डक की नियुक्ति राष्ट्रीय संगठन करेगा।

तरुण-शान्ति दल का अपना गणवेश है। युवकों के लिए सफेद कुर्ता और सफेद हाफ-पैण्ट, युवतियों के लिए सफेद स्कर्ट और न्चाउज, सलवार-कुर्ता या साडी होगी। केमरिया रंग की सादी का एक पट्टा कमर में बाँधना होगा, उसी रंग का एक स्कार्फ गले में। यह युवक युवती दोनों के लिए समान है। नीचे पर 'भारतीय तरुण शान्ति दल' का एक बिल्ला लगाना होगा।

जो शिक्षक तरुण शान्ति-सेना के उद्देश्यों से सहमत हैं, वे मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। शान्ति-दल के सदस्यों से अपेक्षा है कि वे सप्ताहात शिविर आयोजित करें, अध्ययन मण्डल, स्वाध्याय तथा एक एक महीने के शिविर करें, जिनमें अध्ययन और शारीरिक श्रम दोनों चलें।

तरुण-शान्ति-सेना का कार्यक्रम

कोई भी कार्यक्रम उसके उद्देश्यों के आधार पर बनते हैं। राष्ट्रीय रचनात्मक प्रवृत्तियों में साक्षरता-प्रशिक्षण से लेकर स्वास्थ्य-सफाई तक, या कृषि सम्बन्धी

सहमता-कार्य तक अनेक काम शामिल हैं। इसका मुख्य हेतु कोई समाजोपयोगी अथवा प्राथिक स्थिति सुधारनेवाला शरीरश्म किया जाय। वास्तविक काम तो इस बात पर निर्भर है कि स्वयंसेवकों की कुशलता और लगन में तथा समाज की पूर्वनिर्धारित आवश्यकताओं और अवसरों में कितना मेल होगा।

युवकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनके कार्यक्रमों में शारीरिक क्षमताओं और कला-कौशल के विकास का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। तरुण-शान्ति-सेना के कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से नियोजित किये जाते हैं, जिनके अभाव में याकी सारे काम निरर्थक हो जाते हैं। जो भी काम शिक्षण की दृष्टि से किया जाय, और समाज से अभिन्न रहकर किया जाय, तो उससे व्यक्तिगत विकास अवश्य होगा। कार्यक्रमों का नियोजन इस ढंग से करना चाहिए, जिससे युवकों को औद्योगिक कार्यक्षमता का पदार्थपाठ मिल सके, उनमें सादे और गार काम में लेने की, काम को अन्त तक निभाने की, योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने की कला आ सके।

लोकतान्त्रिक वृत्ति और राजमता का सारभूत प्रर्थ यही है कि युवक सामाजिक कला-कौशल सीखें, चर्चा और गोष्ठियों का आयोजन करें, सर्वसमावेशक निर्णयों पर पहुँचें, सन्देशों को अविकल रूप से और पूरी दक्षता के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके, चालू परिस्थितियों पर चर्चा-गोष्ठी चला सकें, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं को समझें, और सबसे अधिक सामनेवाले के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और सर्वसहमत निर्णय पर पहुँचें।

विश्व-शान्ति के लिए शिक्षा देने और समस्याओं का शान्तिमय समाधान खोजने का धर्म है अपनी समस्याओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से तटस्थ भाव से समझना, और मुक्त और स्पष्ट चर्चा के द्वारा उनका समाधान खोजना। युवकों को जागतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मानव में निहित ईवी गुणों पर विश्वास करना चाहिए तथा उस ईवी गुणों को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। सेवा और स्वाध्याय के द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से तरुण-शान्ति-सेना के कार्यक्रमों में भाग लेना समाज की, जिसके वे भी एक अंग हैं, सेवा दान अपने को पहचानने की एक यात्रा है। जहाँ शिक्षा असफल रही और समाज लापरवाह रहा, वहाँ वर्तमान न्यूनता को सुधारने के अत्यावश्यक उपाय के तौर पर तरुण-शान्ति-सेना युवकों के विकास का एक उत्तम साधन प्रस्तुत हुई है।

[तरुण शान्ति-सेना सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल, राजघाट, वाराणसी-१ से पत्र-व्यवहार किया जाता है। पत्रोत्तर के लिए आवश्यक जवाबी टिकट भेजना उत्तम परम्परा है।]

युवकों के बदलते दायित्व

मनमोहन चौधरी

छात्र असन्तोष मत बीस वर्षों से हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है। हममें से कई लोग उसे प्रायः समुचित अनुशासन के अभाव का एक प्रकट रूप ही मानते हैं, और कुछ नहीं। वे अपने बचपन के वे भले दिन याद करते हैं, जब अपने बुजुर्गों के सामने वे जवान तक नहीं हिला पाते थे और बड़ों की बात धुँ चपट किये बिना माना करते थे। कुछ समय लोग युवकों का दिमाग खराब करने का सारा दोष पश्चिम देशों से आये हुए नये विचारों को देते हैं। उनकी दृष्टि में यह एक ऐसी घटना है जिसे रोकने की या दबाने की आवश्यकता है और जब तक पश्चिम देशों में व्यापक रूप से छात्र-असन्तोष बढ़ नहीं गया, तब तक लोग लगभग यही मानते थे कि यह अजीब परिस्थिति केवल हम देश में ही पैदा हुई है।

मैं मानता हूँ कि यद्यपि अलग अलग देशों के छात्र असन्तोष के सन्दर्भ और स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इनके पीछे एक तत्व है, जो सर्वत्र समान है और ये असन्तोष समाज में एक नयी शक्ति के आविर्भाव के लक्षण हैं।

पुरानी लीक

बुजुर्ग लोगों के बीते दिनों की याद करने में एक सत्य है और वह यह कि उन दिनों उनके सामने कोई बड़ी समस्या थी नहीं। आज भी पहरों से दूर कोनो में पड़े हुए आदिवासियों के इलाकों में हम देखते हैं कि उनके सामने कोई समस्या नहीं है।

जहाँ बाहरी प्रभावों का स्पर्श नहीं हुआ है उन आदिवासियों का समाज देखने में तो मालूम होना है कि उनकी सामाजिक रचना न मालूम कितनी सदियों से एक-सी बली भा रही है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। उनके सामाजिक रीति रिवाज, शिकार का घमा, भ्रम सप्रह का तरीका, भाषा, पोशाक, धौजार, बरतन आदि सब आज तक ज्यों के त्यो चले आ रहे हैं। उनके विधाम, पूजापाठ, लोककथाएँ, सगीत, नाच गान सभी, बिना रत्तीभर फरक किये, पीढ़ी दर-पीढ़ी युगों से एक-से बने हुए हैं। परस्पर का सम्बन्ध मैसा होना चाहिए, गाँव में किस परिवार का क्या स्वान और क्या मान होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आदि सब बातें बारीकी से निश्चित की हुई हैं और यैसी ही बनी आ रही हैं।

ऐसे समाज में जो वृद्धा पैदा होता है उसका स्थान और दायित्व पहले से ही मुनिर्धारित रहता है। ज्यो-ज्यो वह बड़ा होता जाता है, उसे अपने वह दायित्व निभाने की क्षमता अपने में पैदा करनी होती है। उसके जीवन का व्योरेवार तीर तरीका पहले से तय है, जिस पर उसे जीवनभर चलना है, अतः धीरे-धीरे उसे अपने को उस पुरानी लीक के लायक बना लेना होता है। उसे खुद सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं रह जाता है कुछ जानना परखना या भ्रमने लिए कुछ चुनना, यह सब उसके लिए सुतराम् अनावश्यक है। वह जानता है कि उसका समाज एक घबल और अपरिवर्तनीय सांचा है और उसे खुद उस सांचे के अनुरूप ढलना है।

तेजी से बदलता हुआ विश्व

परन्तु आधुनिक समाज का, जैसे किसी एक शहर का, चित्र देखें तो वह इससे बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा। उस समाज में कई दिशाओं में निरन्तर परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि उत्पादन की नयी पद्धति चालू हो गयी है नयी-नयी वस्तुएँ पैदा हो रही हैं, आवागमन के तथा समाचार-संचार के नये नये प्रकार बाकिल हुए हैं, और इन सबका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इनके कारण और ऐसे दूसरे-दूसरे परिवर्तनों के कारण मनुष्यों के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगा है। उनका रहन सहन, उनके काम की पद्धति, फुरसत का उपयोग, उनके मनोरंजन का स्वरूप—सब बदल गये हैं और बदलते जा रहे हैं। लोगों के जीवन में और समाज की प्रवृत्तियों में होनेवाले इन सब परिवर्तनों के कारण मनुष्य-मनुष्य के बीच के सम्बन्ध बदलते हैं और उनके तौर-तरीके बदलते हैं।

ऐसे खुले समाज में विश्वव्यापी तेज संचार-साधनों के कारण विचार और जानकारीयाँ जनता तक पहुँचाना सहज हो जाता है। लोग बेचल अपने परम्परागत विश्वासों, रुढ़ियों और दार्शनिक तत्वों को ही नहीं, बल्कि दूसरे समाजों की सृष्टि और सभ्यता को भी धीमे-धीमे जान लेते हैं और उनकी परस्पर तुलना करके देखने का अवसर भी उन्हें मिलता है।

ऐसे समाज में हम लोगों की आकाशाओं और आदशों को भी तेजी से बदलने हुए देखते हैं। युगो-युगों से सामान्य जनता ने अपनी वर्तमान स्थिति को भाव्य या अथवा ईश्वर या विधान मान लिया था और उत्तम स्थिति लाने के लिए किसी भी प्रकार के गुहार या बिचार तक नहीं किया था। परन्तु अब

तो निरंतर उत्तरोत्तर होनेवाले परिवर्तनों के कारण सामान्य जनता की भांसाएँ और भांसाएँ भी जाग उठी हैं। प्रत्येक भादमी को विश्वास हो चला है कि उसका भायिक और सामाजिक स्थान मान सुधारा जा सकता है। लोग भाज विपमता भायाय और गोपण को गृहीत मानकर चलने को तैयार नहीं है। इसीका परिणाम हम देखते हैं कि ससारभर में क्रांतिकारी भादोलन प्रारम्भ हो गये हैं, जो विवेक और समझ वृथ के साथ तेजी से समाज को बदल देने और भाज से अच्छी स्थिति में पहुँचने को उद्यत हैं।

इन सबका भाणय यह है कि विश्व के इतिहास में पहली बार विशाल जन-भाधारण के सामने अपने जीवन की उन्नति की दृष्टि से अपने लिए अनुकूल वस्तुओं को चुनने का वास्तविक अवसर उपस्थित हुआ है। यह विकल्प भन्न-वस्त्र भावास मनोरजन भादि साधारण बातों से लेकर भाजीविका और जीवन पद्धति ही नहीं जीवन मूल्यों एव राजनैतिक-सामाजिक पद्धतियाँ और दृष्टिकोणों तक, सभी क्षेत्रों में प्रस्तुत हुआ है। बदलो हुई नयी परिस्थिति से स्वाभाविक ही भाज के युवक विशेषतः छात्र बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जन्म देनेवाली उस एकांगी सस्कृति की सीमाओं में अब वे अधिक समय तक भाँस मीचकर चल नहीं सकते। परंपरा से जो पद्धति चली भायी है उसीसे भाज की समस्याओं और परिस्थितियों का समाधान वे नहीं कर सकते। इन स्थिति में उपर्युक्त अवसर उनमें एक नयी शक्ति का भाान करा रहा है। भाँस वह शक्ति प्रस्तुत विकल्प में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता में ही है। तो हम विश्व के धारों और युवकों को इसी अवसर का लाभ उठाने में ध्यस्त देख रहे हैं।

इस अवसर का उपयोग करने का रूप पुरानी पीढी के लोणों को कहीं भला लगता है कहीं कम भला लगता है तो कहीं एकदम बुरा भी लगता है। लेकिन उन प्रवृत्तियों के बारे में निणय करते समय हमें उनके पीछे निहित बुनियादी और प्रमुख तत्वों को नजर-अदाज नहीं करना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह असा-तोप मानव इतिहास में एक नयी प्रचण्ड शक्ति—सृजनशील मानस की शक्ति—का भाविर्भाव का तक्षण है।

मनुष्य सदा सृजनशील ही रहा है। परंतु उसकी गुन सृजनशीलता की बँद भर ही अब तक काम में ली गयी है। लाखों-करोड़ों युवकों की शक्ति विछले युगों में समाज द्वारा परंपरा से मान्य पद्धतियों के अनुरूप बनने में और अपना गुजारा चलाने में ही खच हुई है। इन लाखों-करोड़ों युवकों की शक्ति मुक्त

होती है तो वह मानव-समाज के नवनिर्माण में, जो आज से भविक उत्तम और सुन्दर जीवन जीने का भवसर देगा, बहुत काम आ सकती है।

भारत तथा विश्व के युवक

विश्व की बात में नहीं जानता, पर यहाँ भारत में इस बदलते विश्व के स्वरूप और परिणामों को जाननेवाले बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग समाज की बनी-बनायी लीज के अनुरूप ही सोचने के भादी हैं, भले उसमें इधर-उधर कुछ फेर फार कर लें, कि नयी पीढ़ी को उस लीज के अनुरूप ही बनना चाहिए। वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि जो भूत भौतल से बाहर निकल पड़ा है, उसे फिर से बन्द कर दिया जाय। हमारी शिक्षा पद्धति युवकों को बदलते विश्व के योग्य बनाने में, परिवर्तन के प्रवर्तक और स्वामी के रूप में गढ़ने में, सर्वथा अयोग्य है। वे जिस विश्व में जी रहे हैं उस वर्तमान नये और अजीब विश्व का सही भान कराने की क्षमता उस शिक्षा-पद्धति में बिल्कुल नहीं है।

इसलिए हमारे यहाँ के युवकों को बदलते विश्व की हवा का स्पर्श तो हो गया है, परन्तु उसके स्वरूप और उसमें निहित शक्ति से भ्रमगत होना अभी बाकी है, और वे उससे बहुत दूर हैं। भ्रम जादृति की भवस्था में वे अस्थिर होकर भ्रमक रहे हैं।

इस बात की पूरी भाशका है कि कोई भी व्यक्ति और हर एक व्यक्ति इस नयी आकस्मिक शक्ति का लाभ अपना अपना मतलब साधने के लिए करना चाहेगा। इस तरह, हम देख रहे हैं कि राजनैतिक लीग अपने आन्दोलनों में छात्रों को डाल बनाकर चलने की चेष्टा करते हैं और उद्योगपति हिप्पियो और बीटलों के बहुचर्चित फैशनो के चलते खूब पैसा बना रहे हैं।

भारत के तथा विदेश के युवकों में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि विदेश के युवकों का प्रवेश आधुनिक ज्ञान और विचारों के भण्डार में काफी मात्रा में हो गया है जो नये विश्व के साथ एकरस होने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए जरूरी है। यहाँ, भारत के युवक, परम्परा की जजीरी से मुक्त तो हो गये हैं, लेकिन उस नये ज्ञान भण्डार में अभी इनका प्रवेश अत्यन्त ही हो पाया है। इसीलिए प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि पश्चिमी देशों के छात्र आन्दोलन का वर्तमान जादृतिक ज्वलन्त समस्याओं से सम्बन्ध रहता है, जैसे—वर्णभेद की समाप्ति, उपनिवेशवाद का विरोध, वियतनाम का मुद्दा,

सर्व सहयोगी लोकात्म्य आदि। परन्तु यहाँ भारत में विशाल और वास्तविक दृष्टिकोण के अभाव के कारण युवक अपने सकीर्ण दायरे में ही अपने रगीन चरम से समस्याओं को देखते हैं और उसीके अनुसार काम करते हैं।

दूसरा भी एक भेद है और वह है शक्ति स्थिति का। पश्चिम में सम्पत्ति में काफी विषमता के हाथ हुए भी प्रत्येक व्यक्ति आसवस्त है कि उसे जीविका का कोई न-कोई माध्यम मिलेगा ही। यहाँ तो, हमारी बेहरी अर्थनीति के कारण प्रत्येक शिक्षित युवक और युवती को अनिश्चय और अनाशासन के निराशात्मक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। इसकी बुरी छाप यहाँ के युवकों के सम्पूर्ण चरित्र पर पड़ती है। यह स्थिति उनको विशाल और व्यापक प्रश्नों के बजाय व्यक्तिगत और तात्कालिक प्रश्नों पर ही ध्यान केन्द्रित रखने के लिए विवश करती है।

फिर भी उनके कुछ ऐसे आन्दोलन हुए हैं, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध उनके अपने हितों से नहीं था, बल्कि उनमें विद्यार्थियों के अन्दर व्यापक समाज के साथ, मानवता के साथ, एकरूप होने की आकांक्षा व्यक्त हुई थी। लेविन ही, वह एकरूपता प्रायः राज्य की सीमा तक, भाषा या धर्म या जाति की सीमा तक ही फैलकर रह गयी थी। यह इसलिए हुआ था कि उनके दृष्टिकोण की सीमा ही बंदी तक थी। इसमें उनका अपना दोष नहीं था, बल्कि दोष उनका था जिन पर उन्हें शिक्षित करने का दायित्व है।

इस प्रकार, मेरी दृष्टि से, समस्या सबसे पहले बड़ा की है कि वे वर्तमान समाज में युवकों के बदलते हुए स्थान और दायित्व को समझें और उनकी पूर्ति में अपनी मदद दें। यह दायित्व, जैसा मैं मानते किया है, जीवन के सभी क्षेत्रों को बदलने का है। इसके लिए उचित दृष्टि, सशक्त साधन और योग्य कुशलता से सम्पन्न होने की जरूरत है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि नयी पीढ़ी को परिवर्तन के भी पूर्वनिर्धारित तरीकों का ही पालन करने के लिए विवश करना ही और आत्मवचन ही है। मार्क्स, लेनिन या गांधी ने अपना उत्कृष्ट योगदान प्रकट दिया है और उनकी देन भविष्य में अधिक समय तक स्मरणीय रहनेवाली है, परन्तु नयी पीढ़ी को नये विश्व का सामना करना है, नयी ही समस्याओं से मुकाबिला करना है और उसमें से नयी अर्थदृष्टि और नये रत्य का दर्शन करना है। इस समझदारी के साथ प्रयत्न करें, तभी युवक-संगठना का समाधान खोजने का कार्यक्रम कुछ हद तक सफल हो सकेगा।

तरुण शान्ति सेना : एक परिचय

• यह १४ से २२ वर्ष के बीच के युवक-युवतियों के उत्तर-दायित्व के प्रशिक्षण तथा आत्म प्रकाशन के माध्यम द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास करने का रचनात्मक मार्ग है।

• युवकों में स्वस्थ सत्कार डालने और उनको स्वावलम्बन तथा सामुदायिक प्रयत्नों के कार्यक्रम उपलब्ध कराने का आन्दोलन है।

• विद्यार्थियों और युवकों में राष्ट्रीय पुनर्रचना के कामों के प्रति उत्तरोत्तर अधिक रुचि उत्पन्न कराने और उनमें प्रत्यक्ष भाग लेने के लिए उत्साह बढ़ाने का सगठित प्रयास है।

• युवकों में ऐसी बुद्धिर्मा तथा दृष्टिकोण तैयार करने के प्रशिक्षण का प्रयास है, जिससे देश और दुनिया में शांति स्थापित हो।

• शिक्षा-प्रणाली के दोषों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने का एक विधायक कार्यक्रम है।

कौन शामिल हो सकता है ?

कोई भी युवक या युवती, जो

• १४ से २२ वर्ष की उम्र का हो, (विशेष परिस्थिति में अपवाद किया जा सकता है) शांतिमय समाज के लिए काम करने के तरुण शांति-सेना के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करे, और अपने मानव-सम्बन्धों की सेवा के लिए तत्पर हो।

• राष्ट्र-निर्माण के विधायक काम में सालभर में एकसाथ एक महीना या दो बार में दो पदा का समय देने के लिए तैयार हो।

• लोकतांत्रिक-पद्धति, सर्व-धर्म समभाव, राष्ट्रीय एकता और विश्वशांति में विश्वास रखता हो।

• जो १२० वार्षिक शुल्क जमा करना हो।

पूर्व-पीठिका

तद्वर्ष शांति सेना की पूर्व सहाय किशोर शांति दल के नाम से गुजरात में सन् १९६२ में हुई थी। गुजरात की नयी तालीम की पाठशालाओं में इसका प्रारम्भ हुआ। बाद में शांति सेना मण्डल की युवक शाखा के रूप में इसका विस्तार हुआ। इस दल ने गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लिया।

प्रखिल भारत शांति सेना मण्डल ने अगले वर्ष इस विचार को आगे बढ़ाया और हर साल प्रखिल भारतीय स्तर का 'श्रम-स्वाध्याय शिविर' युवक और युवतियों के लिए आयोजित किया गया।

इन शिविरों में जो विद्यार्थी आये थे, उन्होंने अपने यहाँ किशोर शांति-दल के केन्द्र स्थापित किये।

अब तक निम्नांकित राज्यों में किशोर शांति दल के केन्द्र गठित हुए हैं। १. आन्ध्र, २ पंजाब, ३ बिहार, ४ गुजरात, ५ केरल, ६ मद्रास, ७ महाराष्ट्र, ८ मध्यप्रदेश, ९ उड़ीसा, १० राजस्थान, ११ त्रिपुरा, १२ उत्तरप्रदेश। इन दलों को अब तद्वर्ष शांति सेना के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

'विद्यार्थियों में प्रशांति' के प्रश्न पर लक्ष्मीनारायणपुरी (बिहार) में प्राचार्य विनोबाजी के सान्निध्य में नवम्बर १९६६ में दो दिन का शिविर आयोजित किया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण और काकासाहेब कालेलकर दोनों दिन उपस्थित थे। भाठ प्रदेशों के विद्यार्थियों ने इनमें हिस्सा लिया।

देश के विभिन्न भागों में छुट्टियों के दिनों में प्रादेशिक शिविर भी किये गये। केवल सन् १९६७ ही में ऐसे १७ शिविर हुए।

इन शिविरों में आये हुए विद्यार्थियों में से ३०० से अधिक विद्यार्थियों के साथ बराबर पत्र-व्यवहार चल रहा है। पत्र के विषय भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भारत की अन्न समस्या, घेराव, पक्ष परिवर्तन और नक्सलवादी जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न, और 'पश्चिम एशिया का संघर्ष', 'भारत-पाकिस्तान का सम्बन्ध' इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्न से लेकर व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न तक विषयों पर पत्र-व्यवहार होता है।

संगठन

प्रत्येक ब्लूक या वार्डन की प्रथी तरण शांति से। इकाई ही रखी है। इकाई का नेता सबमम्मनि ने एक साल के लिए चुना जायगा। वह इकाई की बैठक बुलायेगा। सदस्य की सूची और उनकी उपस्थिति का रजिस्टर रहेगा और वाराणसी स्थित राष्ट्रीय नायक को तथा प्रादेशिक कार्यालय को नैमासिक रिपोर्ट भजगा।

तरण शांति सेना इकाई में कितने सदस्य होंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। तरण शांति सेना के बुनियादी सेल में कम से कम दो सदस्य रहेंगे। जहाँ दस सदस्य होंगे वहाँ यह 'दस्ता' कहलायगा। हर दस्ते में ६ सदस्य रहेंगे और एक दस्ता नायक रहेगा। २० सदस्य का दल जल्दा कहलायेगा। इसमें तीन दस्ते, एक सहायक जत्थानायक और एक जत्थानायक रहेगा।

प्रत्येक जिले का अपना जिना संगठन हो सकता है जिनाम जिले की विभिन्न इकाइयाँ रहेंगी। जिना सचालक प्रादेशिक या राष्ट्रीय संगठन द्वारा मनोनीत किया जायगा। राष्ट्रीय संगठन प्रदेश सचालक या कमिटी को भी मनोनीत करेगा। जिला और प्रदेश के संगठन वान के श्रुवध के लिए एक दूसरे के साथ तथा अन्तर प्रादेशिक वायनमो एव राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए राष्ट्रीय कायाक्रम के साथ सबधित रहेंगे। सभी मामलों में, जहाँ ग्राम राम नहीं हो सकेगी प्रतिम निणय राष्ट्रीय सस्या के हाथ में रहेगा।

तरण शांति सेना के कार्यक्रम की योजना में मार्गदर्शन करो और सजाह देने के लिए प्रादेशिक तरण शांति सेना जिला स्तर पर सजाहकार समितियाँ गठित करेगी। राष्ट्रीय तरण शांति सेना प्रादेशिक सजाहकार समिति का गठन करेगी।

तरण शांति सेना की वर्दी लडको के लिए सफेद कमीज और सफेद हाफनेट तथा लडकियों के लिए सफेद स्कर्ट और ग्लाउज या सलवारकुर्ता या साडी होगी। लडका और लडकी दोनों के लिए केमरिया रंग की खादी पट्टी कमर के चारों ओर और उसी रंग का रमाल गदन के चारों ओर बाँधने के लिए रहेगा। तरण शांति सेना का छोट सा पदक छाती पर लगा हुआ रहेगा।

तरण शांति सेना के उद्देश्यों तथा उसके सकल्प को स्वीकार करनेवाले शिक्षित इस कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका भदा कर सकते हैं। कल्पना यह है कि वे तरण शांति सेना के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि मागदर्शक या सजाहकार के रूप में काम करेंगे। इसके निविरो तथा इसके पाठ्यक्रमों में उनके योगदान का स्वागत किया जायगा।

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम

तरुण-शांति-सेना के प्रशिक्षण में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल होंगे :—

१. शारीरिक प्रशिक्षण : जैसे कवायद, योगासन, उत्पादक श्रम तथा खेल कूद आदि ।

२. समाज सेवा : छात्र-समुदाय या स्कूल के बाहर के समुदाय के बीच सेवा-कार्य ।

३. सामान्य शिष्य . देग-विदेग की तार्किक घटनाओं और वर्तमान समस्याओं का अध्ययन ।

४. सामूहिक जीवन : ऐसे शिबिरो में भाग लेकर सहजीवन का अभ्यास करना, जिसमें सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय उत्थान के लिए पराक्रम युक्त कार्य हाथ में लिए गये हों ।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

(क) शारीरिक कुशलता : प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी क्षमता में विकास—जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, तैरना, कूदना, केचना, साइकिल चलाना और योगासन आदि में विकास ।

(ख) संगठन की कुशलता : तरह-तरह की सामूहिक कवायद, पहचान चौकी, कुशलता के साथ सही संदेश भेजना, जनतांत्रिक ढंग से सभा का आयोजन, सर्वसम्मति निर्णय पर पहुँचना, यात्रा और शिबिरो की योजना बनाना तथा सामूहिक गान आदि ।

(ग) व्यावहारिक कुशलता : छोटे मोटे प्रोजेक्ट, धरतू तथा अन्य सामान्य उपयोग में आनेवाले साधनों की सम्हाल और मरम्मत तथा उनके प्रयोग की क्षमता । शिबिर-व्यवस्था के लिए आवश्यक कुशलताएँ सीखना—जैसे तम्बू गाड़ना, छप्पर या पर्दे लगाना, रस्से बटना तथा गाँठें लगाना, खाई खोदना, नाली बनाना, सादा भोजन पकाना, खुनी जगह में चूल्हे लगाना, कम-ते-कम सामग्री और कम-से-कम समय में भण्डार भोजन पकाना आदि ।

मानचित्र का अध्ययन, मार्ग ढूँढना, मार्ग की दिशा देना और अनुसरण करना, व्यक्तिगत मानचित्र को इस तरह बाँधना कि पीठ पर सुविधा के साथ ढो सके । सामूहिक कार्य में भाग लेने की क्षमता, कार्यक्रम की योजना बनाना, उनका संचालन तथा मूल्यांकन करना ।

(ब) सेवा की तैयारी अपने निवास तथा अध्ययन कक्ष की सफाई, पोषण के सरल सिद्धान्त और उनके अनुसार साधारण भोजन वा चुनाव तथा उसकी तैयारी ।

मफाई और स्वास्थ्य स्वच्छ और स्वस्थ रहन-सहन के मूल सिद्धान्त और उनका प्रयोग बीमारों की देखभाल प्राथमिक चिकित्सा । आग बुझाना और लामो को बचाना ।

सूचना इस भाग में शास्त्रीय ज्ञान, प्रयोग और प्रदर्शन तथा स्थानीय जनता की सेवा से अनुबधित रहेगा । परिस्थिति के अनुसार सब्जी उत्पादन और बागवानी का कार्य भी इस पापक्रम में शामिल हो सकता है ।

(घ) तारकालिक घटना चक्रों का अध्ययन (१) स्थानीय क्षेत्र का दैनिक जीवन उसका आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू राजनैतिक व्यवस्था रोजगारी स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन सभावित तनाव के क्षेत्र शिविर-क्षेत्र के पढोस का अध्ययन और निरीक्षण पढोस की समस्या ।

(२) अपने देश का रहन सहन, इसकी भाषायी सांस्कृतिक और आर्थिक भिन्नता, अनेकता में एकता की समस्याएँ, प्राकृतिक साधन और विकास की समस्याएँ ।

(३) समार जिसमें हम रहते हैं इसके राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में नेजी ने साथ मूल परिवर्तन । तेज गति से बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना की बढ़ती ताकतें । अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और उनका कार्य ।

(४) विज्ञान का प्रभाव सोचने के रुढ़िग्रस्त तरीके तथा उनके प्रति अणुशक्ति तथा स्वचालित यंत्रों की चुनौती ।

(५) सघर्षों का हल आये दिन होनेवाले सघर्षों वा ऐसे तरीकों से अध्ययन करना जिनके द्वारा वे आसानी से सुलभ जा सकें । ऐसे सघर्ष निम्न लिखित क्षेत्रों में हो सकते हैं

(१) आपसी सम्बन्ध परिवार, व्यापारिक सैद्धिक या अन्य संस्थाओं के सदस्यों के बीच होनेवाले तनाव ।

(२) एक दूसरे समुदाय के बीच सम्बन्ध धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि तथा भाषाओं की भिन्नता एवं आर्थिक स्वार्थ भादि के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव ।

(३) अन्तरप्रान्तीय सम्बन्ध राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक स्वार्थ की विषमता से उत्पन्न होनेवाले तनाव ।

मेल-मिलाप की कला और शास्त्र : सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भावना और विवेक की स्वतंत्रता के लिए किये जानेवाले सघर्षों में अहिंसा के प्रयोग के ऐतिहासिक उदाहरण तथा शांति और अहिंसा के नायक का अध्ययन ।

मेल-मिलाप करानेवालों के आवश्यक व्यक्तिगत गुण . १ वह ध्यान आदि के द्वारा स्वानुशासन प्राप्त कर चुका हो । और २ यह आस्था रखना हो कि मनुष्य अपने आप में एक अच्छा प्राणी है जो अच्छाई और आध्यात्मिक सत्य की ओर झुकता होता है । ३ अपने इन विश्वास के आधार पर वह अहिंसक कार्यक्रम का आयोजन कर सकने में समर्थ हो ।

सूचना : घ, च और छ में बताये गये विषयों के सिद्धान्तिक पहलू का अध्ययन सावधानी और अनुशासित ढंग से करना चाहिए । इन विषयों में केवल भाषण प्रणाली को न अपनाकर छात्रों के पूर्ण सहयोग द्वारा अध्ययन की सक्रिय विधियाँ अपनानी चाहिए । इन विधियों में निरीक्षण और अनुभव, लेख-पाठ, मुप-चर्चा और वाद-विवाद आदि पर आधारित विद्यार्थियों के विवरण आदि शामिल हो सकते हैं ।

कार्यक्रम का संयोजन

तरुण शांति सेना के कार्यक्रम निम्न प्रकार होंगे :

शिविर

तरुण-शांति-सेवक स ल भर में तीन दिन शिविरों के लिए दें, ऐसी अपेक्षा है । ये शिविर 'धर्म-स्वाध्याय-शिविर' होंगे, जिनमें क्षेत्र और मौसम की अनुकूलता के अनुसार तरह-तरह के कार्यक्रम जैसे—सफाई, फसल-कटाई, रास्ते बनाना, कुएँ खोदना इत्यादि लिये जा सकने हैं । शिविर के कुछ समय का उपयोग देश की परिस्थिति के विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारत की सांस्कृतिक परम्परा की महत्ता, और हाथ में लिये गये कार्य के चिन्तन के लिए किया जायगा ।

उपर्युक्त कार्यक्रम सैनिकों के लिए अनिवार्य हैं । इसके अलावा उन्हें सालभर में निम्नांकित कार्यक्रम के लिए भी प्रोत्साहित किया जायगा ।

(भ) सप्ताहान्त शिविर : हर सप्ताह के अन्त में युवक झुट्टा होकर सामूहिक रूप से स्वावलम्बन, अध्ययन, और शरीर-धर्म के कामों में शरीक होंगे ।

(घ) अध्ययन गोष्ठी : विद्यार्थी-जगत् से सम्बद्ध प्रश्नों पर समग्र-समग्र पर चर्चा-गोष्ठियों का आयोजन ।

(इ) स्वाध्याय-योजना शांति सेना मण्डल द्वारा आयोजित पत्र-पाठ योजना में शामिल होकर स्वाध्याय ।

(ई) विशिष्ट कार्यक्रम सम्प्रदाय निरपेक्ष पद्धति से उत्सव मनाना, साग पत्ती फल फूल आदि के उत्पादन-कार्यक्रम में हिस्सा लेना उसका सयोजन करना, गरीब जनता के साथ सश्रिय सहानुभूति के तौर पर एवं समय का भोजन खच बनाकर भेजना सद् साहित्य का प्रचार करना शानि बिल्ली शांति-काडों और शांति आंदोलन सम्बन्धी पत्रिका आ की बिन्धी करना इत्यादि ।

(उ) एक बच स्नातक थाप यदि स्नातक है और एक बच अपनी सेवा देने को तैयार है तो —

शांति-सेना मण्डल एस स्नातक की अजियाँ विशेष काम-कर्मों का हाथ में लेने के लिए स्वीकार करेगा । चुने हुए स्नातकों को एक बच के लिए साधारण जीवनमान के आधार पर निर्वाह व्यय भी दिया जाएगा । स्नातकों की ग्रामीण पुनर्निर्माण के काम में लगे युवकों के साथ किसी देहाती क्षेत्र में या ऐसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ शांति-सेना का काम चल रहा है काम करने के लिए भेजा जा सकता है ।

सप्ताहान्त शिविर का सयोजन

(क) सप्ताहान्त शिविरों के निम्नलिखित लक्ष्य हो सकते हैं —

- १ आंदोलन में रुचि लेनेवाला को द्रवद्धा मिलने का अवसर प्रदान करना
- २ नये लोगों से सम्पर्क
- ३ युवकों को जन सेवा में लगाना
- ४ नये शांति सैनिक प्राप्त करना

(ख) शिविर में भाग लेने वालों और जनता की सुविधा की ध्यान में रखते हुए शिविर का स्थान और समय पहले तय कर लेना चाहिए । शिविर के लिए (१) ग्रामिक वस्ती (२) हरिजन वस्ती (३) मध्यमवर्गीय क्षेत्र और (४) शैक्षणिक क्षेत्र जैसे स्थल चुनना चाहिए ।

(ग) शिविर में भाग लेनेवाला को स्थान और समय का पूरा विवरण पहले ही भेजना चाहिए ।

- १ तारीख के साथ दिन का भी नाम दोजिए ।
- २ शिविर में आने का सही समय बताइए ।
- ३ शिविर के पते में सड़क का नाम क्षेत्र का नाम और भवन का नम्बर भी लिखें ।

४ शिविर जिसके निवास पर हो उस व्यक्ति का नाम लिखिए ।

नोट —उपरोक्त सूचनाएँ पोस्टवाहक या साइक्लोस्टाइल मागज पर स्पष्ट छपी होनी चाहिए । स्थानीय समाचार-पत्रों में भी सूचना देनी चाहिए ।

(घ) शिविर का प्रारम्भ किमी एक गीत द्वारा करना चाहिए ।

(च) सबसे पहले दिनभर का कार्यक्रम तय कर लें । (भ्रष्टा होगा कि पूर्व-गोष्ठी में ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली जाया करे ।)

१ कार्यक्रम तय न तय करें

२ छात्रों को अपने विचार तय रखने दें, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि शिविरार्थियों की अभिव्यक्ति की लालसा का यह अवसर बाद विवाद का रूप न धारण कर ले । प्रतिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ समरसता बनी रहनी चाहिए ।

३ दैनिक कार्यक्रम

(क) छोटी प्रार्थना या ध्यान

(ख) स्थानीय क्षेत्र में जन-सम्पर्क

(ग) शिविरार्थियों की आपस में मुक्त चर्चा

(घ) स्वाध्याय, अथवा सामूहिक अध्ययन

(ङ) खेल, कवायद आदि

(च) मास्कृतिक कार्यक्रम

(द) प्रार्थना के चुनाव में सावधानी

१ यह पृथक्-आवादी और साम्प्रदायिक न हो ।

२ भाषा सरल हो । किन्तु ऐसे श्लोक जो अधिकांश शिविरार्थियों को याद हो, गाये जा सकने हैं ।

३ अपने खुद के उच्चारण पर संतुष्ट रहें । भविष्य में आप इस योग्य हो सकने हैं कि दूसरों के उच्चारण शुद्ध करा सकें ।

(ब) मान प्रार्थना या ध्यान

१ शिविरार्थियों के लिए प्रार्थना या ध्यान का समय बहुत लम्बा न हो ।

२ मान प्रार्थना का उद्देश्य समझाइए, जो भाईचारे और सेवा की भावना का विस्तार तथा उच्चतर सर्वमाय सत्य की खोज के लिए की जाती है ।

३. कुछ पुस्तकें—जैसे 'सत्य के प्रयोग' और 'गीता प्रवचन' आदि के प्रसंग भी पढ़कर सुनाइए ।

(ठ) खेल कूद :

तरुण शान्ति सेना शिविर में खेल सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खेल के संयोजन को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए

- १ निष्पक्ष होना।
- २ प्रतियोगिता को बढ़ावा न देना।
- ३ प्रत्येक व्यक्ति को अपना रिकार्ड रखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वह अपनी क्षमता का विकास कर सके।
- ४ ऐसे खेलों को प्रोत्साहित करना, जिसमें सामूहिक और सहकारी प्रयत्न की आवश्यकता महसूस हो।
५. उन खेलों को, जिनमें मजबूत लड़कों को अपने से कमजोर लड़कों की सहायता करने का मौका मिल सके, प्रोत्साहित करना।

ड) कवायद :

कवायद के समय तरुण शान्ति सेना सगठन को काफी सावधान रहना चाहिए। कवायद से जो अनुशासन हम सीखते हैं, उससे लाभ उठाने का उद्योग तो करना चाहिए, लेकिन फौजों की तरह कवायद में लड़े जाने वाले अनुशासन से हमें बचना चाहिए।

१ आदेश देने के पूर्व उनका अर्थ भली भाँति समझा दें।

२ आदेश स्पष्ट हो।

३ किसीसे शलती हो जाय तो व्यग्र या नाराज न हो।

४ तरुण शान्ति सेवकों को भी नेतृत्व करने और आदेश देने का अवसर प्रदान करें।

५ कार्यक्षमता के साथ विनीतप्रियता बनाये रखें।

६ बिना फौजी तरीका अपनाय लोकनृत्य द्वारा भी अनुशासन का प्रशिक्षण किया जा सकता है।

(ढ) सांस्कृतिक कार्यक्रम .

शिविर में प्रस्तुत किये जानेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्तर सगठन की रुचि सूझबूझ और अनुभव पर आधारित होता है।

१ कार्यक्रम के चुनाव में शान्ति सेना के मूल्यों को प्रथम वरीयता देनी चाहिए। (संक्षुचित क्षेत्रीय भावना और संक्षुचित राष्ट्रीयता से बचना चाहिए।)

२ आयोजन में भाग लेनेवालों को प्रारम्भाभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर दें।

३ शान्ति सेना के आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए यह ध्यान रखें कि बलात्मकता का ह्रास न हो और प्रथमता न भ्राने पावे।

(६) सप्ताहान्त शिविरो मे स्थानीय लोगों से सम्पर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है । नये भर्नों होनेवालों को उन सवालों को समझने का मौका मिलता है, जो तरुण शांति सेवकों से लोग पूछते हैं, और अनुभवी सेवकों को प्रादो लन के प्रति लोगों के उत्साह की माथा जानने का अवसर मिलता है । इनसे स्थानीय समस्याओं के अध्ययन का भी अच्छा मौका मिल जाता है । सम्पर्क के तरीके —

१. जन-सेवा—जैसे सफाई, बच्चों की देखभाल, चिकित्सा सहायता
२. विद्यालयों मे सफाई, या बागवानी के काम मे मदद देना
- ३ प्रचार-कार्य जैसे साहित्य वित्री और याम्प्लेट (पुस्तिकाएँ) बाँटना
- ४ सांस्कृतिक आयोजन जैसे नाटक, सायकलीन संगीत, खेल कूद आदि
- ५ तथ्य इकट्ठे करना—जैसे प्रारम्भिक ढग का सामाजिक और आर्थिक सर्वे करना ।

जन-सम्पर्क के समय तरुण शांति सेवक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें .

- १ भाषा सरल और सीमा हो ।
२. कटु आलोचना सुनने को सदा तैयार रहे ।
- ३ अपनी पहले की कमियाँ और गलतियाँ बेहिचक स्वीकार करें । सप्ताहान्त शिविरो मे उनसम्पर्क ही आगामी सम्बन्ध का प्रारम्भ हो सकता है ।
१. प्रादोलन मे सचि रहनेवालों का नाम-पता नोट करें ।
- २ उनसे दूसरी बार मिलने का समय निश्चिन करें ।
- ३ सभी प्रश्ना का उत्तर देने का प्रयत्न न करें । कुछ ऐसे उत्तर हो सकते हैं, जिनकी पूरी जानकारी तरुण शांति सेवक का न हो । ऐसे प्रश्नों से प्रादोलन के नेताओं को अवगत कराते रहें ।
४. कुछ लोगों को कुछ पढने की राय भी दें । अध्ययन-सामग्री यदि पास मे न हो तो परेशान न हो, इससे दुबारा सम्पर्क का मौका मिलेगा ।
- ५ दूसरी बार के साक्षात्कार का जो समय तय करें, उस समय पर पहुँचने का पूरा ध्यान रखें ।

(७) अध्ययन के समय में :

१. सबसे पहले अध्ययन के लिए पुस्तक का एक घण चुन लें ।
२. चुना हुआ घण किसी एक से पढवायें और घण मे सभी विचार-विमर्श करें ।

शान्ति के लिए एक वर्ष

इन योजना में प्रति वर्ष लिए लगभग ही स्नातक चुने जायेंगे ।

अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

- (क) वे स्नातक या उसके समकक्ष की कोई परीक्षा उत्तीर्ण हों ।
- (ख) वे शांति-सेना मण्डल द्वारा आयोजित 'चुनाव शिविर' में भाग लेकर शांति-सेना-मण्डल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों ।
- (ग) उन्हें तीन महीने का पूर्व-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।
- (घ) उन्हें देश-सेवा के लिए (पूर्व प्रशिक्षण-अवधि सहित) एक वर्ष देने की दायित्व लेनी होगी ।

कार्यक्रम

चुनाव शिविर में चुने गये अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्तरों से गुजरना होगा ।

(क) पूर्व-प्रशिक्षण (ख) सेवा-कार्य (ग) विचार-विमर्श सभाएँ
पूर्व-प्रशिक्षण—

इसके तीन भाग होंगे :

- (१) शांति सेना मण्डल के प्रशिक्षण-विद्यालय में शांति सेना के सिद्धान्त और प्रयोग का प्रारम्भिक शिक्षण—अवधि लगभग १५ दिन ।
- (२) कुछ उपयोगी कौशल और क्षमताओं का प्रशिक्षण—अवधि लगभग २ माह ।
- (३) किसी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ रहना जो सामाजिक कार्य में स्नातक के मार्गदर्शक के रूप में शांति सेना-मण्डल द्वारा चुना गया हो—अवधि लगभग १५ दिन ।

नोट :—पूर्व प्रशिक्षण के उपयुक्त क्रम आगे-पीछे भी हो सकते हैं । पूर्व-प्रशिक्षण की अवधि अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार निश्चित की जा सकती है ।

सेवा-कार्य

प्रत्येक स्नातक को पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया जायगा । ऐसे विद्यार्थियों का एक दिन शांति-सेना द्वारा चुने गये एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करेगा ।

समाज सेवा के लिये चुना गया कार्य स्थान की भिन्नता के हिसाब से भिन्न भिन्न होगा। कार्य का चुनाव निम्न तथ्यों के आधार पर किया जायगा -

क-उम्मीदवार की योग्यता और भुकाव

ख-कार्य क्षेत्र की आवश्यकता

ग-कार्य अपने आपमें इतना चुनौतीपूर्ण हो कि वर्ष के अन्त में उम्मीदवारों को उसकी सफलता का भान हो सक।

कार्यक्रम का चुनाव शांति सेना मण्डल की राय से स्थानीय सगठक करेंगे।

कार्यक्रम में शांति केन्द्रों का सगठन, विद्यालयों की बागवानी में सहायता और सफाई की व्यवस्था आदि कार्य उठाये जा सकते हैं। शिविर में सड़क बनाना, ढालाव खोदना, सिंचाई, क्षेत्र विकास, जनोपयोगी सेवाओं में सुधार, जंगल लगाना, भूमि रक्षण शिक्षण और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं।

कुछ अनुभव

“इस शिविर में मेने जिस परिश्रम और खुश के साथ काम किया है अपनी जिन्दगी में कभी नहीं किया”, ये शब्द केरल के एक शिविरारथी के थे।

सभी शिविरों में शिविर जीवन के सामुदायिक रहन सहन के पहलू पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। सामुदायिक रहन-सहन ने देश के भिन्न-भिन्न भाग से आये हुए शिविरारथियों को एक दूसरे में हिल मिल जाने और एक उन्मुक्त तथा स्वस्थ वातावरण में जन तांत्रिक रूप से कार्य करने का अवसर दिया। प्रत्येक शिविर में विशिष्ट मेहमान और बत्ता आये और उनके प्रवचनों तथा भाषणों पर खुलकर चर्चाएँ हुईं। यद्यपि विश्व और अपने देश के आज के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शांति सेना मंडल का अपना एक विचार है फिर भी शांति सेना मंडल इन शिविरों में अपने विचार लादने का आग्रह नहीं किया क्योंकि इन प्रश्नों पर विद्यार्थी स्वयं अपने स्वतन्त्र निर्णयों पर पहुँचें। शांतिसेना मण्डल चाहता है कि नेता के कुछ छात्रों ने इस वातावरण का अपने ढंग से वर्णन करते हुए लिखा है, “हम लोगों में से प्रत्येक को एक साथ काम करने, खाने और खेलने से भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के विचार इकट्ठे करने का महान अवसर मिला। यद्यपि वैज्ञानिक रूप से हमारे समूह में भिन्न भिन्न धर्म के लोग थे फिर भी हम एक-दूसरे धर्म के बीच कोई पृथक्ता नहीं पा सके। हमारी धारणा बनी कि इतनी अच्छी जनतांत्रिक सस्था हमने कभी नहीं देखी। शिविर में किसी भी कार्य के लिए दबाव नहीं डाला गया।

हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा शिविर था जहाँ हर युवक-युवती को अपनी योग्यता और चरित्र की परीक्षा का पूर्ण अवसर मिल सका। इसे राष्ट्रीयता की एक प्रयोगशाला कहा जा सकता है।"

बिहार के शिविर में आये हुए छात्रों का अनुभव बहुत कीमती है। उड़ीसा का एक छात्र लिखता है, "मुझे एक भवाल का कटुया अनुभव मिला, लेकिन दुःखित लोगों के लिए किये गये काम के संतोष द्वारा वह मीठा बन गया।" बिहार के बाहर के बहुत-से छात्रों को नये यानावरण में काम करने का एक प्रतिरिक्त अनुभव मिला। उन्होंने स्थानीय भाषाओं से नये शब्द सीखे और विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाजों से भी परिचित हुए। एक बहुत ही कम हिन्दी जानने-वाले मद्रासी छात्र ने लिखा है, "मुझे माया सम्बन्धी कोई बटिनाई नहीं हुई। लोग प्रेम की भाषा अच्छी तरह समझते हैं।"

बहुत से शिविराध्यियों ने अपने प्रातों में राहत कार्य जारी रखने का तय किया। कुछ ने पैसे और कुछ ने बपड़े इकट्ठे किये। लेकिन विद्याध्यियों में राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित जो रुचि उत्पन्न हुई वह इन शिविरों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। सैकड़ों युवकों, जिनसे शान्ति सेना मंडल का नियमित पत्र-ध्यवहार चलता है, उनमें से कुछ ने कहा कि उन्होंने शिविर में भाग लेने के बाद अक्षरबारी को एक भिन्न दृष्टि से पढ़ना शुरू किया है। गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग एक दर्जन छात्रों ने लिखा है "बिहार में वर्षा की खबर पढ़कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि उस जिले में भी पानी बरसता है जहाँ हम लोग काम करने गये थे।"

शान्ति-सेना-साहित्य

शान्तिसेना,	विनोबा	२.००
शान्तिसेना और विश्वशान्ति—काका साहब		३.००
मार्गदर्शिका : शान्तिसेनिकों के लिए	नारायण देसाई	०.७५
शान्तिसेना क्या है ?	" "	०.५०
शान्ति गीत	" "	०.३०
भारत में शान्तिसेना	नारायण देसाई	०.२५

सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी।

तरुण शांति सेना (आवेदन पत्र)

मन्त्री,

श० भा० शांति सेना मण्डल,

राजघाट, वाराणसी-१

प्रिय मित्र,

तरुण शांति सेना के सम्बन्ध में मैंने जानकारी प्राप्त की है। मैं लोकतांत्रिक पद्धति, सर्व धर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखता हूँ और यह चाहता हूँ कि भारत के तरुणों की शक्ति रचनात्मक राष्ट्रीय कार्यों तथा विश्व-शांति के प्रयासों में लगे।

मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि शांतिमय समाज के लिए मैं निरन्तर काम करूँगा।

मैं तरुण शांति सेना का सेवक बनना चाहता हूँ। इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क रु० १.०० म० प्रो०। टाक टिकट। नकद भेज रहा हूँ।

कृपया मुझे तरुण शांति सेना का सेवक बनाया जाय। मैं अपने बारे में पूरी जानकारी नीचे दे रहा हूँ।

परिचय

विनीत,
(हस्ताक्षर)

- | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| १. पूरा नाम | | | | |
| २. वर्तमान पता | | | | |
| ३. स्थायी पता | | | | |
| ४. जन्म तिथि | | | | |
| ५. शिक्षा | | | | |

६. तरुण शांति सेना के निम्न काम में सहयोग दूँगा (कृपया उस काम के सामने चिन्ह कीजिये, जो काम करने की आपकी तैयारी हो।)

- अ-अपने स्थान पर तरुण शांति सेना केन्द्र बनाऊँगा।
- ब-एक साल राष्ट्र सेवा में दूँगा।
- द-साल में एक महीना शिविर में दूँगा।
- ई-साप्ताहिक शिविरों में योग दूँगा।
- उ-पत्र पाठ योजना में शामिल होऊँगा।
- ऊ-तरुण शांति सेना के विशिष्ट कार्यक्रमों में शामिल होऊँगा।

अर्वाचीन युवक-मानस का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

प्रो० मार्शल रियो

गत कुछ वर्षों से कई देशों के युवकों ने शिक्षकों और सञ्चोधनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वे अपने माता-पिता के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए उत्तरोत्तर अधिक चिन्ता और परेशानी का कारण बने हुए हैं। प्रायः यह पूछा जाता है कि ये युवक अपने बुजुर्गों की रीति-नीति और रहन सहन को सहज भाव से क्यों नहीं अपनाते, प्रचलित समाज से अलग-थलग का जीवन जीने पर क्यों उतारू हैं।

युवकों के असन्तोष के विषय पर विशेषतया द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से चर्चा घाम्म हुई है। सन् १९४६ में सार्त्र ने लिखा था—“आज हमारे युवक बेचैन हैं। अब ये अधिक समय तक छोटा बने रहने को तैयार नहीं हैं। देखते-देखते ये युवक समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग बन जायेंगे। उनका वचनपन नाहक लम्बा नहीं किया जा सकेगा, प्रतिष्ठित परिवारों में आज तक बड़े लोगों ने उन्हें जिस उत्तरदायित्वहीन स्थिति में रख छोड़ा है, वह स्थिति अब नहीं रहेगी, अब श्रमिक किशोरावस्था से श्रमिक सन्मरण के बिना ही, एकदम प्रौढावस्था में पहुँच जायेंगे।”

युवक-समस्या के दो दृष्टिकोण

इस समस्या पर दो दृष्टिकोणों से, दो प्रकार से विचार किया जा सकता है। एक दृष्टिकोण तो युवकों को प्रचलित समाज के अनुकूल मोड़ने का है। युवकों के व्यवहारों, मनोवृत्तियों, जीवन मूल्यों और बुरादियों का अनेकशः परीक्षण करके इस व्याधि के अन्तर्निवारणोपाय सुझाये गये हैं। यह रोग निवारण का तरीका है, जो प्रियाप्रधान है। इस तरीके में यह गृहीत है कि समाज को वर्तमान स्वरूप में बनाये रखना है और जो उसकी प्रथाओं, रीति-नीतियों और मूल्यों की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं, उन्हें समाज के अनुकूल बनाना है। ये गुमराह हैं, उन्हें रास्ते पर लाना है, ताकि समाज का काम सहज भाव से चल सके। यह मार्ग सबसे अधिक कारगर है, सर्वथा हृदिकादी और पूर्णतः ‘सहन’ मार्ग है; यह व्यवस्था का मार्ग है। दूसरा मार्ग—जिसको हमने यहाँ स्वीकार किया है—प्रियाप्रधान नहीं है, कल्पक अधिक है। कोई समाज अपने

को चाहे जितना प्रगत और समुन्नत मान ले, फिर भी, जैसे आज तक सभी समाजों में होता आया है, उस समाज में विकास का सिलसिला बराबर चालू रहता है। इसलिए यह सोचने के बजाय कि युवकों की इस व्याधि का निवारण कैसे किया जाय और उन्हें सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाय, हमें यह विचार करना होगा कि इन 'गुमराह' युवकों के इन उच्छृङ्खल व्यवहारों में कहीं भावी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के नवप्रभात के संकेत तो नहीं हैं। मूल्यों और विचार धाराओं के संघर्ष का उन्मूलन करने की कल्पना करने के बजाय, हमें यह खोजबीन करनी चाहिए कि वर्तमान टेक्नालाजी से उत्पन्न नयी उत्पादन सामग्री के प्रतिस्पर्धा (रेस्पॉन्स) स्वरूप नवसमाज के अस्तित्व का तो यह लक्षण नहीं है।

समाज-निर्माता और भौद्योगिक ज्ञान्ति

चूंकि युवक-अग्रगण्य आज अनेक समाजों में दिखाई देता है, इसलिए प्रत्यक्ष व्यापक समाज के स्तर पर हमें उस प्रश्न पर सोचना चाहिए। इसमें मानव की देखी हुई विभिन्न तकनीकी प्रान्तियों समायी हुई है। पहली भौद्योगिक ज्ञान्ति के समय—जब कोयले और भाप की शक्ति काम में ली जाने लगी—समाजशास्त्रियों को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्नीसवीं शताब्दी के बुर्जुआ वर्ग ने समाज का ऐसा सगठन कर लिया था कि उसमें हर सम्भव लाभ अपने लिए ही प्राप्त कर सके। उस समय की व्यवस्था उस वर्ग की अपनी व्यवस्था थी। श्रमिक लोग उस युग के 'गुमराह' थे। लेकिन श्रमिकों ने चालू व्यवस्था में उथल-पुथल मचायी थी। समाज के लक्ष्य के बारे में उनकी दृष्टि बुजुर्ग लोगों की दृष्टि से भिन्न थी। आज भौद्योगिक ज्ञान्ति के तृतीय चरण के समय युवकों का जो विद्रोह हम देख रहे हैं, इसकी तुलना क्या मानव-समाज की पिछली उथल-पुथल के साथ की जा सकती है? हमें जो विवेचन किया जायेगा, वह इसी निष्कर्ष को ठीक से समझने का प्रयत्न है। दूसरे शब्दों में, हम वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो एक शताब्दी पहले मार्क्स ने पूछा था।

सन् १८६६ के हमारे समाज का परीक्षण किया जाय और प्रश्न किया जाय कि इन समाज में कौनसा ऐसा वर्ग है जो समाज परिवर्तन का वाहक बन सकता है जैसे ६००० वर्ष पहले नगरवासी लोग थे, और गत सौ वर्षों में मजदूर थे, उस प्रकार का कौनसा वर्ग आज प्रान्तिवाहक बनेगा, तो उत्तर क्या आयेगा? क्या मार्क्स की तरह हम भी यही कहेंगे कि मजदूर वर्ग ही प्रान्तिवाहक होगा?

मार्क्स अपने पहले के अनेक समाजों के इतिहास के और उसके अपने जमाने के उद्योगप्रधान समाज के गहरे अध्ययन के बाद इन गतीयों पर पहुँचा था कि समाज-निर्माता-वर्ग वही समुदाय बनेगा जो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जो भावी परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार है। मार्क्स ने समाज-निर्माता वर्ग की यह व्याख्या केवल बीते समाजों के विशालभ्रम को दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि भावी समाज के परिवर्तन के निर्देशन तत्त्व के रूप में की थी। १९ वीं शती के पूँजीवादी समाज का सूक्ष्म अध्ययन करके मार्क्स ने अनुमान लगाया कि सर्वहारा मजदूर-वर्ग संगठित होकर, व्यवस्थित योजना द्वारा समाज में गुणात्मक व्यापक परिवर्तन ला सकेगा। जिन प्रकार सबसे पहले शहरी श्रान्ति ने समाज को नगरवासियों और ग्रामवासियों में बाँट दिया था, और नगरवासी लोग समाज-परिवर्तन के अग्रदूत बने थे, उसी प्रकार औद्योगिक श्रान्ति ने समाज को नये 'वर्गों' में बाँट दिया, तब मार्क्स ने कहा कि एक समय नगरवासियों ने जो काम किया था वही काम अब सर्वहारा श्रमिक वर्ग करेगा। पुराने विभाजन को मिटाना तो दूर रहा, परन्तु बुद्धिमान और सर्वहारा वर्ग का जो झुकीकरण हो गया, उसने देशियों पर शहरियों का आधिपत्य ही अर्जित किया। गत शी वर्षों का इतिहास देखने से पता चलता है कि मार्क्स की बात सच थी। चाहे दान्तिमय साधनों से या विद्रोही मार्ग से, श्रमिक वर्ग अपनी प्रतिष्ठा जमाने में, कई राष्ट्रीय में सत्ता हस्तगत करने और अन्य देशों की सामाजिक रचना को बदल देने में सफल रहा।

वर्तमान समाज का झुकीकरण

क्या हम कह सकते हैं कि आज औद्योगिक समाज आमूल बदल गये हैं और पिछले दशकों में श्रमिक वर्ग ने जो काम किया था वही काम करनेवाला एक नया ऐतिहासिक श्रान्तिवाहक वर्ग आगे आ रहा है? जैसे काण्ट ने कहा, १९वीं शताब्दी में जो श्रमिक वर्ग देश में नये सिरे से उदित हो रहा था और चालू समाज से पृथक् अस्तित्व रखता था, वह अब पूरे समाज में घुलमिल गया है, एकरूप हो गया है। वह अब समाज का ही एक अभिन्न अंग बन गया है और जैसे कई राष्ट्रीय में हम देख रहे हैं, वह पूरे राष्ट्र का, न्यूनधिक मात्रा में भाग्य-विधाता बना हुआ है। यह उसकी सफलता तो है, पर साथ ही वही प्राण उसकी दुर्बलता का भी कारण बना है। समाज के साथ एकरूप होने के ही कारण समाज-व्यवस्था को चुनौती देने की शक्ति श्रमिक वर्ग की नहीं रही।

जब नये समाज के आन्तरिक ढाँचे में परिवर्तन के साथ अनेक समुदायों का औद्योगिकीकरण निश्चित हो चला है, इस औद्योगिकीकरण के उत्तरकालिक समाज में, जो कई राष्ट्रों में स्पष्टतर हो रहा है, कौनसा समुदाय है जो समूचे समाज पर विशिष्ट दबाव ला सकता है, जिससे वह समुदाय अन्य सब समुदायों का अग्रदूत सिद्ध हो सकता है ? आज का समाज, जिसका हम पृथक्करण करने जा रहे हैं, यंत्र, विद्या और धन-सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध और सुविकसित समाज है। समाज का यह स्वरूप लगभग सारे विश्व में फैला हुआ है और अलाइनर दूरिग के शब्दों में वह स्वरूप न केवल सबका लक्ष्य बना हुआ है, बल्कि कानूनन प्राप्त करने योग्य सिद्धान्त का रूप ले रहा है। इस प्रकार विकसित हो रहे समाज की ओर हमें किस दिशा से देखना चाहिए ?

नये समाज का प्राण कौन ?

औद्योगिकीकरण के उत्तरकालीन इस समाज का वर्णन करते हुए कोलम्बिया विश्वविद्यालय के डेनियल बेल कहते हैं—“औद्योगिकीकरण के उत्तरकालीन समाज की अधिष्ठात्री शक्ति वाणिज्य नहीं है बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग है। यह सही है कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, फिर भी समाज की चेतना, समाज का प्राण उसके सघर्षों का क्षेत्र, प्रगति और सकलता का अधिष्ठान बुद्धिजीवी वर्ग होगा। समाज की प्रमुख समस्या विश्वविद्यालयों, शोधसंस्थानों और संशोधन मण्डलों की सम्मिलित संस्था होगी।” आज यह आन्दोलन पूरी गंभीरता के साथ प्रारम्भ हो चुका है। प्रतिवर्ष तकनीकी विषय की पात्र पत्रिकाएँ ५० हजार के लगभग निकलती हैं, जिनमें १२ लाख लेख छपते हैं। तकनीक और विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्तियों की ६०० थ्रेणियाँ बनी हुई हैं। संशोधन पर जो खर्च हो रहा है उसका अनुमान लगाया गया है और वह सन् १९५० में २८४ करोड़ डालर था, और सन् १९६० में १४०० करोड़ हो गया है। हम प्रयत्न देख रहे हैं कि प्रगत राष्ट्रों में विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक शोध-संस्थानों की संख्या बढ़ाने की होड़-सी लगी है। और यह निश्चित है कि जो राष्ट्र वैज्ञानिक और बौद्धिक विद्याओं में अधिकाधिक निष्णात होगा, वही कायम रहेगा।

इस युग की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन उपादेय हुआ है, वह आज वर्ज्य नहीं रहा, और उसकी गति और दिशा को हम नियंत्रित करने को उद्यत हैं। औद्योगिकीकरण के उत्तरकालीन वर्तमान समाज का सही-सही वर्णन करना ही तो उदाहरण के लिए यह कह सकते हैं कि आज प्राथमिक और

उत्पादक प्रवृत्तियों का जोर पट रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, फुरमत्त आदि सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है। इन प्रसार के समाज का एक और बड़ा वैशिष्ट्य स्वयंचालित यंत्रों का प्रचलन माना जा सकता है।

पुरानी और नयी पीढ़ी का सघर्ष

मानव जिस प्रकार के समाज में आज प्रवेश कर रहा है उसमें तीन समुदाय हैं जो सर्वाधिक गतिशील हैं, जो समाज के गहरे से-गहरे सघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तीन ऐसे हैं जिनकी वृत्तियाँ समाज को बदलेंगी, और जिन्होंने वह प्रतिभा आरम्भ भी कर दी है? यह प्रश्न दुहरा है हम विप्लव के लिए किस समुदाय को चुनें, जो इस प्रकार के समाज के विशिष्ट दबाव का धारण है? और दूसरा यह कि कौनसा समुदाय है, जो १९ वीं शताब्दी के सर्वहारा वर्ग के समान, आज के समाज का निषेध करने को तैयार है, क्योंकि हम समाज का अस्तित्व ही इन समुदायों के भावी समाज के निर्माण के लिए 'मूले बुठार' है। इस प्रकार में यह प्रमेय उपस्थित करना चाहता हूँ कि युवकों और नगरवासियों में, बुद्धि और सर्वहाराओं में जिस प्रकार ध्रुवीकरण हुआ था, उसी प्रकार इस युग में महत्वपूर्ण ध्रुवीकरण अगर है तो वह है वयस्का और युवकों में। मुझे लगता है कि पुरानी और नयी पीढ़ियों के आन्तरिक सघर्ष को आज बुनियादी महत्व प्राप्त हो रहा है। समाज के इन समुदायों की ओर, इन पीढ़ियों की ओर हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसके समर्थन में वर्तमान समाज-रचना के ध्रुवीकरण का क्या महत्व है, यह अब देखें।

आज युवक, अमिको की ही तरह, मनुष्य और समाज की, वयस्कों के समाज से भिन्न व्याख्या की खोज में है। यह एक रिवाज बन गया है कि युवकों की विरोधवृत्ति और नटखटपन को हम प्रायः बाल-अपराध कह देते हैं और ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों उसे गरीबी और अभावों के साथ जोड़ने लगते हैं। उत्तरोत्तर यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल गरीबी का प्रश्न नहीं है। स्वीडन कल्याणकारी राज्य का स्वर्ण ही माना जाता है, परन्तु वहाँ बाल अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। अमरीका की आमदनी सर्वाधिक है, और वहाँ उदार मतवाद ही चतता है। पर वहाँ भी स्वीडन की-सी ही स्थिति है। जापान, और ५० जर्मनी जैसे अत्यधिक औद्योगिक राष्ट्रों में भी बाल-अपराधों की संख्या कम नहीं है। केनेडा में गत एक दशक में बाल अपराधों में २४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धनी राष्ट्रों में इस अपराध की समस्या को सर्वथा गरीबी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? जोन मेकमर्टी के कथना-

नुभार, केनेडा में जितने बाल-अपराधी दंडित हुए हैं, उनमें आधे से अधिक बच्चे ऐसे परिवारों के हैं जिनकी आय बहुत अधिक है, और माता-पिताओं द्वारा अपने बच्चों के दुराचरणों पर सख्त परदा डालने का प्रयत्न करने के बावजूद यह तथ्य सामने आया है।

बाल-अपराध और किशोर-संस्कृति

केवल बाल-अपराध कह देने से क्या सारा चित्र स्पष्ट हो जाता है ? व्याधि-निवारण का प्रवृत्तिप्रधान मार्ग तो यही मानता है। फिर भी वस्तुस्थिति में कहीं कोई सशय नहीं है। युवकों की ऐसी कई कृतियाँ हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट होने लगती है कि किशोरावस्था के बाद वयस्कता आती है, बल्कि कुछ दूसरी ही बात का पूर्वाभास मिलता है। इसके निदर्शन के तौर पर जार्ज लैपसेड की अनुपम पुस्तक से कुछ अंश उद्धृत करेंगे। ".... सन् १९५६ के दिसम्बर ३१ की शाम ५,००० युवकों ने स्ट्राकहोम के राजमार्ग कंगस्टन पर धावा बोल दिया और कई घण्टों तक 'सड़क पर कब्जा' किये रहे, माने-जानेवालों को छेड़ते रहे, कारों को डलटते रहे, दुकानों की खिड़कियाँ तोड़ने लगे, सारा कारोबार ठप्प हो गया था।..... कुछ लोग पाम के चर्च के इर्द-गिर्द कब्रिस्तान के पत्थर उठा उठाकर फेंकने लगे और कागज की धूलियों में जहरीली गैस भर भरकर कंगस्टन तक फैले हुए ऊँचे पुलों पर से उछालने लगे।.....गवाहों ने आँखों देखा हाल जो सुनाया वह इस प्रकार है "(१) यह प्रदर्शन किसी स्पष्ट और पूर्वनिर्धारित माँगों के लिए नहीं था, उसमें न किसी व्यक्ति का विरोध करने का हेतु था, न किसी संस्था की अवहेलना करने का उद्देश्य था। (२) फिर भी वह बालमुलभ भ्रामोद प्रमोद की ही अभिव्यक्ति नहीं थी।.....(३) प्रदर्शनों के साथ बाल अपराधों की खासियतें भी मिली हुई थी, जिनका स्वरूप ही कुछ और हो गया था... 'भात्रामक, विध्वंसक, निर्दृश्य और दिशाहीन।' ऐसी ही अन्य अनेक घटनाओं से यह धारणा पक्की होती है कि ये सब केवल बाल-अपराध के ही चिह्न नहीं हैं, बल्कि वस्तुतः वर्तमान समाज के आमूल विभाजन के चोतक हैं।

युवक-विद्रोह का मूल प्रयोजन

लैपसेड माने कहते हैं "वर्तमान संसार के सर्वाधिक औद्योगीकृत राष्ट्रों में भी यह स्पष्ट देखा जा रहा है कि सामूहिक जीवन में युवकों को शामिल करने की युक्ति बड़ों में नहीं है, और इसीलिए तय्यकथित 'वयस्क'-जीवन की परि-

स्वितियों का युवक विरोध कर रहे हैं। संसार भर में जहाँ-तहाँ युवक लोग छोटी-मोटी संस्था में मनोपचारिक ढंग से एकत्र होते हैं, सादगी और गरीबी से गुजारा चलाते हैं, मात्रामक वृत्ति को पुष्ट करते हैं, प्रचलित रहन-सहन से सर्वथा भिन्न रहन-सहन और तौर-तरीकों के द्वारा धाम जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। युवकों के असन्तोष के बारे में व्याख्यान होते हैं, कि वे उद्देश्यहीन विद्रोह करने पर आमादा हो जायें।सारी स्थिति देखने पर ऐसा लगता है कि समूचा समाज असन्तोष और उन्हें दवाने के साधनों की तैयारियों का मात्र आलेख बन गया है।”

युवक और वयस्क

क्या हम यह ममज्ञ सकते हैं कि वयस्को का तिरस्कार करके युवक उस वयस्कजीवन का, वयस्को की उस जीवन-वृद्धि का तिरस्कार कर रहे हैं जो अब तक समाजमान्य रही है? इसका सीधा-सादा अर्थ क्या नहीं है कि युवक समय से पहले ही, अपनी प्राथमिक अवस्था में ही, वयस्क बन जाना चाहते हैं? चूँकि यहाँ संपर्कत दोनो समूह एक ही समाज के अंग हैं, इसलिए जैसा किसी भी द्वन्द्वमूलक आन्दोलन में होता है, दोनो समूहों में परस्पर कुञ्चन-कुञ्च आदान-प्रदान होता ही है। प्रश्न यह है कि इसमें आदान-प्रदान का स्वरूप क्या है और वह किस मात्रा में होता है?

यदि आदान-प्रदान के तत्त्वों का हम वर्गीकरण करके देखने लगे तो मालूम होगा कि दोनों समूहों के बीच जो अन्तर रहा है वह अब घटता जा रहा है। (१) वयस्को का एक लक्षण तो यह है कि वे किसी-न-किसी रोजगार या धन्ये में लगे होते हैं, वे ही समाज के उत्पादक हैं और समाज की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किशोर भी समाजमान्य किसी-न-किसी उत्पादक प्रवृत्ति में लगे हुए हैं : वे हैं छात्र। कई राष्ट्रों में उन्हें पढाई करने के लिए क्या वेतन नहीं दिया जाता? इसके अलावा वयस्को को भी फिर से छात्र बनना और युवकों में घुलना-मिलना पड़ रहा है। (२) वयस्को का दूसरा लक्षण उनकी राजनैतिक जिम्मेदारी और कानूनी अर्हता है। इसमें सीमा-रेखा अथवा स्थान बदलती हुई दिखायी देती है। क्योंकि किशोरवय लम्बी होती जा रही है और चूँकि कई राष्ट्रों में १८ वर्ष की अवस्था में ही मतदान का अधिकार मिल जाता है, इसलिए, किशोरावस्था पार किये बिना ही वे राजनैतिक दायित्व और कानूनी योग्यता के अधिकारी बन जाते हैं, या अपने को उस कोटि में देखने लगते हैं।

(३) यह भी माना जाता है कि वयस्क वह है जो रुपये पैसे के मामले में स्वाधीन है अपनी जरूरत की चीज स्वयं प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज के जमाने में छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, छात्रावस्था में भी वेतन दिया जाता है, और नौकरी को कई सुविधाएँ भी दी जाती हैं, जिनके कारण वयस्क बनने से पहले ही युवक लोग भी धन के विषय में स्वायत्त हो जाते हैं या वैसी भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है। (४) वयस्क का एक और प्रमुख लक्षण यह है कि समाज उसके बंध दाम्पत्य जीवन को विवाह सस्कार के द्वारा मान्यता देता है। लेकिन क्या युवको और वयस्को के बीच इसे वास्तविक विभाजक रेखा कहा जा सकता है ? नहीं। आज तो अनेकानेक लोग छात्रावस्था में ही विवाह कर लेते हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित और प्रगत राष्ट्री में विवाह की आयुमर्यादा परम्परागत समाज की मर्यादा की तुलना में धीरे-धीरे नीचे आने लगी है। जब कि युवक वयस्क समाज के नीति नियमों का उल्लंघन ही करने पर तुले हुए हैं, तब विवाह-सस्कार से प्राप्त होनेवाली बंधता से उन्हें क्या लेना देना ? इस प्रकार यहाँ भी सीमा रेखा निश्चित नहीं रह गयी है।

युवक उपसंस्कृति

उपयुक्त प्रकार से यदि युवक अपने और वयस्को के बीच की सारी विभाजक रेखाओं को मिटाने पर तुले हुए हैं और बड़े की उन सारी प्रवृत्तियों को, जिन्हें वयस्को ने अपने तक ही सीमित रखा था, हथियाने लगे हैं, तो यह कहने में भी कोई हज़ नही है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगत समाजों के अन्दर युवक लोग वयस्को की संस्कृति से भिन्न अपनी एक उपसंस्कृति निर्माण करने चले हैं। इस विभिन्न तथ्य के कारण यह निष्कर्ष अधिक सुदृढ़ होता है कि कुछ समाजों में वयस्को और युवको का धुँचीकरण ही सर्वाधिक मूलगामी विभाजन है। जिस प्रकार पिछले युगों के विभाजनों—नगर और ग्रामवासियों के बुजुर्ग और सहारा के विभाजनों—ने अपनी रचना के कारण ही नहीं, बल्कि व्यापक समाज के अन्दर अपनी एक उप-संस्कृति की निर्मिति से भी अपना पृथक्त्व सिद्ध किया था, उसी प्रकार, जैसे जैसे नगरीकरण फैलता जा रहा है, और जनमाधारण की अबाध उपभोग-क्षमता के कारण सामाजिक वर्गों में सांस्कृतिक भेद मिटता जा रहा है वैसे-वैसे वयस्को और युवकों का विभाजन भी एक नयी उपसंस्कृति का रूप ले रहा है और दिन ब दिन अधिकाधिक महत्व प्राप्त करने लगा है। इसे अमरीका में 'किशोर-संस्कृति' (टीन एज कल्चर) कहते हैं। वहाँ यह रुढ़ हो चली है और वहाँ के लोग इसका परीक्षण-पृथक्करण कर रहे हैं प्रतिवर्ष यह ज्यादा-से-ज्यादा हावी होती जा रही है।

एक सामान्य निष्कर्ष : सुदीर्घ बाल्यावस्था

पुनः हम शोधोपयोगीकरण के उत्तरकालीन समाज पर लौट आये। हमने जिन लक्षणों का अब तक परीक्षण किया और उस समाज के किशोरों के जिस प्रकार के व्यवहारों की रूपरेखा देखी, इस पर से हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे कि एक तो उस समाज के कारण उत्पन्न विशिष्ट दबाव की दृष्टि से और दूसरे, उन युवकों के रहन-सहन और तोर-तरीकों की दृष्टि से भी हम वर्तमान समाज के विकास और प्रगति का अर्थ ठीक से समझ सकेंगे। मन में प्रश्न उठता है कि कहीं हम 'सुदीर्घ बाल्यावस्था' की परिस्थिति का ही साक्षात्कार तो नहीं कर रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने में शैशव की लम्बी अवधि का जितना बड़ा प्रमुख स्थान है, वही स्थिति सुदीर्घ किशोरावस्था की भी है। मानव शिशु जन्म से ही बड़ा कोमल होता है, और वह बड़ा भी बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन इसीसे उसके अन्दर, दूसरे प्राणियों की तुलना में अधिक निरन्तर विकास-क्षमता और अपनी पिछली पीढ़ियों से भिन्न, अधिक और मौलिक भिन्नता विकसित हो पाती है। यही कारण है कि 'बाक' को कहना पडा कि मानव एक 'शैशव-प्रधान' (फंटेलाइज्ड) प्राणी है, अर्थात् बड़े बड़े चिपजियों में उनकी शैशव और किशोरावस्था के कई गुण उनके वयस्क होते ही गायब हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य में वे बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का दायित्व छोटे चिपजियों से अधिक है, बनिस्वत बड़े चिपजियों के। इस अन्तर का कारण वही 'सुदीर्घ बाल्यावस्था' है। इसलिए 'सुदीर्घ बाल्यावस्था' का अर्थ यह है कि पूर्ववर्ती पीढ़ी के शैशव और किशोरावस्था के कई गुण परवर्ती पीढ़ियों में, उनकी वयस्क अवस्था में भी बने रहते हैं। प्राणिशास्त्र का यह सिद्धान्त पूरी सफलता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी लागू किया जा सकता है। इससे वर्तमान समाज की गतिविधियों को स्पष्ट समझने में मदद मिलेगी।

वयस्क के बाद किशोरावस्था !

आज तक सभी प्रकार के समाजों में हम यही देखते हैं कि किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था आती है। लेकिन आजकल इससे बिल्कुल विपरीत देखने में यह आ रहा है कि वयस्क अवस्था के बाद किशोर अवस्था आ रही है। दूसरे शब्दों में, शोधोपयोगीकरण के उत्तरकालीन समाज में वयस्क अपने में किशोरावस्था के कुछ गुणों को बनाये रखने का विवश हो रहे हैं। अब तक की तरह अब यह माना नहीं जा सकता कि किशोरावस्था खत्म होनी है और अपरिपक्व होती है, इसलिए वयस्कता की बराबरी नहीं कर सकती।

किशोरावस्था की दीर्घता प्राणिशास्त्र की उत्त्रान्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दाखिल करती है, जिससे मानव की बाल्यावस्था काफी लम्बी होती है और अन्य सभी प्राणियों में मनुष्य की उत्कृष्टता बनी रहती है।

परम्परागत धारणा अकाट्य नहीं

जन्म के समय मनुष्य बड़ा भ्रूरा प्राणी होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मनुष्य का यह भ्रूरापन बढ़ता जा रहा है। परम्परागत धारणा यह रही है कि शुरू में मनुष्य धारीरिक रूप से भ्रूरा प्राणी होता है। (उनके हृदय के कपाट पूरे सटे नहीं होते और ऐसे ही अनेक अंग अभी सही स्थिति में विकसित नहीं हुए होते।) और ज्यों ही वह ब्यस्क होता है त्यों ही शरीर से और संस्कृति से भी वह पूरा और परिपक्व होता है। लेकिन आज यह क्रम धीरे धीरे उलटता जा रहा मालूम होता है। मनुष्य जल्दी ही शारीरिक दृष्टि से पूर्ण होने लगा है यौवन जल्दी आता है, महस्त्वपूर्ण अंग और बनावट जल्दी ही परिपक्व होती है, शंघव छोटा होता है और किशोरावस्था उतनी ही लम्बी होती है। दूसरी ओर, हम जिस समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसका स्वरूप सांस्कृतिक दृष्टि से अपरिपक्व और भ्रूरा है। हमारे शब्दों में, विकास के इन सामान्य लक्षणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कल के ब्यस्क को अपने में कुछ किशोर-गुणों को अनिवार्य रूप से बनाये रखना होगा, और वे आखिर वे ही गुण होंगे (जैसे— दीर्घविकास क्षमता लचीलापन, संस्कार-क्षमता, ग्रहणशीलता आदि) जिनके कारण मनुष्य तकनीकी विकास और उसके प्रभावों के अनुकूल बन सकेगा।

ब्यस्क जब तक किशोर नहीं बन जायेंगे, सब तक कल के सत्कार में वै टिक नहीं पायेंगे। देखने को यह बड़ा भ्रवीव और घटपटा लगता होगा, परन्तु एक भूभाग से दूसरे भू भाग में जाकर बसनेवाले लोगों में अल्प परिमाण में यही सब प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। सब जानते हैं कि नये स्थान के साथ एकरूप होने में बड़ों को ही बड़ी कठिनाई पडती है और छोटे बच्चों के लिए यह बहुत ही सहज सभ जाता है, बल्कि थोड़े ही समय में बच्चे ही अपने बड़ों को नये स्थान के बारे में बहुत कुछ सिखाने लग जाते हैं। हाँ, यह सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की मुदीर्घ-बाल्यावस्था का एक सपुरुष बहा जावेगा।

ऐसा मालूम होता है कि मुदीर्घ बाल्यावस्था की सामान्य प्रक्रिया समाज में घटती-घटती चालू हो गयी है। हमने देखा कि रुढ़िवादी और परम्परागत

समाज की अपेक्षा हमारे आज के समाज में किशोरावस्था की अवधि अधिक लम्बी होती जा रही है। बाल्यावस्था को पार करने में हमें देर नहीं लगती, हम जल्दी ही किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं, और उस अवस्था में लम्बे घरे तक बने रहते हैं। दूसरी ओर वृद्धावस्था की अवधि घटती जाती है। कई ऐसे टेक्निकल घन्थे हैं, जिनमें ३५ वर्ष से अधिक आयुवाले लोगों को प्रवेश ही नहीं मिलता। औद्योगिककरण के उत्तरकालीन समाज में ऐसे व्यक्तियों की माँग अधिकाधिक रहेगी जो उत्साही हैं, सदा किसी भी काम के लिए तैयार हैं, अपने को हर स्थिति के अनुकूल बना सकते हैं और टेक्नालाजी के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भागे बढ़ सकते हैं। आज ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात जोरों पर है, कई क्षेत्रों में शुद्ध भी हो गयी है, जिससे वयस्क लोग भी पढ़-सीखकर ताजा और मजबूत हो सकें। 'पेरेंट रिपोर्ट' के शब्दों में कहना हो तो हम विकास के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें शिक्षण स्थायी और घन्थ तक चलनेवाला विषय हो गया है। पिछले जमाने में उम्र और अनुभव का बड़ा महत्त्व था। आज स्थिति बदल गयी है। यौवन ही आज की अमूल्य सम्पत्ति बन गया है, उम्र और अनुभव तो यौवन को कुठिल और जड़ बनानेवाला बाधक तत्व सिद्ध हो गया है।

तरुण-समस्या का दूसरा अर्थ

आज की इस तरुणों की समस्या का दूसरा भी अर्थ समझा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह समस्या वास्तव में प्रकाल पकता की समस्या है, बच्चों में जल्दी यौवन का प्रादुर्भाव हो जाता है और वे विवाह कर लेते हैं, इसलिए वे जल्दी ही वयस्क बनकर पर्याप्तमत्र सामाजिक जिम्मेदारियाँ सभाल लेने को उतावले हैं। वयस्क लोग युवकों की इस इच्छा को दबाना चाहते हैं और इसीसे पुरानी और नयी पीढ़ियों का झगडा उठ खड़ा होता है। लेकिन दूसरी ओर से हम पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में आज वे ये युवक शीघ्र वयस्क बनना चाहते हैं? आज तक जो मूल्य और प्रतीक बडा के ही अधिभार में थे, उन्हें अपने हाथ में लेने को युवक छटपटा रहे हैं। इसका अर्थ यही नहीं है कि वे वयस्क बनना चाहते हैं अथवा वयस्क लोग अपने गमाल में जो मूल्य और दृष्टि मान्य करते आये हैं उन्हें युवक भगनाना चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आज के युवकों में दो भाँटें विरुद्ध दिखाई देती हैं। एक ओर वे उन विरोधज्ञान और गुणों का जो अभी हाल तक मात्र वयस्का की यौवनी के रूप में थे, अपने लिए लाभ उठाना

चाहते हैं, और दूसरी ओर अपने माता-पिताओं की तरह बपस्क बनने से इनकार भी करते हैं। आज के युवकों में और पिछले जमाने के मजदूरों में एक प्रमुख अन्तर यह है कि आज के युवक या उनमें कुछ युवक—अपने बड़ों को, बुजुर्ग समाज को जानने के बाद, उसमें रहने हुए भी उसका निषेध करते हैं, उसका विरस्कार करते हैं, जब कि मजदूर समृद्धि चाहते हुए भी शासक वर्ग का, कम-से-कम इस हद तक अनुकरण ही चाहता था। ऐसा मालूम होता है कि औद्योगिक समाज में ये जो चन्द युवक हैं वे ही वर्तमान समाज के विरोध के भान्दोलन का नेतृत्व करनेवाले हैं। ❀

❀मॉट्रियल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रो० मांसल रियो के मूल अंग्रेजी लेख के आधार पर।

पढ़िये

खादी प्रामोद्योग

(मासिक)

सम्पादक : जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित ।
- प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और प्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसंधान और सुधरी तकनालाजी का निरूपण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० पैसे

एक अंक : २५ पैसे

अंक-प्राप्ति के लिए लिखें

“प्रचार निर्देशालय”

खादी और प्रामोद्योग कमीशन, ‘ग्रामोदय’,

इर्ला रोड, मिलेपार्ल (पश्चिम),

बम्बई-५६ एएस्

‘आचार्यकुल’

दमन प्रक्रिया से शान्ति पुलिस का काम है। दमन प्रक्रिया से शान्ति आचार्यों का काम है। इसने लिए उन्हें पला से मुक्त रहना है। आचार्यों के अलावा स्वतंत्र चिंतनवाले प्रत्येक विद्वान् भी ‘आचार्यकुल’ में लिये जायें—चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों ईसाई हों।

चेकोस्लोवाकिया पर रूस का आक्रमण हुआ, मैंने व्याकुलता महसूस की। अब दुनिया में कोई ऐसी आइडियलाजी (विचारधारा) नहीं रही जो आक्रमणकारी न हो। अमेरिका का विपत्तनाम में चीन का विपत्त में रूस का चेकोस्लोवाकिया में—चीनी का रवैया एक ही है। वे वहाँ चाहे राज नहीं करें, पर अपना इनफ्लुएंस (प्रभाव) रखना चाहते हैं। पचास विद्वान् चेकोस्लोवाकिया भेजकर अपना विचार समझाता रूस के लिए उचित होता। किन्तु सेना भेजी। भारत ने दृष्ट्य आयाज से विरोध किया। क्योंकि हम रूस के शत्रु हैं।

रूस हमारे सैन्यी कारखानों को मदद देता रहा है, मित्र है इसलिए बडेन नहीं कर सकते। आचार्यकुल द्वारा प्राचभर के प्रोफेसरो की काफरेस बुलाकर ‘युनानिमस रेज्योल्युशन (सर्वानुमत प्रस्ताव) करते। इससे लोकशिक्षा होती। जनता को उत्तम गाइडेस (मार्गदर्शन) मिलता, आचार्यों का प्रतिष्ठा मिलती जो आज नहीं है। आज नीकरा की जमात है। ५०० शिक्षको को आने जाने का खर्च और दो दिन खाना देते। यह गूसा ही नहीं, यानी आचार्य कुल हवा में है। सम्पारण में अभी अभी श्रमना जोरदार ग्रामदान अभियान चला, लेकिन प्रोफेसर ठडे। एक भी प्रोफेसर नहीं लगा। स्कूल के शिक्षक लगे। चेकोस्लोवाकिया के बारे में सोचा तक नहीं। आचार्यकुल के लिए नये हस्ताक्षर भी नहीं प्राप्त किये। वेतन का एक प्रतिशत देना भार है !

बिना पैसे चल सकेगा ? पत्र-व्यवहार एक प्रोफेसर का पूरे समय का खर्च प्रवास, काफरेस में सबका भोजन सब जगह जाकर समझाना, नये हस्ताक्षर लेना आदि अनेक काम रहेंगे। ग्रामदान में बीसवाँ हिस्सा जमीन देना, चालीसवाँ हिस्सा उपज देना मालकियत ग्रामसभा को देना, चीनी कठिन है फिर भी घडाघडा हस्ताक्षर हुए। आचार्यकुल में प्रतिशत देना है—फिर क्यों हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं ?*

* ७ सितम्बर '६८ को मुजफ्फरपुर के प्रोफेसरों के सम्मुख विनोदा का उद्बोधन।

कितनी सादगी है यहाँ। अपने देश के ढग से बँटे हैं। 'परिपद' यानी बहुत बड़ी सभा, जिसमें हजारों लोगों के बीच व्याख्यान हो, और 'उपनिपद' यानी नजदीक बँटे हुए, वानर्च त के ढग से चर्चा, जिसमें हृदय से हृदय बात कर रहा हो। व्याख्यान नहीं—चर्चा, बातचीत। जगलों में खुली हवा में, आचार्य शिष्यों को समझाने थे "यह जितना विशाल आकाश है, यह मेरे अन्तर-हृदय में है।" यही वाक्य क्लासरूम में बोलें तो जितना छोटा आकाश क्लासरूम में है उतना ही छोटा हृदय में होगा। जगलों में विशाल आकाश, विशाल हृदय। ऐसी सादगी से प्राचीनों ने विद्या बढ़ायी। इतनी दरिद्रता, ब्राह्मण निष्काचन। विद्या, प्रेम और सादगी अपने यहाँ की विद्या की विशेषता रही। जितना सुनें उससे ज्यादा चिन्तन करें, जितना श्रवण, उससे सौ गुना मनन, जितना मनन, उससे लाख गुना ध्यान करना चाहिए। सन् १९१८ में हम बंदीवा कालेज में पढते थे, अग्रेज प्रिंसिपल का क्या रोब था। सीधी नजर से देखना कठिन। नीची नजर से हम देखते—जैसे शेर के सामने गाय का व्यवहार हो। वे बारह सौ रुपये मासिक वेतन पाते थे, यानी आज के छह हजार रुपये। आज पैसे के दाम गिरे हैं। मैं एक वैसे में तरकारी, नीबू, बदरक, धनिया सब खरीदता था। प्रिंसिपल मुस्किल से प्रतिदिन डेढ़ घंटा पढाते थे, वह भी वर्ष में छह माह, और घर में एकाध घंटा लिखते होंगे, जिसकी तनखाह बारह सौ।

एक दिन क्लास में जाहिर हुआ, वे 'इन्डिस्पोज्ड' (अस्वस्थ) हैं। चाहे प्रोफेसर मटादीभायी हों, पर मातृभाषा में नहीं बोल सकते थे। किसीकी मजाल थी, जो मातृभाषा में बोलें।

अग्रेजी में सादी-सी कविता थी, जिसमें गायों के चिल्लाते का, निसर्ग का वर्णन था। हमने उसे पढाया। 'यह व्याख्यान प्रिंसिपल से बराबरी कर सकता है' ऐसा सब छात्रों ने कहा—'सिवाय इसके कि उनके उच्चारण नहीं समझ में आते थे, आपके आते हैं।'

आपके वाइस चांसलर (श्री मुहार) सादगी की मूर्ति हैं। बाजार जायें तो कोई पहचानेना नहीं, घायद धक्का देकर निकल जायेगा। जब कि चारों ओर विलासप्रियता इन बंदर बड रही है, यह देखकर भाशा उत्पन्न होती है कि ये सचमुच ब्राह्मण-नसृति के प्रतिनिधि हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजाराम शास्त्री, आचार्य जुगलकिशोर आदि 'कुल' में हैं। महाराष्ट्र में भी आचार्यकुल बनाने की बात चल रही है। मुजफ्फरपुर की तरह भागलपुर में भी प्रोफेसरों में सादगी देखी। यह मजल बात है कि कुछ हुआ नहीं अब तक।

ब्रह्मस्वरूप । ब्रह्म का वरुण प्राता है कि वह निष्क्रिय शान्त, व्यवहारातीत, नियतीत है । हम ऐसे हो जायें, जब तो ठीक है लेकिन सत्कार की शेष सारी क्रियाएँ तो करते रहते हैं ।

हडतालें, कोट केसेस परीक्षाओं का भीसम बीमारी ये सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आयी होगी मैं समझ सकता हूँ कि इससे आचार्यकुल का काम नहीं बढ़ सका । एक प्रतिशत देना सादी-सी बात है जिससे अनेक कामों में सुविधा होगी ।

हमने कार्लमार्क्स का कैपिटल पढ़ा था । उसमें हिंसा का मार्ग प्रतिपादित है ऐसा हमें नहीं लगा । मुझे कुछ कम्युनिस्टों ने कहा 'हृदय-परिवर्तन को हम नहीं मानते । मैंने पूछा तलवार में मानते हो ? आप स्वयं हृदय परिवर्तन के उदाहरण हैं । क्या कार्लमार्क्स तलवार लेकर आपके पीछे पड़ा था ? आपने पुस्तक पढ़ी, उसीसे कम्युनिस्ट विचार आपको जँचा । फिर हृदय परिवर्तन कैसे नहीं मानते ?

मुख्य बात है गरीबी मिटाने की । बाइबिल में प्राइस्ट का वचन है : गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहनेवाले हैं इसलिए उनका खयाल रखो । कम्युनिस्ट कहते हैं, तो क्या उन्हें हमेशा गरीब ही रखनेवाले हो, जिससे दान प्रक्रिया द्वारा आपको पुण्य मिले । गरीबी मिटानी चाहिए, यह कार्लमार्क्स ने सबसे पहले आवाज उठायी ।

तिब्बत, वियतनाम अब चेकोस्लोवाकिया । वियतनाम हमें नहीं चाहिए, हमारी 'माइडियालाजी' (विचारधारा) पर प्रहार हो रहा है" अमेरिका कहता है । मतलब सब 'माइडियालाजीज का एकमात्र 'संवर्धन (अतिव बल) 'ग्रामो (सेना) इसका विकल्प है आचार्यकुल । विद्वानों ज्ञानियों की राय का सारे समाज पर असर होता है ।

(१) अभी तक यहाँ बड़े दो सौ दस्तखत हुए हैं । बिहार भर में दस हजार प्रोफेसर हैं, जिनमें से चार सौ के हुए हैं । मैं जहाँ छोड़ गया, यहाँ से बात आगे नहीं बढ़ी । जाकर सम्झाते, दस्तखत लेते—बढ़ नहीं हुआ ।

(२) बिहार में सतर हजार गाँव हैं पौने दो साल शिक्षक हैं । ग्रामदान में मदद करते तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती । नहीं कर सके ।

(३) चेकोस्लोवाकिया पर सब मुख्य लोग साथ बैठकर निवेदन प्रिजिक्टो बनाते । विशेष प्रमाण पर राय जाहिर करना नहीं हुआ । कोई हर्ज नहीं । भाग आप कीजिएगा । १ प्रतिशत पैसे के बिना हो सके तो याबा तो माधेगा कि इतना बड़ा कार्य वाँचनशुक्ति से हो रहा है । मिसाल दूँ, "गीता

प्रवचन" की सभी भाषाओं की तरह लाख प्रतिमा खपती हैं, क्या बिना पैसे उसे भाप खरीद सकेंगे ? बरसों पदयात्रा में बाबा का एक कौड़ी खर्च नहीं हुआ । फिर भी, हर साल एक लाख रुपये से कम खर्च नहीं हुआ होगा । बिहार में एक एक पड़ाव पर तीन-चार सौ शोग खाते थे । हमने पूछा, इतने लोग क्यों ? बोले : 'बाबा, शादी आदि पर इससे अधिक खाते हैं, भाप उससे कम महत्त्व के थोड़े ही हैं ।'

सोचा, इतने लोग घर में भी तो खाते होंगे । यहाँ खाने इतना ही अन्तर हुआ : कोई बात नहीं, दिहार है । लेकिन क्या एक रुपया देना भार है ? तोचें । यह 'वाई-ला' (कानून) नहीं है । भाप लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है । भापके ज्ञान और जीवन का समाज पर असर पड़े, यह मेरी कामना है ।

एक प्रश्नकर्त्ता—

शिक्षकों से उनकी समस्याओं पर अलग चर्चा की जाय ?

विनोबा—

शिक्षक स्वीकार करें या नहीं करें, इसकी मुझे चिन्ता नहीं । मुझे ग्रामदान का 'एम्प्लायमेंट' (रोजगार) है, 'माइ ऐम फुली एम्प्लायड'—मेरे पास पूरा काम है—'ग्राचार्यकुल' पुस्तक पढ़िए । मुझे जितना काम करना था, किया, समझाया । मेरी ७३ वर्ष की आयु हो गयी । मर गया, तो कोई यह नहीं कहेगा कि छल्पायु में मर गया । काम भी काफी किया, मरने का हक है । ज्यादा समझाता रहूँ, यह प्रेरणा मुझे नहीं है । जिन प्रोफेसरों की समझ में आये, वे दूसरों को समझायें, बच्ची से बच्ची जलती है । किन्तु उन्हें ऐसी प्रेरणा नहीं हुई, तो मुझे दुःख नहीं होगा ।

गौतम बुद्ध का उनके रहते उतना असर नहीं हुआ जितना पाँच सौ वर्ष बाद अशोक ने किया । ईसामसीह के 'कृषिकीर्शन' (मूली) के पचीस साल बाद सेंट पाल निकले, और तीन-चार सौ साल बाद ईसाई धर्म फैला ।

'ब्राइकास्ट' (व्यापक प्रसार) पर बाबा का विश्वास नहीं है । 'टीपकास्ट' (गहरे प्रसार) पर है । एक मनुष्य पर भी हुआ तो वही औरों को समझायेगा । शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याएँ सुनना, प्रेरणा देना, दिवार दाखिल करना, बाबा इन सबसे उदासीन है ।०

• १ सितम्बर '६८, को भार. डी. काळेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसरों के सम्मुख विनोबा का उद्बोधन

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधा सम्पाक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री राममूर्ति

वय १७
 अय ३
 मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

प्रेरणा का स्रोत	६७ श्री जयप्रकाश नारायण
युवक और शांति की पुकार	६८ श्री नारायण देसाई
तरुणों के लिए पराक्रम का कायम	१०० श्री नारायण देसाई
युवकों की भावभावताएँ	१०४ श्री राधाकृष्ण
युवकों के बदलते दायित्व	१०६ श्री मनमोहन चौधरी
तरुण शान्ति सेना	११५ शांति सेना मण्डल
अर्थात्तः युवक मानस	१२८ प्रो० मार्शल रियो
आशयकुल	१४० श्री विनोदा

अक्तूबर १९८८

१- निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खर्चा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सब सेवा सब की ओर से प्रकाशित अमल कुमार बसु
 इण्डियन प्रेस प्रा० लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

देश के आर्थिक जीवन में गलत प्रवाह

गांधी दसन के अनाथ भाष्यकार स्व० श्री कि० घ० मधुवाला ने हिन्दुस्तान के गाँवों का जो चित्र आजादी के पहिले खींचा था वह आज भी ज्यो-कार्यों बना है।

हिन्दुस्तान गाँवों में बसा है यह बात तो बारम्बार बही मयी है पर हिन्दुस्तान की सम्पत्ति सम्बन्धी आज की अधिकांश योजनाएँ गाँवों के हित की दृष्टि से नहीं बनायी गयी हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जीवन के बहुतेरे साधन जो गाँव के खेती और जंगलों में जगमग मुफ्त मिल सकते हैं उनके बदले शहरी और विदेशों में घना हुआ देखने में घटा-बहुत सुविधाजनक सस्तिन अधिकांश में दिल्ली के लिए ही आवश्यक और अच्छा लगनेवाला माल काम में लाने का फँगन बढ़ जाने से देहात के बहुत-से उद्योग और मजदूरी के धंधे नष्ट हो गये और होते जा रहे हैं।

इसके सिवा व्यापारियों की सवुचित और तुरन्त मुनाफा कमा लेने की स्वाध दृष्टि ने बहुत से देहाती माल को मनीन के माल की प्रपेक्षा पडते में महंगा न होते हुए भी खरीददार के लिये महंगा बना दिया है। इससे जो बाजार सहज में देहात के हाथ में रह सकता है वह भी कारखानों और विदेशियों के हाथ में चला गया है।

इस प्रकार आज सम्पत्ति देहात से शहरी में चली जा रही है और देहात हर दृष्टि से कगाल होते जा रहे हैं।

इस प्रवाह को बदलने की जरूरत है।

यह कैसे बदलेगा ?

त्रिविध कार्यक्रम (ग्रामदान, गामाभिमुख खादी एष शांति सेना) के जरिये।

सन् १९६६ गांधीजी की जन्म शताब्दी का साल है।

जाइए इस प्रवाह को बदलने में जुट जायें।

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम-
उपसमिति द्वारा प्रसारित

ताजम

संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी-संस्कृत

वर्ष : १९६१
नवम्बर १९६१
क्र. सं. : ११७६
प्रकाशक :
श्री. अ. अ. अ.
लखनऊ



हमारे प्रथम प्रधान मंत्री—
जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी
मनोभ्यता नहीं खोयी, और प्रौढ़
होते हुए भी बच्चों की सहजता,
बनाये रखी।

जॉनसन की भेंट

मानना पड़ेगा कि चलते-चलते जॉनसन ने दुनिया को एक अच्छी भेंट दी है। १ नवम्बर को जब उन्होंने घोषणा की कि उत्तरी विएतनाम की बमबारी बन्द रहेगी तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दुनिया ने सुख की साँस ली।

विएतनाम पर जो लाखों टन बम गिरे—लगातार गिरते ही रहे—लेकिन एक छोटे से देश का मनोबल नहीं तोड़ सके, वे बम अब नहीं गिरेंगे। बमों का गिरना बन्द होगा तो विएतनाम का जो प्रश्न अब तक के युद्ध से नहीं हल हो सका है, उसे अब पेरिस में सार्वक राजनीतिक चर्चा से हल करने की कोशिश की जायेगी। युद्ध से कब किस समस्या का हल निकला है? चर्चा तो ६ महीने से चल रही थी, लेकिन साथ साथ युद्ध भी चल रहा था। जॉनसन की घोषणा से आशा हुई है कि अब सुव्यवस्थित सधि-वार्ता होगी। उम्मीद है चर्चा की राजनीति फिर इतनी गर्म नहीं होगी कि दुवारा युद्ध छिड़ जाय। यह जानी हुई बात है कि जब राजनीति गर्म होती है तो लड़ाई होती है, और जब शत्रुता पराकाष्ठा पर पहुँचती है तो सधि होती है। कौन गहो मानेगा कि शत्रुता पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है? अब बारी है सधि की।

धर्म : १७

क : ४

१९४५ में अमेरिका के हाथ अणुबम आया। ४ साल बाद रूस अमेरिका का साथी बना। तब से, ऐसा लगता है, दुनिया इन दो महाशक्तियों के हाथ गिरवी रख दी गयी है। इनकी भाँहो पर दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। हो सकता है कि छोटे देश अब तक इसी-लिए बचे हुए हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों के पास असौम सहार-शक्ति है। यह सहार-शक्ति दुनिया को खत्म करेगी, लेकिन बम फेकनेवालों को छोड़ देगी, यह भरोसा दोनों में से किसीको नहीं है। शायद दोनों के बीच भय का यह सतुलन ही शेष दुनिया के लिए जीवन का आश्वासन है।

ऊपर-ऊपर से यही दिखाई देता है कि आज की दुनिया अमेरिका और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों में बँटी हुई है। लगता है जैसे ये दोनों इन्द्र हैं और दूसरे देश इनके दरबारी हैं। लेकिन, अन्दर क्या दिखाई देता है? बम और डालर से लैस अमेरिका ने विएतनाम की कोई बरबादी उठा नहीं रखी, लेकिन वह विएतनाम को पराजित नहीं कर सका। रूस ने चेकोस्लोवाकिया को नीचा जरूर दिखाया, और उसे नागफाँस में कसने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके टैंक चेकोस्लोवाकिया की प्रतिकार-शक्ति को कुचल नहीं सके। फ्रांस, क्यूबा, विएतनाम का अमेरिका क्या बिगाड़ सका? और, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, और चीन का रूस ही क्या कर पा रहा है? दिखाई तो यह देता है कि आज भले ही अमेरिका और रूस के प्रभाव-क्षेत्र की बात कही जाती हो, लेकिन वह दिन सम्भवतः दूर नहीं है जब न उनका प्रभाव रह जायेगा, और न अपने देश के बाहर कोई प्रभाव क्षेत्र। उन्हें खडना होगा तो सड़ेने जाकर चन्द्रलोक में। इस मृत्युलोक को तो मुद्ध से मुक्त ही करना है।

शायद छोटे देशों के दिन आ रहे हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सकीर्ण राष्ट्रवाद में न सुख है, न शान्ति। राष्ट्रवाद के बाद साम्राज्यवाद के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। सुख और शान्ति सह-

अस्तित्व और विश्व-परिवार भावना में है, न कि बड़े साम्राज्यवादियों के साथ छोटा साम्राज्यवादी कहलाने में।

कठिनाई यही है कि इस वक्त छोटे देशों में जो नेतृत्व है वह अपने देश और नये दुनिया की नियति को नहीं पहचान रहा है। वह स्वयं पूंजीवादी-सैनिकवादी-राज्यवादी-विस्तारवादी है। और, इन देशों की भी जनता अभी इन मोहक नारों के जादू से निकल नहीं पायी है। सारे एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता की जो छीछालेदर हुई है, और उपनिवेशवाद को 'विकास' का छद्मवेप बनाकर दुबारा घुसने का जो मौका मिलता जा रहा है उससे चिंता होती है कि ये नये देश अपने भविष्य को कभी पहचानेंगे भी या नहीं।

कुछ भी हों, अमेरिका कुछ भी चाहे, दक्षिण विएतनाम की सरकार कुछ भी कहे, वहाँ की जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। आत्म-निर्णय आत्म-सम्मान का मार्ग है, और सह-अस्तित्व की पहली शर्त है। दक्षिण विएतनाम साम्यवादी हो जायेगा, इसीलिए उसे आत्म निर्णय से वंचित रखना है, और किसी न-किसी रूप में अमेरिका को वहाँ बनाये रहना है, यह मानने लायक बात नहीं है। मानने ही नहीं, कहने लायक भी नहीं है। दक्षिण विएतनाम साम्यवाद की ओर न जाय, और चेकोस्लोवाकिया पूंजीवाद की ओर न जाय, यह ठीकेदारी अमेरिका और रूस को किसने सौंपी? जिस तरह दुनिया के अनेक देशों में प्रतिरक्षा और लोक-कल्याण के नाम में फासिस्टवाद बढ़ रहे हैं उसी तरह विश्व कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम में नये साम्राज्यवाद बढ़ रहे हैं। यह काम जनता का है कि वह कल्याण के इस नये नारे को समझे, और ठीकेदारों से मुक्ति का रास्ता निकाले।

अगर पेरिस में विएतनाम की समस्या का कोई हल निकल आता है तो हो सकता है कि अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में नया मोड़ आये और मनुष्य की मुक्ति के कुछ रास्ते खुलें।

—राममूर्ति

आचार्य मन से ऊपर उठें

—विनोबा

[काशी के आचार्यकुल की सभा पाराशक्तेय संस्कृत विश्वविद्यालय में ३ अक्टूबर को हुई। इस सभा में प्रवचन करते हुए विनोबाजी ने अपनी शुभकामना प्रकट की और आचार्यों को मन से ऊपर उठकर तथा राजनीति से अलग रहकर संसार को मार्गदर्शन करने की सलाह दी। वह प्रवचन आपके सामने प्रस्तुत है। —सं०]

मुझे यहाँ पर अभी ज्यादा बोलने का नहीं रह गया है। 'शुभास्ते पधानः सन्तु।' आपका यह गुण-कार्य है और मार्ग आपका शुभ हो, सुखमय रहे इतनी शुभकामना करना ही मेरा कार्य रह जाता है। मुख्य चीज जो समझने की थी, वह मेरा खयाल है आप लोगो ने समझ ली है। और, वह यह कि आचार्यों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट स्थान कहने से कोई ऊँचा, मानवीय सामाजिकता से अधिक ऊँचा, ऐसा कोई मेरा आशय नहीं। आचार्यों का अपना विशिष्ट स्थान है, जिस तरह सेवकों का विशिष्ट स्थान होता है, मजदूरों का भी विशिष्ट स्थान है। अगर आचार्यों का काम आचार्य गिष्काम बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं तो परमेश्वर के यहाँ वे प्रिय होंगे। वैसे मजदूर भी अपना कर्तव्य यथाशक्ति, यथाभक्ति, गिष्काम बुद्धि से करेगा तो उसको भी वही ईश्वर का प्रेम प्राप्त होगा। दोनों को प्राप्ति समान होगी। दोनों के अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र हैं।

आचार्यों का स्वधर्म

लेकिन इन दिनों हर क्षेत्र में घुसपैठ हो गयी है। इसको इंग्लिश में 'इन्फिल्ट्रेशन' कहते हैं। इसके लिए अपनी भाषा में 'घुसपैठ' शब्द है। राजनीति की भी और राजनीतिज्ञों की भी घुसपैठ। अब परिणाम यह हुआ है कि भिन्न भिन्न कालेज अलाडे बन गये, राजनीति के अलाडे। और यही हालत विद्यार्थियों की हुई। तो समझने की मुख्य बात यह है कि हमारा स्थान राजनीति को 'गाइडेन्स' देने का है, न कि राजनीति में दाखिल होने का। जो 'गाइडेन्स' देनेवाला होता है, जिसे 'जजमेंट' देना होता है, कोई काम ठीक चल रहा है, बेठीक चल रहा है, यह देखना पड़ता है, उसको उस काम से अपने को अलग रखना पड़ता है। साक्षीरूपेण जब वह होता है तभी उसको ज्ञान होता है—सम्यक् ज्ञान कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर हम राजनीति में दाखिल होते हैं तो

राजनीति के साक्षी, उसके मार्गदर्शक, उसको गलत राह पर जाने से रोकनेवाले हम नहीं हो सकते। हम उसके अन्दर एक पुर्जा बन सकते हैं, उस यत्र का अंग। इसलिए हमको उससे अलग रहना चाहिए। यह हमारा आचार्यों का स्वधर्म है। वह स्वधर्म चाहे अन्यान्य हो तो भी श्रेयस्कर है। यह भगवती गीता ने हमको समझाया है—'श्रेयान् स्वधर्मो विद्युषोपि' तो कोई कहे कि आपका जो स्वधर्म है, आचार्यों के लिए आपने माना है, उससे अधिक योग्यतावाले भी स्वधर्म हैं दुनिया में। हम ना नहीं कहेंगे। हो सकते हैं, लेकिन यह जो स्वधर्म है वह चाहे विगुण हो, कम योग्यतावाला हो तो भी आचार्यों के लिए वह ही श्रेयस्कर है। राजाओं, महाराजाओं तथा सम्राटों से भिन्न शक्ति है आचार्यों की, जो तारक, प्रेरक और पूरक है।

दुनिया में दो विचारक हो गये—एक, कार्ल मार्क्स और दूसरे, काउण्ट लियो टालस्टाय। दोनों प्रेरक थे। लेकिन टालस्टाय का विचार तारक है, प्रेरक होने के साथ साथ। और, कार्ल मार्क्स का सिद्धान्त तारक साबित नहीं हुआ। यह तो मैंने जरा विषयांतर कर दिया समझाने के लिए कि तारक और प्रेरक, ये दो स्वतंत्र शक्तियाँ हैं और दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वही ताकत शिव-शक्ति, शुभ शक्ति जो भी नाम दीजिए—पैदा होती है। और मैंने कहा कि पूरक है। पूरक यानी बाकी के समाज से भिन्न भिन्न लोग, कुल मिलाकर जो भी करेंगे अछूरा रह जायेगा, अगर आचार्यों का अपना स्वतंत्र कार्य न रहा तो। अगर आचार्य उन्हीं राजनीतियों में शामिल होकर काम करने लगें, तो उनकी शक्ति पूरक शक्ति बनेगी नहीं। यह पूरक शक्ति एक प्रकार से परमेश्वरी शक्ति है। परमेश्वर पूति करता है। जहाँ, कमो होती है, न्यूनता होती है, वहाँ पूति के लिए वह दौड़ा घाटा है। वह पूरक शक्ति है। 'गुरवे नम' हमेशा हम कहते आये—भगवान गुरु को नमस्कार। यानी गुरु और भगवान साथ-साथ। शिष्यों की भावना गुरुजनों के लिए कि गुरु और भगवान एक हैं; क्योंकि वे पूरक हैं।

आचार्य मन से ऊपर उठे

यह जो विविध शक्ति आचार्यों की है, वह नहीं प्रकट होगी जबतक वह राजनीति से अपने को मुक्त नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। बल्कि एक नया शब्द मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँगा, वैसे नया तो नहीं है, इन जमात में नये सिरे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमको तो मन के ऊपर जाना चाहिए, आचार्यों का काम है उन्मानसम्—मन के ऊपर उठना। बाकी के जो लोग हैं, उनका अपना-अपना क्षेत्र होता है, उनका अपना मन बन जाता है,

और उसी मन से वे चिन्तन करते हैं। इसलिए वे समग्र चिन्तन नहीं कर पाते। लेकिन आचार्यों का चिन्तन उन्मानस होगा यानी धपना मन वे नहीं रखेंगे, उससे ऊपर उठकर के वे सोचेंगे। इस वास्ते व 'गाइडेन्स' दे सकते हैं। मैंने कई दफा मिसाल दी है कि थर्मामीटर को खुद बुखार रहे तो दूसरो का बुखार नापने मे यह अक्षम रहेगा। लेकिन वह सबका बुखार ठीक नापता है, क्योंकि उसको धपना बुखार नहीं है। उसी प्रकार दुनिया के मन को, चित्त को, अगर ठीक समझना है तो हमको मन नाम के तत्त्व से अलग होना चाहिए। विकारो को पहचानने के लिए विकारो से अलग होना पडता है। तब हम विचारो को, विकारो को पहचान सकते हैं। विकारो से अलग होनेवाले, मन से अलग होनेवाले दो जन होते हैं। एक होता है परम सयासी, विरक्त, योगी, सम्राट, उसको समाज से मतलब नहीं। वह स्वयमेव निर्विकार है। वह ससारा अभिमुख नहीं है और उसके साथ साथ निर्विकार है। उसकी जो मिसाल है, उसका उदाहरण हमारे सामने ध्रुव तारे के मुताबिक है। वह हमको 'गाइडे स' खुद देता नहीं। हमको उसे देखना होगा, देखकर पहचानना होगा। और दिशा समझकर चलना होगा। उसका धपना उपयोग है, लेकिन वह स्वयं अभिमुख नहीं है। मन से अलग रहनेवाले दूसरे लोग ये आचार्य हैं। और वे जो आचार्य होंगे वे ससार अभिमुख होंगे। और अभिमुख होते हुए मन से परे होंगे। इसलिए वह समाज को गाइडेन्स दे सकते हैं निर्विकार बुद्धि से निणय दे सकते हैं। ऐसी निर्णायक शक्ति अगर मानव में हो सकती है, किसी मानव मे, या किसी मानव-समूह में, तो वह आचार्यों में हो सकती है। और, आपने जोड दिया था कि आचार्यों के अलावा दूसरे भी विद्वान् हैं उन्हें भी शामिल किया जाय। आपने सुझाव दिया था और उसे मैंने माना था। उनको भी मैंने आचार्य माना। वो यह जो आचार्य समूह है उसकी यह विदीपता है कि वह ससाराभिमुख रहकर अपने को ऊपर रखेगा। और, क्या कहीं गलती हो रही है उसके बारे में वह निदशन दे सकता है।

यह जो बहुत बड़ा काम अपने महान् भारत में होना जरूरी था वह आज तक हुआ नहीं और सारे समाज का नियंत्रण सब प्रकार से राजनीतियों के हाथ मे रखा गया। उसका परिणाम यह हुआ है कि नौका ऐसी चल रही है कि उसको कोई दिशा नहीं—किधर जायेगी, क्या होगा मालूम नहीं।

आचार्यों की शक्ति कैरे प्रकट होगी ?

अभी एक प्रसंग आया। चेकोस्लोवाकिया पर रुस ने हमला किया, यह कहकर कि 'हम उनके उद्धार के लिए जा रहे हैं। उनके अन्दर ऐसी ताकत

मभी पैदा हुई है कि जो उनकी असलियत को समाप्त करेगी। इस वास्ते हम उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं।' अगर रूस यह करता कि चेकोस्लोवाकिया में विचार में गलती हुई है इस वास्ते हम दस घंटे आचार्यों को वहाँ भेज रहे हैं, रूस के आचार्यों को और वे गाँव गाँव जायेंगे, विचार समझायेंगे। तब तो हम समझ सकते थे कि ठीक है, कुछ गलत विचार उनका हो गया ऐसा लगता, इस वास्ते उन्होंने ऐसी योजना की और उनके मार्गदर्शन के लिए आचार्यों को भेजा। लेकिन उनके लिए फौज का क्या काम पड़ा? गलत रास्ते पर वे तो उनको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए फौज की क्या जरूरत पड़ी? और अभी वहाँ सेना कायम है। पक्का बन्दोबस्त कर लिया है, कस लिया है सब तरह से। अब इस मामले में भारत का क्या रस है? यही कि तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। उनसे जिन देशों को मदद मिलती है वे देश दिरकुल खुले शब्द से बोल नहीं सकेंगे। वंचारे दबी जवान से बोलते हैं। तो हमारे यहाँ के विज्ञान ने कह दिया कि 'चेकोस्लोवाकिया आजाद होना चाहिए ऐसा हम चाहते हैं, यह आक्रमण वापिस होना चाहिए ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन हम 'बडेम नहीं करते।' अब सवाल इतना ही रहा कि गर्दभ कहना कि गधा कहना। गधा कहेंगे तो सामनेवाला लात मारना शुरू करेगा। क्योंकि गधा ही है वह। इन वास्ते उसे मददभार्यं कह दिया, तो शायद इतना वह समझेगा नहीं और अपनी मदद बन्द जारी रखेगा, हमारे-उसके सम्बन्धों में फरक नहीं पड़ेगा। अब ऐसी कल्पना करके यह किया गया। जिन्होंने किया उनको जरा भी मैं दोष नहीं देता। इसलिए कि वे पंच में हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच में हमारा एक राष्ट्र। इधर हमारा भुकाव होता है तो वह नाराज होता है, उधर भुकाव होता है तो वह नाराज होता है। तो दोनों को राजी रखना, सबको राजी रखना, यह कोशिश हो रही है। एक प्रकार की कसरत समझिए—व्यायाम अपना करते हैं ये राजनीतिज्ञ। तो उनको हम दोष नहीं देते। क्योंकि उनकी दृष्टि सीमित है। परन्तु मान लीजिए, भारत में आचार्यों की शक्ति होती और वे आचार्य ऐसे भाँकों पर, हिन्दुस्तान के मुख्य मुख्य आचार्य एकत्र होकर, अपनी सर्वसम्मत राय प्रकट करते तो संसार के सामने हमारा एक शक्ति प्रकट होती।

ग्रन्थयन तो करना ही होता है आचार्यों को। उन्होंने किया ही था कुछ-न-कुछ, ऐसा मानना चाहिए। और उन्होंने इकट्ठा हो करके अपना एक मत प्रकाशित किया तटस्थ बुद्धि से 'यूनेनिमसली' (सर्वसम्मत), जो मत बना सो।

घर मान लीजिए, ऐसा हमने किया होता, कर मके होने, तो इस वक्त भारत को एक प्रपनी स्वतंत्र आजाज, उसकी प्रज्ञा दुनिया में भरसर करती। यह ठीक है भारत की गवर्नमेंट ने एक रख भ्रष्टियार किया, और आचार्यों ने तटस्थ बुद्धि से सोचकर यह फैसला दिया। तो उसका धसर जनता पर पडता, जनता को गाइडेंस मिलना। यह मैंने एक मिनाल दा।

काशी आचार्यकुल सर्व सेवा सघ की भूमिका

हमारे सामने एक भसला खडा हुआ था। ऐसे भसले इण्टरनेशनल भी आयेंगे, नेशनल भी आयेंगे, राष्ट्रीय भी आयेंगे, और प्रांतीय भी आयेंगे। ऐसे मामलों पर अपना तटस्थ अभिप्राय देने की शक्ति आचार्यों में होनी चाहिए। यह महा के आचार्यजन समझे है और जहाँ तक काशी का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि ये सारे एक होकर के यहाँ उत्तम से उत्तम आयोजन करेंगे। उनको सब सेवा सघ की मदद उस काम में मिन सकती है। सर्व सेवा सघ भारत की सेवा के लिए, पक्षमुक्त सेवा के लिए गांधीजी के आदेश पर स्थापित हुआ सघ है। गांधी ने तो बहुत बडा आदेश दिया था उतना बना नहीं। गांधी ने क्या आदेश दिया था? जब कांग्रेस का एक काय समाप्त हुआ—स्वराज्य प्राप्ति का तो गांधीजी ने कांग्रेस से कहा कि उसे लोकसेवक सघ बनना चाहिए ताकि भिन्न भिन्न लोग राजनीति में जो खडे होंगे, इलेक्शन के लिए वगैरह वगैरह उन सब पर नियंत्रण रखना, उनको गाइडेंस देना इत्यादि काम तटस्थ बुद्धि से वह लोक-सेवक सघ कर सके। बापू का आशिर का वसीयतनामा इमको कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसका अमल नहीं किया, उन्होंने जो किया बिलकुल ही गलत किया ऐसा मैं कहना नहीं चाहता। ठीक किया एक परिस्थिति के आदर। उनको जो कहना जरूरी लगा वह उहोने किया। लेकिन बाद में भी वे सुधारते और कांग्रेस को लोक सेवक सघ बनाते तो कांग्रेस एक यूनिफाइड फेडरेशन बनती सारे भारत की जोडने वाली कडी बनती। इसके बदले में कांग्रेस बनी रही। पार्टी बन गयी। पाट गानी टुकडा। टुकडा हो गयी, खण्ड हा गयी। जोडनेवाली कडी नहीं हुई। ऐसी हालत में जोडनेवाली कडी होने की जिम्मेदारी बेचारे सब सेवा सघ पर आयी। उसमें कुछ मनीषी हैं, दादा धर्माधिकारी आदि लोग हैं, जयप्रकाशजी जैसे लोग हैं कुछ लोग हैं, दाकी सामान्य सेवक लोग हैं। अब उनकी शक्ति बढते-बढते समय जायेगा थोडा। अगर कांग्रेस लोक सेवक सघ हुई होनी तो सारे भारत में एक ऐसी शक्ति बन जाती जो सरकार के ऊपरवाली शक्ति

होती। सरकार की शक्ति नम्बर दो और लोक-सेवक सघ की शक्ति नम्बर एक, ऐसा होता। अब ऐसा हो गया कि सत्ता-शक्ति सर्वश्रेष्ठ हो गयी। और बाकी की सस्याएँ उनकी मातहत आ गयी, गौण हो गयी। तो यह उन्होंने सलाह दी थी। वह न मानने का यह परिणाम हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ।

यह सर्व सेवा सघ है छोटा-सा। अब उसको किमी प्रकार बड़ा होना ही है। यह मसौदा है उनका, क्या करेंगे बेचारे। जो परिस्थिति है उसमें छोटे मनुष्यों को भी जिम्मेदारी आती है बड़े बनने की। अब क्या किया जाय? बाप भरता है तब बेटा नाहक बड़ा बन जाता है। लेकिन यह ईश्वर की सृष्टि में है, बड़े मनुष्य चले जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। मेरे भारत को मार्गदर्शन करने के लिए जब आचार्यकुल सड़ा होगा, तब होगा। यह सर्व सेवा सघ उतना प्रखिल भारतीय शक्तिशाली होगा न होगा यह मैं कहता नहीं, यह भी कोशिश कर रहा है अपना शरीर फुलाने की। फिर भी मेढकी अपना शरीर कितना भी फुलाये बल तो नहीं बन सकती। इसलिए उसकी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहेगी। तो जहाँ तक काशी का चालुक है, मेरा खयाल है इनकी शक्ति और आपकी शक्ति मिलकर 'सहयोगेन' उत्तम कार्य यहाँ हो सकता है।

विद्यार्थी राजनीति से मुक्त हो

कल कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये थे। और वे विद्यार्थी खुद सख्त विरोध करते थे आचार्यों का, कुलपति, उपकुलपतियों का। मैं उनको समझा रहा था कि तुम लोग राजनीति से मुक्त हो जाओ। वे कहते थे कि यहाँ आचार्यों में राजनीति पैठी हुई है, ऐसा उनका आरोप था। तो मैंने कहा कि इसकी तलाश में मैं नहीं पड़ूँगा लेकिन मैं उनके सामने राजनीति से मुक्त होने की बात रख रहा हूँ, और वे कबूल कर रहे हैं ऐसा मेरे ऊपर भरोसा है। तुम भी ऐसा करो कि हम भी राजनीति से भलग रहेंगे। यह मैंने उनके सामने बात रखी। और मुझे कहने में बड़ी खुशी है, इतनी जल्दी भाषा नहीं थी मुझे, उन्होंने स्वीकार किया कि बाप आप ठीक कह रहे हैं। हम भी सब तय करेंगे कि राजनीति से भलग रहेंगे। तो मैंने कहा, सब बराबर हस्ताक्षर करो, तुम्हारा प्रच्छा आर्गनाइजेशन है। छात्रसभ के द्वारा सब विद्यार्थियों के हस्ताक्षर हासिल करो कि हम राजनीति से मुक्त रहेंगे, जब तक विद्या पाते हैं तब तक राजनीति से मुक्त रहेंगे। और वे तो प्रतिज्ञा कर ही रहे हैं राजनीति से भलग होने की। इस तरह से तुम दोनों समान भूमिका में आ जाओगे।

तुम्हारी समस्याएँ बहुत हल होगी एते ही । तो वे बोले कि यह ठीक है लेकिन हमको रेस्टिकेट किया गया है निवाल दिया गया है, उसका क्या होगा ? मैंने कहा—देखो तुम नये बनो । तुम नये बनो और वे बनेंगे नये । तुम वह बात मत बोलो कि वे पुराने हैं और वे यह मान नहीं बनेंगे कि तुम पुराने हो । जैसे रवी द्रनाथ ने गाया—नूतन प्राते—हर आदमी नया हो गया है । कल का गुग्गुलु आज नहीं है आज गुलाब का नया फूल पैदा हुआ है । कल का फूल चला गया आज नया फूल है । इस प्रकार सृष्टि में आज नया सूर्य है नया चन्द्र है नयी तारिकाएँ हैं सब मानव नये हैं और मैं नया हूँ और आप नये हैं । क्या की बात हम भूल गये । कल के आज हम हैं नहीं । यह तुम करा तो सीखा जा सकता है । तुमको जिन योगों ने रेस्टिकेट किया वे दयालु तो हैं ही आचार्य ही हैं वे तुमको नाक बर सवते हैं । लेकिन तुम इनका निश्चय करो कि पुरानी बातें भूलना, और उन्हें एक वेद सुनाया, वह मैं आप लोगों को भी सुना दूँ ।— नवो नवो भवति जायमान । वेद मे दशम मण्डल में है— नवा नवो भवति जायमान । चन्द्र का वणत किया है कि चन्द्र तो रोज नया नया रूप लेता है । कल का चन्द्र आज नहीं आज का बन नहीं । एना सृष्टि का सारा स्वरूप है । प्रवाह नित्यता है सृष्टि में, अक्षण्ड प्रवाह वह रहा है । आज का पानी कल नहीं कल का पानी आज नहीं । परसो का पानी कल नहीं था । परमात्मा से जो सत्तार प्रवाहित हुआ है अक्षण्ड चल रहा है इसलिए तुम लोग पुरानी बात भूल जाओ और सारे विद्यार्थी समाज के हस्ताक्षर करके लाओ । राजनीति से मुक्त करो ।

अब उनसे यह काम करवाना है । सब सेवा सघ के साथियों से उनकी मुलाकात करवायी । और कहा कि भाई देखो ये आपको मदद देंगे । और आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मुझे इत्तला देते रहियेगा । साक्षात् मागदशन आपको सब सेवा सघ से मिलेगा । विशेष मौके पर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ । अगर आप राजनीति से मुक्त हो जाते हैं और वे राजनीति-मुक्त हो जाते हैं तो मुक्त आचार्य मुक्त गुरु, मुक्त विद्यार्थी मुक्त शिष्य । फिर क्या पूछते हो ताकत बढ़ेगी । मद्भुत शक्ति बनेगी । इसमें कोई शक नहीं । शिष्य और आचार्य इकट्ठे हुए सहनाभवतु सहनीभुतवतु सहवीय करवावहै । हम लोग एकसाथ बीर्य सपादन करें यह उनकी प्राथना है । हम दोनों एकसाथ । दोनों यानी गुरु शिष्य । सहवीय करवावहै—तेजस्वि नावधीतमस्तु हमारा अध्येयन तेजस्वी हो । तब आशा करता हूँ कि यह रोशनी काशी में बनेगी और जैसी प्रगति होगी जानवारी मिलती रहेगी ।

वाराणसी ३-१०-६८

बुनियादी शिक्षा की बुनियाद

विनोबा

बुनियादी तालीम में श्रेष्ठ बनिष्ठ है नहीं। यह जो दूसरी तालीम चलती है, उसमें हेडमास्टर, मास्टर बगैरह होते हैं, तनख्वाह कम-बेसी होती है। और त्रिभुज विपरीत बात चलती है कि जो हेडमास्टर होता है, यानी जिसको ज्यादा बुद्धि और श्रुभव होना है उसको सिखाने के लिए नीचे के वर्ग देने के बदले ऊपर के वर्ग में देते हैं। असल में जो सबसे अधिक अनुभव, कुशल और बुद्धिमान मास्टर होगा उसको त्रिभुज पहले वर्ग का सिखाने को कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ शून्य में से नंबर करना होता है, इसलिए अधिक कुशलता की आवश्यकता रहती है।

कैसे मीर्चे ?

धाय जानते हैं कि भारत के एक बहुत बड़े आचार्य थे—रवीन्द्रनाथ। उनका खयाल था कि बड़ाई नाम की कोई वस्तु नहीं होगी चाहिए। बल्कि माना जाते जायें, बोलते जायें, विद्या पाते जायें, पता ही न चले कि विद्या पा रहे हैं, ऐसा हो। उस पर हमने लिखा था कि भास नहीं होना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, भास होना चाहिए कि हम कुछ-न कुछ काम कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं, यह पता नहीं चल रहा है और काम करते करते विद्या पाते जायें। जैसे सेलते हैं, तो पता नहीं चलता कि व्यायाम मिल रहा है और व्यायाम मिलता है। किसान खेत में काम करता है तो उसको मायूम नहीं होता है कि उसका व्यायाम हो रहा है और व्यायाम हो जाता है।

हमारे आश्रम में हम हाथ चक्की पर पीसते थे। एक बार मैं पीस रहा था और मेरे साथ एक बारह साल का लड़का भी पीस रहा था। उसी समय एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आये। उन्होंने देखा, तो बोले, यह तो 'चाइल्ड लेबर' हुआ। बच्चों से इम प्रकार 'लेबर' करवाना ठीक नहीं। हमने कहा ठीक है। कल हम इसी चक्की पर बैठेंगे—इसी तरह चक्की घुमायेंगे—एक धार दायीं ओर से एक धार बायीं ओर से, लेकिन उसमें अनाज नहीं डालेंगे, यानी पीसा कुछ नहीं जायेगा—पर इसी तरह चक्की घुमाते रहेंगे तो फिर वह 'चाइल्ड लेबर' नहीं होगा, वह 'एकमरसाइज' होगी। अगर उक्त धम में से कुछ पैसा हुआ, तो वह धम होगा, नहीं तो व्यायाम होगा।

परिश्रमहीन जीवन की गहरी जड़े

एक बार, हमने एक विन्ताव पढी थी—“थ्री मिनट्स एक्सरसाइज—तीन मिनट में व्यायाम । कुछ नहीं करना कमरे में यहाँ से वहाँ तक दूरी बिछा देना और उस पर इधर से उधर, उधर से इधर लेटकर मुड़ना, बस । ऐसा बिना थम का व्यायाम ।

आज हमारा सारा जीवन परिश्रमहीन हो गया है । यह बात हमसे पैठ गयी है । इससे दो कारण हैं । एक कारण तो है जाति व्यवस्था और दूसरा वर्णाश्रम-व्यवस्था । ऊँची जाति के लोग काम करने नहीं । और तीसरा, अंग्रेज माने के बाद उन्होंने ऊँची जाति को अंग्रेजी सिखा दी । वे अंग्रेजी बोलने में अंग्रेज जैसे बरतने में बहप्यन मानने लगे । मदर स्कूलों में उनका विशेष आदर प्रतिष्ठा महसूस होती है ‘मा’ कहने में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा लगती है । तो वह एक बग बंगर हो गया, जो परिश्रम को हीन मानने लगा । तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऊँचा बग और अंग्रेजी शिक्षा व कारण और ऊँचा हो गया । उसकी ऊँचाई की सीमा नहीं रही । और ऊँच-नीचता बनी रही । फलाना काम ऊँचा, फलाना नीचा—यह भावना आयी । अब यह सारा तोड़ना होगा । तब भारत बचेगा ।

हमारे यहाँ परिश्रमनिष्ठा बहुत बड़ा तत्व है । वह बुनियादी तालीम का बहुत बड़ा तत्व है । लेकिन आज का समाज उसके लिए अनुकूल नहीं ।

अब आप भारत भर में ग्रामदान, प्रदेशदान का आन्दोलन चला रहे हैं । नयी तालीम का काम तो अधिक महत्व रखता है । क्या उसके लिए आन्दोलन में कहीं स्थान नहीं कि भारत में नयी तालीम का अमल हो ?

बुनियादी विद्यालय का आधार कैसे बने ?

उत्तर इस पर सतत अमल हो रहा है । सन् '५१ से ६८ तक भारत की पदयात्रा हुई । उसमें सतत नयी तालीम का कार्य चला । शिक्षा में अहिंसक प्रान्ति लाने का कार्य चला । उसके पहले कौन पैदल चलता था ? हमारी यात्रा के बाद ऐसा असर हुआ कि चुनाव के लिए खड़े होने पर बड़े बड़े लोग भी पदयात्रा करने लगे । लेकिन उनकी पदयात्रा कैसी थी ? 'पदयात्रा एक समास है । बड़े-बड़े लोग जो पदयात्रा करने लगे वह 'पदयात्रा मध्यम पैदलीपी समास है । पदप्रति के लिए यात्रा । इतनी पदयात्रा की प्रतिष्ठा हो गयी ।

आज की जनता को शिक्षित किये बिना बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) को बुनियाद ही नहीं मिलेगी यह ध्यान में आया नापकम्पनी को । वे हमारे साथ तमिलनाडु में घूम रहे थे । अभी तो वे हमारे बीच में नहीं हैं ।

बिलकुल ऊँचा शरीर, हजार लोगो में भी दीखेगा, ऐसा। उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में करोड़ों लोगों को खाने को मिलता नहीं। और परिवार में पाँच-छ साल का लड़का भी भ्ररनिग (कमाऊ-सदस्य) होगा। भैंस की पीठ पर बैठकर उसे चराने ले जायेगा। वह न हो, तो भैंस का दूध मिलेगा नहीं। पाँच साल का लड़का, पर भ्ररनिग मेम्बर है। वह आपके स्कूल में कैसे जायेगा? इसलिए प्रथम तो सब बच्चों के लिए इतजाम होना चाहिए खाने पीने का। उसके बिना बुनियादी स्कूल की आधार नहीं है। यह उन्होंने देखा, तब कहा कि अब ध्यान में आया कि नयी तालीम विद्यालय केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होना चाहिए। पूरे गाँव को विद्यालय मानना चाहिए। फिर नयी तालीम के सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि पूरे गाँव को स्कूल मानकर प्रयोग किया जाये और विद्यालय व्यापक किया जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि बुनियादी तालीम के लिए आधार ग्राम ही है। गाँव ग्रामदान हो जाता है, तो ग्राम सभा के द्वारा हर बच्चे के लिए तालीम का इतजाम होगा। ऐसी व्यवस्था होगी कि बुनियादी तालीम घर के हर बच्चे तक पहुँचे।

डा० जाकिर हुसैन नयी तालीम के बड़े आचार्य हैं। उन्होंने माना है कि बुनियादी तालीम जब ग्रामीण आधार पर खड़ी होगी, तभी उसकी असलियत प्रकट होगी, नहीं तो नहीं। सरकार ने क्या किया? कुछ सरकारी ने बुनियादी तालीम को माना और किया क्या? जो लड़का वह तालीम पायेगा, उसको हाई स्कूल में प्रवेश नहीं। यानी बुनियाद बनायी त्रिकोणी और ढाँचा चतुष्कोणी। अगर ऊपर का ढाँचा भी त्रिकोणी हो तो ठीक, नहीं तो बुनियाद चतुष्कोणी हो। बापू के आग्रह के खातिर बुनियादी तालीम चलायी और आखिर उसको भी पटक दिया। आज बुनियादी तालीम के नाम पर भारत में जो चलता है, वह बिलकुल ही गलत है।

बुनियादी तालीम का विचार बहुत व्यापक है और उसके लिए अवसर ग्रामसभा के बिना होगा नहीं। यह विचार गांधीजी ने दिया था और उसका अमल किया जायना ने। वहाँ उन्होंने 'हाफ-हाफ' स्कूल चलाया है। तीन घण्टे अथ और तीन घण्टे ज्ञान। तमाम विद्यार्थियों को इसी तरह तालीम मिलेगी। वर्ग, जाति, ऊँच-नीच का भेद नहीं। जो भी स्कूल में जायेगा, उसको अम करना पड़ेगा। यही बापू ने कहा था कि तालीम में ज्ञान और कर्म साथ-साथ होना चाहिए। भारत में आज कल वंसा है नहीं।

[बुनियादी शिक्षा के बीच : वेदिया, ८-८-१६८]

स्वावलम्बन की ओर

प्रेमनारायण रुसिया

वात अभी बहुत पुरानी नहीं है, जब दो वर्षों के भयानक सूखा से उत्पन्न संकट का सामना करने और भविष्य में देश को स्वाच्छात्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश का ध्यान उन्नतिशील खेती की ओर गया था। हमने भी उसके साहित्य को मंगाया, उसका अध्ययन किया और उसके विशेषज्ञों से कई बार विचार-विमर्श किया और अन्त में मैक्सिको के गेहूँ और रासायनिक खाद की चर्चा प्रशिक्षणार्थियों से की। वे इस नयी पद्धति को समझने एवं इस प्रकार खेती करने को आतुर हो उठे।

गेहूँ की खेती का तुलनात्मक प्रयोग

चार खेत तैयार किये गये—एक में प्राचीन पद्धति से खेती हुई, दूसरी में देशी खाद में मैक्सिको का गेहूँ बोया, तीसरे में रासायनिक खाद में मैक्सिको का गेहूँ बोया और चौथे में रासायनिक खाद में देशी गेहूँ बोया गया। इन प्रयोगों को देखने के लिए ग्रामवासियों को भी आमंत्रित किया। आरम्भ में तो कम ग्रामवासी आये, किन्तु ज्यों-ज्यों फसल बढ़ती गयी, दर्शकों की संख्या और प्रशिक्षणार्थियों की रुचि बढ़ती गयी। जब चारों खेतों में फसलें तैयार हुईं तब तो वहाँ रात-दिन देखनेवालों का मेला-सा ही रहने लगा। जो भी आता घण्टी खड़ा-खड़ा फसलें देखता, प्रश्न पूछता और आश्चर्यचकित रह जाता।

अनुवर्धित ज्ञान

दर्शकों को समझाने के लिए प्रशिक्षणार्थियों की टोलियाँ बनानी पड़ी। इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों को भी गहराई से अध्ययन करना पड़ा, रासायनिक खाद किस प्रकार बनती है? वह कितनी प्रकार की होती है? प्रत्येक प्रकार की रासायनिक खाद का पोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस खाद के उपयोग की आवश्यकता किधि क्या है? देशी खाद व हरी खाद के गुण क्या हैं? मैक्सिको के गेहूँ के गुण क्या हैं तथा उसको कैसे बीते है, आदि बातों की विस्तार से एवं तुलनात्मक आधार पर प्रशिक्षणार्थियों ने समझा और रामझाया। चार माह का समय बड़े उत्साह, आनन्द और जिज्ञासा के बीच व्यतीत हुआ। अन्त में जब फसलें काटी गयी तो प्रत्येक खेत के परिणाम इस प्रकार रहे:

तुलनात्मक परिणाम

खेत क्रमांक	विधि	उपज प्रति एकड़	उत्पादन का मूल्य रुपये	लागत प्रति एकड़ रुपये	लाभ प्रति एकड़ रुपये
१.	सिंचाई सहित देशी खाद में देशी गेहूँ की उपज	१२ मन	४००	१३०	२७०
२	सिंचाई सहित रासायनिक खाद में देशी गेहूँ की उपज	१८ मन	५६०	२४०	३२०
३	सिंचाई सहित देशी खाद में मैक्सिको के गेहूँ की उपज	१५ मन	४८०	१५०	३३०
४	सिंचाई सहित रासायनिक खाद में मैक्सिको के गेहूँ की उपज	६५ मन	१८२०	३४०	१४८०

फसल के परिणामों से किसान, प्रशिक्षणार्थी और हमारे शिक्षक भाई उत्साहित हो उठे। किसानों ने इस प्रयोग से धारवस्त होकर वैज्ञानिक ढंग से गेहूँ को उपप्रतिशील खेती करने का सकल्प लिया और अपने पुरयार्थ के कारण मई '६८ में उन्होंने एक करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त गेहूँ शासन को बेचा। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह जिला अभी तक खाद्यान्न में कमीवाला जिला होने के कारण अपनी आवश्यकता की पूर्ति-हेतु बाहर से गेहूँ मँगाता था।

प्रशिक्षणार्थियों पर प्रभाव

प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् घर लौटनेवाले अधिकांश प्रशिक्षणार्थी अपने-अपने घर की खेती में लग गये और सस्था के एक भृत्य बधु ने, जो अभी तक ६० ह० माह पर सस्था में नौकरी कर रहे थे, इस प्रयोग को देखकर सरकारी नौकरी ही छोड़ दी और एक ही वष में वह अब नयी मोटरसाइकिल पर प्रसन्नतापूर्वक घूमते हुए दिखाई देते हैं।

दुनियादी शिक्षक का कौशल

मैं एक बार नयी तालीम के एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री द्वारा संचालित नयी तालीम की एक प्रशिक्षण-सस्था देखने गया। हम लोग बातें करते-करते एक खेत पर जा पहुँचे। इस खेत में कद्दू लगे थे। वे सज्जन बहूने लगे, "हम तो छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देकर भावी जीवन के लिए ही उन्हें तैयार करते हैं, किन्तु फिर भी सरकार हमारी नयी तालीम की मान्यता नहीं देती है।" मैंने

पूछा कि आपके इस एक एकड़ के भेत में कितना कद्दू पैदा होगा ? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, "यही, लगभग ४०० ६० का कद्दू पैदा हो जायेगा ।" मुझे उनके उत्तर से अत्यधिक निराशा हुई, क्योंकि मुझे तो २३००६० प्रति एकड़ हिस्सा से कद्दू पैदा करने का अनुभव है । इससे तो किसान ही अधिक पैदा कर लेते हैं, तो इतनी कम उपज में नयी तालीम का नयापन क्या है ? हमें काम करते समय विनोबाजी के इन कथन को सदैव सामने रखना चाहिए—“बुनियादी शिक्षक किसी भी किसान से, चुनकर से, या बढई से, कम कुशल नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा कुशल होंगे । किसान, बढई आदि को जो पीजे नहीं सूझती होंगी वे उन्हें सूझेगी । किसान, बढई आदि अपने काम में जो रफ्तार हासिल नहीं कर सकते वह रफ्तार उन्हें हासिल होगी । वह उन्हें सूझेगी । किसान की अगर अपनी रोटी हासिल करने में ८ घण्टे लगते होंगे तो बुनियादी शिक्षक कहेगा कि यह काम ४ घण्टे में हो सकता है ।”

अध्यापक के पास व्यावहारिक ज्ञान और सर्वसाधारण से अधिक कौशल होगा तभी वह दूसरो को कुछ दे सकेगा । ऐसे शिक्षक के पास बालक, युवक और वृद्ध, सभी स्वेच्छा से सीखने के लिए भागे चले आयेंगे । किन्तु वस्तु-स्थिति दूसरो ही है ।

आज अधिकांश पाठशालाओं में उत्पादन के नाम पर भरी और भोडी वस्तुओं के निर्माण को देखकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अध्यापको का सही प्रशिक्षण नहीं हुआ है । अध्यापको की योग्यता उनके प्रशिक्षण के स्तर पर निर्भर होती है । जैसा उनको प्रशिक्षण मिलेगा वैसा ही उनके कार्य एवं ज्ञान का स्तर होगा । गांधीजी ने स्वयं अनेक प्रयोग किये हैं । अपने एक प्रशिक्षण-केन्द्र के परिणामों का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं :—“एक विद्यार्थी ने १० घण्टे में ७० तोला सूत काता । १ घण्टे में ७ तोला हुआ । ५ तोला को घण्टे तो ज्यादातर विद्यार्थियों ने काता, इन सबमें से किसीको भी ५ माह से ज्यादा की तालीम नहीं मिली है ।”

आज ऐसी कितनी बुनियादी शिक्षण और प्रशिक्षण-संस्थाएँ देश में होंगी, जो यह कह सकती हैं कि उनका कोई भी शिक्षार्थी एक वर्ष के पश्चात् भी एक घण्टे में ५ तोला सूत कातने लगा हो ?

प्रशिक्षण-संस्थाओं का दायित्व

अगर प्रशिक्षण-संस्थाएँ अध्यापको में कार्य के प्रति आस्था, श्रम के प्रति निष्ठा और उद्योग में तज्जता का निर्माण कर सकें तो उससे निकलनेवाले ऐसे

शिक्षक जिस किमी भी पाठशाला में पहुँचेंगे वहाँ बालकों के साथ साथ समस्त ग्राम के प्रेरणा और भावपण का केन्द्र बनेंगे। जबतक प्रशिक्षण संस्थाओं में श्रेष्ठ अध्यापकों का निर्माण नहीं होगा तब तक विद्यार्थियों से स्वावलम्बन की भाषा करना दुरासा मात्र ही है।

सोचने की बात है कि जब अध्यापकों की बनायी वस्तुएँ निम्न स्तर की होंगी तब बच्चों के कार्य का स्तर कैसे ऊँचा उठ सकेगा? भवत हमारी एसी भावना है कि अध्यापकों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के समय अध्यापकों में निम्नांकित योग्यताओं का आ जाना निम्न आवश्यक है—

• वे काम में इतने कुशल हो जाएँ कि उनके द्वारा बनी हुई वस्तुएँ साधारण भ्रष्ट कारीगरों की वस्तुओं से श्रेष्ठ मस्ती तथा मजबूत हो।

• उनको किसी भी काम में साधारण उद्योगवालों की धपेसा कम समय लगे।

• वे उद्योग की प्रत्येक प्रक्रिया के वैज्ञानिक पहलू से पूर्ण भिन्न हो।

• उन्हें अपने उद्योग की समस्त उपक्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान हो।

• वे केवल कोरे मिस्री न बनें, वरन् उन्हें उद्योग और ज्ञान दोनों में समान दक्षता प्राप्त हो।

• जितना रुपया कच्चा माल खरीदने में व्यय हो, वह उत्पादन के द्वारा नगद रूप में निकल आये।

प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुण्डेरनर, टीकमगढ़ के प्रयोग

इन सिद्धान्तों को लेकर उद्योग प्रशिक्षण में स्वावलम्बन के धार्मिक पहलू पर राजकीय बुनियादी शिक्षा, प्रशिक्षण महाविद्यालय कुण्डेरनर, टीकमगढ़ (म० प्र०) में कई वर्षों से प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पर उन प्रयोगों का उल्लेख करना बेटी समझ में विषयान्तर न होकर लाभप्रद ही सिद्ध होगा।

कुण्डेरनर में प्रति वर्ष १२४ विभागीय अध्यापक तथा नये उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दो मुख्य उद्योग अर्थात् कृषि एवं बागवानी तथा कढ़ाई एवं बुनाई और एक सहायक उद्योग तथा अभिरुचि के रूप में कुछ सुगम उद्योग सिखाये जाते हैं। समय-सारिणी के अनुसार प्रवर्तित ३ पष्ठा उद्योग एवं ३३ पष्ठा सिद्धान्तिक विषयों का प्रशिक्षण होता है। यहाँ पर कई वर्षों से स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर गहराई से प्रयोग चल रहे हैं। कच्चे माल के खरीदने में व्यय होनेवाला रुपया

तो दो वर्ष पश्चात् ही उत्पादन की विक्री से प्राप्त होने पर राजकीय कोष में जमा होने लगा था। किन्तु १३ वर्षों में उत्पादन के स्तर व परिणाम में निरन्तर वृद्धि होने के कारण यहाँ प्रति वर्ष लागत मूल्य से कई गुना अधिक रूपया राजकीय कोष में जमा किया जाता है। सस्या के १ वर्ष के उत्पादन की निम्न तालिका से उत्पादन की हमारी स्थिति की भलीभाँति समझा जा सकता है

उद्योग	लागत मूल्य	उत्पादन का मूल्य	लाभ	राजकोष में जमा निधि	विशेष
१ बागवानी एवं कृषि	५१२६४	४६६१५५	४१७०६१	३७०५४२	१६६०६७ रु०
२ कताई एवं बुनाई	१४२२६	११२२५६	६५०३०	७३०४१	का सामान विक्री-केन्द्र में
३ अन्य उद्योग	५५३०५	१३०६५७	७५३४४	६६४०८	शेष है।
कुल	१२०८	२५७१२०	५८५१२३५	५१२६६१	१६६०६७

उत्पादन की विशेषताएँ और परिसीमाएँ

सस्या के विभिन्न उद्योग कक्षा से प्राप्त उत्पादन का समस्त सामान इसी सस्या के विक्री-केन्द्र द्वारा बेचा जाता है। निर्मित वस्तुओं के बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वे अपनी श्रेष्ठता और सस्तेपन के कारण दूर दूर तक स्थिति प्राप्त कर चुकी हैं। उत्पादन के उपरोक्त माँकड़े इस बात का ज्वलन्त प्रमाण हैं कि यहाँ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण की अवधि में निःसन्देह ही उद्योगों में पाछनीय कौशल प्राप्त कर लेते हैं उभी इतने श्रेष्ठ एवं इतने अधिक उत्पादन का होना सम्भव है।

यहाँ पर मैं एक बात विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शासकीय सस्या होने के कारण हमारी कुछ परिसीमाएँ भी हैं, जैसे कि हमें उद्योग-प्रशिक्षण हेतु बहुत ही थोड़ा रूपया मिलता है। इस थोड़े-से रूपयो से उत्पादित सामान को बेचने पर प्राप्त रूपये को राजकीय कोष में तत्काल जमा करना पड़ता है। यदि हमें विक्री का रूपया जमा न करना पड़े तो उस रूपये से हम पुनः कच्चा माल मगाकर पुनः उद्योग कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार उतने ही रूपये से एक और हमारा उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है तो दूसरी

और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कार्य करने का अवसर मिल सकता है, इससे उनकी शार्पशमता बढ़ेगी, काम में सफाई आयेगी, अपव्यय कम होना चायगा और उनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा ।

सूत कटाई उत्सव का माधुर्य

जुलाई से प्रारम्भ होनेवाले प्रत्येक सत्र का स्वागत हम सूत्र यज्ञ से करते हैं । एक धार जहाँ दूसरों ने जुलाई को प्रवेश का महीना कहा है, वहाँ हमने इसे सूत कटाई का उत्तम अवसर माना है । सस्या खुलते ही प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी, दानो ही किसान चरखे पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं । प्रत्येक अपने हाथ से रूई की तुनाई, धुनाई करके अच्छी-से अच्छी पूनी बनाता है, ताकि वह समान, साफ और पक्का सूत कातकर अपने लिए एक कुर्ता और एक पाजामा अपने ही सूत से तैयार कर सके । आमतौर से २१ गुण्डी सूत में ही प्रोमत एक कुर्ता और एक पाजामा बनकर तैयार हो जाता है । १४० चरखों की मधुर गुजार में तन्मयता के साथ सूत कातनेवालों को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है ।

जहाँ एक ओर वस्त्र-स्वावलम्बन में सभी लोग एकसाथ बैठते हैं, वहाँ दूसरी ओर कृषि-काय में भी मिलकर हाथ बँटाते हैं । भोजन और वस्त्र, दोनों ही जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, अतः दोनों उद्योगों का व्यावहारिक एवं शास्त्रीय ज्ञान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है । प्रातः ७ बजते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में गेंती, खुरपी या फावड़ा लेकर अपनी टोली के साथियों के साथ खेत की ओर चल देता है । अपने श्रम सीकरों से वे कभी टमाटर, गोभी और भटूर के पौधों को संवारते हैं, तो कभी नीबू, आम और अमरुद के पेड़ों को छान-पानी देते हैं । उनके कोशल की साक्षी देशी गुलाब के वे पौधे देते हैं, जो अपनी एक टहनियों पर लाल रंग का, दूसरों पर पीले और तीसरे पर नीले रंग का गुलाब खिलते रहते हैं । देशी आम पर दशहरी, लगड़ा और बनारसी आदि अनेक प्रकार के आमों की कलमें बाँधने में उन्हें आनन्द आता है । नीबू तथा अमरुद के पौधे बनाकर चार आने प्रति पौधे की दर से आमवासियों को बेचने में उनकी सेवा-श्रुति को सतोष मिलता है, क्योंकि विक्रम सण्ड द्वारा ये ही पौधे दो रुपये पचास पैमें में बेचे जाते हैं ।

सुगम उद्योग : साबुन और चाक

सुगम उद्योगों में साबुन का काम दैनिक उपयोगिता के कारण सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र रहता है । ठण्डी रीति से, गरम रीति से और आधी गरम

रीति से छात्र नाना प्रकार के साधुन स्वयं बनाते हैं उनका प्रयोग करते हैं और वेचते हैं। वैसे तो साधुन के अतिरिक्त सस्या में बांस, ताड़पत्ती, मिट्टी गत्ता और चित्रकला आदि सहायक उद्योग भनवरत रूब से गिणन का धेद्र बन रहते हैं किन्तु चाक बनाने का काम आम की दृष्टि से सामकारी होने के कारण बहुत अधिक चलता है। प्रत्येक आयु और प्रत्येक कक्षा के बालक चाक बनाने के काम को करते हैं। मिट्टी का घोल बनाना, सचि भरना, चाक सुखाना डिन्य बनाना प्रत्येक डिल्ले म १०० चाक गिनकर भरना और डिब्बे की पैकिंग करना आदि भिन्न बायों की प्रायमिक तथा माध्यमिक शालाषा के छात्र बडी रचि से करते हैं। जब छात्र ४० मिनट के एव घण्टे में चाक बनाने का कोई भी काम करता है तो उसे इस काम के लिए पारिश्रमिक रूप में १० पैस मिल जाते हैं, यह पैसे उसके मध्यमांतर आहार पर व्यय किये जाते हैं।

यहाँ पर मैं इतना उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि इतना काम करते हुए इस सस्या के प्रशिक्षणार्थी मण्डल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा में सबप्रथम स्थान प्राप्त करके विनोबा के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि 'कर्म से तपी हुई बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने की सदैव तैयार रहती है।

उद्योग-प्रणाली की विशेषताएं

वैसे तो सस्या का सम्पूर्ण जीवन-मूळ ही शिक्षा है किन्तु यहाँ सस्या के उद्योग शिक्षण प्रणाली का विवरण देना ही उचित होगा —

- सस्या में प्रत्येक उद्योग की सम्पूर्ण क्रियाओं का प्रशिक्षणाधियों को पूर्ण अभ्यास कराया जाता है। उदाहरणार्थ कताई में धेती से लेकर बस्त्र बुनने की समस्त क्रियाएँ अर्थात् कपास का बुनाई घुनाई, पूना बनाना, कताई, बँटाई, रगाई ताना टालना, बय भरना, कंधी करना आदि का समावेश है।

- प्रत्येक उद्योग में काय-क्षमता की निम्नतम सीमा निर्धारित है। साधारण शिक्षार्थी को इतना अभ्यास करना आवश्यक है कि वह सुगमता से निर्धारित काय क्षमता का अभ्यासी हो जाय।

- अपने उपयोग-सम्बन्धी समस्त सामग्री व साज-सज्जा की मरम्मत और सुरक्षा का व्यावहारिक अनुभव प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अनिवार्य है — जैसे कि बुनाईवालों को डूम खोलना, फिट करना और अगर कोई साधारण सा हिस्सा टूट गया है तो उसकी मरम्मत करना। इसके लिए बुनाईवालों को काष्ठबली का काम अभिरुचि के तौर पर सिखाया जाता है।

• प्रत्येक उद्योग के लिए एक निश्चित भवधि में उत्पादन की न्यूनतम सीमा निर्धारित है। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी के कार्य की क्षमता में वाञ्छित गति आ जाय, अन्यथा वह उत्पादन की निर्धारित सीमा को पूरा न कर सकेगा।

• उत्पादन की श्रेष्ठता का स्तर न गिरने पाये, अतः यह निश्चित कर दिया गया है कि अमुक उद्योग में, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी (जो उद्योग को सीखेगा) को कम-से-कम अमुक मूल्य का उत्पादन पूर्ण सत्र में या अमुक भवधि में अनिवार्य ही करना होगा।

• ज्ञान के विराम तथा प्रेरणा के लिए प्रशिक्षणार्थी का अपने-अपने उद्योगों का सर्वेक्षण करने तथा विशेषज्ञों की कार्यप्रणाली का अवलोकन करने हेतु मरबारी एवं गैरसरकारी प्रयोगशालाओं के साथ-साथ उद्योग करनेवाले कारीगरों के घर और दुकानों पर जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ उनमें कार्य में रुचि एवं स्वाभिमान उत्पन्न होता है।

संस्था के उद्योगों की प्रयोगशालाओं की बुजियाँ प्रशिक्षणार्थियों के ही पास रहती हैं, अतः वे अवसर मिलने पर स्वेच्छा से प्रयोगशालाओं का उपयोग करते हैं। इससे उत्पादन और कार्य-क्षमता बढ़ने के साथ-साथ उनके मन में संस्था के प्रति अनुराग और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का निर्माण होता है।

• यहाँ पुनर्जागरण से दिसम्बर तक, प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग का अभ्यास कराया जाता है, और शैक्षणिक ज्ञान दिया जाता है। इस अवधि में जब वे उद्योग में पूर्ण दक्ष हो जाते हैं तब अध्यापन-अभ्यास का कार्य जनवरी से प्रारम्भ किया जाता है। क्योंकि हमारी धारणा है कि प्रशिक्षणार्थी को उद्योग में दक्षता, उसका समस्त समवायी ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करा देने के पश्चात् ही उसे अध्यापन-अभ्यास के लिए, पाठशालाओं में भेजा जाय। जब तक प्रशिक्षणार्थी इतनी पूर्वतयारी न कर ले तब तक उसे कक्षा में अध्यापन-अभ्यास के लिए भेजना अनुचित है। क्योंकि अनभिज्ञ प्रशिक्षणार्थी से बालको का और उसके स्वयं का समय और जीवन नष्ट होगा।

इन प्रयोगों के आधार पर, हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि अनुकूल वातावरण में प्रयत्न किया जाय तो बुनियादी शिक्षा द्वारा पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त किया जा सकता है।

आर्थिक वातावरण और समवाय

वशीधर श्रीवास्तव

बालक का सामाजिक वातावरण समवाय का अक्षय स्रोत है। अतः सामाजिक वातावरण से समवायित कर पढाया जाय तो समवाय की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। बाहर जो प्रकृति का ससार है, इसके अलावा मनुष्य का एक और दूसरा ससार भी है। यह वह ससार है, जिसे उसने पाया नहीं, बल्कि स्वयं बनाया है। यह ससार उसका समाज है। मनुष्य का समाज उसकी समस्त ऐतिहासिक, भौगोलिक, नागरिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का पूँजीभूत मूर्तिमान रूप है। इन संस्थाओं का अध्ययन बालक के लिए उसके अपने जीवन का अध्ययन ही है, क्योंकि ये उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। बालक अपने सामाजिक वातावरण से उसी प्रकार घिरा रहता है, जैसे उस प्राकृतिक वातावरण से जिसमें वह साँस लेता है। दोनों ही उसके जीवन का पोषण करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बालक अपने सामाजिक वातावरण को समझे वृद्धे और सामाजिक संस्थाओं के उद्भव और विकास की कहानी जाने।

समाज के क्रियाकलापों में सबसे महत्त्वपूर्ण वे क्रियाकलाप हैं, जिनका सम्बन्ध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है। अपनी नित्यप्रति के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योग-धन्धों में लगा रहता है। बालक इन उद्योग धन्धों के माध्यम से बहुत सा उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन उद्योग धन्धों के विकास की कहानी मानव-सभ्यता के विकास की कहानी है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय तो अत्यन्त रोचक ढंग से बहुत उपयोगी ज्ञान बालकों को दिया जा सकता है और सामाजिक ढंग से अनेक विषय पढाये जा सकते हैं।

आर्थिक विकास की प्रारम्भिक सीढियाँ

प्रारम्भ में मनुष्य के आर्थिक समाज का रूप बहुत सरल था। मनुष्य पहले माखेटक था। पशु-पालन सीखने के बाद गो चारण उसका धंधा हुआ, भेती के आविष्कार के बाद वह किसान बना और पाले हुए पशुओं की सहायता से खेती करने लगा। खेतों के बीच में उसने छोटे-छोटे गाव बसाये। पहले वह खेती, गोपालन, बतारुई बुनाई, बतन बनाना आदि सब धंधे स्वयं करता था। फिर श्रम विभाजन हुआ और इन धंधों के करनेवालों का अलग वर्ग बना। मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये नये धंधे प्रारम्भ हुए। बनिये का एक नया धंधा शुरू हुआ। यह वर्ग स्वयं उत्पादन नहीं करता था। दूसरों की बनायी हुई या पैदा की हुई चीजों को एकत्र करके उस स्थान पर ले जाता था, जहाँ उसकी आवश्यकता होती थी। कालांतर में इसी वर्ग का विकास पूँजीपति वर्ग में हुआ। भूमि पर अधिकार करके दामो या मजदूरों को रखकर खेती कराने का धंधा भी प्रारम्भ हो गया और जमींदारों का एक नया वर्ग बना।

१८ वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति के बाद मनुष्य का समाज पहले से बहुत जटिल हो गया। अब तक उसका समाज छोटे-छोटे गाँवों का समाज था। क्रान्ति के बाद यत्रचालित बड़े बड़े उद्योगों के चाबू होने पर उन्हींके चारों ओर मनुष्य के बसने से बड़े-बड़े नगर बसे और परम्परागत पुराने वर्ग-सम्बन्धों का विपटन हुआ और नये नये वर्ग बने।

आज के सकुल समाज की आवश्यकताएँ

फलत आज का समाज देहाती और नगरों का एक सकुल समाज है। इस समाज की मुरदा की आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था मनुष्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। फिर मनुष्य को रोटी से अधिक कुछ और चाहिए। संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म उसकी इसी इच्छा के परिणाम हैं और उसकी मानवता के प्रमुख लक्षण हैं। यही उसे पशु से अलग करते हैं।

इन मानव समाज की सारी सकुल जटिलता—आज के बालक को दाय के रूप में मिली है। उसको इसे समझना-बूझना है, इस प्रगति के साथ उसे अपने को संचालित करना है। जब तक वह ऐसा नहीं कर पाता, वह समाज की प्रगति में योगदान नहीं कर सकता, जो उसका परम पुनीत कर्तव्य है। यहाँ समाज को इसी दृग से समझने बूझने की चेष्टा की गयी है। ज्ञान देने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार की इकाइयों में बाँटकर पढाया जाय तो ज्ञान प्राप्ति का कार्य अधिक व्यवस्थित होगा

- १-व्यवसाय और धन्धे-
मुख्य और सहकारी ।
- १-अमण और निरीक्षण—
२-धन्धा करनेवालों से सम्पर्क स्थापित करना और उनसे बात-चीत और साक्षात्कार ।
- ३-समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा इन धन्धे के विषय में भाषण ।
- ४-डायरी भरना और विवरण लिखना ।
- ५-सर्वेक्षण-चाटें और फार्म भरना ।
- १-समुदाय के प्रमुख धन्धे-सहकारी धन्धे-इनके विकास की कहानी । अम-विभाजन । धन्धों के आधार पर जाति और वर्ग का विकास ।
- २-समाज में विभिन्न धन्धे करनेवालों की स्थिति-आर्थिक और सामाजिक ।
- (क) खेतिहर ।
(ख) जमींदार अथवा भूमिघर ।
(ग) पुजानदार ।
(घ) शिल्पकार ।
(च) श्रमिक ।
(छ) साधु और पुजारी ।
(ज) भिक्षुक ।
- इनका परस्पर सम्बन्ध—शोषित और शोषक के दो प्रधान वर्ग । लोकतंत्र में इनके सम्बन्धों में परिवर्तन-समाजवाद का सकाजा—सर्वोदय का लक्ष्य ।

२-दरयो में काम आनेवाले
बच्चे माल और भोजन ।

सर्वेक्षण और अध्ययन

१-प्राप्ति के साधन आयात-निर्यात गाँव और शहर ।
२-वर्ष-वर्ष की सस्यारें—

(अ) प्राचीन जमीदार-साह्यार ।

(ब) नवीन उद्धाररी समितियाँ, बैंक-वीमा कम्पनियाँ,
इलकी कायं-प्रणाली ।

१-(अ) जमीदार और रिमान—मालदूर-शोधन ।

(ब) बनियाँ और किसान—गुनाफाखोटी ।

(स) आयात-निर्यात, गाँव और शहर ।

वितरण और विनिसय में विपमता—विपमता के
दुष्परिणाम—दूर बरने के प्रयास ।

आर्थिक सस्यारें

आर्थिक सस्यारें

अध्ययन के लिए क्रियाएँ

समवाचित ज्ञान

१-सहकारी समितियाँ ।

२-बैंक ।

३-शिवन वीमा कम्पनियाँ ।

१-सूखे में बात सहकारी समिति

और माल सहकारी बैंक का संगठन

करना ।

२-सस्यारों का निरीक्षण और सर्वेक्षण

१-सहकारिता के भान्दोलन का इतिहास ।

(अ) सहकारिता से मानव मसृति का प्रारम्भ, सहकारिता

के भिन्न-भिन्न रूप, उत्पादन में सहकारिता का

उत्योग प्राक्टि युग-नृपि युग-गाँवों में और आदिम

जातियों में इस्काण हन ।

(ब) सहकारिता का आधुनिक ग्रान्दोलन ।

समाजवाद और लोकतंत्र के विकास से ग्रान्दोलन को बल—सहकारी समितियाँ समाजवादी व्यवस्था का अनिवार्य अंग—उपभोक्ता समितियाँ ।

२-बैंक—सश्रु मनुष्य की आदिन प्रवृत्ति सहकारी बैंक-आधुनिक बैंक व्यवस्था ।

३-स्कूल में बच्चों को उपभोक्ता सहकारी समिति और बाल बैंक का संगठन ।

४-जीवन बीमा कम्पनियाँ—बुद्धावस्था के लिए निश्चिन्तता का बीमा कार्यप्रणाली का अध्ययन ।

५-कृषि के आधुनिक फार्म । निरीक्षण और सर्वेक्षण ।

श्रीद्योगिक चान्ति, आधुनिक यत्र और टेकनालोजी की देन—
१-मानव की वैज्ञानिक प्रगतिके परिणाम, प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, शोषण और मुनाफाखोरी, कारखाने और मिलें, पने भावादीवाले शहरो के केन्द्र, छोटे छोटे गाँवों की दस्तकारियो और उद्योगों द्वारा विकसित भाईचारा, सहकारिता और सहिष्णुता, प्रेम आदि जीवन-मूल्यो का हास, रक्षित स्वार्थ को वृद्धि ।

२-कारखाने और मिलें ।

२-विकेन्द्रीकरण—प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों और विज्ञान तथा टेक्नालॉजी के बीच का समसौदा—विकेन्द्रीकरण से लाभ ।
सर्वोदय और प्रामस्वराज्य में इतना रूप ।
धैतिक शिक्षा और विकेन्द्रीकरण ।

सामाजिक सस्याएँ

सामुदायिक—शासकीय—लोकसेवा सम्बन्धी और नीचणिक

सस्याएँ

अध्ययन हेतु क्रियाएँ

समवायित ज्ञान

सामुदायिक—
हुटुम्ब (परिवार) कबीला,
जाति, समुदाय, समाज, राष्ट्र ।

१-घर घर घूमकर निरीक्षण ।

१-हुटुम्ब (परिवार) आदि सामुदायिक इकाई—हुटुम्ब की सख्या का विकास—कबीला, जाति समुदाय समाज-राष्ट्र आदि ।

२-गाँवों में लोकगीत, लोकनृत्य, कथा, संगीत, और मजल, कीर्तन का आयोजन ।

२-विभिन्न जातियों का सांस्कृतिक परम्पराएँ—जन्म से मरण तक । इसमें लोकगीत, लोकनृत्य, कथा-वार्ता का स्थान, स्वस्थ परम्पराएँ और ग्रन्थविश्वास, समुदाय का सपटन और विघटन ।

३-सर्वेक्षण—साक्षात्कार और बातचीत—
प्रश्नावली और सूची ।

प्रादेशीय-शासन सुरक्षा और
न्याय । १-निरीक्षण ।

१-मुखिया, जमींदार, सामन्त, राजा, राजाधिराज (सम्राट)
राजतन की नहानी ।

२-सर्वेक्षण ।

२-पचायत—पचायत की संस्था—भावश्यकता और विकास-
विरादरी की पचायत, गाँव पचायत, स्थानीय परिषद्
(जिला परिषद्, नगरपालिका और नगरमहापालिका)
विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, इनकी
कार्य प्रणालियाँ ।

३-संस्था के अधिकारियों और कार्य-
कर्ताओं के वर्तव्यों और अधिकारों
का व्यावहारिक अध्ययन ।

३-विधायक—अधिवारी वर्ग, चौकीदार, पटवारी, कानूनगो,
तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर,
इनके कर्तव्य और अधिकार ।

४-अध्ययन प्रस्तावकी और सुची विव-
रण लिखना, चार्ट, ग्राफ, चित्र
मानचित्र आदि बनाना ।

४-पचायत—कचहरी, दीवानो, फौजदारी, हाईकोर्ट, सुप्रीम
कोर्ट, अन्तरराष्ट्रीय कोर्ट, इनकी कार्य-प्रणालियाँ ।

५-संगठन और कार्य प्रणाली का
अभिनय ।

५-शासन का केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण—राजतन्त्र और
लोकतन्त्र, शासन-मुक्त समाज ।

१-संगठन का अध्ययन, साक्षात्कार और वाचस्पीत द्वारा ।

१-गुलिस की आवश्यकता—

गुलिस संस्था के विभिन्न युगों में विभिन्न रूप—संस्था के विकास की बहानी—अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम-संस्था का निर्माण—क्यों ?

२-वर्मधारियों के वर्तव्यो और अधिकारो का अध्ययन—प्रस्तावली और सूची द्वारा ।

२-गुलिस का संगठन—कर्मचारियों के वर्तव्य मोर अधिकार । तगरों में ट्राफिक्ट गुलिस । गाँवों में चौकीदार-दस्ता-कोतवाली-गुलिस लाइन ।

३-पोस्टर, चित्र और बार्ट वगना ।
४-धार्मिक अभिनय द्वारा धार्मिक प्रणाली का अध्ययन करना ।

३-गुलिस विभाग में भ्रष्टाचार सुधार के उपाय ।

१-कौज की आवश्यकता—

विभिन्न युगों और देशों में सेना संगठन के विभिन्न रूप ।
यूनान, रोम और इंग्लैंड ।

२-भारत का प्राचीन सेना-संगठन—पैदल, हथदल, गजदल, रथदल—महाभारत की प्रसिद्धिणी सेना ।

३-मुस्लिम काल में सेना का संगठन—तोपखाना-जलसेना, मनसबदारी ।

- ४-प्रवेष्टा द्वारा सेना का पुनर्संगठन—शुद्ध पुस्तकार,
 बद्धों और तोपों, जलसेना, वायुसेना, नये प्रयोगक—
 प्रणवम ।
 ५-सेना की तैयारी—पूरे समय का कामचुनियमित चरक—
 नैतिक शिक्षा के लिए नैतिक स्कूल—नैतिक अनुशासन ।
 ६-शांति-काल में सेना का उपयोग—प्रहितक समाज और
 सेना, शांति सेना ।

सोमसेना की समस्याएँ

जनश्लाघ्य, संवर्धन यातायात, शिवा

१-२। समाप्त

- महाभारत की भाष्य प्रणाली का १-मनुष्य का स्वास्थ्य—शरीर देवता का मन्दिर । आरोग्य
 अध्ययन ।
 १-स्वयं देवता, निरीक्षण, साक्षात्कार
 और कर्मचारियों से बातचीत
 करके ।
 २-महाभारत के प्रमुख कर्मचारियों के २-जनशास्त्र तथा विषय की पहचान ।
 बूढ़ों और शल्यक्रिया ।

व्याख्यान सुनना और उनके विवरण लिखकर ।

३-कार्यप्रणाली से सम्बन्धित चार्ट, पोस्टर, चित्र और माडल बनाकर ।

४-इसका आयोजन स्कूल में योजनाओं के रूप में करके ।

५-धार्मिक अभिनय द्वारा ।

६-इससे सम्बन्धित साहित्य पढकर ।

१-मौर्य युग में मनुष्यों और पशुओं के चिकित्सालय । वीढ धर्म से चिकित्सान्कार्य को प्रेरणा—हिन्दू काल के

प्रसिद्ध वैद्य घन्वन्तरि-जीवक, सुश्रुत और चरक, हिन्दू युग का माल्य-शास्त्र ।

२-मुसलिम काल—यूनानी पद्धति-हकीम-शाफातानि-भकवर-नामा मे दरबारी हकीमो की चर्चा ।

३-अंग्रेज काल—डाक्टरो चिकित्सा हाबटर-अस्पताल, ईसाई-मिशनरियो का चिकित्सा कार्य में योगदान ।

४-जन-स्वास्थ्य विभाग का सगठन—प्रादेशिक केन्द्र में निदेशन और उपनिवेश, प्रत्येक जिले में अस्पताल के सिविल सर्जन और उनके सहायक डाक्टर । जिला स्वास्थ्य अधिकारी ।

५-अस्पताल में एक दिन अस्पताल के परिचारक और परिचारिकाएँ सेवा का क्रम । अष्टाचार और सुधार की योजनाएँ ।

१-सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्य—सड़क और पुल-निर्माण, सिंचाई के लिए नहरें बनाना, भवन-निर्माण, बाँध और हाईड्रोएलेक्ट्रिक का काम आदि ।

२-सार्वजनिक निर्माण विभाग

- ३-संगठन—चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, प्रोवरासियर, आदि; इनके कर्तव्य और अधिकार ।
- ३-कर्मचारियों का प्रशिक्षण—इंजीनियरिंग कालेज और प्राविधिक संस्थाएँ (पोलिटैकनिक्स), प्रवेशके नियम ।
- ४-इंजीनियरिंग कालेज में एक दिन ।
- ५-सार्वजनिक विभाग की कार्य-प्रणाली—मध्यस्थ ठीकेदार—भ्रष्टाचार, मुधार के उपाय । पूरे काम का राष्ट्रीयकरण—कठिनाइयाँ । विक्रेन्द्रीकरण—पंचायतों और स्थानीय परिषदों के पास सार्वजनिक विभाग के काम—विकेन्द्रीकरण के परिणाम ।
- ६-संस्था के विकास की बहानी—राज्यों द्वारा सेवा के शाने-जाने के लिए सड़क और पुलों का निर्माण, संस्था का आदिम रूप । प्राचीन भारत—मौर्य और गुप्त काल के राष्ट्रपथ, उन पर बनी सरकारी धर्मशालाएँ । सिचाई के लिए नहरें । राजपथ और पुलों का निर्माण—कला में रोमन साम्राज्य का भ्रूवें योगदान, मुस्लिम काल की सड़कें और नहरें । सड़कों पर बनी सरायें, शक के लिए पड़ाव ।

७-अग्नेजों के काम में वैज्ञानिक पुलो और पक्की सड़कों की व्यवस्था—इस काम के साथ नहरो, मवन निर्माण आदि के लिए अलग विभाग का निर्माण । कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्राविधिक मस्याएँ ।

१-डाक की मस्था का विकास—अत्यन्त प्राचीन काल की प्रथा—दूरबारा द्वारा—शीघ्रता के लिए पोडो और जँटो का प्रयोग । बूतरोँ का प्रयोग—विशेषत युद्ध के समाचार के लिए । दसयन्ती का राजहस । मुगलिन काल में डाकव्यवथा—शेरशाह और अकबर । डाक से जमेवाले घुदसवार । अग्नेजो के समय में रेल के आधिकार से डाक की व्यवस्था मे प्रान्ति ।

२-डाक तार टेलीफोन, वेतार का तार, रेडियो, टेली-विजन । इनके आधिकारको की कहानी—इनके आविष्कार के परिणाम ।

३-पोस्ट आफिस की कार्यप्रणाली । पोस्ट आफिस मे एक दिन ।

४-पोस्ट आफिस के कर्मचारी—उनके कर्तव्य-अधिकार ।

५-गाँव का डाकखाना ।

युगो युगो मे यातायात का विकास—

३-सचरण

४-यातायात

१-यातायात के साधन—

(क) स्थल पर—पशु और गाड़ी साइकिल, रेल और मोटर ।

(ख) जल में—बैठा, नाव, और जहाज—डॉक, मस्तूल और पाल का प्रयोग—इजन से चलनेवाले आधुनिक जहाज ।

(ग) आकाश में—गुब्बारे और वायुयान । अंतरिक्ष-यान । शत्येक के विकास की कहानी ।

२-रेल के इजन के आविष्कारक—जेम्स वाट और जान स्टीफेसन ।

३-वायुयान के आविष्कारक—राइट बन्धु ।

४-अंतरिक्षयान अंतरिक्ष यात्री—रूस के, अमेरिका के ।

५-रेलवे स्टेजन की कार्यप्रणाली—सवारों गाड़ी और मालगाड़ी ।

६-रेलवे कर्मचारी—उत्तरदायित्व और अधिकार ।

७-रोडवेज—एक मोटर का कारखाना ।

८-यातायात की व्यवस्था—यातायात का राष्ट्रीयकरण—रेल

और हवाई जहाज का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण—रोडवेज का अंशतः ।

९-हवाई प्रवाह—हवाई जहाज से यात्रा ।

संस्थाएँ

क्रियाएँ

समवायित ज्ञान

मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे,
गिरजाघर, मठ और अलाडे ।

१-संस्थाओं का निरीक्षण और

इन संस्थाओं का विकास-

सर्वेक्षण ।

१-मनुष्य को रोटी से भी अधिक कुछ चाहिए—मादिम
श्रीसाई, टोता, जादू, मंत्र तंत्र, टोटमवाद-श्रीसाई-
और मन्त्रतंत्र श्रौचधि और धर्म के प्रादिम रूप ।

२-संस्थाएँ ।

२-श्रीभक्त-वाचिक-पडे गुजारी, पादरी और मुल्ला प्रादि
को समाज को आवश्यकता और समाज में उनकी
स्थिति । जीवन से भरण तक के विभिन्न सस्तरों के
संरक्षक । मानव के आदिमक संतोष के साधन ।

३-इन संस्थाओं का मानव संस्कृति के विकास में ह्राप-
लिखने-पढ़ने की कला, चित्र-कला, मूर्ति-कला, स्थापत्य
कला, साहित्य, गणित और विज्ञान के उद्गमस्थल
और प्रेरणाकेन्द्र—विभिन्न युगो—वेदीलोनिया, मित्र
और भारत के उदाहरण ।

४-मन्दिर, मसजिद, गिरजा प्रादि शिक्षा के केन्द्र—इस
शिक्षा में इनकी देन—भारत की पाठशालाएँ और
मकतब ।

५-देव सम्पत्ति की घरोहर—मठा में विशान धन सम्पत्ति का सग्रह—सम्पत्ति और वित्तसिवा मठाधीशो का जीवन—उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया और आन्दोलन ।

६-इत सस्थाओं के जीवन का अध्ययन—इतकी चत प्रचन सम्पत्ति और शक्ति का शोकात्म्यकारो कर्षों में उपयोग—विभिन्न मास—इस दिशा में आधुनिक प्रयास ।

१-सांस्कृतिक सस्थाओं का महत्व—इतके काय लोकगीत, शोक नृत्य शोककथा लोककथा, शास्त्रीय संगीत, और नृत्य, नोटकी, स्वाग, यात्रा, मुक धर्मिनय, छाया अभिनय, अभिनय ।

२-संगीत, नृत्य और अभिनय के विकास की कहानी—लोक कला, शास्त्रीय कला का आदिम रूप । इन कलाओं के मूल में धर्म और धर्म की भावना । कला के उद्गार और अभिव्यक्ति—प्रादिमवासियों का नृत्यगीत और धर्मिनय, उनके दैनिक जीवन का अनिन्न भ्रममात्र शृङ्गार नहीं—मात्र रजन भी नहीं ।

१-इत सस्थाओं की काय प्रणालियों का छात्रा द्वारा निरीक्षण ।

२-इतका स्फूर्ति में संगठन । रगमच का निर्माण, वस्त्र और

वेकानूपा की व्यवस्था, पेंटिंग और ड्रेसिंग, गीत, नृत्य और अभिनय

का रिहयन । दलकों को नियंत्रण देना और इतका स्वागत, उनके दलने

वा प्रवर्धन । गीत नृत्य प्रथवा धर्मिनय का कार्यक्रम ।

१-सांस्कृतिक संस्थाएँ—
(क) संगीत और नाटक मर्मितियाँ ।

(ख) लोक संस्त्रनि उप ।

(ग) साहित्य गोष्ठियाँ ।

(घ) प्राधुनिक कला ।

३-कठपुतली नृत्य के लिए विषय चुनना और तदनुसार कठपुतलियाँ बनाना—उनके लिए वस्त्र और आभूषण बनाना, नृत्य के लिए रंग-मंच बनाना । कठपुतली नचाने का अध्ययन करना, दर्शकों के बैठने का प्रबन्ध करना—कठपुतलियाँ नचाना ।

२-रंजनात्मक

१-इनका स्तूतियों में संगठन ।
२-इनका गाँवों में संगठन ।

३-लोकसंस्कृति और नागरिक संस्कृति—लोकसंस्कृति की रक्षा की आवश्यकता—उसके लिए कार्य ।

४-स्कूलों में सांस्कृतिक समितियों, गोष्ठियों और क्लबों की स्थापना—उनके लिए विधान बनाना और उनकी नियमित बैठक करना ।

५-कठपुतली का नृत्य—

कथा, गीत और नृत्य का सम्मेलन—कठपुतली नृत्य भारत की प्राचीन लोककला—साहित्यिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख । कठपुतली नचानेवालों का जीवन—उनके नृत्यों के विषय—कठपुतली नचाने की नयी शैली—स्तूतियों में श्रव्य दृश्य—साधन के रूप में व्यवहार ।

१-भारतीय खेल—कबड्डी, कूतली, मसखम, मुश्कर फेरना, दगल ।

विदेशी खेल—हॉकी, फुटबाल, बालीबाल, वेडमिंटन, टेनिस, टेबुल टेनिस, त्रिनेट आदि ।

खेलने का नियम—घन्तविद्यालय और घन्ततंत्सा, घन्त-प्रतिष्ठक प्रतियोगिताएँ—घन्तघोषम प्रतियोगिता ।

२-घोषनात्मक प्रतियोगिताएँ—घोषनात्मक की बहानी ।•

बालक के विकास में सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्त्व का स्थान

श्रीमती मंजु श्रीवास्तव

व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास सामाजिक वाता-
वरण में होता है। सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही उसका
व्यवहार या आचरण होता है। किसी कार्य के बार-बार करने से अभ्यास या
आदत बन जाती है। सामूहिक अभ्यास या आदत व्यवहार, रीति अथवा चलन
बन जाते हैं। समाज के लोग इन्हे किसी बाधा या विचार के बिना मान लेते
हैं। कालान्तर में यही परम्परा बन जाती है। रीति या परम्पराएँ समाज के
प्रतिष्ठित नियम हैं, जिन्हे समाज में यथायं जीवन बिताकर तथा अनुभव करके
व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है। परम्परा ही समाज के वर्तमान और
भविष्य के सदस्यों को एक मूत्र में बाँधने का काम करती है।

होती हैं। सामाजिक वातावरण में प्रतिरोध के भवसर कम होते हैं। कभी-कभी ग्रन्थियों तथा मासपेजियों की कार्यक्षमता अधिक बढ़ जाती है और भावश्यकता पडने पर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करने को तत्पर हो जाता है। देश, राष्ट्र अथवा समाज के आपत्कालीन परिस्थिति में साहस, त्याग बलिदान के लिए स्वतः प्रेरित हो जाना इसीके उदाहरण हैं। सामान्यतः व्यक्ति समाज में दूसरों की भावनाओं और विचारों से प्रभावित होता है। सामाजिक परम्पराएँ व्यक्ति के आचार, व्यवहार बनाने उनमें आवश्यकीय सुधार करने, उसको सतत रहने तथा पारस्परिक समजन की शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभाव-शाली माध्यम है। व्यक्ति जब समाज के आदर्श और परम्पराओं को ग्रहण कर लेता है तो वह एक प्रकार की सुरक्षा का अनुभव करते हुए निश्चिन्त रहता है। वह जीवन में सुख, आनन्द पाने लगता है। स्वास्थ्य की उन्नति विकास हेतु धखाडे, क्लब, व्यायामशाला, खेल कूद प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं।

संस्कृति की सामाजिक देन

समाज के रीति-रिवाज, प्रथाएँ, नियम, आदर्श, अन्ध-विश्वास, मान्यताएँ, धर्म, भाषा, वेष-भूषा, कला, मनोरंजन, शिक्षा आदि सभी की समष्टि का नाम संस्कृति है। संस्कृति ही समाज में उन विशिष्ट सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है जिसमें पलकर व्यक्ति उस समाज की मान्यताओं के अनुसार आचरण करता है तथा प्रवृत्तियों और भावनाओं को अपनाता है। आचरण करने के ढंग तथा आदतों का नियंत्रण भी संस्कृति पर आधारित होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण, सवर्गों को व्यक्त करने का ढंग, उसकी भाषा और विस्तृत-प्रणाची संस्कृति द्वारा ही नियमित एवं निर्धारित होती हैं। विशेष संस्कृति के अनुसार किसी देश की एक विशिष्ट वेष-भूषा, लोक-नृत्य तथा व्यायाम की पद्धतियाँ होती हैं। शारीरिक संस्कृति के अन्तर्गत शरीर चर्चा, पर्यटन, देशाटन, विशेष फलुओं में विशेष भोजन का सेवन इत्यादि की व्यवस्था रहती है।

सामाजिक प्रथाओं को रीति-रिवाज कहते हैं। शरीर-सम्बन्धी विभिन्न रीति-रिवाज जैसे पर्वों पर स्नान, उपवास, स्नाने और उपासना के पहले हाथ-पैर धोना तथा भोजन का तरीका प्रचलित है, जिनके पालन से स्वास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है। जब रीति-रिवाज अधिक स्थायी होते हैं, तो परम्पराएँ बनती हैं। व्यायाम, ब्रह्मचर्य इत्यादि स्वस्थ परम्पराएँ हैं। परम्पराओं के कारण ही अन्धे आचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक

जाते हैं। परम्पराओं के परिणामस्वरूप आदतें बनती हैं। प्रत्येक समाज का अपना भोजन करने का, स्वच्छता का तथा अग-संचालन का स्वीकृत ढंग होता है। इन आदतों का प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है।

विद्यालयी जीवन की प्रतिक्रियाएँ

विद्यालय तो समाज का एक लघु रूप होता है। वहाँ बालक के बाह्य आवरण, हृदयगत भावनाएँ, प्रवृत्तियाँ तथा आदर्श विद्यालय के सामाजिक वातावरण के प्रभाव से बदलते तथा दृढ़ होते हैं। धीरे धीरे बालक विद्यालय के सामाजिक वातावरण का नैतिक समर्थक बनकर अन्य साथियों के अनुसृत बन जाता है। नम्रता, दूसरों से सीखना और अधीनता स्वीकार कर लेना, बचपन से ही सामाजिक परम्पराओं और रीति रिवाजों के बन्धन में रहने के कारण ही आते हैं। यह भी देखा गया कि कुछ बालक विद्यालय की सामाजिक व्यवस्था की उपेक्षा करते हैं या विद्रोह भी करते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएँ कभी-कभी विद्यालय-जीवन में प्रकट होती हैं और कभी-कभी आगे आनेवाले जीवन में। कुछ बालक अपनी मानसिक कमजोरी के कारण विद्यालय की परम्पराओं को बाहरी तौर से तो पालन करते हुए दिखाई देते हैं, परन्तु अपने भीतर-ही-भीतर वे उनसे दूर रहते हैं। उदासीन, शान्त, और नीरस बालक इसके उदाहरण हैं। ऐसे बालक आगे चलकर जनतंत्रवादी जीवन के विरोधी होकर समाज और राष्ट्र के असामाजिक तत्व बन जाते हैं।

सामाजिक प्रवृत्तियों, जैसे खेल, अनुकरण, सहानुभूति आदि के सम्पूर्ण विकास का क्षेत्र विद्यालय-समाज है। यहाँ के सामाजिक जीवन में रुचि लेकर बालक अपनी योग्यतानुसार सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना सीखता है तथा सहयोग और आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ स्पर्धा की भावना का विकास होता है। सामाजिक क्रियाएँ ही उसकी प्रतिरिक्त ऊर्जा या शक्ति के निवास का मार्ग हैं। वे उसकी बुराईयों का रचन करके उचित मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं।

बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय समाज का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ समाज की संस्कृति और परम्पराओं की झलक मिले। यहाँ वास्तविक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करके बालक को सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय ढंग से भाग लेने के लिए अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। विद्यालय की रुचि, उद्देश्य, और कार्य प्रणाली बाहर के वास्तविक समाज के अनुरूप हो, जिससे बालक विद्यालय में यथायं जीवन बिताकर मविष्य में सामाजिक जीवन बिटाने के योग्य बन सके।

पुस्तकालय : आपका अभिभावक

पुस्तकें : आपकी मित्र

परमानन्द दोषी

अपने जीवन को सतुलित, नियमित श्रमबद्ध और अपेक्षित ढंग से विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अभिभावक की आवश्यकता होती है। अभिभावक जो उसे पथ निदर्शन प्रदान करता है मार्गदर्शन देता है और उस पर सतत नियंत्रण रखकर उसे भटकने-बहकने से रोकता है। उसका मन भ्रम न जाय चित्त चंचल न हो जाय मस्तिष्क प्रियमाण न हो जाय उसके पाँव कुटीव न पड जाय, उसके जीवन विकास की गति मन्द न पड जाय इसलिए हर व्यक्ति का अभिभावक उसे सचेत और सखरदार करता है।

पुस्तकालय आजीवन अभिभावक

यह अभिभावक कौन हो सकता है? माँ बाप चाचा-मामा शिक्षक रिश्तेदार बिरादर तथा इमी प्रकार के अन्य लोग या तो सभी के सभी। पर आपने कभी सोचा है कि हाड-मांस के नरीरधारी मानव के अतिरिक्त अग्य कोई भी आपका अभिभावक बनने का अधिकारी हो सकता है? जी हाँ पुस्तकालय भी आपका अभिभावक ही है। वह किसी काल विशेष तक का ही मर्यापी अभिभावक नहीं वरन् जीवनभर का अभिभावक है वह आपका। आप ज्यों-ज्यों बड़े होने जायेंगे आपकी बुद्धि ज्यों-ज्यों विकसित होती जायेगी आपका मस्तिष्क ज्यों-ज्यों सुलझता जायेगा आपके विचार ज्यों ज्यों प्रौढत्व को प्राप्त करते जायेंगे आपका विवेक ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जायेगा त्यों त्यों उसके नियंत्रण का अङ्ग पैदा होता जायेगा—इसका अ-दोत्र पुस्तकालय को होता है। आपकी योग्यता क्या है—यह भी पुस्तकालय को ज्ञात है आपका प्रिय विषय क्या है—यह भी पुस्तकालय जानता है आपका अध्ययन कितना और कैसा है—यह भी पुस्तकालय से छिपी हुई बात नहीं है अपने जीवन को आप किस ओर लिये जा रहे हैं—यह बात पुस्तकालय को सुविदित है। साराण यह कि आपके चित्त चरित्र भागा-भाकाशा-सम्बन्धी सारी बातें आपका पुस्तकालय जानता है और यदि आप सही रास्ते पर सही ढंग से बढ रहे हैं तो ठीक है अन्यथा विषयगामी होने पर वह आपकी गति पर ब्रक लगा देता है। ये सब लक्षण एक सफल अभिभावक के ही हैं। और इस तरह पुस्तकालय भी आपका अभिभावक है।

पुस्तकालय आपकी अध्ययन दिशा को सुनिश्चित करता है, अच्छे अच्छे सस्कार आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हो—इसके लिए अपनी पाठ्य सामग्रिया का टानिक देने में पुस्तकालय आपकी मदद करता है। आपका ज्ञान हर क्षेत्र में अद्यतन रहे, ऐसा उपक्रम पुस्तकालय करता है और अपने में आपको आसक्त रखकर, अपनी पुस्तकों में आपको रमाये रखकर आपको अत्यन्त मारा-भारा फिरने आपको अवकाशरहित बनाकर आपके खाली मस्तिष्क को पैशाचिक कारखाना नहीं बनने देता।

ग्रन्थ सच्चे मित्र

पुस्तकालय यदि आपका अभिभावक है तो उसकी पुस्तकें आपकी मित्र हैं। आज के अवसरवादी मित्र नहीं, आपके सच्चे मित्र हैं प्रचालकों के ग्रन्थ। आप उनसे मेल बढाइए, आपकी व मदद करेंगे, उनके साहचर्य में आइए वे आप को सहयोग देंगे आप उनका अध्ययन कीजिए, वे आपको उन्नतशील करेंगे, आप उनमें बर्णित बातों को जीवन और आचरण में उतारिए वे आपके लिए अनमोल साबित होंगे।

आप उदास रहते हैं—मित्रों के पास जाकर गप्प करते हैं—उदासी छू मतर हो जाती है। उदासी के क्षणों में पुस्तकें भी आपकी ऐसी ही सहायता करेंगी। आप दुखी हैं—मित्र सात्वना के दो शब्द से आपको सहलायेंगे, पुस्तकें अपने अमर प्रक वाक्यों द्वारा आपकी दुखतों रंगों पर चन्दन का लेप चढ़ायेंगी। आप खुश रहते हैं, तो भी आप अपने मित्रों से मिलकर अपनी खुशी को द्विगुणित करते हैं। पुस्तकें भी आपकी खुशी में चार चाँद लगायेंगी। आप खुश होकर सुले दिल से उन्हें पढ़िए तो।

जीवन की सफलता के लिए अभिभावक आवश्यक है, तो मित्र अनिवाय। एव आपके अभियान के लिए माय बतलाते हैं तो दूसरे उस पर चलते समय साथ देते हैं।

यह जल्दी नहीं कि जो अभिभावक हो वह मित्र भी हो अथवा जो मित्र हो वह अभिभावक भी हो। पर पुस्तकालय और उसकी पुस्तक ती दोनों हैं—आपके अभिभावक भी, आपकी मित्र भी। यदि आप इन दोनों के सम्पर्क माग्निध्य से अवगत वचित हैं—तो अभी अवितम्ब ही किसी पुस्तकालय की दरण में चले जाइए, उसका अभिभावकत्व स्वीकार कर उतारे परणा में बैठ जाइए और उसमें संपृद्धित पुस्तकों से मित्र लाभ का मजा लीजिए।

हम अध्यापक अब समाज की ओर चलें

विश्वेश्वर प्रसाद

एक बार हम तात्कालिक समाज का सिंहावलोकन करें। क्या समाज बह बन सका, जिसकी हमने स्वतंत्रता के पूर्व परिकल्पना की थी? क्या समाज वह प्राप्त कर रहा है, जो उसे प्राप्त करना चाहिए था? बनने और प्राप्त करने की बात तो भलग रही, क्या समाज वही रह गया है, जो स्वतंत्रता के पूर्व था? यदि नहीं रहा और समाज की भवति हुई तो दोष किसका? हम इसका दोष अब भी "सरकार को दें तो अपने दायित्व को ओरो पर पेंकने के दोषी होंगे। आखिर वर्तमान सरकार है क्या? एक पार्टी का गीत गानेवाला दल। जो बह सख्या मे रहा उसी दल का स्वर ऊंचा मालूम पडा। फिर दूसरे-दूसरे दल भी तो अपना-अपना गीत गाते ही रहते हैं। समवेत स्वर तो सुना नहीं जाता है। कभी एक की सख्या बढी तो उसका स्वर ऊंचा हुआ, जब दूसरे की सख्या बढी तो दूसरे का। यो कहे कि पहले हम जो बग और वर्ण में बँटे थे उस कौड पर यह दलगत राजनीति खानि बनकर भाथी। अब तो एक ही वर्ग और वर्ण में राजनीति के अनेक दल हैं परन्तु कोई सबके कल्याण के लिए विकल नहीं है। डाक्टर सब हैं, हमदर्द कोई नहीं। फोडे को देख रहे है सब परन्तु सब ऋगठ रहे हैं, नशतर कोई चलाता नहीं। फोडे की पीडा बढने देने की चाहना है, जिससे पीडित ध्यति विकल हो और ये डाक्टर उसकी ध्याकुलता से लाभान्वित हो सकें, उससे अपने मन की कहलवा सकें, अपने मन की करवा सकें।

देश गाँव का है। गाँव बिगडता गया। बिगाडनेवाले स्वदेशी हैं—दल में विभक्त। इसमें एक वर्ग था जो मौन देखता रहा, वरन् यह कहे कि उसे मौन रहने के लिए बाध्य किया गया नैतिकता के भूटे प्रश्न उठाकर। कभी-कभी यह वर्ग भी कँभा लिया गया दल के दल-दल में। जो दल सबल होता वह इस अध्यापक वर्ग को अपनी कृपा पर जीनेवाला मान अपने दल के लिए छुलकर उपयोग करता। यदि कभी स्वतंत्र विन्तन की बात इस अध्यापक-वर्ग से निकल जाती तो सबल दल उपदेश दे देता—“राजनीति में

मत पढो अध्यापको को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए , और यट वर्ग चुप !

इसी व्यामोह मे बीस वष बीत गये । स्वस्य विचारक जो पेड की शिराग्रो की तरह गाँव गाँव में छाये थे मौन रहने लगे । उनके मुँह पर कानूनी ताले जडे गये । हाँ यह ताला खोला जाने लगा—अपने स्वार्थ साधन के लिए शासक दल के द्वारा प्रत्येक पाँच वष मे ।

सौभाग्य से एक झटका आया है । पूज्यपाद सत विनोबा ने विगुल फूँका है । शत इतनी ही है कि अध्यापक सभी प्रकार के बंधन से ऊपर उठकर देखें । अच्छी को अच्छा अवश्य कहे, परंतु बुरो की बुराई से बचने के लिए चिल्लाकर आवाज दें । उनके इस नि स्वार्थ कार्य एव कथन को काल स्वयं राजनीति से परे प्रमाणित कर देगा ।

चौथे ग्राम चुनाव के बाद हमारे नायको के चरित्र की प्रस्थिरता उभडकर सामने आयी है । कौन क्या है और क्या हो जायगा, वहाँ नहीं जा सकता । आज किसीकी पोशाक देखकर जो विश्वास जगा, कल वह विश्वास हिल गया उसी को पोशाक और नारा देखकर । अन्त शक्ता , बहि दौवा सभा मध्ये व वैष्णवा अक्षरश चरिताय हो रहा है । जिसका नारा है समाजवाद का उसे प्यारा है पूँजीवाद और अपने स्वाग-साधन की घडी उनकी सारी क्रियाएँ सामतवाद को मात कर देती हैं ।

राष्ट्र के साधनो का दुरुपयोग मुट्टीभर जन दल के माध्यम से कर रहे हैं । जन कही और तत्र कही फिर भी जनतन की बुहाई हो जा रही है और दानव लीला हो रही है । मानव-जीवन सुविधाविहीन हो बुलबुला रहा है । क्या कोई सत्तासूड दल मानव जीवन मे लगी आग को बुजाने के लिए व्याकुल है ? आज का नेतृव कतव्यहीन हो चुका है । आज की पीढी दिशा दर्शन के बिना भटक रही है । आकुल मानव नाम दर्शन चाहता है । आज सब कुछ अस्त व्यस्त है ।

आइए हम अध्यापक हम चुनौती को स्वीकार करें । हम अपना हाथ दे हम भटकती पीढो को ऊपर उठा अपनी उपयोगिता और साधकता प्रमाणित कर दें । आज हम सरकार से माँगते हैं, परंतु सरकार तो पातीदार है समाज की । फिर हम समाज मे प्रवश से नयो घवरायें, समाज से माँगने में क्यों लज्जा अनुभव करें ? समाज मे हमारा प्रवेश शासन पद्धति को बदल देगा—नासक को सही गोचरो और सही करने को माध्य करेगा । •

विएतनाम की वम-वर्षा बन्द होने से विश्व-शान्ति की सम्भावना सबल

विएतनाम का युद्ध अमेरिका की वैदेशिक नीति के गले में फाँस बनकर घटका हुआ था। न अमेरिका विएतनाम में झुकना चाहता था और न ही विरोधी को पराजित कर पा रहा था। वर्षों से अमेरिकी जनमत विएतनाम-युद्ध के खिलाफ अपनी नाराजगी और चिंता प्रकट करता रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने १ नवम्बर को वाशिंगटन में उत्तर विएतनाम पर वम-वर्षा बन्द करने की ऐतिहासिक घोषणा की। अपने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम उन्होंने सेना के सर्वोच्च सलाहकारों की सहमति के बाद उठाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय से विएतनाम युद्ध को शान्तिपूर्ण उग से समाप्त करने की दिशा में प्रगति होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा का दुनिया के देशों में हार्दिक स्वागत हुआ।

सयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिवी थ्री ऊ थॉ ने इस घोषणा का भरपूर स्वागत करते हुए इसे एक ऐसा आवश्यक कदम माना, जिसकी एक अर्से से आवश्यकता थी। उन्होंने थ्री जॉनसन के निर्णय पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की।

पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रपति जॉनसन की घोषणा का तुरन्त स्वागत हुआ। पश्चिम जर्मनी के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि अमेरिकी सरकार विएतनाम-युद्ध समाप्त करने को कितनी तैयार है।

ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भी घोषणा की तारीफ की। ब्रिटिश वैदेशिक विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस सम्बन्ध में सविधि घोषणा प्रधानमन्त्री थ्री विसन यथामय करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय की पूर्वसूचना ब्रिटिश सरकार को दी गयी थी।

क्रास के राष्ट्रपति श्री देगाल ने श्री जॉनसन की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे विएतनाम युद्ध समाप्त करने का ठीक कदम माना ।

भारत की प्रधाममंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बम-वर्षा बन्द होने की सूचना मिलते ही इसे 'शान्ति की दिशा में उठाया गया कदम' कहकर इसका स्वागत किया । उन्होंने कहा कि सचमुच यह बड़ी अच्छी खबर है । अमेरिकी राष्ट्रपति के इस 'साहस और सूझ-बूझ भरे' काम के लिए इन्दिरा गांधी ने उन्हें बधाई दी और उन सब लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस परिस्थिति के निर्माण में अपना योगदान दिया ।

भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि श्री जॉनसन की यह घोषणा वस्तुतः विश्व-मत की विजय है । उन्होंने कहा कि यह तथ्य ही सकता है कि यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के आसन्न चुनाव की मद्देनजर रखकर की गयी हो तो भी इसका निश्चित महत्त्व है ।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने आशा प्रकट की कि श्री जॉनसन के इस निर्णय से सिर्फ विएतनाम में ही शान्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, बल्कि सारे सतार में शान्ति की समझदारी बढ़ेगी ।

स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजगोपालाचारी ने कहा कि श्री जॉनसन के इन निर्णय से विएतनाम की शान्तिवार्ता के वातावरण में सुधार होगा ऐसी सम्भावना उन्हें नहीं दीखती ।

एसोसियेटेड प्रेस के वाशिंगटन स्थित सवाददाता ने समाचार भेजा कि अमेरिका का रिपब्लिकन दल बम-वर्षा बन्द करने के राष्ट्रपति के निर्णय को एक चुनाव जिताने की दृष्टि से खली गयी खाल मानता है ।

राष्ट्रपति-चुनाव के तीनों प्रत्याशियों १. डेमोक्रेटिक प्रत्याशी श्री हार्वर्ट हम्फ्री, २ रिपब्लिकन प्रत्याशी श्री रिचर्ड निक्सन तथा ३. अन्य दलीय प्रत्याशी श्री जार्ज वेलेस ने जॉनसन को घोषणा का स्वागत किया ।

श्री जॉनसन की घोषणा पर अपनी राय प्रकट करते हुए श्री हम्फ्री ने कहा कि श्री जॉनसन का यह निर्णय शान्ति-स्थापना में सहायक होगा । मैं इसकी पूरी तरह ताईद करता हूँ । जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, उन्होंने यह निर्णय इस आशा से लिया है कि इसके द्वारा युद्ध का नर सहार कम होगा और इससे शान्ति-स्थापना में मदद मिलेगी ।

श्री जार्ज वेलेस ने कहा कि मैं आशापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रपति जॉनसन के निर्णय से दक्षिण पूर्व एशिया में दीर्घ सम्मानपूर्ण समझौते का रास्ता मिलेगा ।

श्री मिक्सन ने कहा : 'मेरे इस कथन में मेरे दिल के उपराष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी भी शामिल हैं—कि राष्ट्रपति के प्रत्याशी की हैसियत से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, जिससे शान्ति की सम्भावना को क्षति पहुँचे ।

सिनेटर मैकाग्री ने कहा कि वम वर्पा के बन्द होने से पेरिस शान्ति-वार्ता में मदद मिलेगी ।

'स्टेट्समैन' (अंग्रेजी) ने वम वर्पा की घोषणा को राष्ट्रपति जॉनसन की ओर से भेंट किया गया 'विदाई का बड़ा उपहार' कहा है । अपने सम्पादकीय में 'स्टेट्समैन' ने लिखा है कि वम वर्पा बन्द करने की घोषणा करने में एक मिनट की भी जल्दबाजी नहीं हुई है । यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, किन्तु वम-वर्पा के बन्द करने में जिस साहस और निर्णय का समझदारा दिखायी गयी है उसका अपना विशेष महत्त्व है । यह शान्ति नहीं है । यह युद्ध विराम का समझौता भी नहीं है । राष्ट्रपति जॉनसन ने तो यह भी माना है कि सम्भवतः स्थल पर घमासान लड़ाई की शुरुआत हो सकती है । फिर भी उत्तर विएतनाम के विरुद्ध हवाई आक्रमण का यह स्थगन एक 'नयी उपलब्धि' है...अमेरिका के इस निर्णय के पीछे कोई ऐसी बात नहीं है, जो हनोई या उसके समर्थकों को बहुत खुश कर सके । इसके पीछे कोई शर्त नहीं है, लेकिन आशाएँ बहुत हैं ।

—रुद्रभान

पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित ।
- प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार-विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसन्धान और सुधरी तकनालाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० पैसे

एक धक : २५ पैसे

अंक प्राप्ति के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमिशन, 'ग्रामोद्य'

इलाहाबाद रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ ए-एस्

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री राममूर्ति

वर्ष १७
 अंक ४
 मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

जॉनसन की भेंट	१४५ श्री राममूर्ति
आचार्य मन से ऊपर उठें	१४८ श्री विनोबा
बुनियादी शिक्षा की बुनियाद	१५५ श्री विनोबा
स्वावलम्बन की ओर	१५८ श्री प्रमनारायण रूसिया
आर्थिक बातावरण और समवाय	१६६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
बालक के विकास में	१८२ श्रीमती मजु श्रीवास्तव
पुस्तकालय : आपका अभिभावक	१८५ श्री परमानन्द दीपी
अध्यापक समाज की ओर चलें	१८७ श्री विश्वेश्वर प्रसाद
विएतनाम की अमरवर्षा बाद	१८९ श्री रुद्रमान

नवम्बर '६८



निवेदन

- नया तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम' का वार्षिक चंदा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपना ग्राहक-संख्या या जल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट सप सेवा सप की ओर से प्रकाशित, अमन कुमार समु
 एडिशन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

गांधी शताब्दी वर्ष १९६८-६९

गांधी विनोद का ग्राम स्वराज्य का संदेश गाँव गाँव, घर-घर पहुँचाइए और जन जन को उसके लिए कृत सकल्प कराइए। सच्चे स्वराज्य का अर्थ यही रास्ता है।

इस निमित्त राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति द्वारा निम्न सामग्री पुरस्कृत/प्रकाशित की गयी है —

पुस्तकें—

- (१) जनता का राज्य—लेखक श्री मनमोहन चौधरी, पृष्ठ ६२, मूल्य २५ पैसे।
- (२) शांतिसेना परिचय—लेखक श्री नारायण दसाई, पृष्ठ ११८, मूल्य ७५ पैसे।
- (३) हत्या एक आकार की—लेखक श्री ललित सहगल, पृष्ठ ६६, मूल्य ६० पैसे। गांधीजी के हत्यारे के हृदय में हत्या से पूर्व चलनेवाले घातक दण्ड का प्रभावपूर्ण सशक्त चित्रण।
- (४) Freedom for the Masses—जनता का राज का अनुवाद पृष्ठ ७६, मूल्य २५ पैसे।
- (५) A Great Society of small Communities—डॉ० सुप्रदास गुप्ता पृष्ठ ७८, मूल्य ६० १० ००।


वितरण और प्रदर्शन की सामग्री—

फोल्डर—(१) गांधी, गाँव और ग्रामदान (२) गांधी और शांति (३) ग्रामदान क्यों और कैसे? (४) ग्रामदान क्या और क्यों? (५) ग्रामदान का विकास क्या? (६) ग्रामसभा का गठन और कार्य (७) गाँव गाँव में शांति (८) गुलाम ग्रामदान (९) दक्षिण ग्रामदान के कुछ नमूने।

पास्टर—(१) गांधी ने चाहा था सच्चा स्वराज्य (२) गांधी ने चाहा था स्वावलम्बन (३) गांधी ने चाहा था अहिंसक समाज (४) ग्रामदान से क्या होगा? (५) गांधी जन्म शताब्दी और सर्वोदय-यव।

सामग्री मार्केटिड रूप में निम्न स्थानों में प्राप्त की जा सकती है —

- (१) गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति) दुर्गाबाई भवन कुशाग्रों का भेरी जयपुर—२ (राजस्थान)। (२) सर्व सेवा मण्डल प्रकाशन रजिस्ट्रार कारागार-१ (उत्तर प्रदेश)।



शांति-गाँव एक परिवार तब होगा, जब जन्म गाँव को होगा।- ग्रामशासन से ही गाँव परिवर्धनेगा।- भारतीय समस्याओं का यही हल है।
—बाबा राघवदास

भूखा शिक्षक

कौन नहीं मानेगा कि शिक्षक भूखा है ? और इससे भी किसे इनकार होगा कि भूखा शिक्षक देश के लिए खतरा है ? उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को इस वक्त ये बात जुलूस में नारे लगा लगाकर बतानी पड़ रही हैं। शिक्षक भूखा है। पुलिस का सिपाही भूखा है। दफ्तर का बाबू भूखा है। रिक्शेवाला भूखा है। दस्तकार भूखा है। छोटा किसान भूखा है। खेत का मजदूर भूखा है। शिक्षित युवक भूखा है। कौन कहेगा कि ये भूखे नहीं हैं, और इनका भूखा रहना देश के लिए खतरा नहीं है ?

दूसरी ओर अफसर भूखा है ऊँची कुर्सी का। मालिक भूखा है दौलत का। नेता भूखा है गद्दी का। क्या कोई कह सकता है कि इनकी भूख देश के लिए कम भयंकर खतरा है ?

हूँटना पड़ेगा कि अब इस देश में कौन बच गया है जो भूखा नहीं है ? भूख चाहे रोटी-कपड़े की हो, और चाहे सत्ता-सम्पत्ति की या और किसी चीज की, भूख भूख खतरा तो होती ही है। भूख भूख जलने में भाग से भी तेज होती है। आज हमारा देश दोनों तरह की भूखों का शिकार है। पहली भूख देश को तोड़ रही है। और दूसरी देश को जला रही है।

वर्ष : १७

अंक : ५

भूखे लोगों की सरकार से यह माँग है कि वह उनकी भूख शान्त करे। सरकार के सिवाय माँग भी किससे की जाय ? भगवान की शक्ति अपने बरा की है नहीं, समाज की शक्ति का पता नहीं है, तो सरकार ही एक बच गयी है जिसकी शक्ति कभी कभी पुलिस और फौज के रूप में दिखाई दे जाती है, इसलिए उसीसे माँगें की जाती हैं। लेकिन शायद माँग करनेवालों को यह पता नहीं है कि सरकार के पास केवल सत्ता है, शक्ति नहीं सत्ता से दमन हो सकता है, किन्तु सृजन के लिए तो शक्ति चाहिए। अगर वह शक्ति सरकार के पास होती तो इतने वर्षों में देश की बुनियादी समस्याएँ कुछ हल होती दिखाई देती। क्या किसीको दिखाई दे रहे हैं ? जब गरीबी के साथ विपमता भी जुड़ जाती है तो दोनों दुगुनी असह्य हो जाती हैं। पिछले वर्षों में विपमता बहुत बढ़ी है। शिक्षक गरीब तो हैं ही, पर उनमें विपमता भी कम नहीं है। प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्व-विद्यालय तक के शिक्षकों में विपमता की कई सीढियाँ हैं। सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षकों में जबरदस्त खाई है। एक ही विभाग में काम करनेवाले शिक्षकों और शिक्षा के शासकों में बहुत फासला है। सरकार की पूरी शक्ति इन विपमताओं को दूर करने के बजाय कायम रखने में लगी हुई है।

भूख का हल माँग में नहीं है बल्कि यह जान लेने में है कि आज की सामाजिक और सरकारी व्यवस्था में भूख का हल है ही नहीं। जो व्यवस्था भूख को पैदा करती है और विपमता को बढ़ाती है, वही उन्हें मिटा कैसे सकती है ? यह बात साफ समझ में आ जायगी, अगर हम पूरे देश को सामने रखकर सोचें। लेकिन अगर समाज के हर टुकड़े को अलग रखकर सोचेंगे तो सिवाय नारे लगाने और सरकार से माँग करने के दूसरा कुछ सूझेगा नहीं। इतना ही नहीं, एक की माँग दूसरे की माँग से इस तरह टकरायेगी कि किसी भी माँग की पूर्ति का रास्ता नहीं निकलेगा। शिक्षक कहता नहीं लेकिन चाहता है कि फीस बढ़े, दूसरी ओर विद्यार्थी किसी तरह राजी नहीं होता

कि फीस बढ़े। इसके अलावा जब बाजार समाज और सरकार दोनों की काबू से बाहर हो गया है तो मांगे पूरी होकर भी पूरी नहीं होगी। मांगों और मूल्यों में दौड़ होती रहेगी। मूल्य जीतेंगे, मांगे हारेगी, और मांग करनेवालों के हाथ निराशा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं आयेगा।

जब भूख के साथ चेतना जुड़ती है तो भूखा व्यक्ति मिखारी बन रहकर क्रान्तिकारी बन जाता है। मिखारी की भूख अभिशाप और अपमान है, जब कि क्रान्तिकारी की स्वेच्छा से स्वीकृत भूख उसका गौरव है। उस भूख में ज्वालामुखी की शक्ति होती है। भला यह शक्ति सरकार के कानून या नौकरशाही की योजना में कैसे आ सकती है ?

जब विनोबा ने शिक्षक के सामने 'आचार्यकुल' की बात रखी थी तो सम्भवतः उनके मन में यह आशा जलूर रही होगी कि शिक्षकों का चेतन समुदाय अपनी चेतना को भूख के साथ जोड़कर कुछ नया चिंतन करेगा, और समाज को चिंताओं से मुक्त करने की दिशा में नया कदम उठायेगा। लेकिन शायद शिक्षक के सामने भूख की चिंता के साथ साथ राजनीति का चक्कर भी है। क्या शिक्षक आज तक यह नहीं समझ सका है कि राजनीति बराबर नये चक्कर पैदा करती जायगी, और शिक्षक उसमें फँसता जायगा, और समस्या जहाँ थी वही रह जायगी ?

आज चाहे जो हालत हो, लेकिन भूख तब मिटेगी जब भूखे लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मिलकर खुद सामने आयेंगे। ग्रामदान इसी सामूहिक पुरुषार्थ के लिए ग्रामीण जनता का आवाहन कर रहा है। शिक्षक इस व्यापक पुरुषार्थ का अगुआ क्यों नहीं बन पा रहा है ? क्या वह सामान्य भूखों की जमात से अलग अपने को विशिष्ट भूखों की फोटी में गिनना चाहता है ? कहने को तो हजार-दो हजार पानेवाले लोग भी अपने को भूखा कहते हैं, और हडताल की घमकी

देते हैं। लेकिन उन भूखों की 'जाति' दूसरी है। शिक्षक के लिए ग्रामदान द्वारा प्रस्तुत यह बहुत बड़ा अवसर है, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामने आया है, कि वह समाज में अपना स्थान तय करे, और उसके अनुरूप अपना आचार विकसित करे।

एक बात और है। हम चाहे जो करे, अभी दसों तक हमारा देश गरीबी से मुक्त नहीं हो सकेगा। गरीबी से लड़ाई लड़ते हुए हम इतना तो फौरन कर सकते हैं कि हम गरीबी बाँटें और हमारे हिस्से जो आये उसमें ही गुजर करने के लिए तैयार हों। इस देश में गरीबी से लड़ाई का अर्थ है समता की लड़ाई। अभी तक हमने समता का इतना ही अर्थ समझा है कि किसी तरह ऊपरवाले के मुकाबिले पहुँच जायँ, न कि नीचेवाले के साथ एक हो जायँ। इसे मत्सर कहते हैं, समता नहीं। अगर हमें समता प्रिय है तो विषमता से मुक्ति सबसे पहले सबसे नीचेवाले को दिसाने की कोशिश करनी चाहिए।

शिक्षक अपने स्कूल में 'नौकर' है, और बाहर सड़क पर 'एजिटेटर'। कब और कहाँ वह 'टीचर' है? शिक्षक की समस्याओं का समाधान उसी दिन शुरू हो जायगा जिस दिन उसमें अपने सही 'रोल' की प्रतीति पैदा होगी। उसका काम है नयी चेतना का समय वाहक बनना, नारे लगाना और धक्के खाना नहीं। शिक्षक भूखा है, पर वह सचेत कब होगा?

आचार्यों की शक्ति : पञ्चमुक्ति

आचार्यों को यह समझना है कि उनके स्वतन्त्र रहने से भारत में उनकी एक ताकत बनेगी। अगर वे पार्टियों से मुक्त रहेंगे, तो गुरु की हैसियत में आयेंगे और सत्त्वकी सम्मिलित आवाज प्रकट होगी। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर उनकी राय प्रकट होगी और उसका असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा।

आचार्यों को मतदान का अधिकार है, 'इलेक्शन' में खड़े होने का अधिकार है, सब अधिकार हैं। वे अधिकारों से वंचित होते, तो अधिकार-संन्यास का कोई भ्रम ही नहीं होता, लेकिन जब अधिकार हासिल हैं और ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित होकर वे उन अधिकारों को छोड़ देते हैं, तो उनकी योग्यता ऊंची बनती है। बाबा की मिसाल लीजिए। बाबा को घोट का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है और चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी है। फिर भी बाबा ने यह सब छोड़ा है, इसलिए उसकी इज्जत बढ़ी है। मैंने कई बड़े-बड़े लोगों से पूछा है कि मान लीजिए, बाबा पार्टी बनाता, पार्लियामेंट में जाता, तो क्या उसकी आवाज देश को ज्यादा मान्य होती या आज ज्यादा मान्य है? सबने कहा कि आपकी शक्ति पार्लियामेंट में जाने से बढ़नेवाली नहीं है, घटने ही वाली है। फिर मैंने उनसे पूछा - 'आप क्यों पार्लियामेंट में जाते हैं?' उन्होंने कहा : 'हमारी स्वामी ही शक्ति है, वहाँ जाने तक की ही शक्ति है।'

आचार्यों के पास एक विद्यादान का काम है और दूसरा घर-संसार का है। इसके अलावा वे कितने काम करेंगे? यदि वे पार्टियों में दखल देंगे, तो उनकी बड़ी विचित्र दशा होगी। इसलिए उन्हें पार्टियों से मुक्त होना चाहिए। उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार है और इसीलिए उन्हें अधिकार-संन्यास लेना है, क्योंकि अधिकार-मुक्ति का भी उन्हें अधिकार है।

माँ का बच्चे पर जो अधिकार है, वह सिर्फ प्रेम का अधिकार है। उसी तरह आचार्यों को भी प्रेम का अधिकार है। उन्हें हर माँ का प्रेमी, मार्गदर्शक और मित्र बनना है। माता पिता का मार्गदर्शन प्रेमयुक्त होता है, लेकिन वह ज्ञानयुक्त भी होता है, वह जरूरी नहीं है। किन्तु आचार्यों का मार्गदर्शन प्रेमयुक्त और ज्ञानयुक्त भी होना है। यह सारी स्थिति उन्हें समझनी चाहिए।

प्रश्न : आज कुछ शिक्षकों के लिए शिक्षा पौरा और राजनीति प्रधान है, ऐसी हालत में हम क्या करें?

बिनोया शिक्षा उनके लिए गौण है ही, विद्यार्थियों के लिए भी गौण है। आज कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो है सो परीक्षार्थी है। इससे भी बेहतर नाम देना हो तो वह नौकरी धर्या है। शिक्षको को यह समझना होगा कि स्वतंत्र भारत में विद्या नहीं पनपी तो राज्य नहीं पलेगा। विद्या के बिना राज्य नहीं चलता इसलिए उत्तम विद्याभ्यास चलना चाहिए।

प्रश्न : क्या आचार्यकुल शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान दे ?

बिनोया माँगें व्यक्तिगत हैं लेकिन सच्ची हैं तो आचार्यकुल जरूर ध्यान दे। अभी बिहार में शिक्षको की हड़ताल हुई तो कुल आचार्य उसमें सम्मिलित हुए। मैंने उनसे कहा कि भारत के हिसाब से आपका वेतन ज्यादा है इसलिए सबका वेतन बढ़े यह माँग करने की अपेक्षा यह माँग करते कि नीचेवालो का वेतन बढ़े तो आपकी ताकत बढ़ती। आप यह प्रस्ताव करते कि देश की आज की हालत में नीचेवालो के लिए हम अपनी आनदनी का इतना प्रतिशत देते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती।

आचार्यकुल का काम चलाने के लिए यह जरूरी है कि कोई एक प्रोफेक्टर मुक्त होकर यह काम करे। यह सबसे काष्टकट (मम्पक) करेगा पत्र व्यवहार करेगा। उसके लिए रु० ४०० प्रति मास और आफिस के लिए दो बलकों की तनख्वाह प्रति मास रु० ४०० और आफिस का खर्च मिलाकर कुल एक हजार रुपए चाहिए। सब आनाय मिलकर इतना कर दें। १ प्रतिशत देंगे तो काम बनेगा। यह कोई टक्का नहीं है। इतना खर्च चलाने के लिए जितना देना जरूरी है देना चाहिए।

प्रश्न क्या जिन्होंने सकलपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये उन्हें भी आचार्यकुल की चर्चा में सम्मिलित कर सकते हैं ?

बिनोया यह टीटेलस' का पानी बोरे का विषय है। आचार्यकुल में कितने लोग सम्मिलित है इस पर यह निर्भर करता है। सवाल इनना ही है कि दूध में पानी मिश्रण है या पानी में दूध मिलाना है। अगर बहुत-से लोग सम्मिलित हुए हो तो थोड़ा पानी मिलाया जा सकता है। काशीवालो ने एक बात सुझायी कि प्रोफेक्टरों के अलावा दूसरे भी जो निष्पक्ष विद्वान हैं उन्हें शामिल किया जाय। यह सुझाव मुझे भाय है।

—अम्बिकापुर (सरगुजा) के १६-११-६५ के प्रवचन से

[श्री नरेन्द्र भाई अनेक वर्षों तक श्री धीरेन्द्र भाई के साक्षिभ्य में रहकर 'ग्राम भारती' के शैक्षिक प्रयोगों का अनुभव ले चुके हैं। पिछले अस्तूषर में वे सपत्नीक श्रीलंका की यात्रा पर थे। प्रस्तुत विवरण वहीं से प्राप्त हुआ है।—सं०]

विजया नाम का राजकुमार २५११ साल पहले भारत से श्रीलंका पहुंचा। उसके साथ सात सौ अनुयायी भी थे। ये लोग श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम किनारे पर आकर बस गये। धीरे-धीरे वे सारे देश में फैल गये। विजया और उसके अनुयायी सपत्नीक श्रीलंका में आये थे। इनकी सन्तानें अपने को सिंहली जाति के नाम से पुकारती हैं, ये लोग अपने को भायों के ही वंश मानते हैं।

श्रीलंका अर्वाचोन परिचय

श्रीलंका की जनसंख्या एक करोड़ दस लाख है जिसमें ७० प्रतिशत सिंहली, १६ प्रतिशत तमिल तथा शेष ११ प्रतिशत में 'मूर' (मद्रक से आये लोग), वरगसं (डच और पुतगाल से आये व्यक्ति), यूरोशियन, मलायो, पारसी, मोरोपियन तथा वेदा (श्रीलंका के आदिवासी) हैं।

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ से ४ फरवरी, १९४८ तक श्रीलंका पर पुर्तगाल, हालैंड, तथा इंग्लैंड का राज्य क्रमशः रहा। अब श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है। देश की राज्य-व्यवस्था के संचालन के लिए एक गवर्नर जनरल होता है। यह रानी एलिजाबेथ द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद प्रधान मंत्री और उसका मन्त्रीमंडल मनोनीत ३० सदस्यों की एक 'सीनेट' होती है और १५७ प्रतिनिधियों की एक संसद है। श्रीलंका के राजनैतिक जीवन पर भी बौद्ध धर्म की गहरी छाप है। सारे देश में बौद्ध भिक्षुओं का विशेष सम्मान होता है। इस समय प्रधान मंत्री श्री डी० एम० सेनानायक हैं तथा विरोधी पार्टी की नेता श्रीमती भंडारनायक हैं।

राज्य संचालन में ग्राम तोर पर सिंहली, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं का व्यवहार होता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने श्रीलंका (सिंहल द्वीप) की भाषा सिंहली होगी, ऐसा घोषित कर दिया है। भाषा को लेकर देश में बड़ा तनाव है। सिंहली, तमिल समस्या इस देश की प्रधान समस्याओं में से है।

एक बार तो हिन्दू-मुस्लिम की तरह यहाँ के तमिल सिहली वर्बरतापूर्ण ढंग से आपस में झगडा कर चुके हैं ।

श्रीलंका का क्षेत्रफल २५,३३२ वर्गमील है । ११ लाख एकड़ में धान की खेती होती है । पूरे देश को दो भागों में बाँटा जा सकता है—सूखा क्षेत्र और तर क्षेत्र । तर क्षेत्र में धान, रबर, चाय तथा नारियल बहुत मात्रा में होता है । हिन्दुस्तान के गाँवों जैसी कोई बस्ती श्रीलंका में नहीं होती । ग्राम तौर पर घर नारियल के बगीचों में होते हैं । सब अपना घर अपने बगीचे में बनाते हैं । जिनके पास जमीन नहीं है, वे थोड़ी जमीन किराये पर लेकर उसीमें अपना घर तथा बगीचा बना लेते हैं । गाँवों में घर ग्राम तौर पर मिट्टी की दीवार और नारियल के पत्तों के छप्पर के होते हैं । ईंट की दीवारें बनाकर उस पर भी नारियल के पत्तों का छप्पर लगाने का रिवाज है । इधर कुछ टीन और सीमेन्ट की चादरो का उपयोग भी होने लगा है ।

चाय, रबर और नारियल तथा इसके रेशे से बने सामान बाहर बेचकर, आवश्यकता की बहुत सी सामग्री बाहर से मँगानी पडती है । कपास इस देश में पैदा नहीं की जाती । अतः कपडे के लिए यह देश पूरी तरह से दूसरों पर ही निर्भर करता है ।

ग्राम-व्यवस्था

गाँव में क्षेत्रीय स्तर पर 'विलेज कौंसिल' (ग्राम सभा) होती है । यह कौंसिल ही स्थानीय टैक्स आदि वसूल करती है और इस धन से ग्राम-विकास की योजना बनाती है । ग्राम कौंसिल का सीपा सम्बन्ध मिनिस्टर के माफ़त केन्द्रीय सरकार से होता है । केन्द्रीय सरकार ग्राम विकास की योजनाओं के लिए कुछ रकम ग्राम कौंसिल को देती है । सरकार की तरफ से प्रतिमाह श्रीलंका के हरेक नागरिक को धार नाप (करीब ४ किलो०) चावल मुफ्त मिलता है, और प्रारम्भिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त दी जाती है ।

मुफ्त चावल मिलने की योजना का गहराई से अध्ययन करने पर गालूम हुआ कि वितरण में बड़ी व्यवस्था है । बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करने से कतराते हैं । सोचते हैं, चावल तो मिल ही जायेगा । कुछ लोग चावल बेचकर धराब पी जाते हैं । हरेक को भोजन मिलना चाहिए, यह अच्छा विचार है लेकिन इससे भी अच्छा यह है कि हरेक को काम मिलना चाहिए ।

परन्तु इस विचार को व्यावहारिक रूप देने की तैयारी अभी किसीकी दीखती नहीं ।

श्रीलका-निवासी रावण-वराज नहीं ।

भारतीय नागरिक, खास तौर पर उत्तर भारत के लोग श्रीलका और रावण का सम्बन्ध जोड़ते हैं, लेकिन सिंहली नागरिकों का इतिहास राजकुमार विजया के बाद शुरू होता है । रावण जैसे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध सिंहली इतिहास से नहीं है, फिर भी श्रीलका के कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ रावण के नाम से सम्बन्धित यादगारें हैं । न्युम्बारा ऐलिया के पास रावण ऐला, (रावण शरणा) तथा सीता ऐलिया (सीताग्राम) नाम के स्थान हैं । यही पर भशोक वन के नाम का भी एक स्थान है । यह स्थान बहुत ही सुन्दर है । श्रीलका के उत्तरी पूर्वी कोने पर ट्टिकोमाली नाम का स्थान है । यहाँ सात कुएँ हैं, जिनका पानी गरम है । इन कुओं के साथ भी रावण की कहानी जुड़ी है । यही पर एक मन्दिर भी है, जिसका सम्बन्ध रावण से जोड़ा जाता है । तमिल साहित्य में श्रीलका के साथ रावण का सम्बन्ध मिलता है । रावण एक द्रविड राजा था ।

मुख्य त्योहार . वेशभूषा खान-पान

नवरात्रि, सरस्वती पूजा और दीपावली श्रीलका के तमिल लोग व कुछ अन्य नागरिक धूमधाम से मनाते हैं । यहाँ बौद्धों का मुख्य त्योहार वंशाखी पूर्णिमा है, जो महात्मा बुद्ध का निर्वाण दिवस है । उस अवसर पर ४-५ दिन श्रीलका में स्थान-स्थान पर बौद्धों के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं । हर उत्सव में कथानक और नाटक के रूप में बुद्ध भगवान की जीवन लीला का प्रदर्शन होता है, जैसे द्रज में रासलाला के मार्फत कृष्ण की जीवन लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है ।

यहाँ की राष्ट्रीय वेशभूषा एकदम निराली है । जो पुराने व्यक्ति हैं वे पुरुष सिर पर पूरे बाल रखते हैं और लूड़े की तरह पीछे बालों में एक गाँठ लगा लेते हैं । पेटिकोट की तरह की सिली हुई लुङ्गी (तहमद) कुर्तों को नीचे करके बाँधने हैं, ऊपर से एक पेटा (बेल्ट) कसकर बाँध लेते हैं । सिर पर बाल रखने का रिवाज कम हा रहा है, लेकिन सिली हुई लुङ्गी व कुर्ता बहुत व्यक्ति पहनते हैं । स्त्रियाँ भी रंग बिरंगी लुङ्गियाँ तथा एक छोटा-सा ब्लाउज पहनती हैं । सिर ढकने का रिवाज नहीं है । श्रीलका के सड़री जीवन पर पार्श्वस्थ सभ्यता का बाहरी रंग बड़ी तेजी से घड रहा है । इसका प्रवाह गाँवों को भी है ।

विदेशों से हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं, इसके कारण होटल बहुत बढ़ रहे हैं। शानाहारी होटल बहुत ही कम हैं। धौलका का मुख्य भोजन चावल और कड़ी है। सिहली लोग सूखी मछली का पाउडर (मोल्डी फिश पाउडर) बड़े स्तोक से खाते हैं। सजियाँ नारियल के दूध में एक विशेष उग से पकायी जाती हैं, इसीको कड़ी कहते हैं। आम तौर पर ये लोग चाय और काफी बिना दूध की ही पीते हैं। मिठाइयाँ खाने का रिवाज बहुत कम है।

राष्ट्रीय धर्म

बौद्ध धर्म धौलका में राष्ट्रीय धर्म है ऐसा वह तो प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ के स्कूलों में बुद्ध की मूर्ति का एक विशेष स्थान होता है। राजनीतिक नेता भी बौद्ध मुनियों का विशेष सम्मान करते हैं। यहाँ की राजनीति पर भी बौद्ध भिक्षुओं का बहुत गहरा असर है। यह प्रत्यक्ष रूप में २ भवनूबर को देखने को मिला, जब प्रपान मन्त्री भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उज्ज्व सिंहासन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को नतमस्तक होकर, प्रणाम किया। देश भर में बौद्ध विहार अनगिनत संस्था में हैं। यहाँ पर भिक्षुओं का विधिवत् शिक्षण होता है। यहाँ बौद्ध धरम को हिन्दुओं से अलग मानते हैं परन्तु हिन्दू देवी देवताओं का और बौद्ध मन्दिरों का एक अजीब सगम है। मुस्लिम, ईसाई, हिन्दू, बौद्ध—सभी धर्मों के लोगों में आपस में धर्म के कारण वैर-भाव या मतभेद नहीं है।

विद्यार्थी भविष्य की यात्री

अप्रैल से जून, और सितम्बर से दिसम्बर महीनों में धौलका में एक विशेष चहल पहल रहती है। रेलगाड़ी से या बसों से, विद्यार्थी हजारों की तादाद में किसी छोटे से स्टेशन पर उतरकर हाटे हो जाते हैं। हर स्कूल के विद्यार्थियों के हाथ में उनके स्कूल का झण्डा होता है। इन विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए ग्रामीण किसान पहले से स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। गाँव के मुखिया के हाथ में धौलका का राष्ट्रीय झण्डा रहता है।

जैसे ही ट्रेन या बस से विद्यार्थी उतरते हैं, वे अपने स्कूल का झण्डा गाँव के मुखिया के हाथ में थमा देते हैं और मुखिया राष्ट्रीय झण्डा स्कूल की टोली के नेता के हाथ में थमा कर कहता है, 'राष्ट्र के भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है।'

विद्यार्थियों की यह टोली ग्रामीणों के पीछे पीछे चल पड़ती है। शिक्षक भी साथ होते हैं। गाँव के खेतों में पहुँचकर झण्डों की धेत की मेड पर गाड़ दिया जाता है, इस प्रकार से ये खेत 'विद्यालय' शुरू हो जाते हैं। विद्यार्थी धान

के खेतों की निराई का काम शुरू कर देते हैं। और लाखों हाथ मिलकर भ्रान्त-भ्रान्त में धान के खेतों से घास को निकालकर बाहर फेंक देने हैं।

खेत विद्यालयों का चमत्कार

श्रीलंका के किसान भ्रान्त वीर पर धान की दो फसलें तो लेते ही हैं, अतः रोप तैयार करना, धान रोपना, और काटना आदि कार्य करने में घास निकालने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। धान के खेतों की घास इस देश की बहुत बड़ी समस्या थी। धान के खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग करने से धान के पौधे के साथ-साथ घास भी बहुत तेजी से बढ़ती थी। नतीजा यह होता था कि यह घास धान के पौधे को दबा लेती थी। श्रीलंका की सरकार का ध्यान इस समस्या की तरफ गया और स्कूलों में पड़े लाखों बेकार हाथ धान के खेतों में पहुँच गये। धान के खेतों से घास गायब होने लगी। घास रहित धान के खेतों में जब रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया गया तो कहीं कहीं तो पैदावार तीनगुनी बढ़ गयी। सन् १९६६ से यहाँ की सरकार ने इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से उठाया है। नतीजा यह हुआ है कि धान की पैदावार पूरे देश में २५ लाख बुशल बढ़ गयी है। यह धान दूसरे देशों से ५ करोड़ डॉलर खर्च करके लेना पड़ता था। इस देश में ११ लाख एकड़ जमीन में धान की खेती होती है। यदि पूरी जमीन की औसत पैदावार ६५ बुशल प्रति एकड़ हो जाये तो धान की आवश्यकता की पूर्ति अच्छी तरह से हो सकती है।

'खेत-विद्यालय' की योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों ने जहाँ धान के खेतों में से घास निकालने का काम किया है, वहाँ जो किसान पहले ३८ बुशल प्रति एकड़ की उम्मीद करता था, वहीं अब ८० बुशल प्रति एकड़ तक पैदावार होने लगी है। इस परिणाम के कारण किसान, विद्यार्थी, और सरकार, तीनों में इस काम के लिए जबरदस्त उत्साह का निर्माण हुआ है।

इस कार्यक्रम से पैदावार बढ़ने के साथ-साथ और भी बहुत से लाभ हुए हैं। जब विद्यार्थी खेतों में काम करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें अपने देश को जानने का मौका मिलता है और उन लोगों से प्रत्यक्ष सम्पर्क होता है, जो देशभर के लिए खाना पैदा करने का काम करते हैं।

शहर के बहुत से बच्चे जिन्होंने धान के खेत नहीं देखे हैं, जब वे धान के कीचड़ भरे खेतों में घुसकर प्रामीणों के साथ-साथ धान निकालने या धान रोपने का काम करते हैं, तो उनको जानकारा होता है कि प्रामीणों का जीवन कैसा है।

इस कार्यक्रम से प्रामीणों की जिन्दगी में भी एक नया उत्साह तथा धर्म-प्रतिष्ठा का भाव पैदा हुआ है।

पुन्विलिया गाँव के एक युवक ने 'धायु बो वन' कहकर हाथ जोड़ते हुए हमारा स्वागत किया। हमने भी उत्तर में 'धायु बो वन' कहकर हाथ जोड़े। श्रीलका में जब बिसीये मिलते हैं या विदा लेते हैं तो 'धायु बो वन' कहकर हाथ जोड़ने का रिवाज है। संस्कृत में 'धायुष्मान भव' का जो अर्थ है वही 'धायु बो वन' का है।

जिस युवक ने हमारा स्वागत किया वे पुन्विलिया गाँव के स्कूल के प्रधान-शिक्षक हैं—श्री एच० डी० जिमोनीज। अभी इनको पुन्विलिया गाँव में धायु बोटे ही दिन हुए हैं, लेकिन पूरा गाँव इनसे बहुत प्रभावित है तथा इनके मार्ग-दर्शन में काफी विकास कर रहा है।

जहाँ फावडा भी पढाई का अंग है

हम लोग जब पुन्विलिया गाँव के स्कूल में पहुँचे तो स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा था। बच्चों की किताब के घँले के साथ फावडा ले जाते हुए देखकर मुझे कुछ कुतूहल हुआ तो मैंने श्री जिमोनीज से पूछा कि ये बच्चे फावडा क्यों लिये हैं ?

जिमोनीज मुस्कराते हुए बोले—“इस स्कूल का हरेक बच्चा रोज पुस्तकों के साथ फावडा भी लाता है क्योंकि शरीरश्म भी पढाई का एक अंग है।”

पुन्विलिया गाँव में ८७ परिवार रहते हैं, जिनमें ७६ भूमिदान हैं, शेष ११ भूमिहीन हैं गाँव में छेती जायक करीब ६०० एकड़ जमीन है, ५०० जन-संख्या है, ७ माह पहले श्रीलका-सरकार की तरफ से एक बाँध बनाने की योजना बनायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत तीन गाँव, जिनका क्षेत्रफल १२०० एकड़ होता है, इस बाँध के पेट में समा जानेवाले थे, बाँध के बाहर करीब १५०० एकड़ जमीन दो-तीन बड़े बड़े जमींदारों की थी—सत गरीबों को बाँध के पेट में झोंककर जमींदारों को ही लाभ होनेवाला था। वास्तव में बात यह थी कि सिंचाई-विभाग के विशेषज्ञों ने यह योजना जमींदारों के सुझाव पर कोलम्बो में ही बैठकर बना ली थी, मौके पर कोई नहीं गया था।

स्कूल-शिक्षक का अभिक्रम

स्कूल शिक्षक श्री जिमोनीज को जब यह सारा किस्ता मालूम हुआ तो उन्होंने गाँव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हम सब मिलकर यदि इस बात को सरकार के पास पहुँचायेंगे तो हमारी बात जरूर सुनी जायेगी, लेकिन हम सबको मिलकर रहना चाहिए, और सबके भले की दृष्टि से काम करना चाहिए। इसी सिलसिले में उन्होंने गाँववालों को सर्वोदय तथा ग्रामदान की

बतलतायी । गाँव में सर्वोदय-केन्द्र के मार्फत बाँध-योजना का विरोध किया गया, क्योंकि वास्तव में कर्मचारियों ने मौके पर भाकर योजना नहीं बनायी थी। अन्न में बाँध बनाने की वह योजना स्वयं ही हो गयी। इस प्रारम्भिक सफलता से गाँववालों को अपनी सामूहिक शक्ति का दशन हुआ। इसके बाद श्री जिमो-नीज के मागदर्शन में इस सामूहिक शक्ति ने ग्राम निर्माण का काम शुरू किया। पहला निर्णय इन लोगों ने यह लिया कि गाँव की सारी जमीन सर्वोदय की है, अतः जमीन पर भूमिहीनों का भी अधिकार है। गाँव की सगठित सामूहिक शक्ति के आधार पर गाँव में छोटे छोटे दो तालाबों का निर्माण हुआ। मुख्य सड़क से गाँव को जोड़ने के लिए डेढ़ मील की एक सड़क बनायी गयी।

गाँव में पानी का बहुत अभाव है अतः कुएँ खोदने का धा दौलत भी शुरू हो गया है। लोग कुम्हों अपने धर्म से खोद लेते हैं और जिन लोगों के पास अधिक साधन नहीं हैं, उनको सीमेन्ट आदि की मदद सर्वोदय केन्द्र की तरफ से दी जाती है।

गाँव में सर्वोदय निधि एकत्र करने का एक अच्छा तरीका इन लोगों ने निकाला है। ७६ भूमिवात परिवारों ने अपने अपने नारियल के बगीचे में एक-एक पेड़ सर्वोदय के लिए दे दिया है। जो पेड़ सर्वोदय के लिए निश्चित किया गया है उस पर 'सर्वोदय' लिख दिया है। इस प्रकार ७६ नारियल के वृक्ष सर्वोदय के लिए दिये गये हैं। इन ७६ पेड़ों से हर दो माह बाद ४०० से ५०० के बीच नारियल मिलते हैं, अर्थात् साल में करीब २५०० नारियल। एक नारियल की कम से कम कीमत यहाँ २५ पैसे होती है, जिसका अर्थ होता है ६२५ रुपये प्रति साल। करीब ४०० रुपये इन वृक्षों के पत्तों आदि से मिलेंगे। अतः साल में कुल एक हजार रुपये का सामान मिलेगा। इसके अलावा चार एकड़ धान का खेत और ढाई एकड़ जमीन सर्वोदय आश्रम बनाने के लिए दी है। ये लोग इस गाँव को ग्रामदान के आधार पर विकसित करना चाहते हैं।

सर्वोदय का अर्थ

इन लोगों के लिए सर्वोदय का सोधा सा अर्थ यह है कि सबकी भलाई की दृष्टि में किया गया काम सर्वोदय का काम है। और ग्रामदान का अर्थ है—सब मिलकर सोचें और मिलकर करें।

हम लोग गाँव घूमने गये तो देखने को मिला कि कई कुएँ ऐसे हैं जो खोदे गये, लेकिन पानी न मिलने के कारण मेहनत बेकार गयी। इसके लिए ये लोग बड़े परेशान थे। मैंने उनको बताया कि यदि आप लोग और कुएँ खोदना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि जमीन के अन्दर पानी का खजाना किस स्थान पर

मिलेगा। इस पर सब लोग बड़े खुश हुए। थोड़ी ही देर में गाँव के पन्ना स्त्री-भूखण्ड झट्टे हो गये। मैंने नीम की हरी लकड़ी लेकर हरेक के नारियल के बगीचे में जाकर पानी का खजाना बटाया। वे सब बहुत खुश थे।

सर्वोदय के लिए दिये गये नारियल के वृक्ष तथा जमीन एक प्रचार से इन लोगों के लिए 'ग्रामकोष' का काम करते हैं। अभी तो स्कूल के प्रधान अध्यापक ही सारा सयोजन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे गाँव के कुछ जवानों को तैयार कर रहे हैं। रोज एक घण्टे के लिए गाँव के स्त्री-भूखण्ड स्कूल के हाल में झट्टे होते हैं, यहाँ लोकशिक्षण की दृष्टि से विभिन्न विषयों की चर्चा होती है। एक प्रकार से स्कूल ग्राम विकास का केन्द्र बना हुआ है।

हमलोगों के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। मल-मूत्र का उपयोग, गोबर गैस तथा वनस्पति से 'कम्पोस्ट' बनाने की बातें इनके लिए बिलकुल नयी थीं। ग्रामीणों ने बड़ी दिलचस्पी से चर्चा में भाग लिया।

अन्त में 'ग्राम बो वन' की शूँज के साथ हम लोगों ने ग्रामीणों से विदा ली।

पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित। • प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसन्धान और सुधरी तकनालाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका।

वार्षिक शुल्क २ रुपये ५० पैसे

एक अंक २५ पैसे

अंक प्राप्त के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय'

इर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ ए-ए

वल्लभ विद्यालय, वोचासन : कार्य-परिचय

शिवाभाई गो० पटेल

वोचासन गुजरात प्रदेश में खेडा जिले का एक मध्यम कोटि का गाँव है। खेडा जिले में बारेंया पाटनवाडिया जाति की आबादी करीब आठ नौ लाख याने जिले की आबादी की ४५ प्रतिशत है। यह जाति स्वराज्य-प्राप्ति के पहले अपराधी-जाति मानी जाती थी और उपस्थिति की हर रोज गिनती होती थी। स्वतंत्रता आने के बाद वह कानून रद्द किया गया।

यह जाति सामाजिक दर्जा के अनुसार पिछड़ी हुई जाति नहीं गिनी जाती। लेकिन शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से यह हरिजनो से भी ज्यादा पिछड़ी हुई है। किन्ती भी गाँव में खेत मजदूर के लिए बारेंया पाटनवाडिया से ज्यादा लोग हरिजन को पसंद करेंगे, क्योंकि हरिजन मेहनती (परिथमी) वर्ग है। इसीलिए हरिजन सुखी भी हैं और उनके बालक बड़ी संख्या में पाठशाळा में जाते हैं।

इस परिस्थिति का खयाल करके गुजरात विद्यापीठ ने बारेंया पाटन-वाडिया जाति को ध्यान में रखकर वल्लभ विद्यालय की स्थापना की। उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण सामने रखे गये :

(१) बच्चों में शारीरिक कार्य करने की जो शक्ति है, वह कम न हो जाय, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े। इसके लिए पाठशाला के सामे छात्रालय को अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सुबह से शाम तक की, घर्षाएँ सुबह में विस्तार छोड़े तब से सोने तक की, सब प्रवृत्तियाँ समझदारी से हो सभी छात्रों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है।

(२) बालको के माध्यम से पालको के पास पहुँचना और उनके कुटुम्ब के सत्कार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना।

(३) छात्रों की सर्वांगीण शिक्षा की दृष्टि से छात्रालय-जीवन में किसी

भी प्रकार का नीकर-वर्ग, रसोइया आदि नहीं रखता और छात्रालय-जीवन के रसोई, सफाई वगैरह कार्य शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उपकरण समझकर उनका आयोजन और संचालन करना ।

(४) कदा सात थोड़ी का अभ्यासक्रम समाप्त करने तक छात्रों में कपास से कपड़ा तैयार करने और खेत में घन्न और सब्जी पैदा करके पकाकर खा लेने की निपुणता उत्पन्न करना ।

(५) कुशाग्रत के भेदभाव विचारधियों के भागस पर से दूर हो जायें, इस हेतु से ब्राह्मण से भंगी तक की सभी जातियों के छात्रों को छात्रालय में एक-साथ रखना ।

उपरोक्त दृष्टिकोण को खयाल में रखकर इस संस्था में पूर्व बुनियादी (बालवाड़ी) से लेकर प्राथमिक शिक्षकों के लिए बुनियादी अध्यापन मंदिर तक की शिक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है । इनमें से कुमार-मंदिर और विनय मंदिर के कार्य का विवरण देते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की गयी हैं ।

इस संस्था में आज तक नयी तालीम की दृष्टि से जो प्रयोग हुए हैं, उसके लिए निम्नलिखित पुस्तकें गुजरात विद्यापीठ की ओर से प्रकाशित की गयी हैं :

१. जीवन द्वारा शिक्षा
२. बुनियादी शिक्षण का प्रयोग
३. समूह-जीवन और छात्रालय
४. कताई विद्या
५. बुनाई प्रवेश
६. गौय की सफाई

बोनासन की बुनियादी शाला मुख्यतया आवासिक संस्था (रिजिडेंटिपल स्कूल) है । यहाँ पाँच से सात कक्षा के तीन वर्ग हैं । कटीब-कटीब सभी विद्यार्थी शिवा और आधिक दृष्टि से पिछड़े हुए पाँचों से भामे हुए हैं । यहाँ मुख्य उद्योग बख विद्या, गौण उद्योग कृषि है ।

सुबह और शाम, दो बक्त पाठशाला चलती है । बीस साल के अनुभव के आधार पर हमें यह समय शिक्षा की दृष्टि से उचित मान्य हुआ है । सुबह साढ़े तीन घंटा और शाम को चार घंटा, इस तरह कुल साढ़े सात घंटा पाठशाला का कार्य नित्य चलता है । उद्योग का बक्त हर रोज दो घंटे नियत है—सुबह की बैठक में एक घंटा और शाम को बैठक में एक घंटा । गौण उद्योग का बक्त दो घंटे में ही शामिल होता है ।

पाठशाला में बलग-बलग छुट्टियाँ नहीं दी जाती हैं । महत्त्व के त्योहार में

विविध शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शतवार के सिवाय पाठशाला का कामकाज हमेशा पूरा दिन चलता है।

पाठशाला का कामकाज वर्ष में २५२ दिन चलता है।

शाला की सामान्य समय-सारिणी

घटा	मिनट
०	२५ प्रार्थना, सम्मेलन
०	३० सूत्र-यज्ञ
२	१० उद्योग
०	३० क्रीडा-व्यायाम
२	५५ पाठ्यक्रम के माशरी विषयो का अभ्यास
०	३० शिक्षक की देखरेख में स्वाध्याय
०	३० दो लघु विश्रान्ति

गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियत किन्ना हुआ बुनियादी शालाओं का पाठ्यक्रम पढाया जाता है। सभी विद्यार्थी सातवीं श्रेणी के मास्त्रि में राज्य सरकार की ओर से ली जानेवाली प्राथमिक शालाएत परीक्षा में बैठते हैं।

बुनियादी शिक्षा की महत्त्व की चार नीव हैं—उद्योग, उद्योग द्वारा स्वावलम्बन, समूह जीवन और समाज सेवा के कार्य। इन सब प्रवृत्तियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इन बातों से सम्बन्धित पिछले दस साल का विवरण निम्नलिखित है

उद्योग-उत्पादन : जत्ये में

वर्ष	विद्यार्थी सख्या	कटाई गुण्टी (मीटर नाप, १००० तार)	बुनाई चौ०मी०	कृषि सब्जी, फल किलो०	धान्य दलहन, तेलहन किलो०
'६१-६२	९८	२,६४४	२२४	२,६१८	५१४
'६२-६३	१०७	२,२३२	२५४	२,५१६	१००
'६३-६४	११६	२,५०४	२११	१,७६५	१,०६८
'६४-६५	१०७	२,०५०	१५०	८४०	५५१
'६५-६६	१११	१,६७३	११३	११३	६१०

पाठशाला का स्वावलम्बन

वर्ष	पाठशाला का कुल खर्च	उद्योग की कुल आय	उद्योग द्वारा पाठशाला का स्वावलम्बन
'६१-६२	१,२०२	१,४५५	१५७ प्रतिशत
'६२-६३	७७०१	१,७३८	२२५ " "
'६३-६४	७,५४१	१,६४८	२२१ " "
'६४-६५	६,६७०	१,२०७	१४१ " "
'६५-६६	८,१७६	१,२५४	१५२ " "

वस्त्र स्वावलम्बन और समाज के लिए उत्पादक-धर्म द्वारा कमाई

वर्ष	वस्त्र-स्वावलम्बन गुण्डी मीटर नाप	शाला-समाज के लिए	दान के लिए कमाई
'६१-६२	४,१२१	२१४	—
'६२-६३	४,३७६	८५	३६
'६३-६४	४,२७८	३५५	—
'६४-६५	४,८८१	५०	—
'६५-६६	३,३६१	—	—

प्राथमिक शालान्त इम्तहान का परिणाम

भौसतन ५ वर्ष का	भौसतन ५ वर्ष का	परिणाम के ५ वर्ष का
श्रेणी संख्या	उत्तीर्ण हुए	भौसतन प्रतिशत
२६	२२	७६

हर छात्र प्रतिवर्ष के अन्त में अपने धार्मिक कार्यों का विवरण लिखता है। एक छात्र के तीन साल के अन्त में लिखे गये विवरण में से कुछ हिस्सा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

वस्त्र विद्या

मैं तीन साल विद्यालय में रहा, और इस अवधि में निम्नलिखित कौशल प्राप्त किये

(१) कपाम-सफाई का कौशल, (२) बुनाई मोटना, (३) बुनाई, (४) धुनी बनाना, (५) बटाई, सूत कातना, (६) सूत खोलना, (७) सूत दुबटना, (८) विस्तर निवाड, (९) काजी बनाना, (१०) ताना डालना,

(११) ताना सफाई करना, (१२) कंधी भरना, सारणी, (१३) नेपकीन बुनना, (१४) खादी बुनना ।

इन तीन वर्षों में मैंने निम्नलिखित उपकरण तैयार किये :

पतली माल, मोटी माल, पूनी का सीखचा, घुनकी, खटा-परेता, गलाका, निवाड-राछ ।

। तीन वर्ष में निम्नलिखित कार्य किये :

८६ गुण्टी की कटाई की, ३ मोटर निवाड बुनी, नेपकीन २२ सें०मी० X २२ सें०मी० नाप की बुनी और १० मोटर की खादी बुनी ।

वस्त्र-स्वावलम्बन

तीन साल में मैंने अपने वस्त्र के लिए २१५ गुण्टी की कटाई की । उसमें से ४३ मोटर खादी बुनवायी और गुण्टी देकर उसके एवज में ३ मोटर खादी चड्डी के लिए खादी-भण्डार से ली । मैंने २२ मोटर खादी अपने भाइयों के लिए भेजी ।

कृषि

तीन साल में बैंगन, केले, बाजरा के क्षेत्र में तरह-तरह के काम किये ।

रसोई-विद्या

तीन साल में मैंने रसोई बनाने में निम्नलिखित कौशल प्राप्त किये :—

भावल, दाल, सब्जी, चपाती, भाखरी, पूटी, पकोडा, बूंदी, खीर, कढ़ी, खिचड़ी और लड्डू आदि बनाना ।

रसोई बनानेवाले की आचरण-विधि

- (१) हाथ-पैर धोकर रसोई बनाना चाहिए ।
- (२) स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए ।
- (३) घाला नूँथते या सब्जी काटते वक्त अपने पसीने की बूँद बर्तन के अन्दर नहीं गिरनी चाहिए ।
- (४) रसोई खुली नहीं रखनी चाहिए ।
- (५) बर्तन स्वच्छ करके इस्तेमाल करना चाहिए ।
- (६) रसोई कच्ची न रहे या न जले, इसका ध्यान रखना चाहिए ।
- (७) डोई से पानी लेकर पीना चाहिए ।

इन तीन सालों में प्रति वर्ष मैं वनमोजन में शामिल था और मैंने रसोई पकाने का कार्य किया था ।

सफाई विद्या

इन तीन सालों में मैंने निम्नलिखित अलग अलग स्थानों की सफाई की पेशाबखाना-सफाई, मैदान-सफाई, श्रेणीवार कमरा-सफाई, रसोईघर सफाई, चक्कीगृह-सफाई, दरवाजे सफाई, बुनाई थाला-सफाई, छोटे बड़े बरतन की सफाई ।

सफाई कार्य में इस्तेमाल होनेवाले छोटी-बड़ी झाड़ू बनाने का काम सीखा । मक्खी सब रोग का मूल है । मक्खी गद्दी पर आकर बैठती है, यहाँ अपना घर बनाती है और गद्दी में झरझा रहती है । यह गद्दी पर बैठकर हमारे भोजन पर आकर बैठती है । उसके साथ रोग के कीटाणु होते हैं । वह उन्हें भोजन पर छोड़ जाती है । इसलिए हम रोग के शिकार बनते हैं । इसलिए मैंने भोजन को हमेशा ढाँककर रखा, खाते समय मक्खी उड़ाता रहा, जिससे मक्खी भोजन पर न बैठ पाय ।

इन वर्षों में निम्नलिखित उत्तरदायित्व के स्थानों पर कार्य किये - श्रेणी मंत्री (दो दफा), पुस्तकालय मंत्री (दो दफा), व्यायाम मंत्री (दो दफा) छात्रालय मंत्री, दस्ता-नायक (दो दफा) ।

प्रवास

तीन साल में प्रवास करके निम्नलिखित स्थान देखे घुमारण, वणाक थोरी बाघ, ठाकोर, हुभा, गडदेश्वर, बडोदा, पावागढ़, पेटलाद मिल ।

मैं तीन साल सर्वोदय मेल में गया था ।

सुटेव की शिक्षा

मैंने तीन साल में निम्नलिखित सुटेवों का विकास किया

- (१) सबके साथ मिल जुलकर रहना । (लेकिन कभी-कभी झगडा हुआ ।)
- (२) अपनी सब चीजों को सुव्यवस्थित रखना ।
- (३) शिष्ट आचरण करना ।
- (४) माता पिता और बड़े व्यक्तियों को नम्रता से बुलाना ।
- (५) सुबह जल्दो से नियमित उठना और पाठशाला में नियमित हाजिर रहना ।
- (६) गालियों से बचने का प्रयत्न करना, लेकिन कभी कभी गाली निकल जाती है ।

प्राथमिक शालांत इम्तहान में ५९ प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुआ ।

विनय मन्दिर (उत्तर बुनियादी विद्यालय)

सन् १९४८ में कक्षा ५ से कक्षा ७ तक की बुनियादी शाला की स्थापना हुई। उस शाला में हुए कार्य का ग्रहवाल ऊपर दिया गया है। बुनियादी शाला में काम करते हुए ऐसा अनुभव आया कि छात्र सिर्फ तीन वर्ष ही शाला और छात्रावास में रहता है। इसके दरमियान वह धर्मनिष्ठा, स्वावलम्बन, ईमानदारी, नियमितता, जिम्मेदारी, कर्तव्य-पालन, समाज-सेवा इत्यादि के संस्कार-बीज ग्रहण करता है, परन्तु उसके बाद भागे पढ़ने या व्यावसायिक क्षेत्र में, विपरीत वातावरण के कारण वे संस्कार छूट जाते हैं, इसलिए सात वर्ष तक छात्र शाला और छात्रावास में रहे तो इन संस्कारों का दृढ़ मिचन होना है और इस भवस्या में विवेक-बुद्धि का उदय होने से ये संस्कार सुदृढ़ बनते हैं।

इस दृष्टि से भागे का कदम उठाना उचित और आवश्यक लगता था और इसलिए जून सन् १९६१ में उत्तर बुनियादी शाला का प्रारम्भ कक्षा ८ से हुआ। क्रमशः प्रतिवर्ष भागे एक-एक कक्षा का प्रारम्भ करते-करते सन् १९६४ में शाला में कक्षा ११ तक की पढाई होने लगी।

इस विनय मन्दिर को स्थापित किये सिर्फ ८ साल हुए हैं। इन ८ वर्षों के दरमियान हमारा हेतु रहा है विद्यार्थियों का चरित्र-गठन। चरित्र-गठन के निम्न पहलु सिद्ध करने योग्य हैं और उत्तर बुनियादी शिक्षा द्वारा ये सिद्ध होने चाहिए :—

१. विद्यार्थी ऐसा हो जो उद्यमी हो, किफायतदार हो, विनयी हो, चौकस हो, स्वच्छ हो, सुधड़ हो, बस्त्र-स्वावलम्बी हो, समय का पालन करे, जिम्मेदारी से काम करे, समझदारो, सूझ-विचार और कुशलता के साथ काम करे। वह सहकार और मेल से रहे। उसकी स्वतंत्र विचार-शक्ति (विवेक-शक्ति) का विकास हो। समाज और व्यक्ति की मिलिक्यत को नुकसान न करे। निर्धनता से बचे। नोक बने, वाणी, पठन और लेखन में शुद्ध भाषा का उपयोग करे। धम्यानी बने, देश और दुनिया के प्रश्नों और प्रवाहों से सतर्क रहे।

इस दृष्टि से हम शाला की विविध प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं।

शालेय उद्योग

कृषि-भोपालन शाला का मुख्य उद्योग है। बस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से कताई-उद्योग गौण उद्योग है। शाला में हर रोज आधा घण्टा धरुनोद्योग और

बेड़ घण्टा कृषि उद्योग के लिए नियत किया गया है। कक्षा ८ में छात्रों को कृषि शिक्षा के प्रतिरिक्त अम्बर चरखे पर कताई सिखायी जाती है।

कृषि उद्योग का आयोजन छात्रों के निम्न हेतुओं को ध्यान में रखकर किया गया है :

- १ वे उद्योग के अभ्यासक्रम की मूलभूत प्रक्रियाएँ कुशलता के साथ करें।
- २ कृषि-उद्योग के साधन पहचानें, उचित साधनों का उपयोग करें, उसकी संभाल रखें, सामान्य भ्रमण करें।
- ३ उद्योग की प्रक्रियाओं के लिए जरूरी माल-सामान और शक्ति का साधारण अन्दाज लगा सकें, उसकी गिनती या हिसाब कर सकें।
४. उनकी अवलोकन करने की सूक्ष्म का विकास हो।
- ५ वे उद्योग के नोषपत्रक रखें, उस पर से हिसाब तय कर सकें।
६. उद्योग के जरिये उनके कई गुण—जैसे कि निमग्नता, चौकसी, गति, और सुघटता का विकास हो।

इन हेतुओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में कृषि के प्लाट बाँटे जाते हैं, और इन श्रेणियों में से सामान्यतः आठ या दस छात्रों की टोली बनाकर टोलियों को कृषि के प्लाट सुपुर्द किये जाते हैं। इन टोलियों का कार्य विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उन्हें एक ही कसल के भिन्न-भिन्न प्रकार के बीजों के प्रयोग दिये जाते हैं, जिससे विद्यार्थी तुलना कर सकें और इसमें विशेष रस ले सकें। हर एक टोली अपने कार्य का आयोजन करती है और अपने-अपने प्लाट में जोत के अलावा सभी कार्य करती है। इस तरह के आयोजन से निम्न हेतु सिद्ध होते हैं

- १ विद्यार्थी कार्य का आयोजन करते हैं।
- २ कार्य व्यवस्थित ढंग से और उत्तम उत्पादन पाने के हेतु को ध्यान में रखकर करते हैं।
- ३ इसके लिए वे समय पर और पूरे प्रमाण में खाद देते हैं। जन्तुनाशक दवाओं की जरूरत पडने पर वे उसका उपयोग भी करते हैं, समय पर पानी देते हैं।
- ४ इसके प्रसंग में उपस्थित होनेवाले प्रश्नों और उलझनों के समाधान के लिए वे कृषि शिक्षक और सन्दर्भ-साहित्य का सहारा लेते हैं।
- ५ इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों का अभिक्रम विकसित होता है। उनकी स्वतंत्र बुद्धि शक्ति का विकास होता है और उनकी शक्तियों की योग्य दिशा मिलती है।

इसके प्रतिरिक्त कृषि-उद्योग के अभ्यासक्रम की निम्न पूरक प्रवृत्तियाँ चलायी जाती हैं :

१. कृषि के विभिन्न विषयों की पुस्तिकाएँ स्वाध्याय द्वारा तैयार करना, कक्षा ११ के विद्यार्थियों को तीन-तीन, चार-चार के जूथ में बाँटते हैं और वे जूथ अपने अपने को सुपुर्द किये गये विषयों के लिए जरूरी पुस्तकें, सामग्रिकी आदि का अभ्यास करके करीब १०० पन्ने की हस्तलिखित पुस्तिका तैयार करते हैं। अन्तिम दो वर्षों में तैयार की गयी पुस्तिकाओं के विषय ये रहे

१. सेन्द्रिय खाद, २ असेन्द्रिय खाद, ३ पशुओं के रोग, ४ बागायती फसलें, ५. जमीन की पैदाइश, ६ कृषि के भोजार, ७ फसल सुरक्षण और ८. आवश्यक भोजार।

२ बाकी की कक्षाओं का प्रत्येक विद्यार्थी अपने अनुभव पर आधारित व्यक्तिगत वार्षिक अहवाल तैयार करता है।

३. अभ्यास की पूरक और समृद्ध करने के लिए उसके अनुरूप प्रोजेक्ट हाथ में लिये जाते हैं। इस तरह अन्तिम दो वर्षों में निम्न प्रोजेक्ट हाथ में लिये गये।

(अ) घेडा जिले के खाद्यान्नों की खेती। (फसलें-गेहूँ, बाजरी और गन्ना)।

(आ) वनस्पति शास्त्र।

इसके लिए पुस्तकों का अभ्यास करना, चार्ट्स तैयार करना, सग्रह करना, विविध प्रयोग करना, नमूनों का सर्जन करना। ऐसे विधिवलक्ष्यी शिक्षानुभव इस प्रोजेक्ट द्वारा विद्यार्थियों को हासिल होते हैं। इन सभी के परिणामस्वरूप कृषि सग्रहालय बन सका है, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

४ इन अनुभवों के लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रतिवर्ष जिले के योजित सर्वोदय मेले में खेती-बारी का खास स्टाल तैयार करके अद्यतन रीतियों के प्रचार की योजना की जाती है।

५. कृषि प्रयोग पत्रिका—इस पाक्षिक में महत्व के तीन स्तम्भ हैं (१) प्रगतिशील किसान की अनुभव-बानी। (२) भाप जानते हैं? कृषि विषयक रिपोर्ट। (३) हमारी कृषि शाला की कृषि विषयक वैज्ञानिक जानकारी। इस पत्रिका का सम्पादन विद्यार्थी कृषि शिक्षक के मार्गदर्शन में करते हैं।

कृषि उद्योग के कार्यों में कृषि शिक्षक के प्रतिरिक्त बाकी शिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ रहकर काम करते हैं। सप्ताह में एक दिन (सामान्यतः गुरुवार को) सुबह में ३ घण्टे कृषि का तीव्र कार्यक्रम रखा जाता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ सभी शिक्षक काम करते हैं। बाकी दिनों में कृषि शिक्षक

के भलावा वाकी शिक्षक करीब आधा समय हाजिर रहते हैं और काम की व्यवस्था करते हैं। इस पद्धति का बड़ा असर होता है। शिक्षक अपने काम से विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक मात्र निरीक्षक न रहकर मार्गदर्शक और सहकारी बनते हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के काम व्यवस्थित और उत्साह से सम्पन्न होते हैं। इनके परिणामस्वरूप कृषि-उद्योग जीवंत और सदैव विकसित होता रहता है।

अन्तिम पाँच वर्षों का प्रगति-लेखा निम्नानुसार है —

कृषि के द्वारा आय

वर्ष	विद्यार्थी संख्या	क्षेत्रफल एकड़	आय रुपये में	प्रति विद्यार्थी आय रुपये में	काम के कुल घंटे	प्रति घंटे आय रुपये में
१९६३-६४	७७	३-२५	१३२-०६	१-७२	९,७५४	०-१३
१९६४-६५	९५	५-४	१,०५९-१७	११-४६	१५,१११	०-६
१९६५-६६	८९	५-४	१,१०८-३१	१२-४५	२२,५३९	०-५
१९६६-६७	९२	५-४	१,९१६-१७	२०-५४	१७,२८५	०-१२
१९६७-६८	११९	७-८	४,०१३-६०	३३-१९	२४,५३३	०-१६

शाला-स्वावलम्बन

उद्योग की मूल आय के द्वारा शालेय खर्च (उद्योगसहित के खर्च) का कितना प्रतिशत सिद्ध हुआ है, यह नीचे की तालिका से प्रकट होता है :

वर्ष	शाला का कुल खर्च रुपये में	उद्योग की आय रुपये में	स्वावलम्बन प्रतिशत
१९६३-६४	१९,५४४	१,५८०	८
१९६४-६५	२४,२४५	३,०१२	९
१९६५-६६	२६,०६८	४,८६५	१८
१९६६-६७	३१,८२१	५,३१८	१६.७
१९६७-६८	३४,५०१	७,३३५	२१.२

प्रार्थना

शाला के कार्य के प्रारंभ में प्रार्थना आयोजित की जाती है। प्रार्थना के बाद कार्यालय दिया जाता है। सोमवार के दिन नैतिक कक्षा चलायी जाती है या सुभाषित समझाये जाते हैं। मंगलवार को साप्ताहिक समाचार, उत्तकी भूमिका के साथ नवने में भौगोलिक स्थानों की और निर्देश करके समझाया

जाता है। बुधवार को वैज्ञानिक वार्तालाप का कार्यक्रम रहता है। गुरुवार के दिन सुबह में कृषि का ३ घण्टों का सघन कार्यक्रम होता है। शुक्रवार के दिन ध्वजबदन विधि सिखायी जाती है। विद्यार्थियों में से एक ध्वजरक्षक बनता है और एक ध्वज-प्रमुख बनता है। ध्वज प्रमुख छुट्टी के विसी प्रश्न के बारे में प्रासंगिक प्रवचन देता है। शनिवार को समूह कवामत होती है।

सुबह की प्राथना के समय के सब वार्तालाप शिक्षकों के द्वारा दिये जाते हैं। छात्रालय की शाम की प्रार्थना में विद्यार्थी सक्रिय बन सकें ऐसा आयोजन किया गया है। प्रारम्भ में ईशावास्य उपनिषद् में से पसंद किये गये श्लोकों का गान, भजन तथा धुन गाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों की दैनिक प्रवृत्ति शुरू होती है। इसके लिए अलग अलग कक्षाओं के दिन बाँट दिये गये हैं। ज्यादातर विद्यार्थी समाचार-कथन में भग लें, इसलिए एक विद्यार्थी एक ही समाचार मौखिक रीति से कहे ऐसा आयोजन किया जाता है। इसके प्रतिरिक्त वे प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। इस दृष्टि से वे सामयिकी और पुस्तकों का पठन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रवृत्ति के द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह से खिलती है और प्राथना सम्मेलन ज्यादा जीवत बनता है। इसके प्रतिरिक्त भाचार्य की ओर से एक सदस्य का पठन होता है। गत वर्ष में इस तरह की दो किताबों का पठन हुआ था

(१) देवदूत—आज वाशिंगटन कार्बन की जीवन-कथा।

(२) सत सेवता सुकृत बाधे—श्री नारायण देसाई लिखित पुण्यश्लोक जपुत्री के स्मरण।

इस तरह प्रार्थना-प्रवृत्ति के द्वारा विद्यार्थियों में सत्कारों का सिंचन हो और सुयोग्य अभिव्यक्ति निर्माण हो—इस तरह का प्रयास किया है।

उत्सवों की मनौती

राष्ट्रीय तथा धार्मिक उत्सवों की मनौती सामान्यतः निम्नांकित रीति से करते हैं :

(१) सभा : इन सभा में विद्यार्थी तथा शिक्षक इन उत्सव के बारे में प्रासंगिक वार्तालाप देते हैं। बहुतेरे विद्यार्थियों को सभा में वक्तव्य देने का मौका मिले, इसलिए अलग अलग कक्षाओं को अलग अलग प्रसंगों की सभाओं का संचालन सौंपा जाता है। विद्यार्थी इसके लिए इसके अनुरूप किताबों और मासिकों का पठन करके, अभ्यास करके अपने वक्तव्य सुनाते हैं। इसके साथ सभा-संचालन की भी उनको तालीम मिलती है।

(२) इसके प्रतिरिक्त उत्सवों के अनुरूप सस्कार कार्यक्रम, खेलकूद आनन्द प्रमोद के कार्यक्रम कार्यान्वित होते हैं।

(३) इस तरह सामान्यतः निम्नांकित उत्सव मनाते हैं राष्ट्रीय—स्वातन्त्र्य दिन प्रजासत्ताक दिन (गणतंत्र) रैंडिया भारत, गांधी-जयंती गांधी सप्ताह शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस। जयंतियाँ, सवत्सरियाँ—लोकमान्य तिलक सवत्सरी विनोबा जयंती, सरदार सवत्सरी, स्व० लालबहादुर शास्त्री सवत्सरी, गांधी निर्वाण दिन, नेहरू जयंती। धार्मिक—रक्षाबंधन, वाताल। अन्य—विश्व शान्ति दिन, मानवहक दिन, सत्या स्थापन दिन, कक्षा ११ के विद्यार्थियों के विदाई-समारंभ।

प्रोजेक्ट और प्रदर्शनी

वर्ष में हरेक सत्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के द्वारा किये प्रोजेक्ट की फलश्रुति के रूप में तैयार हो ऐसा आयोजन करते हैं। दो वर्षों के दरम्यान किये गये प्रोजेक्ट ये रहे —

- १ विज्ञान प्रयोग (प्रयोग चार्ट माडल)
- २ धनस्पति शास्त्र—प्रयोग, चार्ट मॉडल संग्रह
- ३ गुजरात के साहित्यकार—जीवनी, कृतियाँ इनकी मुखाकृतियाँ (स्केच)
- ४ भारत के सोलह राज्य
- ५ भारत का चौथा सामान्य चुनाव और भारत का संविधान
- ६ खेडा जिले की खाद्य फसलों की सफल वृष्टि

प्रदर्शनी के वक्त विद्यार्थीगण दशकों को विषय वस्तु समझाते हैं प्रयोगों को समझाते हैं और दर्शकों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के प्रत्युत्तर देते हैं। इस तरह ये प्रोजेक्ट इनकी धम्यास निष्ठा और विविध शक्तियों के प्रोत्साहक होते हैं।

समाज-सेवा के निम्नांकित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है

- गांधी-सप्ताह में इंदगिद की बस्तियों में प्रायना सभा और सस्कार कार्यक्रम।
- ग्राम सफाई।
- धमकाय—इंदगिद के गाँवों में उपयोगी धमकायें आयोजित होता है।
- रूहेल गाँव की घोर का रास्ता लगभग २ फीट ऊँचा १२ फीट चौड़ा और ८७५ फीट लम्बा तैयार किया।
- घोषासन गाँव में बस स्टैंड के लिए मिट्टी डालकर गड्ढा भरने के धमकार्य में भाग लिया।

- कठोल गाँव से रास गाँव की ओर जानेवाले रास्ते को तैयार करने के श्रम-कार्य में भाग लिया गया ।
- सर्वोदय मेला—प्रतिवर्ष बापू श्राद्ध दिन पर आयोजित जिले के सर्वोदय-मेले में विनय मंदिर समाज-सेवा के अग्ररूप निम्नांकित प्रवृत्तियाँ करता है

१. प्रदर्शन—लोकोपयोगी प्रदर्शनी तैयार करना—जैसे, सेतीबारी के चार्ट, नमूने, संप्रह इत्यादि के जरिये किसान लोग कृषि की अद्यतन पद्धतियों से परिचित बनें । महात्मा गांधी का जीवन-दर्शन (चित्रावली), महात्मा गांधी ने क्या सिखाया ? भारत की प्रगति । २ ग्राम-सफाई । ३ श्रम-कार्य और ४. सस्कार-कार्यक्रम ।

इस तरह सर्वोदय-मेले के दरमियान करीब चार दिन विद्यार्थी तीव्रता से ग्रामसेवा के कार्यक्रम में लगते हैं ।

श्रमकार्य

विद्यार्थियों में श्रमनिष्ठा की प्रेरणा पैदा करने के लिए, श्रम के प्रति भावना पैदा करने के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये :—

१. कुमार और विनय मंदिर के विद्यार्थी और शिक्षकों ने सन् १९६४ की वार्षिक परीक्षा के बाद पन्द्रह दिनों में १२० फीट लम्बा और २४ फीट चौड़ा उद्योग मंदिर बाँधा । इस कार्य में सिर्फ राज और बड़इयो की मदद ली गयी थी । शेष श्रमकार्य विद्यार्थी और शिक्षकों ने किया था । सारे काम का आयोजन शिक्षाकृष्ण ने अनुभवी लोगों की मदद से किया था ।

२. कृषि-संग्रहालय के लिए कृषि-मंदिर की चुनाई में करीब एक-तिहाई श्रमकार्य विद्यार्थियों ने किया । उसकी नींव छोदी, नींव में से करीब २ फीट से ३ फीट तक की चुनाई की, पक्की छत भरी, इत्यादि ।

३. छादो-कार्यालय के मकान की पक्की छत भरी ।

४. विनय मंदिर के सारे मकान की पक्की छतें विद्यार्थियों ने भरी । (करीब ६० ब्रास)

५. छात्रालय के नये मकान की नीवे छोदीं (६६ ब्रास) । उसकी पक्की छतें भरी । (४४ ब्रास) -

६. खाला की कृषि की जमीन समतल की ।

इस तरह विद्यार्थियों ने श्रमकार्य करते करते सस्या के प्रति अपनी भक्ति भी व्यक्त की।

अधिकांश विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। इस साल विनय मंदिर के कुल १३३ विद्यार्थियों में से ११६ विद्यार्थी छात्रालय में रहते हैं। छात्रावास की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं —

१ विद्यार्थी सभी काम खुद करते हैं। अतः कोई रसोइया नहीं है और न कोई सफाई कामदार है।

२ दिनचर्या ऐसी है जिससे विद्यार्थियों के समय का समुचित उपयोग हो सके और नियमितता का विकास हो सके।

३ विद्यार्थी मण्डल के द्वारा दैनिक प्रवृत्तियों का संचालन।

४ गृहपरियों की व्यक्तिगत निगरानी।

५ स्वतंत्र समय में जितना शक्य हो उतना विद्यार्थी गोशाला के खत में स्वावलम्बी कमाई करते हैं। इस कमाई में से वे जरूरी स्टेशनरी, साबुन, इत्यादि वस्तुएँ खरीदते हैं।

माध्यमिक शालान्त परीक्षा और विनीत परीक्षा के परिणाम—

गुजरात एस० एस० सी० बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक शालान्त परीक्षा और गुजरात विद्यापीठ द्वारा संचालित समकक्ष विनीत परीक्षा के परिणाम इस तरह रहे हैं —

वर्ष	माध्यमिक शालान्त परीक्षा का परिणाम (प्रतिशत में)	विनीत परीक्षा का परिणाम (प्रतिशत में)
१९६५	७३	१००
१९६६	८६	७५
१९६७	८६	१००
१९६८	९१	९१

पीड़ितों की सहायता

बिहार भूकाल के समय कुमार और विनय मंदिर के छात्रों ने ४ जून भोजन छोड़कर उसमें से प्राप्त हुए २९८ ६५ रुपये बिहार दुष्काल निधि में अर्पण किये।

इस वर्ष दक्षिण गुजरात में आये हुए प्रचण्ड तूफान के शिकार के बने हुए बाँधों के लिए विद्यार्थियों ने १४८ रुपये की पुष्पाञ्जलि अर्पित की। •

कुमार-मन्दिर में गृहकार्य और श्रमायोजन

[कुमार-मन्दिर में प्रयोग और प्राप्ति की पिछली तीन किस्तें क्रमशः 'नयी सालोम' के गत जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के अंकों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इस किस्त में गृह-कार्य और श्रमायोजन से सम्बन्धित कार्य-विवरण तथा कार्य प्रणाली का उल्लेख है।—सं०]

कुमार-मन्दिर के छात्रालय के संचालन एवं सुव्यवस्था के लिए स्वस्थ नागरिक-प्रशासन के तरीके पर अर्हसात्मक क्रियाशीलता के परिक्षेत्र में एक सेवक-मण्डल का गठन होता है। सेवक प्रमुख का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। एक भी विरोध आने पर चुनाव पूरा नहीं हुआ माना जाता है, और उस विरोधी मतवाले बालक को समझाकर, उसे समाधान होने पर ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई मानी जाती है। सेवक-प्रमुख की सहायता के लिए विभागवार सेवक नामांकित होते हैं। इस नामांकन में भी छात्र-परिषद का मत सर्वोपरि और मान्य होता है। कुमार-मन्दिर के विभाग और उनके काम साधारणतः इस प्रकार रहते हैं।

विभाग	काम
१. गृह-विभाग	गृह-व्यवस्था, छात्रालय की देखरेख, अनुशासन, नियम आदि।
२. शिक्षा-विभाग	पुस्तकालय-वाचनालय की व्यवस्था, स्वाध्याय की देखरेख।
३. स्वास्थ्य विभाग	बीमारों की सेवा, आवश्यक औषधि और पम्पादि की व्यवस्था, सफाई की देखरेख।
४. सांस्कृतिक कार्य-विभाग	सांस्कृतिक पर्व-स्वोत्सवों के अवसर पर सजावट, झांकी, रमा, पारायण आदि की व्यवस्था। दोनों समय की प्रार्थना व भजन-धुन का प्रबन्ध।

विभाग	काम
५ धम विभाग	धम का आयोजन, समय निर्धारण, काम का बंटवारा, धीर धम का मूल्यांकन ।
६ क्रीडा विभाग	क्रीडा के प्रकार तय करना वातावरण बनाना, नियम टोलियों में बाँटकर खेल खेलाना, खेल में रुचि पैदा करना, भासपात की शालाओं से क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन करना धीर उसका खेला रखना ।
७ शाला विभाग	शाला के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना, सफाई करना करवाना धीर कक्षाओं की व्यवस्था करना ।
८ उद्योग विभाग	उद्योग के लिए स्थान, विछावन, उपकरण की व्यवस्था, उद्योग का हिसाब किताब, लेन-देन, मूल्यांकन आदि । वार्षिक धीर सामयिक लक्ष्य निर्धारण में भी इनका योग रहता है ।
९ पूर्ति विभाग	खाद्य सामग्रियों का संचय धीर वितरण, हिसाब रखना, साबुन-तेल आदि की व्यवस्था ।
१० सूचना विभाग	सपरो का चयन धीर प्रसारण । घटा बजाना ।

टोली गठन का ढंग

गृहकार्य की दैनिक व्यवस्था के लिए टोलियों का गठन होता है । वर्तमान में ४ टोलियाँ कार्यरत हैं । टोलियों के गठन में बच्चों की इच्छा ही सर्वोपरि रहती है । प्रत्येक टोली में कितने सदस्य हो धीर किसमें कौन रहें, इसका निणय वे स्वयं करते हैं । हर बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार टोली में शामिल होने की छूट रहती है । हर टोली को महीने में एक सप्ताह हर प्रकार के काम करने होते हैं । टोलियों के नायक का चुनाव बच्चों की सहमति से श्री गृहपतिजी करते हैं । फिलहाल हर टोली में ७-७ बच्चे हैं ।

कार्यों के बंटवारे में कोई दिक्कत न हो कौनसी टोली कब क्या काम करे इसके लिए एक कायचक्र बनाया हुआ है । उसके अनुसार ही टोलियों का काम बदलता रहता है कोई व्यवधान नहीं आता । सप्ताह के समाप्त होने पर भोजन बनानेवाली टोली भीतरी सफाई का भीतरी सफाईवाली बाहरी सफाई का, बाहरी-सफाईवाली टोली महासफाई का धीर महासफाईवाली टोली भोजन बनाने का काम संभाल लेती है । । १५१

विभिन्न प्रवृत्तियाँ

सफाई जो टोली भीतरी सफाई का काम करती है, उसके सफाई करने के स्थान निम्न होते हैं। हर छात्र को अपने नियत स्थानों की ठीक-ठीक सफाई करनी होती है। फर्श, दीवार, खिड़कियाँ, दरवाजे, छत और बाहरी दीवार की पूरी पूरी सफाई होती है। कहीं भी कोई मकड़े का आला, या कचरे का ढेर या धूल की पतल पड़ी न रह जाय, इसकी सावधानीपूर्वक देखरेख की जाती है। कमरे में बिछे बिछावन को झटककर, ठीक से तह कर यथास्थान रखने का प्रायश्चर रहता है। कमरे के हर कोने की सफाई हो, हर वस्तु अपनी ठीक जगह पर ही रहे, इसकी समझ बच्चे रखते हैं।

बाहरी सफाई में भकानों के प्रागे पीछे का भाग (मैदान), क्षण्ड-बोक, शौचालय मार्ग, सार्वजनिक सड़क को जानेवाले मार्ग (सयोजक मार्ग) प्रादि की सफाई होती है। मार्ग में झाड़ू जगते हैं, कचरा, कागज के टुकड़े, बड़े पत्थर, प्रादि एकत्रित कर यथास्थान पहुँचाये जाते हैं। अगर इन मार्गों पर से बिछी रेत हट जाती है, उसे पुन बिछा दी जाती है। उग्र प्रायो पासो को निकाल दिया जाता है।

महासफाई में शौचालय मूत्रालय की सफाई भाती है। इसमें कार्यकर्तागण भी भाग लेते हैं। प्रतिदिन ३ कार्यकर्ता इस टोली के साथ काम करते हैं। शौचकसों की सफाई, कमरे के जासे प्रादि न रह पायें, मल प्रवाहिनी पूरी तरह साफ हो, उपयोग में आनेवाला जलागार भी निर्मल हो जाय, इसकी सावधानी बरती जाती है। मूत्रालयों में मूत्र रुक न जाय, इसके लिए ब्रशों का प्रयोग होता है।

सफाई का निरोक्षण करने के लिए सफाई के बाद स्वास्थ्य-सेवक बारीकी से देख जाते हैं कि काम कैसा हुआ, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गयी। यदि कहीं कोई त्रुटि दीखी तो सम्बन्धित टोली-नायक को तत्काल सूचित किया जाता है, जिसे टोली नायक उसी समय सुधार लेता है।

व्यक्तिगत सफाई पर पूरा जोर दिया जाता है। तन साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा। नाक कान, आँख, मुँह, दाँत, शरीर, वस्त्र—सबकी ठीक ठीक सफाई पर बल दिया जाता है। बाल सँवारे हुए हों, वस्त्र धुले हो, दाँत घमकीले हों, नाक साफ हो, आँखों में चमक हो, शरीर में स्फूर्ति हो, इसकी फिकर शृहपतिजी रखते हैं।

जो बच्चा बीमार पड़ता है, उसकी सेवा और औषधि-पध्यादि को समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग संभालता है। शृहपतिजी के भाग्यदेशन में विभाग सेवक

व्यवस्था करते हैं। बड़ी बीमारी होने पर दवाखाना ले जाना, वहाँ प्रवेश दिलाना अथवा बच्चे को घर छोड़ आना, यह समयानुसार स्थिति देखकर किया जाता है।

शुद्ध, निर्मल, ठना हुआ पानी बच्चे को पीने को मिले, इसकी देखरेख गृहपतिजो रखते हैं। पानी के मटको को प्रतिदिन पानी भरने से पूर्व अच्छी तरह धो लिया जाता है।

रसोई : प्रति रविवार को सप्ताह भर के उपयोग के लिए अनाजो की बिनाई-चुनाई बच्चे कर लेते हैं। आटा बाहर से पिसवाया जाता है। प्रसंगानुसार बिनाई चुनाई की गति भी ली जाती है; प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। काम सुन्दर, सफाईपूर्वक होना ही चाहिए इसकी खास फिकर रखी जाती है।

प्रतिदिन हिसाब से खाल-सामग्री अन्न-भण्डार से निकाली जाती है। भोजन टोली पूरी सावधानी से बुद्धिपूर्वक अपना काम करती है। बच्चे विधि-पूर्वक रोटी, दाल, भाजी, चावल आदि पकाते हैं। रोटियाँ समान वजन की और समान गोलार्ध की अच्छी सिकी हुई बनें, इसका ध्यान बच्चे रखते हैं और क्षमतानुसार अच्छा काम करते हैं। शायद ही कभी कोई रोटी जल जाय या कच्ची रह जाय। एक आदिवासी बहन इस काम में बच्चो की सहायता करती हैं। वह गृहमाता के पूरे उत्तरदायित्वो को तो नहीं निभा पाती, लेकिन भोजन बनाने में भरभूर सहयोग करती हैं।

खाने के लिए बच्चे पक्ति में बैठते हैं। परोसने के बाद मन्न बोलते हैं, फिर भोजन आरम्भ होता है। पाली में जूठन नहीं छोड़ते। वे भोजन-कक्ष में 'पान न निद्यात्, तदग्रतम्' का दर्शन नियम करते हैं। बर्तन माँजने के लिए एक रसोई चौक बना है। वहाँ छनी हुई राख रखी रहती है, उसका उपयोग बच्चे करते हैं। जहाँ बच्चे अपने बर्तन धोते हैं वहाँ पानी से भरी सींग मुण्डियाँ रहती हैं, शुद्ध जल से बतनो को धोकर, साफ कपडे से पोछकर, रँग पर जमा कर रखते हैं। खाने के स्थान और रसोई की सुन्दर सफाई की व्यवस्था रहती है। सारा काम ठीक ढग से, नियत समय के अन्दर पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। पर्व त्योहारो पर भोजन की विशेष व्यवस्था होती है। सफाई को भी विशेष व्यवस्था की जाती है।

अपराध-निरोध के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है। अपराध करनेवाले बच्चे को छात्र-परिषद् के सामने अपना अपना अपराध स्वीकारना पड़ता है और भागे बँसा न करने की यह प्रतिज्ञा करता है। अगर एक ही बार बार-

वार प्रपराध करता है, तो छात्र-परिषद् उस पर विचार करती है और सजा के रूप में कुछ अधिक जिम्मेदारियाँ या अन्य कठिन श्रमकार्य देती है, जिसे नियत समय में करके बनाना होता है। उसके प्रति सदैव सहानुभूति का भाव रखा जाता है।

श्रमायोजन की दिशा

श्रम कार्य को गति देने के लिए और दिशा निर्देश के लिए एक साप्तीकार्यकर्ता बच्चों के गण्य रहते हैं। उनके निगरानी में श्रम विभाग के सेवक बच्चे महीनेभर में होनेवाले श्रमकार्यों की योजना बनाते हैं और उस पर श्रमल करते हैं। सेवक बच्चे मूल्यांकन करते हैं कि कितने लोगों ने काम किया, कितने समय तक काम किया, किस दर से काम हुआ, निष्पत्ति-स्वरूप कितनी राशि का काम हुआ और किये जानेवाले काम में से कितना हुआ और कितना शेष रहा।

श्रमायोजन में यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसा काम हाथ में लिया जाय जो सार्वजनिक हित से सम्बन्धित हो—जैसे पगडण्डी बनाना, फसल भरना, कुएँ के पास की सफाई, गाँव के शौचालय, मूत्रालय का निर्माण, मार्गों की सफाई, खेतों के घासपास की और सड़कों के घासपास की अनुपयोगी घासों की सफाई, भवन निर्माण में भाग लेना, भ्रवान्तर मार्गों का निर्माण, दैनिक सफाई में बचे रह जानेवाले काम को पूरा करना आदि कामों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। जो जरूरी होता है, उसे प्राथमिकता देकर क्रमानुसार निपटाते हैं। श्रम की सीमा में, मैदान में, घरों के घासपास, मीठियों के पास पानी छक्कर कीचड़ न जम जाय, इसलिए उन जगहों पर रेत बिछाई जाती है। इससे बरसात में तकलीफ नहीं होती। वायवानी के काम भी इसीके अन्तर्गत होते हैं। बजारियों के निर्माण, उनकी पालें बाँधना, पत्थर जमाना, मिट्टी तैयार करना, फूल पीछे लगाना, उसकी निंदाई-गुड़ाई करना, सीचना, सारे सार-सम्हाल के काम बच्चे श्रमायोजन के अन्तर्गत करते हैं।

श्रमकार्य और श्रमायोजन से बच्चों में कार्य निपुणता आये, बौद्धिक और शारीरिक विकास साथ साथ हो, प्रकृति के साथ एकात्म बोध हो, हर घादमी अपना काम अपने से करे, इसमें सहज स्वावलम्बन सिद्ध हो, सफाई, स्वास्थ्य और कला की दृष्टि से बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो, इसी उद्देश्य से पूरी निगरानी और प्रेमपूर्ण वातावरण में ये काम सम्पन्न किये जाते हैं।

— काली प्रसाद 'श्रालोक'

पोषण और स्वास्थ्य

निर्मला देशपांडे

भगवद्गीता में सारिवक, राजस, तामस आहार का विश्लेषण कर साधना के लिए आहार-शुद्धि की अनिवार्यता बताया गया है। भारतीय जीवन-दर्शन के इस पहलू पर आधुनिक विज्ञान की कई खोजें अधिक रोशनी डाल रही हैं। व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का और समाज-स्वास्थ्य, समाज की शांति का सीधा सम्बन्ध उस भोजन के साथ है, जो हम बिना सोचे-समझे प्रतिदिन करते रहते हैं। इस विषय के जिज्ञासुओं में इंग्लैंड के स्व० सर राबर्ट मेबकरिसन का विशेष स्थान माना जाता है, जिन्होंने भारत की जनता के अलग-अलग भोजन-प्रकारों का गहराई से अध्ययन कर कुछ युनियादी सिद्धान्तों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। अनुभव तथा प्रयोगों पर आधारित उनके ज्ञान का 'पोषण और स्वास्थ्य' (न्यूट्रिशन एण्ड हेल्थ) पुस्तक के द्वारा हर कोई लाभ उठा सकता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से आयोजित खाद्य और खेती के सम्मेलन की सन् १९३४ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमारियाँ, हृण्य शरीर, क्षमता की कमी, रोग प्रतिकार की शक्ति की कमी आदि का सबसे बड़ा कारण है—उचित पोषण का अभाव। सरकार और समाज उचित पोषण की ओर ध्यान दे तो स्वस्थ, उत्साही, सक्षम, दीर्घायु और शरीर-मनोबलसम्पन्न मानवों के समाज का निर्माण हो सकता है। इस विचार को प्रस्तुत करते हुए लेखक कहते हैं कि सुयोग्य पोषण पानो और स्वस्थ बनो। अच्छे जीवनमान (स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग) के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हर व्यक्ति को समुचित पोषण मिले।

खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य, विशिष्ट खाद्य वस्तुओं का शरीर की रचना और कार्य-पद्धति में स्थान, राष्ट्र का स्वास्थ्य और पोषण, खाद्य-शुद्धि के अभाव के कारण होनेवाली बीमारियाँ, अनुचित खाद्य के कारण होनेवाली बीमारियाँ तथा पोषण और स्वास्थ्य के बारे में आधुनिकतम प्रयोग, इन छः प्रकरणों के द्वारा यह छोटी पुस्तक एक कीमती विचार देती है। प्रयोगशीलता की महिमा को बताते हुए लेखक अनाग्रही वृत्ति रखते हैं और मानते हैं कि नये-नये प्रयोग होते जायेंगे और ज्ञान के पटल खुलते जायेंगे।

दिसम्बर, '६८]

[२२६]

शरीर की रचना, पोषण से होनेवाली क्रियाएँ आदि जानने के लिए कुछ प्रारम्भिक जानकारी की आवश्यकता है। हर जीवन की तरह मानव का शरीर भी अनगिनत 'सेल्स' (कोष) का बना हुआ है, हर 'सेल' एक भौतिकी तथा रासायनिक प्रयोगशाला ही है। जब वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तब फिर बीमारियाँ पैदा होती हैं। मानव जैसा खाता है, वैसा बनता है। हवा, पानी, जमीन, सूरज की रोशनी आदि की सहायता से निर्जीव वस्तुओं का सजीव वस्तुओं में परिवर्तन कर, वनस्पति मानव के लिए खाद्य पैदा करती है। यह सत्य है कि मानव मिट्टी का बना है। और उसका पोषण भी मिट्टी में से पैदा की हुई चीजों से करता है। इस तरह धरती तथा समस्त जीवन-सृष्टि के माध्यम मानव का अत्यन्त निकट का संपर्क है। सेल्स का पोषण, परस्परानुबन्ध, उनके कार्यों का संचालन और शक्ति निर्माण, इनके लिए जो ग्रहण किया जाता है वह खाद्य कहलाता है। जिनके द्वारा ये सब कार्य किये जाते हैं, वे हैं—आवसोजन (प्राण-वायु), पानी, प्रोटीन्स (दाल जाति के पदार्थ), फैट्स (चिक्नाईवाले पदार्थ), कार्बोहाइड्रेट्स (शक्करवाले पदार्थ) तथा विटामिन्स (सजीवन-सत्त्व) आदि अनन्त चीजें। इनमें दस हैं एमिनोएसिड्स, जो प्रोटीन्स से प्राप्त होते हैं, श्वारह कैल्शियम सोडियम जैसे निर्जीव द्रव्य हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा प्राप्त होनेवाला ग्लूकोज, एक है फैट्स से प्राप्त होनेवाला निनोलिक एसिड और छ विटामिन्स हैं। किसी भी एक खाद्य-पदार्थ में सब चीजें नहीं होती हैं, इसलिए विविध पदार्थों का सन्तुलन, समुचित मात्रा तथा इन सब चीजों का समुचित परस्पर-अनुबन्ध शरीर धारण के लिए आवश्यक है। इनके साथ खून के निर्माण के द्रव तथा रफेज (फुल्ला) की भी आवश्यकता होती है। मलावा इनके हरी सन्निधियों में हरेपन में कुछ ऐसे विशेष गुण रहते हैं, जो किसी भी 'सिथेटिक फूड' (कृत्रिम आहार) से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए ताजी हरी चीजों का आहार में विशेष स्थान है। हरी सन्निधियों के गुण भी सब्जी पैदा करने की पद्धति, जमीन की स्थिति, खाद, पानी आदि चीजों पर निर्भर हैं। सेल्स मानते हैं कि भारत में प्राकृतिक खाद के द्वारा पैदा किये हुए भजन में कुछ विशेष गुण होते हैं; जो पश्चिमी देशों में कृत्रिम खाद के द्वारा पैदा किये हुए भजन में नहीं होते हैं। इस तरह खेती की पद्धति पर खाद्य के गुण निर्भर रहते हैं। अगर हम धरती से अच्छी चीजें चाहते हैं तो हमें धरती की समुचित सेवा करनी होगी। कृत्रिम खाद आदि के द्वारा धरती की शक्ति कम होते ही एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें कम शक्तिवाली घास, मशकत पशु, कम गुणवाला खाद्य और अन्त में अस्वस्थ, रूग्ण मानव बनता जाता है।

जिस घरती में हमें तथा समस्त जीवन सृष्टि को पोषण मिलता है, उस घरती को खाद्य रूप में मल, मूत्र, पतियाँ आदि सब निरन्तर वापस मिलता रहेगा, सभी स्वस्थ जीवन का निर्माण होगा।

मानव शरीर की कार्य-रचना में अगणित क्रियाओं का परस्पर अनुबन्ध है, जिनके मूल में वह खाद्य है जो हम खाते हैं। अनुचित पोषण के कारण यानी खुली हवा, सूप प्रकाश, व्यायाम, धाराम, नींद की कमी, प्रतिश्रम और थकान, चिन्ता, मानसिक तनाव, नैलरिज की कमी, नशीली वस्तुओं का प्रतिशेवन, अनुचित खाद्य आदि के कारण मानव शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। लेकिन इन सबमें अनुचित खाद्य का सबसे अधिक असर होता है। बन्दर तथा चूहों को अलग-अलग प्रकार का पोषण देकर कई प्रयोग किये गये हैं, जिनसे यह साबित हुआ है कि किसी खास बीमारी का प्रधान कारण है किसी विशिष्ट पोषक-गुणों का खाद्य में अभाव। भारत के विभिन्न प्रान्तों के आहार चूहों को लेकर लेखक ने यह पाया है कि उन उन प्रान्तों में होनेवाली बीमारियाँ उसी प्रकार का आहार पानेवाले चूहों को भी होती हैं। और उस आहार की कमी को दूर करनेवाली चीजें आहार के साथ जोड़ी जाती हैं तो चूहे भी स्वस्थ हो जाते हैं। पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास आदि प्रान्तों के आहारों को लेकर प्रयोग करने पर लेखक ने देखा कि वश (रिस), आवोहवा आदि के कारण नहीं, बल्कि भोजन के कारण मद्रासी की अपेक्षा पंजाबी अधिक ताकतवर और स्वस्थ होता है। रोटी खानेवाले क्षेत्र से आया हुआ गेहूँ पीसकर रोटी खाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से चावल खानेवाले पालिशड (साफ किया हुआ) चावल खाते हैं। और चावल बनाने का तरीका भी ऐसा होता है कि उसके कई पोषक द्रव्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए रोटी खानेवालों के शरीर अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ पाये जाते हैं। रोटी दाल दूध दही, तथा हरी सब्जी और थोड़े से फल खाने वाला पंजाब तथा सरहद सूबे का व्यक्ति स्वाभाविक ही अधिक स्वस्थ और तगडा बनता है, क्योंकि उसके पोषण में वे सारी चीजें होती हैं जिनकी शरीर के लिए आवश्यकता है। चोकर, निकाला हुआ आटा तथा सफेद चीनी से बहुत मुकसान होता है।

लेखक ने एक और प्रयोग किया। समान किस्म के चूहों के दो दलों को समान परिस्थितियों में रखा। लेकिन एक दल को पंजाब की खुराक दी और दूसरे को इन्डो के गरीबा की खुराक दी, जिसमें सफेद ब्रेड, थोड़ा दूध व अधिक शक्करवाली चाय, उबले आलू गोभी, डिब्बों में बन्द गोश्त (टिण्ड मीट) और

जेम दिया। नतीजा यह हुआ कि रोटी, दाल, सब्जी, दूध लेनेवाले चूहे स्वस्थ बने तथा शांति और सहयोग से रहने लगे और इंग्लैंड के गरीब वर्ग का खाना खानेवाले चूहे कमजोर, बीमार बने और एक दूसरे को काटने लगे। अन्त में उनमें से कुछ अधिक बलवान चूहों ने कमजोर चूहों को खा डाला और बचे हुए बीमार पटने लगे, जिनमें पेट की तथा फेफड़ों की बीमारियाँ आदि विशेष पायी गयी, जो पजाबी खाना खानेवाले चूहों में नहीं पायी गयी। फिर उन्हीं चूहों को मद्रास का खाना दिया गया तो वे वैसे ही रहे। उच्च भी यही है कि मद्रास तथा इंग्लैंड के गरीब वर्ग में वे ही बीमारियाँ पायी जाती हैं, जो चूहों में पायी गयीं।

पेष्टिक भ्रूण (पेट के अणु) का कारण ढूँढ़ने के लिए लेखक ने जो प्रयोग किये, उनमें समान किस्म के स्वस्थ चूहों के तीन दलों को तीन किस्म का भोजन दिया। पजाब का भोजन लेनेवाले चूहों को भ्रूण नहीं हुआ, मद्रास का पालिरड चावल खानेवालों में ग्यारह प्रतिशत और प्रचुर मात्रा में टेविप्रोका (पहाड़ी आलू) खानेवालों प्रावनकोर के लोगों का भोजन लेनेवाले चूहों में उनसे प्रतिशत भ्रूण पाया गया। पजाब के भोजन से दही, दूध, हरी सब्जी को कम करके चूहों को खिलाया जाये तो स्टोन (पथरी) जैसी बीमारी होती है। इसी तरह अन्य बीमारियों का कारण भी अमनुचित आहार में ढूँढ़ा जा सकता है और सकामक बीमारियों का हमला भी अमनुचित आहार लेनेवालों पर ही होना है।

हवा (आवृत्त) तथा पानी को भी भोजन का हिस्सा मानना चाहिए, जिनका शरीर धारणा में प्रथम स्थान है और जिनकी कमी के कारण फेफड़े की, पेट की बीमारी जसी कई बीमारियाँ होती हैं। पोषण में दूसरा स्थान है प्रोटीन का। शरीर के एक एक किलोग्राम वजन के लिए एक ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। लेकिन इससे अधिक मात्रा में लेने पर नुकसानदेह साबित होता है। लेखक मानते हैं कि यह खयाल गलत है कि गोशत के द्वारा प्राप्त होनेवाला प्रोटीन अधिक अच्छा होता है। लेखक की राय में दूध तथा दूध से बनेवाली चीजों के द्वारा प्राप्त होनेवाला प्रोटीन अधिक अच्छा है। अधिक दृष्टि से भी गोशत का आहार फायदेमन्द नहीं माना जायेगा। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की शक्ति घटती है और पेट की बीमारियाँ आदि कई बीमारियाँ होती हैं। मिनरल साल्ट्स (खनिज क्षार) को आकाहारियों को अधिक आवश्यकता रहती है। कैल्शियम (चूना) फास्फोरस, आयन (लोहा)

तथा आयोडीन की कमी के कारण कमजोर हड्डियाँ और यौन शक्तिक्रम, एनिमिया (रक्त की कमी), ग्वाइटर (कठमाला) जैसी बीमारियाँ होती हैं । विटामिन्स की कमी के कारण शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति घटती है और कई बीमारियाँ होती हैं । गर्भिणी स्त्रियों तथा बच्चों को विटामिन्स की सर्वाधिक आवश्यकता है ।

असन्तुलित आहार और गन्दगी रोग निर्माण के प्रधान कारण हैं । लेखक मानते हैं कि डाक्टरों को इस ओर विशेष ध्यान देकर रोग प्रतिबन्धक कार्य करना चाहिए । दो हजार साल के पूर्व हिपोक्रेट्स ने कहा था कि डाक्टर को चाहिए कि वह जनता के खाद्य, पेया की आदतों का अध्ययन करे और उसका उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होता है यह जाने । जो यह नहीं जानता है, वह उसके परिणामों को, बीमारियों को क्या जानेगा ?

पोषक आहार, खुली हवा, सूर्य प्रकाश आदि के कारण भारत के हिमालय के जंगलों और पहाड़ों में रहनेवाले, प्राकृतिक ढंग से पैदा किया हुआ घना जखानेवाले हूँसा जैसी जमातों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है । विकसित देशों के बड़े शहरों के निवासियों में पायी जानेवाली बीमारियाँ उनमें नहीं हैं । इंग्लैंड में स्वास्थ्य की सर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि वहाँ के भोजन में भी प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयर्न, विटामिन 'ए' तथा 'डी' की कमी है । कोनुर की प्रयोगशाला में लेखक ने पाया कि तीन दिन के बाद हरी सब्जी का अधिकतर विटामिन 'सी' नष्ट हो जाता है । इसलिए ताजी सब्जी खानी चाहिए । इंग्लैंड को यह नसीब नहीं होता है, और न उन्हें विटामिन 'डी' देनेवाला प्रचुर सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता है ।

लेखक मानते हैं कि सन्तुलित आहार के द्वारा बीमारियों को रोकने के काम को प्रमानता देनी चाहिए, जिसके लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना, शिक्षा के द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है । जनता को यह बनाना चाहिए कि क्या खाया जाय, कैसे और कितना खाया जाय । ग्रह-वाटिका योजना का विकास करना चाहिए, ताकि हर परिवार अपने लिए साम-सब्जी पैदा कर सके, पशुपालन कर ताजा दूध प्राप्त कर सके । हम कोई मन्दह नहीं कि स्वस्थ देश यह होगा, जहाँ हर व्यक्ति का जमीन से सम्पर्क होगा और हर व्यक्ति मृमाता की सेवा करेगा ।

पुस्तक का अंतिम अध्याय सिक्किम द्वारा पचीस साल के बाद निर्यात गया है, जो बहुत ही 'गुण पचीस साल के प्रयोग' के परिणामस्वरूप सर राफर्ट

मेक्करिसन के इस कथन की पुष्टि हुई है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सतुलित आहार। जानवरों पर किये गये प्रयोगों के तथ्यों को मानव पर लागू करते समय सर राबर्ट ने आवश्यक सावधानी बरती है। उनके वाद हुई नयी खोजों में से एक खोज यह है कि हमारे शरीर के अन्दर अम्लों में बैक्टीरिया (जीवाणु) के द्वारा विटामिन्स का समन्वय कुशलता से किया जाता है। पेनिमिलिन जैसी एंटी बायोटिक दवाएँ खाने से अम्लों प्रथम बन सकती हैं और वह प्राकृतिक समन्वय-कार्य बन्द हो सकता है। दूसरी खोज है, एंटी-विटामिन्स के अस्तित्व की जानकारी की।

अमरीका जैसे विकसित देशों की समस्या है अम्ल आहार की। वहाँ पर खाद्य वस्तुओं का अपव्यय तथा नाश होता रहता है। जहाँ दुनिया की दो-तिहाई जनसंख्या समुचित आहार के अभाव से पीड़ित है, वहाँ अमरीका जैसे देशों की एक-तिहाई जनसंख्या गलत आहार से पीड़ित है और वहाँ पर कैन्सर, दिल की बीमारी आदि बढ़ रही है। इन देशों के आहार में उपयोगी फेट्स के अजाप मुक्तानदेह फेट्स का मात्रा अधिक रहती है, जो प्राणोजन्य तथा डिट्रो में बन्द फेट्स के रूप में रसोईघर में प्रवेश करती है। घरती को दिये जानेवाले कृत्रिम रासायनिक खाद डी० डी० टी० जैसे कीटाणुनाशक आदि के वनस्पतियों पर और उनके द्वारा मानव शरीर पर होनेवाले परिणामों की भयकरता को अभी तक हमने समझा नहीं है। जिन जानवरों का गोشت खाया जाता है, उन्हें दिये जानेवाले सेक्स हार्मोन्स, एंटी बायोटिक्स तथा ट्रेक्विलाइजर्स (शामक दवाइयाँ) के हमारे खाद्य पर होनेवाले परिणामों को भी हमने ठीक से जाना नहीं। लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि खोज आरम्भ हो गयी है और अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि पोषण और स्वास्थ्य की समस्या पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विचार तथा आचार आरम्भ हो गया है।

('न्यूट्रिशन एण्ड हेल्थ'—सर राबर्ट मेक्करिसन, फेवर एण्ड फेवर लिमिटेड, २४ रसेल स्क्वेयर, लन्दन।)

ज्ञान प्राप्ति से पहले अिन्द्रिय शिक्षण अधिक महत्त्व का है। बच्चों को उठना, बैठना, खाना, सोना, चलना आदि का भी शिक्षण देना चाहिए।

बच्चों को ऐसी पद्धति से शिक्षण देना चाहिए, जिससे उनमें, स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पैदा हो सके।

(‘शिक्षण विचार’ से)

— विनोबा

शिक्षक और शिक्षणालय

मदनमोहन पाण्डेय

[अनेक शिक्षक-बन्धु शिक्षक और शिक्षणालय की वर्तमान परिस्थिति से दुःख और दुःखी हैं। विनोबाजी द्वारा 'आचार्यकुल' की उद्भावना इस परिस्थिति के निराकरण के लिए ही हुई है। वस्तुतः 'आचार्यकुल' की प्राण प्रतिष्ठा होने पर शिक्षकों को वह सम्मान और गरिमा प्राप्त होती है, जिसके वे अधिकारी हैं।—स०]

शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा होता है। वह निर्माता है, स्रष्टा है। ज्ञान-विज्ञान की नयी परम्पराओं का गृहण करना उसके जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। वह एक महान् शिल्पी है, जो मृण्मय मूर्तियों में नया प्रकाश, नयी चेतना उत्पन्न करता है। वह बालक के अविकसित मन को एक नये सचि में ढालकर उसे एक नया रूप प्रदान करता है। वह समाज का नियामक भले ही न हो, निर्माता तो है ही। सचमुच ही वह राष्ट्र के जीवन का सबसे महान् सरदाक है। वह गुरु है, अस्तु गरिमा से युक्त है। आज शिक्षक उपेक्षित है। हमारे वर्तमान सामाजिक ढाँचे में शिक्षक का स्थान निम्नतम है। वह छासकों के द्वारा ठुकराया जाता है। वह राजनीतिज्ञों के हाथ की कटपुतली है। उसे न तो आर्थिक सुविधाएँ ही प्राप्त हैं, न वह सम्मान, जिससे वह राष्ट्र को ऊँचा उठा सके।

शिक्षक को हर प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थ में ज्ञान को उपासना कर सकता है और विश्व को अपनी प्रतिभा का अमूल्य परदान दे सकता है। जिस देश में शिक्षकों का अपमान होता है वह देश कभी भी उन्नति नहीं करता है। भारत जैसे देश में जहाँ कभी शिक्षक का

स्थान अत्यन्त ऊँचा था, आज अपने थो शिष्टव कहते में भी लोगों को लज्जा का अनुभव होता है। आज शिक्षक का पेशा सबसे गदित समझा जाता है। दूसरे पेशेवाला से कम सुविधाएँ प्राप्त होना ही इसका एकमात्र कारण नहीं है, शिक्षक के प्रति उदासीनता का प्रमुख कारण है—शिक्षण के क्षेत्र में ऐसे भ्रष्टाचिंत तत्त्वों का प्रवेश, जो शिक्षा के मर्म को नहीं जानते और जिनमें बौद्धिक एवं धारित्रिक, सभी प्रकार की गरिमा का अभाव है। हम शिक्षक का चुनाव करते समय केवल उसकी डिग्री देखते हैं, हम उससे अन्य गुणों की अपेक्षा नहीं करते। प्रायः सभी शिक्षा-संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों की भरमार है जिनमें शिक्षक बनने का गुण नहीं है। न तो किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान ही है न वे उनके पास वह प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व ही है, जो मन पर अमिट छाप डाल सके। वे केवल इसलिए शिक्षक माने जाते हैं कि उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र है और वे शतरज की उन सभी बालों से परिचित हैं, जो दूसरों को मान दे सके। भला ऐसे शिक्षक का कौन आदर करेगा। ऐसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कौनसी प्रेरणा दे सकते? वे व्यवहार-कुशल कहे जा सकते हैं। वे दूसरों की रक्षा सकते हैं। वे सुचामद के द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्यों को अपनी उत्पत्तियों का बोध करा सकते हैं और अपने कुत्सित आचरण से सारी संस्था के जीवन को विधात बना सकते हैं, किन्तु वे स्वयं आदर्शहीन होने के कारण नये आदर्शों की संस्थापना नहीं कर सकते।

आज के अध्यापक कुण्ठाग्रस्त हैं। जहाँ एक ओर अल्पज्ञ, अज्ञान एवं स्वार्थी लोगों ने हमारी संस्थाओं पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ लगा रखी है, वहीं सतत ज्ञान की साधना में लीन रहनेवाले निष्ठावान अध्यापक मय और अनिश्चितता को दारुण यंत्रणा से पीड़ित हैं। वे धकित एवं स्तम्भित होकर निपति के क्रूर परिहास पर आँसू बहाते हैं। प्रबन्ध समिति के सदस्यों तक उनकी आवाज नहीं पहुँचती, क्योंकि वे पूर्वाग्रह से युक्त हैं और उलभे हुए हैं शतरज की चालों में। काश हमारी शिक्षा संस्थाएँ नामधारी शिक्षकों के क्रूरपाश से मुक्त हो जावें। किन्तु क्या यह संभव है?

हम भीषण दलदल में फँसे हुए हैं। हमारे योग्यतम शिक्षक भवसरवादी व्यक्तियों के कुचक्र के कारण अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शिक्षा संस्थाओं पर अयोग्य व्यक्तियों का नियंत्रण है।

व्यक्तिगत संस्थाओं में राजनीति का बोलबाला है। सत्ता की होड़ में हमारे अधिकांश शिक्षक अत्यन्त बर्बर आचरण पर तले हुए हैं। विद्यार्थियों को परीक्षोपयोगी ज्ञान मात्र प्रदान कर वे अपना सारा समय शतरज की चालों

मे व्यनीत करते हैं। गुटबन्दिमो और दलबन्दिमो के कारण विशुद्ध सेवा की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करनेवाले व्यक्तियों को मादात नरक का दर्शन होता है। चास्तव में कतिपय व्यक्तियों के निहित स्वार्थ ने अनेक शिक्षा संस्थानों का जीवन इतना भयावह बना दिया है कि राजनीति से पराडमुख्य व्यक्ति के लिए पुटन सी पैदा होने लगती है, और कुछ हैं शिक्षक—राजनीतिज्ञ ! विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का उनके ऊपर दायित्व नहीं है। यह दायित्व तो केवल उनका है जो अनायास ही इनके कोपभाजन बनकर मानसिक सबषों से उत्पीडित होते रहते हैं। ये अपनी अल्पज्ञता को अनेक आवरणों से ढककर आदर्शों की दुहाई दे देकर अपनी महत्ता का घातक स्थापित करते हैं और संस्था के विकास में अनेक प्रकार की अहचनें डालते हैं। ये अधिकार और गर्याबा के लिए सधप करते हैं। संस्था के अन्तर्गत अपना पृथक् गुट बनाकर सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं और अपने गुट के बाहर के लोगों को अपना शत्रु समझकर उन्हें उखाड फेंकने का प्रयास करते हैं। अस्तु, हमारी शिक्षा-संस्थाओं में एक ओर तो सत्ता का सधप चला करता है और दूसरी ओर अस्तित्व का खतरा कर्मठ अध्यापकों को सही दिशा में अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग नहीं करने देता। इन नामधारी शिक्षकों से राष्ट्र का कितना हित हो सकता है विचारणीय है।

प्रश्न यह है कि यदि हमारी शिक्षा संस्थाएँ ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं की जाती और प्रवृत्तमा अध्यापन को जीवन का पवित्रतम उद्देश्य समझनेवाले निस्पृह और सच्चे शिक्षकों को निरंतर शोषण और अत्याचार का शिकार होना पडता है तो देश के लिए राष्ट्र के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। इन शिक्षक राजनीतिज्ञों ने शिक्षा के क्षेत्र को अत्यन्त दूषित बना दिया है। संस्थाओं में इनका एकाधिपत्य है। वहाँ इनके कुनबे पलते हैं। प्रत्येक कर्नव्यपरामर्श शिक्षक इनके पडबन्धों का शिकार बनता है। ये जिससे बूट हो उसका जीवन दुःखमय बन जाता है। इनमें ज्ञान अथवा अरित्र का वैशिष्ट्य नहीं होता। ये कूटनीति के पांडित होते हैं। ये संस्थाओं के भाग्यनिर्माता हैं व्यक्तियों के भाग्यनिर्माता हैं। इनकी उपस्थिति, बाहुल्य, शक्तिस्वपना सभी शिक्षा के मार्ग में बाधक हैं किन्तु सचालकों की दृष्टि में ये बृगल समझे जाते हैं। इस भाँति के शिक्षक समाज के, राष्ट्र के शत्रु हैं, फिर भी इन्हें असीम एवं अपरिमित अधिकार प्राप्त है। ये प्रबन्धकों के विश्वासभाजन बनकर अपना उल्लू सोधा करते हैं। ज्ञान और अरित्र की महत्ता ही क्या है, जब हमारी शिक्षा-संस्थाओं में प्रतिभा का सम्मान नहीं हो सकता ?

परमहंस बाबा राघवदास

विपदा के साथी, दीनों के बन्धु, दुर्बलों के रक्षक, मुक्तों के चरित्र-निर्माता, स्वतंत्रता के पुजारी, त्यागमूर्ति बाबा राघवदास जनता के लिए देवतुल्य मानव थे। मँसोला कद, चौड़ी छाती, पतली कमर, गेदुमाँ रंग, ज्योतिष्मान चेहरा, सिर और दाढ़ी के बड़े बिखरे बालों के बीच तेज चमकीली भाँखें ! भाजाड़ी की लड़ाई के दौरान कभी कभी बाल छुटवा देते तो चेहरे की दीप्ति और बढ़ जाती। गले में बँधी तुलसी की नन्ही कण्ठी जिस पर लोगो की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती थी, उन्हें कर्तव्य की याद दिलाती रहती। नंगे घट पर श्वेत सादी की चादर और नीचे लंगोट के ऊपर धँसा ही शुभ कौरीन। बड़ा माकपंक्य स्वभाव था उनका। वह अपने हाथ से कते सूत का ही कपड़ा पहनने। उसे अपने हाथ से चमकाकर धोने। भाग्रह करने पर भी दूसरो से अपनी सेवा कभी नहीं करायी। उनका घर और कार्यालय उनके बन्धे पर रहता था। जहाँ बैठते, जल्दी से 'यरवदा' चरखा खोलकर सूत कातने लगते। उनकी मारी जिमा तेजी और फुर्ती से होती। वह एकसाथ जल्दी-जल्दी कई काम करते। तेजी से चलते, तेजी से बोलने, तेजी से लिखते-पढ़ने। मानो भागते हुए समय के एक-एक पल को दौड़ाकर पकड़ लेना चाहते ही। यही छोटा-सा परिचय है बरहज के परमहंस बाबा राघवदास का।

बाबा राघवदास प्राय ३ वजे उठ जाया करते थे। पहर रात रहते ही वह गहा-घो, पूजा-पाठ कर काम में लग जाते और दिन भर काम करते रहते। काम, निरन्तर काम, नये-नये लोकोपयोगी काम। काम ही से वो भारमी की दुनिया बनती और सजती है।

बाबाजी का सबसे बड़ा गुण था कि वह मनमनाकर चलते, तिलमिलाकर देखते, छटपटाकर सोचते और क्षणक्षणाकर काम करते। सुस्त गिथिल यात्री वह नहीं थे। अपनी मद्दम्य साधना से 'परवैति' को उग्हंति साकार कर दिया।

सन् १९५१ में विनोबाजी ने भूदान आन्दोलन शुरू किया। काल-प्रवाह के विरुद्ध होते हुए भी विनोबा के भूदान आन्दोलन को देश की जनता का प्यार मिला। उसी प्यार की लहर ने बाबा राघवदास को विनोबाजी से मिला दिया। उत्तर प्रदेश में विनोबाजी ने सन् १९५२ में ११ महीने पदयात्रा की। ४२ जिलों में ३००० मील पैदल घूमे। बाबा राघवदास उनकी इस पदयात्रा के अग्रिम दस्तों के नायक थे। ६ अप्रैल १९५५ को २ वर्ष की अखण्ड पदयात्रा का सकल्प लेकर उन्होंने अपना बरहज आश्रम छोड़ा और यह घोषित किया कि जबतक भूदान की समस्या हल नहीं होगी, अपने आश्रम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने लगभग १५ हजार मील की भूदान-पदयात्रा की। १०० प्राग्दान, ५० हजार एकड़ भूमि, ४८ हजार रुपये नकद, ४० हजार रुपये की सम्पत्ति, २००० मन भ्रम, ४० जोड़ी बैल, १४०० वृक्ष, ३० भुएँ, १५ भकान और २०० सेती के भोजार उन्हें दान में मिले।

बाबा राघवदास की अन्तिम साँस भूदान के पवित्र पथ पर चलते-चलते टूटी। मध्यप्रदेश में जाकर वहाँ के आदिवासियों की गरीबी देखकर वह अपने को और भूल गये। सिवनी में मध्यप्रदेश का सर्वोच्च सम्मेलन होने जा रहा था। बाबाजी उठाका उद्घाटन करने गये। जाड़ा खूब पठ रहा था। कपड़े उनके पास बहुत थोड़े थे। पाँच नंगे, सिर नंगा, घट नंगा, भाग का भी सेवन नहीं। फलस्वरूप ८ जनवरी को बाबा राघवदास के फेफड़ों में शीत समा गया। ज्वर की हालत में भी बाबाजी ने सम्मेलन की कार्यवाही में पूरा योगदान दिया। १२ जनवरी को वे राय्यारूढ़ हो गये और १५ जनवरी १९५८ को जब सूर्य उस्तागवण हो गये तो गीता का अन्तिम श्लोक समाप्त होते-होते उनके प्राण-पक्षेरू रात में ११ बजकर २० मिनट पर उड़ गये। इस प्रकार चलते चलते चल बसे बाबा राघवदास।

याद आ गयी वे पत्किर्माँ, जिन्हें एक फकीर ने स्वामी सत्यानन्द के आश्रम पर मुनायी थी

अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों^१ में,
तो खिलवत^२ भी बाजार से कम नहीं है,
मगर जिसके दिल को है एक सूई^३ हासिल
तो वह अशुभन^४ में भी खिलपत नहीं है।

१ दुनियादारी, २. एकांत, ३. एकाग्रता, ४. भीड़भाड़ मजलित।

बाबा राघवदास का जन्म पूना के माहुले मुहल्ले में बेलगाँव तहसील के पाञ्छापुर गाँव से आकर बसे हुए संभ्रान्त ब्राह्मण परिवार में १२ दिसम्बर १८६६ को हुआ। यह वही पाञ्छपुरकर परिवार था जो बाजीरावपेशवा तक को फर्ज दिया करता था। इनका बचपन का नाम राघवेन्द्र था। राघवेन्द्र के पिता का नाम शेषो क्षमोदर और माता का नाम यशोदा देवी था। राघवेन्द्र के चार भाई और तीन बहनें थी। इस प्रकार शेषप्पा पाञ्छापुरकर के आठ सन्तानें थी। राघवेन्द्र पाँचवें पुत्र थे। माता पिता धार्मिक भावना के थे। समाज में उनका बड़ा आदर था।

भाई-बहनों के बीच बड़े लाडल्यार से वह पल रहे थे। माता का उन पर विशेष स्नेह था। उसी समय परिवार के ऊपर बख़्शपात हुआ। एक एक करके भाई, बहन, माता और पिता, सभी को प्लेग ने अपना आस बना लिया। केवल बचे रहे राघवेन्द्र और छोटा भाई यादवेन्द्र। लाशों से पटे घर को बाँध कर छोटोटी पर दोनों भाई थे। अकस्मात् यादवेन्द्र भी ज्वराक्रांत हुआ। राघवेन्द्र नदी से पानी लाकर उसे पिलाते, घण्टो रोते, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। दो दिन बाद छोटा भाई भी मौन की गोद में सो गया। बहनोई को जब पता चला तो उन्होंने राघवेन्द्र को अपने यहाँ करूहाड़ बुला लिया।

बम्बई में राघवेन्द्र ने एक-एक तक की शिक्षा पूरी की। उपनिषद् और दशन की और वही उनकी रझान हुई। स्वामी विवेकानन्दजी के जीवन, कर्म और वाणी का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा था। तिलक और पराजपे ने राघवेन्द्र के कोमल हृदय में स्वराज्य और संस्कृति का बीज बोया, जो आगे चलकर बाबा राघवदास की कठिन स्वराष्ट्र साधना के रूप में विकसित हुआ। ११ फरवरी १९१३ को राघवेन्द्र ने अपनी मशा के अनुरूप सिद्ध गुरु की खोज में महाराष्ट्र छोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का सम्बन्ध बहुत पुराना है। बम्बई में देवी-सिंह के आलाके में देवभक्त भुवको से काशी, प्रयाग, हरद्वार और उत्तरवाशी के सन्तों की चर्चा सुनी थी। वह बम्बई से हरद्वार, मथुरा बुदायन होते हुए प्रयाग आये। प्रयाग के हडिया नामक गाँव में एक बगीचे में कुछ दिन रहे। प्रयाग से काशी आये। दगाश्रमेष घाट पर ही रही मराठी सत्सग चर्चा में उनके मामा और मामी ने उन्हें पहचान लिया। किसी तरह से टाल दूँकर उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया। काशी से गाजीपुर के मौनी बाबा के यहाँ चले गये। मौनी बाबा

के यहाँ मुन्नी राम एकबाल लाल से मुलाकात हुई। मुन्नीजी के साथ गढवार (चन्डिया) गये। गढवार से ६ मील दक्षिण इन्द्रपुर की कुन्नी पर बाबा नारायणदास के साथ भी कुछ दिन रहे। इन्द्रपुर से मथुरा हरसेनपुर पहुँचे और यही पर बरहज के सिद्ध योगी अनन्त महाप्रभु का परिचय मिला।

योगिराज अनन्त महाप्रभु की आयु १३७ वर्ष थी। उनके दीर्घकाल, लम्बे वर्ष, विद्यालक्ष्मी देदीप्यमान मस्तक और निमल चित्त का सुन्दर रापवेद्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा। योगिराज कभी सोत नहीं थे। रापवेद्र सात दिन, सात रात जागकर उठ देखते रहे और कभी सोत नहीं देखा। रापवेद्र को लगा कि उन्होंने अपना गुरु पा लिया। बस, वे बरहज में भाकर रहने लगे।

जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जो अपनी घमिष्ट छाप मन और विचार पर छोड़ जाते हैं, फिर उनकी प्रतिक्रिया आचरण में प्रकट होती है। इसे ही जीवन का मोड़ कहते हैं। बाबा रापवेदास के जीवन में प्रारम्भ से ही इस तरह अनेक मोड़ आये, जिनके कारण उनकी प्रकृति दृढ़ एवं दृढ़निष्ठ होती गयी। बाप उन दिनों की है जब मैं कालेज में अध्ययन कर रहा था। सुना कि बाबाजी आनेवाले हैं। मुझे उनके विचारों में जो विनम्र तोखानपन रहता था वह शैली बहुत प्रिय थी। और यह भी सुना था कि बाबा रापवेदासजी हमारी पुरानी पीढ़ी के उन स्यामी, तपस्वी और पुरुषार्थी गुरुजनों में से हैं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का दृढ़ संकल्प किया था। वे आये और उनके दसनों ने हमारी जीवन दिशा ही मोड़ दी। हमारे मानस पर आज तक उनका प्रभाव ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित है।

साधारण कोटि के लोगों से बाबाजी में विशेषता यह थी कि दरिद्रनारायण की प्रवण्ड सेवा करते हुए भी उनमें निर्लज्जता का भाव अनुपम था। घर-द्वार छोड़कर बरहज आश्रम को तिलजलि देने के बाद भी प्रवसाद की एक क्षीण रेखा तक उनमें नहीं दिखाई पड़ी। उनका बिल और दिमाग दोनों ही बहुत मजबूत थे। और, यह इसलिए हुआ कि बचपन से ही दुल्लेख सधर्षों के बीच उनका अस्तित्व रहा है।

उनके स्वभाव में ईमानदारी साक्षात् प्रविष्ट थी। जिन जिन सस्यामों के चलाने का भार उन पर डाला गया उनमें जबतक दरिद्रनारायण की सेवा का भाव रहता था तबतक बाबाजी साथ रहते थे जहाँ गरीबों के नाम पर जाल बट्टा होने का आभास मिलता था तो वे मुघार कर देते या फिर उसे एकदम छोड़ देते थे। एक दिन की बात है

झलीगढ जिले मे उनकी पदयात्रा चल रही थी । मन, वाणी व कर्म से मूदान-कार्य मे वे रत थे । फिर भी कभी कभी जब वे विचारमग्न होते तो वर्तमान शासन और स्वशासी संस्थाओं के बारे मे सोचते । उनके दिव्य ललाट पर उमरी वक्र रेखाएँ गभीर चिन्तन का आभास दे रही थीं । सवेरा हुआ । ४ बजे सारी क्रिया से निवृत्त होकर पत्र लिखने लगे । एक-दो तीन नहीं, पूरे १०५ पत्र उन्होंने लिखे । विचार-मग्न का नवनीत मह या कि प्रदेश और देश की अनेक संस्थाओं के वे सदस्य अथवा सचालक थे, सबसे श्यामपत्र दे दिया । आज के लोगों में संस्थाएँ बनाने और उनसे चिपटे रहने की लिप्ता के लिए बाबाजी का त्याग आदर्श प्रस्तुत कर रहा है ।

एक दूसरी भी चीज है, जिसने सबको प्रभावित किया है । वह है अपनी न्यूनतम सुविधा के लिए भी बेफिकर रहना । दूसरो का छोटा सा भी कष्ट उनके लिए पहाड़ जैसा होता और अपना तो बड़ा से-बड़ा दुःख भी उन्होंने टृण के समान समझा । ये सारे गुण उनमें झलीकिक थे, जिनकी तुलना मे आज कोई दिखाई नहीं देता ।

अत्याचार और अन्याय को वे एक क्षण भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे । वे किसी भी अधिकारी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के कटाचार का बटकर विरोध करते थे और तबतक दम नहीं लेते थे जबतक जनता के मुआफिक निर्णय नहीं करा लेते थे । इस प्रकार के दृढ़, नैतिक एवं आदर्श चरित्र का अभाव हो जाने से ही देश की वर्तमान दुर्दशा है । उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है उनमें बाबाजी का जरा-सा भी अंश नहीं मिलता ।

परमहंस बाबा राघवदासजी का बहुत्तरवाँ जन्म दिवस १२ दिसम्बर को एवं ग्यारहवीं पुण्यतिथि १५ जनवरी को मनायी जायगी । ऐसे अवसर पर हम सबको चाहिए कि बाबाजी की हिमालय की-सी उच्चता, समुद्र-सी गहराई, गंगा-भी पवित्रता और मातृवत् सरलता को हृदयगम करें तथा जिन उद्देश्यों की सातिर बाबाजी जिये और मरे उनको पूर्ण करने में हम प्राणपण-से जुट जायें ।

बिनोबाजी की आकांक्षा "प्रदेशदान" की पूर्ति के लिए बाबाजी भगर आज होते तो क्या वे दूसरे दूसरे व्यर्थ के कामों में अपना समय गंवाते फिरते ? उनका तो सारा जीवन ही तूफानमय था, फिर क्यों आज इस प्रदेश में 'तूफान' सदा नहीं हो रहा है ? जिस प्रकार बाबाजी ने बिनोबाजी के मूदान-मान्दोलन को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था और मूदान-कार्यक्रम संस्था का नहीं जनता का हो गया था, आज क्यों नहीं बाबाजी की आत्मा की शान्ति के लिए सब लोग एकसाथ खड़े हो जाते ?

—कपिल अयस्थी

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री राममूर्ति

वर्ष : १७
 अंक : ५
 मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

भूखा शिक्षक	१९३ श्री राममूर्ति
भाचार्यों की शक्ति पक्षमुक्ति	१९७ श्री विनोबा
श्रीलंका का लोक दर्शन	१९९ श्री नरेन्द्र
वल्लभ विद्यालय, बोचासन***	२०७ श्री शिवाभाई गो० पटेल
कुमार मन्दिर में गृहकार्य	२२१ श्री काली प्रसाद 'मालीक'
पोषण और स्वास्थ्य	२२६ सुखी निर्मला देशपाडे
शिक्षक और शिक्षालय	२३२ श्री मदनमोहन पाडेय
परमहंस बाबा राघवदास	२३४ श्री कपिल श्रवस्थी

दिसम्बर, '६८

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा छः रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णवत्स भट्ट सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित, अमल कुमार बसु
 इन्डियन प्रेस (प्रा०) लि०, पाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : दिसम्बर '६८

पहले से डाक-व्यय दिये बिना भजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० सं० एल १७२३

गांधी-शताब्दी-वर्ष १९६८-६९

गांधी विनोदा क ग्राम स्वराज्य का संदेश गाँव गाँव, घर-घर पहुँचाने के लिए निम्न सामग्री का उपयोग कीजिए .

पुस्तकें—

- (१) जनता का राज्य—लेखक श्री मनमोहन चौधरी, पृष्ठ ६२, मूल्य २५ पैसे
- (२) Freedom for the Masses—लेखक श्री मनमोहन चौधरी
जनता का राज' का अनुवाद, पृष्ठ ७६, मूल्य २५ पैसे
- (३) शांतिसेना परिचय—लेखक श्री नारायण देसाई, पृष्ठ ११८, मूल्य ७५ पैसे
- (४) हत्या एक जाकार की—लेखक श्री सनित सहगल, पृष्ठ ६६, मूल्य २०३५०
- (५) A Great Society of small Communities—ले० सुगत रामगुप्ता,
पृष्ठ ७८, मूल्य २० १० ००

फोल्डर—

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| १-गांधी गाँव और ग्रामदान | २-गांधी गाँव और शांति |
| ३-ग्रामदान क्यों और कैसे ? | ४-ग्रामदान क्या और क्यों ? |
| ५-ग्रामदान के बाद क्या ? | ६-ग्रामसभा का गठन और कार्य |
| ७-गाँव गाँव में छाटी | ८-सुलभ ग्रामदान |
| ९-देखिए ग्रामदान के कुछ नमूने | १०-गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम |

पोस्टर—

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| १-गांधी ने चाहा था सच्चा स्वराज्य | २-गांधी ने चाहा था स्वावलम्बन |
| ३-गांधी ने चाहा था अहिंसक समाज | ४-ग्रामदान से क्या होगा ? |
| ५-गांधी जन्म शताब्दी और सर्वोदय-पर्व | |

प्रदेश के सर्वोदय संघटनों और गांधी-जन्म शताब्दी समितियों से सम्पर्क करके यह सामग्री हजारों छात्रों की तादाद में प्रकाशित वितरित कराने का प्रयत्न करना चाहिए ।

शता दो समिति को गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति टू कलिया भवन
बु-दोगरी का बैरू जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित